



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 897]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 30, 2017/चैत्र 9, 1939

No. 897]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 2017/CHAITRA 9, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2017

आय-कर

का० आ० 1006(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) ये 1 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त होंगे।
- आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 12 में,
(क) उपनियम (1) में—

I. प्रारंभिक भाग में, “2016” अंकों स्थान पर “2017” अंक रखा जाएगा, अर्थात् :—

II. खंड (क) के परंतुक में

- उपखंड (II) में, अंत में आने वाले “या” शब्द का लोप किया जाएगा ;
- उपखंड (III) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—
“(IV) कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है ;
(V) धारा 115खखघक के अधीन आय कराधेय है ; या
(IV) धारा 115खखड में निर्दिष्ट प्रकृति की आय है” ;

III. खंड (ख) और (खक) का लोप किया जाएगा ;

IV. खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) कोई व्यष्टिक [कोई व्यष्टिक न होते हुए जिसको खंड (क) लागू होता है] या हिंदू अविभक्त कुटुम्ब के मामले में जहां प्ररूप आई टी आर- 2 में होते हुए या स्वत्वधारी कारबार या वृत्तिक से व्युत्पन्न आय कुल आय सम्मिलित नहीं है और उसे उपदर्शित रीति में सत्यापित किया जाएगा।”

V. खंड (गक) में,

प्रारंभिक भाग में, शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “कारबार आय और धारा 44 कघ में निर्दिष्ट विशेष उपबंधों के अनुसार संगणित के लिए अधिनियम की धारा 44कड प्ररूप सुगम (आई टी आर-4 घ) में होना जाए” शीर्षक के अधीन “कारबार या वृत्तिक का लाभ या अभिलाभ और धारा 44कघ, धारा 44कघक में निर्दिष्ट विशेष उपबंधों के अनुसार आय की संगणना की जाती है और ऐसी आय की संगणना के लिए अधिनियम धारा 44कड सुगम (आई टी आर-4) प्ररूप होना चाहिए” रखा जाएगा

(ii) परंतुक में—

(अ) उपखंड (II) में, अंत में आने वाले “या” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(आ) उपखंड (III) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा ; अर्थात् :—

(V) धारा 115खखक के अधीन आय कराधेय है ; या

(IV) धारा 115खखड में निर्दिष्ट प्रकृति की आय है” ;

VI. खंड (घ),

(i) शब्द, कोष्ठक और अक्षर “खंड (ख)” का लोप किया जाएगा ;

(ii) शब्दों, अक्षरों और संख्या “प्ररूप सं० आई टी आर 4” के स्थान पर “प्ररूप सं० आई टी आर- 3” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

(ख) शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और संख्या के स्थान पर “प्ररूप सुगम (आई टी आर 4 एस)” अक्षर कोष्ठक और संख्या “प्ररूप सुगम (आई टी आर-4)” रखा जाएगा।

(ग) उपनियम (3) की सारणी में—

(अ) क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

| क्रम संख्या | व्यक्ति | शर्त | उपाय की विवरणी प्रस्तुत करने की रीति |
|-------------|---------------------------------------|--|---|
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
| "1 | (क) व्यष्टिक या हिंदू अविभक्त कुटुम्ब | (क) अधिनियम के अधीन की धारा 44कख के अधीन संपरीक्षित किए जाने के लिए ले जाए अपेक्षित हैं। (ख) जहां पूर्व वर्ष के दौरान अधिनियम के अधीन कुल निर्धारणीय आय कोई व्यक्ति— (i) पूर्व वर्ष के दौरान 80 वर्ष या किसी समय पर अधिक व्यष्टिक होते हुए ; या (ii) जिसकी आय पांच लाख रुपए से अधिक नहीं होती है और आय की विवरणी में कोई प्रतिदाय दावा नहीं किया गया है और जो सहज आई टी आर। या प्ररूप संख्या सुगम(आई टी आर-4) में प्ररूप में प्रस्तुत किया जाता है। | आंगुलिक हस्ताक्षर के अधीन इलेक्ट्रानिक रूप में (अ) आंगुलिक हस्ताक्षर के अधीन इलेक्ट्रानिक रूप से ; या (आ) इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अधीन विवरणी में इलेक्ट्रानिक रूप से डाटा का परेषण ; या (इ) इलेक्ट्रानिक रूप से विवरणी में परेषण डाटा और तत्पश्चात् प्ररूप आई टी आर-V की विवरणी सत्यापन प्रस्तुत करने में तत्पश्चात् ; या (ई) कागज-पत्र प्ररूप |

| | | | |
|--|--|----------------------|--|
| | | (ग) किसी मामले में — | (अ) आंगुलिक हस्ताक्षर के अधीन इलेक्ट्रानिक रूप से ; या (आ) इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अधीन विवरणी में इलेक्ट्रानिक रूप से डाटा का परेषण ; या (इ) इलेक्ट्रानिक रूप से विवरणी में डाटा का परेषण और प्ररूप आई टी आर V में विवरणी के सत्यापन प्रस्तुत करने के तत्पश्चात्;"; |
|--|--|----------------------|--|

(घ) उपनियम (5) में अंकों "2015" के स्थान पर "2016" अंकों को रखा जाएगा ।

3. मूल नियमों में, परिशिष्ट II में,—

- (क) "प्ररूप सहज (आई टी आर-1)", के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :— "सहज (आई टी आर-1)";
- (ख) "प्ररूप आई टी आर-2", के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :— "आई टी आर-2";
- (ग) "प्ररूप आई टी आर-2क", का लोप किया जाता है;
- (घ) "प्ररूप आई टी आर-3", के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :— "आई टी आर-3";
- (ङ) "प्ररूप आई टी आर-4एस", के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :— "सुगम (आई टी आर-4)";
- (च) "प्ररूप आई टी आर-4", का लोप किया जाता है;
- (छ) "प्ररूप आई टी आर-5", के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :— "आई टी आर-5";
- (ज) "प्ररूप आई टी आर-6", के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :— "आई टी आर-6";
- (झ) "प्ररूप आई टी आर-7", के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :— "आई टी आर-7";
- (ञ) "प्ररूप आई टी आर-V", के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :— "आई टी आर-V";

| | | |
|----------------|---|---------------|
| आ.क.वि.- 1 सहज | भारतीय आयकर विवरणी | निर्धारण वर्ष |
| | [ऐसे व्यक्ति के लिए जिनका वेतन, एकल गृह सम्पत्ति, अन्य स्रोतों (व्याज, आदि) से आय और जिनका कुल आय 50 लाख रुपए तक हो] (पात्रता के लिए अनुदेश देखें) | 2 0 1 7 - 1 8 |

| भाग क सर्वसाधारण की जानकारी | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|------------------|-----|--------|
| स्थायी लेखा संख्या | | | | | | | | | | नाम | आधार संख्यांक (12 अंक)/आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हो) | | | |
| मोबाइल नं० | | | | | | | | | | पता: प्लॉट / द्वार/ब्लॉक सं. | परिसर/भवन/ग्राम | मार्ग/गली /डाकघर | | |
| ई-मेल पता | | | | | | | | | | क्षेत्र/अवस्थान | नगर/शहर/जिला | राज्य | देश | पिनकोड |
| केवल एक भरें ► <input type="checkbox"/> निवासी ► <input type="checkbox"/> अनिवासी ► <input type="checkbox"/> निवासी किंतु मामूली तौर पर निवासी नहीं | | | | | | | | | | केवल एक भरें यदि आप संबंधित हैं ► <input type="checkbox"/> सरकारी <input type="checkbox"/> सार्वजनिक सेक्टर उपक्रम <input type="checkbox"/> अन्य | | | | |
| फाइल की गई विवरणी ()/कृपया अनुदेश देखें- / ► <input type="checkbox"/> नियत तारीख को या इससे पूर्व - 139(1), ► <input type="checkbox"/> विलंबित-धारा 139(4) के अधीन, ► <input type="checkbox"/> पुनरीक्षित-धारा 139(5) के अधीन, ► <input type="checkbox"/> धारा 119(2)(ख) के अधीन या सूचना के उत्तर में ► <input type="checkbox"/> 139(9)-नुटियुक्त, ► <input type="checkbox"/> 142(1), ► <input type="checkbox"/> 148, ► <input type="checkbox"/> 153A/153C | | | | | | | | | | | | | | |
| यदि पुनरीक्षित/नुटियुक्त हो तो पावती संख्या और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष) | | | | | | | | | | | | | | |
| यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153क/153ग के नोटिस के उत्तर में फाइल किया गया हो ► | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-------------------------|--|----------------------|--------------|----|------|-------------------------|--|--|
| क्या आप धारा 5क के अनुसार पुर्तगाली सिविल संहिता द्वारा शासित होते हो? निशान <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि 'हां' तो पति-पत्नी का पैन भरें) | | | | | | | | | | | |
| भाग ख - सकल कुल आय केवल संपूर्ण रुपए (₹) में | | | | | | | | | | | |
| ख1 | वेतन/पेंशन से आय | | | | | | | | ख1 | | |
| ख2 | एकल गृह संपत्ति से आय <input type="checkbox"/> स्वतः अधिभोग <input type="checkbox"/> किराए पर (यदि हानि हुई हो तो नकारात्मक अंक भरें) | | | | | | | | ख2 () | | |
| ख3 | अन्य स्रोतों से आय | | | | | | | | ख3 | | |
| ख4 | सकल कुल आय (ख 1+ ख 2+ ख 3) (यदि हानि हुई हो तो नकारात्मक अंक भरें) | | | | | | | | ख4 () | | |
| भाग ग - कटौतियां और कराधेय कुल आय (आयकर अधिनियम के अनुसार कटौती की सीमा के लिए अनुदेश निर्दिष्ट करें) | | | | | | | | | | | |
| 80ग | | | | 80घ | | | | 80ङ | | | |
| कोई अन्य (कृपया धारा विनिर्दिष्ट करें) | | | | | | | | | | | |
| कुल कटौतियां | | ग1 | कराधेय कुल आय (ख4 - ग1) | | | | ग2 | | | | |
| भाग घ - संदेय कर की संगणना | | | | | | | | | | | |
| घ1 | कुल आय पर संदेय कर | | | घ2 | धारा 87क के अधीन छूट | | | घ3 | रिबेट के पश्चात् कर | | |
| घ4 | घ3 पर उपकर | | | घ5 | कुल कर और उपकर | | | घ6 | धारा 89(1) के अधीन राहत | | |
| घ7 | धारा 234क के अधीन ब्याज | | | घ8 | 234ख | | | घ9 | 234ग | | |
| घ10 | कुल कर और ब्याज (घ5+घ7+ घ8+ घ9 - घ6) | | | | घ11 | कुल संवत् कर | | | | | |
| घ12 कुल संदेय (घ10 - घ11) (यदि घ10 > घ11) | | | | घ13 प्रतिदाय (घ11 - घ10) (यदि घ11 > घ10) | | | | | | | |
| रिपोर्टिंग प्रयोजन के लिए छूट प्राप्त आय | 10 (38) | 10(34) | | | कृषि-आय (≤ Rs.5000) | | | अन्य | क. विनिर्दिष्ट करें | | |
| भाग ड - अन्य जानकारी | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|----------|--|-------------|--|--|--|
| घ14 | पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों (निष्क्रिय खातों को छोड़कर) का विवरण (अनिवार्य चाहे प्रतिदाय देय है या नहीं) | | | | |
| क्रम सं. | बैंक का आईएफएस कोड | बैंक का नाम | खाता संख्या (बैंक के सीबीएस पद्धति के अनुसार 9 अंक या उससे अधिक) | 09.11.2016 से 30.12.2016 की अवधि के दौरान जमा किए गए रोकड़ (यदि उस अवधि के दौरान कुल ≥ 2 लाख रुपए रोकड़ जमा किए गए हों) | (प्रतिदाय के लिए एक विवरण चिह्न <input checked="" type="checkbox"/> लगाएं) |
| I | | | | | |
| II | | | | | |
| III | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|----------------------------------|--|--|-------------|--|------------|--|
| अनुसूची-आयकर आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे | | | | | | | | | | |
| | बीएसआर कोड | | | निक्षेप की तारीख (तिथि/मास/वर्ष) | | | चालान सं. | | संवत् कर | |
| | (स्तंभ i) | | | (स्तंभ ii) | | | (स्तंभ iii) | | (स्तंभ iv) | |
| आर 1 | | | | | | | | | | |
| आर 2 | | | | | | | | | | |
| आर 3 | | | | | | | | | | |
| आर 4 | | | | | | | | | | |
| आर 5 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|
| अनुसूची-स्रोत पर कर कटौती टीडीएस/टीसीएस के ब्यौरे [कटौतीकर्ता (ओं)/नियोक्ता(ओं)/कलक्टर(रों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16/16क/27घ के अनुसार] | | | | | | | |
| | कटौतीकर्ता का टैन | कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता का नाम | ऐसी रकम जो कर कटौती/वसूली के अधीन है | कटौती/वसूली वर्ष | कटौती किया गया/संग्रहीत कर | (v) में से इस वर्ष दावा की गई रकम | पति-पत्नी के हाथ में दावाकृत रकम यदि धारा 5क लागू होती हो |
| | स्तंभ (1) | स्तंभ (2) | स्तंभ (3) | स्तंभ (4) | स्तंभ (5) | स्तंभ (6) | स्तंभ (7) |
| टी1 | | | | | | | |
| टी2 | | | | | | | |
| टी3 | | | | | | | |

स्टॉप रसीद सं. प्रासिकर्ता पदधारी की मुद्रा, तारीख व हस्ताक्षर

सत्यापन पुत्र/पुत्री में, करता/करती हूँ कि विवरणों में दी गई जानकारी मेरे पूर्व ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण है और आयकर अधिनियम, 1961 के अनुबंधों के अनुसार है।
तारीख: ह.:

| | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|---|---|---|---|---|
| प्रकार आ.क.वि-2 | भारतीय आयकर विवरणी [ऐसे व्यक्ति और हिन्दू अविभक्त परिवार जो किसी स्वामित्व के अधीन कारबार या व्यवसाय कार्यान्वित नहीं कर रहे हों] [कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए] (संलग्न अनुदेश भी देखिए) | निर्धारण वर्ष | | | | | |
| | | 2 | 0 | 1 | 7 | - | 1 |

भाग क- साधारण साधारण

| | | | | |
|-----------------|--|--|-----------|---|
| व्यक्तिगत सूचना | प्रथम नाम | मध्य नाम | अंतिम नाम | स्थायी लेखा सं. (पैन) |
| | फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं० | परिसर/भवन/गांव का नाम | | प्रास्थिति (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> व्यक्ति <input type="checkbox"/> हिन्दू अविभक्त कुटुंब |
| | मार्ग/गली/डाकघर | जन्म तिथि/स्वरूप/ (तिथि/मास/वर्ष) | | |
| | क्षेत्र/अवस्थान | आधार संख्यांक (12 अंक)/आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हो) | | |
| | नगर/शहर/जिला | राज्य | पिन कोड | लिंग (व्यक्ति की दशा में) (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> पुरुष <input type="checkbox"/> स्त्री |
| | निवास/कार्यालय का एस0टी0डी0 कोड सहित फोन नं० मोबाइल नं. 1 | मोबाइल नं० 2 | | नियोजन प्रवर्ग (यदि नियोजन में है) (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> सरकार <input type="checkbox"/> सार्वजनिक सेक्टर एकक <input type="checkbox"/> अन्य |
| | ई मेल पता -1 (स्वयं का) | आय-कर वार्ड/सर्किल | | |
| | ई मेल पता -2 | | | |
| प्रसूत प्रश्न | (क) विवरणी फाइल की गई (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश सं० 7 देखिए] <input type="checkbox"/> नियत तारीख को या उससे पूर्व - 139(1), <input type="checkbox"/> नियत तारीख के पश्चात् - 139(4), <input type="checkbox"/> पुनरीक्षित विवरणी 139(5), <input type="checkbox"/> उपांतरित विवरणी - 92गघ <input type="checkbox"/> धारा 119(2)(ख) के अधीन या सूचना के उत्तर में <input type="checkbox"/> 139(9)- त्रुटिपूर्ण, <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153क/153ग | | | |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| (ख) | यदि पुनरीक्षित/त्रुटियुक्त है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें। (तिथि/मास/वर्ष) | / | / |
| (ग) | यदि धारा के 139(9)/142(1)/148/153क/153ग के अधीन किसी सूचना के उत्तर में फाइल की गई है ऐसी सूचना की तारीख या धारा 92गघ के अधीन अग्रिम मूल्यांकन करार की तारीख अंकित करें | / | / |
| (घ) | निवास की प्रास्थिति (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> अनिवासी <input type="checkbox"/> निवासी किंतु मामूली तौर पर निवासी नहीं | | |
| (ङ) | क्या अधिनियम की धारा 94क के अधीन अधिसूचित अधिकारिता में अवस्थित किसी व्यक्ति के साथ किया गया कोई संव्यवहार? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | |
| (च) | क्या धारा 5क के अनुसार आप पुर्नगाल सिविल संहिता द्वारा शासित किए जाते हैं? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि "हां", कृपया अनुसूची 5क भरें) | | |
| (छ) | क्या यह विवरणी प्रतिनिधि निर्धारिता द्वारा फाइल की जा रही है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां है तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें - | | |
| (1) | प्रतिनिधि का नाम | | |
| (2) | प्रतिनिधि का पता | | |
| (3) | प्रतिनिधि का स्थायी खाता संख्या (पैन) | | |

भाग - ख

| | | | |
|----------------|---|---|--|
| भाग ख - कुल आय | कुल आय की संगणना | | |
| 1 | वेतन (अनुसूची वेतन का 6) | 1 | |
| 2 | गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृस का 3ख) (यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें) | 2 | |
| | इस क्षेत्र में कुछ न लिखें या स्टॉप न लगाएं (बार कोड के लिए स्थान) | | केवल कार्यालय उपयोग के लिए रसीद सं. तारीख प्राप्त करने वाले अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर |

| | | | | |
|--------|---|--|------|--|
| कुल आय | 3 | कारबार या वृत्ति से लाभ या अभिलाभ (अनुसूची कारबार या वृत्ति का 8) (यदि हानि हो तो कुछ नहीं लिखें) | 3 | |
| | 4 | पूँजी अभिलाभ | | |
| | | क लघु अवधि | | |
| | | i लघु अवधि प्रभाय @ 15% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 7ii) | कi | |
| | | ii लघु अवधि प्रभाय @ 30% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 7iii) | कii | |
| | | iii लागू दर पर लघु अवधि प्रभाय (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 7iv) | कiii | |
| | | iv कुल लघु अवधि (कi + कii + कiii) | 4कiv | |
| | | ख दीर्घ अवधि | | |
| | | i दीर्घ अवधि प्रभाय @ 10% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 7v) | खi | |
| | | ii दीर्घ अवधि प्रभाय @ 20% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 7vi) | खii | |
| | | iii कुल दीर्घ अवधि (खi + खii + खiii) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्टि करें) | खiii | |
| | | ग कुल पूँजी अभिलाभ (4कiv + 4खiii) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्टि करें) | 4ग | |
| | 5 | अन्य स्रोतों से आय | | |
| | | क बौद्ध के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न स्रोतों से प्रभाय योग्य आय पर विशेष दर पर कर (अनुसूची असो का ठा) (यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें) | 5a | |
| | | ख प्रभाय योग्य आय पर विशेष दर पर कर (अनुसूची असो का 1चvii) | 5b | |
| | | ग बुद्धबौद्ध के घोड़ों के स्वामित्व के क्रियाकलापों और उनके रखरखाव से (अनुसूची असो का 3ग) (यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें) | 5c | |
| | | घ योग (5क + 5ख + 5ग) (यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें) | 5d | |
| 6 | योग (1+2+3 +4ग+5घ) | 6 | | |
| 7 | 6 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची चालू वर्ष की हानि समा. के 2xii,3xii और 4xii का योग) | 7 | | |
| 8 | चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात् अतिशेष (6-7) (अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन स्तंभ 5 का योग) | 8 | | |
| 9 | 8 के विरुद्ध मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत की गई हानियां (अनुसूची अग्रनीत हानि समा. का 2xi) | 9 | | |
| 10 | सकल कुल आय (8-9) (अनुसूची अग्रनीत हानि समा. + 5ख का 3xii) | 10 | | |
| 11 | धारा 111क, 112 आदि के अधीन आय प्रभाय के लिए विशेष दर पर कर में 10 सम्मिलित है | 11 | | |
| 12 | अध्याय 6क के अधीन कटौतियां (अनुसूची VIक का न और 10-11के लिए सीमित) | 12 | | |
| 13 | कुल आय (10-12) | 13 | | |
| 14 | आय जो 13 में सम्मिलित है और विशेष दरों पर कर से प्रभाय (अनुसूची सोआ में (झ) का कुल) | 14 | | |
| 15 | शुद्ध कृषि आय/ दर के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आय (अनुसूची छूट प्राप्त आय का 4) | 15 | | |
| 16 | ‘संकलित आय’ (13-14+15) [लागू होगा यदि (13-14) अधिकतम रकम जिस पर कर प्रभाय न हो, से अधिक हो] | 16 | | |
| 17 | अग्रनीत किए जाने के लिए चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची अग्रनीत हानि का xi कुल पक्तियां) | 17 | | |

| | | | |
|------------------------------|---|--|----|
| भाग ख - कुल आय पर कर दायित्व | | कुल आय पर कर दायित्व की संगणना | |
| कर दायित्व की संगणना | 1 | कुल आय पर संदेय कर | |
| | | क भाग ख-कुल आय के 16 पर सामान्य दरों पर कर | 1क |
| | | ख विशेष दरों पर कर (अनुसूची विशेष आय का (ii)का कुल) | 1ख |
| | | ग कृषि आय पर छूट [लागू होगा यदि भाग ख कुल आय के (13-14)अधिकतम रकम जिस पर कर प्रभाय न हो, से अधिक हो] | 1ग |
| | | घ कुल आय पर संदेय कर (1क + 1ख-1ग) | 1घ |
| | 2 | धारा 87क के अधीन रिबेट (5 लाख से अधिक नहीं है तो भाग ख कुल आय के 13 यदि लागू हो) | 2 |
| | 3 | रिबेट के पश्चात् संदेय योग्य कर (1घ - 2) | 3 |
| | 4 | 3 पर अधिभार (1 करोड़ से अधिक है तो भाग ख कुल आय के 13 यदि लागू हो) | 4 |
| | | क अनुसूची धा के 12(ii) के 25% | 4क |
| | | ख [अनुसूची धा के (3)-(12(ii))] (उस समय लागू यदि भाग ख-ना का 13 एक करोड़ से अधिक है) | 4ख |
| | | ग कुल (क + ख) | 4ग |
| | 5 | शिक्षा अधिभार, जिसके अंतर्गत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा अधिभार भी हैं (3 + 4ग) | 5 |
| | 6 | सकल कर दायित्व (3 + 4ग + 5) | 6 |
| | 7 | कर राहत | |
| | | क धारा 89 | 7क |
| | | ख धारा 90 या 90क (अनुसूची टीआर का) | 7ख |
| | | ग धारा 91 (अनुसूची टीआर का) | 7ग |

| | | | | | |
|----|--|--|-------------|---|---|
| | घ | योग (7क + 7ख + 7ग) | | 7घ | |
| 8 | सकल कर दायित्व (6 - 7घ) (यदि नकारात्मक है तो शून्य लिखें) | | | | 8 |
| 9 | संदेय ब्याज | | | | |
| | क | विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234क) | | 9क | |
| | ख | अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234ख) | | 9ख | |
| | ग | अग्रिम कर के आस्थगन के लिए (धारा 234 ग) | | 9ग | |
| | घ | कुल संदेय ब्याज (9क + 9ख + 9ग) | | 9घ | |
| 10 | संकलित दायित्व (8+ 9घ) | | | | 10 |
| 11 | संदत्त कर | | | | |
| | क | अग्रिम कर (अनुसूची आयकर से) | | 11क | |
| | ख | स्रोत पर कटौती किया गया कर (अनुसूची स्रोत पर कर कटौती 1 के स्तंभ 5 और अनुसूची स्रोत पर कर कटौती 2 के स्तंभ 8 का योग योग) | | 11ख | |
| | ग | स्रोत पर कर कटौती (अनुसूची स्रोत पर कर कटौती के स्तंभ 6 का कुल) | | 11ग | |
| | घ | स्वनिर्धारण कर (अनुसूची आयकर से) | | 11घ | |
| | ङ | संदत्त कुल कर (11क + 11ख + 11ग + 11घ) | | 11घ | |
| 12 | संदेय कर (यदि 10 11घ से अधिक है तो लिखें, अन्यथा शून्य लिखें) | | | | 12 |
| 13 | प्रतिवाय (यदि 11 ङ 10 से अधिक है) (प्रतिवाय, यदि कोई हो, सीधे बैंक खाते में जमा होगा) | | | | 13 |
| 14 | पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों का ब्यौरा (निष्क्रिय खातों को छोड़ते हुए) | | | | |
| | क्रम सं. | बैंक का आईएफएस कोड | बैंक का नाम | खाता सं. (बैंक की सीबीएस प्रणाली के अनुसार सं. 9 अंकीय या अधिक होनी चाहिए।) | खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना प्रतिदाय, यदि कोई हो, प्राप्त करना चाहते हैं (एक खाता पर निशान लगाएं) |
| | i | | | | |
| | ii | | | | |
| 15 | क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची चक को भरना सुनिश्चित करें) | | | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |

सत्यापन

मैं, जो का पुत्र/पुत्री हूँ, स्थायी लेखा संख्या, का धारक हूँ, सत्वनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं और यह कि उसमें दर्शित कुल आय की रकम और अन्य विशिष्टियां सत्यतः कथित की गई हैं और निर्धारण वर्ष 2017-2018 से सुसंगत पूर्व वर्ष की आय-कर के लिए प्रभाय आय के संबंध में आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार हैं। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

स्थान
तारीख

यहां हस्ताक्षर करें→

| | | | | | |
|----|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|--|
| 16 | यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें: | | | | |
| | कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं. | कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम | | | कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर |
| | यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम | | | | 17 |
| 18 | अनुसूची-आयकर | | | | |
| क | आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे | | | | |
| | क्रम सं. | बीएसआर कोड | निकष की तारीख (तिथि/मास/वर्ष) | चालान का क्रम सं. | रकम (रु.) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | i | | | | |
| | ii | | | | |
| | iii | | | | |
| | iv | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|----------|--|---------------|------------------------|-----------------------|
| | | टिप्पण ▶ भाग ख - टीटीआई की क्रम सं. 11क और 11ग में अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर का योग लिखें। | | | |
| ख | | वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजकों (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार] | | | |
| वेतन से स्रोत पर कर कटौती | क्रम सं. | नियोजक का कर कटौती खाता संख्या (टैन) | नियोजक का नाम | वेतन के अधीन प्रभाब आय | कटौती किया गया कुल कर |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | i | | | | |
| | ii | | | | |
| टिप्पण ▶ | | कृपया अनुसूची टीडीएसआई के स्तंभ 5 और भाग ख टीटीआई के 8 में अनुसूची टीडीएस 2 के स्तंभ 11ख का योग प्रविष्ट करें। | | | |
| ग | | आब से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [कटौतीकर्ता (कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार या प्ररूप 26थख] | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|--|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| अन्य आय पर स्रोत पर कर कटौती | क्रम सं. | कटौतीकर्ता का कर कटौती खाता संख्या (टैन)/ क्रेता का पैत | कटौतीकर्ता का नाम | विशिष्ट टीडीएस प्रमाणपत्र सं. | दावा न किया अग्रणीत टीडीएस (बी/एफ) | वित्त वर्ष जिसमें टीडीएस की कटौती की गई है | (6) या (7) में से रकम जिसका इस वर्ष दावा किया गया है (केवल तभी जब तत्स्थानी रकम का इस वर्ष कर के लिए प्रस्ताव किया गया है) | (6) या (7) में से रकम अग्रणीत लाई गई रकम |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | (10) |
| | i | | | | | | | |
| | ii | | | | | | | |
| टिप्पण ▶ | | कृपया अनुसूची टीडीएसआई के स्तंभ 5 और भाग ख टीटीआई के 8 में अनुसूची टीडीएस 2 के स्तंभ 11ख का योग प्रविष्ट करें। | | | | | | |
| घ | | स्रोत पर संग्रहीत कर के ब्यौरे (संग्राहकों द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार) | | | | | | |
| स्रोत पर संग्रहीत कर के ब्यौरे | Sl No | संग्रहकर्ता कर कटौती और संग्रह खाता संख्या | संग्रहकर्ता का नाम | संग्रहित कर | (4) से अधिक दावा की गई रकम | (4) से अधिक रकम, जो पति या पत्नी के पास दावा की गई है, यदि धारा 5क लागू है | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | |
| | i | | | | | | | |
| | ii | | | | | | | |
| NOTE ▶ | | भाग ख-टीटीआई के क्रम सं. 11ग में अनुसूची टीसीएस के स्तंभ (6) की कुल रकम प्रविष्ट करें | | | | | | |

टिप्पणी: कृपया यथा लागू विवरणी प्रपत्र (पृष्ठ ध1 से ध12) की अनुसूचियों को भरें।
विवरणी प्रपत्र की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

| | | | | |
|--------------|---|---|---|--|
| अनुसूची वेतन | | वेतन से आय का ब्यौरा | | |
| वेतन | नियोजक का नाम | | नियोजक का स्थायी लेखा संख्या (वैकल्पिक) | |
| | नियोजक का पता | | नगर/ शहर | |
| | | | राज्य | |
| | | | पिन कोड | |
| | 1 | वेतन (सभी भत्तों, परिलब्धियों और वेतन की जगह लाभ जिनमें प्राप्त छूट हैं व जिनमें छूट प्राप्त नहीं जैसे वह नीचे है अलग से दिखाए गए हैं, को छोड़कर) | 1 | |
| | 2 | छूट न प्राप्त भत्ते (नियोजक के प्ररूप 16 को देखें) | 2 | |
| | 3 | परिलब्धियों का मूल्य (नियोजक के प्ररूप 16 को देखें) | 3 | |
| | 4 | वेतन की जगह लाभ (नियोजक के प्ररूप 16 को देखें) | 4 | |
| 5 | धारा 16 के अधीन कटौतियाँ (सरकार द्वारा मनोरंजन भत्ता और नियोजन पर कर) | 5 | | |
| 6 | 'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभाब आय (1+3+4+ 5+6) | 6 | | |
| 7 | धारा 10 के अधीन छूट भत्ते (उपरोक्त 6 में सम्मिलित न किया जाए) | | | |
| क | यात्रा रियायत/प्राप्त सहायता/(धारा 10(5)/ | 7क | | |

| | | | | | |
|--|---|--|----|--|--|
| | ख | गैर आर्थिक परिलब्धि पर नियोक्ता द्वारा संदत कर / धारा 10(10गग) | 7ख | | |
| | ग | मकान किराए पर उपगत व्यय की पूर्ति पर भत्ता / (धारा 10(13क)) | 7ग | | |
| | घ | अन्य भत्ते | 7घ | | |

| अनुसूची गृह संपत्ति | | गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें) | | | | |
|--|--|--|--|---|---|----|
| गृह संपत्ति | 1 | संपत्ति 1 का पता | नगर/ शहर | राज्य | पिन कोड | |
| | क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें) | | | | | |
| | संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता | | | | | |
| | सह स्वामी (स्वामियों) का नाम | | सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक | | संपत्ति में अंश की प्रतिशतता | |
| | I | | | | | |
| | II | | | | | |
| | (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> यदि किराए पर हो <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया <input type="checkbox"/> | | किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो) | | किराएदार का स्थायी खाता संख्या (पैन) (वैकल्पिक) | |
| | I | | | | | |
| | II | | | | | |
| | क | वार्षिक किराया योग्य मूल्य या प्राप्त या प्राप्त होने योग्य किराया (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम) | | | | 1क |
| | ख | किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती | 1ख | | | |
| | ग | स्थानीय प्राधिकारियों को संदत कर | 1ग | | | |
| | घ | योग (1ख + 1ग) | 1घ | | | |
| | ङ | वार्षिक मूल्य (1क - 1घ) - (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है) | | | | 1ङ |
| | च | स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ) | | | | 1च |
| | छ | 1च का 30% | 1छ | | | |
| | ज | उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज | 1ज | | | |
| | झ | योग (1छ + 2ज) | 1झ | | | |
| | j | गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ) | | | | 1j |
| | 2 | संपत्ति 2 का पता | नगर/ शहर | राज्य | पिन कोड | |
| क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें) | | | | | | |
| संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता | | | | | | |
| सह-स्वामी (स्वामियों) का नाम | | सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक | | संपत्ति में अंश की प्रतिशतता | | |
| I | | | | | | |
| II | | | | | | |
| (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> यदि किराए पर हो <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया <input type="checkbox"/> | | किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो) | | किराएदार का स्थायी खाता संख्या (पैन) (वैकल्पिक) | | |
| I | | | | | | |
| II | | | | | | |
| क | वार्षिक किराया योग्य मूल्य या प्राप्त या प्राप्त होने योग्य किराया (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम) | | | | 2क | |
| ख | किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती | 2ख | | | | |
| ग | स्थानीय प्राधिकारियों को संदत कर | 2ग | | | | |
| घ | योग (2ख + 2ग) | 2घ | | | | |
| ङ | वार्षिक मूल्य (2क - 2घ) | | | | 2ङ | |
| च | स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ङ) | | | | 2च | |
| छ | 1च का 30% | 2छ | | | | |
| ज | उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज | 2ज | | | | |
| झ | योग (2छ + 2ज) | 2झ | | | | |
| j | गृह संपत्ति 2 से आय (2च - 2झ) | | | | 2j | |
| 3 | “गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय | | | | | |
| क | 30% की कटौती के पश्चात् धारा 25क के अधीन उस वर्ष के दौरान अप्राप्त किराया और प्राप्त होने वाला किराए का बकाया | | | | 3क | |
| ख | योग (1j + 2j + 3क) (यदि नकारात्मक है तो अनुसूची सीवाईएलए क 2i अंक ले) | | | | 3ख | |
| टिप्पण ► कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची - विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें | | | | | | |

अनुसूची भागीदारी फर्म की जानकारी उन भागीदारी फर्मों के संबंध में सूचना, जिसमें आप भागीदार हों

| भागिदारी की फर्म | उन फर्मों की संख्या जिनमें आप भागीदार हो | | | | | | | |
|------------------|--|-------------|----------------------------|---|--|--------------------------------|------------|-----------------------------------|
| | क्रम सं० | फर्म का नाम | फर्म का स्थायी खाता संख्या | क्या फर्म लेखा परीक्षा के लिए दायी है? (हां / नहीं) | क्या धारा 92ड फर्म पर लागू है? (हां/ नहीं) | फर्म के लाभ में अंश का प्रतिशत | अंश की रकम | फर्म में 31 मार्च को पूंजी अतिशेष |
| | | | | | | | i | ii |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | योग | | | | | | | |

अनुसूची कारबार या वृत्ति जिसका भागीदार है, उन फर्मों से आय का ब्यौरा

| क्रम सं० | फर्म संख्या (अनुसूची आईएफ से) | फर्म से प्राप्त वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक | फर्म से पूंजी पर प्राप्त ब्याज | योग ii + iii | iv से संबंधित व्यय | शुद्ध आय iv - v | |
|----------|---|---|--------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|--|
| | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | योग | | | | | | |
| 7 | यदि कोई हो, धारा 35कग के अनुसार पात्र परिशोजना या स्क्रीम के प्रचालन के लिए कोई सदाय के लिए कटौती | | | | | | |
| 8 | कारबार से सकल आय [6(vi) - 7] | | | | | | |

टिप्पण ▶ कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची-विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें

अनुसूची पू.आ. पूंजी अभिलाभ

| अ | अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अपूअ) (मद 3,4 और 7 निवासी के लिए लागू नहीं है) | | |
|--|---|------|-----|
| अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ | 1 भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से | | |
| | क i प्राप्त/प्राप्त योग्य प्रतिफल का कुल मूल्य | का | |
| | ii स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य | कii | |
| | iii पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अपनाए गए प्रतिफल का कुल मूल्य (का या कii) | कiii | |
| | ख धारा 48 के अधीन कटौती | | |
| | i सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत | खi | |
| | ii सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत | खii | |
| | iii अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय | खiii | |
| | iv कुल (खi + खii + खiii) | खiv | |
| | ग अतिशेष (कiii - खiv) | 1ग | |
| | घ धारा 54ख के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें) | 1घ | |
| | ड संपत्ति पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग - 1घ) | | अ1ड |
| | 2 इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी को इकाई से, या कारबार न्यास को इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (ऊ II के लिए) के अधीन एसटीटी संवत्त किया गया है | | |
| | क प्रतिफल का कुल मूल्य | 2क | |
| | ख धारा 48 के अधीन कटौती | | |
| i सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत | खi | | |
| ii सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत | खii | | |
| iii अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय | खiii | | |
| iv कुल (i + ii + iii) | खiv | | |
| ग अतिशेष (2क - खiv) | 2ग | | |
| घ धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अनुज्ञात हानिवां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश/आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तिवां के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें) | 2घ | | |
| ड साधारण शेयर या म्यूचुअल फंड उन्मुख इक्विटी (संवत्त एसटीटी) (2ग+2घ) | | अ2ड | |

| | | | | | |
|-------------------------|---|--|---|--|--|
| 3 | अनिवासीयों के लिए, किसी भारतीय कंपनी के शेयर या डिबेंचर का विक्रय प्ररूप एफ2 में नहीं होगा (धारा 48 के पहले परतुक के अधीन विदेश मुद्रा के समायोजन के साथ संगणित होगी) | | | | |
| | क | अपूअ संव्यवहार पर, जिस पर प्रतिभूति अंतरण कर संदत्त है | | अ3क | |
| | ख | अपूअ संव्यवहार पर, जिस पर प्रतिभूति अंतरण कर संदत्त नहीं है | | अ3ख | |
| 4 | अनिवासी के लिए - धारा 115कघ के अनुसार च2 द्वारा प्रतिभूतियों (जो अ2 से भिन्न है) के विक्रय से | | | | |
| | क | प्रतिफल का कुल मूल्य | 2क | | |
| | ख | धारा 48 के अधीन कटौती | | | |
| | ग | i | सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत | खi | |
| | | ii | सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत | खii | |
| | | iii | अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय | खiii | |
| | | iv | कुल (i + ii + iii) | खiv | |
| | घ | अतिशेष (4क - खiv) | 2ग | | |
| | च | धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अनुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश/आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियों के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें) | 2घ | | |
| | ड | च2 (जो अ2 से भिन्न हो) द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (4ग + 4घ) | | अ4ड | |
| 5 | उपर्युक्त अ1 या अ2 या अ3 या अ4 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से | | | | |
| | क | प्रतिफल का कुल मूल्य | 5क | | |
| | ख | धारा 48 के अधीन कटौती | | | |
| | ग | i | सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत | खi | |
| | | ii | सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत | खii | |
| | | iii | अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय | खiii | |
| | | iv | कुल (i + ii + iii) | खiv | |
| | घ | अतिशेष (5क - खiv) | 5ग | | |
| | च | धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अनुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति (प्रतिभूति/यूनिट) अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश/आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियों के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें) | 5घ | | |
| | ड | उपर्युक्त अ1 या अ2 या अ3 या अ4 से भिन्न आस्तियों पर अपूअ (5ग + 5घ) | | अ5ड | |
| 6 | लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि | | | | |
| | क | क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्क्रीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं | | | |
| क | क्रम सं. | पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई हैं | वह धारा जिसके अधीन उक्त वर्ष में कटौती का दावा किया गया है | नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई अधिक राशि | |
| | i | 2013-14 | 54घ/ 54ख/ 54क | | |
| | ii | 2014-15 | 54ख | | |
| ख | क से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि | | | | |
| | लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (कxi + कxii + ख) | | | | |
| 7 | अनिवासी के लिए - एसटीसीजी जिसमें क1-क6 सम्मिलित हैं परंतु डीटीए के अधीन भारत में कर प्रभाय नहीं है | | | | |
| क | क्रम सं. | देश का नाम, कोड | डीटीए का अनुच्छेद | व्या निवास का प्रमाणपत्र प्राप्त किया है ? | |
| | I | | | | |
| | II | | | | |
| III | डीटीए के अधीन एसटीसीजी प्रभाय कर की कुल राशि | | | क7 | |
| 8 | आयकर अधिनियम के अधीन कुल लघु अवधि पूंजी अभिलाभ प्रभाय (क1ड + क2ड + क3क + क3ख + क4ड + क5ड + क6 - क7) | | | क8 | |
| आ | दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (डीपूअ) (निवासी के लिए मद 4, 5, 6 और 9 लागू नहीं है) | | | | |
| दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ | 1 भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से | | | | |
| | क | i | प्राप्त/प्राप्त योग्य प्रतिफल का कुल मूल्य | का | |
| | | ii | स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य | कii | |
| | | iii | पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अपनाए गए प्रतिफल का कुल मूल्य (का या कii) | कiii | |
| | ख | धारा 48 के अधीन कटौती | | | |
| | ग | i | सूचीबद्ध के साथ अर्जन की लागत | खi | |
| | | ii | सूचीबद्ध के साथ सुधार की लागत | खii | |
| | | iii | अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय | खiii | |
| | | iv | कुल (खi + खii + खiii) | खiv | |

| | | | |
|---|--|------|-----|
| | ग अतिशेष (कiii - खiv) | 1ग | |
| | घ धारा 54/54ख/54ङ/54ड/54च/54छ के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्योरे विनिर्दिष्ट करें) | 1घ | |
| | ङ स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग - 1घ) | आ1ड | |
| 2 | बंधपत्र और डिबेंचर (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीबद्ध बंधपत्र से भिन्न) के विक्रय से | | |
| | क प्रतिफल का कुल मूल्य | 2क | |
| | ख धारा 48 के अधीन कटौती | | |
| | i सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत | खi | |
| | ii सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत | खii | |
| | iii अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय | खiii | |
| | iv कुल (खi + खii + खiii) | खiv | |
| | ग अतिशेष (2क - खiv) | 2ग | |
| | घ धारा 54ङ/54ड/54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्योरे विनिर्दिष्ट करें) | 2घ | |
| | ङ बंधपत्र और डिबेंचर पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग - 2घ) | आ2ड | |
| 3 | (i) सूचीबद्ध प्रतिभूतियों (किसी यूनिट से भिन्न या शून्य रूपन बंधपत्र, जहां धारा 112 (1) का परंतुक लागू है) (ii) धारा 115कक में निर्दिष्ट किसी भारतीय कंपनी का जीडीआर, के विक्रय से | | |
| | क प्रतिफल का कुल मूल्य | 3क | |
| | ख धारा 48 के अधीन कटौती | | |
| | i सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत | खi | |
| | ii सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत | खii | |
| | iii अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय | खiii | |
| | iv कुल (खi + खii + खiii) | खiv | |
| | ग धारा 54ङ/54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्योरे विनिर्दिष्ट करें) | 3ग | |
| | घ धारा 54ङ/54ड/54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्योरे विनिर्दिष्ट करें) | 3घ | |
| | ङ उपर्युक्त आ3 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ | आ3ड | |
| 4 | अनिवासियों के लिए, किसी भारतीय कंपनी के शेयर या डिबेंचर का विक्रय से (धारा 48 के पहले परंतुक के अधीन विदेश मुद्रा के समायोजन के साथ संगणित होंगी) | | |
| | क सूचीबद्ध फायदों के बिना संगणित दीपूअ | 4क | |
| | ख धारा 54ङ/54ड/54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्योरे विनिर्दिष्ट करें) | 4ख | |
| | ग शेयर या डिबेंचर पर (4क-4ख) | आ4ग | |
| 5 | अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112 (1)(ग) के अनुसार गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कक में निर्दिष्ट बंधपत्र या ग्लोबल निक्षेपागार रसीद, (iii) धारा 115कघ में निर्दिष्ट च2 द्वारा प्रतिभूतियां | | |
| | क प्रतिफल का कुल मूल्य | 5क | |
| | ख धारा 48 के अधीन कटौती | | |
| | i सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत | खi | |
| | ii सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत | खii | |
| | iii अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय | खiii | |
| | iv कुल (खi + खii + खiii) | खiv | |
| | ग अतिशेष (5क - खiv) | 5ग | |
| | घ धारा 54ङ/54ड/54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्योरे विनिर्दिष्ट करें) | 5घ | |
| | ङ अनिवासियों की दशा में उपर्युक्त 5 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (5ग - 5घ) | आ5ड | |
| 6 | अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा आस्तियों के विक्रय से (यदि अध्याय 12 के अधीन विकल्प दें) | | |
| | क विनिर्दिष्ट आस्तियों (सूचीबद्ध के बिना संगणित) के विक्रय पर दीपूअ | 6क | |
| | ख धारा 115च के अधीन कटौती घटाएं (नीचे मद ई में ब्योरे विनिर्दिष्ट करें) | 6ख | |
| | ग विनिर्दिष्ट आस्तियों के विक्रय पर अतिशेष दीपूअ (6क - 6ख) | आ6ड | |
| | घ विनिर्दिष्ट आस्तियों से भिन्न आस्तियों के विक्रय पर दीपूअ (सूचीबद्ध के बिना संगणित) | 6घ | |
| | ङ धारा 115च के अधीन कटौती घटाएं (नीचे मद ई में ब्योरे विनिर्दिष्ट करें) | 6ङ | |
| | च विनिर्दिष्ट आस्तियों से भिन्न आस्तियों के विक्रय पर अतिशेष दीपूअ (6घ - 6ङ) | आ6च | |
| 7 | जहां उपर्युक्त आ1 से आ6 तक लागू नहीं हैं, आस्तियों के विक्रय से | | |
| | क प्रतिफल का कुल मूल्य | 7क | |
| | ख धारा 48 के अधीन कटौती | | |
| | i सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत | खi | |
| | ii सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत | खii | |
| | iii अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय | खiii | |
| | iv कुल (खi + खii + खiii) | खiv | |
| | ग अतिशेष (7क - खiv) | 7ग | |
| | घ धारा 54ङ/54ड/54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्योरे विनिर्दिष्ट करें) | 7घ | |
| | ङ उपर्युक्त आ7 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (7ग-7घ) | | आ7ड |
| 8 | दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|---|
| क | क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्योरा उपलब्ध कराएं | | | | | |
| | क्रम सं. | पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई हैं | वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें दावा कटौती का दावा किया गया है। | नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं | नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि | |
| | i | 2013-14 | 54/ 54घ/ 54छ/ 54छक | | | |
| | ii | 2014-15 | | 54ख | | |
| ख | 'क' से भिन्न, दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि | | | | | |
| | दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi+xiि+ख) | | | | | ख8 |
| 9 | अनिवासी के लिए - एलटीसीजी जिसमें ख1-ख8 सम्मिलित है परंतु डीटीएए के अधीन कर भारत में प्रभाय नहीं है | | | | | |
| | क्रम सं. | देश का नाम, कोड | डीटीएए का अनुच्छेद | क्या निवास कर प्रमाणपत्र प्राप्त किया हुआ है? | उपरोक्त जिसमें मद सं. ख1 से ख8 सम्मिलित है | एलटीसीजी का राशि |
| | I | | | | ख1 ड /ख2 ड/ख3 ग/ख3 ग/ख4 च/ख5 ड/ख8 | |
| | II | | | | ख1 ड /ख2 ड /ख3 ड/ख5 ड/ख6 ग/ख7 ड/ख8 | |
| | III | डीटीएए के अधीन एलटीसीजी प्रभाय कर की कुल राशि | | | | ख9 |
| 10 | आयकर अधिनियम के अधीन प्रभाय कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (ख1 ड+ख2 ड+ख3 ड+ख5 ड+ख6 ग+ख6 च+ख7 ड+ख8-ख9) (हानि की दशा में अनुसूची सीएफएल से 6भ i के अंक तें) | | | | | ख10 |
| इ | “पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (क8 + ख10) (यदि हानि, ख10 शून्य समझे) | | | | | ग |
| ई | दावाकृत कटौती के बारे में जानकारी | | | | | |
| | 1 | धारा 54/54ख/54घ/54छ/54छक/115च के अधीन निम्नलिखित ब्योरे दीजिए | | | | |
| | | क | धारा जिसके अंतर्गत दावाकृत कटौती | 1क | कटौती की रकम | |
| | | i | नई आस्ति की लागत | कं | | |
| | | ii | इसके अर्जन या सौनेमाण की तारीख acquisition/construction | कii | दिन/मास/वर्ष | |
| | | iii | देय तारीख से पहले पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा की गई रकम | कiii | | |
| | | ख | धारा जिसके अंतर्गत दावाकृत कटौती | 1ख | कटौती की रकम | |
| | | i | नई आस्ति की लागत | खं | | |
| | | ii | इसके अर्जन या सौनेमाण की तारीख acquisition/construction | खii | दिन/मास/वर्ष | |
| | | iii | देय तारीख से पहले पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा की गई रकम | खiii | | |
| | | ग | कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख) | 1ग | | |
| | 2 | धारा 54छख के अधीन कटौती की दशा में कंपनी का स्थायी खाता संख्या लिखें | | | | |
| उ | चातू वर्ष के पूंजी अभिलाभ के साथ वर्तमान वर्ष की पूंजी हानि का मुजरा (क-7 और ख-9 में सम्मिलित डीटीएए के अधीन प्रभाय रकम के सिवाय) | | | | | |
| | क्रम सं. | पूंजी अभिलाभ का प्रकार | चातू वर्ष का अभिलाभ (यदि गणनात्मक अंक घनात्मक हैं तो केवल इसे भरे) | अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ हानि का मुजरा | दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ हानि का मुजरा | मुजराई के पश्चात् चातू वर्ष का अतिशेष पूंजी अभिलाभ (7= 1-2-3-4-5-6) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|---|---|
| | | | 15% | 30% | लागू दर | 10% | 20% | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | i | मुजराई के पश्चात् हानि (इस पंक्ति को भरें यदि गणना किए गए अंक नकारात्मक हैं) | (अ2 ड+अ3अ) | अ4 ड | (अ1 ड-अ3 ख+ अ5+अ6) | (अ3 ड- अ75 ड- अ8 ग) | (अ1 ड- अ2 ड- अ4 च- अ6 च- अ7 ड- अ8) | | |
| | ii | 15% | (अ2 ड-अ3क) | | | | | | |
| | iii | अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ | 30% | अ4 ड | | | | | |
| | iv | लागू दर | (अ1 ड+अ3ख+अ5 ड+ अ6) | | | | | | |
| | v | दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ | 10% | (अ3 ड- अ75 ड- अ8 ग) | | | | | |
| | vi | 20% | (अ1 ड-अ2 ड- अ4 ग- अ6 च + अ7 ड- अ8) | | | | | | |
| | vii | कुल हानि मुजरा (ii + iii + iv + v + vi) | | | | | | | |
| | viii | मुजरा के पश्चात् शेष हानि (i - vii) | | | | | | | |
| ऊ | प्रोद्भवन की जानकारी/पूंजी अभिलाभ की रसीद | | | | | | | | |

| | पूँजी अभिलाभ का प्रकार/तारीख | 15/6 तक (i) | 16/6 से 15/9 (ii) | 16/9 से 15/12 (iii) | 16/12 से 15/3 (iii) | 16/3 से 31/3 (iv) |
|---|---|----------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 15% की दर पर कर देय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3iv से मूल्य लिखें | | | | | |
| 2 | 30% की दर पर कर देय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3v से मूल्य लिखें | | | | | |
| 3 | लागू दर पर कर देय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3vi से मूल्य लिखें | | | | | |
| 4 | 10% की दर पर कर देय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3vii से मूल्य लिखें | | | | | |
| 5 | 20% की दर पर कर देय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3viii से मूल्य लिखें | | | | | |

टिप्पण → कृपया इस शीर्ष के अधीन जब आय की गणना करनी हो, अनुसूची विनिर्दिष्ट व्यक्ति की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें।

अनुसूची-अन्य स्रोत अन्य स्रोतों से आय

| 1 आय | | | | | | | | |
|------|--|--|-------------------|---------------------|-----------------------------------|---|------------|--|
| क | लाभांश, सकल | 1क | | | | | | |
| ख | ब्याज, सकल | 1ख | | | | | | |
| ग | मशीनरी, संबंधों, भवनों से किराए की आय | 1ग | | | | | | |
| घ | अन्य, सकल (दौड़ के घोड़ों के स्वामिस्व से हुई आय को छोड़कर) स्रोत का उल्लेख करें | | | | | | | |
| i | लाटरियों, वर्ग पहली आदि की जीत | 1घा | | | | | | |
| ii | क धारा 68 के अधीन उधार रोकड़ | | | | | | | |
| | ख धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान | | | | | | | |
| | ग धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि | | | | | | | |
| | घ धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि | | | | | | | |
| | ङ धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि | | | | | | | |
| | च धारा 69घ के अधीन हंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम | | | | | | | |
| | योग (क +ख +ग +घ +ङ +च) | 1घाि | | | | | | |
| iii | | 1घािि | | | | | | |
| iv | | 1घाiv | | | | | | |
| v | योग (1घा + 1घाि + 1घािि + 1घाiv) | 1घाv | | | | | | |
| ङ | योग (1 क + 1 ख + 1 ग + 1घv) | | 1ङ | | | | | |
| च | विशिष्ट दर पर प्रभार्य कर '1ङ' में सम्मिलित आय (अनुसूची विशेष दरों पर आयकर से प्रभार्य आय) | | | | | | | |
| i | लाटरियों, वर्ग पहली, दौड़, खेलों, घूत, दांव आदि से जीत (115खख के अंतर्गत) | 1चा | | | | | | |
| ii | घरेलू कंपनी से लाभांश आय जो दस लाख रुपए से अधिक हो (धारा 115खखक के अधीन) | 1चाi | | | | | | |
| iii | धारा 115खखङ के अधीन कर के लिए समझी गई प्रभार्य आय | 1चाiि | | | | | | |
| iv | धारा 115खखच के अधीन प्रभार्य पेटेंट से आय | 1चाiv | | | | | | |
| v | अध्याय XII/XII-क के अधीन कोई अन्य आय, जो कि विनिर्दिष्ट दर पर कर प्रभार्य है | 1चाv | | | | | | |
| vi | अनिवासी के लिए - डीटीए के अधीन कर के लिए प्रभार्य आय | | | | | | | |
| | क्रम स. | देश का नाम, कोड | डीटीए का अनुच्छेद | डीटीए के अधीन कर दर | क्या टीआरसी प्राप्त किया गया है ? | अधिनियम की तत्स्थानी धारा जिसमें विहित दर | आय की राशि | |
| | I | | | | | | | |
| | II | | | | | | | |
| | III | डीटीए के अधीन कर के लिए आय की कुल राशि | | | | | 1चाvi | |

| | | | | |
|---|-----|---|-------|--|
| | vii | विशिष्ट दर पर कर को प्रभाय योग्य '1ड' में सम्मिलित ओब (1चि +1चii+1चiii+1चiv+1चv+1चvi) | 1चvii | |
| छ | | सामान्य लागू दर पर कर को प्रभाय कुल रकम (1ड-1चvii) | 1छ | |
| ज | | धारा 57 के अधीन कटौतियां (अनिवारियों के लिए, 1चि, 1चii 1चiii 1चiv 1चv और 1चvi के अधीन उससे संबंधित आय से भिन्न) | | |
| | i | व्यय/ कटौतियां | जि | |
| | ii | अवकायण | जii | |
| | iii | योग | जiii | |
| झ | | अन्य स्रोत से आय (घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न और विशेष दर पर कर की प्रभाय योग्य रकम) (1छ-जiii) (यदि ऋणात्मक है तो चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा अनुसूची के 4i के अंक प्रविष्टि करें) | 1झ | |
| 2 | | अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (1चiv + 1झ) (यदि हानि है तो 1झ को शून्य लिखें) | 2 | |
| 3 | | दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय | | |
| | क | प्राप्तियां | 3क | |
| | ख | (4) के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां | 3ख | |
| | ग | अतिशेष (3क-3ख) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 7xi के अंक प्रविष्टि करें) | 3ग | |
| 4 | | "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (2+3ग) (यदि ऋणात्मक है तो 3ग में शून्य लिखें) | 4 | |

टिप्पण ▶ कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची - विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें

| अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन | | चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा | | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|------------------------------|--|--------------------------------------|
| क्रम सं. | आय का शीर्ष/स्रोत | चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो) | चालू वर्ष की गृह संपत्ति की हानि का मुजरा | कारबार हानि | चालू वर्ष की अन्य स्रोत हानि (रेस के घोड़ों से हानि से भिन्न) का मुजरा | मुजरे के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1-2-3-4 |
| i | हानि, जो मुजरा होगा | → | (अनुसूची गृह संपत्ति का 3ख) | (अनुसूची कारबार वृत्ति का 6) | (अनुसूची अन्य स्रोत का 1i) | |
| ii | वेतन | (अनुसूची वेतन का 6) | | | | |
| iii | गृह संपत्ति | (अनुसूची गृह संपत्ति का 3ख) | | | | |
| iv | कारबार या वृत्ति | (अनुसूची कारबार वृत्ति का 6vi) | | | | |
| v | 15% की दर से कर से प्रभाय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची कारबार वृत्ति की मद ड का 7ii) | | | | |
| vi | 30% की दर से कर से प्रभाय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची कारबार वृत्ति की मद ड का 7iii) | | | | |
| vii | लागू दर पर कर से प्रभाय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची कारबार वृत्ति की मद ड का 7iv) | | | | |
| viii | 10% की दर से कर से प्रभाय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची कारबार वृत्ति की मद ड का 7v) | | | | |
| ix | 20% की दर से कर से प्रभाय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची कारबार वृत्ति की मद ड का 7vi) | | | | |
| x | अन्य स्रोत (जिसके अंतर्गत दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से लाभ और विशेष दर पर कर से प्रभाय रकम शामिल नहीं हैं) | (अनुसूची ओएस का 1i) | | | | |
| xi | रेस के घोड़ों के स्वामित्व और उनके अनुक्षण से लाभ | (अनुसूची ओएस का 3ग) | | | | |
| xii | कुल अग्रणीत हानि मुजरा (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xi) | | | | | |
| xiii | मुजरा करने के पश्चात् बाकी हानि (i - xii) | | | | | |

| अनुसूची - अग्रणीत की गई हानियों का समायोजन | | पूर्व वर्षों की अग्रणीत की गई हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा | | |
|--|--|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| क्रम सं. | आय का शीर्ष/स्रोत | अनुसूची - चालू वर्ष की हानियों का समायोजन के 4 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे, यदि कोई हो, के पश्चात् आय | अग्रणीत की गई हानियों का मुजरा | मुजरे के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय |
| | | 1 | 2 | 3 |
| i | वेतन | (अनुसूची सीवाईएलए का 5ii) | | |
| ii | गृह संपत्ति | (अनुसूची सीवाईएलए का 5iii) | (ख यदि गृह संपत्ति हानि है) | |
| iii | कारबार या वृत्ति | (अनुसूची सीवाईएलए का 5iv) | (ख यदि कारबार हानि है) | |
| iv | 15% की दर से कर से प्रभाय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सीवाईएलए का 5v) | (ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है) | |

| | | | | |
|------|--|-----------------------------|---|--|
| v | 30% की दर से कर से प्रभाय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सीवाईएलए का 5vi) | (ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है) | |
| vi | लागू दर पर कर से प्रभाय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सीवाईएलए का 5vii) | (ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है) | |
| vii | 10% की दर से कर से प्रभाय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सीवाईएलए का 5viii) | (ख यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है) | |
| viii | 20% की दर से कर से प्रभाय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सीवाईएलए का 5ix) | (ख यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है) | |
| ix | अन्य स्रोत (जिसके अंतर्गत रेस के घोड़ों के स्वामित्व और लाटरी, खेल आदि से जीत से लाभ शामिल नहीं है) | (अनुसूची सीवाईएलए का 5x) | | |
| x | रेस के घोड़े के स्वामित्व और उनके अनुक्षण से लाभ | (अनुसूची सीवाईएलए का 5xi) | (ख यदि घुड़बैड से हानि है) | |
| xi | अग्रनीत की गई कुल हानि मुजरा (ii2 + iii2 + iv2 + v2+vi2+vii2+ix2+x2) | | | |
| xii | मुजरे के पश्चात शेष चालू वर्ष की आय - योग (i3 + ii3 + iii3 + iv3 + v3+ vi3+ vii3 + viii3+ ix3+ x3 + xi3) | | | |

| अनुसूची- अग्रनीत हानि | | आगामी वर्षों के लिए अग्रनीत की जाने वाली हानियों का ब्यौरा | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|--|------------------------------|
| क्रम सं. | निर्धारण वर्ष | फाइल करने की तारीख (तिथि/मास/वर्ष) | गृह संपत्ति हानि | कारबार या वृत्ति हानि | अल्पकालिक पूंजी हानि | दीर्घकालिक पूंजी हानि | रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से हानि | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| हानियों का अग्रपथन | i | 2009-10 | | | | | | |
| | ii | 2010-11 | | | | | | |
| | iii | 2011-12 | | | | | | |
| | iv | 2012-13 | | | | | | |
| | v | 2013-14 | | | | | | |
| | vi | 2014-15 | | | | | | |
| | vii | 2015-16 | | | | | | |
| | viii | 2016-17 | | | | | | |
| | ix | पूर्व वर्ष की हानियों का योग | | | | | | |
| | x | अनुसूची अग्रनीत हानि लेखा में उपरोक्त हानियों का समायोजन | | (अनुसूची वीएफएलए का 2ii) | (अनुसूची वीएफएलए का 2iii) | | | (अनुसूची वीएफएलए का 2x) |
| | xi | 2017-18 (चालू वर्ष की हानियां) | | (अनुसूची सीवाईएलए का 2xiii) | (अनुसूची सीवाईएलए का 3xiii) | (अनुसूची सीजी के मद ड का (2viii+3viii+4viii)) | (अनुसूची सीजी के मद ड का (5viii+6viii)) | (अनुसूची ओएस का 3ग, यदि -ve) |
| | xii | आगामी वर्षों के लिए अग्रनीत कुल हानि | | | | | | |

| अनुसूची- VI क | | अध्याय VI- क (धारा) के अधीन कटौतियां | |
|---------------|--|--------------------------------------|---------------|
| कुल कटौतियां | 1 | भाग ख - कतिपय संदायों की बाबत कटौती | |
| | क | 80ग | ख 80गग |
| | ग | 80 गगघ (1) | घ 80 गगघ (1ख) |
| | ड | 80 गगघ(2) | घ 80गगघ |
| | छ | 80घ | ज 80घघ |
| | झ | 80घघख | ज 80ड |
| | ट | 80ड ड | ठ 80छ |
| | ड | 80छछ | ठ 80छछक |
| | ण | 80छछग | |
| | 2 | भाग ग - कतिपय आयों की बाबत कटौती | |
| | त | 80थथख | थ 80ददख |
| | द | 80ननक | ध 80प |
| 3 | अध्याय VI- क (धारा) के अधीन कुल कटौतियां (क से घ का योग) | | 3 |

| अनुसूची 80छ | | धारा 80 छ के अधीन कर्तवियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे | | | |
|---------------|-------------------------------------|---|---------------|------------|------------------------|
| दान के ब्यौरे | क | बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कर्तवियों के लिए हकदार दान | | | |
| | | आदाता का नाम और पता | आदाता का पैना | दान की रकम | दान के लिए उपयुक्त रकम |
| | | i | | | |
| | | ii | | | |
| | | iii कुल | | | |
| | ख | बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कर्तवियों के लिए हकदार दान | | | |
| | | आदाता का नाम और पता | आदाता का पैना | दान की रकम | दान के लिए उपयुक्त रकम |
| | | i | | | |
| | | ii | | | |
| | | iii कुल | | | |
| | ग | अर्हता सीमा के अध्वधीन 100 प्रतिशत कर्तवियों के लिए हकदार दान | | | |
| | | आदाता का नाम और पता | आदाता का पैना | दान की रकम | दान के लिए उपयुक्त रकम |
| | | i | | | |
| | | ii | | | |
| | | iii कुल | | | |
| | घ | अर्हता सीमा के अध्वधीन 50 प्रतिशत कर्तवियों के लिए हकदार दान | | | |
| | | आदाता का नाम और पता | आदाता का पैना | दान की रकम | दान के लिए उपयुक्त रकम |
| | | i | | | |
| | | ii | | | |
| | | iii कुल | | | |
| ङ | कुल दान (कiii + खiii + गiii + घiii) | | | | |

| अनुसूची विनिर्दिष्ट व्यक्ति की आय | | निर्धारित की आय में सम्मिलित किए जाने योग्य विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय (हर अवयस्क बालक की आय 1500रु. प्रति बालक से अधिक, सम्मिलित की जाए) | | | | |
|-----------------------------------|----------------|---|-------|---------------|-----------|--|
| क्रम सं. | व्यक्ति का नाम | व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या | संबंध | आय की प्रकृति | रकम (रु.) | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

| अनुसूची-विशेष आय | | विशेष दरों पर आयकर से प्रभाय आय [कृपया धारा कोड और कर की दर के लिए अनुदेश संख्या 9 (iii) देखिए] | | | |
|------------------|---|---|--------------|---------------------------------|-------------|
| क्रम सं. | सेक्सन | <input type="checkbox"/> | विशेष दर (%) | आय i | उस पर कर ii |
| 1 | 111क (उन शोयर यूनिटों पर एसटीसीजी जिनपर एसटीटी का संदाय किया गया है) | <input type="checkbox"/> | 15 | (अनुसूची बीएफएल का 3iv) | |
| 2 | 115कग (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए एसटीसीजी जहां एसटीटी का संदाय नहीं) | <input type="checkbox"/> | 30 | (अनुसूची बीएफएल का 3v) | |
| 3 | 112परंतुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/सूचीकरण के बिना यूनिटों पर एलटीसीजी) | <input type="checkbox"/> | 10 | (अनुसूची बीएफएल के 3vii का भाग) | |
| 4 | 112(1)(ग)(iii) (असूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी) | <input type="checkbox"/> | 10 | (अनुसूची बीएफएल के 3vii का भाग) | |
| 5 | 115कग (बंधपत्रों/जीडीआर पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी) | <input type="checkbox"/> | 10 | (अनुसूची बीएफएल के 3vii का भाग) | |
| 6 | 115कगक (विनिर्दिष्ट कंपनी के किसी कर्मचारी के लिए जीडीआर पर एलटीसीजी) | <input type="checkbox"/> | 10 | (अनुसूची बीएफएल के 3vii का भाग) | |
| 7 | 115कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए एलटीसीजी) | <input type="checkbox"/> | 10 | (अनुसूची बीएफएल के 3vii का भाग) | |
| 8 | 115ड (विनिर्दिष्ट आस्ति पर अनिवासी भारतीय के लिए एलटीसीजी) | <input type="checkbox"/> | 10 | (अनुसूची बीएफएल के 3vii का भाग) | |
| 9 | 112 (अन्य के लिए एलटीसीजी) | <input type="checkbox"/> | 20 | (अनुसूची बीएफएल का 3viii) | |
| 10 | 115खख (लाटरी, वर्ग पहेली, दौड़, खेल आदि से जीत) | <input type="checkbox"/> | 30 | (अनुसूची ओएस का 1चii) | |
| 11 | 115खखघक (घरेलू कंपनी से लाभांश आय दस लाख रुपए से अधिक) | <input type="checkbox"/> | 10 | (अनुसूची ओएस का 1चii) | |
| 12 | 115खखड (धारा 68,69,69क, 69ख,69ग या धारा 69घ के अधीन आय) | <input type="checkbox"/> | 60 | (अनुसूची ओएस का 1चiii) | |
| 13 | 115खखच (पेटेंट से आय पर कर) | <input type="checkbox"/> | 10 | (अनुसूची ओएस का 1चiv) | |
| 14 | 115कग (विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बंधपत्रों या जीडीआर से किसी अनिवासी की आय) | <input type="checkbox"/> | 10 | (अनुसूची ओएस के भाग का 1चv) | |
| 15 | डीटीएए दर के अधीन प्रभाय | <input type="checkbox"/> | | (अनुसूची ओएस के 1चvi का भाग) | |
| | | | कुल | | |

| अनुसूची छूट प्राप्त आय | | छूट प्राप्त आय का ब्यौरा (कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय) | | |
|------------------------|--|--|---|----|
| छूट प्राप्त आय | 1 | ब्याज से आय | 1 | |
| | 2 | घरेलू कंपनी से लाभांश आय (दस लाख रुपए से अनधिक रकम) | 2 | |
| | 3 | उन संव्यवहारों जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर का संदाय किया गया है पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ | 3 | |
| | 4 | शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न) | 4 | |
| | i | कृषि पर उपगत व्यय | | i |
| | ii | पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेहित कृषि हानि | | ii |
| iii | वर्ष (i-ii-iii) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें) | iii | 4 | |
| 5 | अन्य नाबालिग बालक की आय जिस पर छूट है, सम्मिलित है | 5 | | |
| 6 | योग (1+2+3+4+5) | 6 | | |

| अनुसूची पीटीआई | | धारा 115पक, 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे | | | | | | |
|---------------------|---|---|--|------|-----------------------------------|-------------------|--|-------------|
| पास के माध्यम से आय | क्रम | कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का नाम | कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या | क्रम | आय का शीर्ष | आय की रकम | ऐसी रकम पर खोत पर कर कटौती, यदि कोई हो | |
| | 1. | | | i | गृह संपत्ति | | | |
| | | | | ii | पूंजी अभिलाभ | | | |
| | | | | क | अल्पकालिक अवधि | | | |
| | | | | | दीर्घकालिक अवधि | | | |
| | | | | iii | अन्य स्रोत | | | |
| | | | | iv | दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी | | | |
| | | | | क | धारा 10(23चखख) के अधीन | | | |
| | | | | | ख | धाराके अधीन | | |
| | | | | | ग | धारा.....के अधीन | | |
| | | | | 2. | | | i | गृह संपत्ति |
| | ii | पूंजी अभिलाभ | | | | | | |
| | क | अल्पकालिक अवधि | | | | | | |
| | | दीर्घकालिक अवधि | | | | | | |
| iii | अन्य स्रोत | | | | | | | |
| iv | दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी | | | | | | | |
| क | धारा 10(23चखख) के अधीन | | | | | | | |
| | ख | धाराके अधीन | | | | | | |
| | ग | धारा.....के अधीन | | | | | | |
| टिप्पण ▶ | इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्दिष्ट करें। | | | | | | | |

| अनुसूची एफएसआई | | | भारत से बाहर से आय और कर राहत के ब्यौरे | | | | | | |
|----------------|------------|------------------------|---|--------------------|---|------------------------|--|---|--|
| क्रम सं. | देश का कोड | करदाता की पहचान संख्या | क्रम सं. | आय के शीर्ष | भारत से बाहर से आय (भाग ख टीआई में शामिल) | भारत से बाहर संदत्त कर | भारत में साधारण उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदेय कर | भारत में उपलब्ध कर राहत (ड) = (ग) या (घ) इनमें से जो भी कम हो | यदि राहत का दावा धारा 90 या 90क के अधीन किया गया है तो डीटीएए का सुसंगत अनुच्छेद |
| | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |
| 1 | | | i | वेतन | | | | | |
| | | | ii | गृह संपत्ति | | | | | |
| | | | iii | व्यापार या व्यवसाय | | | | | |
| | | | iv | पूंजी अभिलाभ | | | | | |
| | | | v | अन्य स्रोत | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | कुल | | | | | |
| 2 | | | | i वेतन | | | | | |
| | | | | ii गृह संपत्ति | | | | | |
| | | | | iii व्यापार या व्यवसाय | | | | | |
| | | | | iv पूंजी अभिलाष | | | | | |
| | | | | v अन्य स्रोत | | | | | |
| | | | | कुल | | | | | |
| टिप्पण ▶ | कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें। | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|--|--|---|----------|--|--|
| अनुसूची टीआर | | भारत से बाहर संवत् करों के लिए दावा की गई कर राहत का सारांश | | | | | | | | |
| 1 | दावा की गई कर राहत का सारांश | | | | | | | | | |
| | देश का कोड | करदाता का पहचान संख्या | भारत से बाहर संवत् कुल कर (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग) | | कुल उपलब्ध कर राहत (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ङ) का योग) | | धारा के अधीन दावा की गई कर राहत (धारा 90, 90क या 91 विनिर्दिष्ट करें) | | | |
| | (क) | (ख) | (ग) | | (घ) | | (ङ) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | कुल | | | | | | | |
| 2 | उस देश की बाबत उपलब्ध कर राहत जहां डीटीएए लागू होता है (धारा 90/90क) (1 घ) योग का भाग) | | | | | | 2 | | | |
| 3 | उस देश की बाबत उपलब्ध कर राहत जहां डीटीएए लागू होता है (धारा 91) (1 घ) योग का भाग) | | | | | | 3 | | | |
| 4 | क्या भारत से बाहर किसी कर का संदाय किया गया है, जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई थी, का प्रतिदाय/प्रत्यय विदेशी कर प्राधिकारी द्वारा वर्ष के दौरान किया गया है? यदि हां, तो नीचे ब्यौरे दें। | | | | | | 4 | हां/नहीं | | |
| | क | प्रतिदाय किए गए कर की रकम | | ख | वह निर्धारण वर्ष, जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है | | | | | |
| टिप्पण ▶ | कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें। | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------------|----------------------|
| अनुसूची वि.आ. | | भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा | | | | | | | | | | |
| विदेशी आस्तियों के ब्यौरे | क | पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय विदेशी बैंक खाता रखने का ब्यौरा (जिसमें कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित हैं) | | | | | | | | | | |
| | क्र. सं. | देश का नाम और कोड | बैंक का नाम और पता | खाताधारक का नाम | प्रास्थिति-स्वामी/फायदाप्रद स्वामी/हिताधिकारी | खाता संख्या | खाता खोलने की तारीख | वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष (रु. में) | खाते में प्रोदभूत ब्याज | इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | राशि | जहां अनुसूची पेश की गई है | अनुसूची की मद संख्या |
| | (i) | | | | | | | | | | | |
| | (ii) | | | | | | | | | | | |
| | ख | पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी अस्तित्व में वित्तीय ब्याज का ब्यौरा (जिसमें कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित हैं) | | | | | | | | | | |
| | क्र. सं. | देश का नाम और कोड | अस्तित्व की प्रकृति | अस्तित्व का नाम और पता | ब्याज की प्रकृति-सीधे/फायदाप्रद स्वामी/हिताधिकारी | रखने की तारीख से | कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में) | ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय | आय की प्रकृति | इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | राशि | जहां अनुसूची पेश की गई है | अनुसूची की मद संख्या |
| | (i) | | | | | | | | | | | |
| | (ii) | | | | | | | | | | | |
| | ग | पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी अचल संपत्ति रखने का ब्यौरा (जिसमें कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित हैं) | | | | | | | | | | |
| | क्र. | देश का नाम | संपत्ति का | स्वामित्व-सीधे | अर्जन की | कुल विनिधान | संपत्ति से | आय की प्रकृति | इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज | | | |

| सं. | और कोड | पता | फायदाप्रद स्वामी/हिताधिकारी | तारीख | (लागत पर) (रु. में) | प्राप्त आय | | राशि | जहां अनुसूची पेश की गई है | अनुसूची की मद संख्या | |
|---|----------------------------------|---|--|------------------------|---|---|--|---|---|---------------------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| घ पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई भी अन्य पूंजी आस्तियां रखने का ब्यौरा (जिसमें कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित है) | | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | देश का नाम और कोड | आस्ति की प्रकृति | स्वामित्व-संधि फायदाप्रद स्वामी/हिताधिकारी | अर्जन की तारीख | कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में) | संपत्ति से प्रोदभूत आय | आय की प्रकृति | इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज | | | |
| | | | | | | | | राशि | जहां अनुसूची पेश की गई है | अनुसूची की मद संख्या | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| ङ पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय रखे गए (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर करने के प्राधिकारी हैं का ब्यौरा (जिसमें कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं है | | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है | संस्था का पता | खाताधारक का नाम | खाता संख्या | वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष/विनिधान (रु. में) | क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है | यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि | यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय | | | |
| | | | | | | | | राशि | जहां अनुसूची पेश की गई है | अनुसूची की मद संख्या | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| च भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो। | | | | | | | | | | | |
| क्र. सं० | देश का नाम और कोड | न्यास का नाम और पता | न्यासियों के नाम और पते | अवस्थापक का नाम और पता | हिताधिकारियों के नाम और पते | जब से पद संभाला है उसकी तारीख | क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है | यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय | यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय | | |
| | | | | | | | | | राशि | जहां अनुसूची पेश की गई है | अनुसूची की मद संख्या |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| छ भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है | | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | देश का नाम और कोड | जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता | प्राप्त आय | आय की प्रकृति | क्या आपके पास कराधेय है। | यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय | | | | | |
| | | | | | | राशि | जहां अनुसूची पेश की गई है | अनुसूची की मद संख्या | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | | | |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यक्ति होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है। | | | | | | | | | | | |

| अनुसूची 5अ | | पूर्वगत सिविल संहिता द्वारा शासित पति पत्नी की आय के प्रभाजन से संबंधित जानकारी | | | | |
|-----------------------------------|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| पति / पत्नी की नाम | | | | | | |
| पति / पत्नी का स्थायी खाता संख्या | | | | | | |
| आय के शीर्ष | | शीर्ष के अधीन प्राप्त आय | पति / पत्नी में रकम का प्रभाजन | (ii) पर आय पर कटौती किया गया टीडीएस | पति या पत्नी द्वारा प्रभाजित टीडीएस | |
| (i) | | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | |
| 1 | गृह संपत्ति | | | | | |
| 2 | कारबार या वृत्ति | | | | | |
| 3 | पूँजी लाभ | | | | | |

| | | | | |
|---|------------|--|--|--|
| 4 | अन्य स्रोत | | | |
| 5 | कुल | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|---------------------|
| अनुसूची कठ | | वर्ष के अंत में आस्ति और दायित्व (यह उस दशा में लागू होगा जहां कुल आय 50 लाख से अधिक हो) | | |
| आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे | क | स्थायर आस्ति के ब्यौरे | | |
| | क्रं. सं. | वर्णन | पता | रकम (लागत) में रुपए |
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| | (i) | | | |
| | (ii) | | | |
| | ख | जंगम आस्ति के ब्यौरे | | |
| | क्रं. सं. | वर्णन | | रकम (लागत) में रुपए |
| | (1) | (2) | | (3) |
| | (i) | आभूषण, सोना-चांदी, आदि | | |
| | (ii) | पुरातत्वीय संग्रह, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कला का कोई कार्य | | |
| | (iii) | यान, क्रीडा-नौका, नौका और वायुयान | | |
| | (iv) | वित्तीय आस्ति | | रकम (लागत) में रुपए |
| | | (क) बैंक (जिसके अंतर्गत सभी जमाराशि भी है) | | |
| | | (ख) शेयर और प्रतिभूति | | |
| | | (ग) बीमा पालिसी | | |
| | (घ) दिए गए ऋण और अग्रिम | | | |
| | (ङ) हाथ में नकदी | | | |
| ग. | किसी भागीदार या उसके सदस्य के रूप में फर्म या व्यक्ति संगम (एओपी) की आस्तियां और अभिनिर्धारित ब्याज | | | |
| क्रं. सं. | फर्म(मों) एओपी(एस) के नाम और पता | फर्म का पैना एओपी | निर्धारित फर्म में निवेश/लागत आधार पर एओपी | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| (i) | | | | |
| (ii) | | | | |
| घ | आस्ति के संबंध में दायित्व (क-ख+ग) | | | |
| टिप्पण | | कृपया इस अनुसूची के भरे जाने के लिए अनुदेश निर्दिष्ट करें। | | |

| | | |
|------------------|---|---------------|
| प्रश्न आकवि-3 | भारतीय आय-कर विवरणी (किसी सांपत्तिक कारबार या वृत्ति से आय वाले व्यक्ति और हिन्दू अविभक्त कुटुंब) कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए (संलग्न अनुदेश भी देखिए) | निर्धारण वर्ष |
| | | 2 0 1 7 - 1 8 |

भाग क जीईएन साधारण

| | | | | |
|-------------------|------------------------|----------|------------|--|
| व्यक्तिगत जानकारी | पहला नाम | मध्य नाम | अन्तिम नाम | स्थायी लेखा सं० |
| | फ्लैट/दरवाजा/ब्लाक सं० | | | परिसर/भवन/ग्राम का नाम |
| | सड़क/ गली/डाक घर | | | प्रास्थिति (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> व्यक्ति <input type="checkbox"/> हिन्दू अविभक्त कुटुंब |
| | क्षेत्र/अवस्थान | | | जन्म तिथि/स्वरूप/ (तिथि/मास/वर्ष) / / आधार संख्यांक (12 अंक)/आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र है) |

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| नगर/शहर/जिला | | राज्य | पिन कोड | लिंग (व्यक्ति की दशा में) (चिह्नित करें) |
| | | देश | | <input checked="" type="checkbox"/> पुरुष <input type="checkbox"/> महिला |
| निवास/कार्यालय का एस0टी0डी0 कोड सहित फोन नं0 मोबाइल नं0 1 | | मोबाइल नं0 2 | | नियोजन प्रवर्ग (यदि नियोजन में है) (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | <input type="checkbox"/> सरकार <input type="checkbox"/> पब्लिक सेक्टर उपक्रम <input type="checkbox"/> अन्य |
| ई मेल पता-1 (स्वयं का) | | आय-कर वार्ड/ सर्किल | | |
| ई मेल पता-2 | | | | |
| फाइल करने की प्रास्थिति | (क) | विवरणी फाइल की गई (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश सं0 7 देखिए] <input type="checkbox"/> नियत तारीख को या उस से पूर्व -139(1) <input type="checkbox"/> नियत तारीख के पश्चात् -139(4) <input type="checkbox"/> पुनरीक्षित विवरणी - 139(5), <input type="checkbox"/> उपांतरित विवरणी- 92 ग घ, <input type="checkbox"/> धारा 119(2)(ख) के अधीन या सूचना के उत्तर में <input type="checkbox"/> 139(9)- त्रुटिपूर्ण <input type="checkbox"/> 142(1) <input type="checkbox"/> 148 <input type="checkbox"/> 153क/153ग | | |
| | (ख) | यदि पुनरीक्षित/त्रुटिपूर्ण है तो रसीद सं0 और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (तारीख/मास/वर्ष) | | |
| | (ग) | यदि धारा 139 (9)/ 142 (1)/148/153 क / 153 ग के प्रत्युत्तर में फाइल किया गया है तो ऐसी नोटिस की तारीख भरे या धारा 92 क ग घ के अधीन है तो अग्रिम कीमत निर्धारण का करार भरे | | |
| | (घ) | आवासीय प्रास्थिति (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> अनिवासी <input type="checkbox"/> निवासी किन्तु साधारण तौर पर निवासी नहीं | | |
| | (ङ) | क्या अधिनियम की धारा 94 क के अधीन अधिसूचित देश अवस्थित व्यक्ति के साथ संव्यहार किया गया है <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | |
| | (च) | क्या आप धारा 5 क के अनुसार पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित किये जाते हैं? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां तो कृपया अनुसूची 5क भरें) | | |
| (छ) | क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की जा रही है? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें - | | | |
| | (1) | प्रतिनिधि का नाम | | |
| | (2) | प्रतिनिधि का पता | | |
| | (3) | प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या (पैन) | | |
| लेखा परीक्षा जानकारी | (ज) | अनिवासी की दशा में क्या कोई भारत में स्थायी स्थापन है <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | |
| | (क) | क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | |
| | (ख) | क्या आप धारा 44कख के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए दायी हैं? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | |
| | (ग) | यदि (ख) हां है तो क्या लेखाओं की किसी लेखाकार द्वारा संपरीक्षा कराई गई है (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | |
| | | (1) | लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख (तारीख/मास/वर्ष) / / | |
| | (2) | कर के लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम | | |

| | |
|----------------------------|---|
| केवल कार्यालय उपयोग के लिए | केवल कार्यालय उपयोग के लिए रसीद सं0 तारीख प्राप्तकर्ता पक्षधारी की मुहर और हस्ताक्षर |
|----------------------------|---|

| | |
|-----|--|
| (3) | लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या |
| (4) | लेखा परीक्षक का नाम (स्वत्वधारी/ फर्म) |
| (5) | स्वत्वधारी/फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या |
| (6) | स्वत्वधारी/ फर्म का स्थायी लेखा संख्या (पैन) |
| (7) | लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख |

(घ) यदि अन्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दायी है तो लेखा प्रस्तुत करने की तारीख का उल्लेख करें (दिन/ मास /वर्ष) (कृपया अनुदेश 6 देखें)

| | |
|-----|--------|
| 92ड | 115 जग |
|-----|--------|

| कारबार या वृत्ति | कारबार या वृत्ति की प्रकृति, यदि कारबार या वृत्ति एक से अधिक हैं तो तीन मुख्य क्रियाकल्पो/ उत्पादों को उपदर्शित करें | | |
|------------------|--|---------------------------|-------|
| क्र०सं० | कोड (कृपया अनुदेश सं० .9(ii) देखें) | संघतिक का नाम, यदि कोई है | वर्णन |
| (i) | | | |
| (ii) | | | |
| (iii) | | | |

| भाग क - तुलनपत्र | स्वत्वधारी कारबार या वृत्ति का 31 मार्च, 2017 को तुलनपत्र (मद 1 से 5 भरें यदि नियमित लेखा बहियां रखी जाती है, अन्यथा मद 6 भरें) | | |
|--------------------|--|--|------|
| निधियों के स्रोत | 1 | स्वामी की निधि | |
| | क | स्वामी की पूंजी | क |
| | | आरक्षित और अधिशेष | |
| | | i पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति | खi |
| | | ii पूंजी आरक्षिति | खii |
| | | iii कानुनी आरक्षिति | खiii |
| | | iv कोई अन्य आरक्षिति | खiv |
| | v योग (खi + खii + खiii + खiv) | खv | |
| | ग | कुल स्वत्वधारी की निधि (क+खv) | 1ग |
| | 2 | ऋण निधियां | |
| | क | प्रतिभूत ऋण | |
| | | i विदेशी मुद्रा ऋण | क i |
| | | ii रूपए में ऋण | |
| | | अ बैंकों से ऋण | iiअ |
| | | आ अन्य से | iiआ |
| इ योग (iiअ + iiआ) | | iiइ | |
| iii योग (कi + iiइ) | | कiii | |
| ख | | अप्रतिभूत ऋण (जिसके अंतर्गत निक्षेप राशि भी है) | |
| | | i बैंकों से ऋण | खi |
| | | ii अन्य से | खii |
| | iii योग (ख i + खii) | खiii | |
| ग | योग ऋण निधि (कiii + खiii) | 2ग | |
| 3 | आस्थगित कर दायित्व | 3 | |
| 4 | निधियों के स्रोत (1ग + 2ग + 3) | 4 | |
| निधियों का उपयोग | 1 | स्थिर आस्तियां | |
| | क | सकल : ब्लाक | 1क |
| | | अवक्षयण | 1ख |
| | ग | शुद्ध ब्लाक (क - ख) | 1ग |
| | घ | चल रहा पूंजी कार्य | 1घ |
| | ङ | योग (1ग + 1घ) | 1ङ |
| 2 | विनिधान | | |

| | | | | |
|-------------------------------|---|--|---|--------|
| क | दीर्घकालिक विनिधान | | | |
| | i | सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट की गई | का | |
| | ii | सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट न की गई | काii | |
| | iii | योग (का + काii) | काiii | |
| | ख अल्पकालिक विनिधान | | | |
| ख | i | साधारण शेयर, शेयर उपयोजन धन सहित | खा | |
| | ii | अधिमान्नी शेयर | खाii | |
| | iii | डिबेंचर | खाiii | |
| | iv | योग (खा + खाii + खाiii) | खाiv | |
| ग | कुल विनिधान (काiii + खाiv) | 2 ग | | |
| 3 | चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम | | | |
| क | चालू आस्तियां | | | |
| | i | बीजक | | |
| | | अ | भंडार, जिसके अंतर्गत खपने वाली पैकिंग सामग्री भी है | ia |
| | | आ | कच्ची सामग्री | iaA |
| | | इ | कार्यरत भंडार | iaइ |
| | | ई | तैयार माल / व्यापार माल | iaई |
| | | उ | योग (ia + iaA + iaइ + iaई) | iaउ |
| | ii | अन्यान्य ऋणी | काii | |
| | iii | अ | नकद और बैंक अतिशेष | |
| | | आ | हस्तागत नकदी | काiiiअ |
| | | इ | बैंक के पास अतिशेष | काiiiआ |
| | इ | योग (काiiiअ + काiiiआ) | काiiiइ | |
| | iv | अन्य चालू आस्तियां | काiv | |
| | v | कुल चालू आस्तियां (iaउ + काii + काiiiइ + काiv) | काv | |
| | ख | ऋण और अग्रिम | | |
| i | | नकद में या वस्तु रूप में वसूलनीय अग्रिम या उसके लिए प्राप्त किया जाने वाला मूल्य | खा | |
| ii | | निक्षेप, ऋण और निगमित या अन्य से अग्रिम | खाii | |
| iii | | राजस्व प्राधिकारियों आदि के पास अतिशेष | खाiii | |
| iv | | योग (खा + खाii + खाiii) | खाiv | |
| ग | चालू आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों का योग (काv + खाiv) | 3ग | | |
| घ | चालू दायित्व और उपबंध | | | |
| क | i | चालू दायित्व | | |
| | | अ | अन्यान्य लेनदार | ia |
| | | आ | पट्टाधृत आस्तियों के लिए दायित्व | iaA |
| | | इ | उपर्युक्त पर उदभूत ब्याज | iaइ |
| | | ई | उदभूत ब्याज किंतु जो ऋणों पर शोध नहीं हैं | iaई |
| | उ | योग (ia + iaA + iaइ + iaई) | iaउ | |
| | ii | उपबंध | | |
| | | अ | आयकर के लिए उपबंध | iaiiअ |
| | | आ | छुट्टी भुनाने/अधिवर्षिता/उपदान के लिए उपबंध | iaiiआ |
| | | इ | अन्य उपबंध | iaiiइ |
| | ई | योग (iaiiअ + iaiiआ + iaiiइ) | iaiiई | |
| | iii | योग (iaउ + iaiiई) | घiii | |
| | ङ | शुद्ध चालू आस्तियां (3ग - घiii) | | 3ङ |
| | 4 | क अवलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय | | 4क |
| | ख | आस्थगित कर आस्ति | | 4ख |
| लाभ और हानि लेखा/संचित अतिशेष | | 4ग | | |
| योग (4क + 4ख + 4ग) | | 4घ | | |
| घ | निधियों के उपयोजन का योग (1ङ + 2ग + 3ङ + 4घ) | | 5 | |

| | | | | |
|---------------------|---|---|----|--|
| कोई लेखा मामला नहीं | 6 | उस दशा में जहां कारबार या वृत्ति की लेखा बहियां नियमित नहीं रखी जाती हैं - (कारबार या वृत्ति के संबंध में 31 मार्च, 2017 तक की निम्नलिखित जानकारी दें) | | |
| | क | अन्यान्य ऋणियों की कुल रकम | 6क | |
| | ख | अन्यान्य लेनदारों की कुल रकम | 6ख | |
| | ग | व्यापारगत स्टाक की कुल रकम | 6ग | |
| | घ | नकदी बकाया की रकम | 6घ | |

| | | | | | |
|------------------------|------|--|---|-------|--|
| भाग क- लाभ और हानि | | सांपत्तिक कारबार के पूर्व वर्ष 2016-17 के लिए लाभ और हानि लेखा (उस दशा में जहां नियमित लेखा बहियां रखी जाती हैं, मद 1 से मद 52 भरें, अन्यथा मद 53 भरें) | | | |
| लाभ और हानि लेखा को ऋण | 1 | प्रचालन से राजस्व | | | |
| | क | विक्रय/कारबार का सकल प्राप्तियां (शुद्ध रिटर्न और प्रतिदाय यदि कोई है) | | | |
| | | i | माल का विक्रय | i | |
| | | ii | सेवाओं का विक्रय | ii | |
| | | iii | अन्य प्रचालित राजस्व (स्वरूप और रकम विनिर्दिष्ट करें) | | |
| | | क | | iii क | |
| | | ख | | iii ख | |
| | | ग | योग (iii क + iii ख) | iii ग | |
| | | iv | योग (i + ii + iii ग) | काiv | |
| | ख | वृत्ति से सकल प्राप्तियां | | | |
| | ग | विक्रय किए गए माल और प्रदाय की गई सेवा क संबंध में प्राप्त या प्राप्य योग्य शुल्क, कर और उपकर | | | |
| | | i | संघ उत्पाद शुल्क | i | |
| | | ii | सेवा कर | ii | |
| | | iii | मुल्य बर्धित कर/ विक्रय कर | iii | |
| | | iv | कोई अन्य शुल्क, कर और उपकर | iv | |
| | | v | योग (i + ii + iii + iv) | गv | |
| | घ | प्रचालनों से कुल राजस्व (काiv + ख + गv) | | | |
| | | 2 | अन्य आय | | |
| | | i | किराया | i | |
| | | ii | कमीशन | ii | |
| | | iii | लाभांश | iii | |
| | | iv | ब्याज | iv | |
| | | v | स्थिर आस्तियों के विक्रय पर लाभ | v | |
| | | vi | प्रतिभूति संव्यवहार कर से प्रभाय प्रतिभूतियों के विनिधान के विक्रय पर लाभ | vi | |
| | vii | अन्य एसटीटी विनिधान के विक्रय पर लाभ | vii | | |
| | viii | चालू उतार चड़ाव मदे लाभ | viii | | |
| | ix | कृषि आय | ix | | |
| | x | कोई अन्य आय (स्वरूप और रकम विनिर्दिष्ट करें) | | | |
| | क | | x क | | |
| | ख | | x ख | | |
| | ग | योग (x क + x ख) | x ग | | |
| | xi | अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x ग) | | | |
| | 3 | अंतिम स्टाक | | | |
| | i | कच्ची सामग्री | 3i | | |
| | ii | प्रगति में कार्य | 3ii | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------|---|--|-----------|------|-------|
| | iii | अंतिम माल | 3iii | | | |
| | | योग (3i + 3ii + 3iii) | | | 3iv | |
| 4 | | लाभ और हानि लेखा से लेनदारों का योग (1 + 2xi + 3iv) | | | 4 | |
| लाभ और हानि लेखा को उधार | 5 | आरंभिक स्टाक | | | | |
| | | i | कच्ची सामग्री | 5i | | |
| | | ii | प्रगति में कार्य | 5ii | | |
| | | iii | अंतिम माल | 5iii | | |
| | | iv | योग (5i + 5ii + 5iii) | | | 5iv |
| | 6 | | क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो) | | | 6 |
| | 7 | | क्रय किए गए माल और सेवाओं के संबंध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर | | | |
| | | i | सीमा-शुल्क | 7i | | |
| | | ii | प्रति शुल्क | 7ii | | |
| | | iii | विशेष अतिरिक्त शुल्क | 7iii | | |
| | | iv | संघ उत्पाद-शुल्क | 7iv | | |
| | | v | सेवा कर | 7v | | |
| | | vi | मूल्य बर्धित कर/ विक्रय कर | 7vi | | |
| | | vii | संदत्त या संदेय कोई अन्य कर | 7vii | | |
| | | viii | योग (7i + 7ii + 7iii + 7iv + 7v + 7vi + 7vii) | | | 7viii |
| | 8 | | भाड़ा | | | 8 |
| | 9 | | भंडार और अतिरिक्त पूजों की खपत | | | 9 |
| | 10 | | विद्युत और ईंधन | | | 10 |
| | 11 | | किराया | | | 11 |
| | 12 | | भवन की मरम्मत | | | 12 |
| | 13 | | मशीनरी की मरम्मत | | | 13 |
| | 14 | | कर्मचारियों को प्रतिकर | | | |
| | | i | वेतन और मजदूरी | 14i | | |
| | | ii | बोनस | 14ii | | |
| | | iii | चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति | 14iii | | |
| | | iv | छुट्टी भुनाया जाना | 14iv | | |
| | | v | छुट्टी यात्रा फायदे | 14v | | |
| | | vi | अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय | 14vi | | |
| | vii | मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय | 14vii | | | |
| | viii | मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय | 14viii | | | |
| | ix | किरी अन्व निधि में अभिदाय | 14ix | | | |
| | x | केही कर्मचारियों को कोई अन्य फायदा जिनके संबंध में व्यय उद्भूत हुआ है | 14x | | | |
| | xi | कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (14i + 14ii + 14iii + 14iv + 14v + 14vi + 14vii + 14viii + 14ix + 14x) | | | 14xi | |
| | xii | अनिवासियों को संदत्त 14 xi में सम्मिलित कोई प्रति कर | xiiia | हां /नहीं | | |
| | | यदि हां तो अनिवासियों को संदत्त रकम | xiiib | | | |
| 15 | | बीमा | | | | |
| | i | चिकित्सा बीमा | 15i | | | |
| | ii | जीवन बीमा | 15ii | | | |

| | | | | | |
|----|---|---|-------|-------|--|
| | iii | की मेन बीमा | 15iii | | |
| | iv | कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि सहित अन्य बीमा | 15iv | | |
| | v | बीमा पर कुल व्यय (15i + 15ii + 15iii + 15iv) | | 15v | |
| 16 | कर्मकार और कर्मचारिवृन्द कल्याण व्यय | | | 16 | |
| 17 | मनोरंजन | | | 17 | |
| 18 | सत्कार | | | 18 | |
| 19 | सम्मेलन | | | 19 | |
| 20 | विक्रय संबंधन जिसके अन्तर्गत प्रचार भी है (विज्ञापन से भिन्न) | | | 20 | |
| 21 | विज्ञापन | | | 21 | |
| 22 | कमीशन | | | | |
| | i | कम्पनी या विदेशी कम्पनी से भिन्न अनिवासी को | i | | |
| | ii | अन्य को | ii | | |
| | iii | योग (i + ii) | | 22iii | |
| 23 | रोयलटी | | | | |
| | i | कम्पनी या विदेशी कम्पनी से भिन्न अनिवासी को | i | | |
| | ii | अन्य को | ii | | |
| | iii | योग (i + ii) | | 23iii | |
| 24 | वृत्तिक/परामर्शी फीस/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस | | | | |
| | i | कम्पनी या विदेशी कम्पनी से भिन्न अनिवासी को | i | | |
| | ii | अन्य को | ii | | |
| | iii | योग (i + ii) | | 24iii | |
| 25 | होटल, बोर्डिंग और लोजिंग | | | 25 | |
| 26 | यात्रा व्यय जिसके अन्तर्गत विदेश यात्रा भी हैं | | | 26 | |
| 27 | विदेश यात्रा व्यय | | | 27 | |
| 28 | वाहन व्यय | | | 28 | |
| 29 | टेलीफोन व्यय | | | 29 | |
| 30 | अतिथि गृह व्यय | | | 30 | |
| 31 | क्लब व्यय | | | 31 | |
| 32 | त्यौहार आयोजन व्यय | | | 32 | |
| 33 | छात्रवृत्ति | | | 33 | |
| 34 | दान | | | 34 | |
| 35 | संदान | | | 35 | |
| 36 | सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय दर और कर (जिसके अन्तर्गत आय पर कर भी हैं) | | | | |
| | i | संघ उत्पाद शुल्क | 36i | | |
| | ii | सेवा कर | 36ii | | |
| | iii | मूल्य बर्धित कर/ विक्रय कर | 36iii | | |
| | iv | उपकर | 36iv | | |
| | v | कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर जिसमें एस टी टी और सी टी टी सम्मिलित हैं | 36v | | |
| | vi | संदत्त या संदेय कुल दरें और कर (36i + 36ii + 36iii + 36iv + 36v) | | 36vi | |
| 37 | लेखा परीक्षा फीस | | | 37 | |
| 38 | अन्य व्यय (स्वरूप और रकम में विनिदिष्ट करें) | | | | |
| | i | | i | | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|---|--|----|---------|----|
| | ii | | ii | | | |
| | iii | योग (i + ii) | | | 38iii | |
| 39 | डूबंत ऋण (उस व्यक्ति का पैना विनिर्दिष्ट करें/ यदि उपलब्ध है/जिसके लिए एक लाख रुपये या इससे अधिक की रकम के लिए डूबंत ऋण का दावा किया गया है और रकम) | | | | | |
| | i | | | | 39i | |
| | ii | | | | 39ii | |
| | iii | | | | 39iii | |
| | iv | अन्य(एक लाख रूपयें से अधिक) जहां पैना उपलब्ध नहीं है | | | 39iv | |
| | v | अन्य (एक लाख रूपयें से कम रकम) | | | 39v | |
| | vi | कुल डूबंत ऋण(39i + 39ii + 39iii + 39iv + 39v) | | | 39vi | |
| 40 | डूबन्त और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध | | | | 40 | |
| 41 | अन्य उपबंध | | | | 41 | |
| 42 | ब्याज, अवक्षयण और करों से पूर्व लाभ [4 - (5iv + 6 + 7viii + 8 to 13 + 14xi + 15v + 16 to 21 + 22iii + 23iii + 24iii + 25 to 35 + 36vi + 37 + 38iii + 39vi + 40 + 41)] | | | | 42 | |
| 43 | ब्याज | | | | | |
| | i | कम्पनी या विदेशी कम्पनी से भिन्न अनिवासी को | | i | | |
| | ii | अन्य को | | ii | | |
| | iii | योग (i + ii) | | | 43iii | |
| 44 | अवक्षयण और अपाकरण | | | | 44 | |
| 45 | करों से पूर्व लाभ (42 - 43iii - 44) | | | | 45 | |
| विनियोग कर उपबंध और | 46 | चालू कर के लिए उपबंध | | | | 46 |
| | 47 | अस्थायित कर के लिए उपबंध | | | | 47 |
| | 48 | कर के पश्चात् लाभ (45 - 46 - 47) | | | | 48 |
| | 49 | पूर्व वर्ष से अग्रणीत किया गया बकाया | | | | 49 |
| | 50 | विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (48 + 49) | | | | 50 |
| | 51 | आरक्षितियों और अधिशेष को अंतरित | | | | 51 |
| | 52 | स्वामी के लेखा में तुलनपत्र में अग्रणीत बकाया (50 - 51) | | | | 52 |
| | कोई लेखा मामला नहीं | 53 | उस दशा में जहां कारबार या वृत्ति की लेखा बहियां नहीं रखी जाती हैं वहां कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्व वर्ष 2016-17 के लिए निम्नलिखित जानकारी दें- | | | |
| | | (i) निर्धारिती के लिए, जो कारबार चला रहा है | | | | |
| | | क | सकल प्राप्तियां | | 53(i)क | |
| | | ख | सकल लाभ | | 53(i)ख | |
| | | ग | व्यय | | 53(i)ग | |
| | | घ | शुद्ध लाभ | | 53(i)घ | |
| | | (ii) निर्धारिती के लिए, जो वृत्ति चला रहा है | | | | |
| | | क | सकल प्राप्तियां | | 53(ii)क | |
| | | ख | सकल लाभ | | 53(ii)ख | |
| | | ग | व्यय | | 53(ii)ग | |
| | | घ | शुद्ध लाभ | | 53(ii)घ | |
| | | योग [53(i)घ + 53(ii)घ] | | | | 53 |

| | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|-------------------------------|
| भाग क - अन्य जानकारी अन्य जानकारी (उस दशा में विकल्प पर जहां धारा 44 कख के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी नहीं है) | | | | |
| 1 | पूर्व वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति नकद | (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> वाणिज्यिक | <input type="checkbox"/> |
| 2 | यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है | (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> हाँ | <input type="checkbox"/> नहीं |

| | | | |
|--------------|--|--|--------------------------|
| 3 | धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय की संगणना के प्रकटीकरण के मानक के अनुसार परिवर्तन के कारण लाभ पर प्रभाव, यदि कोई हो (अनुसूची आ.स.प्र.मा. का स्तंभ (iii)) | 3 | |
| 4 | पूर्व वर्ष में अपनाई गई अंतिम स्टाक के मूल्यांकन के पद्धति | | |
| अन्य जानकारी | क | कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, जिनमें से जो भी कम हो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें) | <input type="checkbox"/> |
| | ख | तैयार माल (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, इनमें से जो भी कम हो, वहां 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें) | <input type="checkbox"/> |
| | ग | क्या स्टाक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | |
| | घ | धारा 145क के अधीन विहित मूल्यांकन पद्धति से विकलन के कारण, यदि कोई हो लाभ या हानि पर प्रभाव | 4घ |
| 5 | लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई रकम, जो निम्नलिखित हैं- | | |
| अन्य जानकारी | क | धारा 28 की परिधि में आने वाली मदें | 5क |
| | ख | जहां प्रत्यय, वापसी या प्रतिदाय संबंधित प्राधिकारियों द्वारा शोध रूप में प्राप्त है वहां प्रत्यय, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद-शुल्क या सेवा कर के प्रतिदाय, विक्रय कर या मूल्य वर्धित कर का प्रोफार्मा | 5ख |
| | ग | पूर्व वर्ष के दौरान स्वीकार किए गए वर्धित दावे | 5ग |
| | घ | आय की कोई अन्य मद | 5घ |
| | ङ | पूजी रसीद, यदि कोई है | 5ङ |
| | च | लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई कुल रकम (5क + 5ख + 5ग + 5घ + 5ङ) | 5च |
| 6 | सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अननुपालन के कारण धारा 36 के अधीन अनुनज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई रकमें | | |
| | क | स्टाक या भंडार की नुकसानी या नष्ट होने की जोखिम के लिए बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)] | 6क |
| | ख | कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम [36(1)(i ख)] | 6ख |
| | ग | सी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि लाभ या लाभान्श के रूप में उसको अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)] | 6ग |
| | घ | उधार ली गई पूजी के संबंध में संदत्त ब्याज की रकम [36(1)(iii)] | 6घ |
| | ङ | शून्य कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iia)] | 6ङ |
| | च | किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(iv)] | 6च |
| | छ | किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(iv)] | 6छ |
| | ज | धारा 80 ग ग घ में विनिर्दिष्ट पेंशन स्कीम को अंसदान की रकम | 6ज |
| | झ | किसी अनुमोदित उपदान निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(v)] | 6झ |
| | ञ | किसी अन्य निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(v)] | 6ञ |
| | ट | किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या ई एस आई अधिनयम के अधीन गठित किसी निधि को अंसदान के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई रकम या सम्यक तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारियों के खाते में नहीं जमा की गई सीमा तक कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई अन्य निधि [36(1)(vk)] | 6ट |
| | ठ | इबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)] | 6ठ |
| | ड | इबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(vii क)] | 6ड |
| | ढ | किसी विशेष आरक्षित को अंतरित रकम [36(1)(viii)] | 6ढ |
| ण | कर्मचारियों के बीच परिवार नियोजन का संवर्धन करने के परियोजन के लिए व्यय [36(1)(ix)] | 6ण | |
| त | प्रतिभूतियों में संव्यसहार की वाबत संयक प्रतिभूतियों की रकम यदि ऐसी आय को कारवार आय में सम्मिलि नहीं किया गया है [36(1)(xv)] | 6त | |
| थ | कोई अन्य नामंजूरी | 6थ | |
| द | धारा 36 के अधीन अनुनज्ञेय कुल रकम (6 क to 6 थ का योग) | 6 द | |
| 7 | धारा 37 के अधीन अनुनज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम | | |
| | क | पूँजी प्रकृति का व्यय [37(1)] | 7क |
| | ख | व्यक्तिगत प्रकृति के व्यय [37(1)] | 7ख |
| | ग | कारवार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए संपूर्ण रूप से और अन्नय रूप से नहीं अधिकथित या व्यय किए गए खर्च [37(1)] | 7ग |

| | | | | | |
|----|---|--|-----|--|-----|
| | घ | किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी सोवियर ब्रोचर, ट्रेक्ट, कागज-पत्रों या ऐसे ही सामग्री के रूप में विज्ञापन पर व्यय [37(2 ख)] | 7घ | | |
| | ङ | तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अतिक्रमण के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय | 7ङ | | |
| | च | कोई अन्य शास्ति या जुर्माना | 7च | | |
| | छ | किसी प्रयोजन के लिए जो कोई अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, उपगत व्यय | 7छ | | |
| | ज | किसी आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम | 7ज | | |
| | झ | धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कोई अन्य रकम | 7झ | | |
| | ञ | धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (7क से 7झ का योग) | | | 7ञ |
| 8 | अ | धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम | | | |
| | क | अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 (क) (i) के अधीन अननुज्ञेय रकम | अक | | |
| | ख | अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 (क) (I क) XVII- ख | अख | | |
| | ग | वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय VIII के उपबंधों की अननुपालना पर, धारा 40(क) (iख) के अधीन अननुज्ञेय रकम | अग | | |
| | घ | अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 (क) (iii) के अधीन अननुज्ञेय रकम XVII-ख | अघ | | |
| | ङ | लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम [40 (क) (ii)] | अङ | | |
| | च | धनकर के रूप में संदत्त रकम [40 (क) (iic)] | अच | | |
| | छ | धारा 40 (क) (ii ख) के अनुसार स्वामिस अनुज्ञप्ति फीस सेवा फीस आदि के माध्यम से संदत्त रकम | अछ | | |
| | ज | किसी भागीदार या सदस्य को संदत्त ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या परिलब्धि की रकम [40(ख)] | अज | | |
| | झ | कोई अन्य नामंजूरी | अझ | | |
| | ञ | धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अझ का योग) | | | 8अञ |
| | आ | किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम | | | 8आ |
| 9 | | धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम | | | |
| | क | धारा 40क (2) (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकम | 9क | | |
| | ख | धारा 40क(3) के अधीन एकाउन्ट पेई चेक या एकाउन्ट पेई बैंक ड्राफ्ट से भिन्न किसी व्यक्ति के संदत्त बीस हजार रुपए से अधिक रकम-100 प्रतिशत अननुज्ञेय | 9ख | | |
| | ग | उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क (7)] | 9ग | | |
| | घ | किसी निधि, न्यास, कंपनी, व्यक्ति संगम, या व्याप्ति निकाय या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था को स्थापित करने के लिए या अभिदाय के रूप में कर्मचारी के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि ; [40 क (9)] | 9घ | | |
| | ङ | कोई अन्य नामंजूरी | 9ङ | | |
| | च | धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम | | | 9च |
| 10 | | किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम | | | |
| | क | किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि | 10क | | |
| | ख | कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि | 10ख | | |
| | ग | सी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि | 10ग | | |
| | घ | किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि | 10घ | | |
| | ङ | किसी अनुसूचित बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि | 10ङ | | |
| | च | छुट्टी भुनाने के म दे संदेय कोई राशि | 10च | | |

| | | | | | |
|----|--|---|-----|-----|--|
| | छ | धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (10क से 10च का योग) | | 10छ | |
| 11 | पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा को विकलित कोई रकम किन्तु 43 ख के अधीन अननुज्ञेय | | | | |
| | क | किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि | 11क | | |
| | ख | कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि | 11ख | | |
| | ग | दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि | 11ग | | |
| | घ | किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि | 11घ | | |
| | ङ | किसी अनुसूचित बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि | 11ङ | | |
| | च | छुट्टी भुनाने के मदे संदेय कोई राशि | 11च | | |
| | छ | रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई रकम | 11छ | | |
| | ज | धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (11क से 11छ का योग) | | 11ज | |
| 12 | निम्नलिखित लेखाओं के संबंध में बकाया जमा की रकम | | | | |
| | क | संघ उत्पाद शुल्क | 12क | | |
| | ख | सेवा कर | 12ख | | |
| | ग | मुल्य बर्धित कर/ विक्रय कर | 12ग | | |
| | घ | कोई अन्य करम | 12घ | | |
| | ङ | बकाया कुल रकम (12क से 12घ का योग) | | 12ङ | |
| 13 | धारा 33क ख या धारा 33 क ख क के अधीन लाभ और हानि समझी गई रकम | | | 13 | |
| 14 | धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम | | | 14 | |
| 15 | लाभ और हानि लेखा में जमा की गई या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम | | | 15 | |

| | | | | |
|-------------------|-------------------|---|--|----|
| भाग क | मात्रात्मक ब्यौरे | मात्रात्मक ब्यौरे (उस दशा में विकल्प जिसमें धारा 44कख के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी नहीं है) | | |
| मात्रात्मक ब्यौरे | (क) | किसी व्यवसाय समुत्थान की दशा में | | |
| | 1 | आरंभिक स्टाक | | 1 |
| | 2 | पूर्व वर्ष के दौरान क्रय | | 2 |
| | 3 | पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय | | 3 |
| | 4 | अंतिम स्टाक | | 4 |
| | 5 | कमी / अधिक यदि कोई हो | | 5 |
| | (ख) | किसी निर्माणकारी समुत्थान की दशा में | | |
| | 6 | कच्ची सामग्री | | |
| | क | आरंभिक स्टाक | | 6क |
| | ख | पूर्व वर्ष के दौरान क्रय | | 6ख |
| | ग | पूर्व वर्ष के दौरान खपत | | 6ग |
| | घ | पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय | | 6घ |
| | ङ | अंतिम स्टाक | | 6ङ |

| | | | | |
|---|---|--------------------------------------|----|--|
| | च | प्राप्त तैयार माल | 6च | |
| | छ | प्राप्ति की प्रतिशतता | 6छ | |
| | ज | कमी/अधिक, यदि कोई हो | 6ज | |
| 7 | | तैयार माल/ उपोत्पाद | | |
| | क | आरंभिक स्टाक | 7क | |
| | ख | पूर्व वर्ष के दौरान क्रय | 7ख | |
| | ग | पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा | 7ग | |
| | घ | पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय | 7घ | |
| | ङ | अंतिम स्टाक | 7ङ | |
| | च | कमी/अधिक, यदि कोई हो | 7च | |

| भाग ख - कुल आय | | कुल आय की संगणना | | |
|----------------|---|---|---|--------|
| 1 | वेतन (अनुसूची ध का 6) | 1 | | |
| 2 | गृह संपत्ति से आय (अनुसूची-गृह संपत्ति का 3ख) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें) | 2 | | |
| 3 | कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ | | | |
| | i | सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची-का.वृ. का क37) | 3i | |
| | ii | सट्टे के कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची- का.वृ. का ख41) (यदि हानि है तो शून्य लिखें और अनुसूची ग च ठ से अंक लें) | 3ii | |
| | iii | विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची- का.वृ. का ग47) (यदि हानि है तो शून्य लिखें) | 3iii | |
| | iv | धारा 115खखच के अधीन पेटेंट से आय (अनुसूची खत का 3ड) | 3iv | |
| | v | योग (3i + 3ii + 3iii + 3iv) (यदि 3v हानि है तो शून्य लिखें और अनुसूची ग च ठ से अंक लें) | 3v | |
| 4 | पूँजी अभिलाभ | | | |
| | क | अल्पकालिक | | |
| | | i | अल्पकालिक प्रभार्य @ 15% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 7 ii) | क i |
| | | ii | अल्पकालिक प्रभार्य @ 30% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 7 iii) | क ii |
| | | iii | लागू दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूचि ग छ की मद ड का 7 iv) | क iii |
| | | iv | अल्पकालिक योग (क i + क ii + क iii) | 4 क iv |
| | ख | दीर्घकालिक | | |
| | | i | दीर्घकालिक प्रभार्य @ 10% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 7 iv) | ख i |
| | | ii | दीर्घकालिक प्रभार्य @ 20% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 7 vi) | ख ii |
| | | iii | दीर्घकालिक योग (ख i + ख ii) (यदि हानि है तो शून्य भरें) | ख iii |
| | ग | कुल पूँजी अभिलाभ (4 क iv + 4 ख iii) (यदि हानि है तो शून्य भरें) | 4 ग | |
| 5 | अन्य स्रोतों से आय | | | |
| | क | घुडदोड़ स्वामित्व से भिन्न अन्य स्रोत और विशेष दर पर प्रभार्य आय (अनुसूचि ण ध का 1 i) (यदि हानि है तो शून्य भरें) | 5 क | |
| | ख | विशेष दर पर कर को प्रभार्य आय (अनुसूचि ण ध का 1 क vii) | 5 ख | |
| | ग | घुडदोड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलाप से (अनुसूचि ण ध का 3 ग iii) (यदि हानि है तो शून्य भरें) | 5 ग | |
| | ड | कुल (5 क + 5 ख + 5 ग) (यदि हानि है तो शून्य भरें) | 5 घ | |

| | | |
|----|---|-----|
| 6 | कुल योग (1 + 2 + 3iv + 4 ग + 5 घ) | 6 |
| 7 | 6 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची गमठ क चालू वर्ष की हानि के 2xiv, 3xiv और 4xiv का योग) | 7 |
| 8 | चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् बकाया (6 - 7) (अनुसूची गमठ क चालू वर्ष + 5ख के स्तंभ 5 का योग) | 8 |
| 9 | 8 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली अग्रणीत हानियां (अनुसूची खचठ क के 2xiii, 3xiii और 4xiii का योग) | 9 |
| 10 | सकल कुल आय (8-9) (अनुसूची BFLA + 5ख का 5xiv) | 10 |
| 11 | धारा 111क, धारा 112 के अधीन विशेष दर पर कर प्रभार्य में 10 सम्मिलित है | 11 |
| 12 | धारा 10 का या धारा क क के अधीन कटौतियां (अनुसूची 10 क ड + अनुसूची 10 क का ड) | 12 |
| 13 | अध्याय 6क के अधीन कटौतियां | |
| | क अनुसूची 6क का भाग ख, ग क और घ [अनुसूची 6क का (1+3) और (10-11) तक सीमित] | 13क |
| | ख अनुसूची 6क का भाग ग [अनुसूची 6क का 2 और (10-11-3iii) तक सीमित] | 13ख |
| | ग कुल (13क + 13ख) (10-11) तक सीमित | 13ग |
| 14 | कुल आय (10-12-13ग) | 14 |
| 15 | आय जो 13 में सम्मिलित है और विशेष दर पर कर प्रभार्य है (अनुसूची विशेष दर के (i) का योग) | 15 |
| 16 | दर प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय/कोई अन्य आय (अनुसूची इआई का 4) | 16 |
| 17 | कुल आय (14-15+16) (लागू होगा यदि (14-15) अधिकतम रकम, जो कर प्रभार्य नहीं है) | 17 |
| 18 | अग्रणीत की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची गचठ की पंक्ति xi का योग) | 18 |

भाग ख - कुल आय पर कर दायित्व कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

| | | | | |
|----------------------|---|---|--|-------|
| कर दायित्व की संगणना | 1 | क | धारा 115 ज ग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची का अनुकल्पित निम्नतर कर का 4) | 1क |
| | | ख | (क) पर अधिभार (लागू यदि अनुसूची ए एम टी का 3 एक करोड़ से अधिक है) | 1 ख |
| | | ग | उपर (1 क + 1 ख) पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर सहित शिक्षा उपकर | 1 ग |
| | | घ | समझी गई कुल आय पर संदेय कुल कर (ह) उपर (1क + 1ख + 1 ग) | 1 घ |
| | 2 | कुल आय पर संदेय कर | | |
| | | क | भाग ख- टी आई कुल आय के 17 पर सामान्य दरों पर कर | 2क |
| | | ख | विशेष दरों पर कर (अनुसूची द झ का (ii) का योग) | 2ख |
| | | ग | कृषि आय पर रिबेट (लागू होगा यदि (भाग ख- टी आई कुल आय का (14-15) अधिकतम रकम अधिक नहीं है जिस पर प्रभार्य नहीं है) | 2ग |
| | | घ | कुल आय पर संदेय कर (2क + 2ख- 2ग) | 2घ |
| | | ड | धारा 87क के अधीन रिबेट (लागू यदि भाग ख- टी आई का 14, 5 लाख से अधिक नहीं है) | 2ड |
| | | च | रिबेट के पश्चात् संदेय कर (2घ - 2 ड) | 2च |
| | | छ | अधिभार | 2छ |
| | | i | अनुसूची धझ के 13(i) का 25 प्रतिशत | 2छ i |
| | | ii | [(2च)-(अनुसूची धझ का 13(ii)) पर (लागू यदि भाग ख- टी आई का 14, एक करोड़ से अधिक है)] | 2छ ii |
| | | iii | कुल (i + ii) | 2छii |
| | | ज | शिक्षा उपकर जिसके अंतर्गत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर भी हैं (2ड + 2छiii) | 2ज |
| | | झ | कुल कर दायित्व (2च + 2छiii + 2झ) | 2झ |
| | 3 | कुल कर संदेय (1घ और 2ii से उच्चतर) | | 3 |
| | 4 | पूर्वतर वर्षों में कर संदत्त की धारा 115जघ के अधीन जमा (लागू यदि 2ii 1 घ से अधिक है) (अनुसूची क ड न क का 5) | | 4 |
| | 5 | धारा 115जघ के अधीन मुजरा के बाद कर संदेय (3 - 4) | | 5 |
| | 6 | कर राहत | | |
| | | क | धारा 89 | 6क |
| | | ख | धारा 90 या धारा 90क (अनुसूची ल द का 2) | 6ख |
| | | ग | धारा 91 (अनुसूची ल द का 3) | 6ग |
| | घ | कुल (6क + 6ख + 6ग) | 6द | |
| 7 | शुद्ध कर दायित्व (5 - 6 घ) (शून्य भरे यदि नकारात्मक है) | | 7 | |
| 8 | संदेय ब्याज | | | |
| | क | विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234क) | 8क | |
| | ख | अग्रिम कर के संदाय के व्यतिक्रम के लिए (धारा 234ख) | 8ख | |

| | | | | |
|-----------|----|---|--------------------|---|
| | ग | अग्रिम कर के आस्थगन के लिए (धारा 234ग) | 8ग | |
| | घ | संदेय कुल ब्याज (8क + 8ख + 8ग) | | 8घ |
| 9 | | औसत दायित्व (7 + 8 घ) | | 9 |
| संवत् कर | 10 | संवत् कर | | |
| | क | अग्रिम कर (अनुसूची ज्ञान से) | 10क | |
| | ख | स्रोत पर कर की कटौती (अनुसूची स्रोत पर कर की कटौती 1 के स्तंभ 5 और अनुसूची स्रोत पर की कटौती 2 के स्तंभ 8 का योग) | 10ख | |
| | ग | टीसीएस (अनुसूची स्रोत पर कर कटौती का स्तंभ 5) | 10ग | |
| | घ | स्वतः निर्धारण कर (अनुसूची आय-कर से) | 10घ | |
| | ङ | संवत् कुल कर (10क + 10ख + 10ग) | | 10ङ |
| 11 | | संदेय रकम (यदि 10ङ से अधिक है तो 9 प्रविष्ट करें, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें) | | 11 |
| 12 | | प्रतिदाय (यदि 10ङ 9 से अधिक है) (प्रतिदाय यदि कोई है, तो सीधे बैंक खाते में जोड़ दिया जायेगा) | | 12 |
| बैंक खाता | 13 | पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों का ब्यौरा (निष्क्रिय खातों को छोड़ते हुए) | | |
| | | क्रम सं. | बैंक का आईएफएस कोड | बैंक का नाम |
| | | | | खाता सं. (बैंक की सीबीएस प्रणाली के अनुसार सं. 9 अंकीय या अधिक होनी चाहिए।) |
| | | | | खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना प्रतिदाय, यदि कोई हो, प्राप्त करना चाहते हैं (एक खाता पर निशान लगाएं) |
| | | | | 09.11.2016 से 30.12.2016 के दौरान जमा किया गया नकद (यदि अवधि के दौरान जमा संकलित नकद दो राख रूप से अधिक है) |
| 14 | | क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई आसतियां (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं; (ii) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची चक को भरना सुनिश्चित करें) | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |

सत्यापन

मैं,.....जो.....का पुत्र/पुत्री हूँ स्थायी लेखा संख्यां,.....का धारक हूँ, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और यह कि उसमें दर्शित कुल आय की रकम और अन्य विशिष्टियां सत्य कथित की गई हैं और निर्धारण वर्ष 2017-18 से सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष के लिए आय कर से प्रभार्य आय के संबंध में आय कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।
मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आले चनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

| | | |
|-------|--|-----------|
| स्थान | | हस्ताक्षर |
| तारीख | | |

15 यदि विवरणी किसी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो और नीचे और ब्यौरे दें:

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं० | कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम | कर विवरणी के प्रति हस्ताक्षर |
| | | |

यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम

16

17 अनुसूची-आयकर

क आय-कर के अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण के कर संदाय के व्यौरे

| संदाय | क्र. सं. | बीएसआर कोड | निक्षेप की तारीख (दिन/ मास/ वर्ष) | चालान की क्रम संख्या | रकम (रुपए) |
|-------|----------|------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| i | | | | | |
| ii | | | | | |
| iii | | | | | |
| iv | | | | | |

टिप्पण भाग ख-टीटीआई के क्रम सं. 10क और 10घ में अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर का योग भरें

ख वेतन से स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे (नियोजक द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार)

| वेतन से स्रोत पर कर कटौती | क्रम सं. | नियोजक का कर कटौती खाता संख्या (टैन) | नियोजक का नाम | वेतन के अधीन प्रभार्य आय | कटौती किया गया कुल कर |
|---------------------------|----------|--------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| i | | | | | |
| ii | | | | | |

ग आय से स्रोत पर कटौती किए गए कर का ब्यौरा [कटौती कर्ता (यो) द्वारा जारी प्ररूप 16 के अनुसार या प्ररूप 26 थ ख]

| अन्य आय पर श्रेत पर कर कटौती | क्रम सं. | कटौतीकर्ता का कर कटौती खाता संख्या (टेन) / क्रेता का स्थायी खाता संख्या | कटौतीकर्ता का नाम | विशिष्ट टीडीएस प्रमाण पत्र संख्या | अग्रणीत किया गया अदावाकृत टीडीएस (बीएफ) | चालू वित्तीय वर्ष का टीडीएस | इस वर्ष दावा किए जा रहे (6) या (7) से रकम (यदि इस वर्ष कर के लिए केवल तत्स्थानी आय प्रस्थापित की जा रही है) | | अग्रणीत की जा रही (6) या (7) से रकम | |
|---|----------|---|-------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------|--|------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| अन्य आय पर श्रेत पर कर कटौती | i | | | | वह वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई | रकम बी एफ | | स्वयं के हाथों में | पति या पत्नी के हाथों में यदि धारा 5 क उपयोज्य हैं | |
| | ii | | | | | | | | | |
| टिप्पण ► कृपया भाग ख टीडीआई के 10 ख में अनुसूची टीडीएस1 के स्तंभ 5 और अनुसूची टीडीएस2 के स्तंभ 8 का योग भरें। | | | | | | | | | | |
| घ स्रोत पर संग्रहीत कर के ब्यौरे (संग्राहकों द्वारा जारी प्ररूप 27 घ के अनुसार) | | | | | | | | | | |
| टीसीएस पर आय | क्र. सं. | संग्राहक का कर कटौती और कर संग्रहण खाता संख्यांक (टीएन) | संग्राहक का नाम | अग्रणीत किया गया अदावाकृत टीसीएस | | चालू वित्तीय वर्ष का टीसीएस | इस वर्ष दावा किए जा रहे (5) या (6) से रकम (यदि इस वर्ष कर के लिए केवल तत्स्थानी आय प्रस्थापित की जा रही है) | | अग्रणीत की जा रही (5) या (6) से रकम | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| टीसीएस पर आय | i | | | | | | | | | |
| | ii | | | | | | | | | |
| टिप्पण ► भाग ख--टीडीआई के क्रम सं. 10 ग में अनुसूची टीडीएस के स्तंभ (7) की कुल रकम प्रविष्ट करें | | | | | | | | | | |

टिप्पणी: कृपया यथा लागू विवरणी प्रपत्र (पृष्ठ ध1 से ध20) की अनुसूचियों को भरें।

विवरणी प्रपत्र की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

| अनुसूची वेतन | | वेतन से आय के ब्यौरे | |
|--------------|---|---|---|
| वेतन | नियोजक का नाम | | नियोजक का स्थायी लेखा संख्या (पैन) (वैकल्पिक) |
| | नियोजक का पता | | पिन कोड |
| | नगर/शहर | | राज्य |
| | 1 | वेतन (वेतन के स्थान पर सभी भत्तों, परिलब्धियों और लाभ को छोड़ कर) | 1 |
| | 2 | भत्ते जो छूट प्राप्त नहीं है (नियोक्ता से प्ररूप 16 विनिर्दिष्ट किया जाए) | 2 |
| | 3 | परिलब्धियों का मूल्य (नियोक्ता से प्ररूप 16 विनिर्दिष्ट किया जाए) | 3 |
| | 4 | वेतन के स्थान पर लाभ (नियोक्ता से प्ररूप 16 विनिर्दिष्ट किया जाए) | 4 |
| 5 | धारा 16 के अधीन कटौती (सरकार द्वारा मनोरंजन भत्ते और नियोजन पर कर) | 5 | |
| 6 | 'वेतन'- शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (1+3+4+5-6) | 6 | |
| 7 | धारा 10 के अधीन छूटप्राप्त भत्ते (ऊपर क्रम 6 में अंतर्विष्ट न की जाए) | 7 | |
| | i | यात्रा रियायत/प्राप्त सहायता [(धारा 10(5))] | 7i |
| | ii | गैर-मुद्रा परिलब्धि पर नियोजक द्वारा संदत्त कर [(धारा 10(10गग))] | 7ii |
| | iii | मकान किराए पर होने वाला व्यय चुकाने के लिए भत्ता [(धारा 10(13क))] | 7iii |
| | iv | अन्य भत्ते | 7iv |

अनुसूची गृह संपत्ति

गृह संपत्ति से आय के ब्यौरे (कृपया अनुदेशों को निर्दिष्ट करें)

| | | | | | | | | |
|--|--|---|-------|--|--|--|--|--|
| 1 | संपत्ति 1 का पता | नगर/शहर | राज्य | पिन कोड | | | | |
| | क्या संपत्ति सह-स्वामित्व में है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां तो निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें) | | | | | | | |
| संपत्ति में आपके हिस्से का प्रतिशत <input type="text"/> | | | | | | | | |
| सहस्वामी (स्वामियों) का नाम | | सहस्वामी (स्वामियों) की स्थायी लेखा सं० | | संपत्ति में हिस्से का प्रतिशत | | | | |
| I | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | |
| (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> यदि किराए पर हो <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया <input type="checkbox"/> | | किरायेदार का नाम (यदि किराये पर हो) | | किरायेदार की स्थायी लेखा सं० (वैकल्पिक) | | | | |
| I | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | |
| क | वसूल किया गया या वसूलनीय वार्षिक किराए योग्य मूल्य या किराया (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर है तो दोनों में उच्चतर, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए है तो दोनों निम्नतर) | | | 1क | | | | |
| ख | किराए की रकम जो निर्मोचित नहीं की जा सकती है | 1ख | | | | | | |
| ग | स्थानीय प्राधिकरणों को संदत्त कर | 1ग | | | | | | |
| घ | कुल (1ख + 1ग) | 1घ | | | | | | |
| ङ | वार्षिक मूल्य (1क - 1घ) (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वतःअधिभोग आदि) | | | 1ङ | | | | |
| च | स्वामिस की संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वयं की शेयर प्रतिशतता X 1ङ) | | | 1च | | | | |
| छ | 1ङ का 30% | 1छ | | | | | | |
| ज | उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज | 1ज | | | | | | |
| झ | कुल (1छ + 1ज) | | | 1झ | | | | |
| ञ | गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ) | | | 1ञ | | | | |
| 2 | संपत्ति 2 का पता | नगर/शहर | राज्य | पिन कोड | | | | |
| | क्या संपत्ति सह-स्वामित्व में है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां तो निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें) | | | | | | | |
| संपत्ति में आपके हिस्से का प्रतिशत <input type="text"/> | | | | | | | | |
| सहस्वामी (स्वामियों) का नाम | | सहस्वामी (स्वामियों) की स्थायी लेखा सं० | | संपत्ति में हिस्से का प्रतिशत (वैकल्पिक) | | | | |
| I | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | |
| (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> यदि किराए पर हो <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया <input type="checkbox"/> | | किरायेदार का नाम (यदि किराये पर हो) | | किरायेदार की स्थायी लेखा सं० (वैकल्पिक) | | | | |
| I | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | |
| क | वसूल किया गया या वसूलनीय वार्षिक किराए योग्य मूल्य या किराया (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर है तो दोनों में उच्चतर, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए है तो दोनों निम्नतर) | | | 2क | | | | |
| ख | किराए की रकम जो निर्मोचित नहीं की जा सकती है | 2ख | | | | | | |
| ग | स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर | 2ग | | | | | | |
| घ | कुल (2ख + 2ग) | 2घ | | | | | | |
| ङ | वार्षिक मूल्य (2क - 2घ) | | | 2ङ | | | | |
| च | स्वामिस्व की संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वयं की शेयर प्रतिशतता X 2घ) | | | 2च | | | | |
| छ | 2घ का 30% | 2छ | | | | | | |
| ज | उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज | 2ज | | | | | | |
| झ | कुल (2छ + 2ज) | | | 2झ | | | | |
| ञ | गृह संपत्ति 2 से आय (2ङ - 2झ) | | | 2ञ | | | | |
| 3 | “गृह संपत्ति से आयदु शीर्ष के अधीन आय | | | | | | | |

गृह संपत्ति

| | | | |
|---|--|----|---|
| क | 30% कटौती के पश्चात् धारा 25 के अधीन वर्ष के दौरान अप्राप्य किराया और प्राप्त किराए का बकाया | 3क | |
| ख | कुल (1 य + 2 य + 3 क) (यदि नाकारात्मक है तो अनुसूचीगमठ क की 2 i ले) | 3ख | |
| टिप्पण ▶ कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें | | | ग |

| अनुसूची - कारबार या कारबार या वृत्ति से आय की संगणना | | | |
|--|--|-----|---|
| अ | सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति | | |
| 1 | लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क त और ठ का मद 45) | 1 | |
| 2क | 1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें) | 2क | |
| 2ख | 1 में सम्मिलित धारा 35 कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें) | 2ख | |
| 3 | धारा 115खख के अधीन आय/प्रभार्य शीर्ष के अधीन विचारणीय लाभ और हानि लेखा में जमा आय/प्राप्तियाँ | क | वेतन 3क |
| | | ख | गृह संपत्ति 3ख |
| | | ग | पूँजी अभिलाभ 3ग |
| | | घ | अन्य स्रोत 3घ |
| | | ङ | धारा 115खख के अधीन 3ङ |
| 4 | 1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कघ/44कघक/44कङ/44ख/44खख/44खखक/44खखख/44ख/44खक/44खक अध्याय 12ख/पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है | 4 | |
| 5 | (1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है | | |
| क | फर्मों से आय का अंश | 5क | |
| | | 5ख | |
| | | ग | कोई अन्य छूट प्राप्त आय (प्रकृति रकम विनिर्दिष्ट |
| | | i | ग i |
| | | ii | ग ii |
| iii | योग (ग i + ग ii) | 5 ग | |
| घ | कुल छूट प्राप्त आय (5 क + 5 ख + 5 ग iii) | 5 घ | |
| 6 | शेष (1-2 क-2 ख-3 क-3 ख-3 ग-3 घ-4-5 घ) | 6 | |
| 7 | धारा 115खख के अधीन आय/आय प्रभार्य से संबंधित के अन्य शीर्ष अधीन विचारणीय लाभ और हानि में से विकलित व्यय | क | वेतन 7क |
| | | ख | गृह संपत्ति 7ख |
| | | ग | पूँजी अभिलाभ 7ग |
| | | घ | अन्य स्रोत 7घ |
| | | ङ | धारा 115खख के अधीन 7ङ |
| 8 | लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो आय छूट से संबंधित | 8 | |
| 9 | कुल (7 क + 7 ख + 7 ग + 7 घ + 7 ङ + 8) | 9 | |
| 10 | समायोजित लाभ या हानि (6+9) | 10 | |
| 11 | लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और उपकरण | 11 | |
| 12 | आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण | i | धारा 32 (1) (ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची घ ङ त का 12i |
| | | ii | धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अपनी संगणना स्वयं करे और आयकर नियम का परिशिष्ट 1क निर्दिष्ट करें) 12ii |
| | | iii | कुल (12i + 12ii) |
| 13 | अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii) | 13 | |

| | | | |
|----|---|----|--|
| 14 | धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 6द) | 14 | |
| | धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 7 य) | 15 | |
| | धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 8कज) | 16 | |
| | धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 9 च) | 17 | |

| | | | |
|----|--|--|--------------------------------|
| 18 | पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं (भाग क-ओ आई का 11ज) | 18 | |
| 19 | सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उधम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय ब्याज | 19 | |
| 20 | धारा 41 के अधीन समझी गई आय | 20 | |
| 21 | धारा 32कघ/ 32कग/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक/ 35कखक/ 35कग/ 40क(3क)/ 33कग/ 72क/ 80क/ 80-1क के अधीन समझी गई आय | 21 | |
| 22 | धारा 43 ग क के अधीन समझी गई आय | 22 | |
| 23 | धारा 28 से 44घक के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य यद या मर्दे | 23 | |
| 24 | कोई अन्य आय (जिसके अंतर्गत उस से जिसमें कोई व्यक्ति/ हिंदू अविभक्त कुटुंब/ स्वामित्वधारी समुत्थान भागीदार है, वेतन, कमीशन, बोनस और ब्याज से आय भी है जो लाभ और हानि में सम्मिलित नहीं है) | 24 | |
| 25 | कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24) | 25 | |
| 26 | धारा 32 (1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती | 26 | |
| 27 | धारा 32कघ के अधीन अनुज्ञेय योग्य कटौती | 27 | |
| 28 | लाभ और हानि लेखा को विकलित रकम से अधिक में धारा 35 या धारा 35 ग ग या धारा 35 ग ग घ के अधीन कटौतियों की रकम (अनुसूची ड ध द की मद 10 (41) (यदि धारा 35 या धारा 35 ज ग ग या धारा 35 ग ग घ के अधीन कटौती योग्य रकम पी एल लेखा को विकलित रकम से काम है तो यह मद 24 में जाएगी) | 28 | |
| 29 | किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम (भाग क- ओ आई का 8 ख) | 29 | |
| 30 | किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग क-ओ आई का 10 छ) | 30 | |
| 31 | धारा 35 कग के अधीन कटौती | | |
| | क | लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो | 31क |
| | ख | कटौती के रूप में अनुज्ञेय रकम | 31ख |
| | ग | कटौती के रूप में अनुज्ञेय अधिक रकम (31 ख- 31 क) | 31ग |
| 32 | कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम | 32 | |
| 33 | कुल (26 + 27+28 +29 +30+ 31ग+32) | | 33 |
| 34 | आय (13 + 25 - 33) | | 34 |
| 35 | निम्नलिखित के अधीन कारबार या वृत्ति का लाभ या हानि - | | |
| | i | धारा 44कघ | 35i |
| | ii | धारा 44कघक | 35ii |
| | iii | धारा 44कड | 35iii |
| | iv | धारा 44ख | 35iv |
| | v | धारा 44खख | 35v |
| | vi | धारा 44खखक | 35vi |
| | vii | धारा 44खखख | 35vii |
| | viii | धारा 44घ | 35viii |
| | ix | धारा 44घक | 35ix (प्ररूप उ ग ड की मद प) |

| | | | | |
|--|---|---|--------------------|--------------------------------|
| | x | आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची | 35x | |
| | xi | कुल (35i to 35x) | | 35xi |
| 36 | सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34 + 35xi) | | | 36 |
| 37 | सट्टे कारबार से भिन्न कारबार या वृत्तिक से शुद्ध लाभ या हानि और नियम 7 का, 7 ख लागू हाने के पश्चात विनिर्दिष्ट कारबार यदि लागू है (यदि नियम 7 क, ख लागू नहीं है, तो 36 के अनुसार वही अंक भरे) (यदि हानि है तो मद 5 का 2 i से अंक लें) | | | क 37 |
| आ सट्टे के कारबार से आय की संगणना | | | | |
| 38 | लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि | | | 38 |
| 39 | धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन | | | 39 |
| 40 | धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां | | | 40 |
| 41 | अनुमानित कारबार से आय (38 + 39 - 40) (यदि हानि है तो अनुसूची ग च ठ के 6xi से अंक लें) | | | ख 41 |
| इ धारा 35 क घ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना | | | | |
| 42 | लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि | | | 42 |
| 43 | धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन | | | 43 |
| 44 | धारा 28 से धारा 44घक के अनुसार कटौतियां (धारा (i) 35 क छ, (ii) 32 या 35 के अधीन कटौती से भिन्न जिस कटौती का दावा धारा 35 क छ के अधीन किया गया है) | | | 44 |
| 45 | विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (42 + 43 - 44) | | | 45 |
| 46 | धारा 35 क घ(1) या 35 क घ (1 क)के अनुसार कटौतियां | | | 46 |
| 47 | अनुमानित कारबार से आय (45 - 46) (यदि हानि है तो अनुसूची सी एफ एल के 7xi से अंक लें) | | | ग 47 |
| घ | कारबार वृत्तिक से लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (क 37+ ख 41+ ग 47) | | | घ |
| ड चालू वर्ष की कारबार हानि का अन्तः मुजराई शीर्ष | | | | |
| क्र.सं. | कारबार आय का प्रकार | चालू वर्ष की आय (यह स्तंभ तभी भरे जब अंक शून्य या सकारात्मक है) | मुजराई कारबार हानि | मुजराई के पश्चात शेष कारबार आय |
| | | (1) | (2) | (3) = (1) - (2) |
| i | मुजराई किए जाने के लिए हानि (इस पंक्ति को केवल जब भरे यदि अंक नकारात्मक है) | | (क 37) | |
| ii | अनुमानित कारबार से आय | (ख 41) | | |
| iii | विनिर्दिष्ट कारबार से आय | (ग 47) | | |
| iv | मुजरा की गई कुल हानि (ii + iii) | | | |
| v | मुजराई के बाद शेष हानि(i - iv) | | | |

अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन नासतियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय हैं)

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|-------------------|------|-------|------|-----|------|-------|
| संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण | 1 | आस्तियों का ब्लाक | संयंत्र और मशीनरी | | | | | | |
| | 2 | दर (%) | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| | | | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | (vii) |
| | 3 | पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य | | | | | | | |
| | 4 | पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन | | | | | | | |
| | 5 | 3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माचन | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 6 | रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3 + 4 -5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें) | | | | | | |
| 7 | पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन | | | | | | |
| 8 | 7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माचन | | | | | | |
| 9 | रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें) | | | | | | |
| 10 | पूरी दर से 6 पर अवक्षयण | | | | | | |
| 11 | आधी दर से 9 पर अवक्षयण | | | | | | |
| 12 | 4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो | | | | | | |
| 13 | 7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो | | | | | | |
| 14 | आस्ति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर शीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण | | | | | | |
| 15 | कुल अवक्षयण। (10+11+12+13+14) | | | | | | |
| 16 | आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय | | | | | | |
| 17 | धारा 50। के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 -3-4 -7 -16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है) | | | | | | |
| 18 | पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें) | | | | | | |

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

| 1 | आस्तियों का ब्लाक | भवन | | | फनीचर और फिटिंग | अमूर्त आस्तियां | पोत |
|----|--|-----|------|-------|-----------------|-----------------|------|
| | | 5 | 10 | 100 | | | |
| 2 | दर (%) | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) |
| 3 | पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य | | | | | | |
| 4 | पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन | | | | | | |
| 5 | 3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माचन | | | | | | |
| 6 | रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें) | | | | | | |
| 7 | पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन | | | | | | |
| 8 | 7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माचन | | | | | | |
| 9 | रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें) | | | | | | |
| 10 | पूरी दर से 6 पर अवक्षयण | | | | | | |
| 11 | आधी दर से 9 पर अवक्षयण | | | | | | |
| 12 | कुल अवक्षयण। (10+11) | | | | | | |
| 13 | आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय | | | | | | |
| 14 | धारा 50। के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 -3-4 -7 -13) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं है) | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 15 | पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें) | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| अनुसूची आस्तियों पर अवक्षयण का सार | | आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है) | | | | | |
|------------------------------------|---|--|----|--|----|----|--|
| आस्तियों पर अवमूल्यन का सार | 1 | संयंत्र और मशीनरी | | | | | |
| | | क 15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 15i) | 1क | | | | |
| | | ख 30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 15ii) | 1ख | | | | |
| | | ग 40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 15iii) | 1ग | | | | |
| | | घ 50% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 15iv) | 1घ | | | | |
| | | ङ 60% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 15v) | 1ङ | | | | |
| | | च 80% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 15vi) | 1च | | | | |
| | | छ 100% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 15vii) | 1छ | | | | |
| | | ज संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1ङ+1च+1छ) | | | | 1ज | |
| | | 2 भवन | | | | | |
| | क 5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 12i) | 2क | | | | | |
| | ख 10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 12ii) | 2ख | | | | | |
| | ग 100% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 12iii) | 2ग | | | | | |
| | घ भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग)) | | | | 2घ | | |
| | 3 फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 12iv) | | | | 3 | | |
| | 4 अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 12v) | | | | 4 | | |
| | 5 पोत (अनुसूची डीओए 12vi) | | | | 5 | | |
| | 6 कुल अवक्षयण (1ज+2घ+3+4+5) | | | | 6 | | |

| अनुसूची अवक्षणीय आस्तियों के विक्रय पर समझा गया पूंजी अभिलाभ | | अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ | | | | | |
|--|---|--|----|--|--|--|--|
| आस्तियों पर अवमूल्यन का सार | 1 | संयंत्र और मशीनरी | | | | | |
| | | क 15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 17i) | 1क | | | | |
| | | ख 30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 17ii) | 1ख | | | | |
| | | ग 40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 17iii) | 1ग | | | | |
| | | घ 50% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 17iv) | 1घ | | | | |
| | | ङ 60% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 17v) | 1ङ | | | | |
| | | च 80% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 17vi) | 1च | | | | |
| | | छ 100% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 17vii) | 1छ | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|----|----|
| | ज | संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ+1ङ+1च+1छ) | | ज |
| 2 | भवन | | | |
| | क | 5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 14i) | 2क | |
| | ख | 10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 14ii) | 2ख | |
| | ग | 100% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 14iii) | 2ग | |
| | घ | योग (2क+2ख+2ग) | | 2घ |
| 3 | फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची घ ड क 14iv) | | | 3 |
| 4 | अमूर्त आस्तियां (अनुसूची घ ड क 14v) | | | 4 |
| 5 | पोत (अनुसूची घ ड क 14vi) | | | 5 |
| 6 | कुल अवक्षयण (1ज+2घ+3+4+5) | | | 6 |

| अनुसूची इएसआर | | धारा 35 या 35 ग ग ग या 35 ग ग घ के अधीन कटौती | | |
|---------------|--|---|---------------------------|--|
| क्र. सं. | धारा में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यय (1) | लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो (2) | अनुज्ञेय कटौती की रकम (3) | लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) - (2) |
| i | 35(1)(i) | | | |
| ii | 35(1)(ii) | | | |
| iii | 35(1)(iik) | | | |
| iv | 35(1)(iii) | | | |
| v | 35(1)(iv) | | | |
| vi | 35(2अअ) | | | |
| vii | 35(2अआ) | | | |
| viii | 35गगग | | | |
| ix | 35गगघ | | | |
| x | योग | | | |

| अनुसूची पूँजी अभिलाभ | | पूँजी अभिलाभ | | | |
|----------------------|---|---|----------------------------------|---|-------|
| CAPITAL GAINS | अ | अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (एस टी सी जी) (निवासियों के लिए मद 4, 5 और 8 लागू नहीं हैं) | | | |
| | 1 | भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से | | | |
| | | क | i | प्राप्त /प्राप्य प्रति कर का पूर्ण मूल्य | क i |
| | | | ii | स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य | क ii |
| | | | iii | पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क i या क ii) | क iii |
| | | ख | धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ | | |
| | | | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | ख i |
| | | | ii | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | ख ii |
| | | | iii | अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय | ख iii |
| | | iv | योग (ख i + ख ii + ख iii) | ख iv | |
| | | ग | शेष (क iii - ख iv) | | 1 ग |
| | घ | धारा के अधीन कटौतियाँ 54 ख /54 ग / 54 छ /54 ज क (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें) | | 1 घ | |
| | ङ | स्थावर संपत्ति पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ) | | क 1 ङ | |
| | 2 | विक्रय गिरावट से | | | |
| | | क | प्रतिकर का पूर्ण मूल्य | 2 क (प्ररूप 3 ज ड क का 5) | |
| ख | | | उपक्रम या प्रभाग की निबल संपत्ति | 2 ख (प्ररूप 3 ज ड क का 6 (ङ)) | |
| ग | गिरावट विक्रय से अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (2 क -2 ख) | | क 2 ग | | |
| 3 | इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (ऊ II के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---|---|-------|-------|--|
| 4 | क | प्रतिकर का पूर्ण मूल्य | 3 क | | | |
| | ख | धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ | | | | |
| | ग | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | ख i | | |
| | | ii | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | ख ii | | |
| | | iii | अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय | ख iii | | |
| | | iv | योग(i + ii + iii) | ख iv | | |
| | घ | शेष (3 क - ख iv) | 3 ग | | | |
| | ङ | धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अनुज्ञात की जाने वाली हानि- उदहारण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/ बोनस यूनिटे प्राप्त की जाती है तब ऐसी आस्ति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवल सार्थक मूल्य भरें) | 3 घ | | | |
| | ड | साम्या शेष या साम्या उनमूख ड च (संदद एस टी टी) पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ(3 क +3 घ) | | | क 3 ड | |
| | क | अनिवासी के लिए जो च II नहीं हैं - किसी भारतीय कम्पनी के शेयरों या लाभांश की विक्री से (धारा 48 के पहले परन्तुक के अधीन विदेशी विनमय के साथ गणना की जाय) | | | | |
| ख | उन संव्यवहारों पर एस टी सी जी जिनपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एस टी टी) संदत्त हैं | | | क 4 क | | |
| ख | उन संव्यवहारों पर एस टी सी जी जिनपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एस टी टी) संदत्त नहीं हैं | | | A4 ख | | |
| 5 | अनिवासियों के लिए -115 क घ से अनुसार किसी एफ ii द्वारा प्रतिभूतियों (उपर क तीन से भिन्.) के विक्रय से | | | | | |
| 6 | क | प्रतिकर का पूर्ण मूल्य | 5 क | | | |
| | ख | धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ | | | | |
| | ग | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | ख i | | |
| | | ii | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | ख ii | | |
| | | iii | अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय | ख iii | | |
| | | iv | योग (i + ii + iii) | ख iv | | |
| | घ | शेष (5 क - ख iv) | 5 ग | | | |
| | घ | धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अनुज्ञात की जाने वाली हानि- उदहारण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/ बोनस यूनिटे प्राप्त की जाती है तब ऐसी आस्ति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवल सार्थक मूल्य भरें) | 5 घ | | | |
| | ङ | एफ ii द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (उपर क 3 से भिन्) +5 घ) | क 5 ड | | | |
| | क | उपर क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से | | | | |
| क | प्रतिकर का पूर्ण मूल्य | 6 क | | | | |
| ख | धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ | | | | | |
| ग | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | ख i | | | |
| | ii | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | ख ii | | | |
| | iii | अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय | ख iii | | | |
| | iv | योग (i + ii + iii) | ख iv | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|
| 7 | ग | शेष (6 क - ख iv) | 6 ग | | |
| | घ | धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अनुज्ञात की जाने वाली हानि- उदहारण के लिए यदि प्रतिभूति अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/ बोनस यूनिटे प्राप्त की जाती है तब ऐसी प्रतिभूति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवल सार्थक मूल्य भरें) | 6 घ | | |
| | ङ | अवक्षयण योग्य आस्तियों पर समझा गया अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजी का 6) | 6ङ | | |
| | च | धारा के अधीन कटौति 54 ग /54 छ /54 च क | 6च | | |
| | छ | उपर क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एस टी सी जी (6ग + 6घ + 6ङ + 6च) | क 6छ | | |
| 7 | लघु अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि | | | | |
| क | क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूँजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूँजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? | | | | |
| | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं | | | | |
| | क्रम सं. | पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई हैं | वह धारा जिसके अधीन उक्त वर्ष में कटौती का दावा किया गया है | नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं | नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूँजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि |
| i | 2013-14 | 54घ/54छ/54चक | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|---|---|--|--|------------------|-------------------------|--|
| | ii | 2014-15 | 54ख | | | | | | |
| | ख | धारा 54 ख /54 घ /54 छ / 54 छ क से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि | | | | | | | |
| | | लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi+ xii + ख) | | | | | | | |
| | 8 | अनिवासी के लिए - एसटीसीजी जिसमें क1-क7 सम्मिलित है परंतु डीटीए के अधीन भारत में कर प्रभार्य नहीं है | | | | | | | |
| | | क्रम सं. | देश का नाम, कोड | डीटीए का अनुच्छेद | क्या निवास का प्रमाणपत्र प्राप्त किया है ? | उपरोक्त जिसमें मद सं. क1 से क6 सम्मिलित है | एसटीसीजी की राशि | | |
| | | I | | | | क1 ड/क2ग /क3ड/क4क/क4ख/क5ड/क6छ/क7 | | | |
| | | II | | | | क1 ड/क2ग /क3ड/क4क/क4ख/क5ड /क6छ/क7 | | | |
| | III | डीटीए के अधीन एसटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि | | | | | | | |
| | | | | | | | | क8 | |
| | 9 | कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (क 1 ड + क 2 ग + क 3 ड + क 4 क + क 4 ख + क 5 ड + क 6 छ + क 7 - क 8) | | | | | | | |
| | | | | | | | | क9 | |
| | ख | दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (एल टी सी जी) (मद 5, 6, 7 और 10 निवासियों में लागू नहीं है) | | | | | | | |
| | 1 | भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से | | | | | | | |
| | | क | i | प्राप्त /प्राप्त प्रतिकर पूर्ण मूल्य | | | | क i | |
| | | | ii | स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का पूर्ण मूल्य | | | | क ii | |
| | | | iii | पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क i या क ii) | | | | क iii | |
| | ख | धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ | | | | | | | |
| | | | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | | | | ख i | |
| | | | ii | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | | | | ख ii | |
| | | | iii | अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय | | | | ख iii | |
| | | | iv | योग (ख i + ख ii + ख iii) | | | | ख iv | |
| | ग | शेष (क iii - ख iv) | | | | | | | |
| | | | | 1 ग | | | | | |
| | घ | धारा 54/54ख /54घ /54ड/54ड/54च /54 छ /54 छ क /54 छ ख के अधीन कटौतियाँ (नीचे मद घ में ब्यौरो विनिर्दिष्ट करें) | | | | | | | |
| | | | | 1 घ | | | | | |
| | ड | स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ) | | | | | | | |
| | | | | | | | | ख 1 ड | |
| | 2 | विक्रय गिरावट से | | | | | | | |
| | | क | प्रतिकर का पूर्ण मूल्य | | | | 2 क | (प्ररूप 3 CEA का 5) | |
| | | ख | उपक्रम या प्रभाग की निबल संपत्ति | | | | 2 ख | (प्ररूप 3 CEA का 6 (ड) | |
| | | ग | शेष (2 क - 2 ख) | | | | 2 ग | | |
| | | घ | धारा 54ड ग /54ड/ 54घ के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरो विनिर्दिष्ट करें) | | | | 2 घ | | |
| | ड | गिरावट विक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (2 ग -2 घ) | | | | | | | |
| | | | | | | | | ख 2 ड | |
| | 3 | बन्ध पत्र या डिवेन्चर से के विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीबद्ध बन्ध पत्रों भिन्) | | | | | | | |
| | | क | प्रतिकर का पूर्ण मूल्य | | | | 3 क | | |
| | | ख | धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ | | | | | | |
| | | | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | | | | ख i | |
| | | | ii | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | | | | ख ii | |
| | | | iii | अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय | | | | ख iii | |
| | | | iv | योग (ख i + ख ii + ख iii) | | | | ख iv | |
| | ग | शेष (3 क - ख iv) | | | | | | | |
| | | | | 3 ग | | | | | |
| | घ | धारा 54 ड ग /54ड/ 54घ के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरो विनिर्दिष्ट करें) | | | | | | | |
| | | | | 3 घ | | | | | |
| | ड | बन्ध पत्रों या डिवेन्चर पर एस टी सी जी (3 ग - 3 घ) | | | | | | | |
| | | | | | | | | ख 3 ड डू | |

| | | | | |
|--------------------------|--|--|-------|-------|
| 4 | (i) सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ (किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंधपत्र, जहां धारा 112 (1) का परंतुक लागू है) (ii) धारा 115कगक में निर्दिष्ट किसी भारतीय कंपनी का जीडीआर, के विक्रय से | | | |
| | क | प्रतिकर का पूर्ण मूल्य | 4 क | |
| | ख | धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ | | |
| | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | ख i | |
| | | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | ख ii | |
| | | अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय | ख iii | |
| | | योग (ख i + ख ii + ख iii) | ख iv | |
| | ग | शेष (4 क - ख iv) | 4 ग | |
| | घ | धारा 54 ड ग /54डड / 54 च के अधीन कटौति (नीचे मद घ में ब्यौरो विनिर्दिष्ट करें) | 4 घ | |
| | ड | उपर बी 4 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाम (4ग-4घ) | | ख 4ड |
| 5 | अनिवासियों के लिए - भारतीय कम्पनी के शेयरों या डिबेन्चर के विक्रय से (धारा 48 के पहले परन्तुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ गणना की जाए) | | | |
| | क | सूचीकरण फायदे के बिना गणना की गई एलटीसीजी | 5क | |
| | ख | धारा 54 ड ग /54डड/ 54 च के अधीन कटौति (नीचे मद घ में ब्यौरो विनिर्दिष्ट करें) | 5ख | |
| | ग | शेयर या डिबेन्चर पर एलटीसीजी (5क-5ख) | | ख5ग |
| 6 | (i) सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ या यूनिटें या शून्य कूपन बंधपत्र जहां धारा 112(1) के अधीन परंतुक लागू है (सूचीकरण फायदे के बिना 10 प्रतिशत की दरपर कराधेय (ii) धारा 115 क ग क में निर्दिष्ट भारतीय कंपनी का व जी डी आर के विक्रय से | | | |
| | क | प्रतिकर का पूर्ण मूल्य | 6 क | |
| | ख | धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ | | |
| | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | ख i | |
| | | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | ख ii | |
| | | अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय | ख iii | |
| | | योग (ख i + ख ii + ख iii) | ख iv | |
| | ग | शेष (6 क - ख iv) | 6 ग | |
| | घ | धारा 54 ड ग /54डड/ 54 च के अधीन कटौति (नीचे मद घ में ब्यौरो विनिर्दिष्ट करें) | 6द | |
| | ड | अनिवासियों के मामले में उपर 6की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाम (6 ग - 6 घ) | | ख 6ड |
| 7 | अनिवासी भारतीय द्वारा विदेशी मुद्रा आस्ति के विक्रय से (यदि अध्याय 7क के अधीन विकल्प दिया गया है) | | | |
| | क | विनिर्दिष्ट आस्ति के विक्रय पर एलटीसीजी (सूचीकरण के बिना गणना की गई) | 7 क | |
| | ख | धारा 115च के अधीन कटौती घटाए (नीचे मद घ में ब्यौरो विनिर्दिष्ट करें) | 7 ख | |
| | ग | विनिर्दिष्ट आस्ति के विक्रय पर शेष एलटीसीजी (7 क - 7 ख) | | ख 7 ग |
| | घ | विनिर्दिष्ट आस्ति से भिन्न आस्ति के विक्रय पर एलटीसीजी | 7 ग | |
| | ड | धारा 115च के अधीन कटौती घटाए (नीचे मद घ में ब्यौरो विनिर्दिष्ट करें) | 7ड | |
| | च | विनिर्दिष्ट आस्ति से भिन्न आस्ति के विक्रय पर शेष एलटीसीजी (7 ग - 7ड) | | ख 7 च |
| 8 | उपर जहां पी-1 से पी -7 तक लागू नहीं है वहा आस्तियों के विक्रय से | | | |
| | क | प्रतिकर का पूर्ण मूल्य | 8 क | |
| | ख | धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ | | |
| | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | ख i | |
| | | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | ख ii | |
| | | अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय | ख iii | |
| योग (ख i + ख ii + ख iii) | | ख iv | | |

| | | | | | | | | |
|--|----|---|--|---|--|---|---|-----|
| | | ग | शेष (8 क - ख iv) | | | 8 ग | | |
| | | घ | धारा 54 घ/54 ड ग /54डड / 54 च/54 छ/54 छ क के अधीन कटौती (मद घ में ब्योरो विनिदिष्ट करें) | | | 8 घ | | |
| | | ड | उपर ख 8 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (8 ग - 8घ) | | | ख 8ड | | |
| | 9 | दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि | | | | | | |
| | | क | क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्योरा उपलब्ध कराएं | | | | | |
| | | क्रम सं. | पूर्व वर्ष जिसमें अंतरित की गई है | वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें दावा कटौती का दावा किया गया है। | नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं | पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि | नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि | |
| | | i | 2013-14 | 54/54घ/54छ/54छक | | | | |
| | | ii | 2014-15 | 54ख | | | | |
| | | ख | क' से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि | | | | | |
| | | | दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi+xii+ख) | | | | | ख9 |
| | 10 | अनिवासी के लिए - एलटीसीजी जिसमें ख1-ख9 सम्मिलित है परंतु डीटीएए के अधीन कर भारत में प्रभाय नहीं है | | | | | | |
| | | क्रम सं. | देश का नाम, कोड | डीटीएए का अनुच्छेद | क्या निवास कर प्रमाणपत्र प्राप्त किया हुआ है? | उपरोक्त जिसमें मद सं. ख1 से ख9 सम्मिलित है | एलटीसीजी का राशि | |
| | | I | | | | ख1 ड/ख2 ड/ख3 ड/ख4 ड /ख5 च/ख6 ड/ख7 ग/ ख7 च/ख8 ड/ख9 | | |
| | | II | | | | ख1 ड/ख2 ड/ख3 ड/ख4 ड /ख5 च/ख6 ड/ख7 ग/ ख7 च/ख8 ड/ख9 | | |
| | | III | डीटीएए के अधीन एलटीसीजी प्रभाय कर की कुल राशि | | | | | ख10 |
| | 11 | आयकर अधिनियम के अधीन प्रभाय कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (ख1ड +ख2ड +ख3ड +ख4ड +ख5ग+ ख6ड + ख7ग + ख7च +ख8ड +ख9- ख10) (हानि की दशा में अनुसूची सीएफएल से 9भ i के अंक लें) | | | | | | ख10 |
| | ग | “पूंजी अभिलाभ ” शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (क 9 + ख 11) (शून्य के रूप में ख 11 ले यदि हानि है) | | | | | | ग |
| | घ | दाबा की गई कटौती के बारे में जानकारी | | | | | | |
| | | 1 | धारा 54/54 ख /54 घ/ 54डग /54डड /54 च/54 छ/54 छक /54छ ख /115 च के अधीन कटौती के मामलों में निम्नलिखित ब्योरे दें | | | | | |
| | | क | वह धारा जिसके अधीन कटौती का दावा किया है | | | 1 क | कटौती की रकम | |
| | | i | नई आस्ति की लागत | | | क i | | |
| | | ii | इसके अर्जन/संनिर्माण की तारीख | | | क ii | दिन/मास/वर्ष | |
| | | iii | संयक तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम | | | क iii | | |
| | | ख | वह धारा जिसके अधीन कटौती का दावा किया है | | | 1 ख | कटौती की रकम | |
| | | i | नई आस्ति की लागत | | | ख i | | |
| | | ii | इसके अर्जन/संनिर्माण की तारीख | | | ख ii | दिन/मास/वर्ष | |
| | | iii | सम्यक तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम | | | ख iii | | |
| | | ग | दावा कृत कटौती का योग (1 क + 1 ख) | | | 1 ग | | |
| | 2 | धारा 54 छ ख की अधीन कटौती की दशा में कम्पनी का पेन भरें | | | | | | |
| | उ | चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ के साथ वर्तमान वर्ष की पूंजी हानि का मुजरा (क-8 और ख-10 में सम्मिलित डीटीएए के अधीन प्रभाय रकम के सिवाय) | | | | | | |

| क्रम सं. | पूँजी अभिलाभ का प्रकार | चालू वर्ष का अभिलाभ (यदि गणनात्मक अंक घनात्मक है तो केवल इसे भरें) | अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ हानि का मुजरा | | | | दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ हानि का मुजरा | | मुजराई के पश्चात् चालू वर्ष का अतिशेष पूँजी अभिलाभ (7= 1-2-3-4-5-6) |
|----------|--|--|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------|--|---|---|
| | | | 15% | 30% | लागू दर | 10% | 20% | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| i | मुजराई के पश्चात् हानि (इस पंक्ति को भरें यदि गणना किए गए अंक नकारात्मक हैं) → | | (क 3इ+ क 4 क) | क 5इ | (क 1इ+ क 2 ग + क 4 ख + क 6 छ + क 7) | (ख 4 इ+ख 6 इ+ ख 7 ग) | (ख 1 इ+ ख 2 इ+ ख 3 इ+ ख 5च + ख 7 च + ख 8 इ+ ख 9) | | |
| ii | 15% | (क 3इ+ क 4 क) | | | | | | | |
| iii | अल्पकालिक पूँजी | 30% | क 5इ | | | | | | |
| iv | अभिलाभ | लागू दर | (क 1इ+ क 2 ग + क 4 ख + क 6 छ + क 7) | | | | | | |
| v | दीर्घकालिक | 10% | (ख 4इ+ ख 6इ+ ख 7 ग) | | | | | | |
| vi | पूँजी अभिलाभ | 20% | (ख 1इ+ ख 2इ+ ख 3इ+ ख 5च + ख 7 च + ख 8इ+ ख 9) | | | | | | |
| vii | कुल हानि मुजरा (ii + iii + iv + v + vi) | | | | | | | | |
| viii | मुजरा के पश्चात् शेष हानि (i - vii) | | | | | | | | |
| | पूँजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख | | 15/6 तक (i) | 16/6 से 15/9 (ii) | 16/9 से 15/12 (iii) | 16/12 से 15/3 (iv) | 16/3 से 31/3 (v) | | |
| 1 | 15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची ख च ठ क की मद 5 vi से मूल्य भरें, यदि कोई हैं | | | | | | | | |
| 2 | 30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची ख च ठ क की मद 5 vii से मूल्य भरें, यदि कोई हैं | | | | | | | | |
| 3 | लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची ख च ठ क की मद 5 viii से मूल्य भरें, यदि कोई हैं | | | | | | | | |
| 4 | 10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची ख च ठ क की मद 5 ix से मूल्य भरें, यदि कोई हैं | | | | | | | | |
| 5 | 20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची ख च ठ क की मद 5 x से मूल्य भरें, यदि कोई हैं | | | | | | | | |

टिप्पण कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय अनुसूची घ त झ विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें

| अनुसूची - अन्य स्रोत | | अन्य स्रोतों से आय | |
|----------------------|-----------------------------|--|-------|
| अन्य स्रोत | 1 आय | | |
| | क | लाभाना, सकल | 1क |
| | ख | ब्याज, सकल | 1ख |
| | ग | मशीनरी, संयंत्र, भवन के किराए से आय | 1ग |
| | घ | अन्य, सकल (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से होने वाली आय को छोड़कर) प्रकृति का उल्लेख | |
| | i | लॉटरी, वर्ग पहली आदि से जीत के द्वारा आय | 1घi |
| | ii | क धारा 68 के अधीन नकद प्रत्यय | |
| | ख | धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिवेश | |
| | ग | धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत रकम इत्यादि | |
| | घ | धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिवेश इत्यादि | |
| | इ | धारा 69ग के अधीन अस्पष्टीकृत व्यय इत्यादि | |
| | च | धारा 69घ के अधीन हुंडी पर प्रतिसंदत्त या उधार ली गई | |
| | | कुल (क + ख + ग + घ + इ+ च) | 1घii |
| | iii | | 1घiii |
| | iv | | 1घiv |
| v | कुल (1घi+1घii+1घiii + 1घiv) | 1घv | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|--|--------|--|------------|
| | ड | योग (1क+1ख+1ग+1घ+1च) | | | | | | 1ड | | |
| | च | विशेष दर पर कर को प्रभाय "ड" में सम्मिलित आय (अनुसूची एसआई में लिया जाय) | | | | | | | | |
| | i | लॉटरी, वर्ग पहली, खेल, द्यूत, शर्त लगाने आदि से जीत के द्वारा आय (115 खख के अधीन) | | | | | | 1च i | | |
| | ii | देशी कंपनी से लाभांश आय जो 10 लाख से अधिक है (धारा 115खखघक के अधीन) | | | | | | 1च ii | | |
| | iii | धारा 115खखड के अधीन कर प्रभाय के लिए समझी गई आय | | | | | | 1च iii | | |
| | iv | धारा 115खखच के अधीन पेटेंट प्रभाय से आय | | | | | | 1च iv | | |
| | v | अध्याय XII/XII के अधीन कोई अन्य आय, जो कि विनिर्दिष्ट दर पर कर प्रभाय है | | | | | | 1च v | | |
| | vi | अनिवासी के लिए - डीटीए के अधीन कर के लिए प्रभाय आय | | | | | | | | |
| | | क्रम स. | देश का नाम, कोड | डीटीए का अनुच्छेद | डीटीए के अधीन कर दर | क्या टीआरसी प्राप्त किया गया है | अधिनियम की तत्स्थानी धारा जिसमें विहित दर है | | | आय की राशि |
| | I | | | | | | | | | |
| | II | | | | | | | | | |
| | III | डीटीए के अधीन कर के लिए आय की कुल राशि | | | | | | 1चvi | | |
| | vii | विशेष दर पर कर को प्रभाय "1ड" में सम्मिलित आय (1च i + 1च ii + 1च iii + 1च iv + 1च v + 1चvi) | | | | | | 1चvii | | |
| | छ | सामान्य लागू दरों पर कर को प्रभाय सकल रकम (1ड - 1चvii) | | | | | | 1ज | | |
| | ज | धारा 57 के अधीन कटौतियां (1च i, 1चii, 1चiii, 1चiv, 1चv और 1चvi के अधीन उससे संबंधित आय से भिन्न) | | | | | | | | |
| | i | व्यय/कटौती | | | | जा | | | | |
| | ii | अवक्षयण | | | | जii | | | | |
| | iii | योग | | | | जiii | | | | |
| | झ | अन्य स्रोत से आय (स्वयं की घुड दौड से भिन्न और विशेष दर पर कर को प्रभाय रकम 1 छ - जiii) (यदि नकारात्मक है तो (अनुसूची सीवाईएलए के 4 i से अंक लें)) | | | | | | 1झ | | |
| | 2 | अन्य स्रोतों से आय (दौड के घोडों के स्वामित्व से भिन्न) (1 च iv + 1i) | | | | | | 2 | | |
| | 3 | दौड के घोडों के स्वामित्व और उनको रखने से आय | | | | | | | | |
| | क | प्राप्तियां | | | | 3क | | | | |
| ख | (4) के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां | | | | 3ख | | | | | |
| ग | शेष (3क - 3ख) (यदि नकारात्मक है तो (अनुसूची सीएफएलए के 10xi से अंक लें)) | | | | | | 3ग | | | |
| 4 | "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (2 + 3 ग) (शून्य के रूप में 3 ग ले यदि नकारात्मक है) | | | | | | 4 | | | |

टिप्पण ► इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय कृपया अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय को सम्मिलित करें

| अनुसूची सीवाईएलए | | चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्योरे | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------------------------------------|
| क्र. सं. | शीर्ष/ आय का स्रोत | चालू वर्ष की आय (इस स्तम्भ को तब भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो) | चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्तियों की हानि | चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी से भिन्न) कारबार हानि | चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुडदौड से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रोतों से हानि | मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1-2-3-4 |
| i | मुजरा किए जाने के लिए हानि | | (अनुसूची ज त का 3 ख) | (अनुसूची ख त की मद ड का 2v) | (अनुसूची ग द का 1i) | |
| ii | वेतन | (अनुसूची द का 6) | | | | |
| iii | गृह संपत्तियां | (अनुसूची ज त का 3ख) | | | | |
| iv | कारबार से आय (विनिर्दिष्ट कारबार से सट्टे पर लाभ और आय को अपवर्जित करते हुए) या वृत्ति | (अनुसूची ख त का 37) | | | | |
| v | सट्टेबाजी से आय | (अनुसूची ग छ की मद ड का 3 ii) | | | | |
| vi | विनिर्दिष्ट कारबार से आय | (अनुसूची ग छ की मद ड का 3 iii) | | | | |
| vii | 15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची ग छ की मद ड का 7 ii) | | | | |
| viii | 30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची ग छ की मद ड का 7 iii) | | | | |
| ix | लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची ग छ की मद ड का 7 iv) | | | | |
| x | 10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची ग छ की मद ड का 7 v) | | | | |
| xi | 20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची ग छ की मद ड का 7 vi) | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|
| x | अनुसूची बीएफएलए में पूर्वोक्त हानियों का समायोजन | | (अनुसूची बीएफएलए का 2ii) | (अनुसूची बीएफएलए का 2iii) | (अनुसूची बीएफएलए का 2iv) | (अनुसूची बीएफएलए का 2 v) | | (अनुसूची बीएफएलए का 2xii) | |
| | 2017-18 (चालू वर्ष की हानियां) | | (अनुसूची बीएफएलए का 2xv) | (अनुसूची बीएफएलए का 3xv) | (अनुसूची वीपी का 41, यदि व ३) | (अनुसूची वीपी का 47, यदि व ३) | (अनुसूची सीजी की मद ३ 2viii+3viii+4viii) | (अनुसूची सीजी की मद ३ 5viii+6viii) | (अनुसूची ओएस का 3ग यदि - वीई) |
| | अगले वर्षों में अग्रणीत की गई कुल हानि (ix - x + xi) | | | | | | | | |

अनुसूची अ.अ

धारा 35(4) के अधीन अनुवशोषित क्षयण और भत्ते

| क्र. सं. | निर्धारण वर्ष | अवक्षयण | | | धारा 35(4) के अधीन भत्ते | | |
|----------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|
| | | अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम | चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम | अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया | अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम | चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम | अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| i | चालू निर्धारण वर्ष | | | | | | |
| ii | | | | | | | |
| iii | | | | | | | |
| iv | | | | | | | |
| v | योग | | (बीएफएलए का 3xiii) | | | (बीएफएलए का 4xiii) | |

अनुसूची आ.स.प्र.मा.

लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव

| क्रम.स. | आ.स.प्र.मा. | रकम (+) या (-) |
|---------|---|----------------|
| (i) | (ii) | (iii) |
| I | लेखा नीति | |
| II | तालिकाओं का मूल्यांकन | |
| III | संनिर्माण संविदाएं | |
| IV | राजस्व मान्यता | |
| V | मूर्त नियत आस्तियां | |
| VI | विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन | |
| VII | सरकारी अनुदान | |
| VIII | प्रतिभूतियां | |
| IX | उधार लेने की लागत | |
| X | समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था | |
| XI | कुल सकल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | |

अनुसूची - 10 क

धारा 10 क के अधीन कटौती

| क्र.स. | उपक्रम | वह निर्धारण वर्ष जिसमें यूनिट विनिर्माण/उत्पादन करना आरम्भ करती है | क्र.स. | कटौती की रकम | |
|--------|-----------------------------------|--|--------|--|---|
| | | | | | क |
| क | उपक्रम संख्या 1 | | क | (उपक्रम 1 के लिए प्रस्म 56च के उपाबंध क की मद 17) | |
| ख | उपक्रम संख्या 2 | | ख | (उपक्रम 2 के लिए प्रस्म 56च के उपाबंध क की मद 17) | |
| ग | धारा 10क के अधीन कुल कटौती (क+ ख) | | | | ग |

| अनुसूची - 10कक | | धारा 10कक के अधीन कटौती | | |
|------------------------------------|--|-------------------------|---|-------|
| धारा 10कक के अधीन कटौती | विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती | | | |
| | क्र.स | उपक्रम | वह निर्धारण वर्ष जिसमें यूनिट विनिर्माण उत्पादन/ सेवा प्रदान करना आरम्भ करती है | क्र.स |
| | क | उपक्रम संख्या 1 | | क |
| | ख | उपक्रम संख्या 2 | | ख |
| धारा 10कक के अधीन कुल कटौती (क+ ख) | | | | ग |

| अनुसूची - 80 छ | | धारा 80छ के अधीन कटौती के लिए हकदार संदानों के ब्यौरे | | |
|-------------------|---|--|--------------------|--------------------|
| संदानों के ब्यौरे | क | पात्रता सीमा के बगैर 100% कटौती के लिए हकदार संदान | | |
| | | आदाता का नाम और पता | | आदाता का पैना |
| | | | | संदान की रकम |
| | | | | पात्र संदान की रकम |
| | | i | | |
| | | ii | | |
| | | योग | | |
| | | iii | | |
| | ख | पात्रता सीमा के बगैर 50% कटौती के लिए हकदार संदान | | |
| | | आदाता का नाम और पता | | आदाता का पैना |
| | | | | संदान की रकम |
| | | | | पात्र संदान की रकम |
| | | i | | |
| | | ii | | |
| | | iii | योग | |
| | ग | पात्रता सीमा के अध्याधीन 100% कटौती के लिए हकदार संदान | | |
| | आदाता का नाम और पता | | आदाता का पैना | |
| | | | संदान की रकम | |
| | | | पात्र संदान की रकम | |
| | i | | | |
| | ii | | | |
| | iii | योग | | |
| घ | पात्रता सीमा के अध्याधीन 50% कटौती के लिए हकदार संदान | | | |
| | आदाता का नाम और पता | | आदाता का पैना | |
| | | | संदान की रकम | |
| | | | पात्र संदान की रकम | |
| | i | | | |
| | ii | | | |
| | iii | योग | | |
| ङ | कुल संदानों की कुल पात्र रकम (कiii + खiii + गiii + घiii) | | | |

| अनुसूची - 80झक | | धारा 80झक के अधीन कटौतियां | | |
|----------------|---|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| क | धारा 80झक(4)(ii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (दूरसंचार सुविधा) | क 1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30) |
| | | क 2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30) |
| ख | धारा 80झक(4)(iii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (विशेष आर्थिक जोनों में औद्योगिक पार्क) | ख 1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30) |
| | | ख 2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30) |
| ग | धारा 80झक(4)(iv) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (विद्युत) | ग 1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30) |
| | | ग 2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30) |
| घ | धारा 80झक(4)(v) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (विद्युत उत्पादन संयंत्र का पुनरुज्जीवन) और धारा 80झक(4)(vi) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभ की बाबत कटौती (पूरे देश में प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क) | घ 1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30) |
| | | घ 2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30) |
| ङ | धारा 80झक के अधीन कुल कटौतियां (क1 + क2 + ख1 + ख2 + ग1 + ग2 + घ1 + घ2) | | | च |

| अनुसूची-80- झख | | धारा 80झख के अधीन कटौतियां | | | |
|----------------------------|---|--|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| धारा 80झख के अधीन कटौतियां | क | जम्मू-कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80झख(4)) | क1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30) |
| | | | क2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30) |
| | ख | आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80झख(4)) | ख1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30) |
| | | | ख2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30) |
| | ग | औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80झख(5)) | ग1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30) |
| | | | ग2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30) |
| | घ | माल्टीप्लैक्स थिथटरों की बाबत कटौतियां (धारा 80झख(7 क)) | घ1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v)) |
| | | | घ2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v)) |
| | ङ | पारंपरिक केन्द्रों की बाबत कटौतियां (धारा 80झख(7ख)) | ङ1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v)) |
| | | | ङ2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v)) |
| | च | ऐसे उपक्रमों की दशा में जो वाणिज्यिक रूप से उत्पादन या खनिज तेल के परिष्करण का कार्य आरम्भ कर देते हैं कटौतियां (धारा 80झख(9)) | च1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30) |
| | | | च2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30) |
| | छ | ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियां जो भवन आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगे हुए हैं (धारा 80झख(10)) | छ1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30) |
| | | | छ2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30) |
| | ज | ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियां जो प्रशीतन श्रृंखला सुविधाओं के प्रचालन में लगे हुए हैं (धारा 80झख(11)) | ज1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30) |
| | | | ज2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30) |
| | झ | पङ्गुलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेजिंग में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियां (धारा 80झख(11क)) | झ1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30) |
| | | | झ2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30) |
| | ञ | खाद्यानों, उठाई-धराई भंडारण और परिवहन के कारबार में लगे हुए उपक्रम की दशा कटौती (धारा 80झख(11 क)) | ञ1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30) |
| | | | ञ2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30) |
| ट | ग्रामीण हस्पताल के प्रचालन और रखरखाव में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियां (धारा 80झख(11 ख)) | ट1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30) | |
| | | ट2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30) | |
| ठ | अन्य अपवर्जित क्षेत्रों के अलावा किसी क्षेत्र में किसी अस्पताल को चलाने और व्यवस्थित करने में लगे एक उपक्रम के मामले में कटौती धारा 80झख(11ग) | ठ1 | उपक्रम संख्या 1 | (प्ररूप 10 गगख ग का 11(v)) | |
| | | ठ2 | उपक्रम संख्या 2 | (प्ररूप 10 गगख ग का 11(v)) | |
| ड | धारा 80झख के अधीन कुल कटौतियां (क1 से ट2 का योग) | | | | ड |

| अनुसूची-80- झग या 80झङ | | धारा 80झग या 80 झङ के अधीन कटौतियां | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|----|-----------------|---------------------------------|--|----|----------------|-----|-----------------|-------------------------------|
| धारा 80झख के अधीन कटौतियां | क | सिक्किम में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियां | क1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद | | | | | | |
| | | | क2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद | | | | | | |
| | ख | हिमाचल प्रदेश में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियां | ख1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद | | | | | | |
| | | | ख2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद | | | | | | |
| | ग | उत्तरांचल में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियां | ग1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद | | | | | | |
| | | | ग1 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद | | | | | | |
| | घ | पूर्वोत्तर में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियां | | | | | | | | | |
| | | | | | | | घक | असम | घक1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप गगख का 30) |
| | | | | | | | घक | अरुणाचल प्रदेश | घख1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप गगख का 30) |

| | | | | | | | | | |
|--|----|--|-----|-----------------|-------------------------------|--|-----|-----------------|-------------------------------|
| | घग | मणिपुर | घख2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप गगख का 30) | | | | |
| | | | घग1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप गगख का 30) | | | | |
| | घघ | मिजोरम | घग2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप गगख का 30) | | घघ1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप गगख का 30) |
| | | | घघ2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप गगख का 30) | | | घघ2 | उपक्रम संख्या 2 |
| | घङ | मेघालय | घङ1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप गगख का 30) | | घङ1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप गगख का 30) |
| | | | घङ2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप गगख का 30) | | | घङ2 | उपक्रम संख्या 2 |
| | घच | नागालैंड | घच1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप गगख का 30) | | घच1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप गगख का 30) |
| | | | घच2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप गगख का 30) | | | घच2 | उपक्रम संख्या 2 |
| | घछ | त्रिपुरा | घछ1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप गगख का 30) | | घछ1 | उपक्रम संख्या 1 | (उपक्रम के प्ररूप गगख का 30) |
| | | | घछ2 | उपक्रम संख्या 2 | (उपक्रम के प्ररूप गगख का 30) | | | घछ2 | उपक्रम संख्या 2 |
| | घज | पूर्वोत्तर में अवस्थित कुल कटौतियां (घ का 1 से घछ 2 का योग) | | | | | घज | | |
| | ङ | धारा 80झग या 80झड के अधीन कुल कटौतियां (क + घ+ ग + घज) | | | | | ङ | | |

| | | | | |
|---|--|---|---------------|--|
| अनुसूची-6 क | | अध्याय 6 क के अधीन कटौतियां | | |
| कुल कटौतियां | 1 | भाग ख- भ ख कतिपय संदार्यों की बावत कटौती | | |
| | क | 80 ग | ख 80 गगग | |
| | ग | 80गगघ(1) | घ 80 गगघ (1ख) | |
| | ङ | 80गगघ(2) | च 80गगछ | |
| | छ | 80 घ | ज 80घघ | |
| | झ | 80 घघख | ञ 80 ङ | |
| | ट | 80 ङ ङ | र 80 छ | |
| | ड | 80छछ | ढ 80 छछग | |
| | भाग ख के अधीन कुल कटौती (क से ङ का योग) | | 1 | |
| | 2 | भाग ग - कतिपय आय/अन्य कटौती की बावत कटौती | | |
| | ण | 80- झक (अनुसूची 80 झक का ङ) | त 80- झकख | |
| | थ | 80- झख (अनुसूची 80 झख का ङ) | द 80- झखक | |
| ध | 80झग/ 80झड (अनुसूची 80 झग /80झड का ङ) | न 80- झघ (प्ररूप 10 गगखखक की मद 10 ङ) | | |
| प | 80जक | फ 80जकक | | |
| ब | 80 थथख | भ 80 ददख | | |
| भाग ग के अधीन कुल कटौती (ण से भ का योग) | | 2 | | |
| 3 | भाग गक और घ अन्य आय/अन्य कटौती के संदर्भ में कटौती | | | |
| म | 80 ननक | य 80प | | |
| भाग गक और घ के अधीन कुल कटौती (म से य का योग) | | 3 | | |
| 4 | अध्याय 6 क के अधीन कुल कटौतियां (1 से 3 का योग) | | 4 | |

| | | | | |
|--------------------------------------|--------|--|----|---|
| अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर | | धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना | | |
| कुल कटौतियां | 1 | भाग-ख-कुल आय के मद 12 के अनुसार कुल आय | | |
| | 2 | धारा 115ज(2) के अनुसार समायोजन | | |
| | 80 झकख | | ड | |
| | क | शीर्ष ई के अधीन" कतिपय आय की बावत कटौतियां 'अध्याय जू-अ में किसी भी धारा के अधीन कटौती का दावा सम्मिलित है | 2क | |
| | ख | धारा 10कक के अधीन कटौती का दावा | 2ख | |
| | ग | धारा 35कक के अधीन आस्तियों पर अवक्षयण की रकम, जिस पर कटौती का दावा किया गया है, के रूप में की गई है | 2ग | |
| | घ | कुल समायोजन (2क + 2ख + 2ग) | 2घ | |
| | 3 | धारा 115जग(1) के अधीन समायोजित कुल आय (1 + 2घ) | | 3 |
| | 4 | धारा 115जग के अधीन कर संदेय (3) का 18.5% (यदि 3 20 लाख रुपए से अधिक है) | | 4 |

| अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा | | धारा 115जघ के अधीन कर जमा की संगणना | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|
| 1 | निर्धारण वर्ष 2017-18 (भाग-ख- कुल कर आय का 1घ) में धारा 115जघ के अधीन कर | 1 | | | | |
| 2 | निर्धारण वर्ष 2017-18 (भाग-ख-कुल कर आय का 4) में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर | 2 | | | | |
| 3 | कर की रकम जिस पर जमा उपलब्ध है [(2-1) को प्रविष्ट करें यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें | 3 | | | | |
| 4 | उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा, का उपयोग (चालू वर्ष में अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा की रकम का उपयोग ऊपर वर्णित 3 में अधिकतम रकम जितना है और अग्रणीत जमा अनुकल्पिक निम्नतर कर से अधिक नहीं हो सकेगा) | | | | | |
| क्र.सं. | निर्धारण वर्ष (क) | अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा | | | चालू वर्ष के दौरान अनुकल्पिक निम्नतर कर का उपयोग | अग्रणीत अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा अतिशेष (घ) उ (ख3)-(ग) |
| | | सकल (ख1) | पूर्वतर वर्षों में मुजरा (ख2) | अग्रणीत अतिशेष (ख3) उ(ख1)-(ख2) | | |
| i | 2012-13 | | | | | |
| ii | 2013-14 | | | | | |
| iii | 2014-15 | | | | | |
| iv | 2015-16 | | | | | |
| v | 2016-17 | | | | | |
| vi | चालू निर्धारण वर्ष (1-2, प्रविष्ट करें, यदि 2 1 से अधिक है नहीं तो शून्य लिखें) | | | | | |
| vii | योग | | | | | |
| 5 | वर्ष के दौरान धारा 115जघ के अधीन जमा की रकम का उपयोग [मद सं. 4(ग) का कुलट | | | | 5 | |
| 6 | पश्चात्तर्वर्ती निर्धारण वर्षों में जमा के लिए उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर के दायित्व की रकम [4(घ) का कुलट | | | | 6 | |

अनुसूची - विनिर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय (पति/ पत्नी, अव्यस्क बालक आदि) निर्धारितियों की आय में शामिल है। (अव्यस्क बालक की आय यदि व्यक्तियों की आय प्रति बालक 1500 रुपये से अधिक है तो शामिल की जाय)

| क्रम सं. | व्यक्ति का नाम | व्यक्ति का स्थायी लेखा सं. | नातेदारी | आय की प्रकृति | रकम (रुपए) |
|----------|----------------|----------------------------|----------|---------------|------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

अनुसूची विशेष दर विशेष दरों पर कर पर प्रभाय आय (कृपया कर की दर के लिए अन्यदेश संख्या 7 देखें)

| क्रम सं. | धारा | ☑ | विशेष दर (%) | आय | |
|----------|--|---|--------------|----------------------------------|---------------|
| | | | | (i) | उस पर कर (ii) |
| 1 | 111 क (शेयर यूनितों पर एसटीसीजी जिस पर जहा एसटी पेय संदत्त है) | ☐ | 15 | (अनुसूची ख च ठ क का 5 vi) | |
| 2 | 115 कघ (प्रतिभूतियों पर एफii एस के लिए एसटीसीजी जहा एसटी संदत्त नहीं है) | ☐ | 30 | (अनुसूची ख च ठ क का 5 vii) | |
| 3 | 112 परन्तुक (सूचीकरण के बिना सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/यूनितों पर एलटीसीजी) | ☐ | 10 | (अनुसूची ख च ठ क के 5 ix का भाग) | |
| 4 | 112(1) (ग)(iii) (गैरसूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी) | ☐ | 10 | (अनुसूची ख च ठ क के 5 ix का भाग) | |
| 5 | 115 कग (बंधपत्रों / जीडीआर पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी) | ☐ | 10 | (अनुसूची ख च ठ क के 5 ix का भाग) | |
| 6 | 115 क ग क (जीडीआर पर विनिर्दिष्ट कम्पनी के किसी कर्मचारी के लिए एलटीसीजी) एलटीसीजी) | ☐ | 10 | (अनुसूची ख च ठ क के 5 ix का भाग) | |
| 7 | 115 कघ (प्रतिभूतियों पर एफ ii एस के लिए एलटीसीजी) | ☐ | 10 | (अनुसूची ख च ठ क के 5 ix का भाग) | |
| 8 | 115 ड (विनिर्दिष्ट आस्ति पर अनिवासी भारती के लिए एलटीसीजी) | ☐ | 10 | (अनुसूची ख च ठ क के 5 ix का भाग) | |
| 9 | 112 (अन्य पर एलटीसीजी) | ☐ | 20 | (अनुसूची ख च ठ क का 5x) | |
| 10 | 115खख (लाटरी, वर्ग शब्द पहेली, दौड़, खेल आदि से जीत) | ☐ | 30 | (अनुसूची ण द का 1 च 1i) | |
| 11 | 115 क ग (विदेशी करेंसी में खरीदे गण बंधपत्रों या जीडीआर से आय) | ☐ | 10 | (अनुसूची ण द के 1 च 1ii का भाग) | |

| | | | | |
|----|--|--------------------------|-----|-------------------------------|
| 12 | 115खखघक (देशी कंपनी से लाभांश जो आय 10 लाख रु० से अधिक है) | <input type="checkbox"/> | 10 | (अनुसूची ण ध के 1चii का भाग) |
| 13 | 115खखड (धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ के अधीन) | <input type="checkbox"/> | 60 | (अनुसूची ण ध के 1चiii का भाग) |
| 14 | 115खखच (पेटेंट से आय पर कर) | | | |
| | क कारवार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय | <input type="checkbox"/> | 10 | (अनुसूची खत का 3ड) |
| | ख अन्य स्रोत शीर्ष के अधीन आय | <input type="checkbox"/> | 10 | (अनुसूची णध का 1चiv) |
| 15 | 115 क (ख) (रोयलिटी से अनिवासी की आय) | <input type="checkbox"/> | | (अनुसूची ण द के 1 चv का भाग) |
| 16 | डीटीएए दर के अधीन प्रभार्य | <input type="checkbox"/> | | (अनुसूची ओएस के 1चvi का भाग) |
| 17 | | | | |
| | | | योग | |

| अनुसूची - आईएफ | | उन भागीदारी फर्मों के विषय में जानकारी जिनमें आप भागीदार हैं | | | | | | |
|--|-------------|--|---|--|-------------------------------------|---------------------|----|-----------------------------------|
| फर्मों की संख्या जिनमें आप भागीदार हैं | | | | | | | | |
| फर्म जिनमें भागीदार हैं | फर्म का नाम | फर्म का स्थायी लेखा संख्यांक | क्या फर्म लेखा परीक्षा के लिए वायी है (हां या नहीं) | क्या धारा 92ड फर्म पर लागू है? (हां/ नहीं) | फर्म के लाभ में शेयरों की प्रतिशतता | लाभ में शेयर की रकम | | 31 मार्च को फर्म में पूंजी अतिशेष |
| | | | | | | i | ii | ii |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | योग | | | | | | | |

| अनुसूची-छूट प्राप्त आय | | छूट प्राप्त आय का ब्यौरा (कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय) | |
|------------------------|-----|--|-----|
| छूट प्राप्त आय | 1 | ब्याज से आय | 1 |
| | 2 | देशी कंपनी से लाभांश आय (दस लाख रु० से अनधिक रकम) | 2 |
| | 3 | उन संव्यवहारों जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर का संदाय किया गया है पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ | 3 |
| | 4 | शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न) | |
| | i | कृषि पर उपगत व्यय | i |
| | ii | पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेलित कृषि हानि | ii |
| | iii | वर्ष (i-ii-iii) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें) | iii |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | अन्य नाबालिग बालक की आय जिस पर छूट है, सम्मिलित है | 5 |
| | 6 | योग (1+2+3+4+5) | 6 |

| अनुसूची पीटीआई | | धारा 115कक, 115खक के अनुसार कारवार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे | | | | | |
|---------------------|-----------------------|---|--|------|-----------------------------------|-------------|--|
| पास के माध्यम से आय | क्रम | कारवार न्यास/ विनिवेश निधि का नाम | कारवार न्यास/ विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या | क्रम | आय का शीर्ष | आय की रकम | ऐसी रकम पर स्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हो |
| | 1. | 1. | | | i | गृह संपत्ति | |
| ii | | | | | पूंजी अभिलाभ | | |
| क | | | | | अल्पकालिक अवधि | | |
| | | | | | दीर्घकालिक अवधि | | |
| iii | | | | | अन्य स्रोत | | |
| iv | | | | | दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी | | |
| क | धारा 10(23खख) के अधीन | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|-----|-----------------------------------|--|--|
| 2. | | | | ख | धारा.....के अधीन | | |
| | | | | ग | धारा.....के अधीन | | |
| | | | | i | गृह संपत्ति | | |
| | | | | ii | पूँजी अभिलाभ | | |
| | | | | क | अल्पकालिक अवधि | | |
| | | | | | दीर्घकालिक अवधि | | |
| | | | | ख | अन्य स्रोत | | |
| | | | | iii | अन्य स्रोत | | |
| | | | | iv | दावा की गई आय जो बूट प्राप्त होगी | | |
| | | | | क | धारा 10(23वख) के अधीन | | |
| धाराके अधीन | | | | | | | |
| धारा.....के अधीन | | | | | | | |

टिप्पण ► इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।

अनुसूची आय के विदेशी स्रोत

भारत से बाहर आय के ब्यौरे और कर राहत

| क्र. सं. | देश का कोड | करदाता की पहचान संख्या | क्र. सं. | आय का शीर्ष | भारत से बाहर आय भाग ख-टीआई में सम्मिलित | भारत से बाहर संदत्त कर | भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदेय कर | भारत में उपलब्ध कर राहत (ख)= (ग) या (घ) जो भी निम्नतर हो | डीटीए का सुसंगत अनुबंध यदि धारा 90 या 90 क के अधीन राहत का दावा किया गया है |
|----------|------------|------------------------|----------|------------------|---|------------------------|---|--|---|
| | | | | (क) | (ख) | (ग) | (घ) | (घ) | (च) |
| 1 | | | i | वेतन | | | | | |
| | | | ii | गृह संपत्ति | | | | | |
| | | | iii | कारबार या वृत्ति | | | | | |
| | | | iv | पूँजी अभिलाभ | | | | | |
| | | | v | अन्य स्रोत | | | | | |
| | | | | योग | | | | | |
| 2 | | | i | वेतन | | | | | |
| | | | ii | गृह संपत्ति | | | | | |
| | | | iii | कारबार या वृत्ति | | | | | |
| | | | iv | पूँजी अभिलाभ | | | | | |
| | | | v | अन्य स्रोत | | | | | |
| | | | | योग | | | | | |

टिप्पण ► कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें।

अनुसूची टीआर

भारत से बाहर संदत्त करों के लिए दावाकृत कर राहत सार का ब्यौरा

| क्र. सं. | देश का कोड | करदाता की पहचान संख्या | भारत के बाहर कुल संदत्त कर (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग) | उपलब्ध कुल कर राहत (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ख) का योग) | वह धारा जिसके अधीन राहत का दावा किया गया है (90, 90क या 91 को विनिर्दिष्ट करें) |
|----------|---|------------------------|--|--|---|
| | | | | | (घ) |
| 1 | | | | | |
| | (क) | (ख) | (ग) | (घ) | (ङ) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | उस देश की बाबत जहां डीटीए लागू है, उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 90/90 क) (1 (घ) के योग का भाग) | | | | 2 |
| 3 | उस देश की बाबत जहां डीटीए लागू नहीं है, उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 91) (1 (घ) के योग का भाग) | | | | 3 |
| 4 | क्या भारत के बाहर किसी संदत्त कर जिसपर भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है, वर्ष के दौरान विदेशी कर प्राधिकारी द्वारा प्रतिदाय/जमा की गई है ? यदि हां तो नीचे ब्यौरे दें | | | | 4 |
| | क | कर प्रतिदाय की रकम | ख | निर्धारण वर्ष जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है | हां /नहीं |

टिप्पण ► कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें।

| क्र. सं. | देश का नाम और कोड | जिस से प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता | प्राप्त आय | आय की प्रकृति | व्या आपके पास कराधेय है। | यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय | | |
|----------|-------------------|--|------------|---------------|--------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | | राशि | जहां अनुसूची पेश की गई है | अनुसूची की मद संख्या |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| (i) | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | |

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

अनुसूची 5क पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित पति-पत्नी के बीच में आय के प्रभाजन से संबंधित जानकारी

| पति या पत्नी का नाम | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--|--|---|--|
| पति/पत्नी का स्थायी खाता संख्यांक | | | | | |
| आय के शीर्ष | शीर्ष के अधीन प्राप्त आय | पति या पत्नी के हाथों में प्रभाजित रकम | (ii) की आय पर कटौती किए गए टीडीएस की रकम प | पति या पत्नी के हाथों में प्रभाजित टीडीएस | |
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | |
| 1 | गृह संपत्ति | | | | |
| 2 | कारबार या वृत्ति | | | | |
| 3 | पूंजी अभिलाभ | | | | |
| 4 | अन्य स्रोत | | | | |
| 5 | योग | | | | |

अनुसूची कठ वर्ष के अंत में आस्ति और दायित्व (भाग क-खध में अंतर्गत से भिन्न) (उस दशा में जहां कुल आय 50 लाख रु0 से अधिक है, लागू होती है)

| क | स्थावर आस्ति का ब्यौरा | | रकम (लागत) रु0 में |
|----------|--|-------------------------------------|--|
| | विवरण | पता | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (i) | | | |
| (ii) | | | |
| ख | जंगम आस्ति का ब्यौरा | | रकम (लागत) रु0 में |
| क्रम सं0 | विवरण | | |
| (1) | (2) | | (3) |
| (i) | आभूषण, बुलियन आदि | | |
| (ii) | पुरातात्विक संग्रहण, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कोई कलाकृति | | |
| (iii) | वाहन, नौका, नाव और वायुयान | | |
| (iv) | वित्तीय आस्ति | | रकम (लागत) रु0 में |
| | (क) | बैंक (जिसके अंतर्गत सभी जमा रशियां) | |
| | (ख) | शेयर और प्रतिभूतियां | |
| | (ग) | बीमा पॉलिसी | |
| | (घ) | ऋण और दिए गया अग्रिम धन | |
| | (ङ) | हाथ नकदी | |
| ग | भागीदार या सदस्य के रूप में किसी फर्म या व्यक्तियों का संगम (एओपी) की आस्तियों में धारित ब्याज | | |
| क्रम सं0 | फर्म/एओपी का नाम और पता | फर्म/एओपी का स्थायी खाता संख्या | लागत के आधार पर फर्म/एओपी में निर्धारितता का विनिवेश |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (i) | | | |
| (ii) | | | |
| घ | आस्तियों (क-ख-ग) के संबंध में दायित्व | | |

टिप्पण ▶ इस अनुसूची को भरने के लिए कृपया अनुदेशों को निर्दिष्ट करें।

| | | | | | |
|--|----------------------|---------|--|-------|----------------------|
| ग13 | <input type="text"/> | ग14 | <input type="text"/> | ▶ ग15 | <input type="text"/> |
| ▶ 80थख | <input type="text"/> | ▶ 80ननक | <input type="text"/> | ▶ ग18 | <input type="text"/> |
| ग16 | <input type="text"/> | ग17 | <input type="text"/> | 80प | <input type="text"/> |
| केवल कार्यालय उपयोग के लिए यहाँ प्राप्ति नं० की स्टैप लगाए | | | क्राफ्टिकर्सी परखारी की कुहर, सारीख और चाम | | |

स्थायी लेखा संख्या

| | | | |
|--------|--|-------------------------------------|--|
| ग 19 | कुल कटौतियाँ (मद ग1 से ग18 को जोड़ें) | ▶ ग19 | <input type="text"/> |
| ग 20 | कराधेय कुल आय (ख5 - ग19) | ▶ ग20 () | <input type="text"/> |
| | भाग घ - कर संगणना और कर प्राप्ति | | |
| | कुल आय पर संदेय कर (ग20) | धारा 87क के अधीन छूट | कुल कर और उपकर (घ1 - घ 2) |
| घ1 से | ▶ घ1 <input type="text"/> | ▶ घ2 <input type="text"/> | ▶ घ3 <input type="text"/> |
| घ3 से | | | |
| घ4 से | अधिभार, यदि सी20 1 करोड़ रुपए से अधिक है | (घ3 + घ4) पर उपकर | कुल कर, अधिभार, और उपकर (घ3 + घ4 + घ5) |
| घ6 से | ▶ घ4 <input type="text"/> | ▶ घ5 <input type="text"/> | ▶ घ6 <input type="text"/> |
| घ9 से | | | |
| घ10 से | धारा 89 के अधीन राहत | राहत के बाद अतिशेष (घ6-घ7) | धारा 234क के अधीन कुल ब्याज |
| | ▶ घ7 <input type="text"/> | ▶ घ8 <input type="text"/> | ▶ घ9 <input type="text"/> |
| | धारा 234ख के अधीन कुल ब्याज | धारा 234ग के अधीन कुल ब्याज | कुल कर और ब्याज (घ8+घ9+घ10+ घ11) |
| घ12 | ▶ घ10 <input type="text"/> | ▶ घ11 <input type="text"/> | ▶ घ12 <input type="text"/> |
| | संदत कुल अग्रिम कर | संदत कुल स्वतः निर्धारित कर संदेय | कर स्रोत पर कुल कटौती का दावा |
| घ13 से | ▶ घ13 <input type="text"/> | ▶ घ14 <input type="text"/> | ▶ घ15 <input type="text"/> |
| घ14 | स्रोत पर कुल संगृहित कर | कुल पूर्व संदत कर (घ13+घ14+घ15+घ16) | कुल संदेय (घ12 - घ17, यदि घ12 > घ17) |
| घ16 से | ▶ घ16 <input type="text"/> | ▶ घ17 <input type="text"/> | ▶ घ18 <input type="text"/> |
| घ18 | | | |
| घ19 | प्रतिदाय (घ17-घ12, यदि घ17 > घ12) | | |
| ▶ घ20 | केवल रिपोर्टिंग प्रयोजन के लिए छूट प्राप्त आय (यदि कृषि आय 5000/-रु० से अधिक है आ.क.वि.3/5 का प्रयोग करें) | | <input type="text"/> |

घ21 पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों (निष्क्रिय खातों को छोड़कर) का विवरण (अनिवार्य चाहे प्रतिदाय देय है या नहीं)

| क्र.सं० | बैंक का आईएफएस कोड (सूतं.भ. i) | बैंक का नाम (सूतं.भ. ii) | खाता संख्या (बैंक की सीबीएस प्रणाली के अनुसार खाता सं० 9 या इससे अधिक अंकों की होनी चाहिए) (सूतं.भ. iii) | यदि आपका कोई प्रतिदाय है तो उसे जमा करवाने के लिए खाता इंगित करें (एक खाते पर निशान लगाए) (सूतं.भ. iv) | 09.11.2016 से 30.12.2016 के दौरान जमा रोकड़ (यदि कालावधि के दौरान ≥ 2 लाख रोकड़ जमा होता है) |
|---------|--------------------------------|--------------------------|--|--|---|
| 1 ▶ | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2 ▶ | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

सत्यापन

मैं,.....जो.....का पुत्र/पुत्री हूँ सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि विवरण में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं और यह कि उसमें दर्शित कुल आय की रकम और अन्य विशिष्टियाँ सत्यतः कथित की गई हैं और निर्धारण वर्ष 2017-18 से सुसंगत पूर्व वर्ष की आय-कर के लिए प्रभावी आय के संबंध में आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार हैं।

स्थान तारीख यहाँ हस्ताक्षर करें →

| | | | |
|---|--|---|-------------------------|
| यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता (टी.आर.पी.) द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और खोरा दें: | | | |
| कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम | कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं. (10 अंकीय) | कर विवरणी तैयारकर्ता को संदत की जाने वाली | कर विवरणी तैयारकर्ता के |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

व्यवसाय या वृत्ति की प्रकृति, यदि एक से अधिक कारबार हैं, तीन मुख्य कार्यकलाप/उत्पाद उपदर्शित करें

| क्रम सं० | कोड | कारबार का नाम | वर्णन |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| (i) | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| (ii) | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| (iii) | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| अनुसूची बी.पी. - व्यवसाय या वृत्ति से आय के व्यौरे | | | |
|---|--|--------|--|
| 44कघ के अधीन उपधरणात्मक आय की संगणना | | | |
| ड 1 | सकल आवर्त या सकल प्राप्तियां | | |
| | क विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व पाने वाले के खाते में देय बैंक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन के माध्यम से प्राप्ति | ▶ ड 1क | |
| | ख कोई अन्य प्रणाली | ▶ ड 1ख | |
| ड 2 | 44कघ के अधीन उपधरणात्मक आय (ड 1 का 8%) | | |
| | क ड 1क का 6% | ▶ ड 2क | |
| | ख ड 1ख का 8% | ▶ ड 2ख | |
| | ग कुल (क + ख) | ▶ ड 2ग | |
| टिप्पण -- यदि सकल प्राप्तियों की उपर्युक्त प्रतिशतता से कम आय है तो 44 कघ के अधीन कर संपरीक्षा आज्ञापक है और नियमित आईटीआर 3 या 5 को भरना है न कि इस फार्म को | | | |
| 44कघ के अधीन उपधरणात्मक आय की गणना (वृत्ति) | | | |
| ड 3 | सकल प्राप्तियां | ▶ ड 3 | |

स्थायी लेखा संख्या

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| ड 4 | धारा 44कघ के अधीन उपधरणात्मक आय (ई 3 का 50%) टिप्पण—यदि सकल प्राप्ति के 50% से कम आय है, तो 44कघ के अधीन संपरीक्षा आज्ञापक है और नियमित आईटीआर 3 या 5 को भरना है न कि इस फार्म को | ▶ ड 4 | |
|---|---|--------|--|
| 44कड के अधीन उपधरणात्मक आय की संगणना | | | |
| ड 5 | धारा 44कड के अधीन माल वाहनों से उपधरणात्मक आय टिप्पण-यदि लाभ धारा 44कड के अधीन विहित लाभ से कम है या किसी समय स्वामित्वाधीन वाहनों की संख्या 10 से अधिक है, तो नियमित आकवि-4 भरा जाना है, न कि यह प्ररूप | ▶ ड 5 | |
| ड 6 | भागीदार को संदत्त वेतन और व्याज टिप्पण— यह केवल फर्मों द्वारा भरा जाएगा | ▶ ड 6 | |
| ड 7 | धारा 44 कड (ई-5-ई-6) के उपधरणात्मक आय | ▶ ड 7 | |
| ड 8 | व्यवसाय या वृत्ति के अधीन प्रभार्य आय (ड 2ग + ड 4 + ड 7) | ▶ ड 8 | |
| कारबार की वित्तीय विशिष्टियां | | | |
| टिप्पण--ड 9 से ड 12 के लिए, 31 मार्च, 2017 को यथाविद्यमान जानकारी दें | | | |
| ड 9 | विविध ऋणदाताओं की कुल रकम | ▶ ड 9 | |
| ड 10 | विविध लेनदारों की कुल रकम | ▶ ड 10 | |
| ड 11 | च्वापार स्टॉक की कुल रकम | ▶ ड 11 | |
| ड 12 | नकद अतिशेष की रकम | ▶ ड 12 | |

| अनुसूची कठ वर्ष के अंत में आस्ति और दायितव (उन दशा में आवेदन जहां कुल आय 50 लाख से अधिक है) | | | |
|---|-------------|--|--------------------|
| आस्थियों और दायितवों के व्यौरे | अ | स्थायी आस्ति के व्यौरे | |
| | क्रम. सं०. | विवरण | पता |
| | (1) | (2) | (3) |
| | (i) | | |
| | (ii) | | |
| | आ | जंगम आस्ति के व्यौरे | |
| | क्रम. सं०. | विवरण | रकम (व्यय) रु० में |
| | (1) | (2) | (3) |
| | (i) | आभूषण, सोना चांदी, आदि | |
| | (ii) | पुरातत्विय संग्रह, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कला सम्बन्धी कोई कार्य | |
| | (iii) | यान, क्रीडा-नौका, नौका और वायुयान | |
| | (iv) | वित्तीय आस्ति | रकम (व्यय) रु० में |
| | (क) | बैंक (सभी जमाओं सहित) | |
| | (ख) | शेयर और प्रतिभूतियां | |
| (ग) | बीमा पालिसी | | |

| | | |
|---------------|---|---|
| | (घ) दिया गया अग्रिम उधार और | |
| | (ङ) हाथ नकदी | |
| इ | इसके भागीदार या सदस्य के रूप में व्यक्तियों (एओपी) का फर्म या संगम की आस्ति में ब्याज धारित | |
| क्रम. सं०. | फर्म (फर्मों)/एओपी का नाम और पता | फर्म/एओपी का पैन |
| | | लागत पर फर्म/एओपी में निर्धारिती का विनिधान |
| (1) | (2) | (4) |
| (i) | | |
| (ii) | | |
| ई | आस्ति (अ + आ + इ) के सम्बन्ध में दायित्व | |
| टिप्पण | कृपया इस अनुसूची को भरते समय अनुदेशों को निर्दिष्ट करें | |

स्थायी लेखा संख्या

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

अनुसूची-आयकर आयकर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदायों के ब्यौरे

| | बीएसआर कोड (स्तंभ i) | निक्षेप की तारीख (स्तंभ ii) | चालान सं. (स्तंभ iii) | संदत्त कर (स्तंभ iv) |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| आर 1 | | | | |
| आर 2 | | | | |
| आर 3 | | | | |
| आर 4 | | | | |
| आर 5 | | | | |
| टिप्पण | (1) घ13 और घ14 में अग्रिम कर और स्व निर्धारण कर का योग प्रविष्ट करें। (2) यदि आप अनुसूची आयकर के भीतर नहीं भर सकते तो अनुपूरक अनुसूची आयकर में जारी रखें। | | | |

अनुसूची टीसीएस स्रोत पर संग्रहित कर का ब्यौरा [संग्रहक(कों) द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार]

| क्रम. सं०. | कलक्टर का कर संग्रह खाता संख्या | कलक्टर का नाम | फार्म 26 ए एस में वर्णित देय रकम के ब्यौरे | संग्रहित कर | दावाकृत कुल (4) में रकम | दावाकृत कुल (4) में से पति-पत्नी के पास रकम, यदि 5अ लागू हो |
|---------------|--|---------------|--|-------------|-------------------------|---|
| (1) | स्तंभ (1) | स्तंभ (2) | स्तंभ (3) | स्तंभ (4) | स्तंभ (5) | स्तंभ (6) |
| i | | | | | | |
| ii | | | | | | |
| टिप्पण | कृपया डी16 में अनुसूची-टीसीएस के कुल स्तंभ (5) की प्रविष्टि करें | | | | | |

अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया गया कर वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]

| | कर कटौती खाता संख्या (टैन) (स्तंभ i) | नियोजक का नाम (स्तंभ ii) | वेतन के अधीन आय (स्तंभ iii) | कटौती किया गया कर (स्तंभ iv) |
|---------------|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| एस 1 | | | | |
| एस 2 | | | | |
| एस 3 | | | | |
| टिप्पण | (1) कृपया अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 के स्तंभ (iv) और अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 के स्तंभ (vi) का योग घ15 में प्रविष्टि करें। | | | |

अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया गया कर 2

वेतन से भिन्न आय से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [कटौतीकर्ता (कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16क के अनुसार]

| | कर कटौती खाता संख्या (टैन) (स्तंभ i) | कटौतीकर्ता का नाम (स्तंभ ii) | स्रोत पर कर कटौती विशिष्ट प्र. संख्यांक (स्तंभ iii) | कटौती का वर्ष (स्तंभ iv) | फार्म 26एएस में वर्णित प्राप्त के व्यौर (स्तंभ v) | कटौती किया गया कर (स्तंभ vi) | (6) में से इस वर्ष दावा की गई रकम (स्तंभ vii) | बिदि ए23 लागू हो, पति/पत्नी द्वारा दावा की गई रकम (स्तंभ viii) |
|---------|---|---------------------------------|--|--------------------------|--|---------------------------------|--|---|
| टी 1 | | | | | | | | |
| टी 2 | | | | | | | | |
| टी 3 | | | | | | | | |
| टी 4 | | | | | | | | |

टिप्पण : (1) कृपया अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 के स्तंभ (iv) और अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 के स्तंभ (vi) का योग घ15 में प्रविष्ट करें।

| अनुपूरक अनुसूची-आयकर | | (मुख्य प्ररूप, आदि में अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 की मद आर 1-आर 5 के समाप्त होने के पश्चात् ही प्रयोग की जाए) | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | बीएसआर कोड (स्तंभ i) | निकष की तारीख (स्तंभ ii) (तिथि/मास/वर्ष) | चालान सं. (स्तंभ iii) | संदत्त कर (स्तंभ iv) | | | | | | | | | | |
| आर 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| आर 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| आर 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| आर 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| आर 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| आर 11 | | | | | | | | | | | | | | |

स्थायी लेखा संख्या

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | बीएसआर कोड (स्तंभ i) | निकष की तारीख (स्तंभ ii) (तिथि/मास/वर्ष) | चालान सं. (स्तंभ iii) | संदत्त कर (स्तंभ iv) | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| आर12 | | | | | | | | | | | | | | |
| आर13 | | | | | | | | | | | | | | |
| आर14 | | | | | | | | | | | | | | |
| आर15 | | | | | | | | | | | | | | |
| आर16 | | | | | | | | | | | | | | |
| आर17 | | | | | | | | | | | | | | |
| आर18 | | | | | | | | | | | | | | |
| आर19 | | | | | | | | | | | | | | |
| आर20 | | | | | | | | | | | | | | |
| आर21 | | | | | | | | | | | | | | |
| आर22 | | | | | | | | | | | | | | |
| आर23 | | | | | | | | | | | | | | |
| आर24 | | | | | | | | | | | | | | |
| आर25 | | | | | | | | | | | | | | |
| आर26 | | | | | | | | | | | | | | |
| आर27 | | | | | | | | | | | | | | |
| आर28 | | | | | | | | | | | | | | |
| आर29 | | | | | | | | | | | | | | |
| आर30 | | | | | | | | | | | | | | |
| आर31 | | | | | | | | | | | | | | |
| आर32 | | | | | | | | | | | | | | |

अनुपूरक अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 (मुख्य प्ररूप, आदि में अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 की मद एस1-एस3 के समाप्त होने के पश्चात् ही प्रयोग की जाए)

| | | कर कटौती खाता संख्या (टैन) (स्तंभ i) | नियोजक का नाम (स्तंभ ii) | वेतन के अधीन प्रभार्य आय (स्तंभ iii) | कटौती किया गया कर (स्तंभ iv) |
|--|-------|---|--------------------------|---|------------------------------|
| | एस 4 | | | | |
| | एस 5 | | | | |
| | एस 6 | | | | |
| | एस 7 | | | | |
| | एस 8 | | | | |
| | एस 9 | | | | |
| | एस 10 | | | | |
| | एस 11 | | | | |
| | एस 12 | | | | |
| | एस 13 | | | | |
| | एस 14 | | | | |
| | एस 15 | | | | |
| | एस 16 | | | | |
| | एस 17 | | | | |

स्थायी लेखा संख्या

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | कर कटौती खाता संख्या (टैन) (स्तंभ i) | नियोजक का नाम (स्तंभ ii) | वेतन के अधीन प्रभार्य आय (स्तंभ iii) | कटौती किया गया कर (स्तंभ iv) |
|--|-------|---|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| | एस 18 | | | | |
| | एस 19 | | | | |
| | एस 20 | | | | |
| | एस 21 | | | | |
| | एस 22 | | | | |
| | एस 23 | | | | |
| | एस 24 | | | | |
| | एस 25 | | | | |
| | एस 26 | | | | |
| | एस 27 | | | | |
| | एस 28 | | | | |
| | एस 29 | | | | |
| | एस 30 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

अनुपूरक अनुसूची-छोत पर कटौती किया गया (मुख्य प्ररूप, आदि में अनुसूची-छोत पर कटौती किया गया कर 2 की मद टी1-टी4 के समाप्त होने के पश्चात् ही प्रयोग की जाए)

| | कटौतीकर्ता का टीएएन (स्तंभ i) | कटौतीकर्ता का नाम (स्तंभ ii) | छोत पर कर कटौती विशिष्ट प्र. संख्यांक (स्तंभ iii) | कटौती का वर्ष (स्तंभ iv) | कटौती किया गया कर (स्तंभ v) | (6) में से इस वर्ष दावा की गई रकम (स्तंभ vi) | यदि ए23 लागू हो, पति/पत्नी द्वारा दावा की गई रकम (स्तंभ vii) |
|-------|----------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| टी 5 | | | | | | | |
| टी 6 | | | | | | | |
| टी 7 | | | | | | | |
| टी 8 | | | | | | | |
| टी 9 | | | | | | | |
| टी 10 | | | | | | | |
| टी 11 | | | | | | | |
| टी 12 | | | | | | | |
| टी 13 | | | | | | | |
| टी 14 | | | | | | | |
| टी 15 | | | | | | | |
| टी 16 | | | | | | | |
| टी 17 | | | | | | | |
| टी 18 | | | | | | | |
| टी 19 | | | | | | | |
| टी 20 | | | | | | | |

स्थायी लेखा संख्या

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | कटौतीकर्ता का टीएएन (स्तंभ i) | कटौतीकर्ता का नाम (स्तंभ ii) | छोत पर कर कटौती विशिष्ट प्र. संख्यांक (स्तंभ iii) | कटौती का वर्ष (स्तंभ iv) | कटौती किया गया कर (स्तंभ v) | (6) में से इस वर्ष दावा की गई रकम (स्तंभ vi) | यदि ए23 लागू हो, पति/पत्नी द्वारा दावा की गई रकम (स्तंभ vii) |
|-------|----------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| टी 21 | | | | | | | |
| टी 22 | | | | | | | |
| टी 23 | | | | | | | |
| टी 24 | | | | | | | |
| टी 25 | | | | | | | |
| टी 26 | | | | | | | |
| टी 27 | | | | | | | |
| टी 28 | | | | | | | |
| टी 29 | | | | | | | |
| टी 30 | | | | | | | |
| टी 31 | | | | | | | |

अनुपूरक अनुसूची-छोत पर संग्रहित किया गया (मुख्य प्ररूप, आदि में अनुसूची-छोत पर संग्रहित किया गया कर की मद यू1-यू3 के समाप्त होने के पश्चात् ही प्रयोग की जाए)

| कर | | कर कटौती खाता संख्या (स्तंभ i) | संग्राहक का नाम (स्तंभ ii) | कटौती किया गया कर (स्तंभ iii) | (iii) में से इस वर्ष दावा की गई रकम (स्तंभ iv) | यदि ए23 लागू हो, पति/पत्नी द्वारा दावा की गई रकम (स्तंभ v) |
|-------|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|--|
| यू 4 | | | | | | |
| यू 5 | | | | | | |
| यू 6 | | | | | | |
| यू 7 | | | | | | |
| यू 8 | | | | | | |
| यू 9 | | | | | | |
| यू 10 | | | | | | |
| यू 11 | | | | | | |
| यू 12 | | | | | | |
| यू 13 | | | | | | |
| यू 14 | | | | | | |
| यू 15 | | | | | | |
| यू 16 | | | | | | |
| यू 17 | | | | | | |
| यू 18 | | | | | | |
| यू 19 | | | | | | |
| यू 20 | | | | | | |

स्थायी लेखा संख्या

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | कर कटौती खाता संख्या (स्तंभ i) | संग्राहक का नाम (स्तंभ ii) | कटौती किया गया कर (स्तंभ iii) | (iii) में से इस वर्ष दावा की गई रकम (स्तंभ iv) | यदि ए23 लागू हो, पति/पत्नी द्वारा दावा की गई रकम (स्तंभ v) |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|--|
| यू 21 | | | | | |
| यू 22 | | | | | |
| यू 23 | | | | | |
| यू 24 | | | | | |
| यू 25 | | | | | |
| यू 26 | | | | | |
| यू 27 | | | | | |
| यू 28 | | | | | |
| यू 29 | | | | | |
| यू 30 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|--|---------------|---|---|---|---|---|
| प्ररूप | आ.क.वि- 5 | भारतीय आयकर विवरणी (i) व्यष्टि (ii) हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब (iii) कंपनी और (iv) प्ररूप आई टीआर-7 फाईल करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति] (कृपया आयकर नियम, 1962 का नियम 12 देखें) (संलग्न अनुदेश भी देखें) | निर्धारण वर्ष | | | | | |
| | | | 2 | 0 | 1 | 7 | - | 1 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--------------|--|--|--|-----------------|--|
| भाग क-साधारण | | साधारण | | | | | | |
| व्यक्तिगत जानकारी | नाम | | | | | | | स्थायी लेखा संख्यांक |
| | क्या नाम में कोई परिवर्तन हुआ है ? यदि हां, तो कृपया पुराना नाम दें | | | | | | | एमसीए द्वारा जारी सीमित दायित्व भागिदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन) यदि लागू हो तो, |
| | प्लॉट/द्वार/ब्लॉक सं० | परिसर/भवन/ग्राम का नाम | | | | | | गिरचना की तारीख (दि.मा.व) |
| | सड़क/गली/झाकघर | क्षेत्र/अवस्थान | | | | | | प्राप्ति (फर्म-1, स्थानीय प्राधिकारी-2, सहकारी बैंक-3, अन्य सहकारी सांसाइटी-4, एलएलपी-5, निजी वैवेविक न्यास -6, अन्य एओपी/ वीओआई-7, कृत्रिम विधिक व्यक्ति-8) |
| | नगर/शहर/जिला | राज्य | पिनकोड | | | | आयकर वाड/सर्किल | |
| | निवास/कार्यालय का फोन न० एसटीडी कोड सहित मोबाइल सं० 1 | | मोबाइल सं० 2 | | | | | |
| | ई-मेल पता-1 | | | | | | | |
| | ई-मेल पता-2 | | | | | | | |
| | (क) | फाइल की गई विवरणी (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश सं०-6 देखें] <input type="checkbox"/> को या नियत तारीख से पूर्व -139(1), <input type="checkbox"/> नियत तारीख के पश्चात् -139(4), <input type="checkbox"/> पुनरीक्षित विवरणी -139(5), <input type="checkbox"/> उपांतरित विवरणी - 92गघ <input type="checkbox"/> धारा 119(2)(ख) के अधीन या सूचना के उत्तर में <input type="checkbox"/> 139(9)- त्रुटिपूर्ण <input type="checkbox"/> 142(1) <input type="checkbox"/> 148 <input type="checkbox"/> 153क <input type="checkbox"/> 153ग | | | | | | |
| | (ख) | यदि पुनरीक्षित/त्रुटिपूर्ण की सूचना के उत्तर में है तो मूल विवरणी की प्राप्ति सं० और फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (दिन/मास/वर्ष) | / / | | | | | |
| (ग) | यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153A/153ग के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल किया गया है तो ऐसी सूचना की तारीख भरें, या धारा 92 गघ के अधीन अग्रिम कीमत करार की तारीख भरें | / / | | | | | | |
| घ | निवास संबंधी प्राप्ति (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> अनिवासी | | | | | | | |
| ङ | क्या अधिनियम की धारा 94क के अधीन अधिसूचित आवस्थिति के भीतर किसी व्यक्ति के साथ कोई संव्यवहार किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | | | | | | |
| च | अनिवासी की दशा में, यदि भारत में कोई स्थायी स्थापन है (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | | | | | | |
| छ | क्या आप एफआईआई/एफपीआई? हां/नहीं यदि हां, कृपया सेबी रजिस्ट्रेशन का संख्यांक उपबंधित करें। | | | | | | | |
| ज | क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारित द्वारा फाइल की जा रही है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें-- | | | | | | | |
| | (1) प्रतिनिधि का नाम | | | | | | | |
| | (2) प्रतिनिधि का पता | | | | | | | |
| | (3) प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्यांक | | | | | | | |
| संपरीक्षा जानकारी | (क) | क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखे रखने के लिए दायी हैं? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | | | | | |
| | (ख) | क्या आप धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं, यदि हां, तो निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें | | | | | | |
| | (ग) | यदि (ख) हां है तो क्या लेखों की संपरीक्षा लेखाकार द्वारा की गई है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं, | | | | | | |
| | (i) | संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष) / / | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--------------------|--|--|----------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|
| | (ii) | कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम | | | | | | | | | | |
| | (iii) | लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या | | | | | | | | | | |
| | (iv) | लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक/ फर्म) | | | | | | | | | | |
| | (v) | संपत्तिक/ फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या | | | | | | | | | | |
| | (vi) | संपत्तिक/फर्म लेखा परीक्षक का स्थायी लेखा संख्या (स्थायी लेखा सं०) | | | | | | | | | | |
| | (vii) | लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख | | | | | | | | | | |
| | (घ) | यदि आयकर अधिनियम के अधीन अन्य संपरीक्षा प्रतिवेदन देने के लिए दायी है, संपरीक्षा प्रतिवेदन देने की तारीख का अभिकथन करें ? (दिन/मास/वर्ष) (कृपया अनुदेश 6(iii) देखें) | | | | | | | | | | |
| | 92 | | | | | 11 | 5 | ज | | | | |
| (ङ) | यदि आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य अधिनियम, के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन देने के लिए दायी है, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन देने की तारीख का अभिकथन करें ? | | | | | | | | | | | |
| | अधिनियम और धारा | | | (दिन/मास/मास) | | | अधिनियम और धारा | | | (दिन/मास/मास) | | |
| भागिदार/ सदस्य/ न्यास की सूचना | अ. | क्या पूर्ववर्ष के दौरान फर्म/एओपी/बीओआई के भागीदारों/ सदस्यों में कोई परिवर्तन हुआ है (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (समितियों और सहकारी बैंक की दशा में प्रबंध समितियों के ब्यारे दें) यदि हां, निम्नलिखित ब्यारे उपबद्धित करें। | | | | | | | | | | |
| | | क्र.सं. | भागिदार/सदस्य का नाम | प्रवेश/निवृत्ति | प्रवेश/निवृत्ति की तारीख | अंश का प्रतिशत (यदि अवधार्य हो) | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | | | | |
| | आ | क्या एओपी/बीओआई का कोई सदस्य विदेशी कंपनी है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | | | | | | | | | |
| | इ | यदि हां तो एओपी/बीओआई में विदेशी कंपनी के शेयर की प्रतिशतता का उल्लेख करें। (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | | | | | | | | | |
| ई. | क्या एओपी/बीओआई के किसी सदस्य की कुल आय (एसे संगम या निकास से उसके शेयरों को छोड़कर) उस अधिकतम रकम से अधिक है जो उस सदस्य के मामले में कर से प्रभाय नहीं है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | | | | | | | | | | |
| उ. | व्यक्ति की विशिष्टियां जो 31 मार्च, 2017 या विघटन की तारीख को फर्म/एओपी/बीओआई में भागीदार/सदस्य या न्यास में व्यवस्थापक/ न्यासी/ फायदाग्राही था | | | | | | | | | | | |
| | क्र.सं. | नाम और पता | शेयर का प्रतिशत (यदि अवधारित किया जाए) | स्थायी लेखा संख्या | आधार संख्या/नामांकन पहचान (यदि आधार हेतु पात्र है) | एलएलपी में भागीदार की दशा में, अभिहित भागीदार पहचान संख्या | प्रास्थिति (कृपया निदेश 6 देखें) | पूंजी पर ब्याज की दर | संदर्भ/संदेय पारिश्रमिक | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| धारा 160 (1) (iii) या (iv) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए | च | धारा 160 (1) (iii) या (iv) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की दशा में भरा जाना है | | | | | | | | | | |
| | 1 | क्या हिताधिकारी के शेयर अनवधारित या अज्ञात है ? | | | | | | <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं | | | | |
| | 2 | क्या धारा 160 (1) (iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति की कारबार आय है ? | | | | | | <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं | | | | |
| | 3 | क्या धारा 160 (1) (iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति किसी वसीयत द्वारा घोषित है /या अनन्य रूप से व्यवस्थापक के किसी आश्रित रिश्तेदार के फायदे के लिए और /या व्यवस्थापक द्वारा घोषित एकमात्र न्यास है ? | | | | | | <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं | | | | |
| | 4 | यदि उपरोक्त "1" और "2" के उत्तर दोनों "नहीं" है, तो कृपया निम्नलिखित ब्यारे दें : | | | | | | | | | | |

| | | | |
|------------------|---------|--|--|
| | (i) | क्या किसी हिताधिकारी की आय आधारभूत छूट सीमा से अधिक है ? | <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं |
| | (ii) | क्या सुसंगत आय या उसका कोई भाग किसी व्यक्ति द्वारा वसीयत द्वारा घोषित किसी न्यास के अधीन प्राप्त किया जा सकता है और ऐसा न्यास उसके द्वारा इस प्रकार घोषित एकमात्र न्यास है? | <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं |
| | (iii) | क्या न्यास व्यवस्थापक के रिश्तेदारों/एच यू एफ के सदस्य, प्रमुखतः उस पर/परिवार पर निर्भर, के अनन्य लाभ के लिए 01-03-1970 से पूर्व सृजित अवसीयती न्यास है ? | <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं |
| | (iv) | क्या न्यास किसी भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि, पेंशन निधि या ऐसे कारबार या वृत्ति में अनन्य रूप से कर्मचारियों के लिए कारबार या वृत्ति का संचालन कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक रूप से सृजित किसी अन्य निधि की ओर से सृजित किया गया है ? | <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं |
| कारबार का स्वरूप | छ | कारबार या वृत्ति का स्वरूप, यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति हैं तो तीन मुख्य क्रियाकलाप/उत्पाद बताएं | |
| | क्र.सं. | कोड (कृपया अनुदेश सं0 7(i) देखें) | वर्णन |
| | (i) | | |
| | (ii) | | |
| | (iii) | | |

| | | | | | |
|------------------|----|---|--|---------------|-----|
| भाग क-बीएस | | 31 मार्च, 2017 या विघटन की तारीख को तुलन-पत्र (यदि नियमित लेखा बहियां रखी जाती हैं तो मद क से ख भरें अन्यथा ग भरें) | | | |
| निधियों के स्रोत | अ | निधियों के स्रोत | | | |
| | 1 | भागीदार/सदस्यता निधि | | | |
| | | क | भागीदार/सदस्यता पूंजी | क | |
| | | ख | आरक्षितियां और अधिशेष | | |
| | | i | पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति | खi | |
| | | ii | पूंजी आरक्षिति | खii | |
| | | iii | कानूनी आरक्षिति | खiii | |
| | | iv | कोई अन्य आरक्षिति | खiv | |
| | | v | लाभ और हानि लेखा का जमा शेष | खv | |
| | | vi | रोग (खi+खii+खiii+खiv+खv) | खvi | |
| | | ग | कुल भागीदारी सदस्य निधि (क +खvi) | 1ग | |
| | | 2 | ऋण निधि | | |
| | | क | प्रतिभूत ऋण | | |
| | | i | विदेशी करेंसी में ऋण | कि | |
| | | ii | रुपए में ऋण | | |
| | | | अ | बैंकों से | iiअ |
| | | | आ | अन्य से | iiआ |
| | | | इ | योग (iiअ+iiआ) | iiइ |
| | | iii | कुल प्रतिभूत ऋण (कि+ii ई) | कiii | |
| | | ख | अप्रतिभूत ऋण (निकष सहित) | | |
| | i | विदेशी मुद्रा ऋण | की | | |
| | ii | रुपया ऋण | | | |
| | | अ | बैंकों से ऋण | iiअ | |
| | | आ | आयकर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से | iiआ | |
| | | इ | अन्य से | iiइ | |
| | | ई | कुल रुपया ऋण (ii+I+ii+II+ii ई) | iiई | |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|------------------------------|--|---|-----|------|-------|--|
| | | iii | कुल अप्रतिभूत ऋण (ख i + ii घ) | | | खiii | | |
| | ग | | कुल ऋण निधि (कiii + खiii) | | | 2ग | | |
| | 3 | | आस्थगित कर दायित्व | | | 3 | | |
| | 4 | | अग्रिम | | | | | |
| | i | | आयकर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से | i | | | | |
| | ii | | अन्य से | ii | | | | |
| | iii | | कुल अग्रिम (i+ii) | | | 4iii | | |
| 5 | | निधि के स्रोत (1ग+2ग+3+4iii) | | | 5 | | | |
| आ | | निधियों का उपयोग | | | | | | |
| निधियों का उपयोग | 1 | | नियत आस्तियां | | | | | |
| | | क | सकल : ब्लॉक | 1क | | | | |
| | | ख | अवक्षयण | 1ख | | | | |
| | | ग | शुद्ध ब्लॉक (क-ख) | 1ग | | | | |
| | | घ | प्रगतिगत कार्य पूंजी | 1घ | | | | |
| | | ङ | योग (1ग+1घ) | | | 1R | | |
| | 2 | | विनिधान | | | | | |
| | | क | दीर्घकालिक विनिधान | | | | | |
| | | | i | संपत्ति में विनिधान | i | | | |
| | | | ii | साम्बा लिखत | | | | |
| | | | अ | सूचीबद्ध साम्बा | iiअ | | | |
| | | | आ | असूचीबद्ध साम्बा | iiआ | | | |
| | | | इ | योग | iiइ | | | |
| | | | iii | अधिमानी शेयर | iii | | | |
| | | | iv | सरकारी या न्यास संपत्तियां | iv | | | |
| | | | v | डिबेंचर या बंधपत्र | v | | | |
| | | | vi | पारस्परिक निधियां | vi | | | |
| | | | vii | अन्य | vii | | | |
| | | | viii | कुल दीर्घकालिक विनिधान (i+ii इ+iii+iv+v+vi+vii) | | | कviii | |
| | | ख | अल्पकालिक विनिधान | | | | | |
| | | | i | साम्बा लिखत | | | | |
| | | | अ | सूचीबद्ध साम्बा | iअ | | | |
| | | | आ | असूचीबद्ध साम्बा | iआ | | | |
| | | | इ | योग | iइ | | | |
| | | | ii | अधिमानी शेयर | ii | | | |
| | | | iii | सरकारी या न्यास संपत्तियां | iii | | | |
| | | | iv | डिबेंचर या बंधपत्र | iv | | | |
| | | v | पारस्परिक निधियां | v | | | | |
| | | vi | अन्य | vi | | | | |
| | | vii | कुल दीर्घकालिक विनिधान (iइ+ii +iii+iv+v+vi) | | | खvii | | |
| | ग | | कुल विनिधान (कviii+खvii) | | | 2ग | | |
| 3 | | | चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम | | | | | |
| | क | | चालू आस्तियां | | | | | |
| | | i | सूधियां | | | | | |
| | | अ | कच्चा माल | iअ | | | | |
| | | आ | प्रगतिगत स्टाक | iआ | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----|---|---|------|--|------|
| | | इ | तैयार माल | इ | | |
| | | ई | व्यापारगत स्टॉक (व्यापार के लिए अर्जित माल के संबंध में) | ई | | |
| | | उ | भंडार/बैंकिंग सामग्री सहित उपभोग योग्य | उ | | |
| | | ऊ | खुले औजार | ऊ | | |
| | | ए | अन्य | ए | | |
| | | ऐ | योग (iअ+iआ+iइ+iई+i उ+iऊ+iए) | | | iऐ |
| | ii | | विविध देनदार | | | |
| | अ | | एक से वर्ष से अधिक के लिए बकाया | iiअ | | |
| | आ | | अन्य | iiआ | | |
| | इ | | कुल विविध लेनदार | | | iiइ |
| | iii | | नकदी और बैंक अतिशेष | | | |
| | अ | | बैंक में अतिशेष | iiiअ | | |
| | आ | | हाथ में नकदी | iiiआ | | |
| | इ | | अन्य | iiiइ | | |
| | ई | | कुल नकद और नकद समतुल्य (iii अ+iii आ + iiiइ) | | | iiiई |
| | iv | | अन्य चालू आस्तियां | | | कiv |
| | v | | कुल चालू आस्तियां (iऐ+iiइ+iiiई+कiv) | | | कv |
| ख | | | ऋण और अग्रिम | | | |
| | i | | नकद या वस्तु में बसूलनीय या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए अग्रिम | खi | | |
| | ii | | निक्षेप, उधार तथा कारपोरेट अग्रिम और अन्य | खii | | |
| | iii | | राजस्व प्राधिकारियों के पास अतिशेष | खiii | | |
| | iv | | योग (खi + खii + खiii) | | | खiv |
| | v | | खiv में सम्मिलित ऋण और अग्रिम जो निम्नलिखित के लिए हैं | | | |
| | क | | कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए | वक | | |
| | ख | | कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए नहीं | वख | | |
| | ग | | योग (कv+खiv) | | | 3ग |
| घ | | | विद्यमान दायित्व और उपबंध | | | |
| | i | | विद्यमान दायित्व | | | |
| | अ | | विविध लेनदार | | | |
| | 1 | | एक वर्ष से अधिक के लिए बकाया | 1 | | |
| | 2 | | अन्य | 2 | | |
| | 3 | | योग (1+ 2) | अ3 | | |
| | आ | | पट्टाधृत आस्तियों के लिए दायित्व | iआ | | |
| | इ | | ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज और शोध्य | iइ | | |
| | ई | | ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज किन्तु शोध्य नहीं | iई | | |
| | उ | | अग्रिम में प्राप्त आय | iउ | | |
| | ऊ | | अन्य संदेय | iऊ | | |
| | ए | | योग (अ3+iआ+iइ+iई+iउ+i ऊ) | | | iऐ |
| | ii | | उपबंध | | | |
| | अ | | आयकर के लिए उपबंध | iiअ | | |
| | आ | | छुट्टी नकदीकरण/अधिवर्षिता/उपदान के लिए उपबंध | ii आ | | |
| | इ | | अन्य उपबंध | ii इ | | |
| | ई | | योग (iiअ+iiआ +iiइ) | | | iiई |
| | iii | | योग (iउ+ iiई) | | | घiii |
| | ङ | | शुद्ध चालू आस्तियां (3ग-घiii) | | | 3ङ |
| 4 | क | | अपलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय | 4क | | |
| | ख | | आस्थगित कर आस्ति | 4ख | | |

| | | | | |
|--------------------|---|---|----|----|
| | ग | लाभ और हानि लेखा/संघित अतिशेष | 4ग | |
| | घ | योग (4क + 4ख + 4ग) | | 4घ |
| | 5 | निधियों के उपयोग का योग (1ड + 2ग + 3ड + 4घ) | | 5 |
| लेखा न होने की दशा | ग | उस दशा में, जहां कारखाना या वृत्ति की नियमित लेखा-बहियां नहीं रखी जाती हैं, वहां कारखाना या वृत्ति की बाबत 31 मार्च, 2017 को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें | | |
| | | विविध देनदारों की कुल रकम | | ग1 |
| | 1 | | | |
| | 2 | विविध लेनदारों की कुल रकम | | ग2 |
| | 3 | व्यवसायगत स्टाक की कुल रकम | | ग3 |
| | 4 | नकद अतिशेष की रकम | | ग4 |

| भाग क-लाभ और हानि | | वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लाभ और हानि लेखा (उस दशा में जहां नियमित लेखा पुस्तकें रखी जाती हैं, मद 1 से 52 भरें, अन्यथा मद 53 भरें) | | |
|-------------------|--|--|-------|-----|
| 1 | प्रचालनों से राजस्व | | | |
| | अ | कारखाने के विक्रय/सकल प्राप्तियां (विवरणों और प्रतिदायों तथा शुल्क या कर का कुल योग, यदि कोई हो) | | |
| | | i माल का विक्रय | i | |
| | | ii सेवाओं का विक्रय | ii | |
| | | iii अन्य प्रचालन राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें) | | |
| | | क | iii क | |
| | | ख | iii ख | |
| | | ग योग (iii क + iii ख) | iii ग | |
| | | iv योग (i+ii + iii ग) | | अiv |
| | आ | वृत्ति से सकल प्राप्तियां | | आ |
| | इ | विक्रीत या प्रदत्त माल और सेवाओं की बाबत प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उपकर | | |
| | | i संघ उत्पाद शुल्क | i | |
| | | ii सेवा कर | ii | |
| | | iii मूल्यवर्धित कर/विक्रय कर | iii | |
| | | iv कोई अन्य शुल्क, कर और उपकर | iv | |
| | v योग (i+ii+iii+iv) | | इv | |
| ई | प्रचालनों से कुल राजस्व (अiv+आ + इv) | | 1 ई | |
| 2 | अन्य आय | | | |
| | i | किराया | i | |
| | ii | कमीशन | ii | |
| | iii | लाभांश आय | iii | |
| | iv | व्याज से आय | iv | |
| | v | नियत आस्तियों के विक्रय पर लाभ | v | |
| | vi | ऐसे विनिधान के विक्रय पर लाभ, जो प्रतिभूति संव्यवहार कर के लिए प्रभार्य प्रतिभूतियां हैं | vi | |
| | vii | अन्य विनिधान के विक्रय पर लाभ | vii | |
| | viii | करेंसी उतार-चढ़ाव लेखे पर लाभ | viii | |
| | ix | कृषि आय | ix | |
| | x | कोई अन्य आय | | |
| | | क | xक | |
| | | ख | xख | |
| | ग योग (x क + x ख) | xग | | |
| | xi अन्य आय का योग(i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + xग) | | 2xi | |
| 3 | बंद स्टाक | | | |
| | i | कच्चा माल | 3i | |
| | ii | प्रगतिगत कार्य | 3ii | |
| | iii | तैयार माल | 3iii | |

| | | | | |
|----|--|--------|-------|----------|
| | योग (3i + 3ii + 3iii) | | 3iv | |
| 4 | लाभ-हानि लेख में जमा का योग (1ई + 2xi + 3iv) | | 4 | |
| 5 | आरंभिक स्टाक | | | |
| | i कच्चा माल | 5i | | |
| | ii प्रगतिगत कार्य | 5ii | | |
| | iii तैयार माल | 5iii | | |
| | iv योग (5i + 5ii + 5iii) | | 5iv | |
| 6 | क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो) | | 6 | |
| 7 | क्रय किए गए माल और सेवाओं की बाबत संदत्त या संदेय शुल्क और कर | | | |
| | i सीमा शुल्क | 7i | | |
| | ii प्रति शुल्क | 7ii | | |
| | iii विशेष अतिरिक्त शुल्क | 7iii | | |
| | iv संघ उत्पाद शुल्क | 7iv | | |
| | v सेवा कर | 7v | | |
| | vi मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर | 7vi | | |
| | vii कोई अन्य कर, संदत्त या संदेय | 7vii | | |
| | viii योग (7i + 7ii + 7iii + 7iv + 7v + 7vi + 7vii) | | 7viii | |
| 8 | भाड़ा | | 8 | |
| 9 | भंडारों और अतिरिक्त पुर्जों का उपभोग | | 9 | |
| 10 | विद्युत और ईंधन | | 10 | |
| 11 | किराया | | 11 | |
| 12 | भवन की मरम्मत | | 12 | |
| 13 | मशीनरी की मरम्मत | | 13 | |
| 14 | कर्मचारियों को प्रतिकर | | | |
| | i वेतन और मजदूरी | 14i | | |
| | ii बोनस | 14ii | | |
| | iii चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति | 14iii | | |
| | iv छुट्टी नकदीकरण | 14iv | | |
| | v छुट्टी यात्रा फायदा | 14v | | |
| | vi अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय | 14vi | | |
| | vii मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय | 14vii | | |
| | viii मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय | 14viii | | |
| | ix किसी अन्य निधि में अभिदाय | 14ix | | |
| | x कर्मचारियों को कोई ऐसा अन्य फायदा, जिसकी बाबत कोई व्यय उपगत किया गया है | 14x | | |
| | xi कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (14i + 14ii + 14iii + 14iv + 14v + 14vi + 14vii + 14viii + 14ix + 14x) | | 14xi | |
| | xii क्या 14xi में सम्मिलित कोई प्रतिकर अनिवासियों को संदत्त किया गया है | xii क | | हां/नहीं |
| | वदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम | xii ख | | |
| 15 | बीमा | | | |
| | i चिकित्सा बीमा | 15i | | |
| | ii जीवन बीमा | 15ii | | |
| | iii प्रमुख व्यक्ति का बीमा | 15iii | | |
| | iv अन्य बीमा, जिसके अंतर्गत फैंक्ट्री, कार्यालय, माल आदि भी हैं | 15iv | | |
| | v बीमा पर कुल व्यय (15i + 15ii + 15iii + 15iv) | | 15v | |
| 16 | कर्मकार और कर्मचारिवृद्ध कल्याण व्यय | | 16 | |
| 17 | मनोरंजन | | 17 | |
| 18 | सत्कार | | 18 | |
| 19 | सम्मेलन | | 19 | |

लाभ-हानि लेख से विकलन

| | | | | | |
|----|---|---|-------|-------|--|
| 20 | प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन से भिन्न) | | | 20 | |
| 21 | विज्ञापन | | | 21 | |
| 22 | कमीशन | | | | |
| | i | किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को | i | | |
| | ii | अन्य को | ii | | |
| | iii | योग(i + ii) | | 22iii | |
| 23 | स्वामिस्व | | | | |
| | i | किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को | i | | |
| | ii | अन्य को | ii | | |
| | iii | योग (i + ii) | | 23iii | |
| 24 | वृत्तिक/परामर्श फीस/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस | | | | |
| | i | किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को | i | | |
| | ii | अन्य को | ii | | |
| | iii | योग (i + ii) | | 24iii | |
| 25 | होटल, बोर्डिंग और वासा | | | 25 | |
| 26 | विदेश यात्रा से भिन्न यात्रा व्यय | | | 26 | |
| 27 | विदेश यात्रा व्यय | | | 27 | |
| 28 | वाहन व्यय | | | 28 | |
| 29 | टेलीफोन व्यय | | | 29 | |
| 30 | अतिथि गृह व्यय | | | 30 | |
| 31 | क्लब व्यय | | | 31 | |
| 32 | उत्सव समारोह व्यय | | | 32 | |
| 33 | छात्रवृत्ति | | | 33 | |
| 34 | दान | | | 34 | |
| 35 | संदान | | | 35 | |
| 36 | सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय रेट और कर (आय पर करों को छोड़कर) | | | | |
| | i | संघ उत्पाद शुल्क | 36i | | |
| | ii | सेवा कर | 36ii | | |
| | iii | मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर | 36iii | | |
| | iv | उपकर | 36iv | | |
| | v | एसटीटी और सीटीटी सहित कोई अन्य कर, शुल्क या उपकर | 36v | | |
| | vi | संदत्त या संदेय कुल रेट और कर (36i + 36ii + 36iii + 36iv + 36v) | | 36vi | |
| 37 | लेखा परीक्षा शुल्क | | | 37 | |
| 38 | फर्म के भागीदारों का वेतन/पारिश्रमिक (भाग क-साधारण के अधीन भागीदारों/सदस्यों की मद 5 के स्तंभ (8) का योग) | | | 38 | |
| 39 | अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें) | | | | |
| | i | | i | | |
| | ii | | ii | | |
| | iii | योग (i + ii) | | 38iii | |
| 40 | ड्यूबत ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक, यदि उपलब्ध हो, विनिर्दिष्ट करें, जिसके लिए 1 लाख रु. या अधिक का ड्यूबत ऋण दावा किया गया है और रकम) | | | | |
| | i | | | 39i | |
| | ii | | | 39ii | |
| | iii | | | 39iii | |
| | iv | अन्य (1 लाख रु. से अधिक) जहां स्थायी लेखा संख्यांक उपलब्ध नहीं है | 39iv | | |
| | v | अन्य (1 लाख रु. से कम रकम) | 39v | | |
| | vi | कुल ड्यूबत ऋण (39i + 39ii + 39iii + 39iv + 39v) | | 39vi | |
| 41 | ड्यूबत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध | | | 40 | |
| 42 | अन्य उपबंध | | | 41 | |

| | | | | |
|----------------------------|--|---|--|-----------|
| कर और विनियोग के लिए उपबंध | 43 | व्याज, अवक्षयण और करों से पूर्व लाभ [4 - (5iv + 6 + 7viii + 8 to 13 + 14xi + 15v + 16 to 21 + 22iii + 23iii + 24iii + 25 to 35 + 36vi + 37 + 38iii + 39vi + 40 + 41)] | 42 | |
| | 44 | व्याज | | |
| | i | क | किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को | |
| | | ख | भागीदारों को | iंक |
| | ii | क | भारत में संदत्त या एक निवासी को संदत्त | |
| | | ख | अन्यों के | iiख |
| | iii | क | भागीदारों को | iiंक |
| | | ख | अन्यों के | iiख |
| | iii | योग (iंक + iख + iiंक + iiख) | 43iii | |
| | 45 | अवक्षयण और अपाकरण | 44 | |
| 46 | कर पूर्व लाभ (42 - 43iii - 44) | 45 | | |
| 47 | चाहू कर के लिए उपबंध | 46 | | |
| 48 | आस्थगित कर और आस्थगित दायित्व के लिए उपबंध | 47 | | |
| 49 | कर पश्चात् लाभ (45-46-47) | 48 | | |
| 50 | पूर्व वर्ष से अप्रणीत बकाया | 49 | | |
| 51 | विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (48+49) | 50 | | |
| 52 | आरक्षितियों और अधिशेष में अंतरित | 51 | | |
| 53 | भागीदार के लेखे में तुलन पत्र में लिया गया बकाया (50-51) | 52 | | |
| कोई लेखा मामला नहीं | 54 | उस दशा में जहां कारबार या वृत्ति की लेखा बहियां नहीं रखी जाती है वहां कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्व वर्ष 2016-17 के लिए निम्नलिखित जानकारी दें- | | |
| | (i) | कारबार कर रहे निर्धारिती के लिए | | |
| | | क | सकल प्राप्तियां | 54(i)क |
| | | ख | सकल लाभ | 54(i)ख |
| | | ग | व्यय | 54(i)ग |
| | (ii) | वृत्ति कर रहे निर्धारिती के लिए | | |
| | | क | सकल प्राप्तियां | 54(ii)क |
| | | ख | सकल लाभ | 54(ii)ख |
| | | ग | व्यय | 54(ii)ग |
| | | | घ | शुद्ध लाभ |
| | | | योग [54(i)घ + 54(ii)घ] | 54 |

| | | | | |
|--|---|--|---|--------------------------|
| भाग क- अन्य जानकारी | | अन्य जानकारी (धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी न होने की दशा में वैकल्पिक) | | |
| अन्य जानकारी | 1 | पूर्व वर्ष में निराजित लेखा पद्धति (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> वाणिज्य <input type="checkbox"/> नकद | | |
| | 2 | यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | |
| | 3 | धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय की संगणना के प्रकटीकरण के मानक के अनुसार परिवर्तन के कारण लाभ पर प्रभाव, यदि कोई हो (अनुसूची आ.स.प्र.मा. का स्तंभ 11(iii)) | 3 | |
| | 4 | पूर्व वर्ष में निराजित बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति | | |
| | क | क | कच्चा माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें) | <input type="checkbox"/> |
| | | ख | तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें) | <input type="checkbox"/> |
| | | ग | बन्धा स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (यदि हां तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें) | |
| | | घ | धारा 145क के अधीन विहित मूल्यांकन पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ या हानि पर प्रभाव | 4घ |
| | 5 | लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई रकम, जो- | | |
| | क | धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मर्दे हैं | 5क | |
| सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवाकर का प्रोफार्मा जमा, वापसी, प्रतिदाय या विक्रय कर या मूल्य वर्धित कर का प्रतिदाय, जहां ऐसा जमा, वापसी या प्रतिदायों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा देय माना गया है | | 5ख | | |
| पूर्ववर्ष के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे | | 5ग | | |

| | | | | |
|---|---|--|-----|-----|
| | घ | आय की कोई अन्य मद | 5घ | |
| | ङ | पूँजी प्राप्ति, यदि कोई हो | 5ङ | |
| | च | लाभ-हानि लेख में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ) | | 5च |
| 6 | सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्त के न पूरा करने पर धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेख में विकलित रकम | | | |
| | क | स्टाक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम महे बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)] | 6क | |
| | ख | कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)(i ख)] | 6ख | |
| | ग | किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभांश के रूप में अन्वधा संदेय थी [36(1)(ii)] | 6ग | |
| | घ | उधार ली गई पूँजी की बाबत संदत्त ब्याज की कोई रकम [36(1)(iii)] | 6घ | |
| | ङ | जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iii क)] | 6ङ | |
| | च | किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)] | 6च | |
| | छ | अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)] | 6छ | |
| | ज | धारा 80 गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम में अभिदाय की रकम [36(1)(iv क)] | 6ज | |
| | झ | किसी अनुमोदित उपदान निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)] | 6झ | |
| | ञ | किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)] | 6ञ | |
| | ट | किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम के अधीन स्थापित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी निधि में अभिदाय के रूप में शोध्व तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में प्रत्यय नहीं की गई किसी रकम के परिमाण तक कोई राशि [36(1)(v क)] | 6ट | |
| | ठ | डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)] | 6ठ | |
| | ड | डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(vii क)] | 6ड | |
| | ढ | किसी विशेष आरक्षिती में अंतरित रकम [36(1)(viii)] | 6ढ | |
| | ण | कर्मचारियों की बीच परिवार कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए व्यय [36(1)(ix)] | 6ण | |
| | त | प्रतिभूतियों में संव्यवहार की बाबत संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार की रकम यदि ऐसी आय को कारबार से आय में शामिल नहीं किया गया है। [36(1)(xv)] | 6त | |
| | थ | सरकारी अनुमोदित कीमत से अधिक में गन्ने की खरीद के लिए व्यय [36(1)(xvii)] | 6थ | |
| | द | कोई अन्य अनुज्ञेय | 6 द | |
| | ध | धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ध का बोग) | | 6 ध |
| | न | नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या (निर्धारिती की मान्यताप्राप्त भविष्य निधि के मामले में बाध्यकारी) | | |
| | | i भारत में तैनात | i | |
| | | ii भारत से बाहर तैनात | ii | |
| | | iii बोग | iii | |
| 7 | धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेख में विकलित रकम | | | |
| | क | पूँजी प्रकृति का व्यय [37(1)] | 7क | |
| | ख | व्यक्तिगत प्रकृति का व्यय [37(1)] | 7ख | |
| | ग | व्यय जो अधिकथित या अनन्य रूप से कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पूर्णतया नहीं है [37(1)] | 7ग | |
| | घ | किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय [37(2 ख)] | 7घ | |
| | ङ | तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय | 7ङ | |
| | च | कोई अन्य शास्ति या जुर्माना | 7च | |
| | छ | ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है | 7छ | |
| | ज | आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम | 7ज | |
| | झ | धारा 37 के अधीन अनुज्ञात न की गई कोई अन्य रकम | 7झ | |
| | ञ | धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7ञ का बोग) | | 7ञ |
| 8 | अ | धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम | | |
| | क | अध्याय 17 ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(i), के अधीन अनुज्ञेय रकम | अक | |
| | ख | अध्याय XVII- ख के उपबंधों के अननुसरण के लेखे धारा 40(क)(i क) के अधीन अनुज्ञेय की जाने वाली रकम | अख | |

| | | | | |
|---|--|--|----|-----|
| | ग | वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 (क)(iख) के अधीन अननुज्ञात योग्य रकम | अग | |
| | घ | अध्याय XVII- ख के उपबंधों के अननुसरण के लेखे धारा 40(क)(iii) के अधीन अननुज्ञेय की जाने वाली रकम | अघ | |
| | ङ | लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम [40(क)(ii)] | अङ | |
| | च | धनकर के रूप में संदत्त रकम [40(क)(ii क)] | अच | |
| | छ | राजस्व, अनुज्ञाप्ति फीस, सेवा फीस आदि के माध्यम से धारा 40(क)(iib) के अनुसार संदत्त रकम | अछ | |
| | ज | किसी भागीदार या सदस्य को संदत्त ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या परिलाब्धि की रकम [40(ख)] | अज | |
| | झ | कोई अन्य अननुज्ञेय | अझ | |
| | झ | धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अझ का योग) | | 8अझ |
| आ | किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम | | 8आ | |

| | | | |
|----|--|-----|-----|
| 9 | धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें | | |
| क | धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकमें | 9क | |
| ख | खाता देय चेक या खाता देय बैंक ड्राफ्ट से भिन्न संदत्त रकम धारा 40क(3) के अंतर्गत अननुज्ञेय 100 % अननुज्ञेय | 9ख | |
| ग | उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क (7)] | 9ग | |
| घ | किसी निधि, न्यास, कंपनी, एओपी या वीओआई या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि [40 क (9)] | 9घ | |
| ङ | कोई अन्य अननुज्ञेय | 9ङ | |
| च | धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (9क और 9ङ का योग) | | 9 च |
| 10 | किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञात किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान अननुज्ञेय कोई रकम | | |
| क | किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि | 10क | |
| ख | कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि | 10ख | |
| ग | किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि | 10ग | |
| घ | किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि | 10घ | |
| ङ | किसी अनुसूचित बैंक से ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि | 10ङ | |
| च | छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम | 10च | |
| छ | धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (10क से 10च का योग) | | 10छ |
| 11 | पूर्व वर्ष के लाभ-हानि लेखे में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कोई रकम | | |
| क | किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि | 11क | |
| ख | कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि | 11ख | |
| ग | किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि | 11ग | |
| घ | किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि | 11घ | |
| ङ | किसी अनुसूचित बैंक से ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि | 11ङ | |
| च | छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम | 11च | |
| छ | भारतीय रेल को रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदेय कोई रकम | 11छ | |
| ज | धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (11क से 11छ का योग) | | 11ज |
| 12 | निम्नलिखित की बावत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम | | |

| | | | | | |
|----|--|-----------------------------------|-----|----|--|
| | क | संघ उत्पाद शुल्क | 12क | | |
| | ख | सेवा कर | 12ख | | |
| | ग | मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर | 12ग | | |
| | घ | कोई अन्य कर | 12घ | | |
| | ङ | बकाया कुल रकम (12क से 12घ का योग) | 12ङ | | |
| 13 | धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाम समझी गई रकमें | | | 13 | |
| 14 | धारा 41 के अधीन कर से प्रभाय लाभ की कोई रकम | | | 14 | |
| 15 | लाभ-हानि लेखे में (शुद्ध) जमा या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम | | | 15 | |

भाग क-परिणामक ब्योरे परिणामक ब्योरे (धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए जारी न होने की दशा में वैकल्पिक)

| | | | | | | |
|----------------|-----|-------------------------------|--------------------------------------|----|----|--|
| परिणामक ब्योरे | (क) | व्यापारिक समुत्थान की दशा में | | | | |
| | 1 | आरंभिक स्टाक | | 1 | | |
| | 2 | पूर्व वर्ष के दौरान क्रय | | 2 | | |
| | 3 | पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय | | 3 | | |
| | 4 | बंद स्टाक | | 4 | | |
| | 5 | कमी/अधिकता, यदि कोई हो | | 5 | | |
| | (ख) | विनिर्माण समुत्थान की दशा में | | | | |
| | 6 | कच्ची सामग्री | | | | |
| | | क | आरंभिक स्टाक | | 6क | |
| | | ख | पूर्व वर्ष के दौरान क्रय | | 6ख | |
| | | ग | पूर्व वर्ष के दौरान उपभोग | | 6ग | |
| | | घ | पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय | | 6घ | |
| | | ङ | बंद स्टाक | | 6ङ | |
| | | च | प्राप्त तैयार उत्पाद | | 6च | |
| | | छ | प्राप्ति का प्रतिशत | | 6छ | |
| | ज | कमी/अधिकता, यदि कोई हो | | 6ज | | |
| | 7. | तैयार उत्पाद/सह उत्पाद | | | | |
| | | क | आरंभिक स्टाक | | 7क | |
| | | ख | पूर्व वर्ष के दौरान क्रय | | 7ख | |
| | | ग | पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा | | 7ग | |
| घ | | पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय | | 7घ | | |
| ङ | | बंद स्टाक | | 7ङ | | |
| च | | कमी/अधिकता, यदि कोई हो | | 7च | | |

भाग ख-कुल आय कुल आय की संगणना

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|------|----|--|
| कुल आय | 1 | गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृह संपत्ति का 3ख) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें) | | | 1 | |
| | 2 | कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाम | | | | |
| | | i | सट्टेबाजी और विनिर्दिष्ट करबार के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाम (अनुसूची-बीपी का ए36) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें) | 2i | | |
| | | ii | सट्टेबाजी के कारबार से लाभ और अभिलाम (अनुसूची-खत का ख40) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें) | 2ii | | |
| | | iii | विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ और अभिलाम (अनुसूची-खत का ग46) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें) | 2iii | | |
| | | iv | धारा 115खखक (3 अनुसूची बीपी का 3घ के अधीन पेटेंट से आय) | 2iv | | |
| | | v | योग (2i+2ii+2iii+2iv) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि है और इस अंक को अनुसूची सीवाईएलए की हानि की प्रविष्टि में ले जाएँ) | | 2v | |
| | 3 | पूँजी अभिलाम | | | | |
| | | क | अल्प कालिक | | | |
| | | i | 15% की दर से प्रभाय अल्प कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 7ii) | कi | | |
| ii | | 30% की दर से प्रभाय अल्प कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 7iii) | कii | | | |
| iii | | लागू दर पर प्रभाय अल्प कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 7iv) | कiii | | | |
| iv | | कुल अल्प कालिक (कi + कii + कiii) | 3कiv | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|-------|-----|-----|
| | ख | दीर्घ कालिक | | | |
| | i | 10% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 7v) | खि | | |
| | ii | 20% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 7vi) | ख ii | | |
| | iii | कुल दीर्घ कालिक (ख i + ख ii) (यदि हानि हो तो शून्य करें) | ख iii | | |
| ग | कुल पूंजी अभिलाभ (3 काiv + 3 खiii) (यदि हानि हो तो शून्य करें) | | | 3c | |
| 4 | अन्य स्रोतों से आय | | | | |
| | क | दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनको रखने से भिन्न स्रोतों से और विशेष दर पर कर से प्रभार्य आय (अनुसूची ण ध का ठ झ) (हानि की दशा में शून्य दर्ज करें) | 4 क | | |
| | ख | विशेष दर पर कर से प्रभार्य आय (अनुसूची ओएस का ठ भरें) | 4 ख | | |
| | ग | दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनको रखने से (अनुसूची ओएस का 3 ग) (हानि की दशा में शून्य दर्ज करें) | 4 ग | | |
| | घ | योग (4 क + 4 ख + 4 ग) | | | 4 घ |
| 5 | योग (1 + 2iv + 3 ग + 4 घ) | | | 5 | |
| 6 | 5 के सामने मुजरा किए जाने वाली चालू वर्ष की हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2xiii, 3xiii और 4xiii का योग) | | | 6 | |
| 7 | चालू वर्ष की हानि के मुजरे के पश्चात् अतिशेष (5-6) (अनुसूची 5 वीएफएलए + 4ख का योग) | | | 7 | |
| 8 | 7के संबंध में मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत की गई हानि (अनुसूची वीएफएलए के 2xii, 3 xii और 4xii का योग) | | | 8 | |
| 9 | सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची वीएफएलए के 5xiii भी + 4 ख) | | | 9 | |
| 10 | 9 में सम्मिलित धारा 111क, धारा 112 आदि के अधीन विशेष दर पर कर से प्रभार्य आय | | | 10 | |
| 11 | धारा 10 क या 10 कक के अधीन कटौती (अनुसूची 10 क का ड + 10 कक का ड) | | | 11 | |
| 12 | अध्याय 6क के अधीन कटौतियां | | | | |
| | क | अनुसूची 6क का भाग ख [अनुसूची 6क का (1) और (9-10) तक सीमित] | | 12क | |
| | ख | अनुसूची 6क का भाग ग [अनुसूची 6क का (2) और (9-10-2iii) तक सीमित] | | 12ख | |
| | ग | कुल (12क + 12ख) (9-10) तक सीमित | | 12ग | |
| 13 | कुल आय (9- 11-12ग) | | | 13 | |
| 14 | विशेष दरों पर कर से प्रभार्य आय (अनुसूची एसआई के i का योग) | | | 14 | |
| 15 | रेट प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय/कोई अन्य आय (अनुसूची ईआई का 4) | | | 15 | |
| 16 | कुल आय (13 - 14 + 15) (यदि (13-14) प्रभार्य कर की प्रभार्य न की गई रकम से अधिक है तो लागू होगा) | | | 16 | |
| 17 | अग्रनीत की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची सीएफएल के xi का योग) | | | 17 | |
| 18 | धारा 115जग के अधीन समझी गई कुल आय | | | 18 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|-----|---|---|---|--------|--|--|
| भाग ख-कुल आय पर कर दायित्व | | कुल आय पर कर दायित्व की संगणना | | | | | |
| कर दायित्व की संगणना | 1 | क | धारा 115जग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एएमटी का 4) | 1क | | | |
| | | ख | पूर्वोक्त (क) पर अधिभार (यदि एक 1 करोड़ रुपए से अधिक हो जाता है तो लागू) | 1ख | | | |
| | | ग | शिक्षा उप कर जिसके अंतर्गत पूर्वोक्त 1क+ 1ख पर उच्चतर शिक्षा उप कर भी है | 1ग | | | |
| | | घ | मान्यो गई आय (1 क+1 ख+1 ग) पर कुल संदेय कर | 1घ | | | |
| | | 2 | कुल आय पर संदेय कर | | | | |
| | | क | भाग ख-टीआई के 16 के सामान्य दरों पर कर | 2क | | | |
| | | ख | विशेष दरों पर कर (अनुसूची-एसआई का ii का कुल योग) | 2ख | | | |
| | | ग | कृषि आय पर छूट/भाग ख-नझ का 13-14 कर से प्रभार्य अधिकतम रकम से ज्यादा नहीं होगा, तभी लागू होगा | 2ग | | | |
| | | घ | कुल आय पर संदेय कर (2क+2ख-2ग) | | 2घ | | |
| | | ड | उपकर | | 2ड | | |
| | | | i | अनुसूची एस आई के 12(ii) का 25% | 2ड i | | |
| | | | ii | (2घ) - (अनुसूची एस आई का 12(ii)) / (लागू यदि भाग ख- टी आई का 13, एक करोड़ से अधिक है) | 2ड ii | | |
| | iii | | कुल (i + ii) | | 2ड iii | | |
| | च | 2घ + 2ड iii पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा सहित शिक्षा उपकर | | | 2च | | |
| | छ | कुल आय पर संदेय कर (2घ + 2ड iii + 2च) | | | 2छ | | |
| | 3 | सकल संदेय कर (2छ या 1घ से उच्चतर) | | | 3 | | |
| | 4 | पूर्व वर्षों में संदेय कर का धारा 115जग के अधीन जमा (यदि 2छ 1ग से अधिक है) (अनुसूची एएमटीसी का 5) | | | 4 | | |
| | 5 | धारा 115 जग के अधीन जमा के पश्चात् संदेय कर (3 - 4) | | | 5 | | |
| | 6 | कर राहत | | | | | |
| | | क | धारा 90/90क (अनुसूची नद का 2) | 6क | | | |
| | | ख | धारा 91 (अनुसूची नद का 3) | 6ख | | | |
| | | ग | योग (6क + 6ख) | | 6ग | | |
| | 7 | शुद्ध कर दायित्व (5-6ग) (यदि नकारात्मक हो तो शून्य दर्ज करें) | | | 7 | | |
| | 8 | संदेय ब्याज | | | | | |
| | क | विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234क) | 8क | | | | |
| | ख | अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234ख) | 8ख | | | | |
| | ग | अग्रिम कर के आस्थगन के लिए (धारा 234ग) | 8ग | | | | |
| | घ | संदेय कुल बकाया (8क+8ख+8ग) | | 8घ | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|----|--|---|-------------|---|---|--|
| संज्ञ कर और बैंक के व्योरे | 9 | कुल दायित्व (7 + 8घ) | | | 9 | | |
| | 10 | संदत्त कर | | | | | |
| | | क | अग्रिम कर (अनुसूची-आईटी से) | 10क | | | |
| | | ख | स्रोत पर काटा गया कर (अनुसूची-नघघ का स्तंभ 8) | 10ख | | | |
| | | ग | टीसीएस (अनुसूची- नघघ का स्तंभ 7) | 10ग | | | |
| | | घ | स्वतः निर्धारण कर (अनुसूची-इन से) | 10घ | | | |
| | | ङ | कुल संदत्त कर (10क+10ख+10ग+10घ) | | 10ङ | | |
| | 11 | संदेय रकम (यदि 9, 10 ङ से अधिक है तो प्रविष्ट करें, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें) | | | 11 | | |
| | 12 | प्रतिदाय (यदि 10ङ, 9 से अधिक है) प्रतिदाय यदि कोई हो तो, का सीधे बैंक खाते में प्रत्यय किया जाएगा | | | 12 | | |
| बैंक खाता | 13 | पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों का ब्यौरा (निष्क्रिय खातों को छोड़ते हुए) | | | | | |
| | | क्रम सं. | बैंक का आई एफ एस कोड | बैंक का नाम | खाता सं. (बैंक की सीवीएस प्रणाली के अनुसार सं. 9 अंकीय या अधिक होनी चाहिए।) | खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना प्रतिदाय यदि कोई हो प्राप्त करना चाहते हैं (एक खाता पर निशान लगाएं) | 09.11.2016 से 30.12.2016 के दौरान जमा रोकड़ (यदि अवधि के दौरान जमा सकल रोकड़ ≥ 2 लाख रुपये) |
| | | i | | | | | |
| | | ii | | | | | |
| | 14 | क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई आसूतियां (जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें) | | | | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |

सत्यापन

मैं.....जो.....का पुत्र/पुत्री हूँ स्थायी लेखा संख्या.....का धारक हूँ सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी सही और पूर्ण हैं और उसमें दर्शाए गए कुल आय/अनुषंगी फायदों की रकम और अन्य विशिष्टियां निर्धारण वर्ष 2017-18 से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए आयकर से प्रभाय आय और अनुषंगी फायदों की बाबत सही कथित की गई हैं और आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार हैं। मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं.....की अपनी हैसियत में यह विवरणी दे रहा/रही हूँ और मैं यह विवरणी देने और इसे सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दश में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू है)

स्थान

तारीख

यहां हस्ताक्षर करें→

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|--|---|----------|---|--|-------------------------------|
| 15 अनुसूची-आयकर | | | | | | | | | |
| क | आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के व्योरे | | | | | | | | |
| कर संदाय | क्रम सं. | बीएसआर कोड | निकषेप की तारीख (तिथि/मास/वर्ष) | चालान का क्रम सं. | रकम (₹.) | | | | |
| | i | | | | | | | | |
| | ii | | | | | | | | |
| | iii | | | | | | | | |
| | टिप्पण ▶ भाग ख-टीटीआई के क्रम सं 10क और 10घ में अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर का योग प्रविष्ट करें। | | | | | | | | |
| ख | आय कर स्रोत पर कटौती किए गए कर का ब्यौरा [कटौतीकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16क या प्ररूप 26थख के अनुसार] | | | | | | | | |
| अन्य आय पर स्रोत पर कर कटौती | क्रम सं. | कटौतीकर्ता का कर कटौती खाता संख्या (टैन)/क्रेता का पैन | कटौतीकर्ता का नाम | अनन्य स्रोत पर कर कटौती प्रमाण पत्र संख्यांक | दावा नहीं किया गया अग्रणीत स्रोत पर कटौती किया गया कर ख/ च वित्तीय वर्ष जिसमें स्रोत पर कर कटौती की गई है | रकम ख/ च | चालू वित्तीय वर्ष का स्रोत पर कटौती किया गया कर | (6) या (7) में से रकम जिसका इस वर्ष दावा किया गया है (केवल तभी जब तत्स्थानी आय का इस वर्ष के कर के लिए प्रस्ताव किया गया है) | (6) या (7) में से अग्रणीत रकम |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | i | | | | | | | | |
| | ii | | | | | | | | |
| | टिप्पण ▶ भाग ख-टीटीआई के 10(ख) में अनुसूची टीडीएस के स्तंभ 8 का योग प्रविष्ट करें | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------|--|----------|---|--|-------------------------------|
| ग | स्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार] | | | | | | | |
| आय के स्रोत पर संग्रहीत कर | क्रम सं. | संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण एकाउंट नंबर | संग्रहणकर्ता का नाम | दावा नहीं किया गया अग्रणीत स्रोत पर कटौती किया गया कर ख/ च वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रह किया गया | रकम ख/ च | चालू वित्तीय वर्ष का स्रोत पर कटौती किया गया कर | (6) या (7) में से रकम जिसका इस वर्ष दावा किया गया है (केवल तभी जब तत्स्थानी आय का इस वर्ष के कर के लिए प्रस्ताव किया गया है) | (6) या (7) में से अग्रणीत रकम |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | i | | | | | | | |
| | ii | | | | | | | |
| | टिप्पण ▶ भाग ख-टीटीआई के क्रम संख्या 10ग में स्तंभ (7) का योग प्रविष्ट करें। | | | | | | | |

टिप्पणी: कृपया यथा लागू विवरणी प्रपत्र (पृष्ठ 1 से 18) की अनुसूचियों को भरें।

विवरणी प्रपत्र की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

| अनुसूची-एचपी | | गृह संपत्ति से आय के ब्यौरे (कृपया अनुदेश निर्दिष्ट करें) | | | |
|--------------|---|--|---|--------|--|
| 1 | संपत्ति 1 का पता | नगर/शहर | राज्य | पिनकोड | |
| | क्या संपत्ति सह स्वामित्वाधीन है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि “हां” तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें) | | | | |
| | संपत्ति में निर्धारित अंश की प्रतिशतता | | | | |
| | सह स्वामी (स्वामियों) का नाम | | सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्यांक | | संपत्ति में अंश का प्रतिशत |
| | I | | | | |
| | II | | | | |
| | (सही का निशान) <input checked="" type="checkbox"/> यदि किराए पर दिया है <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया <input type="checkbox"/> | | किराएदार (किराएदारों) के नाम (यदि किराये पर हो) | | किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक) |
| | | | I | | |
| | | | II | | |
| | क | वार्षिक किराया योग्य मूल्य या प्राप्त या प्राप्य किराया (दोनों में अधिक है, यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दिया गया है, दोनों में कम है, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया है) | | | 1क |
| | ख | किराए की वह रकम, जो वसूल नहीं की जा सकती | 1ख | | |
| | ग | कर, स्थानीय प्राधिकरणों को संदाय किया जाता है | 1ग | | |
| | घ | योग (1ख+1ग) | 1घ | | |
| | ङ | वार्षिक मूल्य (1क-1घ) | 1ङ | | |
| | च | स्वामित्वाधीन संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वयं का प्रतिशत भाग x टड) | 1च | | |
| | छ | 1च का 30% | 1छ | | |
| | ज | उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज | 1ज | | |
| | झ | योग (1छ + 1ज) | 1झ | | |
| | ञ | गृह संपत्ति से आय 1 (1च - 1ि) | 1ञ | | |
| 2 | संपत्ति 2 का पता | नगर/शहर | राज्य | पिनकोड | |
| | क्या संपत्ति सह स्वामित्वाधीन है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि “हां” तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें) | | | | |
| | संपत्ति में निर्धारित अंश की प्रतिशतता | | | | |
| | सह स्वामी (स्वामियों) का नाम | | सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्यांक | | संपत्ति में अंश का प्रतिशत |
| | I | | | | |
| | II | | | | |
| | (सही का निशान) <input checked="" type="checkbox"/> यदि किराए पर दिया है <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया <input type="checkbox"/> | | किराएदार (किराएदारों) के नाम (यदि किराये पर हो) | | किराएदार (किराएदारों) का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक) |
| | | | I | | |
| | | | II | | |
| | क | वार्षिक किराया योग्य मूल्य या प्राप्त या प्राप्य किराया (दोनों में अधिक है, यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दिया गया है, दोनों में कम है, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया है) | | | 2क |
| | ख | किराए की वह रकम, जो वसूल नहीं की जा सकती | 2ख | | |
| | ग | कर, स्थानीय प्राधिकरणों को संदाय किया जाता है | 2ग | | |
| | घ | योग (2ख+2ग) | 2घ | | |
| | ङ | वार्षिक मूल्य (2क-2घ) | 2ङ | | |
| | च | स्वामित्वाधीन संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वयं का प्रतिशत में अंश)x 2e) | 2च | | |
| | छ | 2च का 30% | 2छ | | |
| | ज | उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज | 2ज | | |
| | झ | योग (2छ + 2ज) | 2झ | | |
| | ञ | गृह संपत्ति से आय 2 (2च - 2ज) | 2ञ | | |
| 3 | “गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय | | | | |
| | क | 30% कटौती के पश्चात् धारा 25क के अधीन वर्ष के दौरान अप्राप्त किराया या किराए का बकाया | | | 3क |
| | ख | योग (1ञ + 2ञ + 3क) | | | 3ख |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 9 | वह रकम जिस पर आधी दर पर अवक्षयण अनुज्ञात किया जाना है (7-8) (शून्य लिखें यदि परिणाम नकारात्मक हो) | | | | | | |
| 10 | 6 पर पूरी दर से अवक्षयण | | | | | | |
| 11 | 9 पर आधी दर पर अवक्षयण | | | | | | |
| 12 | 4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो | | | | | | |
| 13 | 7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो | | | | | | |
| 14 | 180 दिन से कम उपयोग में लाई गई आसतियों पर तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित अतिरिक्त अवक्षयण | | | | | | |
| 15 | कुल अवक्षयण* (10+11+12+13+14) | | | | | | |
| 16 | आस्ति/आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय | | | | | | |
| 17 | धारा 50* के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 -3-4 -7 -16) (नकारात्मक लिखें यदि ब्लाक विद्यमान नहीं रहता है) | | | | | | |
| 18 | पूर्व वर्ष* के अंतिम दिन को अवलिखित मूल्य (6+ 9 -15) (शून्य लिखें यदि परिणाम नकारात्मक हो) | | | | | | |

| अनुसूची-अन्य आस्तियों पर अवक्षयण | | अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (ऐसी आस्तियों से भिन्न जिनपर कटौती के रूप में पूर्ण पूंजी व्यय अनुज्ञेय है) | | | | | |
|----------------------------------|----|---|------|-------|------------------|-----------------|------|
| अन्य आस्तियों पर अवक्षयण | 1 | भवन | | | फर्नीचर और सज्जा | अमूर्त आस्तियाँ | पोत |
| | 2 | 5 | 10 | 100 | 10 | 25 | 20 |
| | | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| | 13 | | | | | | |
| | 14 | | | | | | |
| | 15 | | | | | | |

| अनुसूची-डीईपी | | आस्तियों पर अवक्षयण का सार (ऐसी आस्तियों से भिन्न जिनपर कटौती के रूप में किसी अन्य धारा के अधीन पूर्ण पूंजी व्यय अनुज्ञेय है) | | | | | |
|----------------------------|---|---|----|--|----|--|--|
| आस्तियों पर अवक्षयण का सार | 1 | संयंत्र और मशीनरी | | | | | |
| | क | 15 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-15i) | 1क | | | | |
| | ख | 30 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-15ii) | 1ख | | | | |
| | ग | 40 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-15iii) | 1ग | | | | |
| | घ | 50 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-15iv) | 1घ | | | | |
| | ङ | 60 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-15v) | 1ङ | | | | |
| | च | 80 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-15vi) | 1च | | | | |
| | छ | 100 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-15vii) | 1छ | | | | |
| | ज | संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ+1ङ+1च+1छ) | | | 1ज | | |
| | 2 | भवन | | | | | |
| | क | 5 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-12i) | 2क | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|----|--|----|
| | ख | 10 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-12ii) | 2ख | | |
| | ग | 100 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-12iii) | 2ग | | |
| | घ | भवन पर कुल अवक्षयण (2क + 2ख + 2ग) | | | 2घ |
| 3 | फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची डीओए -12iv) | | | | 3 |
| 4 | अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए -12v) | | | | 4 |
| 5 | पोत (अनुसूची डीओए -12vi) | | | | 5 |
| 6 | कुल अवक्षयण (1ज+2घ+3+4+5) | | | | 6 |

| अनुसूची-डीसीजी | | अवक्षयणीय आस्तियों के विक्रय पर समझे गए पूंजी अभिलाभ | | | |
|----------------|--|---|----|--|----|
| 1 | संबंत्र और मशीनरी | | | | |
| | क | 15 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-17i) | 1क | | |
| | ख | 30 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-17ii) | 1ख | | |
| | ग | 40 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-17iii) | 1ग | | |
| | घ | 50 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-17iv) | 1घ | | |
| | ङ | 60 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-17v) | 1ङ | | |
| | च | 80 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-17vi) | 1च | | |
| | छ | 100 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-17vii) | 1छ | | |
| | ज | संबंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ+1ङ+1च+1छ) | | | 1ज |
| 2 | भवन | | | | |
| | क | 5 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीओए -14i) | 2क | | |
| | ख | 10 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीओए -14ii) | 2ख | | |
| | ग | 100 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीओए -14ii) | 2ग | | |
| | घ | कुल (2क+2ख+2ग) | | | 2घ |
| 3 | फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची डीओए -14iv) | | | | 3 |
| 4 | अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए -14v) | | | | 4 |
| 5 | पोत (अनुसूची डीओए -14vi) | | | | 5 |
| 6 | योग (1ज+2घ+3+4+5) | | | | 6 |

| अनुसूची इएसआर | | धारा 35 या 35 गगग या 35 गगघ के अधीन कटौती | | | |
|---------------|------------------------------------|--|----------------|---|--|
| क्र. सं. | धारा में निर्दिष्ट प्रकृति के ब्यय | लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो | अनुज्ञेय कटौती | लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) = (3) - (2) | |
| i | 35(1)(i) | | | | |
| ii | 35(1)(ii) | | | | |
| iii | 35(1)(ii क) | | | | |
| iv | 35(1)(iii) | | | | |
| v | 35(1)(iv) | | | | |
| vi | 35(2 कक) | | | | |
| vii | 35(2 वख) | | | | |
| viii | 35 गगग | | | | |
| ix | 35i गगघ | | | | |
| x | योग | | | | |

| अनुसूची-पूँजी अभिलाभ | | पूँजी अभिलाभ | | |
|---|--|---|--|-------|
| क | अल्प कालिक पूँजी अभिलाभ (एसटीसीजी) (मद 4, 5 और 8 निवासियों के लिए लागू नहीं है) | | | |
| | 1 | भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से | | |
| | क | i | प्राप्त/प्राप्त प्रतिफल का पूरा मूल्य | क i |
| | | ii | स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य | क ii |
| | | iii | पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii) | क iii |
| | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियाँ | | |
| | ग | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | ख i |
| | | ii | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | ख ii |
| | | iii | पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय | ख iii |
| | | iv | योग (ख i + ख ii + ख iii) | ख iv |
| घ | तुलन क iii - ख iv) | 1 ग | | |
| ड | धारा 54 घ / 54 छ/54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्योरे विनिर्दिष्ट करें) | 1 घ | | |
| ड | स्थावर संपत्ति पर अल्प कालिक पूँजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ) | | क 1 ड | |
| 2 | स्लम्य विक्री से | | | |
| क | प्रतिफल का पूरा मूल्य | 2 क | (प्ररूप 3गडक का 5) | |
| | बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य | 2 ख | (प्ररूप 3गडक का 6(ड)) | |
| | ग | स्लम्य की विक्री से अल्प कालिक पूँजी अभिलाभ (2 क- 2 ख) | क 2 ग | |
| 3 | इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारखाने न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (एफआईआई के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है | | | |
| ख | क | प्रतिफल का पूरा मूल्य | 3 क | |
| | ग | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | ख i |
| | | ii | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | ख ii |
| | | iii | पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय | ग iii |
| | | iv | योग(i + ii + iii) | ख iv |
| | घ | शेष (3 क - ख iv) | 3 ग | |
| | ड | धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभार्थ/आय/बोनस युनियों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें) | 3 घ | |
| | ड | साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्प कालिक पूँजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ड +3 घ) | क 3 ड | |
| | 4 | अनिवासियों के लिए जो एफ आईआई नहीं हैं किसी भारतीय कंपनी के शेयर्स या लाभांशों के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी) | | |
| | क | संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त किया गया है | क 4 क | |
| संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त नहीं किया गया है | | क 4 ख | | |
| 5 | अनिवासियों की दशा में धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (ऊपर ए 3 से भिन्न) | | | |
| क | प्रतिफल का पूरा मूल्य | 5 क | | |
| | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियाँ | | |
| | | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | ख i |
| | | ii | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | ख ii |
| | | iii | पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय | ख iii |
| iv | योग (i + ii + iii) | ख iv | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|--|
| | ग | शेष (5 क - ख iv) | | 5 ग | | | |
| | घ | धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें) | | 5 घ | | | |
| | ङ | साम्या शीयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ङ +3 घ) | | | क 5 ङ | | |
| 6 | पूर्वोक्त | क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से | | | | | |
| | क | प्रतिफल का पूरा मूल्य | | 6 क | | | |
| | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियां | | | | | |
| | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | | ख i | | | |
| | ii | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | | ख ii | | | |
| | iii | पूर्णतया या अनन्वता के अंतरण से संबंधित व्यय | | ख iii | | | |
| | iv | योग (i + ii + iii) | | ख iv | | | |
| | ग | शेष (6 क - ख iv) | | 6 ग | | | |
| | घ | धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें) | | 6 घ | | | |
| | ङ | अवक्षणी आस्तियों पर माना गया अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजीका 6) | | 6 ङ | | | |
| | च | धारा 54 घ/54 छ/54 छक के अधीन कटौती | | 6 च | | | |
| | छ | पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एसटीटी जी (6 ग+ 6 घ + 6 ङ - 6 च) | | | क 6छ | | |
| 7 | अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि | | | | | | |
| | क | क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं | | | | | |
| | | पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई हैं | वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में कटौती का दावा किया गया है | नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं | पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि | नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि | |
| | i | 2013-14 | 54घ/54छ/54छक | | | | |
| | ख | धारा 54घ/54छ/54छक के अधीन 'क' से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि | | | | | |
| | | लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi + ख) | | | | क7 | |
| 8 | अनिवासी के लिए - एसटीसीजी जिसमें क1-क8 सम्मिलित है परंतु डीटीए के अधीन भारत में कर प्रभाय नहीं है | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 8 | अनिवासी के लिए - एसटीसीजी जिसमें क1-क8 सम्मिलित है परंतु डीटीए के अधीन भारत में कर प्रभाय नहीं है | | | | | | |
| | क्रम सं. | देश का नाम, कोड | डीटीए का अनुच्छेद | क्या निवास कर प्रमाणपत्र प्राप्त किया हुआ है? | उपरोक्त जिसमें मद सं. क1 से क7 सम्मिलित है | एसटीसीजी की राशि | |
| | I | | | | क1 ङ/क2ग /क3ङ/क4क/क4ख/क5ङ/क6छ/क7 | | |
| | II | | | | क1 ङ/क2ग /क3ङ/क4क/क4ख/क5ङ/क6छ/क7 | | |
| | III | डीटीए के अधीन भारत में कर प्रभाय नहीं एसटीसीजी की कुल राशि | | | | क8 | |
| 9 | कुल अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (क1 ङ+ क2 ग+ क3 ङ+ क4 क+ क4ख+ क5 ङ+ क6छ+ क7 - क 8) | | | | | क 9 | |

| | | | | |
|---|--|--|-----|------------------------|
| ख | दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (निवासियों के लिए मद 5, 6 और 9 लागू नहीं हैं) | | | |
| | 1 | भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से | | |
| | क | i प्राप्ति/प्रायः प्रतिफल का पूरा मूल्य | | क i |
| | | ii स्टाप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य | | क ii |
| | | iii पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii) | | क iii |
| | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियां | | |
| | | i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | | ख i |
| | | ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | | ख ii |
| | | iii पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय | | ख iii |
| | | iv योग (ख i + ख ii + ख iii) | | ख iv |
| | ग | शेष (क iii - ख iv) | | 1 ग |
| | घ | धारा 54 घ / 54 ङ / 54 ञ / 54 ट / 54 ठ के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें) | | 1 घ |
| | ङ | स्थावर संपत्ति पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ) | | ख 1 ङ |
| | 2 | स्लम्य विक्री से | | |
| | क | प्रतिफल का पूरा मूल्य | 2 क | (प्ररूप 3 गडक का 5) |
| | ख | बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य | 2 ख | (प्ररूप 3 गडक का 6(ड)) |
| | ग | शेष (2 क - 2 ख) | 2 ग | |
| | घ | धारा 54 ङ / 54 ञ के अधीन कटौती | 2 घ | |
| | ङ | स्लम्य के विक्रय से दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (2 ग-2 घ) | | ख 2 ङ |
| | 3 | बंध पत्रों या डिबेंचरों के विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीकृत बंध पत्रों से भिन्न) | | |
| | क | प्रतिफल का पूरा मूल्य | | 3क |
| | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियां | | |
| | | i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | | ख i |
| | | ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | | ख ii |
| | | iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय | | ख iii |
| | | iv योग (ख i + ख ii + ख iii) | | ख iv |
| | ग | शेष (3क - ख iv) | | 3 ग |
| | घ | धारा 54 ङ / 54 ञ के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें) | | 3 घ |
| | ङ | बंध पत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (3 ग - 3 घ) | | ख 3 ङ |
| | 4 | सूचीबद्ध प्रतिभूतियां (किसी यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्र या धारा 112(1) लागू हैं, के विक्रय से | | |
| | क | प्रतिफल का पूरा मूल्य | | 4 क |
| | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियां | | |
| | | i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | | ख i |
| | | ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | | ख ii |
| | | iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय | | ख iii |
| | | iv योग (ख i + ख ii + ख iii) | | ख iv |
| | ग | शेष (4 क - ख iv) | | 4 ग |
| | घ | धारा 54 ङ / 54 ञ के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें) | | 4 घ |
| | ङ | पूर्ववत् ख 4 पर आस्तियों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (4 ग-4 घ) | | ख 4 ङ |
| | 5 | अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों की विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा) | | |
| | क | सूचीकरण फायदे के बिना संगणित दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ | | 5क |
| | ख | धारा 54 ङ / 54 ञ के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें) | | 5 ख |
| | ग | शेयर या डिबेंचर पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (5क-5ख) | | ख 5 ग |
| | 6 | अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1) (ग), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से | | |
| | क | प्रतिफल का पूरा मूल्य | | 6क |
| | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियां | | |
| | | i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | | ख i |
| | | ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | | ख ii |
| | | iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय | | ख iii |
| | | iv योग (ख i + ख ii + ख iii) | | ख iv |
| | ग | शेष (6क - ख iv) | | 6 ग |

दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ

| | | | | |
|---|---|--|-----|-------|
| | घ | धारा 54ख/ 54ङ/ 54ञ के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें) | 6 घ | |
| | ङ | अनिवासियों की दशा में आस्तियों पर ऊपर 6 पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (6ग-6घ) | | B6e |
| 7 | | आस्तियों के विक्रय से जहां ऊपर ख 1 से ख 6 लागू नहीं होते हैं | | |
| | क | प्रतिफल का पूरा मूल्य | | 7क |
| | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियां | | |
| | | i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | | ख i |
| | | ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | | ख ii |
| | | iii पूर्णतया या अनन्वता के अंतरण से संबंधित व्यय | | ख iii |
| | | iv योग (ख i + ख ii + ख iii) | | ख iv |
| | ग | शेष (7 क - खiv) | | 7 ग |
| | घ | धारा 54घ/54ङ/ 54ञ/ धारा 54छ / धारा 54क के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें) | | 7 घ |
| | ङ | ऊपर ख 7 पर आस्तियों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (7ग-7घ) | | ख 7 ङ |
| 8 | | दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि | | |
| | क | क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|---|--|---|--|---|---|-----|--|
| | क्रम सं. | पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई हैं | वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें दावा कटौती का दावा किया गया है। | नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है | वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है | पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई राशि | नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि | | |
| | i | 2013-14 | 54/54घ/54च/54छ/54क | | | | | | |
| | ख | क से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि | | | | | | | |
| | | दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi+ख) | | | | | | | ख8 |
| 9 | | अनिवासी के लिए - एलटीसीजी जिसमें ख1-ख8 सम्मिलित है परंतु डीटीएए के अधीन कर भारत में प्रभाय नहीं है | | | | | | | |
| | क्रम सं. | देश का नाम, कोड | डीटीएए का अनुच्छेद | क्या निवास कर प्रमाणपत्र प्राप्त किया हुआ है? | उपरोक्त जिसमें मद सं. ख1 से ख8 सम्मिलित है | एलटीसीजी का राशि | | | |
| | I | | | | ख1 ङ/ख2 ङ/ख3 ङ/ख4 ङ/ ख5 ग/ख6 ङ/ ख7 ङ/ख8 | | | | |
| | II | | | | ख1 ङ/ख2 ङ/ख3 ङ/ख4 ङ/ ख5 ग/ख6 ङ/ ख7 ङ/ख8 | | | | |
| | III | डीटीएए के अधीन भारत में एलटीसीजी प्रभाय नहीं कर की कुल राशि | | | | | | | ख9 |
| 10 | | कुल दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (ख 1ङ + ख 2ङ + ख 3ङ + ख 4ङ + ख 5ग + ख 6ङ + ख 7ङ + ख 8 - ख 9) (हानि की दशा में संख्या को अनुसूची गचठ)की 9 xi पर ले जाएं | | | | | | | ख10 |
| ग | | "पूंजी अक्षाभ" शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (क 9 + ख10) (यदि हानि हो तो ख10 को शून्य लें) | | | | | | | ग |
| घ | | दावा की गई कटौती के विषय में जानकारी | | | | | | | |
| | 1 | धारा 54ख/54घ / धारा 54ङ/54ञ/धारा 54छ/धारा 54क के अधीन कटौती की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दें। | | | | | | | |
| | क | धारा जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है | | | | 1 क | कटौती की रकम | | |
| | | i नई आस्ति की लागत | | | | क i | | | |
| | | ii उनके अर्जन /विनिर्माण की तारीख में | | | | क ii | दि/ मा/ व | | |
| | | iii सम्यक तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम जमा रकम | | | | क iii | | | |
| | ख | धारा जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है | | | | 1 ख | कटौती की रकम | | |
| | | i नई आस्ति की लागत | | | | ख i | | | |
| | | ii उनके अर्जन /विनिर्माण की तारीख में | | | | ख ii | दि/ मा/ व | | |
| | | iii सम्यक तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम जमा रकम | | | | ख iii | | | |
| | ग | दावा की गई कुल कटौती (1 क + 1ख) | | | | 1 ग | | | |
| ङ | | पूंजी अभिलाभ चालू वर्ष की पूंजी हानि को चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ के साथ मुजराई करना (ए-8 और बी-9 में सम्मिलित डीटीएए के अधीन प्रभाय रकम के सिवाय) | | | | | | | |
| | क्र. सं. | पूंजी अभिलाभ का प्रकार | चालू वर्ष क अभिलाभ (इस संतम्भ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हो) | मुजराई की गई पूंजी हानि | | | मुजराई की गई दीर्घ कालिक पूंजी हानि | | मुजराई के पश्चात चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ 7= 1-2-3-4-5-6) |
| | | | | 15% | 30% | लागू दर | 10% | 20% | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------------|---|--|
| | i | मुजराई की जाने वाली हानि (इस संतम्भ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक नकारात्मक हों) | | (क 3 ड+ क 4 क) | क 5 ड | (क 1 ड+ क 2 ग + क 4 ख+ क 6 छ + क 7) | (ख 4 ड+ + ख 6 ज) | (ख 1 ड+ ख 2 ड+ ख 3 ड+ ख 5 ग+ ख 7 ड + ख 8) | |
| | ii | अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ | 15% | (क 3 ड+ क 4 क) | | | | | |
| | iii | | 30% | क 5 ड | | | | | |
| | iv | | लागू दर | (क 1 ड+क 2 ग+क 4 ख +क 6 छ+क 7) | | | | | |
| | v | दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ | 10% | (ख 4 ड+ + ख 6 ज) | | | | | |
| | vi | | 20% | (ख 1 ड+ ख 2 ड+ ख 3 ड+ ख 5 ग+ ख 7 ड + ख 8) | | | | | |
| | vii | कुल हानि मुजरा (ii + iii + iv + v + vi) | | | | | | | |
| | viii | मुजरा के पश्चात् शेष हानि (i - vii) | | | | | | | |
| च | पूंजी अभिलाभ के उद्भूत /प्राप्ति के विषय में सूचना | | | | | | | | |
| | | पूंजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख | | 15/6 तक (i) | 16/6 से 15/9 (ii) | 16/9 से 15/12 (iii) | 16/12 से 15/3 (iv) | 16/3 से 31/3 (iv) | |
| | 1 | 15% की दर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची वीएफएलए से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो | | | | | | | |
| | 2 | 30% की दर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची वीएफएलए से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो | | | | | | | |
| | 3 | लागू दर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची वीएफएलए की मद 5vii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो | | | | | | | |
| | 4 | 10% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची वीएफएलए की मद 5viii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो | | | | | | | |
| | 5 | 20% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची वीएफएलए की मद 5ix से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो | | | | | | | |

| अनुसूची-अन्य स्रोत | | अन्य स्रोतों से आय | | | | | |
|--------------------|---------|--|-------------------|---------------------|-----------------------------------|--|------------|
| अन्य स्रोत | 1 | आय | | | | | |
| | क | लाभांश, सकल | 1क | | | | |
| | ख | ब्याज, सकल | 1ख | | | | |
| | ग | मशीनरी, संयंत्र, भवन से किराए की आय | 1ग | | | | |
| | घ | दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से आय को छोड़कर) प्रकृति का उल्लेख करें। | | | | | |
| | i | लाटरी, वर्ग पहेली आदि में जीत के माध्यम से आय | 1घi | | | | |
| | ii | क धारा 68 के अधीन रोकड़ जमा | | | | | |
| | ख | धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान | | | | | |
| | ग | धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन इत्यादि | | | | | |
| | घ | धारा 69 ख के अधीन अप्रकटित विनिधान इत्यादि | | | | | |
| | ङ | धारा 69 ग के अधीन अस्पष्टीकृत व्यय इत्यादि | | | | | |
| | च | धारा 69 घ के अधीन हंडी पर उधार या पुनःसंदत्त रकम | | | | | |
| | | कुल (क + ख + ग + घ + ङ+ च) | 1 घii | | | | |
| | iii | | 1 घiii | | | | |
| | iv | | 1 घiv | | | | |
| | v | योग (1 घi + 1 घii+ 1 घiii + 1 घiv) | 1 घv | | | | |
| | ड | योग (1 क + 1 ख + 1 ग + 1 घv) | 1 ड | | | | |
| | च | एलई में शामिल विशेष दर पर कर से प्रभार्य आय (अनुसूची एसएल में ले जाई जाएगी) | | | | | |
| | i | लाटरी, क्रासवर्ड वर्ग पहेली, दौड़, जुआ, सट्टेबाजी आदि में जीत के माध्यम से धारा 155खख के अधीन आय | 1चi | | | | |
| | ii | घरेलू कंपनी से लाभांश आय जो 10 लाख रु से अधिक है (धारा 115खखघक के अधीन) (केवल फर्मों के लिए) | 1चii | | | | |
| | iii | धारा 115खखड. के अधीन कर को प्रभार्य समझी गई आय | 1चiii | | | | |
| | iv | धारा 11 खखच के अधीन प्रभार्य पेटेंट से आय | 1चiv | | | | |
| | v | अध्याय XII/XII-क के अधीन कोई अन्य आय जो कि विनिर्दिष्ट दर पर कर प्रभार्य है | 1चv | | | | |
| | vi | अनिवासी के लिए - डीटीए के अधीन कर के लिए प्रभार्य आय | | | | | |
| | क्रम स. | देश का नाम, कोड | डीटीए का अनुच्छेद | डीटीए के अधीन कर दर | क्या टीआरसी प्राप्त किया गया है ? | अधिनियम की तत्स्थानी धारा जिसमें दर विहित की जाती है | आय की राशि |
| | I | | | | | | |
| | II | | | | | | |

| | | | | | |
|----------|------------|------------|--|--------------|--|
| | | III | डीटीए के अधीन कर से प्रभाय आय की कुल राशि | 1cvi | |
| | vii | | विशिष्ट दर पर कर को प्रभाय योग्य '1ड' में सम्मिलित आय (1चां + 1चांii + 1चांiii + 1चांiv + 1चv + 1चvi) | 1cvii | |
| | छ | | साधारण लागू दर पर कर से प्रभाय समग्र रकमे (1ड - 1चvii) | 1छ | |
| | ज | | धारा 57 के अधीन कटौती (1चां, 1चांii, 1चांiii, 1चiv, 1चv और 1चvi के अधीन उससे संबंधित आय से भिन्न) | | |
| | i | | व्यय/कटौतियां | जि | |
| | ii | | अवक्षयण | ज ii | |
| | iii | | योग | ज iii | |
| | झ | | अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों से भिन्न और विशेष दर पर कर से प्रभाय) (ठछ- जiii) (नकारात्मक की दशा में संख्या को अनुसूची सीवाईएलए 4झ की में ले जाएं) | 1i | |
| 2 | | | अन्य स्रोत से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (1चiv + 1 झ) (नकारात्मक की दशा में एलआई को शून्य करें) | 2 | |
| 3 | | | दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखने से आय | | |
| | क | | प्राप्तियां | 3क | |
| | ख | | (4) के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां | 3ख | |
| | ग | | अतिशेष (3क - 3ख) (यदि नकारात्मक हो तो संख्या को अनुसूची गचट के 10xi को ले जाएं) | 3ग | |
| 4 | | | "अन्य स्रोतों" से आय शीर्ष के अधीन आय (2 + 3 ग) (नकारात्मक की दशा में 3 ग को ले जाएं) | 4 | |

| अनुसूची सीवाईएलए | | चालू वर्षों की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्योरे | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|--|
| क्र.सं. | आय का शीर्ष/स्रोत | चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को केवल तभी भरें यदि आय शून्य या सकारात्मक है) | मुजरा की गई चालू वर्ष की गृह संपत्ति हानि | मुजरा की गई चालू वर्ष की कारबार हानि (सट्टे या विनिर्दिष्ट कारबार की हानि से भिन्न) | अन्य स्रोतों से चालू वर्ष के लिए मुजराई की गई हानि (दौड़ के घोड़ों से हानि और विशेष दर पर कर से प्रभाय रकम से भिन्न) | मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वर्ष की आय |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1-2-3-4 |
| i | हानि की मुजराई की जानी है | | (अनुसूची एचपी का 3ख) | (अनुसूची जत का 2v) | (अनुसूची ओएस का 4ग) | |
| ii | गृह संपत्ति | (अनुसूची एचपी का 3ख) | | | | |
| iii | कारबार (जिसमें सट्टे की आय और विनिर्दिष्ट कारबार से आय सम्मिलित नहीं है) | (अनुसूची एचपी का क 37) | | | | |
| iv | सट्टे से आय | (अनुसूची एचपी की मद ड का 3ii) | | | | |
| v | धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार आय | (अनुसूची एचपी की मद ड 3ii) | | | | |
| vi | 15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सीजी की मद ड का 7ii) | | | | |
| vii | 30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सीजी की मद ड का 7 iii) | | | | |
| viii | लागू दर पर कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सीजी की मद ड का 7iv) | | | | |
| ix | 10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सीजी की मद ड का 7v) | | | | |
| x | 20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सीजी की मद ड का 7 vi) | (अनुसूची सीजी की मद ड का 7 vi) | | | |
| xi | अन्य स्रोत (रेस के घोड़ों के स्वामित्व से लाभ और विशेष कर की दर से प्रभाय आय को छोड़कर) | (अनुसूची ओएस की मद 1i) | | | | |
| xii | घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण से लाभ | (अनुसूची ओएस की मद 3ग) | | | | |
| xiii | मुजरा की गई कुल हानि (ii+ iii+ iv+ v+ vi+ vii+ viii+ ix+ x+ xi+ xii) | | | | | |
| xiv | मुजरे के पश्चात् शेष हानि (i - xiii) | | | | | |

| अनुसूची वीएफएलए | | पूर्व वर्षों की अग्रनीत हानियों के मुजरे के पश्चात् आय के व्योरे | | | | |
|-----------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|--|--|
| क्र.सं. | आय का शीर्ष/स्रोत | अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात् आय | मुजरा की गई अग्रनीत हानि | मुजरा किया गया अग्रनीत अवक्षयण | मुजरा किया गया, धारा 35(4) के अधीन अग्रनीत मोक (रिबेट) | मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वर्ष की आय |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| i | गृह संपत्ति | (अनुसूची सीवाईएलए का 5ii) | (ख यदि गृह संपत्ति से हानि है) | | | |

| | | | | | | | |
|------|---|--|---|--|--|--|--|
| ii | कारबार (जिसके अंतर्गत सट्टेबाजी से आय और विनिर्दिष्ट कारबार से आय शामिल नहीं है) | (अनुसूची सीवाईएलए का 5iii) | (ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से हानि है) | | | | |
| iii | सट्टे से आय | (अनुसूची सीवाईएलए का 5iv) | (ख यदि सट्टेबाजी से हानि है) | | | | |
| iv | विनिर्दिष्ट कारबार आय | (अनुसूची सीवाईएलए का 5v) | (ख विनिर्दिष्ट कारबार से हानि है) | | | | |
| v | 15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सीवाईएलए का 5vi) | (ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है) | | | | |
| vi | 30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सीवाईएलए का 5vii) | (ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है) | | | | |
| vii | लागू दर पर कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सीवाईएलए का 5viii) | (ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है) | | | | |
| viii | 10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सीवाईएलए का 5ix) | (ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है) | | | | |
| ix | 20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ | (अनुसूची सीवाईएलए का 5x) | (ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है) | | | | |
| x | अन्य स्रोत (रेस के घोड़ों के स्वामित्व से लाभ और विशेष कर की दर से प्रभाय आय को छोड़कर) | (अनुसूची सीवाईएलए का 5xi) | | | | | |
| xi | घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण से लाभ | (अनुसूची सीवाईएलए का 5xii) | (ख यदि घुड़दौड़ से हानि है) | | | | |
| xii | मुजरा की गई अग्रणीत कुल हानि | | | | | | |
| xiii | चालू वर्ष की मुजरे के पश्चात् शेष बची हानि | योग (i5 + ii5 + iii5 + iv5+v5 + vi5 + vii5 + viii5 + ix5 + x5 + xi5) | | | | | |

| अनुसूची सीएफएल | | भावी के वर्षों के लिए अग्रणीत हानियों का विवरण | | | | | | | | |
|----------------|--|--|----------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|--|---|-----|---|
| क्र.सं. | निर्धारण वर्ष | फाइल करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष) | गृह संपत्ति हानि | सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से हानि | सट्टे के कारबार से हानि | विनिर्दिष्ट कारबार से हानि | अल्पकालिक पूंजी हानि | दीर्घकालिक पूंजी हानि | रेस | दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से हानि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| i | 2009-10 | | | | | | | | | |
| ii | 2010-11 | | | | | | | | | |
| iii | 2011-12 | | | | | | | | | |
| iv | 2012-13 | | | | | | | | | |
| v | 2013-14 | | | | | | | | | |
| vi | 2014-15 | | | | | | | | | |
| vii | 2015-16 | | | | | | | | | |
| viii | 2016-17 | | | | | | | | | |
| ix | पूर्ववर्ष की हानियों का योग ख/च | | | | | | | | | |
| x | अनुसूची बीएफएलए में उपरोक्त हानियों का समायोजन | | (अनुसूची बीएफएलए का 2i) | (अनुसूची बीएफएलए का 2ii) | (अनुसूची बीएफएलए का 2iii) | (अनुसूची बीएफएलए का 2iv) | सीवाईएलए | | | (अनुसूची बीएफएलए का 2xi) |
| xi | 2017-18 (चालू वर्ष की हानि) | | (अनुसूची सीवाईएलए का 2xiv) | (अनुसूची सीवाईएलए का 3xiv) | (अनुसूची बीएफ का ख 41, यदि - 1ड) | (अनुसूची बीएफ का ग47, यदि - 1ड) | (अनुसूची सीजी की मद ड का 2viii+3viii+4viii)) | ((अनुसूची सीजी की मद ड का 5viii+6viii)) | | (अनुसूची ओएस का 3 ग यदि - 1ड) |
| xii | भावी वर्षों को अग्रनयन की गई कुल हानि | | | | | | | | | |

अनुसूची -अनामेलित अवक्षयण धारा 35(4) के अधीन अनामेलित अवक्षयण और मोक

| क्र.सं. | निर्धारण वर्ष | अवक्षयण | | | धारा 35(4) के अधीन मोक | | |
|---------|--------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| | | अग्रणीत अनामेलित अवक्षयण की रकम | चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा की गई अवक्षयण की रकम | अगले वर्ष के लिए अग्रणीत शेष रकम | अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम | चालू वर्ष की आय के लिए मोक की रकम | अग्रणीत शेष |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| i | चालू निर्धारण वर्ष | | | | | | |
| ii | | | | | | | |
| iii | | | | | | | |
| iv | | | | | | | |

| | | | | |
|---|-----|-------------------|--|-------------------|
| v | योग | (बीएफएलए का 3xii) | | (बीएफएलए का 4xii) |
|---|-----|-------------------|--|-------------------|

| क्रम.सं. | आ.स.प्र.मा. | रकम (+) या (-) |
|----------|---|----------------|
| (i) | (ii) | (iii) |
| I | लेखा नीति | |
| II | तालिकाओं का मूल्यांकन | |
| III | संनिर्माण संविदाएं | |
| IV | राजस्व मान्यता | |
| V | मूर्त नियत आस्तियां | |
| VI | विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन | |
| VII | सरकारी अनुदान | |
| VIII | प्रतिभूतियां | |
| IX | उधार लेने की लागत | |
| X | समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था | |
| 11. | कुल सकल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+IX+X) | |

| क्रम सं. | बचनबंध | निर्धारण वर्ष जिसमें इकाईयों ने विनिर्माण/उत्पादन आरंभ किया है | क्र. सं. | amount |
|----------|-------------------------------------|--|----------|--|
| क | बचनबंध सं0 1 | | क | (प्ररूप 56घ के उपाबंध क की मद 17 बचनबंध 1 के लिए) |
| ख | बचनबंध सं0 2 | | ख | (प्ररूप 56घ के उपाबंध क की मद 17 बचनबंध 2 के लिए) |
| ग | धारा 10क के अधीन कुल कटौतियां (क+ख) | | | |

| क्रम सं. | बचनबंध | निर्धारण वर्ष जिसमें इकाईयों ने विनिर्माण/उत्पादन /सेवा प्रदान करना आरंभ किया है | क्रम सं. | रकम |
|----------|--------------------------------------|--|----------|---|
| क | बचनबंध सं0 1 | | क | (प्ररूप 56घ के उपाबंध क की मद 17 के बचनबंध 1 के लिए) |
| ख | बचनबंध सं0 2 | | ख | (प्ररूप 56घ के उपाबंध क की मद 17 के बचनबंध 2 के लिए) |
| ड | धारा 10कक के अधीन कुल कटौतियां (क+ख) | | | |

| अ | विना अर्हता सीमा के 100% कटौती के लिए उपयुक्त संदान | | |
|-----|---|-------------------------------|----------------------|
| | आदाता का नाम और पता | आदाता का स्थायी लेखा संख्यांक | संदान की रकम |
| i | | | |
| ii | | | |
| iii | योग | | |
| आ | अर्हता सीमा के बगैर 50% कटौती के लिए उपयुक्त संदान | | |
| | आदाता का नाम और पता | आदाता का स्थायी खाता संख्यांक | संदान की रकम |
| i | | | |
| ii | | | |
| iii | योग | | |
| इ | अर्हता सीमाके अधीन रहते हुए 100% कटौती के लिए उपयुक्त संदान | | |
| | आदाता का नाम और पता | आदाता का स्थायी लेखा संख्यांक | संदान की रकम |
| | | | संदान की उपयुक्त रकम |

| | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|--------------|----------------------|
| | i | | | | |
| | ii | | | | |
| | iii | योग | | | |
| | ई | अर्हता सीमाके अधीन रहते हुए 50% कटौती के लिए उपयुक्त संदान | | | |
| | | आदाता का नाम और पता | आदाता का स्थायी लेखा सं० | संदान की रकम | संदान की उपयुक्त रकम |
| | | i | | | |
| | | ii | | | |
| | iii | योग | | | |
| उ | कुल संदान (कiii + खiii + ग iii + घiii) | | | | |

| अनुसूची-80-झक | | धारा 80- ठक के अधीन कटौतियां | | |
|---------------|--|------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| क | धारा 80-झक (4) (i) में निर्दिष्ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियां (अवसरचना सुविधा) | क1 | बचनबंध सं० 1 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| | | क2 | बचनबंध सं० 2 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| ख | धारा 80-झक(4) (ii) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (दूरसंचार सेवाएं) | ख1 | बचनबंध सं० 1 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| | | ख2 | बचनबंध सं० 2 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| ग | धारा 80-झक(4) (iii) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (औद्योगिक पार्क और विशेष आर्थिक जोन) | ग1 | बचनबंध सं० 1 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| | | ग2 | बचनबंध सं० 2 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| घ | धारा 80-झक(4) (iv) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत) | घ1 | बचनबंध सं० 1 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| | | घ2 | बचनबंध सं० 2 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| ङ | धारा 80-झक(4) (v) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत उत्सर्जन संयंत्र का पुनरुज्जीवन) और धारा 80-झक (vi) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (क्षेत्र पार प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क) | ङ1 | बचनबंध सं० 1 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| | | ङ2 | बचनबंध सं० 2 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| च | धारा 80-झक के अधीन कुल कटौती (क1 + क2 + ख1 + ख2 + ग1 + ग2 + घ1 + घ2 + ङ1 + ङ2) | | | च |

| अनुसूची-80-झख | | धारा 80-झख के अधीन कटौतियां | | |
|---------------|---|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|
| क | जम्मू-कश्मीर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती (धारा80झख (4)) | क1 | बचनबंध सं० 1 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| | | क2 | बचनबंध सं० 2 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| ख | आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौती (धारा80झख (4)) | ख1 | बचनबंध सं० 1 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| | | ख2 | बचनबंध सं० 2 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| ग | औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौती (धारा80झख (5)) | ग1 | बचनबंध सं० 1 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| | | ग2 | बचनबंध सं० 2 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| घ | बहुविधा थियेटर की दशा में कटौती (धारा80झख (7क)) | घ1 | बचनबंध सं० 1 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी का 10(v)) |
| | | घ2 | बचनबंध सं० 2 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी का 10(v)) |
| ङ | कन्वेशन केन्द्रों की दशा में कटौती (धारा80झख (7ख)) | ङ1 | बचनबंध सं० 1 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी का 10(v)) |
| | | ङ2 | बचनबंध सं० 2 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी का 10(v)) |
| च | ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और खनन आरंभ करता है (धारा80झख (9)) | च1 | बचनबंध सं० 1 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| | | च2 | बचनबंध सं० 2 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| छ | गृह परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80झख (10)) | छ1 | बचनबंध सं० 1 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| | | छ2 | बचनबंध सं० 2 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |

| | | | | |
|---|---|----|--------------|--------------------------------------|
| ज | प्रशीतन श्रृंखला सुविधा का प्रचालन करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 80इख (11)) | ज1 | बचनबंध सं01 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| | | ज2 | बचनबंध सं0 2 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| झ | फल और सब्जियों, मांस, मांस उत्पाद, कुक्कुट, समुद्री या डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 80इख (11क)) | झ1 | बचनबंध सं0 1 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| | | झ2 | बचनबंध सं0 2 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| ञ | अनाज की संभलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारवार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 80इख (11क)) | ज1 | बचनबंध सं01 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| | | ज2 | बचनबंध सं0 2 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| ट | ग्रामीण अस्पताल के प्रचालन और अनुरक्षण में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 80इख (11ख)) | ट1 | बचनबंध सं0 1 | (प्ररूप 10सीसीबी ग का 11(v)) |
| | | ट2 | बचनबंध सं02 | (प्ररूप 10सीसीबी ग का 11(v)) |
| ठ | वर्जित क्षेत्र से भिन्न, किसी क्षेत्र में अस्पताल के परिचालन और अनुरक्षण में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 8इख (11ग)) | ठ1 | बचनबंध सं0 1 | (प्ररूप 10सीसीबी घ का 11(घ)) |
| | | ठ2 | बचनबंध सं02 | (प्ररूप 10सीसीबी घ का 11(घ)) |
| ड | धारा 80इख के अधीन कुल कटौती (क1 से ट2 का योग) | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|---|-------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| अनुसूची-80-इग या 80-इज | | धारा 80-इग या धारा 80इज के अधीन कटौतियां | | | | |
| धारा 80-इग के अधीन कटौती | क | सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती | क1 | बचनबंध सं0 1 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) | |
| | | | क2 | बचनबंध सं0. 2 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) | |
| | ख | हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती | ख1 | बचनबंध सं0 1 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) | |
| | | | ख2 | बचनबंध सं0. 2 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) | |
| | ग | उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती | ग1 | बचनबंध सं0 1 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) | |
| | | | ग1 | बचनबंध सं0 2 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) | |
| | घ | पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती | घक असम | घक1 | बचनबंध सं0 1 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| | | | | घक2 | बचनबंध सं0 2 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| | | | घख अरुणाचल प्रदेश | घख1 | बचनबंध सं0 1 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| | | | | घख2 | बचनबंध सं0 2 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| | | | घग मणिपुर | घग1 | बचनबंध सं01 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| | | | | घग2 | बचनबंध सं02 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| | | | घघ मिजोरम | घघ1 | बचनबंध सं0 1 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| | | | | घघ2 | बचनबंध सं02 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| | | | घङ मेघालय | घङ1 | बचनबंध सं0 1 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| | | | | घङ2 | बचनबंध सं0. 2 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| | | | घच नागालैंड | घच1 | बचनबंध सं0. 1 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| | | | | घच2 | बचनबंध सं0. 2 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| | | | घछ त्रिपुरा | घछ1 | बचनबंध सं0 1 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| | | | | घछ2 | बचनबंध सं0 2 | (बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30) |
| घज | पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का योग (घक1 से घछ 2 का योग) | घज | | | | |
| ड | धारा 80इग या धारा 80इज के अधीन कुल कटौती (क+ घ + ग+घज) | ज | | | | |

| | | | | |
|--------------|-------|------------------------------------|---|--------|
| अनुसूची-6क | | अध्याय 6क के अधीन कटौतियां | | |
| कुल कटौतियां | 1 | भाग ख- कतिपय संदायों की बाबत कटौती | | |
| | क | 80छ | ख | 80छग |
| | | भाग ख के अधीन कुल कटौती (क + ख) | | 1 |
| | 2 | भाग ग- कतिपय संदायों की बाबत कटौती | | |
| ग | 80-इक | (अनुसूची 80- उक का च) | घ | 80-इकख |

| | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---|-----------|---------------------------|---|--|
| ड | 80-झकग | | च | 80-झख | (अनुसूची 80- झख का ड) | | |
| छ | 80-झखक | | ज | 80झग/80झड | (अनुसूची 80 झग/80झड का ड) | | |
| झ | 80झघ | (प्ररूप 10सीसीबी खक की मद 10(ड)) | ञ | 80ञकक | | | |
| ट | 80ञककक | | ठ | 80टक | प्ररूप 10गगच का उपाबंध 9 | | |
| ड | 80त | | | | | | |
| | भाग ग के अधीन कुल कटौती (ग से ड तक का योग) | | | | | 2 | |
| 3 | अध्याय 6क के अधीन कुल कटौती (1 से 2 का योग) | | | | | 3 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|----|--|---|---|--|
| अनुसूची- एएमटी धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना | | | | | | | |
| कुल कटौतियां | 1 | भाग-ख-कुल आय के मद 13 के अनुसार कुल आय | | | | 1 | |
| | 2 | धारा 115ज(2) के अनुसार समायोजन | | | | | |
| | क | शीर्ष "ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियां" के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई कटौती | 2क | | | | |
| | ख | धारा 10कक के अधीन दावा की गई कटौती | 2ख | | | | |
| | ग | आस्तियों जिस पर ऐसी कटौती का दावा किया जाता है पर अवकाश राशि द्वारा यथा घटाया गया धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा | 2ग | | | | |
| | घ | कुल समायोजन (2क + 2ख) | 2घ | | | | |
| 3 | धारा 115जग (1) के अधीन समायोजित कुल आय(1 + 2ग) | | | | 3 | | |
| 4 | धारा 115जग (1) के अधीन संदेय कर [(3)का 18.5 प्रतिशत] (व्यष्टि, एचयूएफ, एओपी, बीओई, एजेपी के मामले में यदि (3)20 लाख से अधिक है तो यह लागू होगा। | | | | 4 | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| अनुसूची एएमटीसी धारा 115जघ के अधीन जमा कर की संगणना | | | | | | |
| 1 | निर्धारण वर्ष 2017-18 में धारा 115 जग के अधीन कर (भाग-ख-टीटीआई का 1घ) | | | | 1 | |
| 2 | निर्धारण वर्ष 2017-18 में अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर(भाग-ख-टीटीआई का 4) | | | | 2 | |
| 3 | कर की रकम जिसके विरुद्ध जमा राशि उपलब्ध है [(2-1 प्रविष्ट करें) यदि 2 1 से अधिक है, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें] | | | | 3 | |
| 4 | उपलब्ध एएमटी जमा राशि का उपयोग (चालू वर्ष के दौरान उपयोजित एएमटी जमा राशि उपरोक्त तीन में वर्णित अधिकतम रकम के अध्वधीन होगी और वह अग्रणीत एएमटी जमा राशि से अधिक नहीं हो सकती | | | | | |
| | क्र.सं. | निर्धारण वर्ष (अ) | एएमटी प्रत्यय | | चालू वर्ष के दौरान उपयोग की गई एएमटी | अग्रणीत अतिशेष एएमटी जमा (घ) = (ख3) - (ग) |
| | i | 2012-13 | सकल (ख1) | पूर्व वर्षों में मुजरा की गई (ख2) | अग्रणीत अतिशेष (ख3)=(ख1)-(ख2) | |
| | ii | 2013-14 | | | | |
| | iii | 2014-15 | | | | |
| | iv | 2015-16 | | | | |
| | v | 2016-17 | | | | |
| | vi | चालू निर्धारण वर्ष (1-2 प्रविष्ट करें, यदि 1 > 2 या शून्य प्रविष्ट करें) | | | | |
| | vii | योग | | | | |
| 5 | धारा 115जघ के अधीन जमा कर की रकम [(मद सं. 4ग के अनुसार] | | | | 5 | |
| 6 | पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष में जमा राशि के लिए उपलब्ध एएमटी वायित्व की रकम [मद सं. 4घ प्रविष्ट करें] | | | | 6 | |

| अनुसूची एसआई | | विशेष दर से प्रभार्य आय (धारा और कर की दर के लिए कृपया अदेश सं०-7(ii) देखें) | | | | |
|--------------|--|--|--------------|---------------------------------|-------------|--|
| क्र.सं | धारा / विवरण | ☐ | विशेष दर (%) | आय (i) | उस पर कर ii | |
| 1 | 111 क (शेयरों / साम्ना उन्मुख पारस्परिक निधियों पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ/) | ☐ | 15 | (अनुसूची बीएफएलए का 5v) | | |
| 2 | 115 कघ (एफआईआई प्रतिभूतियों पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ जहां एसटीटी का संदाय नहीं किया गया है) | ☐ | 30 | (अनुसूची बीएफएलए का 5vi) | | |
| 3 | 112 परंतुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी/यूनिट सूचीकर के बिना) | ☐ | 10 | (अनुसूची बीएफएलए का भाग 5viii) | | |
| 4 | 112(1)(c)(ii) (गैर निवासियों पर अनुपयोजित प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी) | ☐ | 10 | (अनुसूची बीएफएलए का भाग 5viii) | | |
| 5 | 115 कख (अनिवासियों के लिए धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाईयों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ) | ☐ | 10 | (अनुसूची बीएफएलए का भाग 5viii) | | |
| 6 | 115 कग (अनिवासियों के लिए बंध पत्रों /जीडीआर पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ) | ☐ | 10 | (अनुसूची बीएफएलए का भाग 5viii) | | |
| 7 | 115 कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ) | ☐ | 10 | (अनुसूची बीएफएलए का भाग 5vii i) | | |
| 8 | 112 (अन्य पर एलटीसीजी) | ☐ | 20 | (अनुसूची बीएफएलए का भाग 5ix of) | | |
| 9 | 115 कग (यदि अनिवासी की आय विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बंध पत्रों या जीडीआर से है) | ☐ | 10 | (अनुसूची ओएस का भाग च 1 च ii) | | |
| 10 | 115 खख (लॉटरी, वर्ग पहेली, दौड़, खेल आदि से जीत) | ☐ | 30 | (अनुसूची ओएस का भाग 1 च i) | | |
| 11 | 115 खखघक (10 लाख रुपये से अधिक घरेलू कंपनी से लाभांश आय) | ☐ | 10 | (अनुसूची ओएस का 1च ii) | | |
| 12 | 115 खखड (धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या 69घ के अधीन आय) | ☐ | 30 | (अनुसूची ओएस का भाग 1 च ii) | | |
| 13 | 115खखच (पेटेंट से आय पर कर) | | | | | |
| | क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय | ☐ | 10 | (अनुसूची बीपी का 3घ) | | |
| | ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय | ☐ | 10 | (अनुसूची ओएस का 1चiv) | | |
| 14 | 115 क (ख) (अनिवासी की राजस्व से आय) | ☐ | 25 | (अनुसूची ओएस का भाग 1चiv) | | |
| 15 | डीटीए दर के अधीन प्रभार्य | ☐ | | (अनुसूची ओएस के 1चvi का भाग) | | |
| 16 | | ☐ | | | | |
| 17 | | ☐ | | | | |
| | | | योग | | | |

| अनुसूची-छूट प्राप्त आय | | छूट प्राप्त आय का ब्यौरा (कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय) | | | | |
|------------------------|--|--|---|----|---|--|
| छूट प्राप्त आय | 1 | ब्याज से आय | | | 1 | |
| | 2 | लाभांश से आय | | | 2 | |
| | 3 | उन संव्यवहारों जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर का संदाय किया गया है पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ | | | 3 | |
| | 4 | i | शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न) | i | | |
| | | ii | कृषि पर उपगत व्यय | ii | | |
| iii | | पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेलित कृषि हानि | iii | | | |
| iv | | वर्ष (i-ii-iii) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें) | | 4 | | |
| 5 | अन्य नाबालिग बालक की आय जिस पर छूट है, सम्मिलित है | | | 5 | | |
| 6 | योग (1+2+3+4+5) | | | 6 | | |

| अनुसूची पीटीआई | | धारा 115पक, 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|---|------|-----------------------------------|-------------------|-----------|--|-----------------|--|--|
| क्रम | कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का नाम | कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या | क्रम | आय का शीर्ष | | आय की रकम | ऐसी रकम पर ख़ोत पर कर कटौती, यदि कोई हों | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1. | | | i | गृह संपत्ति | | | | | | |
| | | | ii | पूँजी अभिलाभ | | | | | | |
| | | | क | अल्पकालिक अवधि | | | | | | |
| | | | | ख | दीर्घकालिक अवधि | | | | | |
| | | | iii | अन्य ख़ोत | | | | | | |
| | | | iv | दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी | | | | | | |
| | | | क | धारा 10(23चखख) के अधीन | | | | | | |
| | | | | ख | धाराके अधीन | | | | | |
| | | | | ग | धारा.....के अधीन | | | | | |
| | | | 2. | | | i | गृह संपत्ति | | | |
| | | | | | | ii | पूँजी अभिलाभ | | | |
| | | | | | | क | अल्पकालिक अवधि | | | |
| | | | | | | | ख | दीर्घकालिक अवधि | | |
| | | | | | | iii | अन्य ख़ोत | | | |
| iv | दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी | | | | | | | | | |
| क | धारा 10(23चखख) के अधीन | | | | | | | | | |
| | ख | धाराके अधीन | | | | | | | | |
| | ग | धारा.....के अधीन | | | | | | | | |
| टिप्पण ▶ | | इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें। | | | | | | | | |

| अनुसूची- एफएसआई | | भारत से बाहर आय और कर राहत | | | | | | | |
|-----------------|---------|----------------------------|---------|-------------|--|------------------------|--|---|--|
| क्र. सं | देश कोड | कर संदायकर्ता पहचान संख्या | क्र. सं | आय का शीर्ष | भारत से बाहर आय (भाग ख तज्ञ में शामिल) | भारत से बाहर संदत्त कर | भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदत्त कर | भारत में उपलब्ध कर राहत (ड) = (ग) या (घ) जो भी निम्नतर हो | यदि राहत धारा 90 या 90क के अधीन दावा की गई है तो डीटीएए का सुसंगत अनुच्छेद |
| | | | | (क) | (ख) | (ग) | (घ) | (ड) | (च) |
| 1 | | | i | गृह संपत्ति | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|-------------------|--|--|--|--|--|
| | | | ii | कारबार या व्यवसाय | | | | | |
| | | | iii | पूँजी अभिलाभ | | | | | |
| | | | iv | अन्य स्रोत | | | | | |
| | | | योग | | | | | | |
| | | | 2 | | | | | | |
| | | | i | गृह संपत्ति | | | | | |
| | | | ii | कारबार या व्यवसाय | | | | | |
| | | | iii | पूँजी अभिलाभ | | | | | |
| | | | iv | अन्य स्रोत | | | | | |
| | | | योग | | | | | | |
| टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------|---|---|--|---|--|---|----------|
| अनुसूची-टीआर | | भारत से बाहर संवत्त किए गए कर्षों पर दावा की गई कर राहत के सारांश का ब्यौरा | | | | | | | | |
| भारत से बाहर संवत्त कर के लिए कर राहत | 1 | दावा की गई राहत के कर ब्यौरे | | | | | | | | |
| | | देश कोड | कर संदायकर्ता पहचान संख्या | भारत से बाहर संवत्त कुल कर (अनुसूची च ध झ की (ग) का प्रत्येक देश की बाबत योग) | उपलब्ध कुल कर राहत (अनुसूची च ध झ की (ङ) का प्रत्येक देश की बाबत योग) | वह धारा जिसके अधीन राहत का दावा किया गया है (90, 90क या 91 विनिर्दिष्ट करें) | | | | |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | योग | | | | | | |
| | 2 | उस देश की बाबत उपलब्ध कुल कर राहत जहां डीटीएए लागू है (धारा 90/90क) (1(घ) के योग का भाग) | | | | | | | 2 | |
| | 3 | उस देश की बाबत उपलब्ध कुल कर राहत जहां डीटीएए लागू नहीं है (धारा 91) (1(घ) के योग का भाग) | | | | | | | 3 | |
| | 4 | क्या भारत से बाहर किसी कर का संदाय किया गया है जिसपर भारत में कर राहत अनुज्ञात थी जिसका वर्ष के दौरान विदेशी कर प्राधिकारी ने प्रतिदाय/प्रत्यय किया है ? यदि हां तो उसके ब्यौरे दें | | | | | | | 4 | हां/नहीं |
| | क | प्रतिदाय किए गए कर की रकम | | | | ख | निर्धारण वर्ष जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है | | | |
| टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|------------------------|---|---|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|----------------------|
| अनुसूची वि.आ. | | भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा | | | | | | | | | | |
| विदेशी आस्तियों के ब्यौरे | क | पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय रखे गये विदेशी बैंक खाता रखने का ब्यौरा (जिसमें कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित है) | | | | | | | | | | |
| | क्र. सं. | देश का नाम और कोड | बैंक का नाम और पता | खाताधारक का नाम | प्रास्थिति-स्वामी/फायदाप्रद स्वामी/हिताधिकारी | खाता संख्या | खाता खोलने की तारीख | वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष (रु. में) | खाते में प्रोदभूत ब्याज | इस विवरणी में कराधेय और प्रस्तुत की गई आय | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | राशि | जहां अनुसूची प्रस्तुत की गई है | अनुसूची की मद संख्या |
| | (i) | | | | | | | | | | | |
| | (ii) | | | | | | | | | | | |
| ख | पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी सत्ता में वित्तीय ब्याज का ब्यौरा (जिसमें कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित है) | | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | देश का नाम और कोड | अस्तित्व की प्रकृति | अस्तित्व का नाम और पता | ब्याज की प्रकृति-सीधे/फायदाप्रद स्वामी/हिताधिकारी | रखने की तारीख से | कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में) | ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय | आय की प्रकृति | इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज | | | |
| | | | | | | | | | राशि | जहां अनुसूची प्रस्तुत की गई है | अनुसूची की मद संख्या | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---|---|---|--|------------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|----------------------|------|
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| ग | पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी अचल संपत्ति रखने का ब्यौरा (जिसमें कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित है) | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | देश का नाम और कोड | संपत्ति का पता | स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी/हिताधिकारी | अर्जन की तारीख | कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में) | संपत्ति से प्राप्त आय | आय की प्रकृति | इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज | | | |
| | | | | | | | | राशि | जहां अनुसूची प्रस्तुत की गई है | अनुसूची की मद संख्या | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| घ | पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय कोई भी अन्य पूंजी आस्तियां रखने का ब्यौरा (जिसमें कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित है) | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | देश का नाम और कोड | आस्ति की प्रकृति | स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी/हिताधिकारी | अर्जन की तारीख | कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में) | संपत्ति से प्रोदभूत आय | आय की प्रकृति | इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज | | | |
| | | | | | | | | राशि | जहां अनुसूची प्रस्तुत की गई है | अनुसूची की मद संख्या | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| ङ | पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय रखे गए (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर करने के प्राधिकारी हैं का ब्यौरा (जिसमें कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं है | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है | संस्था का पता | खाताधारक का नाम | खाता संख्या | वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष/विनिधान (रु. में) | क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है | यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि | यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय | | | |
| | | | | | | | | राशि | जहां अनुसूची प्रस्तुत की गई है | अनुसूची की मद संख्या | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| च | भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरा जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो। | | | | | | | | | | |
| क्र. सं० | देश का नाम और कोड | न्यास का नाम और पता | न्यासियों के नाम और पते | अवस्थापक का नाम और पता | हिताधिकारियों के नाम और पते | जब से पद संभाला है उसकी तारीख | क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है | यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय | यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय | | |
| | | | | | | | | राशि | जहां अनुसूची प्रस्तुत की गई है | अनुसूची की मद संख्या | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| छ | भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारवार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | देश का नाम और कोड | जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता | | प्राप्त आय | आय की प्रकृति | क्या आपके पास कराधेय है। | यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय | | | | |
| | | | | | | | राशि | जहां अनुसूची प्रस्तुत की गई है | अनुसूची की मद संख्या | | |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | | |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|---|---|---|---|-----|
| प्ररूप आकवि -6 | भारतीय आयकर विवरणी [धारा 11 के अधीन छूट का दावा करने वाली कम्पनियों से भिन्न कम्पनियों के लिए] [आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखें] (संलग्न अनुदेशों को भी देखें) | निर्धारण वर्ष | | | | | |
| | | 2 | 0 | 1 | 7 | - | 1 8 |

| भाग क-साधारण | | साधारण | | | | | |
|------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|-------------------------------|--|
| व्यक्तिगत सूचना | नाम | स्थायी लेखा सं० | | | | | |
| | क्या कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन है? यदि हां, तो कृपया पुराना नाम दें | कारपोरेट पहचान संख्या (का०प०स०) ए०सी०ए० द्वारा जारी | | | | | |
| | फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं० | परिसर/भवन/ग्राम का नाम | | | | निगमन की तारीख (दिन/मास/वर्ष) | |
| | सड़क /मार्ग/डाक घर | क्षेत्र/अवस्थान | | | | / / | |
| | कस्बा/शहर/जिला | राज्य | पिन कोड | | कंपनी का प्रकार (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | | देश | | | (i) देशी कंपनी <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | (ii) विदेशी कंपनी <input type="checkbox"/> | | |
| | कार्यालय की दूरभाष संख्या एसटीडी कोड सहित/मोबाइल नं०-1 | मोबाइल नं०-2 | | यदि पब्लिक कंपनी है तो 6, लिखें, और यदि प्राइवेट कंपनी हैं तो 7 लिखें (कंपनी अधिनियम की धारा 3 में यथापरिभाषित) <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | | आय-कर वार्ड/सर्किल | | | |
| | | | | | | | |
| | ई मेल पता-1 | | | | | | |
| | ई मेल पता-2 | | | | | | |
| फाइल करने की प्रारथिति | क | फाइल विवरणी (निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश सं० 5 देखें] <input type="checkbox"/> या देय तारीख से पूर्व -139(1), <input type="checkbox"/> देय तारीख के पश्चात् -139(4), <input type="checkbox"/> पुनरीक्षित विवरणी -139(5) <input type="checkbox"/> उपांतरित विवरणी- 92 ग घ, <input type="checkbox"/> धारा(2)119ख(के अधीन या सूचना के उत्तर में <input type="checkbox"/> 139(9)- त्रुटिपूर्ण, <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153A, <input type="checkbox"/> 153ग | | | | | |
| | ख | यदि पुनरीक्षित है/त्रुटिपूर्ण होने के उत्तर में, तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष) प्रविष्ट करें | | | | | |
| | ग | धारा 139(9)/142(1)/148/153क/153ग के अधीन सूचना के उत्तर में इस प्रकार की सूचना की तारीख, यदि फाइल ली गई हो या धारा 92 ग घ के अधीन अग्रिम मूल्यांकन करार की तारीख | | | | | |
| | घ | आवासीय प्रारथिति (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> अनिवासी | | | | | |
| | ङ | क्या धारा 115खक का विकल्प हो रहा है? (हाँ / नहीं) (घरेलू कम्पनी पर लागू) | | | | | |
| | च | क्या पिछले वर्ष 2014-15 में कुल व्यापारवर्त/सकल प्राप्तियां 5 करोड़ रुपये से अधिक है? (हाँ / नहीं) (घरेलू कम्पनी पर लागू) | | | | | |
| | छ | क्या निर्धारित देश का या त्रिनिदिष्ट राज्यक्षेत्र जिसके साथ भारत ने धारा 90(1) में निर्दिष्ट करार किया है या केन्द्रीय सरकार ने 90क(1) के अधीन कोई करार किया है का निवासी है? | | | | | |
| | ज | अनिवासी की दशा में, क्या भारत में स्थायी स्थापन है? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | | | | |
| | झ | क्या निर्धारित से कम्पनियों के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहना अपेक्षित है? | | | | | |
| | ञ | क्या निर्धारित किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित है और अपनी आय एकमात्र संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के रूप में प्राप्त करता है? (सही का निशान) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं | | | | | |
| | ट | क्या निर्धारित कम्पनी समापन के अधीन है (सही का निशान) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं | | | | | |
| | ठ | क्या एफआईआई/एफपीआई है? हां/नहीं यदि हां, कृपया सेबी रजिस्ट्रीकरण सं० बताएं | | | | | |
| | ड | क्या अधिनयम की धारा 94 के अधीन अधिसूचित अधिकारिता में स्थित एक व्यक्ति के साथ संव्यवहार किया गया <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | | | | |
| | ढ | क्या निर्धारित के प्रतिनिधि द्वारा यह विवरणी फाइल की जा रही है? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें - | | | | | |
| | | (1) | निर्धारित के प्रतिनिधि का नाम | | | | |
| | (2) | निर्धारित के प्रतिनिधि का पता | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|------------------------|--|----------------------|
| | (3) | निर्धारिती के प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्यांक | | | | |
| संपरीक्षा सूचना | (क) | क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं ? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | | | |
| | (ख) | क्या आप धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं ? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | | | |
| | (ग) | यदि (ख) है, तो क्या लेखाओं की लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की गई है ? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | | | |
| | (घ) | (1) | लेखा परीक्षा रिपोर्ट देने की तारीख का उल्लेख (दिन/मास/वर्ष) | | | |
| | | (2) | लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम | | | |
| | | (3) | लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या | | | |
| | | (4) | लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक/ फर्म) | | | |
| | | (5) | स्वत्वाधिकार/फर्म रजिस्ट्रीकरण सं० | | | |
| | | (6) | लेखा परीक्षक (संपत्तिक/ फर्म) का स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) | | | |
| | | (7) | लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख | | | |
| (घ) | यदि आयकर अधिनियम के अधीन अन्य संपरीक्षा प्रतिवेदन देने के लिए दायी है, संपरीक्षा प्रतिवेदन देने की तारीख का अभिकथन करें ? (दिन/मास/वर्ष) (कृपया अनुदेश 5(ii) देखें) | | | | | |
| | 92ड | | 115जख | | | |
| ड | यदि आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य अधिनियम, के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन देने के लिए दायी है, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन देने की तारीख का अभिकथन करें ? | | | | | |
| | अधिनियम और धारा | (दिन/मास/मास) | अधिनियम और धारा | (दिन/मास/मास) | | |
| (क) | कंपनी का स्वरूप (यदि धारक कंपनी है तो 1 लिखें, यदि समनुषंगी कंपनी है तो 2 लिखें), यदि दोनों हैं तो 3 लिखें, यदि कोई अन्य है तो 4 लिखें <input type="checkbox"/> | | | | | |
| (ख) | यदि समनुषंगी कंपनी है तो, का उल्लेख करें | | | | | |
| | पैन | धारक कंपनी का नाम | धारक कंपनी का पता | धारित शेरों का प्रतिशत | | |
| (ग) | यदि धारक कंपनी है तो समनुषंगी कंपनी का उल्लेख करें | | | | | |
| | पैन | समनुषंगी कंपनी का नाम | समनुषंगी कंपनी का पता | धारित शेरों का प्रतिशत | | |
| कारबार संगठन | (क) | समामेलक कंपनी की दशा में, सामामेलित कंपनी का उल्लेख करें | | | | |
| | | पैन | समामेलक कंपनी का नाम | समामेलक कंपनी का पता | | |
| | (ख) | समामेलित कंपनी की दशा में, सामामेलक कंपनी का उल्लेख करें | | | | |
| | | पैन | समामेलित कंपनी का नाम | समामेलित कंपनी का पता | | |
| | (ग) | अवीलीन कंपनी की दशा में, परिणामिक कंपनी के ब्योरे दें | | | | |
| | | पैन | परिणामिक कंपनी का नाम | परिणामिक कंपनी का पता | | |
| | (घ) | परिणामिक कंपनी की दशा में, अवीलीन कंपनी के ब्योरे दें | | | | |
| | | पैन | अवीलीन कंपनी का नाम | अवीलीन कंपनी का पता | | |
| | प्रमुख व्यक्ति | प्रबंध निदेशक, निदेशकों, सचिव और प्रधान अधिकारी, (अधिकारियों) की विशिष्टियां जो पूर्व वर्ष के दौरान पद धारित किए हुए थे | | | | |
| | | क्रम सं० | नाम | पदनाम | आवास का पता | स्थायी लेखा संख्यांक |
| | | | | | निदेशक की दशा में, एमसीए द्वारा जारी निदेशक पहचान संख्यांक (नि०प०सं) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| शेयरधारक की सूचना | उन व्यक्तियों की विशिष्टियां, जो पूर्व वर्ष में किसी समय दस प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति शेयर धारण के फायदाप्रद स्वामी थे | | | | | |
| | क्रम सं० | नाम और पता | धारित शेरों का प्रतिशत | स्थायी लेखा संख्यांक | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|--|
| कंपनी का स्वरूप और उसका कारबार | कंपनी का स्वरूप | | (निशान लगाए) <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | 1 | क्या आप आयकर अधिनियम की धारा 2(36क) में यथा परिभाषित पब्लिक सेक्टर कंपनी हैं | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | |
| | 2 | क्या आप भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्वाधीन वाली कंपनी हैं | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | |
| | 3 | क्या आप ऐसी कंपनी हैं, जिसमें चालीस प्रतिशत से अत्युच्च शेर सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या उस बैंक के स्वामित्वाधीन किसी निगम द्वारा (एकमात्र रूप से या साथ मिलकर) धारित किए हुए हैं। | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | |
| | 4 | क्या आप बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में यथापरिभाषित बैंककारी कंपनी हैं | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | |
| | 5 | क्या आप अनुसूचित बैंक हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक हैं | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | |
| | 6 | क्या आप बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत कंपनी हैं (बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित) | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | |
| | 7 | क्या आप गैर बैंककारी वित्तीय संस्थान की कंपनी हैं | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | |
| | कारबार या वृत्ति की प्रकृति यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति हैं तो तीन मुख्य कृत्य/उत्पाद उपदर्शित करें | | | |
| | क्र.सं. | कोड [कृपया अनुदेश संख्या 7 (ii) देखें] | वर्णन | |
| (i) | | | | |
| (ii) | | | | |
| (iii) | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|---|---|------|
| भाग क-तुलन पत्र | | 31 मार्च, 2017 को या समामेलन की तारीख को तुलन पत्र | | |
| साधारण पूंजी और दायित्व | I साधारण पूंजी और दायित्व | | | |
| | 1 | शेयर धारक की निधि | | |
| | | क शेयर पूंजी | | |
| | | i | प्राधिकृत | का |
| | | ii | पुरोधृत, अभिदत्त और पूर्णतः संदत्त | कii |
| | | iii | अभिदत्त, किन्तु पूर्णतः संदत्त नहीं | कiii |
| | | iv | कुल (कii + कiii) | काiv |
| | | ख आरक्षित और अधिशेष | | |
| | | i | पूंजी आरक्षित | खा |
| | | ii | पूंजी मोचन आरक्षित | खii |
| | | iii | प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित | खiii |
| | | iv | डिबेन्चर मोचन आरक्षित | खiv |
| | | v | पुनर्मूल्यांकन आरक्षित | खv |
| | | vi | शेयर विकल्प बकाया रकम | खvi |
| | | vii | अन्य आरक्षित (स्वरूप और रकम विनिर्दिष्ट करें) | |
| | | क | viiक | |
| | | ख | viiख | |
| | ग | कुल (viiक+viiख) | खvii | |
| | viii | अधिशेष अर्थात् लाभ और हानि लेखा के लेख में अतिशेष (नाम पक्ष का अतिशेष ऋणात्मक रकम में दर्शित किया जाए) | खviii | |
| | ix | कुल (खा + खii + खiii + खiv + खv + खvi + खvii + खviii) (नाम पक्ष का अतिशेष यथा ऋणात्मक रकम में दर्शित किया जाए) | खix | |
| | ग | शेयर अधिपत्रों से प्राप्त रकम | 1 ग | |
| | घ | शेयर धारक की कुल निधि (काiv + खix + 1 ग) | 1 घ | |
| 2 | शेयर आवेदन की रकम, जिसका आबंटन लंबित है | | | |
| | i | एक वर्ष से कम से लंबित है | i | |
| | ii | एक वर्ष से अधिक से लंबित है | ii | |
| | iii | कुल (i+ii) | 2 | |
| 3 | स्थगित दायित्व | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|--------------------------|------|-----|-----|------|--|
| | क | दीर्घकालिक उधार | | | | | | | |
| | | i | बंधपत्र/डिबेंचर | | | | | | |
| | | क | विदेशी मुद्रा | i क | | | | | |
| | | ख | रुपया | i ख | | | | | |
| | ग | कुल (i क +ii ख) | | i ग | | | | | |
| | ii | आवधिक ऋण | | | | | | | |
| | | क | विदेशी मुद्रा | ii क | | | | | |
| | | ख | ऋण रूप में | | | | | | |
| | | 1 | बैंकों से | ख1 | | | | | |
| | | | 2 | अन्य से | | | | ख2 | |
| | | | 3 | कुल (ख1+ख2) | | | | ख3 | |
| | | ग | कुल आवधिक ऋण (ii क+ख3) | | | | | ii ग | |
| | | iii | आस्थगित भुगतान का दायित्व | | | | | iii | |
| | | iv | संबंधित पक्षकारों से निक्षेप (अनुदेशों को देखें) | | | | | iv | |
| | | v | अन्य निक्षेप | | | | | v | |
| | vi | संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम (अनुदेशों को देखें) | | | vi | | | | |
| | vii | अन्य ऋण और अग्रिम | | | vii | | | | |
| | viii | दीर्घकालिक वित्तपोषण पट्टा अनुबंध पत्र की परिपक्वता | | | viii | | | | |
| | ix | कुल दीर्घकालिक (i ग+ii ग+iii+iv+v+vi+vii+viii) | | | 3क | | | | |
| ख | आस्थगित कर दायित्व (कुल) | | | 3ख | | | | | |
| ग | अन्य दीर्घकालिक दायित्व | | | | | | | | |
| | i | व्यापार संदेय | i | | | | | | |
| | ii | अन्य | ii | | | | | | |
| | iii | कुल अन्य दीर्घकालिक दायित्व (i+ii) | | | 3ग | | | | |
| | घ | दीर्घकालिक विनिधान | | | | | | | |
| | | i | कर्मचारियों के फायदे के लिए विनिधान | i | | | | | |
| | | ii | अन्य | ii | | | | | |
| | iii | कुल (i+ii) | | 3घ | | | | | |
| ङ | कुल स्थगित दायित्व (3क+3ख+3ग +3घ) | | | 3ङ | | | | | |
| 4 | चालू दायित्व | | | | | | | | |
| | क | अल्पकालिक उधार | | | | | | | |
| | | i | मांग पर प्रतिसंदेय ऋण | | | | | | |
| | | | क | बैंकों से | | | | i क | |
| | | | ख | गैर-बैंककारी कंपनियों से | | | | i ख | |
| | | | ग | अन्य वित्तीय संस्थाओं से | | | | i ग | |
| | | | घ | अन्य से | | | | i घ | |
| | | ङ | कुल प्रतिसंदेय ऋण, मांगे जाने पर (i क+i ख+i ग+i घ) | | | | i ङ | | |
| | ii | संबंधित पक्षकारों से प्राप्त निक्षेप (अनुदेशों को देखें) | | | | ii | | | |
| | iii | संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम (अनुदेशों को देखें) | | | | iii | | | |
| | iv | अन्य ऋण और अग्रिम | | | | iv | | | |
| | v | अन्य निक्षेप | | | | v | | | |
| | vi | कुल अल्पकालिक उधार (i ङ+ii+iii+iv+v) | | | | 4क | | | |
| | ख | व्यवसाय संदेय | | | | | | | |
| i | एक वर्ष से अधिक के लिए बकाया | i | | | | | | | |
| | ii | अन्य | | ii | | | | | |
| | iii | कुल व्यवसाय संदेय (i+ii) | | 4ख | | | | | |
| ग | अन्य चालू दायित्व | | | | | | | | |
| i | दीर्घकालिक ऋण की प्रचलित परिपक्वता | | i | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|---|--|-------|------|
| 1 | iv | सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान | iv | | |
| | | v | डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान | v | |
| | | vi | पारस्परिक निधियों में विनिधान | vi | |
| | | vii | भागीदारी फर्मों में विनिधान | vii | |
| | | viii | अन्य विनिधान | viii | |
| | | ix | कुल गैर-चालू विनिधान (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii) | | ख ix |
| | ग | आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध) | | ग | |
| | घ | दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम | | | |
| | i | पूँजी अग्रिम | i | | |
| | | ii | प्रतिभूति निक्षेप | ii | |
| | | iii | संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम (अनुदेश देखें) | iii | |
| | | iv | अन्य ऋण और अग्रिम | iv | |
| | | v | कुल दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम (i + ii + iii + iv) | | घ v |
| | | vi | घv में सम्मिलित दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम, जो | | |
| | क | कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए है | vi क | | |
| | | कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए नहीं है | vi ख | | |
| | | आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ख) के अनुसार किसी शेयरधारक को, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान को या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, दिया गया है | vi ग | | |
| | घ | अन्य गैर-चालू आस्तियां | | | |
| | i | दीर्घकालिक व्यापार प्राप्य | | | |
| क | | प्रतिभूत, अच्छे समझे गए | i क | | |
| | | गैर-प्रतिभूत, अच्छे समझे गए | i ख | | |
| | | शंकास्पद | i ग | | |
| | | कुल अन्य गैर-चालू आस्तियां (i क + i ख + i ग) | i घ | | |
| ii | अन्य | ii | | | |
| iii | योग (i घ + ii) | | खiii | | |
| iv | खiii में सम्मिलित कुल गैर-चालू आस्तियां, जो आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ख) के अनुसार किसी शेयरधारक से, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान से या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, देय है | iv | | | |
| ड. | कुल गैर-चालू आस्तियां (कv + खix + ग + घv + खiii) | | 1 च | | |
| 2 | चालू आस्तियां | | | | |
| क | चालू विनिधान | | | | |
| | i | शेयर लिखतों में विनिधान | | | |
| | | क | सूचीबद्ध शेयर | i क | |
| | | | गैर-सूचीबद्ध शेयर | i ख | |
| | | | योग (i क + i ख) | i ग | |
| | ii | अधिमाननी शेयरों में विनिधान | ii | | |
| | iii | सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान | iii | | |
| | iv | डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान | iv | | |
| | v | पारस्परिक निधियों में विनिधान | v | | |
| | vi | भागीदारी फर्मों में विनिधान | vi | | |
| | vii | अन्य विनिधान | vii | | |
| | viii | कुल चालू विनिधान (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii) | | कviii | |
| | ख | संपत्ति-सूची | | | |
| i | कच्चा माल | i | | | |

| | | | | | | |
|--|---|------|---|------|--|--------|
| | | ii | चालू काम | ii | | |
| | | iii | तैयार माल | iii | | |
| | | iv | व्यवसाय - स्टॉक (व्यवसाय के लिए अर्जित माल) | iv | | |
| | | v | भंडार और स्पेयर | v | | |
| | | vi | खुले औजार | vi | | |
| | | vii | अन्य | vii | | |
| | | viii | कुल संपत्ति-सूची (i + ii + iii + iv + v + vi + vii) | | | ख viii |
| | ग | | व्यापार प्राप्य | | | |
| | | i | 6 मास से अधिक से बकाया | i | | |
| | | ii | अन्य | ii | | |
| | | iii | कुल व्यवसाय प्राप्य (i + ii + iii) | | | गiii |
| | घ | | नकदी और नकद समतुल्य | | | |
| | | i | बैंक नकद | i | | |
| | | ii | चैक, ड्राफ्ट | ii | | |
| | | iii | नकद अतिशेष | iii | | |
| | | iv | अन्य | iv | | |
| | | v | कुल नकदी और नकद समतुल्य (i + ii + iii + iv) | | | घv |
| | ङ | | अल्पकालिक ऋण और अग्रिम | | | |
| | | i | पक्षकारों से संबंधित ऋण और अग्रिम (अनुदेशों देखें) | i | | |
| | | ii | अन्य | ii | | |
| | | iii | कुल अल्पकालिक ऋण और अग्रिम (i + ii) | | | ङiii |
| | | iv | ङiii में सम्मिलित अल्पकालिक ऋण और अग्रिम, जो | | | |
| | | क | कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए है | iv क | | |
| | | ख | कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए नहीं है | ivख | | |
| | | ग | आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ङ) के अनुसार किसी शेयरधारक को, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान को या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, दिया गया है | ivग | | |
| | च | | अन्य चालू आस्तियां | | | च |
| | छ | | कुल चालू आस्तियां (कviii + खviii + गiii + घv + ङiii + च) | | | 2छ |
| | | | कुल आस्तियां (1च+2छ) | | | II |

| भाग क-लाभ और हानि | | वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लाभ हानि लेखा (उस दशा में जहां लेखा की नियमित बहियां का अनुष्णण किया जाता है, वहां मद 1 से 52 भरें, अन्यथा मद 53 भरें) | | | | |
|-----------------------|---|---|---|--|-------|--|
| लाभ-हानि लेखे में जमा | 1 | परिचालन से राजस्व | | | | |
| | | क | कारबार के विक्रय/सकल प्राप्तियां (शुद्ध प्रत्यागम और प्रतिदाय तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो) | | | |
| | | | i | उत्पाद/माल का विक्रय | i | |
| | | | ii | सेवाओं का विक्रय | ii | |
| | | | iii | अन्य परिचालन राजस्व (स्वरूप और रकम विनिर्दिष्ट करें) | | |
| | | | क | | iii क | |
| | | | ख | | iii ख | |
| | | | ग | योग (iii क + iii ख) | iii ग | |
| | | | iv | ब्याज (वित्तीय कंपनी की दशा में) | iv | |
| | | | v | अन्य वित्तीय सेवाएं (वित्तीय कंपनी की दशा में) | v | |
| | | vi | योग (i + ii + iii ग + iv + v) | | कvi | |
| | ख | विक्रीत या प्रदत्त माल और सेवाओं की बाबत प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उपकर | | | | |
| | | i | संघ उत्पाद शुल्क | i | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|----------------------------|-----|------|-------|-----|---|
| | | ii | सेवा कर | ii | | | | |
| | | iii | मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर | iii | | | | |
| | | iv | कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर | iv | | | | |
| | | v | योग (i + ii + iii + iv) | | खv | | | |
| | ग | परिचालन से कुल राजस्व (कvi + खv) | | | | 1ग | | |
| 2 | अन्य आय | | | | | | | |
| | i | ब्याज की आय (वित्तीय कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में) | | | i | | | |
| | ii | लाभांश आय | | | ii | | | |
| | iii | स्थिर आस्तियों के विक्रय पर लाभ | | | iii | | | |
| | iv | ऐसे विनिधान के विक्रय पर लाभ, जो प्रतिभूति संव्यवहार कर के लिए प्रभार्य प्रतिभूतियां हैं | | | iv | | | |
| | v | अन्य विनिधान के विक्रय पर लाभ | | | v | | | |
| | vi | किराया | | | vi | | | |
| | vii | कमीशन | | | vii | | | |
| | viii | करेंसी के उतार-चढ़ाव के मद्दे लाभ | | | viii | | | |
| | ix | कृषि आय | | | ix | | | |
| | x | कोई अन्य आय (स्वरूप और रकम विनिर्दिष्ट करें) | | | | | | |
| | | क | | | खक | | | |
| | | ख | | | खख | | | |
| | | ग | योग (खक + खख) | | खग | | | |
| | xi | अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + खग) | | | | 2xi | | |
| 3 | बंद स्टाक | | | | | | | |
| | i | कच्चा माल | | | 3i | | | |
| | ii | चालू काम | | | 3ii | | | |
| | iii | तैयार माल | | | 3iii | | | |
| | iv | योग (3i + 3ii + 3iii) | | | | 3iv | | |
| 4 | लाभ-हानि लेखे में जमा का योग (1ग+2 xi +3iv) | | | | | | 4 | |
| लाभ-हानि लेखे से विकलन | 5 | आरंभिक स्टाक | | | | | | |
| | | i | कच्ची सामग्री | | | 5i | | |
| | | ii | चालू काम | | | 5ii | | |
| | | iii | तैयार माल | | | 5iii | | |
| | | iv | योग (5i + 5ii + 5iii) | | | | 5iv | |
| | 6 | क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो) | | | | | | 6 |
| | 7 | क्रय किए गए माल और सेवाओं की बाबत संदत्त या संदेय शुल्क और कर | | | | | | |
| | | i | सीमा शुल्क | | | 7i | | |
| | | ii | प्रतिशुल्क | | | 7ii | | |
| | | iii | विशेष अतिरिक्त शुल्क | | | 7iii | | |
| | | iv | संघ उत्पाद शुल्क | | | 7iv | | |
| | | v | सेवा कर | | | 7v | | |
| | vi | मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर | | | 7vi | | | |
| | vii | कोई अन्य कर, संदत्त या संदेय | | | 7vii | | | |
| | viii | योग (7i + 7ii + 7iii + 7iv + 7v + 7vi + 7vii) | | | | 7viii | | |
| 8 | भाड़ा | | | | | | 8 | |
| 9 | भंडारों और अतिरिक्त पुर्जों का उपभोग | | | | | | 9 | |
| 10 | विद्युत और ईंधन | | | | | | 10 | |
| 11 | किराया | | | | | | 11 | |
| 12 | भवन की मरम्मत | | | | | | 12 | |

| | | | | | |
|----|---|--------|----------|----------|--|
| 13 | संयंत्र, मशीनरी या फर्नीचर की मरम्मत | | | 13 | |
| 14 | कर्मचारियों को प्रतिकर | | | | |
| | i वेतन और मजदूरी | 14i | | | |
| | ii बोनस | 14ii | | | |
| | iii चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति | 14iii | | | |
| | iv छुट्टी नकदीकरण | 14iv | | | |
| | v छुट्टी यात्रा फायदा | 14v | | | |
| | vi अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय | 14vi | | | |
| | vii मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय | 14vii | | | |
| | viii मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय | 14viii | | | |
| | ix किसी अन्य निधि में अभिदाय | 14ix | | | |
| | x कर्मचारियों को कोई ऐसा अन्य फायदा, जिसकी बाबत कोई व्यय उपगत किया गया है | 14x | | | |
| | xi कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (14i +14ii+14iii+14iv +14v +14vi +14vii +14viii +14ix +14x) | | | 14 xi | |
| | xii क्या कोई प्रतिकर, 14xi में सम्मिलित, अनिवासी को दिया गया है | xiiक | हां/नहीं | | |
| | यदि हां, तो अनिवासी को संदत्त रकम | xiiख | | | |
| 15 | बीमा | | | | |
| | i चिकित्सा बीमा | 15i | | | |
| | ii जीवन बीमा | 15ii | | | |
| | iii प्रमुख व्यक्ति का बीमा | 15iii | | | |
| | iv कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि सहित अन्य बीमा | 15iv | | | |
| | v बीमा पर कुल व्यय (15i +15ii +15iii +15iv) | | | 15v | |
| 16 | कर्मकार और कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय | | | 16 | |
| 17 | मनोरंजन | | | 17 | |
| 18 | सत्कार | | | 18 | |
| 19 | सम्मेलन | | | 19 | |
| 20 | प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन से भिन्न) | | | 20 | |
| 21 | विज्ञापन | | | 21 | |
| 22 | कमीशन | | | | |
| | i किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को | i | | | |
| | ii अन्य को | ii | | | |
| | iii कुल (i + ii) | | | 22iii | |
| 23 | रायल्टी | | | | |
| | i किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को | i | | | |
| | ii अन्य को | ii | | | |
| | iii कुल (i + ii) | | | 23iii | |
| 24 | वृत्तिक/परामर्श फीस/तकनीकी सेवा फीस | | | | |
| | i किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को | i | | | |
| | ii अन्य को | ii | | | |
| | iii कुल (i + ii) | | | 24iii | |
| 25 | होटल, बोर्डिंग और वास | | | 25 | |
| 26 | विदेश यात्रा से भिन्न यात्रा पर व्यय | | | 26 | |
| 27 | विदेश यात्रा व्यय | | | 27 | |
| 28 | वाहन खर्च | | | 28 | |
| 29 | टेलीफोन व्यय | | | 29 | |
| 30 | अतिथि गृह व्यय | | | 30 | |
| 31 | क्लब व्यय | | | 31 | |

| | | | | | |
|--------------------|----|--|-------|-------|--|
| | 32 | उत्सव समारोह व्यय | | 32 | |
| | 33 | छात्रवृत्ति | | 33 | |
| | 34 | दान | | 34 | |
| | 35 | संदान | | 35 | |
| | 36 | सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय रेट और कर (आय पर करों को छोड़कर) | | | |
| | | i संघ उत्पाद शुल्क | 36i | | |
| | | ii सेवा कर | 36ii | | |
| | | iii मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर | 36iii | | |
| | | iv उपकर | 36iv | | |
| | | v एसटीटी और सीटीटी सहित कोई अन्य रेट, कर, शुल्क या उपकर | 36v | | |
| | | vi संदत्त या संदेय कुल रेट और कर (36i + 36ii + 36iii + 36iv + 36v) | | 36vi | |
| | 37 | लेखा संपरीक्षा फीस | | 37 | |
| | 38 | अन्य व्यय (स्वरूप और रकम विनिर्दिष्ट करें) | | | |
| | | i | | i | |
| | | ii | | ii | |
| | | iii कुल (i + ii) | | 38iii | |
| | 39 | अपलिखित किया गया डूबंत ऋण (उस व्यक्ति, जिसके लिए एक लाख रुपए या अधिक रकम के डूबंत ऋण का दावा किया गया है, का स्थायी लेखा संख्यांक, यदि उपलब्ध हो, और रकम का उल्लेख करें) | | | |
| | | i | | 39i | |
| | | ii | | 39ii | |
| | | iii | | 39iii | |
| | | iv अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) जहां स्थायी लेखा संख्यांक उपलब्ध नहीं है | | 39iv | |
| | | v अन्य (एक लाख रुपए से कम राशि) | | 39v | |
| | | vi कुल डूबंत ऋण (39i + 39ii + 39iii + 39iv + 39v) | | 39vi | |
| | 40 | डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध | | 40 | |
| | 41 | अन्य उपबंध | | 41 | |
| | 42 | ब्याज, अवक्षयण और करों से पूर्व लाभ [4 - (5iv + 6 + 7viii + 8से 13 + 14xi + 15v + 16 से 21 + 22iii + 23iii + 24iii + 25 से 35 + 36vi + 37 + 38iii + 39vi + 40 + 41)] | | 42 | |
| | 43 | ब्याज | | | |
| | | i किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को | i | | |
| | | ii अन्य को | ii | | |
| | | iii कुल (i + ii) | | 43iii | |
| | 44 | अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण | | 44 | |
| | 45 | कर पूर्व लाभ (42-43iii - 44) | | 45 | |
| | 48 | कर पश्चात् लाभ (45 - 46 - 47) | | 48 | |
| | 49 | पूर्व वर्ष से अग्रणीत अतिशेष | | 49 | |
| | 50 | विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (48 + 49) | | 50 | |
| | 51 | विनियोग | | | |
| | | i आरक्षित और अधिशेष में अंतरण | 51i | | |
| | | ii प्रस्तावित लाभांश / अंतरिम लाभांश | 51ii | | |
| | | iii लाभांश पर कर/पूर्व वर्षों के लिए लाभांश पर कर | 51iii | | |
| | | iv कोई अन्य विनियोग | 51iv | | |
| | | v कुल (51i + 51ii + 51iii + 51iv) | | 51v | |
| | 52 | तुलन पत्र पर लिया गया अतिशेष (50 - 51v) | | 52 | |
| लेखा न होने की दशा | 53 | व्यवसाय या वृत्ति की नियमित लेखा बहियां न रखे जाने की दशा में, व्यवसाय या वृत्ति की बाबत पूर्व वर्ष 2016-17 के लिए निम्नलिखित सूचनाएं दें | | | |
| | | क सकल प्राप्तियां | | 53क | |
| | | ख सकल लाभ | | 53ख | |
| | | ग व्यय | | 53ग | |
| | | घ शुद्ध लाभ | | 53घ | |

| भाग क- अन्य जानकारी | | अन्य जानकारी (धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी न होने की दशा में वैकल्पिक) | |
|---------------------|--|--|--------------------------|
| 1 | पूर्व वर्ष में नियोजित लेखा पद्धति | (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> वाणिज्य <input type="checkbox"/> नकद | |
| 2 | यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है | (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | |
| 3 | धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय की संगणना के प्रकटीकरण के मानक के अनुसार परिवर्तन के कारण लाभ पर प्रभाव, यदि कोई हो (अनुसूची आ.स.प्र.मा. का स्तंभ 11 (iii)) | 3 | |
| 4 | पूर्व वर्ष में नियोजित बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति | | |
| | क कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें) | | <input type="checkbox"/> |
| | ख तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें) | | <input type="checkbox"/> |
| | ग क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | |
| | घ धारा 145क के अधीन विहित मूल्यांकन पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ या हानि पर प्रभाव | 4घ | |
| 5 | लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई रकम, जो- | | |
| | क धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मदें हैं | 5क | |
| | ख सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवाकर का प्रोफार्मा जमा, वापसी, प्रतिदाय या विक्रय कर या मूल्य वर्धित कर का प्रतिदाय, जहां ऐसा जमा, वापसी या प्रतिदायों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा देय माना गया है | 5ख | |
| | ग पूर्ववर्ष के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे | 5ग | |
| | घ आय की कोई अन्य मद | 5घ | |
| | ङ पूंजी प्राप्ति, यदि कोई हो | 5ङ | |
| | च लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ) | 5च | |
| 6 | सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के कारण धारा 36 के अधीन अनुनज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई रकमें | | |
| | क स्टॉक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)] | 6क | |
| | ख कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)(i ख)] | 6ख | |
| | ग किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभांश के रूप में अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)] | 6ग | |
| | घ उधार ली गई पूंजी की बाबत संदत्त ब्याज की कोई रकम [36(1)(iii)] | 6घ | |
| | ङ जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iii क)] | 6ङ | |
| | च किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)] | 6च | |
| | छ अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)] | 6छ | |
| | ज धारा 80 ग ग घ में निर्दिष्ट एक पेंशन स्कीम के लिए अभिदाय रकम [36(1)(iv क)] | 6ज | |
| | झ मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)] | 6झ | |
| | ञ किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम | 6ञ | |
| | ट नियत तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में जमा की गई सीमा तक किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि [36(1)(vi)] | 6ट | |
| | ठ डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)] | 6ठ | |
| | ड डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(vii क)] | 6ड | |
| | ढ किसी विशेष आरक्षित में अंतरित रकम [36(1)(viii)] | 6ढ | |
| | ण कर्मचारियों की बीच परिवार कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए व्यय [36(1)(ix)] | 6ण | |

अन्य जानकारी

| | | | | | |
|----|---|---|-----|-----|--|
| | त | प्रतिभूति के संव्यवहार के संबंध में सदत्त प्रतिभूति संव्यवहार की रकम यदि ऐसी आय को कारबार आय में सम्मिलित न किया हो [36(1) (xv)] | 6त | | |
| | थ | कोई अन्य अननुज्ञेय | 6थ | | |
| | द | धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6 थ) | | 6द | |
| | ध | कंपनी द्वारा नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या (यदि कंपनी में मान्यताप्राप्त शिष्य निधि है तो आवश्यक) | | | |
| | | i भारत में अभिनियोजित | i | | |
| | | ii भारत के बाहर अभिनियोजित | ii | | |
| | | iii कुल | iii | | |
| 7 | | धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें | | | |
| | क | पूजी स्वरूप का व्यय | 7क | | |
| | ख | व्यक्तिगत स्वरूप का व्यय | 7ख | | |
| | ग | कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पूर्ण या अन्य रूप से उपगत या किया गया व्यय न हो [37(1)] | 7ग | | |
| | घ | किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय [37(1)] | 7घ | | |
| | ङ | तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय | 7ङ | | |
| | च | कोई अन्य शास्ति या जुर्माना | 7च | | |
| | छ | ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है | 7छ | | |
| | ज | कारपोरेट समाजिक दायित्व पर उपगत व्यय (सी.एस.आर.) | 7ज | | |
| | झ | आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम | 7झ | | |
| | ञ | धारा 37 के अधीन अनुज्ञात न की गई कोई अन्य रकम | 7ञ | | |
| | ट | धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (7क से 7 झ का योग) | | 7 | |
| 8 | अ | धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम | | | |
| | क | अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(i) के अधीन अननुज्ञेय रकम | अक | | |
| | ख | अध्याय 17 ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 क(i क) के अधीन अननुज्ञेय रकम | अख | | |
| | ग | वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(iख) के अधीन अननुज्ञेय रकम | अग | | |
| | घ | अध्याय 17 ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 क(ii) के अधीन अननुज्ञेय रकम | अघ | | |
| | ङ | लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम 40 क(ii) | अङ | | |
| | च | धनकर के रूप में संदत्त रकम 40 क(ii क) | अच | | |
| | छ | धारा 40 क(ii ख) के अनुसार स्वामित्व अनुज्ञप्ति फीस सेवा फीस आदि के रूप में संदत्त रकम | अछ | | |
| | ज | किसी भागीदार या सदस्य को संदत्त ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या परिलब्धि की रकम (40 ख) | अज | | |
| | झ | कोई अन्य अननुज्ञेय | अझ | | |
| | ञ | धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अझ का योग) | | 8अञ | |
| | आ | किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम | | 8आ | |
| 9 | | धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें | | | |
| | क | धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकमें | 9क | | |
| | ख | धारा 40क(3) के अधीन एकाउन्ट पेई चेक या एकाउन्ट पेई बैंक ड्राफ्ट से भिन्न संदत्त रकम-100% अननुज्ञेय | 9ख | | |
| | ग | उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क(7)] | 9ग | | |
| | घ | किसी निधि, न्यास, कंपनी, एओपी या बीओआई या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि [40 क(9)] | 9घ | | |
| | ङ | कोई अन्य अननुज्ञेय | 9ङ | | |
| | च | धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम | | 9च | |
| 10 | | किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञात किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान अननुज्ञेय कोई रकम | | | |

| | | | | | |
|----|---|--|-----|-----|--|
| | क | किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि | 10क | | |
| | ख | कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवाषिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि | 10ख | | |
| | ग | किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि | 10ग | | |
| | घ | किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि | 10घ | | |
| | ङ | किसी अनुसूचित बैंक से ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि | 10ङ | | |
| | च | छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम | 10च | | |
| | छ | धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10च का योग) | | 10छ | |
| 11 | | पूर्व वर्ष के लाभ-हानि लेख में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कोई रकम | | | |
| | क | किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि | 11क | | |
| | ख | कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवाषिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि | 11ख | | |
| | ग | किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि | 11ग | | |
| | घ | किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि | 11घ | | |
| | ङ | किसी अनुसूचित बैंक से ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि | 11ङ | | |
| | च | छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम | 11च | | |
| | छ | रेल अस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई राशि | 11छ | | |
| | ज | धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11ज का योग) | | 11ज | |
| 12 | | निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम | | | |
| | क | संघ उत्पाद शुल्क | 12क | | |
| | ख | सेवा कर | 12ख | | |
| | ग | मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर | 12ग | | |
| | घ | कोई अन्य कर | 12घ | | |
| | ङ | अधिशेष कुल रकम (12क से 12घ का योग) | | 12ङ | |
| 13 | | धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें | | 13 | |
| 14 | | धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम | | 14 | |
| 15 | | लाभ-हानि लेख में (शुद्ध) जमा या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम | | 15 | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|----------------------------|-----|
| भाग क - मात्रात्मक ब्यौरे | | मात्रात्मक ब्यौरे (धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी न होने की दशा में वैकल्पिक जिसमें धारा 44कख के अधीन दायी नहीं है) | | | |
| मात्रात्मक ब्यौरे | (क) | व्यवसायगत समुत्थान की दशा में | | | |
| | | 1 | आरंभिक स्टॉक | | 1 |
| | | 2 | पूर्व वर्ष के दौरान क्रय | | 2 |
| | | 3 | पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय | | 3 |
| | | 4 | अंतिम स्टॉक | | 4 |
| | | 5 | कमी/अधिव्यय, यदि कोई हो | | 5 |
| | (ख) | विनिर्माण समुत्थान की दशा में | | | |
| | | 6 | कच्चा माल | | |
| | | | क | आरंभिक स्टॉक | 6 क |
| | | | ख | पूर्व वर्ष के दौरान क्रय | 6 ख |
| | | | ग | पूर्व वर्ष के दौरान उपभोग | 6 ग |
| | | | घ | पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय | 6 घ |
| | | ङ | अंतिम स्टॉक | 6 ङ | |
| | | च | प्राप्त तैयार किए गए उत्पाद | 6 च | |

| | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------------|-----|--|
| 7 | छ | प्राप्त का प्रतिशत | 6 छ | |
| | ज | कमी/आधिक्य, यदि कोई हो | 6 ज | |
| | तैयार उत्पाद/उपोत्पाद | | | |
| | क | आरंभिक स्टाक | 7 क | |
| | ख | पूर्व वर्ष के दौरान क्रय | 7 ख | |
| | ग | पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा | 7 ग | |
| | घ | पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय | 7 घ | |
| | ङ | अंतिम स्टाक | 7 ङ | |
| च | कमी/आधिक्य यदि कोई हो | 7 च | | |

| भाग क—ओ एल | | समापन के अधीन कम्पनी का प्राप्ति और संदाय खाता | | |
|--|---|--|-------|---|
| समापन के अधीन कम्पनी का प्राप्ति और संदाय खाता | 1 | आरम्भिक अतिशेष | | |
| | i | हाथ नकदी | 1i | |
| | ii | बैंक | 1ii | |
| | iii | कुल आरम्भिक अतिशेष | 1iii | |
| | 2 | प्राप्तियां | | |
| | i | ब्याज | 2i | |
| | ii | लाभांश | 2ii | |
| | iii | आस्तियों का विक्रय (कृपया प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें) | | |
| | क | | 2iiiक | |
| | ख | | 2iiiख | |
| | ग | | 2iiiग | |
| | घ | कुल (iiiक + iiiख + iiiग) | 2iiiघ | |
| | iv | देय/ऋणी का वसूल करना | 2iv | |
| | v | अन्य (कृपया प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें) | | |
| | क | | 2vक | |
| | ख | | 2vख | |
| | ग | कुल अन्य प्राप्तियां (vक + vख) | 2vग | |
| | vi | कुल प्राप्तियां (2i + 2ii + 2iiiघ + 2iv + 2vग) | 2vi | |
| | 3 | कुल आरंभिक अतिशेष और प्राप्तियां | | 3 |
| | 4 | संदाय | | |
| | i | प्रतिभूत ऋण का प्रतिसंदाय | 4i | |
| | ii | अप्रतिभूत ऋण का प्रतिसंदाय | 4ii | |
| | iii | लेनदारों को प्रतिसंदाय | 4iii | |
| | iv | कमीशन | 4iv | |
| | v | अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) | | |
| | क | | 4vक | |
| | ख | | 4vख | |
| | ग | अन्य संदायों का योग (4vक + 4vख) | 4vग | |
| vi | कुल संदाय (4i + 4ii + 4iii + 4iv + 4vc) | 4vi | | |
| 5 | अंत अतिशेष | | | |
| i | हाथ नकदी | 5i | | |
| ii | बैंक | 5ii | | |
| iii | कुल अंत अतिशेष (5i + 5ii) | 5iii | | |
| 6 | कुल अंत अतिशेष और संदाय (4vi + 5iii) | | 6 | |

| भाग ख कुल आय | | कुल आय की संगणना | |
|--------------|---|------------------|--|
| 1 | गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृहसंपत्ति का 3ख) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो) | 1 | |
| 2 | कारबार या वृत्ति से लाभ और हानि सट्टे का कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि | | |
| | i सट्टे का कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि (अनुसूची -बीपी का क37) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो) | 2i | |
| | ii सट्टे का कारबार से लाभ हानि (अनुसूची -बीपी का बी42) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो और रकम को अनुसूची सीएफएल में ले जाएं) | 2ii | |
| | iii विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची बीपी का सी48) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें और रकम को अनुसूची सीएफएल में ले जाएं) | 2iii | |
| | iv 115 खखच के अधीन पेटेंट से आय (बी पी अनुसूची का 3घ) | 2iv | |
| | v कुल (2i + 2ii+2iii + 2iv) | 2v | |
| 3 | पूंजी अभिलाभ | | |
| | क अल्पकालिक | | |
| | i अल्पकालिक प्रभार्य 15% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 7 i) | कi | |
| | ii अल्पकालिक प्रभार्य 30% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 7 iii) | कii | |
| | iii लागू दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी की मद ड के 7 iv) | 3कiii | |
| | iv कुल अल्पकालिक (कi + कii+कiii) | | |
| | ख दीर्घकालिक | | |
| | i दीर्घकालिक प्रभार्य 10% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 7 v) | खi | |
| | ii दीर्घकालिक प्रभार्य 20% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 7 vi) | खii | |
| | iii कुल दीर्घकालिक (खi + खii) (यदि हानि है तो शून्य प्रविष्ट करें) | खiii | |
| | ग कुल दीर्घकालिक अभिदाय (3कiv + 3खiii) (यदि हानि है तो शून्य प्रविष्ट करें) | 3ग | |
| 4 | अन्य स्रोतों से आय | | |
| | क धुड़दौड़ के स्वामित्व और व्यवस्था और लाटश्री आदि से जीतना आदि की आय पर प्रभार्य कर विशेष दर पर है (अनुसूची ओ एस के 1i) (यदि हानि है तो शून्य प्रविष्ट करें) | 4क | |
| | ख आय पर प्रभार्य कर विशेष दर पर (अनुसूची ओ एस का 1 चiii) | 4ख | |
| | ग धुड़दौड़ के स्वामित्व और व्यवस्था से (अनुसूची ओ एस का 3ग) (यदि हानि है तो शून्य प्रविष्ट करें) | 4ग | |
| | घ कुल (4क+ 4ख+ 4ग) | 4घ | |
| 5 | कुल (1 + 2iv + 3ग + 4घ) | 5 | |
| 6 | 5 के लिए मुजरे के चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची सीवाईएलए का कुल 2xiii, 3xiii तथा 4xiii) | 6 | |
| 7 | चालू वर्ष की हानियां के मुजरा करने के पश्चात् अतिशेष (5-6) (अनुसूची सीवाईएलए के स्तंभ 5 का योग + 4ख भी) | 7 | |
| 8 | 7के विरुद्ध मुजरा किए जाने योग्य अग्रनीत की गई हानि (बीएफएलए अनुसूची का कुल 2xii, 3xii तथा 4xii) | 8 | |
| 9 | सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची बीएफएलए का 5 xiii ख भी) | 9 | |
| 10 | 9 में सम्मिलित, धारा 111क, धारा 112 आदि के अधीन आय पर विशेष दर से प्रभार्य कर | 10 | |
| 11 | धारा 10क या 10कक के अधीन कटौतियां (अनुसूची 10क का ड अनुसूची 10कक का ड) | 11 | |
| 12 | अध्याय 6क के अधीन कटौतियां | | |
| | क अनुसूची 6क का भाग ख [अनुसूची 6क का (1) और (9-10) तक सीमित] | 12क | |
| | ख अनुसूची 6क का भाग ग [अनुसूची 6क का (2) और (9-10-2iii) तक सीमित] | 12ख | |
| | ग कुल (12क + 12ख) (9-10) तक सीमित) | 12ग | |
| 13 | कुल आय (9- 11-12ग) | 13 | |
| 14 | विशेष दर पर आय पर प्रभार्य कर (अनुसूची एस आई के (i) का योग | 14 | |
| 15 | मामूली दर पर आय पर प्रभार्य कर (13 - 14) | 15 | |
| 16 | शुद्ध कृषि आय/दर प्रयोजन के लिए कुल अन्य (अनुसूची ईआई का 4) | 16 | |
| 17 | चालू वर्ष की हानिया जो अग्रनीत की जानी है (अनुसूची सीएफएल का xi) का योग | 17 | |
| 18 | धारा 115 त्रख के अधीन समझी जाने वाली कुल आय (अनुसूची एमएटी का 6) | 18 | |

| भाग ख - कुल आय पर कर | | कुल आय पर कर दायित्व की संगणना | | | | | |
|----------------------|---|---|--|-------------|---|---|--|
| कर दायित्व की संगणना | 1 | क | धारा 15अख के अधीन समझी जानी वाली कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एमएटी का 8) | | 1क | | |
| | | ख | ऊपर (क) पर अधिभार | | 1ख | | |
| | | ग | (1क + 1ख) पर शिक्षा उपकर, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर सहित | | 1ग | | |
| | | घ | धारा 115अख के अधीन संदेय कुल कर (1क + 1ख + 1ग) | | 1घ | | |
| | 2 | कुल आय पर संदेय कर | | | | | |
| | | क | भाग ख- टी आई की मद 15 पर मामूली दरों पर कर | 2क | | | |
| | | ख | विशेष दरों पर कर (अनुसूची एस आई (ii) का योग) | 2ख | | | |
| | | ग | (2क + ख) कुल आय पर संदेय कर | 2ग | | | |
| | | घ | अधिभार | | | | |
| | | i | एस आई अनुसूची 12(ii) का 25% | 2घi | | | |
| | | ii | एस आई अनुसूची का 12(ii) - 2घ | 2घii | | | |
| | | iii | कुल (i + ii) | 2घiii | | | |
| | | ङ | (2ग + 2घiii) पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर सहित शिक्षा उपकर | 2ङ | | | |
| | च | सकल कर दायित्व (2ग + 2घiii + 2ङ) | 2च | | | | |
| 3 | सकल संदेय कर (1घ और 2च की उच्चतर प्रविष्ट करें) | | | | 3 | | |
| 4 | पूर्ववर्ष में धारा 115 अकक के अधीन जमा संदत्त कर (यदि 2च 1घ से अधिक हो तो) (एमएटीसी अनुसूची का 5) | | | | 4 | | |
| 5 | धारा 115अकक के अधीन जमा के पश्चात संदेय कर [(3 - 4)] | | | | 5 | | |
| 6 | कर अनुतोष | | | | | | |
| | क | धारा 90/90क (अनुसूची टीआर का 1क 12 का योग) | 6क | | | | |
| | ख | धारा 91 (अनुसूची टीआर का 1बी23 का योग) | 6ख | | | | |
| | ग | कुल (6क + 6ख) | 6ग | | | | |
| 7 | शुद्ध कर दायित्व (5 - 6ग) (यदि नकारात्मक हो तो शून्य प्रविष्ट करें) | | | | 7 | | |
| 8 | संदेय ब्याज | | | | | | |
| | क | विवरणी देने में चूक के लिए (धारा 234क) | 8क | | | | |
| | ख | अग्रिम कर में भुगतान में चूक के लिए (धारा 234ख) | 8ख | | | | |
| | ग | अग्रिम कर आस्थगन के लिए (धारा 234ग) | 8ग | | | | |
| | घ | कुल संदेय ब्याज (8क+8ख+8ग) | 8घ | | | | |
| 9 | सकल दायित्व (7 + 8घ) | | | | 9 | | |
| देय कर | 10 | संदत्त कर | | | | | |
| | | क | अग्रिम कर (अनुसूची आईटी से) | 10क | | | |
| | | ख | टीडीएस (अनुसूची टीडीएस स्तंभ 8 का योग) | 10ख | | | |
| | | ग | टीसीएस (अनुसूची टीसीएस स्तंभ 7 का योग) | 10ग | | | |
| | | घ | स्वतः निर्धारण कर (अनुसूची आईटी से) | 10घ | | | |
| | ङ | कुल संदत्त कर (10क+10ख+10ग +10घ) | 10ङ | | | | |
| 11 | संदेय रकम (9 - 10ङ) (यदि 9 10ङ से अधिक है तो शून्य प्रविष्ट करें) | | | | 11 | | |
| 12 | प्रतिदाय (यदि 10ङ 9 से अधिक है) (यदि कोई प्रतिदाय हो तो सीधे बैंक खाते में जमा हो जाएगी) | | | | 12 | | |
| बैंक खाता | 13 | पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों का ब्यौरा (निष्क्रिय खातों को छोड़ते हुए) | | | | | |
| | | क्रम सं. | बैंक का आई एफ एस कोड | बैंक का नाम | खाता सं. (बैंक की सीबीएस प्रणाली के अनुसार सं. 9 अंकीय या अधिक होनी चाहिए।) | खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना प्रतिदाय क्रेडिट यदि कोई हो प्राप्त करना चाहते हैं (एक खाता पर निशान लगाएं) | 09.11.2016 से 30.12.2016 के दौरान जमा किया गया नकद (यदि अवधि के दौरान संकलित नकद जमा ≥ 2 लाख हों) |
| | | i | | | | | |
| | ii | | | | | | |

| | | |
|-----------|--|--|
| 14 | क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित सम्मिलित है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी लेखा में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें) | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
|-----------|--|--|

सत्यापन

मैं,.....जो.....का पुत्र/पुत्री हूँ स्थायी लेखा संख्या.....का धारक हूँ सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं और यह कि उसमें दर्शित कुल आय/अनुषंगी फायदों की रकम और अन्य विशिष्टियां सत्यतः कथित की गई हैं और निर्धारण वर्ष 2017-18 से सुसंगत पूर्व वर्ष के कर के लिए प्रामाण्य अनुषंगी फायदों के संबंध में आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार हैं। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं -----की हैसियत में विवरणी तैयार कर रहा हूँ और मैं इस विवरणी को तैयार करने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में जहां धारा 92घ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

स्थान.....

तारीख.....

यहां हस्ताक्षर करें

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|--|--|---|
| 15 | अनुसूची-आयकर | | | | | | | | |
| क | अग्रिम कर और आयकर के स्वतन्त्रनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे | | | | | | | | |
| कर संदाय | क्र.सं | बीएसआर कोड | जमा करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष) | चालान की क्रम संख्या | रकम (रुपए में) | | | | |
| | i | | | | | | | | |
| | ii | | | | | | | | |
| | iii | | | | | | | | |
| | iv | | | | | | | | |
| | v | | | | | | | | |
| | vi | | | | | | | | |
| टिप्पण-भाग ख-टीटीआई की क्रम सं० 10क और 10घ में कुल अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर प्रविष्ट करें। | | | | | | | | | |
| ख | आय के स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [कटौतीकर्ता (कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16क या प्ररूप 26धख के अनुसार] | | | | | | | | |
| अन्य आय पर स्रोत पर कर कटौती | क्रम सं. | कटौतीकर्ता का कर कटौती खाता संख्या (टेन)/ क्रेता का पैन | कटौतीकर्ता का नाम | अनन्य स्रोत पर कर कटौती प्रमाण पत्र संख्यांक | अग्रणीत अदावाकृत टीडीएस | | चालू वित्त वर्ष का टीडीएस | इस वर्ष के लिए दावा की गई (6) या (7) में से रकम (केवल यदि पारस्परिक आय इस वर्ष के कर के लिए प्रस्तावित की गई है) | अग्रणीत होने वाली (6) या (7) में से रकम |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई है | अग्रणीत रकम | (7) | (8) | (9) |
| | i | | | | | | | | |
| ii | | | | | | | | | |
| टिप्पण-भाग ख-टीटीआई के 10(ख) में अनुसूची टीडीएस के स्तंभ 8 का योग प्रविष्ट करें | | | | | | | | | |
| ग | स्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार] | | | | | | | | |
| आय के स्रोत पर संग्रहीत कर | क्र. सं. | संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण एकाउंट नंबर | संग्रहणकर्ता का नाम | अग्रणीत अदावाकृत टीसीएस | | चालू वित्त वर्ष का टीसीएस | इस वर्ष के लिए दावा की गई (6) या (7) में से रकम (केवल यदि पारस्परिक आय इस वर्ष के कर के लिए प्रस्तावित की गई है) | अग्रणीत होने वाली (5) या (6) में से रकम | |
| | (1) | (2) | (3) | वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रहीत किया गया | अग्रणीत रकम | (6) | (7) | (8) | |
| | i | | | | | | | | |
| ii | | | | | | | | | |
| टिप्पण-भाग ख-टीटीआई के क्रम संख्या 10ग में स्तंभ (7) का योग प्रविष्ट करें। | | | | | | | | | |

टिप्पण :कृपया यथा लागू विवरणी प्ररूप)पृष्ठ ध1 से ध19 (की अनुसूचियों को भरें।

विवरणी प्रपत्र की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

| अनुसूची जत | | गृह संपत्ति से आय का ब्योरा | | |
|--|--|--|---|---|
| गृह संपत्ति | 1 | संपत्ति 1 का पता | नगर/ शहर राज्य पिन कोड | |
| | क्या संपत्ति सह-स्वामित्व की है <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि "हां" तो निम्नलिखित ब्योरे प्रविष्ट करें) | | | |
| | संपत्ति में आपका प्रतिशत हिस्सा | | | |
| | सह-स्वामी (सह-स्वामियों) का नाम | | सह- [] (वैकल्पिक) | संपत्ति में प्रतिशत हिस्सा (वैकल्पिक) |
| | I | | | |
| | II | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> निशान लगाएं, यदि किराए पर दिया गया है <input type="checkbox"/> | | किराएदार का नाम)यदि किराये पर हो(| किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक) |
| | किराये पर दिया हुआ समझा गया <input type="checkbox"/> | | I | |
| | | | II | |
| | क | वार्षिक किराए योग्य मूल्य / प्राप्त या प्राप्त किया गया किराया (अधिक, यदि संपूर्ण वर्ष के लिए किराए पर दिया गया, कम, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया) | 1क | |
| | ख | किराए की रकम जिसकी वसूली नहीं की जा सकती है | 1ख | |
| | ग | स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर | 1ग | |
| | घ | कुल (1 ख + 1 ग) | 1घ | |
| | ङ | वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ) | 1ङ | |
| | च | स्वामित्व सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व प्रतिशत अंश 1ङ) | 1च | |
| | छ | 1च का 30% | 1छ | |
| | ज | उधार ली गई संपत्ति पर सदेय ब्याज | 1ज | |
| | झ | कुल (1छ + 1ज) | 1झ | |
| | ञ | गृह संपत्ति से आय (1च - 1झ) | 1ञ | |
| | 2 | संपत्ति 2 का पता | नगर/ शहर राज्य पिन कोड | |
| क्या संपत्ति सह-स्वामित्व की है <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि "हां" तो निम्नलिखित ब्योरे प्रविष्ट करें) | | | | |
| संपत्ति में आपका प्रतिशत हिस्सा | | | | |
| सह-स्वामी (यों) का नाम | | सह-स्वामियों का पै [] | संपत्ति में प्रतिशत हिस्सा (वैकल्पिक) | |
| I | | | | |
| II | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> निशान लगाएं, यदि किराए पर दिया गया है <input type="checkbox"/> | | किराएदार का नाम)यदि किराये पर हो(| किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक) | |
| किराये पर दिया हुआ समझा गया <input type="checkbox"/> | | I | | |
| | | II | | |
| क | वार्षिक किराए योग्य मूल्य / प्राप्त या प्राप्त किया गया किराया (अधिक, यदि संपूर्ण वर्ष के लिए किराए पर दिया गया, कम, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया) | 2क | | |
| ख | किराए की रकम जिसकी वसूली नहीं की जा सकती | 2ख | | |
| ग | स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर | 2ग | | |
| घ | कुल (2 ख + 2 ग) | 2घ | | |
| ङ | वार्षिक मूल्य (2 क - 2 घ) | 2ङ | | |
| च | स्वामित्व सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व प्रतिशत अंश 2ङ) | 2च | | |
| छ | 2च का 30% | 2छ | | |
| ज | उधार ली गई पूंजी पर सदेय ब्याज | 2ज | | |
| झ | कुल (2छ + 2ज) | 2झ | | |
| ञ | गृह संपत्ति 2 से आय (2ङ - 2झ) | 2ञ | | |
| 3 | "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय | | | |
| क | 30 प्रतिशत कटौती के पश्चात् धारा 25क के अधीन वर्ष के दौरान प्राप्त/अप्राप्त किराया और किराये का बकाया | 3क | | |
| ख | कुल (1ञ + 2ञ + 3क) | 3ख | | |

| अनुसूची - कारबार या वृत्ति | | कारबार या वृत्ति से आय की संगणना | |
|--|----|--|----|
| अ सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति | | | |
| कारबार या वृत्ति से आय | 1 | लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क - पी और एल की मद 45 और 53) | 1 |
| | 2क | 1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - चिह्न प्रविष्ट करें) | 2क |
| | 2ख | 1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - चिह्न प्रविष्ट करें) | 2ख |

| | | | | | |
|----|--|-----|--|-------|-----------|
| 3 | 115खखच के अधीन प्रभार्य/आय के अन्य शीर्षों के अधीन माने गए लाभ और हानि खाते में जमा आय/प्राप्तियां | क | गृह संपत्ति | 3क | |
| | | ख | पूँजी अभिलाभ | 3ख | |
| | | ग | अन्य स्रोत | 3ग | |
| | | घ | 115खखच के अधीन | 3घ | |
| 4 | 1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कड़/44कघ/44ख/44खख/44खखक/44खखख/44घ/44घक अध्याय 12छ/पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है | | | 4 | |
| 5 | (1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है | | | | |
| | | क | फार्म/ फार्मों से आय का अंश | 5क | |
| | | ख | एओपी/बीओए से आय के शेयर | 5ख | |
| | | ग | कोई अन्य छूट प्राप्त आय (रकम और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें) | | |
| | | i | | गि | |
| | | ii | | गii | |
| | | iii | कुल (गि + गii) | 5गiii | |
| घ | कुल आय पर छूट (5क + 5ख + 5गiii) | | 5घ | | |
| 6 | बकाया (1- 2क - 2ख - 3 क - 3ख - 3ग - 3घ - 4 - 5घ) | | | | 6 |
| 7 | 115खखच के अधीन प्रभार्य से संबंध आय/आय के अन्य शीर्षों के अधीन माने गए लाभ और हानि खाते से विकलित व्यय | क | स्वामित्व संपत्ति | 7क | |
| | | ख | पूँजी अभिलाभ | 7ख | |
| | | ग | अन्य स्रोत | 7ग | |
| | | घ | 115खखच के अधीन | 7घ | |
| 8 | लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो कर छूट से संबंधित है | | | 8 | |
| 9 | कुल (7क + 7ख + 7ग + 7घ + 8) | | | 9 | |
| 10 | समायोजित लाभ या हानि (6+9) | | | | 10 |
| 11 | लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और अपकरण | | | | 11 |
| 12 | आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण | | | | |
| | | i | धारा 32(1)(ii) और धारा 32(1)(ii क) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची डीईपी का रतंभ 6) | 12i | |
| | | ii | धारा 32(1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (आय कर नियम की परिशिष्ट 1 को निर्दिष्ट करते हुए स्वयं अपनी संगणना करें) | 12ii | |
| | | iii | कुल (12i + 12ii) | | 12ii i |
| 13 | अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii) | | | | 13 |
| 14 | धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग अ आई का 6 द) | | | 14 | |
| 15 | धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग अ आई का 7ट) | | | 15 | |
| 16 | धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग अ आई का 8कत्र) | | | 16 | |
| 17 | धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग अ आई का 9 च) | | | 17 | |
| 18 | पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं (भाग अ आई का 11ज) | | | 18 | |
| 19 | सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय ब्याज | | | 19 | |
| 20 | धारा 41 के अधीन समझी गई आय | | | 20 | |
| 21 | धारा 32कग/ 33कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक/ 35कखख/ 32कग/ 40क(3क) / 33कग/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन समझी गई आय | | | 21 | |
| 22 | धारा 43गक के अधीन समझी गई आय | | | 22 | |
| 23 | धारा 28 से 44घक के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें | | | 23 | |
| 24 | लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अननुज्ञेय नहीं है (फर्मों से जिसमें कंपनी भागीदार हैं, वेतन, कमीशन बोनस और ब्याज सहित) | | | 24 | |
| 25 | कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24) | | | | 25 |
| 26 | धारा 32(1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती | | | 26 | |
| 27 | धारा 32कघ के अधीन अनुज्ञेय योग्य कटौती | | | 27 | |

| | | | | |
|--|---|---|-------------------|---------------------------------|
| 28 | धारा 32क के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय रकम | 28 | | |
| 29 | लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक धारा 35 या 35 गगग या 35गगघ के अधीन अनुज्ञेय कटौती (अनुसूची 2एसआर का मद 4 यदि धारा 35 गगग या 35गगघ के अधीन रकम लाभ और हानि लेखा की विकसित रकम से कम है तो यह मद 24 में जाएगी) | 29 | | |
| 30 | किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम (भाग अण्ड का 8ख) | 30 | | |
| 31 | किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग अण्ड का 10छ) | 31 | | |
| 32 | धारा 35कग के अधीन कटौती | | | |
| | क लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम | 32क | | |
| | ख कटौती के रूप में अनुज्ञेय रकम | 32ख | | |
| | ग लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती | 32ग | | |
| 33 | कटौती के रूप में अनुज्ञात कोई अन्य रकम के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम | 33 | | |
| 34 | कुल (26 + 27+28 +29 +30 + 31+ 32ग + 33) | | 34 | |
| 35 | आय (13 + 25 - 33) | | 35 | |
| 36 | निम्नलिखित के अधीन लाभ या हानि - | | | |
| | i धारा 44कड | 36i | | |
| | ii धारा 44ख | 36ii | | |
| | iii धारा 44खख | 36iii | | |
| | iv धारा 44खखक | 36iv | | |
| | v धारा 44खखख | 36v | | |
| | vi धारा 44घ | 36vi | | |
| | vii धारा 44घक | 36vii | | |
| | viii अध्याय-XII-छ (टनेज) | 36viii | | |
| | ix आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची | 36ix | | |
| | x कुल (34i to 34ix) | | 35x | |
| 37 | सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (35 + 36x) | | 37 | |
| 38 | नियम 7क, 7ख या 7ग 8 लागू हों लागू करने के पश्चात् सट्टे के बाजार या विनिर्दिष्ट व्यवसाय से भिन्न कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7क, 7ख या 7ग 8 लागू नहीं हैं तो 35 की वही रकम यथाप्रविष्ट करेकं जो 35 में है करने के पश्चात् विशेष कारबार की दशा के सिवाय जो उपरोक्त 37 में है/ यदि हानि है तो मद ड का 2इ लें) | | अ3 8 | |
| आ सट्टे के कारबार से आय की संगणना | | | | |
| 39 | लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि | | 39 | |
| 40 | धारा 28 से 44 घक के अनुसार परिवर्धन | | 40 | |
| 41 | धारा 28 से 44 घक के अनुसार कटौतियां | | 41 | |
| 42 | सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (39 + 40 - 41) (यदि हानि है तो मद गचठ का अंक 6 xi लें) | | 42ख | |
| इ विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना | | | | |
| 43 | लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से कुल लाभ या हानि | | 43 | |
| 44 | धारा 28 से धारा 44घक के अनुसार जोड़ | | 44 | |
| 45 | धारा 28 से धारा 44घक के अनुसार कटौतियां (धारा 35कघ ii 32 या 35 जिसमें धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया के अधीन कटौती से भिन्न) | | 45 | |
| 46 | विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (43 + 44 - 45) | | 46 | |
| 47 | धारा 35कघ(1) या 35कघ(1 क) के अनुसार कटौतियां | | 47 | |
| 48 | विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (46 - 47) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें) | | 48ग | |
| ई लाभ और हानि शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (अ37+आ42+ इ48) | | | | |
| उ चालू वर्ष में कारबार हानि का अन्तःशीर्ष मुजरा | | | | |
| क्र. सं. | कारबार आय का प्रकार | चालू वर्ष की आय (इस खाने को उसी दशा में भरें यदि अंक शून्य या सकारात्मक है) | कारबार हानि मुजरा | मुजरा पश्चात् बची हुई कारबार आय |
| | | (1) | (2) | (3) = (1) - (2) |
| i | हानि का मुजरा(इस पंक्ति को तभी भरें यदि अंक नकारात्मक है) | | (क37) | |
| ii | सट्टे के कारबार से आय | (ख42) | | |

| | | | | | |
|--|-----|-----------------------------|-------|--|--|
| | iii | विनिर्दिष्ट कारवार से आय | (748) | | |
| | iv | कुल हानि मुजरा (ii + iii) | | | |
| | v | मुजरा पश्चात् हानि (i - iv) | | | |

| अनुसूची डीपीएम | | संयंत्र और मशीनरी पर अवक्षयण (आस्तियों से भिन्न जिस पर पूर्ण पूंजीगत व्यय किसी भी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात है) | | | | | | |
|----------------|--|---|------|-------|------|-----|------|-------|
| 1 | आस्तियों का ब्लाक | संयंत्र और मशीनरी | | | | | | |
| | 2 | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| | दर (%) | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | (vii) |
| 3 | पूर्व वर्ष के पहले दिन को लिखित मूल्य | | | | | | | |
| 4 | पूर्व वर्ष में 180 दिन या अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन | | | | | | | |
| 5 | 3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली | | | | | | | |
| 6 | वह रकम जिस पर पूर्ण दर पर अवक्षयण अनुज्ञात है (3+4-5) (शून्य प्रविष्ट करें यदि परिणाम नकारात्मक है) | | | | | | | |
| 7 | पूर्व वर्ष में 180 दिन से कम की अवधि के लिए परिवर्धन | | | | | | | |
| 8 | 7 में से वर्ष के दौरान प्रतिकल या अन्य सुव्यवस्थीकरण | | | | | | | |
| 9 | वह रकम जिस पर अवक्षयण आधे दर पर अनुज्ञात है (7-8) (शून्य प्रविष्ट करें यदि परिणाम नकारात्मक है) | | | | | | | |
| 10 | पूर्ण दर पर 6 का अवक्षयण | | | | | | | |
| 11 | आधी दर पर 9 का अवक्षयण | | | | | | | |
| 12 | अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो, 4 पर | | | | | | | |
| 13 | अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो, 7 पर | | | | | | | |
| 14 | आस्तियों पर 180 दिनों से कम समय पर उपयोग के लिए अव्यवहित पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित अतिरिक्त अवक्षयण | | | | | | | |
| 15 | कुल अवक्षयण* (10 + 11 + 12 + 13 + 14) | | | | | | | |
| 16 | आस्ति/आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय | | | | | | | |
| 17 | धारा 50* के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5+ 8-3-4-7-16) (शून्य प्रविष्ट करें यदि ब्लाक नहीं रहता है) | | | | | | | |
| 18 | पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अपलिखित मूल्य (6+ 9-15) (शून्य प्रविष्ट करें यदि परिणाम नकारात्मक है) | | | | | | | |

| अनुसूची-अन्य आस्तियों पर अवक्षयण | | अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (आस्तियों से भिन्न जिस पर पूर्ण पूंजीगत व्यय किसी भी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात है) | | | | | |
|----------------------------------|--|---|------|-------|-------------------|-----------------|------|
| 1 | आस्ति-समूह | भवन | | | फर्नीचर और फिटिंग | अमूर्त आस्तियां | पोत |
| | 2 | 5 | 10 | 100 | 10 | 25 | 20 |
| | रेट (%) | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) |
| 3 | पूर्व वर्ष के पहले दिन को अवलिखित मूल्य | | | | | | |
| 4 | पूर्व वर्ष में 180 दिन या अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन | | | | | | |
| 5 | 3या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली | | | | | | |
| 6 | रकम जिस पर अवक्षयण पूर्ण दर पर अनुज्ञात है (3+4-5) (शून्य लिखें यदि परिणाम नकारात्मक है) | | | | | | |
| 7 | पूर्व वर्ष में 180 दिन से अन्यून की अवधि के लिए परिवर्धन | | | | | | |
| 8 | 7 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 9 | रकम जिस पर अवक्षयण आधी दर पर अनुज्ञात है 7-8 (शून्य लिखें यदि परिणाम नकारात्मक है) | | | | | | |
| 10 | 6 पर पूरी दर से अवक्षयण | | | | | | |
| 11 | 9 पर आधी दर पर अवक्षयण | | | | | | |
| 12 | कुल अवक्षयण (10+11) | | | | | | |
| 13 | आस्ति/आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय | | | | | | |
| 14 | धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि* (5 + 8 -3-4 -7 -13) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लाक नहीं रहता) | | | | | | |
| 15 | पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को अवलिखित मूल्य* (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें) | | | | | | |

| अनुसूची-डीईपी | | आस्ति पर अवक्षयण सारांश (आस्तियों से भिन्न जिस पर पूर्ण पूंजीगत व्यय किसी भी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात है) | | | | | |
|-------------------------|--|--|-----|--|--|--|--|
| आस्ति पर अवक्षयण का सार | 1 | संयंत्र और मशीनरी | | | | | |
| | क | 15 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-15i) | 1क | | | | |
| | ख | 30 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-15ii) | 1ख | | | | |
| | ग | 40 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-15iii) | 1 ग | | | | |
| | घ | 50 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-15iv) | 1 घ | | | | |
| | ङ | 60 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-15v) | 1 ङ | | | | |
| | च | 80 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-15vi) | 1 च | | | | |
| | छ | 100 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-15vii) | 1 छ | | | | |
| | ज | संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+ 1ख+ 1ग+ 1घ+ 1ङ+ 1च + 1छ) | 1 ज | | | | |
| | 2 | भवन | | | | | |
| क | 5 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीओए-12i) | 2 क | | | | | |
| ख | 10 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीओए-12ii) | 2 ख | | | | | |
| ग | 100 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीओए-12iii) | 2 ग | | | | | |
| घ | भवन पर कुल अवक्षयण (2क + 2ख + 2ग) | 2 घ | | | | | |
| 3 | फर्नीचर और फिटिंग्स (अनुसूची डीओए - 12iv) | 3 | | | | | |
| 4 | अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए - 12v) | 4 | | | | | |
| 5 | पोत (अनुसूची डीओए - 12vi) | 5 | | | | | |
| 6 | कुल अवक्षयण (1ज+2घ+3+4+5) | 6 | | | | | |

| अनुसूची डीसीजी | | अवक्षयी आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ (आस्तियों से भिन्न जिस पर पूर्ण पूंजीगत व्यय किसी भी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात है) | | | | | |
|--|---|---|----|--|--|--|--|
| अवक्षयी आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ | 1 | संयंत्र और मशीनरी | | | | | |
| | क | 15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 17i) | 1क | | | | |
| | ख | 30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 17ii) | 1ख | | | | |
| | ग | 40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 17iii) | 1ग | | | | |
| | घ | 50% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 17iv) | 1घ | | | | |
| | ङ | 60% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 17v) | 1ङ | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------------|---|----|----|
| | च | 80% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 17vi) | 1च | |
| | छ | 100% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 17vii) | 1छ | |
| | ज | योग (1क+1ख+1ग+1घ+1ङ+1च+1छ) | | 1ज |
| | 2 | भवन | | |
| | क | 5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीओए - 14i) | 2क | |
| | ख | 10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीओए - 14ii) | 2ख | |
| | ग | 100% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीओए - 14iii) | 2ग | |
| | घ | योग (2क+2ख+2ग) | | 2घ |
| | 3 | फर्नीचर और फिटिंग्स (अनुसूची डीओए - 14iv) | | 3 |
| | 4 | अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए - 14v) | | 4 |
| 5 | पोत (अनुसूची डीओए - 14vi) | | 5 | |
| 6 | योग (1ज+2घ+3+4+5) | | 6 | |

| अनुसूची - इसआर | | धारा 35 या गगग या गगघ के अधीन कटौती | | |
|----------------|---|--|------------------------------|--|
| क्र.सं. | धारा में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यय (1) | लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो (2) | अनुज्ञेय कटौती की रकम (3) | लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) - (2) |
| i | 35(1)(i) | | | |
| ii | 35(1)(ii) | | | |
| iii | 35(1)(ii क) | | | |
| iv | 35(1)(iii) | | | |
| v | 35(1)(iv) | | | |
| vi | 35(2अअ) | | | |
| vii | 35(2अआ) | | | |
| viii | 35गगग | | | |
| ix | 35गगघ | | | |
| x | योग | | | |

| अनुसूची-पूँजी अभिलाभ | | पूँजी अभिलाभ | | | |
|----------------------|---|--------------|---|---|-------|
| पूँजी अभिलाभ | लघु अवधि पूँजी अभिलाभ | क | लघु अवधि पूँजी अभिलाभ (एसटीसीजी) (मद 4, 5 और 8 निवासियों के लिए लागू नहीं है) | | |
| | | 1 | भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से | | |
| | | क | i | प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य | का |
| | | | ii | स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य | काii |
| | | | iii | पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii) | काiii |
| | | | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियां | |
| | | ग | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | ख i |
| | | | ii | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | ख ii |
| | | | iii | पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय | ख iii |
| | | | iv | योग (ख i + ख ii + ख iii) | ख iv |
| ग | तुलन काiii - ख iv) | 1 ग | | | |
| घ | धारा 54 घ / 54 छ/54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें) | 1 घ | | | |
| ङ | स्थावर संपत्ति पर लघु अवधि पूँजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ) | | क 1 ङ | | |
| 2 | स्लम्य बिक्री से | | | | |
| क | प्रतिफल का पूरा मूल्य | 2 क | (प्ररूप 3 गडक का 5) | | |
| | बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य | 2 ख | (प्ररूप 3 गडक का 6(5)) | | |
| | स्लम्य की बिक्री से लघु अवधि पूँजी अभिलाभ (2 क- 2 खे) | | क 2 ग | | |
| 3 | इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (विदेशी के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| 4 | क | प्रतिफल का पूरा मूल्य | 3 क | | |
| | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियां | | | |
| | | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | ख i | |
| | | ii | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | ख ii | |
| | | iii | पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय | ग iii | |
| | | iv | योग(i + ii + iii) | ख iv | |
| | ग | शेष (3 क - ख iv) | 3 ग | | |
| | घ | धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें) | 3 घ | | |
| | ङ | साम्या शेरर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ङ + 3 घ) | | क 3 ङ | |
| | अनिवासियों के लिए जो एफ आईआई नहीं है किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभांशों के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी) | | | | |
| क | संबंधित पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संबंधित कर (एसटीटी) संदत्त किया गया है | | क 4 क | | |
| ख | संबंधित पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संबंधित कर (एसटीटी) संदत्त नहीं किया गया है | | क 4 ख | | |
| 5 | अनिवासियों की दशा में धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (ऊपर ए 3 से भिन्न) | | | | |
| 6 | क | प्रतिफल का पूरा मूल्य | 5 क | | |
| | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियां | | | |
| | | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | ख i | |
| | | ii | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | ख ii | |
| | | iii | पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय | ख iii | |
| | | iv | योग (i + ii + iii) | ख iv | |
| | ग | शेष (5 क - ख iv) | 5 ग | | |
| | घ | धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें) | 5 घ | | |
| | ङ | साम्या शेरर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ङ + 3 घ) | | क 5 ङ | |
| | पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से | | | | |
| क | प्रतिफल का पूरा मूल्य | 6 क | | | |
| ख | धारा 48 के अधीन कटौतियां | | | | |
| | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | ख i | | |
| | ii | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | ख ii | | |
| | iii | पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय | ख iii | | |
| | iv | योग (i + ii + iii) | ख iv | | |
| ग | शेष (6 क - ख iv) | 6 ग | | | |
| घ | धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें) | 6 घ | | | |
| ङ | अवक्षणी आस्तियों पर माना गया अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजीका 6) | 6 ङ | | | |
| च | धारा 54 घ/54 छ/54 छक के अधीन कटौती | 6 च | | | |
| छ | पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एसटीसी जी (6 ग + 6 घ + 6 ङ + 6 च) | | क 6 छ | | |
| 7 | अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि | | | | |
| क | क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता रकम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं | | | | |
| | क्रम सं. | पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई हैं | वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में कटौती का दावा किया गया है | नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं | |
| | i | 2013- 14 | 54घ/54छ/54छक | नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नहीं राशि | |
| ख | धारा 54 ख /54 घ /54 छ / 54 छ क से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-------------------|---|--|------------------|----|
| | | धारा 54 ख / 54 घ / 54 छ / 54 ज लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (कxi+ ख) | क7 | | | | | |
| 8 | | अनिवासी के लिए - एसटीसीजी जिसमें क1-क7 सम्मिलित है परंतु डीटीए के अधीन भारत में कर प्रभार्य नहीं है | | | | | | |
| | | क्रम सं. | देश का नाम, कोड | डीटीए का अनुच्छेद | क्या निवास कर प्रमाणपत्र प्राप्त किया हुआ है? | उपरोक्त जिसमें मद सं. क1 से क6 सम्मिलित है | एसटीसीजी की राशि | |
| | I | | | | | क1 ड/क2 ग /क3 ड/क4 क/क4 ख/क5 ड क6 छ/क7 | | |
| | II | | | | | क1 ड/क2 ग /क3 ड/क4 क/क4 ख/क5 ड क6 छ/क7 | | |
| | III | डीटीए के अधीन भारत एसटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि | | | | | | क8 |
| 9 | कुल लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (क1 ड+ क2 ग+ क3 ड+ क4 क+ क4 ख+ क5 ड+ क6 छ+ क7 - क8) | | | | | | क9 | |
| ख | दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (निवासियों के लिए मद 5, 6 और 9 लागू नहीं हैं) | | | | | | | |
| 1 | भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से | | | | | | | |
| | क | i | प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य | | कां | | | |
| | | ii | स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य | | कांii | | | |
| | | iii | पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii) | | कांiii | | | |
| | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियां | | | | | | |
| | | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | | ख i | | | |
| | | ii | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | | ख ii | | | |
| | | iii | पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय | | ख iii | | | |
| | | iv | योग (ख i + ख ii + ख iii) | | ख iv | | | |
| | ग | शेष (क iii - ख iv) | | | | 1 ग | | |
| | घ | धारा 54 घ / 54 ङ / 54 डड / 54 छ / 54 ज के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्योरे विनिर्दिष्ट करें) | | | | 1 घ | | |
| | ड | स्थावर संपत्ति पर दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ) | | | | | ख 1 ड | |
| 2 | स्लम्य विक्री से | | | | | | | |
| | क | प्रतिफल का पूरा मूल्य | | | 2क | (प्ररूप 3 गडक का 5) | | |
| | ख | बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य | | | 2 ख | (प्ररूप 3 गडक का 6(ड)) | | |
| | ग | शेष (2 क - 2 ख) | | | 2 ग | | | |
| | घ | धारा 54 ङ / 54 डड के अधीन कटौती | | | 2 घ | | | |
| | ड | स्लम्य के विक्रय से दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (2 ग-2 घ) | | | | | ख 2 ड | |
| 3 | बंध पत्रों या डिबेंचरों के विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीकृत बंध पत्रों से भिन्न) | | | | | | | |
| | क | प्रतिफल का पूरा मूल्य | | | 3क | | | |
| | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियां | | | | | | |
| | | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | | ख i | | | |
| | | ii | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | | ख ii | | | |
| | | iii | पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय | | ख iii | | | |
| | | iv | योग (ख i + ख ii + ख iii) | | ख iv | | | |
| | ग | शेष (3क - ख iv) | | | | 3 ग | | |
| | घ | धारा 54 ङ / 54 डड के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्योरे विनिर्दिष्ट करें) | | | | 3 घ | | |
| | ड | बंध पत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (3 ग - 3 घ) | | | | | ख 3 ड | |
| 4 | सूचीबद्ध प्रतिभूतियां (किसी यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्र या धारा 112(1) लागू है, के विक्रय से | | | | | | | |
| | क | प्रतिफल का पूरा मूल्य | | | 4क | | | |
| | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियां | | | | | | |
| | | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | | ख i | | | |
| | | ii | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | | ख ii | | | |
| | | iii | पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय | | ख iii | | | |
| | | iv | योग (ख i + ख ii + ख iii) | | ख iv | | | |
| | ग | शेष (4 क - ख iv) | | | | 4 ग | | |
| | घ | धारा 54 ङ / 54 डड के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्योरे विनिर्दिष्ट करें) | | | | 4 घ | | |
| | ड | पूर्वोक्त ख 4 पर आस्तियों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (4 ग-4 घ) | | | | | ख 4 ड | |
| 5 | अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों की विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा) | | | | | | | |
| | क | सूचीकरण फायदे के बिना संगणित दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ | | | 5क | | | |
| | ख | धारा 54 ङ / 54 डड के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्योरे विनिर्दिष्ट करें) | | | 5 ख | | | |

दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--------------------------------------|---|
| | ग | शेयर या डिबेंचर पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (5क-5ख) | ख5ग | | | |
| 6 | | अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1) (ग), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से | | | | |
| | क | प्रतिफल का पूरा मूल्य | 6क | | | |
| | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियां | | | | |
| | | i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | ख i | | | |
| | | ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | ख ii | | | |
| | | iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय | ख iii | | | |
| | | iv योग (ख i + ख ii + ख iii) | ख iv | | | |
| | ग | शेष (6क - ख iv) | 6 ग | | | |
| | घ | धारा 54डग/ 54डड के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें) | 6 घ | | | |
| | ड | अनिवासियों की दशा में आस्तियों पर ऊपर 6 पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (6ग-6घ) | ख 6ड | | | |
| 7 | | आस्तियों के विक्रय से जहां ऊपर ख 1 से ख 6 लागू नहीं होते हैं | | | | |
| | क | प्रतिफल का पूरा मूल्य | 7क | | | |
| | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियां | | | | |
| | | i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | ख i | | | |
| | | ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | ख ii | | | |
| | | iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय | ख iii | | | |
| | | iv योग (ख i + ख ii + ख iii) | ख iv | | | |
| | ग | शेष (7 क - खiv) | 7 ग | | | |
| | घ | धारा 54घ/54ड ग/ धारा 54डड/ धारा 54छ /धारा 54छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें) | 7 घ | | | |
| | ड | ऊपर ख 7 पर आस्तियों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (7ग-7घ) | | ख 7 ड | | |
| 8 | | दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि | | | | |
| | क | क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं | | | | |
| | | क्रम सं. | पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई हैं | वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें दावा कटौती कटौती का दावा किया गया है। | नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं | नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि |
| | | i | 2013 - 14 | 54/54घ/54छ/54छक | | |
| | ख | | क से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि | | | |
| | | | दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (क xi+ख) | | | ख8 |
| 9 | | अनिवासी के लिए - एलटीसीजी जिसमें ख1- ख8 सम्मिलित है परंतु डीटीए के अधीन कर भारत में प्रभाय नहीं है | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|------------------|------|
| | क्रम सं. | देश का नाम, कोड | डीटीएए का अनुच्छेद | क्या निवास कर प्रमाणपत्र प्राप्त किया हुआ है? | उपरोक्त जिसमें मद सं. ख1 से ख8 सम्मिलित है | एलटीसीजी का राशि | |
| | I | | | | ख1 ड/ख2 ड/ख3 ड/ख4 ग/ख5 ड/ ख6 च/ ख7 ड/ख8 | | |
| | II | | | | ख1 ड/ख2 ड/ख3 ड/ख4 ग/ख5 ड/ ख6 च/ ख7 ड/ख8 | | |
| | III | डीटीएए के अधीन एलटीसीजी प्रभाय कर की कुल राशि | | | | | ख9 |
| 10 | | कुल दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (ख 1ड + ख 2ड + ख 3ड + ख 4ड + ख 5ग + ख 6ड + ख 7ड + ख 8 - ख 9) (हानि की दशा में संख्या को अनुसूची गचठ)की 9 xi पर ले जाएं | | | | | ख 10 |
| ग | “पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (क 9 + ख10) (/ यदि हानि हो तो ख 10 को शून्य लें) | | | | | | ग |
| घ | दावा की गई कटौती के विषय में जानकारी | | | | | | |
| | 1 | धारा 54ख/54घ / धारा 54डग/ धारा 54डड/ धारा 54छ /धारा 54छक के अधीन कटौती की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दें । | | | | | |
| | | क | धारा जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है | | 1 क | कटौती की रकम | |
| | | i | नई आस्ति की लागत | | क i | | |

| | | | | |
|---|---|--|-------|--------------|
| ख | ii | उनके अर्जन /विनिर्माण की तारीख में | क ii | दि/ मा/ व |
| | iii | सम्यक तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम जमा रकम | क iii | |
| | धारा जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है | | 1 ख | कटौती की रकम |
| | i | नई आस्ति की लागत | ख i | |
| | ii | उनके अर्जन /विनिर्माण की तारीख में | ख ii | दि/ मा/ व |
| | iii | सम्यक तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम जमा रकम | ख iii | |
| ग | दावा की गई कुल कटौती (1 क + 1ख) | | 1 ग | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|-------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|---|
| ड | पूंजी अभिलाभ चालू वर्ष की पूंजी हानि को चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ के साथ मुजराई करना (ए-7 और बी-9 में सम्मिलित डीटीएए के अधीन प्रभाय रकम के सिवाय) | | | | | | | | |
| क्र. सं. | पूंजी अभिलाभ का प्रकार | चालू वर्ष क अभिलाभ (इस संतम्भ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हो) | मुजराई की गई पूंजी हानि | | | मुजराई की गई दीर्घ अवधि पूंजी हानि | | मुजराई के पश्चात चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ 7= 1-2-3-4-5-6) | |
| | | | 15% | 30% | लागू दर | 10% | 20% | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| i | मुजराई की जाने वाली हानि (इस संतम्भ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक नकारात्मक हो) | | (क 3 ड+ क 4 क) | क 5 ड | (क 1 ड+ क 2 ग+ क 4 ख+ क 6 छ+ क 7) | (ख 4 ड+ + ख 6 ड) | (ख 1 ड+ ख 2 ड+ ख 3 ड+ ख 5 ग+ ख 7 ड+ ख 8) | | |
| ii | | 15% | (क 3 ड+ क 4 क) | | | | | | |
| iii | लघु अवधि पूंजी अभिलाभ | 30% | क 5 ड | | | | | | |
| iv | | लागू दर | (क 1 ड+क 2 ग+क 4 ख+क 6 छ+क 7) | | | | | | |
| v | | 10% | (ख 4 ड+ + ख 6 ड) | | | | | | |
| vi | दीर्घ अवधि पूंजी हानि | 20% | (ख 1 ड+ ख 2 ड+ ख 3 ड+ ख 5 ग+ ख 7 ड+ ख 8) | | | | | | |
| vii | मुजराई की गई कुल हानि (ii + iii + iv + v + vi) | | | | | | | | |
| viii | मुजराई के बाद शेष हानि (i - vii) | | | | | | | | |
| च | पूंजी अभिलाभ के उद्भूत /प्राप्ति के विषय में सूचना | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| | पूंजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख | 15/6 तक (i) | 16/6 से 15/9 (ii) | 16/9 से 15/12 (iii) | 16/12 से 15/3 (iv) | 16/3 से 31/3 (v) |
| 1 | 15% की दर से प्रभाय लघु अवधि पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएपएलए से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो | | | | | |
| 2 | 30% की दर से प्रभाय लघु अवधि पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएपएलए से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो | | | | | |
| 3 | लागू दर से प्रभाय लघु अवधि पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएपएलए की मद 5viii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो | | | | | |
| 4 | 10% की दर से प्रभाय दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएपएलए की मद 5viii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो | | | | | |
| 5 | 20% की दर से प्रभाय दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएपएलए की मद 5ix से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------------------|--|
| अनुसूची ओएस | | अन्य स्रोतों से आय | |
| अन्य स्रोत | 1 आय | | |
| | क लाभांश, सकल | 1क | |
| | ख ब्याज, सकल | 1ख | |
| | ग मशीनरी, संयंत्र, भवन के किराए से आय | 1ग | |
| | घ अन्य, सकल (ढोड़ की जीत से आय को छोड़कर) प्रकृति का उत्प्रेषण | | |
| i लाटरी, वर्ग पहली जीतने से होने वाली आय | 1घ | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|----------------------|-----------------------------------|---|------------|-------|--|
| | ii | क | 68 के अधीन नकद जमा | | | | | | |
| | | ख | 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान | | | | | | |
| | | ग | 69 के अधीन अस्पष्टीकृत धन | | | | | | |
| | | घ | 69 के अधीन अप्रकटीकृत निवेश | | | | | | |
| | | ङ | 69 के अधीन अस्पष्टीकृत व्यय | | | | | | |
| | | च | 69 के अधीन हंडी पर उधार ली गई या प्रतिसंदित रकम | | | | | | |
| | iii | कुल (क + ख + ग + घ + ङ+ च) | | | | | 1घii | | |
| | | | | | | | 1घiii | | |
| | | | | | | | 1घiv | | |
| | | वोग (1घ+घii+घiii + 1घiv) | | | | | 1घv | | |
| | | ड योग (1क+1ख+1ग+1घv) | | | | | | 1ड | |
| | च | विशेष दर के कर से प्रभार्य'1ड में सम्मिलित (अनुसूची एसआईपाले जाने वाला) | | | | | | | |
| | | i | लाटरी, बग पहली, खेलो, धूत, दांव लगाने, दौड़ो आदि से जीत द्वारा आय से (धारा 115 आआ के अधीन) | | | | | 1चi | |
| | | ii | 115खखड के अधीन कर दर प्रभार्य मानी गई आय | | | | | 1चii | |
| | | iii | 115खखच के अधीन प्रभार्य पेटेन्ट से आय | | | | | 1चiii | |
| iv | | अध्याय XII/XII-A के अधीन कोई अन्य आय जो कि विनिर्दिष्ट दर पर कर प्रभार्य है | | | | | 1चiv | | |
| v | अनिवासी के लिए - डीटीएए के अधीन कर के लिए प्रभार्य आय | | | | | | | | |
| | क्रम सं. | देश का नाम, कोड | डीटीएए का अनुच्छेद | डीटीएए के अधीन कर दर | क्या टीआरसी प्राप्त किया गया है ? | अधिनियम की तत्स्थानी धारा जिसमें विहित की जाती है | आय की राशि | | |
| | I | | | | | | | | |
| | II | | | | | | | | |
| III | डीटीएए के अधीन कर के लिए आय की कुल राशि | | | | | 1चv | | | |
| vi | विशिष्ट दर पर कर को प्रभार्य योग्य '1ड' में सम्मिलित ओब (1चi + 1चii + 1चiii + 1चiv + 1चv) | | | | | | | 1चvi | |
| | छ सामान्य लागू दर के कर से प्रभार्य सकल रकम (1ड-1च vi) | | | | | | | 1छ | |
| ज | धारा 57 के अधीन कटौतियां (अनिवासियों के लिए, 1चi, 1चii 1चiii 1चiv, 1चv और 1चvi के अधीन उससे संबंधित आय से भिन्न) | | | | | | | | |
| | i | व्यय/कटौतियां | | | | जi | | | |
| | ii | अवक्षयण | | | | जii | | | |
| झ | योग | | | | जiii | | | | |
| | अन्य स्रोतों से आय (दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न और रकम विशेष दर के कर से प्रभार्य) (1छ + जiii) (यदि हानि हो तो अनुसूची सीवाईएलए की 4i के अंक ले) | | | | | | | 1i | |
| 2 | अन्य स्रोतों से आय (दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (1च iv + 1झ) (यदि हानि है तो 1झ के लिए शून्य लिखें) | | | | | | | 2 | |
| 3 | दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व के क्रियाकलाप से आय | | | | | | | | |
| क | प्राप्तियां | | | | | 3क | | | |
| | ख | (4) के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां | | | | | 3ख | | |
| ग | अतिशेष (3क - 3ख) (यदि हानि है तो अनुसूची सीएफएल के अंक 10यां को ले) | | | | | 3ग | | | |
| | 4 "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (2 + 3ग) (यदि हानि है तो 3ग को शून्य लिखें) | | | | | | | 4 | |

| अनुसूची सीवाईएलए चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरें | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|---|
| क्र. सं. | शीर्ष/ आय का स्रोत | चालू वर्ष की आय (इस स्तम्भ को केवल तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो) | चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्ति की हानि | चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न)कारबार हानि | चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़दौड़ से हुई हानि से भिन्न और कर विशेष दर से प्राभार्य रकम) अन्य स्रोतों से हानि | मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष बची आय | मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष बची आय |
| | | | | | | | |
| i | मुजरा की जाने वाली हानि (इस पंक्ति को भरें यदि गणना किए गए अंक नकारात्मक हैं) | | (अनुसूची-एचपी का 3ख) | (अनुसूची- बीपी का ड का मद 2 v) | (अनुसूची-ओएस का 1झ) | | |
| ii | गृह संपत्ति | | (अनुसूची-एचपी का 3ख) | | | | |
| iii | कारबार (सट्टेबाजी आय और विनिर्दिष्ट कारबार से आये को छोड़कर) | | (अनुसूची-बीपी का क37) | | | | |
| iv | सट्टेबाजी से आय | | (अनुसूची- बीपी का ड का मद 3 iii) | | | | |
| v | धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार आय | | (अनुसूची- बीपी का ड का मद 3 iii) | | | | |
| vi | 15% की दर से कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ | | (अनुसूची- सीजी का ड का मद 7iii) | | | | |
| vii | 30% की दर से कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ | | (अनुसूची- सीजी का ड का मद 7iii) | | | | |
| viii | लागू दर से कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ | | (अनुसूची- सीजी का ड का मद 7iv) | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|--|----------------------------|
| | ix | अग्र० पूर्ववर्ष की हानियों का योग | | (अनुसूची - बीएफएलए का 2i) | (अनुसूची - बीएफएलए का 2ii) | (अनुसूची - बीएफएलए का 2iii) | (अनुसूची - बीएफएलए का 2iv) | | | (अनुसूची - बीएफएलए का 2xi) |
| | x | अनुसूची बीएफएलए में उपरोक्त हानियों का समायोजन | | | | | | | | |
| | xi | 2017-18 (चालू वर्ष की हानि) | | | | | | | | |
| | xii | भावी वर्षों को अग्रनयन की गई कुल हानि | | | | | | | | |

अनुसूची -अनामेलित अवक्षयण धारा 35(4) के अधीन अमामेलित अवक्षयण और भत्ते

| क्र.सं. | निर्धारण वर्ष | अवक्षयण | | | धारा 35(4) के अधीन भत्ते | | |
|---------|--------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|
| | | अग्रनीत अनामेलित अवक्षयण की रकम | चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा की गई अवक्षयण की रकम | अगले वर्ष के लिए अग्रेषित शेष रकम | अग्रनीत अमामेलित भत्ते की रकम | चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए भत्ते की रकम | अगले वर्ष के लिए अग्रेषित शेष |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| i | चालू निर्धारण वर्ष | | | | | | |
| ii | | | | | | | |
| iii | योग | | (बीएफएलए का 3xii) | | | (बीएफएलए का 4xii) | |

अनुसूची आ.स.प्र.मा. लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव

| क्रम.सं. | आ.स.प्र.मा. | रकम (+) या (-) |
|----------|---|----------------|
| (i) | (ii) | (iii) |
| I | लेखा नीति | |
| II | तालिकाओं का मूल्यांकन | |
| III | संनिर्माण संविदाएं | |
| IV | राजस्व मान्यता | |
| V | मूर्त नियत आस्तियां | |
| VI | विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन | |
| VII | सरकारी अनुदान | |
| VIII | प्रतिभूतियां | |
| IX | उधार लेने की लागत | |
| X | समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था | |
| 11. | कुल सकल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | |

अनुसूची-10क धारा 10क के अधीन कटौती

| विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती | निर्धारण वर्ष जिसमें इकाई निर्माण/उत्पादन शुरू करती है | | कटौती की रकम | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|--|
| | क्रम | उपक्रम | क्रम | कटौती की रकम |
| धारा 10क के अधीन कटौती | क | उपक्रम सं० 1 | क | (उपक्रम 1 के लिए प्ररूप 56 के उपाबंध अ का मद 17) |
| | ख | उपक्रम सं० 2 | ख | (उपक्रम 2 के लिए प्ररूप 56 के उपाबंध अ का मद 17) |
| | ग | धारा 10क के अधीन कुल कटौतियां (क+ख) | ग | |

अनुसूची-10कक धारा 10कक के अधीन कटौती

| विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती | निर्धारण वर्ष जिसमें इकाई निर्माण/उत्पादन शुरू करती है | | रकम | |
|--|--|--------------------------------------|----------|--|
| | क्र० सं० | उपक्रम | क्र० सं० | रकम |
| धारा 10कक के अधीन कटौती | क | उपक्रम सं० 1 | क | (उपक्रम 1 के लिए प्ररूप 56 के उपाबंध अ का मद 17) |
| | ख | उपक्रम सं० 2 | ख | (उपक्रम 2 के लिए प्ररूप 56 के उपाबंध अ का मद 17) |
| | ग | धारा 10कक के अधीन कुल कटौतियां (क+ख) | ग | |

| अनुसूची 80छ | | धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे | | | |
|---------------|--|---|---------------|------------------------|------------------------|
| दान के ब्यौरे | क | बिना अहंता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान | | | |
| | | आदाता का नाम और पता | आदाता का पैना | दान की रकम | दान के लिए उपयुक्त रकम |
| | | i | | | |
| | | ii | | | |
| | | iii | | | |
| | | iv कुल | | | |
| | ख | बिना अहंता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान | | | |
| | | आदाता का नाम और पता | आदाता का पैना | दान की रकम | दान के लिए उपयुक्त रकम |
| | | i | | | |
| | | ii | | | |
| | | iii | | | |
| | | iv कुल | | | |
| | ग | अहंता सीमा के अध्यक्षीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान | | | |
| | | आदाता का नाम और पता | आदाता का पैना | दान की रकम | दान के लिए उपयुक्त रकम |
| | | i | | | |
| | | ii | | | |
| | iii | | | | |
| | iv कुल | | | | |
| घ | अहंता सीमा के अध्यक्षीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान | | | | |
| | आदाता का नाम और पता | आदाता का पैना | दान की रकम | दान के लिए उपयुक्त रकम | |
| | i | | | | |
| | ii | | | | |
| | iii | | | | |
| | vi कुल | | | | |
| ङ | कुल दान (क iv + ख iv + ग iv + घ iv) | | | | |

| अनुसूची 80झक | | धारा 80झक के अधीन कटौतियां | | | | |
|----------------------------|--|--|----|--------------|-----------------------------------|--|
| धारा 80झक के अधीन कटौतियां | क | धारा 80झक (4) (i) में निर्दिष्ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियां (अवसंरचना सुविधा) | क1 | उपक्रम सं0 1 | (उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30) | |
| | | | क2 | उपक्रम सं0 2 | (उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30) | |
| | ख | धारा 80झक (4) (ii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभों की बाबत कटौतियां (दूरसंचार सुविधा) | ख1 | उपक्रम सं0 1 | (उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30) | |
| | | | ख2 | उपक्रम सं0 2 | (उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30) | |
| | ग | धारा 80-झक(4)(iii) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (औद्योगिक पार्क और विशेष आर्थिक जोन) | ग1 | उपक्रम सं0 1 | (उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30) | |
| | | | ग2 | उपक्रम सं0 2 | (उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30) | |
| | घ | धारा 80-झक(4)(iv) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत) | घ1 | उपक्रम सं0 1 | (उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30) | |
| | | | घ2 | उपक्रम सं0 2 | (उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30) | |
| | ङ | धारा 80-झक(4)(v) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत उत्सर्जन संयंत्र का पुनरुज्जीवन) और धारा 80झक (vi) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (क्षेत्र पार प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क) | ङ1 | उपक्रम सं0 1 | (उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30) | |
| | | | ङ2 | उपक्रम सं0 2 | (उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30) | |
| च | धारा 80-झक के अधीन कुल कटौती (क 1 + क 2 + ख1 + ख2 + ग1 + ग2+ घ1 + घ2+ ङ1 + ङ2) | | | | च | |

| अनुसूची 80 झख | | धारा 80-झख के अधीन कटौती | | | |
|---------------|---|--|----|--------------|-----------------------------------|
| | क | जम्मू-करमीर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती (धारा80झख(4)) | क1 | उपक्रम सं0 1 | (उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30) |
| | | | क2 | उपक्रम सं0 2 | (उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30) |
| | ख | आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौती (धारा80झख(4)) | ख1 | उपक्रम सं0 1 | (उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30) |
| | | | ख2 | उपक्रम सं0 2 | (उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30) |

| | | | | |
|---|--|----|--------------|---------------------------------------|
| ग | औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौती (धारा 80इख(5)) | ग1 | उपक्रम सं० 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| | | ग2 | उपक्रम सं० 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| घ | बहुविधा थियेटर की दशा में कटौती (धारा 80इख(7क)) | घ1 | उपक्रम सं० 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगखक का मद 10(v)) |
| | | घ2 | उपक्रम सं० 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगखक का मद 10(v)) |
| ङ | कन्वेशन केन्द्रों की दशा में कटौती (धारा 80इख(7ख)) | ङ1 | उपक्रम सं० 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगखख का मद 10(v)) |
| | | ङ2 | उपक्रम सं० 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगखख का मद 10(v)) |
| च | वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली कंपनी की दशा में कटौती (धारा 80इख(8क)) | च1 | उपक्रम सं० 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| | | च2 | उपक्रम सं० 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| छ | ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और खनन आरंभ करता है (धारा 80इख(9)) | छ1 | उपक्रम सं० 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| | | छ2 | उपक्रम सं० 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| ज | गृह परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 80इख(10)) | ज1 | उपक्रम सं० 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| | | ज2 | उपक्रम सं० 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| झ | प्रशीतन श्रृंखला सुविधा का प्रचालन करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 80इख(11)) | झ1 | उपक्रम सं० 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| | | झ2 | उपक्रम सं० 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| ञ | फल और सब्जियों, मांस, मांस उत्पाद, कुक्कुट, समुद्री या डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परिवहन और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 80इख(11क)) | ञ1 | उपक्रम सं० 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| | | ञ2 | उपक्रम सं० 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| ट | अनाज की संभलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 80इख(11क)) | ट1 | उपक्रम सं० 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| | | ट2 | उपक्रम सं० 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| ठ | ग्रामीण अस्पताल के प्रचालन और अनुरक्षण में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 80इख(11ख)) | ठ1 | उपक्रम सं० 2 | प्ररूप 10गगखग का 11(v)) |
| | | ठ2 | उपक्रम सं० 2 | प्ररूप 10गगखग का 11(v)) |
| ड | वर्जित क्षेत्र से भिन्न, किसी क्षेत्र में अस्पताल के परिचालन और अनुरक्षण में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 8इख (11ग)) | ड1 | उपक्रम सं० 1 | प्ररूप 10गगखघ का 11(d)) |
| | | ड2 | उपक्रम सं० 2 | प्ररूप 10गगखघ का 11(d)) |
| ढ | धारा 80इख के अधीन कुल कटौती (क1 से ड2 का योग) | | | ढ |

| | | | | |
|--|---|--|--------------|-----------------------------------|
| अनुसूची-80-इग या 80-इङ | | धारा 80-इग या धारा 80इङ के अधीन कटौतियाँ | | |
| क | सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती | क1 | उपक्रम सं० 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| | | क2 | उपक्रम सं० 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| ख | हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती | ख1 | उपक्रम सं० 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| | | ख2 | उपक्रम सं० 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| ग | उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती | ग1 | उपक्रम सं० 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| | | ग1 | उपक्रम सं० 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| घ पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती | | | | |
| घक | असम | घक1 | उपक्रम सं० 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| | | घक2 | उपक्रम सं० 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| घख | अरुणाचल प्रदेश | घख1 | उपक्रम सं० 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| | | घख2 | उपक्रम सं० 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| घग | मणिपुर | घग1 | उपक्रम सं० 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| | | घग2 | उपक्रम सं० 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| घघ | मिजोरम | घघ1 | उपक्रम सं० 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| | | घघ2 | उपक्रम सं० 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| घङ | मेघालय | घङ1 | उपक्रम सं० 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| | | घङ2 | उपक्रम सं० 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| घच | नागालैंड | घच1 | उपक्रम सं० 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| | | घच2 | उपक्रम सं० 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| घछ | त्रिपुरा | घछ1 | उपक्रम सं० 1 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |
| | | घछ2 | उपक्रम सं० 2 | (उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30) |

| | | | |
|----|--|----|--|
| घज | पूर्वोत्तर में अवस्थित उपग्रहों के लिए कटौतियों का योग (घक1 से घछ2 का योग) | घज | |
| ड | धारा 80झग या धारा 80झड के अधीन कुल कटौती (क+ घ + ग+घज) | ड | |

| अनुसूची-VI-क | | अध्याय VI-क के अधीन कटौतियां | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|--|---|
| कुल कटौतियां | 1 | भाग ख - कतिपय संदाय के बाबत कटौती | | |
| | क | 80छ | ख 80छछ | |
| | ग | 80छछक | घ 80छछग | |
| | भाग ख के अधीन कुल कटौती (क + ख + ग + घ) | | | 1 |
| | 2 | भाग ग- कतिपय आय के बाबत कटौती | | |
| | ड | 80झक | (अनुसूची 80झक का च) च 80झकख | |
| | छ | 80झकग | ज 80झकख (अनुसूची 80झक का ण) | |
| | झ | 80झग/ झड. | (अनुसूची 80-झग/80-झड का ड.) ज 80-झघ (प्ररूप 10गगखखक का मद 10(e)) | |
| | ट | 80त्रक | ठ 80त्रकक (प्ररूप 10ड.क का उपाबंध 10) | |
| | ड | 80ठक | (प्ररूप 10गगव का उपाबंध 9) | |
| भाग ग के अधीन कुल कटौती (कुल ड से ढ) | | | 2 | |
| 3 | अध्याय VI-क के अधीन कुल कटौतियां (1 +2) | | 3 | |

| अनुसूची एसआई | | विशेष दर झख से से प्रभाय आय (धारा और कर की दर के लिए कृपया अदेश सं0-7 (ii) देखें) | | | |
|--------------|---|---|--------------|-----------------------------------|-------------|
| क्र.सं | धारा / विवरण | <input type="checkbox"/> | विशेष दर (%) | आय (i) | उस पर कर ii |
| 1 | 111क (शेयर पर एसटीसीजी/इक्वीटी ओरिण्टेड एफएम जिस पर एसटीटी संदत है) | <input type="checkbox"/> | 15 | (अनुसूची - बीएफएलए का 5v) | |
| 2 | 115कघ (प्रम्याभूतियों पर एफआईआई के लिए एसटीसीजी, जहां एसटीटी संदत है) | <input type="checkbox"/> | 30 | (अनुसूची - बीएफएलए का 5vi) | |
| 3 | 112 परंतुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी/यूनिट सूचीकर के बिना) | <input type="checkbox"/> | 10 | (अनुसूची - बीएफएलए का भाग 5vii) | |
| 4 | 112 (i) (ग) (iii) (विदेशी कंपनी की दशा में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी) | <input type="checkbox"/> | 10 | (अनुसूची - बीएफएलए का भाग 5vii)) | |
| 5 | 115कख (धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाईयों पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी) | <input type="checkbox"/> | 10 | (अनुसूची - बीएफएलए का भाग 5viii)) | |
| 6 | 115कख (बांड/जीडीआर पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी) | <input type="checkbox"/> | 10 | (अनुसूची - बीएफएलए का भाग 5viii)) | |
| 7 | 115कघ (प्रम्याभूतियों पर एफआईआई के लिए एसटीसीजी) | <input type="checkbox"/> | 10 | (अनुसूची - बीएफएलए का भाग 5viii)) | |
| 8 | 112 (अन्य पर एलटीसीजी) | <input type="checkbox"/> | 20 | (अनुसूची - बीएफएलए का 5ix) | |
| 9 | 115कग (विदेशी मुद्रा में खरीदे गए बांड या जीडीआर से अनिवासियों की आय) | <input type="checkbox"/> | 10 | (अनुसूची - ओएस का भाग 1चii) | |
| 10 | 115 खख (लॉटरी, वर्ग पहेली, दौड़, खेल आदि से जीत) | <input type="checkbox"/> | 30 | (अनुसूची - ओएस का 1चi) | |
| 11 | 115खखघ (निर्दिष्ट विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश) | <input type="checkbox"/> | 15 | (अनुसूची - ओएस का भाग 1चii)) | |
| 12 | 115 खखड (धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या 69घ के अधीन आय) | <input type="checkbox"/> | 30 | (अनुसूची - ओएस का भाग 1चii) | |
| 13 | 115क(ख) (विदेशी कंपनी के स्वामिस्व की आय) | <input type="checkbox"/> | 25 | (अनुसूची - ओएस का भाग 1चii) | |
| 14 | डीटीएए दर के अधीन प्रभाय | <input type="checkbox"/> | | (अनुसूची ओएस के 1एफ iii का भाग) | |
| 15 | 115खखच (पेटेंट से आय पर कर) | | | | |
| | क कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय | <input type="checkbox"/> | 10 | (बीपी अनुसूची का 3घ) | |
| | ख अन्य स्वोत शीर्ष के अधीन आय | <input type="checkbox"/> | 10 | (ओएस अनुसूची का 1चiii) | |
| 16 | | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | योग | | |

| अनुसूची-छूट प्राप्त आय | | छूट प्राप्त आय का ब्यौरा (कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय) | |
|------------------------|---|--|---|
| छूट प्राप्त आय | 1 | ब्याज से आय | |
| | 2 | लाभांश से आय | |
| | 3 | उन संव्यवहारों जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर का संदाय किया गया है पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ | |
| | 4 | i शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न) | i |
| | ii कृषि पर उपगत व्यय | ii | |
| | iii पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेहित कृषि हानि | iii | |

| | | | |
|---|----|--|---|
| | iv | वर्ष (i-ii-iii) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें) | 4 |
| 5 | | अन्य नाबालिग बालक की आय जिस पर छूट है, सम्मिलित है | 5 |
| 6 | | योग (1+2+3+4+5) | 6 |

| अनुसूची पीटीआई | | धारा 115क115, पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे | | | | | | | | | |
|---------------------|------|--|--|------|-----------------------------------|-------------|---|-----|-----------------------------------|--|--|
| पास के माध्यम से आय | क्रम | कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का नाम | कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या | क्रम | आय का शीर्ष | आय की रकम | ऐसी रकम पर खोत पर कर कटौती यदि कोई हो, कर | | | | |
| | 1. | | | | i | गृह संपत्ति | | | | | |
| ii | | | | | पूंजी अभिलाभ | | | | | | |
| क | | | | | अल्पकालिक अवधि | | | | | | |
| | | | | | दीर्घकालिक अवधि | | | | | | |
| iii | | | | | अन्य खोत | | | | | | |
| iv | | | | | दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी | | | | | | |
| क | | | | | धारा 10(23खख) के अधीन | | | | | | |
| | | | | | धाराके अधीन | | | | | | |
| | | | | | धाराके अधीन..... | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | i | गृह संपत्ति | | |
| | | | | | | | | ii | पूंजी अभिलाभ | | |
| | | | | | | | | क | अल्पकालिक अवधि | | |
| | | | | | | | | | दीर्घकालिक अवधि | | |
| | | | | | | | | iii | अन्य खोत | | |
| | | | | | | | | iv | दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी | | |
| | | | | | | | | क | धारा 10(23खख) के अधीन | | |
| | | | | | | | | | धाराके अधीन | | |
| | | | | | | | | | धाराके अधीन..... | | |

टिप्पण ▶ इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।

| अनुसूची एमएटी | | धारा 115ख के अधीन संदेय न्यूनतम बैकल्पिक कर की संगणना | | | | | |
|---------------------|--|---|----|--|--|---|--------------------------|
| न्यूनतम बैकल्पिक दर | 1 | क्या लाभ और हानि लेखा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के भाग 2 के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें) | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | यदि 1 ना है तो क्या लाभ और हानि लेखा प्रकार की कम्पनी को शासित करने वाले अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें) | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | क्या ऊपर स्तंभ 7 में निर्दिष्ट लाभ और हानि लेखा में, लाभ और हानि लेखा तैयार करने के लिए समान लेखा नीतियों, लेखा मानक का अनुपालन किया गया और अवक्षणय की संगणना करने के लिए दरों की समान पद्धति कंपनी वार्षिक साधारण निकाय बैठक में कंपनी के समक्ष अधिकथित तैयार लेखा के लिए भी अपनाई गई है ? (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें) | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | लाभ और हानि लेखा में यथादर्शित कर पश्चात् लाभ भाग क पी एंड एल की मद 48 प्रविष्ट करें) | | | | 4 | |
| | 5 | योग (यदि लाभ और हानि लेखा में विकलित है) | | | | | |
| | क | आस्थागत कर की रकम और उसके लिए उपबंध समेत संदत्त या संदेय आय कर या उसका उपबंध (एफबीटी से भिन्न) | 5क | | | | |
| | ख | आरक्षित (धारा 33कग के अधीन आरक्षित के सिवाय) | 5ख | | | | |
| | ग | अभिनिश्चित न किए गए दायित्व के लिए उपबंध | 5ग | | | | |
| | घ | समनुबंधी कंपनियों की हानियों के लिए उपबंध | 5घ | | | | |
| | ङ | संदत्त या प्रस्तावित लाभांश | 5ङ | | | | |
| च | धारा 10, 11 और 12 के अधीन छूट प्राप्त आय संबंधित व्यय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय) | 5च | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|----|---|
| | छ | एओपी/बीओआई की आय में शेयर से संबंधित व्यय पर जिस पर धारा 86 के अनुसार आय कर संदत्त नहीं हैं | 5छ | |
| | ज | धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चख) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में व्यय | 5ज | |
| | झ | धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चग) में निर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या यूनियों के अंतरण पर संकेतन हानि | 5झ | |
| | ञ | 115अखच के अधीन कर पर प्रभार्य पेटेंट की बावत स्वामित्व के मद्दे आय से संबंधित व्यय | 5ञ | |
| | ट | आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए मान्य अवक्षयण | 5ट | |
| | ठ | धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में निर्दिष्ट यूनियों के अंतरण पर अभिलाभ | 5ठ | |
| | ड | अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों और किसी आस्ति के मूल्य में कमी के लिए उपबंध सहित) | 5ड | |
| | ढ | कुल कटौतियां (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ+5च+5छ+5ज+5झ+5ञ+5ट+5ठ+5ड) | 5ढ | |
| 6 | कटौतियां | | | |
| | क | आरक्षित से निकाली गई रकम या यदि लाभ या हानि लेखा को जमा की गई है तो उपबंध | 6क | |
| | ख | धारा 10, 11 और 12 के अधीन आय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय) | 6ख | |
| | ग | पुनर्मूल्यांकन आरक्षित और लाभ और हानि लेखा में जमा की गई रकम से निकली गई उस सीमा तक जब तक आस्ति के मूल्यांकन के मान्य अवक्षयण की रकम से अधिक नहीं होने की सीमा तक | 6ग | |
| | घ | एओपी/ बीओआई की आय में अंश जिस पर लाभ और हानि खाते में जमा धारा 86 के अनुसार आय कर संदत्त नहीं हैं | 6घ | |
| | ङ | धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiघ) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में आय | 6ङ | |
| | च | धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiङ) में निर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या यूनियों के अंतरण पर संकेतन हानि | 6च | |
| | छ | धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में निर्दिष्ट यूनियों के अंतरण पर हानि | 6छ | |
| | ज | धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiछ) में निर्दिष्ट स्वामित्व के मद्दे आय | 6ज | |
| | झ | अग्रणीत की गई हानि या गैर आमेलित अवक्षयण जो भी कम हो | 6झ | |
| | ञ | रुग्ण औद्योगिक कंपनी का लाभ जो शुद्ध लाभ के बराबर या एकत्रित हानियों से अधिक है। | 6ञ | |
| | ट | अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों और लाभ और हानि लेखा में जमा किए गए आस्थगित कर की रकम सहित) | 6ट | |
| | ठ | कुल कटौतियां (6क+6ख+6ग+6घ+6ङ+6च+6छ+6ज+6झ+6ञ+6ट) | 6ठ | |
| 7 | धारा 115अख के अधीन कुल लाभ (4+ 5ढ - 6ठ) | | | 7 |
| 8 | धारा 115अख के अधीन संदेय कर | | | 8 |

| अनुसूची एमएटीसी धारा 115 अकक के अधीन कर प्रत्यय की संगणना | | | | |
|---|--|---------------|------------------------------------|---|
| 1 | निर्धारण वर्ष 2017-18 में धारा 115अख के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 1घ) | 1 | | |
| 2 | निर्धारण वर्ष 2017-18 में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 2छ) | 2 | | |
| 3 | कर की रकम जिसके विरुद्ध प्रत्यय उपलब्ध है [यदि 2 1 से बड़ा है तो (2-1) प्रविष्ट करें, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें] | 3 | | |
| 4 | उपलब्ध एमएटी प्रत्यय का उपयोग [चालू वर्ष के दौरान उपयोग किए गए एमएटी प्रत्यय की राशि ऊपर 3 में वर्णित रकम के अधिकतम के अधधीन है और अग्रणीत एमएटी प्रत्यय की राशि से अधिक नहीं हो सकती] | | | |
| क्र.सं. | निर्धारण वर्ष (क) | एमएटी प्रत्यय | चालू वर्ष के लिए एमएटी प्रत्यय (घ) | अग्रणीत बकाया एमएटी प्रत्यय (घ) [घ = ख3 - ग] |

| | | | सकल (ख1) | पूर्व के वर्षों में मुजरा किए गए (ख2) | अग्रणीत अतिशेष (ख3) = (ख2) - (ख1) | | |
|---|--|---|-------------|---|---|---|--|
| | I | 2007-08 | | | | | |
| | ii | 2008-09 | | | | | |
| | iii | 2009-10 | | | | | |
| | iv | 2010-11 | | | | | |
| | v | 2011-12 | | | | | |
| | vi | 2012-13 | | | | | |
| | vii | 2013-14 | | | | | |
| | viii | 2014-15 | | | | | |
| | ix | 2015-16 | | | | | |
| | x | 2016-17 | | | | | |
| | xi | 2017-18 (यदि 1* 2 (से बड़ा) है तो 1-2 प्रविष्ट करें, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें) | | | | | |
| | | योग | | | | | |
| 5 | वर्ष के दौरान उपयोग की गई धारा 115अकक के अधीन कर प्रत्यय की रकम [4ग (ix) प्रविष्ट करें] | | | | | 5 | |
| 6 | पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों में प्रत्यय के लिए उपलब्ध एमएटी दायित्व की रकम [4(घ)ix प्रविष्ट करें] | | | | | 6 | |

अनुसूची - डीडीटी देशी कंपनियों को वितरित लाभ पर कर और इसके संदाय

| क्र. सं. | विवरण | | पहले लाभांश के ब्यौरे | दूसरे लाभांश के ब्यौरे | तीसरे लाभांश के ब्यौरे | |
|----------|--|----------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | |
| 1 | देशी कंपनियों के किसी लाभांश लाभ के वितरण या संदाय की घोषणा जो भी पूर्व हो, की तारीख | | (दिन/मास/वर्ष) | (दिन/मास/वर्ष) | (दिन/मास/वर्ष) | |
| 2 | वितरित या संदत्त, घोषित लाभांश की दर | | | | | |
| 3 | घोषित वितरित या संदत्त लाभांश की रकम | | | | | |
| 4 | धारा 115ण (1क) के अधीन हटाए जानी वाली रकम | | | | | |
| 5 | वितरित, घोषित या संदत्त, लाभांश पर संदेय कर | क | धारा 115ण के अधीन (3-4 पर) 15% की दर से संदेय अतिरिक्त क | | | |
| | | ख | क पर अधिभार | | | |
| | | ग | शिक्षा उपकर (क+ख)पर | | | |
| | घ | कुल संदेय कर (क+ख+ग) | | | | |
| 6 | धारा 115त के अधीन संदेय ब्याज | | | | | |
| 7 | अतिरिक्त आयकर और संदेय ब्याज (5घ+ 6) | | | | | |
| 8 | संदत्त कर और ब्याज | | | | | |
| 9 | शुद्ध संदेय/प्रतिदेय (7-8) | | | | | |
| 10 | लाभांश वितरण कर जमा की तारीखें | | तारीख 1 (दिन/मास/वर्ष) | तारीख 2 (दिन/मास/वर्ष) | तारीख 1 (दिन/मास/वर्ष) | तारीख 2 (दिन/मास/वर्ष) |
| 11 | बैंक और शाखा का नाम | | | | | |
| 12 | बीएसआर कोड | | | | | |
| 13 | चालान की क्रम संख्या | | | | | |
| 14 | जमा रकम | | | | | |

| अनुसूची-बीबीएस | | किसी देशी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, के क्रय द्वारा वापिस लिए गए शेयरों पर वितरित आय पर कर का विवरण | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|----------------|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|--|
| क्रय द्वारा वापिस लिए गए शेयरों पर कर | क्रम | विवरण | | पहले क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे | | दूसरे क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे | | तीसरे क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे | | |
| | (i) | (ii) | | (iii) | | (iv) | | (v) | | |
| | 1 | क्रय द्वारा वापिस लिए गए शेयरों पर शेयर धारकों को किसी प्रतिफल के संदाय की तारीख | | (दिन/मास/वर्ष) | | (दिन/मास/वर्ष) | | (दिन/मास/वर्ष) | | |
| | 2 | कंपनी द्वारा क्रय द्वारा वापिस लिए गए शेयरों पर संदत्त प्रतिफल की रकम | | | | | | | | |
| | 3 | इस प्रकार शेयरों को जारी करने के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त रकम | | | | | | | | |
| | 4 | कंपनी की वितरित आय (2-3) | | | | | | | | |
| | 5 | वितरित आय पर संदेय कर | क | धारा 115ग के अधीन (3-4 पर) 20% की दर से संदेय अतिरिक्त क | | | | | | |
| | | | ख | क पर अधिभार | | | | | | |
| | | | ग | शिक्षा उपकर (क+ख) पर | | | | | | |
| | | | घ | कुल संदेय कर (क+ख+ग) | | | | | | |
| 6 | धारा 115घख के अधीन संदेय ब्याज | | | | | | | | | |
| 7 | संदेय अतिरिक्त आयकर और संदेय ब्याज (5घ+6) | | | | | | | | | |
| 8 | संदत्त कर और ब्याज | | | | | | | | | |
| 9 | शुद्ध संदेय/प्रतिदेय (7-8) | | | | | | | | | |
| 10 | वितरित कर पर कर के जमा की तारीखें | | तारीख 1 | तारीख 2 | तारीख 1 | तारीख 2 | तारीख 1 | तारीख 2 | | |
| | | | (दिन/मास/वर्ष) | (दिन/मास/वर्ष) | (दिन/मास/वर्ष) | (दिन/मास/वर्ष) | (दिन/मास/वर्ष) | (दिन/मास/वर्ष) | | |
| 11 | बैंक और शाखा का नाम | | | | | | | | | |
| 12 | वीएसआर कोड | | | | | | | | | |
| 13 | चालान की क्रम संख्या | | | | | | | | | |
| 14 | जमा रकम | | | | | | | | | |

| अनुसूची- एफएसआई | | | भारत से बाहर आय के ब्यौरे और कर राहत | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|----------------------------|---|-------------------|--|---------------------|--|---|--|
| क्र. सं. | देश कोड | कर संदायकर्ता पहचान संख्या | क्रम | आय का शीर्ष | भारत के बाहर से आय (भाग वीटीआई में सम्मिलित) | भारत के बाहर संदत्त | भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन इस आय पर संदेय कर | भारत में उपलब्ध कर राहत (ड.)=(ग) या (घ) जो भी कम हो | डीटीएए का संबंधित अनुच्छेद यदि राहत का दावा धारा 90न के अधीन किया गया है |
| | | | | (क) | (ख) | (ग) | (घ) | (ड.) | (च) |
| भारत के बाहर आय के ब्यौरे और कर राहत | 1 | | i | गृह संपत्ति | | | | | |
| | | | ii | कारबार या व्यवसाय | | | | | |
| | | | iii | पूंजी अभिलाभ | | | | | |
| | | | iv | अन्य स्रोत | | | | | |
| | | | योग | | | | | | |
| | 2 | | i | गृह संपत्ति | | | | | |
| | | | ii | कारबार या व्यवसाय | | | | | |
| | | | iii | पूंजी अभिलाभ | | | | | |
| | | | iv | अन्य स्रोत | | | | | |
| | | | योग | | | | | | |
| टिप्पण ▶ | | | कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------------------|---|-------------------------------------|--|---|---|---------------------------|----------------------|
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| घ | पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय कोई भी अन्य पूंजी आस्तियां रखने का ब्यौरा (जिसमें कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित है) | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | देश का नाम और कोड | आस्ति की प्रकृति | स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी/हिताधिकारी | अर्जन की तारीख | कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में) | संपत्ति से प्रोदभूत आय | आय की प्रकृति | इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | राशि | जहां अनुसूची पेश की गई है | अनुसूची की मद संख्या | |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| ङ | पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय रखे गए (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर करने के प्राधिकारी हैं का ब्यौरा (जिसमें कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं है | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है | संस्था का पता | खाताधारक का नाम | खाता संख्या | वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष/विनिधान (रु. में) | क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है | यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि | यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | राशि | जहां अनुसूची पेश की गई है | अनुसूची की मद संख्या | |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| च | भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरा जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो। | | | | | | | | | | |
| क्र. सं.0 | देश का नाम और कोड | न्यास का नाम और पता | न्यासियों के नाम और पते | अवस्थापक का नाम और पता | हिताधिकारियों के नाम और पते | जब से पद संभाला है उसकी तारीख | क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है | यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय | यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | राशि | जहां अनुसूची पेश की गई है | अनुसूची की मद संख्या |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| छ | भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | देश का नाम और कोड | जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता | | | प्राप्त आय | आय की प्रकृति | क्या आपके पास कराधेय है। | यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय | | | |
| (1) | (2) | (3) | | | (4) | (5) | (6) | राशि | जहां अनुसूची पेश की गई है | अनुसूची की मद संख्या | |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| प्रकार आ.क.वि-7 | भारतीय आयकर विवरणी [उन व्यक्तियों के लिए, जिनके अंतर्गत कंपनियां भी हैं, जिनसे धारा 139 (4क) या धारा 139 (4ख) या धारा 139(4ग) या धारा 139(4घ) या 139(4ङ) या 139(4च) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है] (कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए) (मार्गदर्शन के लिए संलग्न अनुदेश भी देखिए) | निर्धारण वर्ष |
| | | 2 0 1 7 - 1 8 |

| भाग क-साधारण | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| व्यक्तिगत सूचना | नाम (सृजन/स्थापन/निगमन/विरचना संबंधी विलेख में यथावर्णित) | स्थायी लेखा संख्यांक | | | | | |
| | फ्लैट/द्वार/ब्लाक सं० | परिसर/भवन/ग्राम का नाम | विरचना/निगमन की तारीख (तारीख/मास/वर्ष) | | | | |
| | सड़क /मार्ग/डाक घर | क्षेत्र/अवस्थान | / / | | | | |
| | नगर/शहर/जिला | राज्य | पिन कोड | | | | |
| | कार्यालय का दूरभाष संख्या एसटीडी कोड सहित/ मोबाइल सं. | फैक्स सं. / मोबाइल सं.2 | आय-कर वार्ड/सर्किल | | | | |
| | ई-मेल पता 1 | | | | | | |
| | ई-मेल पता 2 | | | | | | |
| | आपके द्वारा चलाई जा रही परियोजना/संस्थाओं का ब्यौरे | | | | | | |
| | क्रम सं. | परियोजना/संस्था का नाम | क्रियाकलाप की प्रकृति (अनुदेश पैरा 11घ देखें) | वर्गीकरण (अनुदेश पैरा 11घ देखें) | अनुमोदन/अधिसूचना/रजिस्ट्रीकरण सं० | अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण करने वाला प्राधिकारी | वह धारा जिसके अधीन छूट का दावा किया है, यदि कोई है (अनुदेश पैरा 11ङ देखें) |
| | 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| फाइल करने की प्रास्थिति | (क) | फाइल की गई विवरणी [कृपया अनुदेश सं० 6 देखें] <input type="checkbox"/> पर या उससे देय तारीख से पूर्व -139(1), <input type="checkbox"/> देय तारीख के पश्चात् -139(4), <input type="checkbox"/> पुनरीक्षित विवरणी -139(5) <input type="checkbox"/> उपांतरित विवरणी 92गघ, <input type="checkbox"/> धारा 119(2)(ख) के अधीन या सूचना के उत्तर में <input type="checkbox"/> 139(9)- त्रुटिपूर्ण, <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153क, <input type="checkbox"/> 153ग | | | | | |
| | (ख) | किस धारा के अधीन विवरणी फाइल की गई है ? <input type="checkbox"/> 139(4क) <input type="checkbox"/> 139(4ख) <input type="checkbox"/> 139(4ग) <input type="checkbox"/> 139(4घ) <input type="checkbox"/> 139(4ङ) <input type="checkbox"/> 139(4च) | | | | | |
| (ग) | यदि पुनरीक्षित/त्रुटिपूर्ण के उत्तर में, तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (तारीख/मास/वर्ष) प्रविष्ट करें | | | | | | |
| (घ) | यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153क/153ग के अधीन किसी नोटिस के जवाब में फाइल किया गया है तो ऐसे नोटिस की तारीख प्रविष्ट करे या धारा 92गघ के अधीन अग्रिम मूल्यांकन करार की तारीख प्रविष्ट करें | | | | | | |
| (ङ) | आवासीय प्रास्थिति ? (निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> अनिवासी | | | | | | |
| (च) | क्या कोई आय किसी ऐसी कुल आय में सम्मिलित की गई है जिसके लिए धारा 90/90क/91 के अधीन दावा किया गया है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (निवासी के मामले में लागू होता है) [यदि हां, तो अनुसूची एफएसआई और अनुसूची टीआर भरना सुनिश्चित करें] | | | | | | |
| (छ) | क्या संव्यवहार किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किया गया है जो अधिनियम की धारा 94क के अधीन अधिसूचित अधिकारिता में अवस्थित हो <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | | | | | |
| (ज) | अनिवासी के मामले में भारत में स्थायी स्थापन (पीई) है (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | | | | | |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| केवल कार्यालय प्रयोग के लिए | | केवल कार्यालय प्रयोग के लिए रसीद सं०. तारीख प्राप्त करने वाले पदाधिकारी की मुद्रा और हस्ताक्षर |
| (झ) | क्या यह विवरण किसी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की गई है (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें- | |
| (1) | प्रतिनिधि का नाम | |
| (2) | प्रतिनिधि का पता | |
| (3) | प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या (पेन) | |

| | | | | | |
|-------------|---|--|---|---|--|
| अन्य ब्यौरे | क | i | क्या आपके द्वारा चलाए जा रही किसी परियोजना/संस्था पूर्व प्रयोजनों में से एक प्रयोजन साधारण लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की अभिवृद्धि करने का है यदि हां, तो | | |
| | | क | i | क्या धारा 2(15) के परंतुक में निर्दिष्ट व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप है ? | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| | | | ii | यदि हां, ऐसे क्रियाकलापों से प्राप्ति का प्रतिशत के साथ-साथ कुल प्राप्ति | % |
| | | ख | i | क्या धारा 2(15) के परंतुक में यथानिर्दिष्ट किसी प्रतिफल के लिए किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप है ? | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| | | | ii | यदि हां, ऐसे क्रियाकलापों से प्राप्ति का प्रतिशत के साथ-साथ कुल प्राप्ति | % |
| | | | ii | यदि क अथवा ख हां है तो ऐसी संस्था के संबंध में क्रियाकलापों से कुल वार्षिक प्राप्ति | |
| | | | क्र. | प्रयोजन/संस्था का नाम | ऐसे क्रियाकलापों से कुल वार्षिक प्राप्ति की राशि |
| | | | क | | |
| | | | ख | | |
| | ख | धारा 10(23ग)(iii)कख), 10(23ग)(iii)कग), 10(23ग)(iii)कघ) और धारा 10(23ग)(iii)कड) के अधीन छूट के लिए पात्र विश्वविद्यालय शैक्षिक संस्था/अस्पताल/अन्य संस्था | | | |
| | यदि लागू हो तो <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं | धारा | विश्वविद्यालय शैक्षिक संस्था/अस्पताल/अन्य संस्था का नाम | | कुल वार्षिक प्राप्ति (रुपए में) |
| | <input type="checkbox"/> | 10(23ग)(iii)कख) | i | | |
| | | | ii | | |
| | <input type="checkbox"/> | 10(23ग)(iii)कग) | i | | |
| | | | ii | | |
| | <input type="checkbox"/> | 10(23ग)(iii)कघ) | i | | |
| | | | ii | | |
| | <input type="checkbox"/> | 10(23ग)(iii)कड) | i | | |
| | | | ii | | |
| ग | i | क्या धारा 12क/12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत है? | | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| | ii | यदि हां तो रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रविष्ट करें | | | |
| | iii | रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने वाले आयकर (छूट) कर आयुक्त/निदेशक | | | |
| | iii | रजिस्ट्रीकरण की तारीख (तारीख/मास/वर्ष) | | | ___/___/_____ |
| | iv | क्या क्रियाकलाप <input type="checkbox"/> पूर्ण <input type="checkbox"/> धार्मिक <input type="checkbox"/> दोनों है ? कृपया यथालागू <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं | | | |
| घ | i | क्या धारा 35 के संबंधित खंड के अधीन अनुमोदन प्राप्त कर लिया | | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| | ii | यदि हां तो रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रविष्ट करें | | | |

| | | | |
|---|-----|---|--|
| | iii | रजिस्ट्रीकरण की तारीख (तारीख/मास/वर्ष) | ___/___/___ |
| | iv | अनुमोदित प्राधिकारी | |
| | v | क्या अनुसंधान,- <input type="checkbox"/> वैज्ञानिक, <input type="checkbox"/> सामाजिक विज्ञान या <input type="checkbox"/> ? सांख्यिकी है कृपया जो लागू हो उसे <input checked="" type="checkbox"/> टिक करें | |
| | vi | अनुसंधान में कारबार क्रियाकलाप के मामले में, क्या यह <input type="checkbox"/> आनुवंशिक या <input type="checkbox"/> गैर आनुवंशिक कृपया जो लागू हो उसे <input checked="" type="checkbox"/> टिक करें | |
| ड | i | क्या धारा 80छ के अधीन अनुमोदन प्राप्त कर लिया है ? | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| | ii | यदि हां तो अनुमोदन संख्यांक प्रविष्ट करें | |
| | iii | अनुमोदन की तारीख (तारीख/मास/वर्ष) | ___/___/___ |
| च | i | क्या वर्ष के दौरान उन उद्देश्यों/क्रियाकलापों में कोई परिवर्तन हुआ है जिसके आधार पर अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया था ? | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| | ii | यदि हां, ऐसे परिवर्तन की तारीख (दिन/मास/वर्ष) | ___/___/___ |
| छ | i | क्या धारा 13क के अनुसार कोई राजनैतिक दल है ? (यदि हां तो अनुसूची एलए भरें) | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| | ii | यदि हां तो क्या रजिस्ट्रीकृत है ? | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| | iii | यदि हां, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रविष्ट करें | |
| ज | i | क्या कोई निर्वाचक न्यास है ? (यदि हां तो अनुसूची ईटी भरें) | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| | ii | यदि हां तो अनुमोदन संख्या प्रविष्ट करें ? | |
| | iii | अनुमोदन की तारीख (तारीख/मास/वर्ष) | ___/___/___ |
| झ | i | क्या विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ? | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| | ii | यदि हां तो रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रविष्ट करें ? | |
| | iii | रजिस्ट्रीकरण की तारीख (तारीख/मास/वर्ष) | ___/___/___ |
| | iv | क वर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी अंशदान की कुल रकम, यदि कोई है । ख वह प्रयोजन निर्दिष्ट करें, जिसके लिए उपरोक्त अभिदाय प्राप्त किया गया है | रु. _____ |
| ञ | i | क्या कारबार न्यास के साथ सेबी के साथ रजिस्ट्रीकृत है ? | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| | ii | यदि हां, तब रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रविष्ट करें | |
| | iii | (दिन/मास/वर्ष) | ___/___/___ |
| ट | | क्या धारा 164 के अधीन अधिकतम सीमांत दर पर कर के लिए दायी है | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| ठ | | क्या यह आपकी प्रथम विवरणी है ? | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| ड | | क्या आय-कर अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के लिए आप दायी हैं ? <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें : | |
| किस धारा के अधीन आप संपरीक्षा के लिए दायी हैं (धारा विनिर्दिष्ट करें) कृपया संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख का उल्लेख करें (तारीख/मास/वर्ष) (अनुदेश देखिए) | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 12क | | | | | | | | | | | |
| क | कर संपरीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले संपरीक्षक कानाम | | | | | | | | | | |
| ख | संपरीक्षक का सदस्यता संख्यांक | | | | | | | | | | |
| ग | संपरीक्षक का नाम (स्वत्वधारी/फर्म) | | | | | | | | | | |
| घ | स्वत्वधारी/फर्म का स्थायी खाता संख्यांक | | | | | | | | | | |
| ड | संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख | | | | | | | | | | |
| च | संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख/...../..... तारीख/मास/वर्ष | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------|
| | द | यदि आय-कर अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख उल्लिखित करें। | | | | | |
| | | अधिनियम और धारा | (दिन/मास/वर्ष) | अधिनियम और धारा | (दिन/मास/वर्ष) | | |
| सदस्य की जानकारी | ण | व्यक्तियों की विशिष्टियां जो 31 मार्च, 2017 को ए ओ पी सदस्यों में थे (पूँजी/विनिधान निधि) द्वारा भरा जाए। | | | | | |
| | | क्रम सं. | नाम और पता | शेयर की प्रतिशतता (यदि अवधारित करें) | पैन आई.डी. | आधार/नामांकन | प्रास्थिति (निर्देश देखें) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| भाग ख- कुल आय | | तारीख 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आय का विवरण | | |
|--|---|--|--|------|
| यदि धारा 12क/12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, 1 से 7 में भरें | | | | |
| 1 | धारा 11(1)(घ) के अनुसार समग्र का भाग करने वाला स्वैच्छिक अभिदाय [अनुसूची फग (कां +खी)] | 1 | | |
| 2 | समग्र से भिन्न स्वैच्छिक अभिदाय (अनुसूची कग का ग-(कां+खी)) | 2 | | |
| 3 | उपर्युक्त 1 और 2 में सम्मिलित स्वैच्छिक अभिदाय अपवर्जित करते हुए पूर्व वर्ष के दौरान व्युत्पन्न धारा 11 और धारा 12 में निर्दिष्ट के लिए आय का योग (कड अनुसूची का 9) | 3 | | |
| 4 | पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए आय का उपयोजन | | | |
| आय का विवरण | i | पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए आय का उपयोजन पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान भारत में पूर्त प्रयोजनों के लिए उपयोजित रकम (राजस्व रकम) (अनुसूची 24 का डद) | 4i | |
| | ii | पूँजी लेखा-पूर्व वर्ष के दौरान भारत के प्रयोजनों के लिए पूर्व या धार्मिक के लिए उपयोजित रकम (उधार निधियों से उपयोजन अपवर्जित करते समय) (अनुसूची डग का 8) | 4ii | |
| | iii | पूर्ववर्ती.....रकम (उधार का प्रतिसंदाय) | 4iii | |
| | iv | पूर्व वर्ष के दौरान पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई समझी गई रकम धारा 11(1) के स्पष्टीकरण का खड (2) | 4iv | |
| | क | यदि उपर्युक्त (क) लागू हों, जहां निर्धारण अधिकारी को प्ररूप सं.9क देने का विकल्प है | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | 4ivक |
| | ख | यदि हां, प्ररूप सं. 9क देने की तारीख (दिन/मास/वर्ष) | ___/___/___ | 4ivख |
| | v | पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के उपयोग के लिए उस सीमा तक संचित या अलग रखी गई या अंतिम रूप से अलग रखी गई रकम जहां तक वह धारा 11(1)(क)/11(1)ख के अधीन केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए पूर्णतया या भागतःन्यास/संस्था के रूप में धारित संपत्ति से व्युत्पन्न आय के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं है (उपरोक्त (2+3) के अधिकतम 15 प्रतिशत तक निर्बंधित) | 4v | |
| | vi | यदि धारा 11(2) और 11(5) में की सभी शर्तें पूरी की जाती हैं तो उपर्युक्त iv में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए संचित या अलग रखी गई निर्दिष्ट रकम के अतिरिक्त रकम (अनुसूची 1 भरें) | 4vi | |
| | vii | धारा 11(1)(ग) के अनुसार भारत से बाहर पूर्व प्रयोजनों के लिए उपयोजित रकम | 4vii | |
| | क | अनुमोदन संख्या और बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख | | |
| viii | योग [4i+4ii+4iii+4iv+4v+4vi+4vii] | 4viii | | |
| 5 | जोड़ें | | | |
| | i | धारा 11(1ख) के अधीन प्रभार्य आय | 5i | |
| | ii | धारा 11(3) के अधीन प्रभार्य आय | 5ii | |
| | iii | ऐसी आय, जिसके संबंध में धारा 13 के उपबंधों के आधार पर धारा 11 के अधीन छूट उपलब्ध नहीं है | | |
| | क | पूर्त प्रयोजन के लिए लागू होने की सीमा तक अनुसूची वी सी के घiii पर अनाम संदान हो | 5iia | |
| | ख | ऊपर (क) से भिन्न | 5iib | |

| | | | |
|----|----|--|-----|
| | iv | धारा 12(2) के अधीन प्रभार्य आय | 5iv |
| | v | योग [5i + 5ii+5iia+5iib+5iv] | 5v |
| 6 | | धारा 11(4) के अधीन प्रभार्य आय [अनुसूची खत की मद सं. उ36 के अनुसार] | 6 |
| 7 | | योग (2+3-4viii + 5v + 6) | 7 |
| 8 | | धारा 10(21), 10(22ख), 10(23क), 10(23ख), 10(23ग)(iv), 10(23ग)(v), 10(23ग)(vi), 10(23ग)(vik) के अधीन छूट के लिए उपयुक्त रकम | 8 |
| 9 | | धारा 10(23ग)(iiiकख), 10(23ग)(iiiकग), 10(23C) (iii कघ), 10(23ग) (iii कङ), 10(23घ), 10(23घक), 10(23 घख), 10(24), 10(46), 10(47) के अधीन छूट के लिए उपयुक्त रकम | 15 |
| 10 | | धारा 8 के 9 और 10 से भिन्न किसी खंड के अधीन छूट के लिए उपयुक्त रकम | 10 |
| 11 | | धारा 10(21) के साथ पठित धारा 11(3) के अधीन प्रभार्य आय | 11 |
| 12 | | किसी राजनैतिक दल या निर्वाचक न्यास की दशा में धारा 13क के अधीन दावाकृत/छूट प्राप्त आय(अनुसूची एलए या ईटी भरें) | 12 |

| | | | |
|----|--|---|--------|
| 13 | उपर्युक्त मद सं 7 और 11 का भाग नहीं बनने वाली आय | | |
| | i | गृह संपत्ति से आय (अनुसूची जत का 3ख) (शून्य भरें यदि हानि) | 13i |
| | ii | कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ (अनुसूची खत की मद सं ड35 के अनुसार) | 13ii |
| | iii | शीर्ष अभिलाभ के अधीन आय | |
| | a | अल्पकालिक (अनुसूची गछ का 5) | 13iiiक |
| | b | दीर्घकालिक (अनुसूची गछ का ख3) (शून्य भरें यदि हानि हो) | 13iiiख |
| | c | कुल पूंजी अभिलाभ (13iiiक + 13iiiख) (शून्य भरें यदि हानि हों) | 13iiiग |
| | iv | अन्य स्रोतों से आय (अनुसूची णद की मद संख्या 4 के अनुसार) | 13iv |
| | v | कुल (13i + 13ii + 13iii + 13iv) | 13v |
| 14 | सकल आय [7+11+13फ] | | 14 |
| 15 | चालू वर्ष में 13v के विरुद्ध मुजरा की गई हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2ix, 3ix और 4ix का योग) | | 15 |
| 16 | कुल आय (14 - 15) | | 16 |
| 17 | धारा 111क, 112 आदि के अधीन विशेष दर से आय पर प्रभार्य कर आदि जो 16 में सम्मिलित की गई है | | 17 |
| 18 | धारा 10क और 10कक के अधीन कटौतियां | | 18 |
| 19 | अध्याय 6क के अधीन कटौतियां, (16 -17 तक सीमित) | | 19 |
| 20 | कुल आय [16-18-19] | | 20 |
| 21 | ऐसी आय जिसे 20 में सम्मिलित किया गया और विशेष दरों पर कर से प्रभार्य है (अनुसूची एसआई 1क का योग) | | 21 |
| 22 | दर के प्रयोजनार्थ शुद्ध कृषि आय | | 22 |
| 23 | कुल आय (20 - 21 + 22) (यदि (20-21)उस रकम से अधिक है जो प्रभार्य नहीं है तो लागू हो) | | 23 |
| 24 | 28 में सम्मिलित अनाम संदान, जिन पर धारा 115खखग के अधीन 30 प्रतिशत की दर पर कर लगेगा (अनुसूची वी सी का घiii) | | 24 |
| 25 | अधिकतम सीमांत दरों पर प्रभार्य आय | | 25 |

भाग ख- कुल आय पर कर कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

| | | | | | |
|------------|---|--|---|----|--|
| कर दायित्व | 1 | क | धारा 115ख और 115जग जो लागू हो के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एमएटी का 7/अनुसूची एएमटी का 4) | 1क | |
| | | ख | उपर्युक्त (क) पर अधिभार | 1ख | |
| | | ग | उपर्युक्त (1क+1ख) पर शिक्षा उपकर | 1ग | |
| | | घ | धारा 115ख और 115जग जो लागू हो के अधीन कुल संदेय कर (1क+1ख+1ग) | 1घ | |
| | 2 | कुल आय पर संदेय कर | | | |
| | | क | भाग ख- आय मद के (23 - 24 - 25) पर सामान्य दरों पर कर | 2क | |
| | | ख | विशेष दरों पर कर (अनुसूची एसआई का (ii) का योग) | 2ख | |
| | | ग | भाग ख-कुल आय के 24 पर धारा 115खखग के अधीन अनाम संदानों पर 30% की दर से कर | 2ग | |
| | घ | भाग ख-कुल आय के 25 पर अधिकतम (यदि जवाब हां है तो (यदि जवाब हां है तो यह सुनिश्चित) | 2घ | | |

| | | | | | | | |
|-----------|--------|---|----------------------|-------------|---|---|--|
| | ड | कृषि आय पर रिबेट (यदि कुल आय पर कर 20-21 उस अधिकतम रकम से अधिक नहीं है जो कर से प्रभार्य है तो लागू हो) | 2ड | | | | |
| | घ | कुल आय पर कर संदाय (2क + 2ख + 2ग + 2घ - 2ड) | | | 2घ | | |
| 3 | अधिभार | | | | 3 | | |
| | i | अनुसूची घड़ा का 5(ii) का 25% | 3i | | | | |
| | ii | पर (का 2)-अनुसूची धड़ा का 5(ii) | 3ii | | | | |
| | iii | कुल (i + ii) | | | 3iii | | |
| 4 | | (2घ + 3iii) पर शिक्षा उपकर, जिसके अंतर्गत सेकेंडरी और उच्चतर शिक्षा उपकर भी है | | | 4 | | |
| 5 | | सकल कर दायित्व (2घ+3iii +4) | | | 5 | | |
| 6 | | संदेय सकल कर (5 ओर 1घ का उच्चतर) | | | 6 | | |
| 7 | | पूर्वतर वर्षों में संदत्त कर का धारा 115 जकक/ 115 जघ के अधीन प्रत्यय (5 के 1घ से अधिक होने की दशा में) | | | 7 | | |
| 8 | | धारा 115 जकक/ 115 जघ के अधीन मुजरा के पश्चात् | | | 8 | | |
| 9 | | कर राहत | | | | | |
| | क | धारा 90/90क (अनुसूची कर 2 विवरणी) | 9क | | | | |
| | ख | धारा 91 (अनुसूची कर 3 विवरणी) | 9ख | | | | |
| | ग | कुल (9क+9ख) | | | 9ग | | |
| 10 | | शुद्ध कर दायित्व (8-9ग) | | | 10 | | |
| 11 | | संदेय ब्याज | | | | | |
| | क | विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234क) | 11क | | | | |
| | ख | अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234ख) | 11ख | | | | |
| | ग | अग्रिम कर के आस्थगन के लिए (धारा 234ग) | 11ग | | | | |
| | घ | कुल संदेय ब्याज (11क+11ख+11ग) | | | 11घ | | |
| 12 | | कुल दायित्व (10+11घ) | | | 12 | | |
| 13 | | संदत्त कर | | | | | |
| | क | अग्रिम कर (अनुसूची-आय-कर से) | 13क | | | | |
| | ख | स्रोत पर कर की कटौती (अनुसूची-स्रोत पर कर कटौती का स्तंभ 8) | 13ख | | | | |
| | ग | स्रोत पर कर का संग्रहण (अनुसूची-स्रोत पर कर संग्रहण का स्तंभ 7) | 13ग | | | | |
| | घ | स्वतः कर निर्धारण (अनुसूची-आय-कर से) | 13घ | | | | |
| | ड | कुल संदत्त कर (13क+13ख+13ग+13घ) | | | 13ड | | |
| 14 | | संदेय रकम (यदि 12 13ड से अधिक है तो 12 प्रविष्ट करें अन्यथा 0 प्रविष्ट करें) | | | 14 | | |
| 15 | | प्रतिदाय (यदि 13ड 12 से अधिक है), (प्रतिदाय, यदि कोई है, तो बैंक खाते में सीधे जमा करा दिया जाएगा) | | | 15 | | |
| संदत्त कर | 16 | पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों का ब्यौरा (निष्क्रिय खातों को छोड़ते हुए) | | | | | |
| | | क्रम सं. | बैंक का आई एफ एस कोड | बैंक का नाम | खाता सं. (बैंक की सीबीएस प्रणाली के अनुसार सं. 9 अंकीय या अधिक होनी चाहिए।) | खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना रिफ्रेंड क्रेडिट यदि कोई हो प्राप्त करना चाहते हैं (एक खाता पर निशान लगाएं) | 9.11.2016 से 30.12.2016 के दौरान नकद जमा (यदि > 2 लाख रुपए के दौरान नकद जमा सकल) |
| | | i | | | | | |
| | ii | | | | | | |
| बैंक खाता | 17 | क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित सम्मिलित है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी एकाउन्ट में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें) | | | | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| | | | | | | | |

सत्यापन

मैं,.....जो.....का पुत्र/पुत्री हूँ स्थायी लेखा संख्यांक,.....का धारक हूँ, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि विवरणी और उसके साथ संलग्न अनुसूचियों, विवरणों, आदि में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं और यह कि उसमें दर्शित कुल आय की रकम और अन्य विशिष्टियां सत्य रूप से कथित की गई हैं और निर्धारण वर्ष 2017-18 से सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष के आय-कर के लिए प्रभार्य आय के संबंध में आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार हैं। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं.....की हैसियत में यह विवरणी दे रहा/रही हूँ और मैं इस विवरणी को देने के लिए और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

स्थान

तारीख

यहां हस्ताक्षर करें →

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|---------------------|---|--|--|--|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 18 अनुसूची-आयकर | | | | | | | | | | | |
| क अग्रिम कर और स्वतःनिर्धारण के संदायों के ब्यौरे | | | | | | | | | | | |
| कर संदाय | क्र. सं. | बीएसआर कोड | | | | जमा करने की तारीख (तारीख/मास/वर्ष) | | | | चालान की क्रम संख्या | रकम (रुपए में) |
| | i | | | | | | | | | | |
| | ii | | | | | | | | | | |
| | iii | | | | | | | | | | |
| | iv | | | | | | | | | | |
| | v | | | | | | | | | | |
| | vi | | | | | | | | | | |
| टिप्पण ► भाग ख-टीटीआई की क्रम सं0 13क और 13घ में कुल अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर का योग प्रविष्ट करें। | | | | | | | | | | | |
| ख आय कर स्रोत पर कटौती किए गए कर का ब्यौरा [कटौतीकर्ता (कटौतीकर्ताओं द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16क या प्ररूप 26थख)] | | | | | | | | | | | |
| अन्य आय पर स्रोत पर कर कटौती | क्रम सं. | कटौतीकर्ता का कर कटौती खाता संख्या (टैन)/ क्रेता का स्थायी लेखा संख्या | कटौतीकर्ता का नाम | अनन्य स्रोत पर कर कटौती प्रमाण पत्र संख्यांक | अग्रणीत अदावाकृत स्रोत पर कर संग्रहण रकम वित्तीय वर्ष जिसमें स्रोत पर कर कटौती की गई है | | वर्तमान वित्तीय वर्ष का स्रोत पर संग्रहित कर | (6) और (7) में से इस वर्ष में दावाकृत रकम केवल यदि तत्समान आय पर इस वर्ष कर दिया जा रहा है | (6) या (7) में से अग्रणीत की गई रकम | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | | |
| | i | | | | | | | | | | |
| ii | | | | | | | | | | | |
| टिप्पण ► भाग ख-टीटीआई के 13(ख) में अनुसूची टीडीएस के स्तंभ 8 का योग प्रविष्ट करें | | | | | | | | | | | |
| ग स्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार] | | | | | | | | | | | |
| आय के स्रोत पर संग्रहित कर | क्र. सं. | संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण एकाउंट नंबर | संग्रहणकर्ता का नाम | अग्रणीत अदावाकृत स्रोत पर कर संग्रहण रकम वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रहित किया गया | | वर्तमान वित्तीय वर्ष का स्रोत पर संग्रहित कर | (5) और (6) में से इस वर्ष में दावाकृत रकम केवल यदि तत्समान आय पर इस वर्ष कर दिया जा रहा है | (5) या (6) में से अग्रणीत की गई रकम | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | | | |
| | i | | | | | | | | | | |
| ii | | | | | | | | | | | |
| टिप्पण ► भाग ख-टीटीआई के क्रम संख्या 13ग में स्तंभ (7) का योग प्रविष्ट करें। | | | | | | | | | | | |

टिप्पणी: कृपया यथा लागू विवरणी प्रपत्र (पृष्ठ ध1 से ध12) की अनुसूचियों को भरें।

विवरणी प्ररूप की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|--|---|---|---|--|
| अनुसूची झ | | | | | | | |
| धारा 11(2) के अर्थात्गत संचित/अलग रखी गई रकमों का ब्यौरा | | | | | | | |
| संचयन का वर्ष (वित्तीय वर्ष) | संचयन के वर्ष में संचित रकम | संचयन का प्रयोजन | पूर्ववर्ती वर्ष की शुरुआत तक पूर्व/रकम धार्मिक प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त राशि | धारा 11(5) में विनिर्दिष्ट रीति से विधिधान या जमा रकम | पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान पूर्व या धार्मिक उपयोग में की गई रकम | उपयोग के लिए अतिशेष रकम (7) = (2) - (4) - (6) | धारा 11 की उपधारा (3) के अर्थात्गत आय समझी जाने वाली रकम |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 2010-11 | | | | | | | |
| 2011-12 | | | | | | | |
| 2012-13 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2013-14 | | | | | | | |
| 2014-15 | | | | | | | |
| 2015-16 | | | | | | | |
| 2016-17 | | | | | | | |
| योग | | | | | | | |

| अनुसूची ज | | पिछले वर्ष के अंतिम दिन को निधियां और विनिधान दर्शित करने वाला कथन | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---|
| अ | (i) | पूर्ववर्ती वर्ष अंतिम दिन को यथाविद्यमान का संचित निधि में अतिशेष | | | | |रु. | |
| | (ii) | वर्ष के अंतिम दिन को यथाविद्यमान गैर संचित निधि में अतिशेष | | | | |रु. | |
| आ | धारा 11(5)के अधीन किए गए विनिधान/जमाराशियों का ब्यौरा | | | | | | | |
| क्र.सं. | धारा 11(5) के अनुसार विनिधान | | विनिधान की तारीख | परिपक्वता की तारीख | विनिधान की रकम | परिपक्वता पर रकम | | |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | | |
| i | सरकार के बचत स्कीम में विनिधान | | | | | | | |
| ii | डाक घर बचत बैंक खाता | | | | | | | |
| iii | धारा 11(5)(iii)के अनुसार अनुसूचित बैंक या सहकारी सोसाइटियों में जमा | | | | | | | |
| iv | भारतीय यूनिट ट्रस्ट में विनिधान | | | | | | | |
| v | कोई अन्य | | | | | | | |
| vi | योग | | | | | | | |
| इ | उस (समुत्थानों) में, जिनमें धारा 13(3) में निर्दिष्ट व्यक्तियों का सारवान् हित है, पूर्व वर्ष (पूर्व वर्षों) के दौरान किसी समय धारित विनिधान | | | | | | | |
| विनिधान निधियों का ब्यौरा | क्रम सं. | समुत्थान का नाम और पता | जहां समुत्थान कोई कंपनी है जैसे लागू हो <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं | धारित शेयरों की संख्या | धारित शेयरों का वर्ग | विनिधान का अभिहित मूल्य | विनिधान से आय | क्या स्तंभ (6) में वर्णित रकम पूर्ववर्ष के दौरान समुत्थान की पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक है |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | i | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | | | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| | ii | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | | | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| | iii | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | | | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| | iv | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | | | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| | v | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | | | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| | vi | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | | | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| | योग | | | | | | | |
| ई | पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को यथा विद्यमान अन्य विनिधान | | | | | | | |
| क्रम सं. | समुत्थान का नाम और पता | क्या समुत्थान कोई कंपनी है (जैसा लागू हो <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं) | धारित शेयरों का वर्ग | धारित शेयरों की संख्या | विनिधान का अभिहित मूल्य | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|--------------------|--|---|---|--|
| | i | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | | |
| | ii | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | | |
| | iii | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | | |
| | iv | | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं | | | |
| | v | योग | | | | |
| उ | ऐसे स्वैच्छिक अभिदाय/संदान, जो वस्तु रूप में प्राप्त किए गए हैं किंतु जिन्हें उपबंधित समय के भीतर धारा 11(5) के अधीन विनिर्दिष्ट ढंगों में विनिधानों में संपरिवर्तित नहीं किया गया है | | | | | |
| | क्रम सं. | दाता का नाम और पता | अभिदाय/संदान का मूल्य | धारा 11(5) के अधीन विहित ढंगों में (3) में से विनिहित की गई रकम | धारा 11(3) के अधीन आय माना जाने वाला अतिशेष | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | i | | | | | |
| | ii | | | | | |
| | iii | | | | | |
| | iv | योग | | | | |

अनुसूची ट न्यास या संस्था के न्यासकर्ता (न्यासकर्ताओं)/ संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों)/न्यासी (न्यासियों)/प्रबंधक (प्रबंधकों) आदि के बारे में विशिष्टियों का विवरण

| | | | |
|----------|--|----------------------|---|
| अ | न्यासकर्ता(न्यासकर्ताओं)/संप्रवर्तकों/व्यवस्थापनकर्ता यदि जीवित हैं,का/के नाम और पता/पते | | |
| क्रम सं. | नाम और पता | स्थायी खाता संख्यांक | आधार संख्या/नामांकन आईडी (यदि उपलब्ध हो) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| आ | उस व्यक्ति (उन व्यक्तियों) का (के) नाम, जो पूर्व वर्ष (पूर्व वर्षों) के दौरान न्यासी/प्रबंधक था/थे | | |
| क्रम सं. | नाम और पता | स्थायी खाता संख्यांक | आधार संख्या/नामांकन आईडी (यदि आधार के लिए पात्र हो) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| इ | उस व्यक्ति (उन व्यक्तियों) का (के) नाम जिसने (जिन्होंने) धारा 13(3)(ख) के निबंधनों के अनुसार न्यास/संस्था में पर्याप्त अभिदाय किया है | | |
| क्रम सं. | नाम और पता | स्थायी खाता संख्यांक | आधार संख्या/नामांकन आईडी (यदि उपलब्ध हो) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | न्यासकर्ता (न्यासकर्ताओं), संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों), न्यासी (न्यासियों), प्रबंधक (प्रबंधकों) और सारवान् अभिदायकर्ता (अभिदायकर्ताओं) का (के) नाम और जहां कोई ऐसा न्यासकर्ता, संप्रवर्तक, न्यासी, प्रबंधक या सारवान् अभिदायकर्ता कोई हिंदू अभिभक्त कुटुंब है तो उस कुटुंब के सदस्यों और | | |

| क्रम सं. | नाम और पता | स्थायी खाता संख्यांक | आधार संख्या/नामांकन आईडी (यदि उपलब्ध हो) |
|----------|------------|----------------------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

अनुसूची तक

राजनैतिक दल

| | | |
|---|---|--|
| 1 | क्या लेखा बहियां रखी गई थीं ? जैसे लागू हों <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| 2 | क्या बीस हजार रुपए से अधिक के प्रत्येक स्वैच्छिक अभिदाय का (ऐसे व्यक्ति का नाम और पते सहित, जिसने ऐसा अभिदाय किया है) अभिलेख रखा गया था ? जैसे लागू हो <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| 3 | क्या लेखाओं की संपरीक्षा की गई है ? जैसे लागू हो <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| | यदि हां तो संपरीक्षा की तारीख तारीख/ मास/ वर्ष |/...../..... तारीख/मास/वर्ष |
| 4 | क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ग की उपधारा (3) के अधीन उस वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ? जैसा लागू हो <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| 5 | यदि हां है तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख तारीख/ मास/ वर्ष |/...../..... |

अनुसूची डन

निर्वाचक न्यास

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| निर्वाचक न्यास | 1 | क्या लेखा बहियां रखी गई थीं ? | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| | 2 | क्या प्रत्येक स्वैच्छिक अभिदाय का अभिलेख (जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम, पता और पैन भी सम्मिलित है, जिसने अभिदाय की पद्धति के साथ ऐसा अभिदाय किया है) रखे गए थे ? जैसा लागू हों <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| | 3 | क्या ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का अभिलेख (जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम, पता और पैन सम्मिलित है) जिसके स्वैच्छिक संदाय वितरित किया गया है, रखा गया था <input checked="" type="checkbox"/>) | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| | 4 | क्या लेखाओं की संपरीक्षा की गई है ? जैसे लागू हो <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| | | यदि हां तो संपरीक्षा की तारीख तारीख/ मास/ वर्ष | ____/____/____ |
| | 5 | क्या नियम 17गक (14) के अनुसार रिपोर्ट आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को प्रस्तुत कर दी गई है ? जैसे लागू हों <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं | <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं |
| | 6 | स्वैच्छिक अभिदाय की विवरणियां | |
| | i | 1 अप्रैल को आरंभिक अतिशेष | i |
| | ii | वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया स्वैच्छिक अभिदाय | ii |
| | iii | योग (i+ii) | iii |
| iv | राजनैतिक दलों को वितरित रकम | iv | |
| v | न्यास के क्रियाकलापों का प्रबंध करने पर खर्च की गई रकम | v | |
| vi | योग (iv+v) | vi | |
| vii | 31 मार्च को संवरण अतिशेष | vii | |

अनुसूची कझ

धारा 11(1)(घ) के अनुसार समग्र का भाग करने वाला स्वैच्छिक अभिदाय अपवर्जित करते हुए पिछले वर्ष के दौरान व्युत्पन्न धारा 11 और 12 में निर्दिष्ट आय की सकल और स्वैच्छिक अभिदाय

| | | | |
|----------------|---|-----------------------------------|---|
| आय का कुल जोड़ | 1 | मुख्य उद्देश्यों से प्राप्तियां | 1 |
| | 2 | अनुषंगी उद्देश्यों से प्राप्तियां | 2 |
| | 3 | किराया | 3 |
| | 4 | कमीशन | 4 |
| | 5 | लाभांश आय | 5 |
| | 6 | ब्याज आय | 6 |
| | 7 | कृषि आय | 7 |

| | | | | | | | |
|---|-----|---|---------|---|-----|--|--|
| | 8 | कोई अन्य आय (रकम और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें) | | | | | |
| | | | प्रकृति | | रकम | | |
| | | क | | क | | | |
| | | ख | | ख | | | |
| | | ग | | ग | | | |
| | | घ | | घ | | | |
| | ड | कुल (8क +8ख +8ग+8घ) | ड | | 8 | | |
| 9 | कुल | | | | 9 | | |

अनुसूची ड

पूर्व वर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों को लागू की गई रकम—राजस्व लेखा

| | | | | |
|----|--|-------------------------------------|----|-----|
| 1 | किराए | | 1 | |
| 2 | मरम्मत | | 2 | |
| 3 | कर्मचारियों को प्रतिकर | | 3 | |
| 4 | बीमा | | 4 | |
| 5 | कर्मकार और कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय | | 5 | |
| 6 | मनोरंजन और आतिथ्य | | 6 | |
| 7 | विज्ञापन | | 7 | |
| 8 | कमीशन | | 8 | |
| 9 | स्वामिस्व | | 9 | |
| 10 | वृत्तिक/परामर्शिक फीस / तकनीकी सेवाओं के फीस | | 10 | |
| 11 | विदेशी यात्रा के अतिरिक्त प्रवहण और यात्रा व्यय | | 11 | |
| 12 | विदेशी यात्रा व्यय | | 12 | |
| 13 | छात्रवृत्ति | | 13 | |
| 14 | उपहार | | 14 | |
| 15 | दान | | 15 | |
| | i | समग्र | | |
| | ii | समग्र से भिन्न | | |
| 16 | सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय दरें और कर (जिसमें आय पर कर अंतर्विष्ट नहीं है) | | 16 | |
| 17 | संपरीक्षा फीस | | 17 | |
| 18 | अन्य द्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें) | | | |
| | | प्रकृति | | रकम |
| | क | | क | |
| | ख | | ख | |
| | ग | | ग | |
| | घ | | घ | |
| | ड | कुल (viiiक + viiiख + viiiग + viiiघ) | ड | |
| 18 | कुल | | 18 | |
| 19 | कुल | | 19 | |
| 20 | डूबंत ऋण | | 20 | |
| 21 | उपबंध | | 21 | |
| 22 | व्याज | | 22 | |
| 23 | अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण | | 23 | |
| 24 | कुल राजस्व व्यय | | 24 | |

| अनुसूची डग | | पूँजी लेखा-पूर्व वर्ष के दौरान भारत में पूर्व या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजित रकम (धारा 11(1अ) के अधीन उधार की गई निधियों से उपयोजन अपवर्जित करते हुए और कम | |
|------------|--|---|---|
| 1 | कार्य में प्रगति पूँजी कार्य के लिए अतिरिक्त (उसके लिए जिसे धारा 11(1अ) के अधीन छूट के लिए दावा नहीं किया गया है) | 1 | |
| 2 | पूँजी आस्ति का अर्जन (उसके लिए जिसे धारा 11(1अ) के अधीन छूट के लिए दावा नहीं किया गया है) | 2 | |
| 3 | कुल (1 + 2) | 3 | |
| 4 | पूँजी आस्ति के अंतरण पर शुद्ध प्रतिफल | 4 | |
| 5 | धारा 11(कअ) के अधीन छूट | 5 | |
| 6 | धारा 11(1अ) (4-5) के अधीन छूट की रकम अपवर्जित करते हुए पूँजी आस्ति के अंतरण पर शुद्ध प्रतिफल (शून्य के 6 ले, यदि नकारात्मक हो) | 6 | |
| 7 | अन्य पूँजी व्यय | | |
| | i | 7i | |
| | ii | 7ii | |
| | iii | 7iii | |
| | iv कुल व्यय (7i + 7ii + 7iii) | 7i | v |
| 8 | कुल (3 - 6 + 7) | 8 | |

| अनुसूची एचपी | | गृह संपत्ति से आय के ब्यौरे (कृपया अनुदेश निर्दिष्ट करें) | | | | |
|--------------|---|--|--|----------------------------|--------|--|
| गृह संपत्ति | 1 | संपत्ति 1 का पता | नगर/शहर | राज्य | पिनकोड | |
| | | क्या संपत्ति सह स्वामित्वाधीन है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि “हां” तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें) | | | | |
| | | संपत्ति में निर्धारित अंश की प्रतिशतता | | | | |
| | | सह स्वामी (स्वामियों) का नाम | सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्यांक (वैकल्पिक) | संपत्ति में अंश का प्रतिशत | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | (सही का निशान) <input checked="" type="checkbox"/> यदि किराए पर दिया है <input type="checkbox"/> किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो) | किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक) | | | |
| | | किराये पर दिया हुआ समझा गया <input type="checkbox"/> | I | | | |
| | | | II | | | |
| | | क | वार्षिक किराया योग्य मूल्य या प्राप्त या प्राप्य किराया (दोनों में अधिक है, यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दिया गया है, दोनों में कम है, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया है) | 1क | | |
| | | ख | किराए की वह रकम, जो वसूल नहीं की जा सकती | 1ख | | |
| | | ग | कर, स्थानीय प्राधिकरणों को संदाय किया जाता है | 1ग | | |
| | | घ | योग (1ख+1ग) | 1घ | | |
| | | ङ | वार्षिक मूल्य (1क-1घ) (यदि अधिनियम की धारा 23(2)के अनुसार स्वयं के अधिभाग में है तो शून्य) | 1ङ | | |
| | | च | 1ङ का 30% | 1च | | |
| | छ | उधार ली गई पूँजी पर संदेय ब्याज | 1छ | | | |
| | ज | योग (1च + 1छ) | 1ज | | | |
| | झ | गृह संपत्ति से आय 1 (1च - 1झ) | 1झ | | | |
| | 2 | संपत्ति 2 का पता | नगर/शहर | राज्य | पिनकोड | |
| | | क्या संपत्ति सह स्वामित्वाधीन है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि “हां” तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें) | | | | |
| | | संपत्ति में निर्धारित अंश की प्रतिशतता | | | | |
| | | सह स्वामी (स्वामियों) का नाम | सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्यांक (वैकल्पिक) | संपत्ति में अंश का प्रतिशत | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 2 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | (सही का निशान) <input checked="" type="checkbox"/> यदि किराए पर दिया है <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया <input type="checkbox"/> | किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो) | | किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक) | | | | | | | | | | |
| | | I | | | | | | | | | | | | |
| | | II | | | | | | | | | | | | |
| क | वार्षिक किराए योग्य मूल्य / प्राप्त या प्राप्त किया गया किराया (दो में से अधिक, यदि संपूर्ण वर्ष के लिए किराए पर दिया गया, दो में से कम, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया) | 2क | | | | | | | | | | | | |
| ख | किराए की रकम जिसकी वसूली नहीं की जा सकती है | 2ख | | | | | | | | | | | | |
| ग | स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर | 2ग | | | | | | | | | | | | |
| घ | कुल (2 ख + 2 ग) | 2घ | | | | | | | | | | | | |
| ङ | वार्षिक मूल्य (2 क - 2 घ) | 2ङ | | | | | | | | | | | | |
| च | 2ङ का 30% | 2च | | | | | | | | | | | | |
| छ | उधार ली गई संपत्ति पर सदेय ब्याज | 2छ | | | | | | | | | | | | |
| ज | कुल (2 च + 2 छ) | 2ज | | | | | | | | | | | | |
| झ | गृह संपत्ति 2 से आय (2 ङ - 2 ज) | 2झ | | | | | | | | | | | | |
| 3 | “गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय | | | | | | | | | | | | | |
| क | 30% कटौती के पश्चात् धारा 25क के अधीन वर्ष के दौरान प्राप्त बिना व्यवस्थीकरण किराया बकाया | 3क | | | | | | | | | | | | |
| ख | योग (1झ+2झ+3क) (यदि नकारात्मक है तो आंकड़ों को अनुसूची सीवाईएलए 2i पर ले जाएं) | 3ख | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| अनुसूची पूंजी अभिलाम | | पूंजी अभिलाम | | | | | | | | | | | | | |
| पूंजी अभिलाम | अ | अल्पकालिक पूंजी अभिलाम | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | आस्तियों से (शेयर/यूनिट जहां धारा 111क लागू होती है (एसटीटी संदत्त) | | | | | | | | | | | | | |
| | क | प्रतिफल का पूर्ण मूल्य | 1 क | | | | | | | | | | | | |
| | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियां | | | | | | | | | | | | | |
| | i | अर्जन की लागत | खि | | | | | | | | | | | | |
| | ii | सुधार की लागत | खii | | | | | | | | | | | | |
| | iii | अंतरण पर व्यय | खiii | | | | | | | | | | | | |
| | iv | योग (i + ii + iii) | खiv | | | | | | | | | | | | |
| | ग | अतिशेष (2क-खiv) | 1 ग | | | | | | | | | | | | |
| | घ | धारा 94(7) या धारा 94(8)के अधीन ध्यान में नहीं लाई गई हानि, यदि कोई हों (सकारात्मक मूल्य ही भरें) | 1 घ | | | | | | | | | | | | |
| | ङ | अल्पकालिक पूंजी अभिलाम (2ग+ 2घ) | अ1ङ | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | ऐसी आस्तियां, जहां धारा 112अ के अधीन परंतुक लागू नहीं होता है | | | | | | | | | | | | | |
| | क | प्रतिफल का पूर्ण मूल्य | 2क | | | | | | | | | | | | |
| | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियां | | | | | | | | | | | | | |
| | i | अर्जन की लागत | खि | | | | | | | | | | | | |
| ii | सुधार की लागत | खii | | | | | | | | | | | | | |
| iii | अंतरण पर व्यय | खiii | | | | | | | | | | | | | |
| iv | योग (i + ii + iii) | खiv | | | | | | | | | | | | | |
| ग | अतिशेष (2क-खiv) | 2ग | | | | | | | | | | | | | |
| घ | धारा 94(7) या धारा 94(8)के अधीन ध्यान में नहीं लाई गई हानि, यदि कोई हों (सकारात्मक मूल्य ही भरें) | 2घ | | | | | | | | | | | | | |
| ङ | अल्पकालिक पूंजी अभिलाम (2ग+ 2घ) | 2ङ | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | अवक्षयी आस्तियों पर माने गए अल्पकालिक पूंजी अभिलाम (अनुसूची का 6-डीसीजी) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | धारा 11 (1अ) के अधीन से भिन्न छूट (कृपया धारा विनिर्दिष्ट करें) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाम (अ1ङ +2ङ +अ3-अ4) | | | | | | | | | | | | | | |
| आ | दीर्घकालिक पूंजी अभिलाम | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ऐसी आस्तियां, जहां धारा 112(1) के अधीन परंतुक लागू नहीं होता है | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|--|---|------|--|
| 2 | क | प्रतिफल का पूर्ण मूल्य | 1क | |
| | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियां | | |
| | i | सूचीकरण के पश्चात् अर्जन की लागत | खि | |
| | | सूचीकरण के पश्चात् सुधार की लागत | खii | |
| | | अंतरण पर व्यय | खiii | |
| | | योग (खि + खii + खiii) | खiv | |
| | ग | अतिशेष (1क-खiv) | 1ग | |
| | घ | धारा 11(1अ) के अधीन छूट | 1घ | |
| | ङ | ऐसे दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां धारा 112(1) के अधीन परंतुक लागू नहीं होता है (1ग-1घ) | 1ङ | |
| | 2 | ऐसी अस्तित्वां, जहां धारा 112(1) के अधीन परंतुक लागू होता है (सूचीकरण के बिना) | | |
| | क | प्रतिफल का पूर्ण मूल्य | 2क | |
| | ख | धारा 48 के अधीन कटौतियां | | |
| | i | सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत | खि | |
| | | सूचीकरण के बिना सुधार की लागत | खii | |
| अंतरण पर व्यय | | खiii | | |
| योग (खि + खii + खiii) | | खiv | | |
| ग | अतिशेष (2क-खiv) | 2ग | | |
| घ | धारा 11(1अ) के अधीन छूट, यदि कोई हो (कृपया धारा विनिर्दिष्ट करें) | 2घ | | |
| ङ | ऐसे दीर्घकालिक, जिनके लिए धारा 112(1) के अधीन परंतुक का प्रयोग किया गया है (2घ - 2ङ) | 2ङ | | |
| 3 | कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1घ (यदि हानि है तो शून्य लिखें) + 2घ (यदि हानि है तो शून्य लिखें)) | आ3 | | |
| इ | “पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (अ5+आ3) (यदि हानि है तो आ3 कुछ नहीं के रूप में प्रविष्ट करें) | इ | | |

| अनुसूची अन्य स्रोत | | अन्य स्रोतों से आय | | |
|--------------------|-----|--|-------|--|
| अन्य स्रोत | 1 | आय | | |
| | क | लाभभारा, सकल | 1क | |
| | ख | व्याज, सकल | 1ख | |
| | ग | मशीनरी, संयंत्रों, भवनों आदि से किराए की सकल आय | 1ग | |
| | घ | अन्य आय, सकल (घुड़दौड़ के स्वामित्व रखने से विन्म आय) स्रोत का उल्लेख करें | | |
| | i | लॉटरी, वर्ग, पहली आदि से जीतने से हुई आय | 1घि | |
| | | क धारा 68 के अधीन नकदी प्रत्यय | | |
| | | ख धारा 69 के अधीन बिना व्याख्या विनिधान | | |
| | | ग धारा 69क के अधीन बिना व्याख्या धन | | |
| | | घ धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि | | |
| | | ङ धारा 69ग के अधीन व्यय बिना व्याख्या | | |
| | च | धारा 69घ के अधीन टुंडी पर रकम उधार किया गया था अन्य संदत्त रकम | | |
| | | कुल (क + ख + ग + घ + ङ + च) | 1घii | |
| | iii | | 1घiii | |
| | iv | | 1घiv | |
| | v | योग (1घि + 1घii + 1घiii + 1घiv) | 1घv | |
| | ङ | योग (1क + 1ख + 1ग + 1घv) | 1ङ | |
| | च | विशेष दर पर कर प्रभार्य 1ङ में सम्मिलित आय (अनुसूची एसआई पर ले जाए) | | |
| | i | लाटरी, वर्ग, पहली, घुड़दौड़, खेल, जुआ, सट्टा आदि से जीत से आय (धारा 115खख के अधीन) | 1चि | |
| | | 115खखड के अधीन कर के लिए प्रभार्य समझी गई आय | 1चii | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|------|-------|----|--|
| | | iii | 11खखफ के प्रभार्य पेटेंट प्रभार्य से आय | | 1चiii | | |
| | | iv | अध्याय 12/12क के अधीन कोई अन्य आय | | 1चiv | | |
| | | v | विशेष दर पर प्रभार्य कर '1ड' में सम्मिलित आय (1च + 1चii + 1चiii + 1चiv) | | 1चv | | |
| | छ | सामान्य लागू दर पर कर प्रभार्य सकल राशि (1ड-1चiv) | | | 1छ | | |
| | ज | धारा 57 के अधीन कटौतियां (1चi, 1चii, 1चiii, और 1चiv के अधीन उससे संबंधित आय से भिन्न) | | | | | |
| | | i | व्यय/कटौतियां | जि | | | |
| | | ii | अवक्षयण | जii | | | |
| | | iii | योग | जiii | | | |
| | झ | अन्य स्रोतों से आय (घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व रखने से भिन्न और विशेष दर पर प्रभार्य कर) (1छ-जiii) (यदि नकारात्मक है तो इन आंकड़ों को अनुसूची सीवाइएलए के 4i पर ले जाए) | | | | 1झ | |
| 2 | अन्य स्रोतों से (घुड़दौड़ के घोड़ों का स्वामित्व रखने से भिन्न) आय (1चv + 1i) (यदि हानि हो तो 1छ में 'शून्य' प्रविष्ट करें) | | | | 2 | | |
| 3 | घुड़दौड़ के घोड़ों का स्वामित्व रखने और उनके अनुरक्षण के से आय | | | | | | |
| | | क | प्राप्तियां | 3क | | | |
| | | ख | (3) के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां | 3ख | | | |
| | | ग | अतिशेष (3क-3ख) | | 3ग | | |
| 4 | "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य (2+3ग) (यदि 3ग नकारात्मक हो तो उसे शून्य प्रविष्ट करें) | | | | 4 | | |

| अनुसूची बीसी | | स्वैच्छिक अनुदान (आईटीआर 7 भरते समय सभी व्यक्तियों द्वारा आज्ञापक रूप में भरा जाए) | | | |
|--------------|--|--|--|-------|--|
| अ | स्थानीय | | | | |
| | i | समग्र निधि संदान | | आi | |
| | ii | समग्र निधि संदान के अतिरिक्त | | आii | |
| | | (क) | सरकार से प्राप्त अनुदान | | |
| | | (ख) | कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन कंपनियों से प्राप्त अनुदान | | |
| | | (ग) | अन्य संदाय | | |
| | | (घ) | कुल | आiघ | |
| | iii | स्थानीय स्वैच्छिक अभिदाय (आi + आiiघ) | | आiii | |
| आ | विदेशी अभिदाय | | | | |
| | i | समग्र निधि संदान | | आ i | |
| | ii | समग्र निधि संदान के अतिरिक्त | | आ ii | |
| | iii | विदेशी अभिदाय (आ i + आii) | | आ iii | |
| इ | कुल अभिदाय (आiii + आiii) | | | इ | |
| ई | ई में सम्मिलित धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य, अनाम अभिदाय | | | | |
| | i | प्राप्त किए गए ऐसे अनाम अभिदाय का योग | | i | |
| | ii | ई पर प्राप्त कुल अभिदाय का 5% या 1,00,000 जो भी ज्यादा हो | | ii | |
| | iii | धारा 115 खखग के अधीन 30% (i - ii) की दर से प्रभार्य अनाम अभिदाय | | iii | |

| अनुसूची ओए | | साधारण | |
|------------|--|--|--------------------------|
| | | क्या कारबार और वृत्ति शीर्ष के अधीन आपकी कोई आय है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि "हां" तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें) | |
| 1 | कारबार या वृत्ति की प्रकृति (अनुदेश देखें) | | 1 |
| 2 | शाखाओं की संख्या <input type="checkbox"/> | | 2 |
| 3 | पूर्ववर्ष में लेखांकन की पद्धति <input checked="" type="checkbox"/> (का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> वाणिज्यिक <input type="checkbox"/> | | 3 |
| 4 | क्या लेखांकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है <input checked="" type="checkbox"/> (का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां | | 4 |
| 5 | धारा 145क के अधीन विहित लेखांकन मानकों से पूर्ववर्ष में की गई लेखांकन पद्धति में किए गए विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ पर प्रभाव | | 5 |
| 6 | पूर्ववर्ष में लागू बंध स्टाक के मूल्यांकन की पद्धति | | 6 |
| | क | कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार दर, इनमें से जो भी कम हो, पर है तो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर है तो 3 लिखें) | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|---|---|----|--|
| ख | तैयार माल (यदि लागत या बाजार दर, इनमें से जो भी कम हो, पर है तो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर है तो 3 लिखें) | | |
| ग | क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है, <input checked="" type="checkbox"/> (का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> नदृ | | |
| घ | धारा 145क के अधीन विहित मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ या हानि पर प्रभाव | 6घ | |

| अनुसूची कारबार या वृत्ति | | कारबार या वृत्ति से आय की संगणना | |
|--------------------------|--|----------------------------------|--|
| अ | सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से | | |
| | 1 लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ | 1 | |
| | 2 1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में -- चिह्न प्रविष्ट करें) | 2 | |
| | 3 1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में -- चिह्न प्रविष्ट करें) | 3 | |
| | 4 1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो धारा 44कघ/धारा 44कड में निर्दिष्ट है | 4 | |
| | 5 (1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है | | |
| | क फर्म (फर्मों) से आय का अंश | 5क | |
| | ख एओपी/बीओआई से आय का अंश | 5ख | |
| | ग कोई अन्य छूट प्राप्त आय | 5ग | |
| | घ कुल छूट प्राप्त आय | 5घ | |
| | 6 अतिशेष (1 - 2 - 3 - 4 - 5घ) | 6 | |
| | 7 आय के अन्य शीर्षों के विचाराधीन लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय | 7 | |
| | 8 लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो छूट प्राप्त आय से संबंधित है | 8 | |
| | 9 योग (7 + 8) | 9 | |
| | 10 समायोजित लाभ या हानि (6+9) | 10 | |
| | 11 धारा 33कख/ 33कखक/ 35कखख के अधीन समझी गई आय | 11 | |
| | 12 धारा 28 से 44घक के अधीन कोई अन्य मद या मदें | 12 | |
| | 13 लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अनुज्ञेय नहीं है (जिसके अंतर्गत ऐसी फर्मों से, जिसमें कंपनी भागीदार है, वेतन, कमीशन, बोनस और ब्याज से आय भी है) | 13 | |
| | 14 योग (10 +11+12+13) | 14 | |
| | 15 धारा 32(1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती | 15 | |
| | 16 कोई अन्य रकम, जो कटौती के रूप में अनुज्ञेय है | 16 | |
| | 17 योग (15 +16) | 17 | |
| | 18 आय (14 - 17) | 18 | |
| | 19 कारबार या वृत्ति के निम्नलिखित के अधीन समझे गए लाभ या हानि | | |
| | i धारा 44कघ | 19i | |
| | ii धारा 44कघक | 19ii | |
| | iii धारा 44कड | 19iii | |
| | iv योग (19i से 19iii) | 19iv | |
| | 20 सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (18 + 19iv) | 20 | |
| | 21 नियम 7क या 7ख लागू करने के पश्चात् कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (नियम 7क या 7ख लागू करने के पश्चात् विशेष कारबार की दशा के सिवाय जो उपरोक्त 20 में है) | क21 | |
| आ | सट्टे के कारबार से आय की संगणना | | |
| | 24 लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि | 24 | |
| | 25 धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन | 25 | |
| | 26 धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां | 26 | |
| | 27 सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (24+25-26) | ख27 | |
| इ | विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना | इ | |
| | 28 लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (यदि हानि है तो शून्य प्रविष्ट करें) | 28 | |
| | 29 धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन | 29 | |
| | 30 धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां धारा- (i) 35कघ (ii) 32 या 35 के अधीन कटौती से भिन्न जिस पर धारा 35कघ के अधीन दावा किया जाता है) | 30 | |
| | 31 विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (28+29-30) | 31 | |
| | 32 धारा 35कघ (1) या 35कघ (1क) के अनुसार कटौतियां | 32 | |
| | 33 विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (31-32) (यदि हानि है तो शून्य प्रविष्ट करें) | 33 | |
| ई | लाभ और अभिलाभ शीर्षों के अधीन प्रभार्य आय (अ23+ आ27 +इ33) | ई34 | |

| | | |
|----|--|-----|
| उ | धारा 11(4) के अधीन कर से प्रभाय आय की संगणना | |
| | | उ35 |
| 35 | आय, जो कारबार उपक्रम के खाते में दर्शाई गई है [धारा 11 (4) देखें] | |
| 36 | धारा 11(4) के अधीन कर से प्रभाय आय [ई34 - उ36] | उ36 |

| अनुसूची सीवाईएलए | | चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|---|
| क्र. सं. | आय का शीर्ष/ स्रोत | चालू वर्ष की आय (इस स्तम्भ को केवल तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो) | चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्ति की हानि | चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न) कारबार हानि | चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़दौड़ से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रोतों से हानि | मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय |
| | | | कुल हानि (अनुसूची- गृह संपत्ति का 3ख) | कुल हानि (अनुसूची कारबार वृत्ति का अ-37) | कुल हानि (अनुसूची-ओएस का 1झ) | 5=1-2-3-4 |
| | 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| | समायोजित की जाने वाली हानि | | | | | |
| i | गृह संपत्ति | | | | | |
| ii | कारबार (सट्टेबाजी आय और विनिर्दिष्ट कारबार से आय को छोड़कर) | | | | | |
| iii | सट्टेबाजी से आय | | | | | |
| iv | विनिर्दिष्ट कारबार से आय | | | | | |
| v | अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ | | | | | |
| vi | दीर्घकालिक अभिलाभ | | | | | |
| vii | अन्य स्रोत (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखने से लाभ और लाटरी की जीत को छोड़कर) | | | | | |
| viii | दौड़ के घोड़ों का स्वामित्व और रखने से लाभ | | | | | |
| ix | मुजरा की गई कुल हानि | | | | | |
| x | मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि | | | | | |

| अनुसूची एमएटी | | धारा 115अख के अधीन संदेय न्यूनतम वैकल्पिक कर की संगणना | |
|---------------|---|--|--------------------------|
| 1 | क्या लाभ और हानि लेखा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के भाग 2 के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, 'हां', लिखें, यदि न तो 'नहीं' लिखें) | | <input type="checkbox"/> |
| 2 | क्या ऊपर मद 1 में निर्दिष्ट लाभ और हानि लेखा में, लाभ और हानि लेखा तैयार करने के लिए उन समान लेखांकन नीतियों, लेखांकन मानकों का अनुपालन और अवक्षणय की संगणना करने के लिए उन समान पद्धति और दरों का अनुसरण किया गया है, जो कंपनी के समक्ष, उसकी वार्षिक साधारण सभा की बैठक में रखने हेतु लेखा तैयार करने के लिए भी अपनाई गई है? (यदि हां तो 1 लिखें यदि नहीं तो 2 लिखें) | | <input type="checkbox"/> |
| 3 | लाभ और हानि लेखा में यथादर्शित कर के पश्चात् लाभ | 3 | |
| 4 | जोड़े (यदि लाभ और हानि लेखा में विकलित हैं) | | |
| | क आस्थगित कर की रकम और उसके लिए उपबंध समेत संदत्त या संदेय आब कर या उसका उपबंध | 4क | |
| | ख आरक्षित (धारा 33कग के अधीन आरक्षित के सिवाय) | 4ख | |
| | ग अभिनिश्चित न किए गए दायित्व के लिए उपबंध | 4ग | |
| | घ समनुबंधी कंपनियों की हानियों के लिए उपबंध | 4घ | |
| | ङ संदत्त या प्रस्तावित लाभांश | 4ङ | |
| | च धारा 10, 11 और 12 के अधीन छूट प्राप्त आय संबंधित व्यय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय) | 4च | |
| | छ एओपी/वीओआई की आय में शेयर से संबंधित व्यय पर जिस पर धारा 86 के अनुसार आय कर संदत्त नहीं हैं | 4छ | |

| | | | | | |
|---|--|---|----|----|---|
| | ज | धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चख) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में व्यय | 4ज | | |
| | झ | धारा 115खखच के अधीन कर के लिए प्रभार्य पेटेंट की बाबत स्वामिस्व के तौर पर उस के द्वारा आय के लिए संबंधित व्यय | 4झ | | |
| | ञ | धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चग) में निर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या यूनिटों के अंतरण पर संकेतन हानि | 4ञ | | |
| | ट | आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए मान्य अवक्षयण | 4ट | | |
| | ठ | धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में निर्दिष्ट यूनिटों के अंतरण पर अभिलाभ | 4ठ | | |
| | ड | अन्व (अवशिष्ट असमायोजित मदों और किसी आस्ति के मूल्य में कमी के लिए उपबंध सहित) | 4ड | | |
| | ढ | कुल कटौतियां (4क+4ख+4ग+4घ+4ङ+4च+4छ + 4ज + 4झ + 4ञ + 4ट + 4ठ + 4ड) | | 4ढ | |
| 5 | कटौतियां | | | | |
| | क | आरक्षित या उपबंधों से निकाली गई रकम, यदि लाभ या हानि लेखा को जमा की गई है | 5क | | |
| | ख | धारा 10, 11 या 12 के अधीन [धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर] छूट प्राप्त आय | 5ख | | |
| | ग | पुनर्मूल्यांकन आरक्षित से निकली गई तथा उस सीमा तक, लाभ और हानि लेखा में जमा की गई रकम, जो आस्ति के मूल्यांकन के मान्य अवक्षयण की रकम से अधिक नहीं होती है | 5ग | | |
| | घ | ए/ओपी/बीओआई की आय में अंश जिस पर लाभ और हानि खाते में जमा धारा 86 के अनुसार आय कर संदत्त नहीं हैं | 5घ | | |
| | ङ | धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiघ) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में आय | 5ङ | | |
| | च | धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiङ) में निर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या यूनिटों के अंतरण पर संकेतन हानि | 5च | | |
| | छ | धारा 115अख के लिए स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiछ) में निर्दिष्ट स्वामिस्व तौर पर आय | 5छ | | |
| | ज | धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में निर्दिष्ट यूनिटों के अंतरण पर हानि | 5ज | | |
| | झ | अग्रणीत की गई हानि या अनामेसित अवक्षयण, जो भी कम हो | 5झ | | |
| | ञ | रुग्ण औद्योगिक कंपनी का लाभ, जो शुद्ध लाभ के बराबर या एकत्रित हानियों से अधिक है। | 5ञ | | |
| | ट | अन्व (अवशिष्ट असमायोजित मदों तथा लाभ और हानि लेखा में जमा किए गए आस्थगित कर की रकम सहित) | 5ट | | |
| | ठ | कुल कटौतियां (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ+5च + 5छ + 5ज + 5झ + 5ञ + 5ट) | | 5ठ | |
| 6 | धारा 115अख के अधीन खाता लाभ (3+ 4ढ - 5ठ) | | | | 6 |
| 7 | धारा 115अख के अधीन संदेय कर | | | | 7 |

| अनुसूची एमएटीसी | | धारा 115 अकक के अधीन कर प्रत्यय की संगणना | |
|-----------------|---|---|---|
| एमएटीसी | 1 | निर्धारण वर्ष 2017-18 में धारा 115अख के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 1घ) | 1 |
| | 2 | निर्धारण वर्ष 2017-18 में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 5) | 2 |
| | 3 | कर की रकम, जिसके संबंध में प्रत्यय उपलब्ध है [यदि 2, 1 से बड़ा है तो (2-1) प्रविष्ट करें, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें] | 3 |

| | | | | | | |
|---|---|---|-------------------|-----------------------------|---|--|
| 4 | उपलब्ध एमएटी प्रत्यय का उपयोग [चालू वर्ष के दौरान उपयोग किए गए एमएटी प्रत्यय की राशि ऊपर 3 में वर्णित रकम के अधिकतम के अधीन है और अग्रणीत एमएटी प्रत्यय की राशि से अधिक नहीं हो सकती] | | | | | |
| | क्र. सं. | निर्धारण वर्ष (क) | एमएटी प्रत्यय (ख) | | चालू वर्ष के दौरान उपयोग किया गया एमएटी प्रत्यय (ग) | अग्रणीत बकाया एमएटी प्रत्यय (घ) = (ख3) - (ग) |
| | | | सकल (ख1) | पूर्व वर्षों में मुजरा (ख2) | अग्रणीत बकाया (ख3) = (ख2) - (ख1) | |
| | I | 2007-08 | | | | |
| | ii | 2008-09 | | | | |
| | iii | 2009-10 | | | | |
| | iv | 2010-11 | | | | |
| | v | 2011-12 | | | | |
| | vi | 2012-13 | | | | |
| | vii | 2013-14 | | | | |
| | viii | 2014-15 | | | | |
| | ix | 2015-16 | | | | |
| | x | 2016-17 | | | | |
| | xi | 2017-18 (यदि 1-2 से बड़ा है तो 1 2 भरे अन्यथा शून्य भरें) | | | | |
| | xii | योग | | | | |
| 5 | वर्ष के दौरान उपयोग की गई धारा 115अकक के अधीन कर प्रत्यय की रकम [4ग (ix) प्रविष्ट करें] | | | | 5 | |
| 6 | पश्चात्पूर्ती निर्धारण वर्षों में प्रत्यय के लिए उपलब्ध एमएटी दायित्व की रकम [4घ (ix) प्रविष्ट करें] | | | | 6 | |

| | | | | | |
|----------------|---|--|----|--|---|
| अनुसूची- एमएटी | | धारा 115अग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना | | | |
| | 1 | भाग ख-टीआई की मद 25 के अनुसार कुल आय | | | 1 |
| | 2 | धारा 115अ(2) के अनुसार समायोजन | | | |
| | क | शीर्ष "ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियां" के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई | 2क | | |
| | ख | धारा 10कक के अधीन दावा की गई कटौती | 2ख | | |
| | ग | आसतियों पर अवक्षयण की रकम द्वारा कटौती के रूप में धारा 35गघ के अधीन दावे के लिए कटौती जिस पर ऐसी कटौती में दावा किया गया है। | 2ग | | |
| | घ | कुल समायोजन (2क + 2ख) | 2घ | | |
| | 3 | धारा 115अग (1) के अधीन समायोजित कुल आय (1 + 2ग) | | | 3 |
| | 4 | धारा 115अग (1) के अधीन संदेय कर [(3)का 18.5 प्रतिशत] (एओपी, बोओई, एजेपी के मामले में यदि (3)20 लाख से अधिक है तो यह लागू होगा) | | | 4 |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| अनुसूची एमटीसी | | धारा 115अघ के अधीन जमा कर की संगणना | | | | |
| 1 | निर्धारण वर्ष 2017-18 में धारा 115 अग के अधीन कर (भाग-ख-टीआई का 1घ) | 1 | | | | |
| 2 | निर्धारण वर्ष 2017-18 में अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर (भाग-ख-टीआई का 4) | 2 | | | | |
| 3 | कर की रकम जिसके विरुद्ध जमा राशि उपलब्ध है [(2-1 प्रविष्ट करें) यदि 2 1 से अधिक है, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें] | 3 | | | | |
| 4 | उपलब्ध एमटीसी जमा राशि का उपयोग (चालू वर्ष के दौरान उपयोगित एमटीसी जमा राशि उपरोक्त तीन में वर्णित अधिकतम रकम के अधीन होगी और वह अग्रणीत एमटीसी जमा राशि से अधिक नहीं हो सकती) | | | | | |
| | क्र.सं. | निर्धारण वर्ष (अ) | एमटीसी प्रत्यय | | चालू वर्ष के दौरान उपयोग की गई एमटीसी | अग्रणीत अतिशेष एमटीसी जमा (घ) = (ख3) - (ग) |
| | i | 2012-13 | सकल (ख1) | पूर्व वर्षों में मुजरा की गई (ख2) | अग्रणीत अतिशेष (ख3) = (ख1) - (ख2) | |
| | ii | 2013-14 | | | | |
| | iii | 2014-15 | | | | |
| | iv | 2015-16 | | | | |
| | v | 2016-17 | | | | |
| | vi | चालू निर्धारण वर्ष (1-2 प्रविष्ट करें, यदि 1>2 या शून्य प्रविष्ट करें) | | | | |
| | vii | योग | | | | |
| 5 | धारा 115अघ के अधीन जमा कर की रकम [(मद सं. 4ग के अनुसार)] | | | | 5 | |
| 6 | पश्चात्पूर्ती निर्धारण वर्ष में जमा राशि के लिए उपलब्ध एमटीसी दायित्व की रकम [मद सं. 4घ प्रविष्ट करें] | | | | 6 | |

| | | | | | | | |
|----------------|------|---|--|------|-------------|-----------|--|
| अनुसूची पीटीआई | | धारा 115पक, 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे | | | | | |
| क्र.सं. | क्रम | कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का नाम | कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का स्यायी खाता संख्या | क्रम | आय का शीर्ष | आय की रकम | ऐसी रकम पर खोत पर कर कटौती, यदि कोई हो |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|--|-----|-----------------------------------|-----------------------|--|---|
| 1. | | | | i | गृह संपत्ति | | | |
| | | | | ii | पूजी अभिलाष | | | |
| | | | | | क | अल्पकालिक अवधि | | |
| | | | | | ख | दीर्घकालिक अवधि | | |
| | | | | iii | अन्य खेत | | | |
| | | | | iv | दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी | | | |
| | | | | | क | धारा 10(23खख) के अधीन | | |
| | | | | | ख | धाराके अधीन | | |
| | | | | | ग | धारा.....के अधीन | | |
| | | | | 2. | | | | i |
| ii | पूजी अभिलाष | | | | | | | |
| | क | अल्पकालिक अवधि | | | | | | |
| | ख | दीर्घकालिक अवधि | | | | | | |
| iii | अन्य खेत | | | | | | | |
| iv | दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी | | | | | | | |
| | क | धारा 10(23खख) के अधीन | | | | | | |
| | ख | धाराके अधीन | | | | | | |
| | ग | धारा.....के अधीन | | | | | | |
| टिप्पण ► इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्दिष्ट करें। | | | | | | | | |

| अनुसूची एसआई | | विशेष दरों से प्रभावी आय (कृपया अनुदेश देखें) | | | | |
|--------------|--|---|--------------|--------|---------------|--|
| क्र. सं. | धारा | ☑ | विशेष दर (%) | आय (i) | उस पर कर (ii) | |
| विशेष दर | 1 111 क(जहां एसटीटी संदत्त किया गया है वहां शेरों पर एटीसीसी) | <input type="checkbox"/> | 15 | | | |
| | 2 112 परंतुक (सूचीकरण के बिना सूचीबद्ध प्रतिभूतियों / यूनिटों पर | <input type="checkbox"/> | 10 | | | |
| | 3 112(अन्य पर एलटीसीसी) | <input type="checkbox"/> | 20 | | | |
| | 4 115खख (लाटरी,पहेली, दौड़ो, खेल आदि से जीत) | <input type="checkbox"/> | 30 | | | |
| | 5 115 खखड (धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ के अधीन आय) | <input type="checkbox"/> | 60 | | | |
| | 6 115खखच (पेटेंट से आय पर कर) | <input type="checkbox"/> | 10 | | | |
| | 7 | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 8 | | | योग | | |

| अनुसूची 115नघ | | धारा 115नघ के अधीन अभिवर्धित आय | | | |
|---------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | न्यास/संस्था की कुल आस्ति की कुल संपूर्ण योग उचित बाजार मूल्य | | | | 1 |
| 2 | घटाएं—न्यास/संस्था का कुल दायित्व | | | | 2 |
| 3 | आस्ति का शुद्ध मूल्य (1-2) | | | | 3 |
| 4 | (i) धारा 10(1) में निर्दिष्ट आय से बाह्य अर्जित प्रत्यक्ष रूप से आस्ति की एफएमवी | 4i | | | |
| | (ii) धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख के लिए सृजन या स्थापन की तारीख से अवधि के दौरान अर्जित आस्तियों का एफएमवी और 12 के अधीन दावा नहीं किया गया | 4ii | | | |
| | (iii) धारा 115नघ(2) के लिए तीसरे परंतुक के अनुसार अंतरित आस्तियों का एफएमवी | 4iii | | | |
| | (iv) कुल (4i + 4ii + 4iii) | | | 4iv | |
| 5 | उपर्युक्त 4 पर आस्तियों की बाबत दायित्व | | | | 5 |
| 6 | धारा 115नघ (3-(4-5) के अनुसार अभिवृद्धि आय | | | | 6 |
| 7 | अधिकतम उपांतिक दर पर 115नघ के अधीन संदेय अतिरिक्त आय-कर | | | | 7 |
| 8 | 115नघ के अधीन संदेय ब्याज | | | | 8 |
| 9 | अतिरिक्त आय-कर और संदेय ब्याज | | | | 9 |
| 10 | आय और संदत्त ब्याज | | | | 10 |
| 11 | संदाय/प्रत्यर्पणीय (9-10) | | | | 11 |
| 12 | अभिवर्धित आय पर कर पर कर के निक्षेप की तारीख | तारीख 1 दिन/मास/वर्ष | तारीख 2 दिन/मास/वर्ष | तारीख 3 दिन/मास/वर्ष | |
| 13 | बैंक और शाखा का नाम | | | | |
| 14 | बीएसआर कोड | | | | |
| 15 | चालान की क्रम संख्या | | | | |
| 16 | जमा की गई रकम | | | | |

| ख पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी सत्ता में वित्तीय ब्याज का ब्यौरा (जिसमें कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित है) | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|--|---|---|-------------------------------------|--|---|---|---------------------------|----------------------|
| क्र. सं. | देश का नाम और कोड | अस्तित्व की प्रकृति | अस्तित्व का नाम और पता | ब्याज की प्रकृति-सीधे/फायदाप्रद स्वामी/हिताधिकारी | रखने की तारीख से | कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में) | ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय | आय की प्रकृति | इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज | | |
| | | | | | | | | | राशि | जहां अनुसूची पेश की गई है | अनुसूची की मद संख्या |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| ग पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी अवल संपत्ति रखने का ब्यौरा (जिसमें कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित है) | | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | देश का नाम और कोड | संपत्ति का पता | स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी/हिताधिकारी | अर्जन की तारीख | कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में) | संपत्ति से प्राप्त आय | आय की प्रकृति | इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज | | | |
| | | | | | | | | राशि | जहां अनुसूची पेश की गई है | अनुसूची की मद संख्या | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| घ पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय कोई भी अन्य पूंजी आस्तियां रखने का ब्यौरा (जिसमें कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित है) | | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | देश का नाम और कोड | आस्ति की प्रकृति | स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी/हिताधिकारी | अर्जन की तारीख | कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में) | संपत्ति से प्रोदभूत आय | आय की प्रकृति | इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज | | | |
| | | | | | | | | राशि | जहां अनुसूची पेश की गई है | अनुसूची की मद संख्या | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| ङ पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय रखे गए (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर करने के प्राधिकारी हैं का ब्यौरा (जिसमें कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं हैं | | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है | संस्था का पता | खाताधारक का नाम | खाता संख्या | वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष/विनिधान (रु. में) | क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है | यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि | यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय | | | |
| | | | | | | | | राशि | जहां अनुसूची प्रतिस्थापित की गई है | अनुसूची की मद संख्या | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| च भारत से बाहर देश की विधियों के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरा जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो। | | | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | देश का नाम और कोड | न्यास का नाम और पता | न्यासियों के नाम और पते | अवस्थापक का नाम और पता | हिताधिकारियों के नाम और पते | जब से पद संभाला है उसकी तारीख | क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है | यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय | यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय | | |
| | | | | | | | | | राशि | जहां अनुसूची पेश की गई है | अनुसूची की मद संख्या |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| छ भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है | | | | | | | | | | | |

| क्र.सं. | देश का नाम और कोड | जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता | प्राप्त आय | आय की प्रकृति | क्या आपके पास कराधेय है। | यदि (6) हां में हैं, तो इस विवरणी में पेश की गई आय | | |
|---------|-------------------|---|------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|----------------------|
| | | | | | | राशि | जहां अनुसूची पेश की गई है | अनुसूची की मद संख्या |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| (i) | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | |

टिप्पण ▶

कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें।

आ.क.वि V

पावती

निर्धारण वर्ष 2017-18

..... से कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए
 आ.क.वि.सं 1(सहज) → 0 2→0 3→0 4(सुगम) → 0 5→0 7→0 में आय की विवरणी सधन्यवाद प्राप्त की, जिसकी विशिष्टियां इस प्रकार हैं

| | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| क1 प्रथम नाम | क2 मध्य नाम | |
| क3 अंतिम नाम | क4 स्थायी खाता संख्या | |
| क5 लिंग | क6 जन्म की तारीख | क7 आयकर वाड/ सर्किल |
| 0 पुरुष | 0 स्त्री | |
| क8 फ्लैट/ द्वार/भवन | क9 परिसर/ भवन/ ग्राम का नाम | |
| क10 सड़क/ गली | क11 क्षेत्र/ अवस्थान | क12 नगर/ शहर / जिला |
| क12 राज्य | देश | क13 पिन कोड |

क15 केवल एक भरे फाइल की गई () नियत तारीख से पहले () नियत तारीख के पश्चात् सुसंशोधित विवरणी-139(9) या सूचना के उत्तर में 142(1) 148 153क/ 153ग या 92गघ या धारा 119(2)(ख) के अधीन

आय की संगणना और कर विवरण

केवल पूर्ण रूप में

यदि हानि दर्शित करना हो तो बाईं ओर कोठक में ऋण चिन्ह लगाए

| | |
|--|--------|
| ख1 सकल कुल आय | ख1 () |
| ख2 अध्याय 6-क के अधीन कटौतियां | ख2 |
| ख3 कुल आय | ख3 () |
| ख4 चालू क्षति, यदि कोई हो | ख4 () |
| ख5 निवल संदेय कर | ख5 |
| ख6 संदेय ब्याज | ख6 |
| ख7 कुल संदेय कर और ब्याज | ख7 |
| ख8 कुल संदेय अग्रिम कर | ख8 |
| ख9 कुल संदेय स्व निर्धारण कर | ख9 |
| ख10 कुल स्रोत पर कर कटौती | ख10 |
| ख11 कुल स्रोत पर कर संग्रहण | ख11 |
| ख12 कुल संदेय कर (ख 8 + ख 9 + ख 10 + ख 11) | ख12 |
| ख13 संदेय कर (ख 7 - ख 12, यदि ख 7 > ख 12) | ख13 |
| ख14 प्रतिदाय (ख 12 - ख 7, यदि ख 12 > ख 7) | ख14 |
| ख15 छूट प्राप्त आय | ख15 |
| कृषि | |
| अन्य | |

| | |
|----------------------------|--|
| केवल कार्यालय उपयोग के लिए | |
| | |

[अधिसूचना संख्यांक 21/2017/फा. सं० 370142/5/2017-टी०पी०एल]

डॉ० टी०एस० मपवाल, अवर सचिव

टिप्पण— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का०आ० 969 (अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2017 में अधिसूचना संख्यांक का०आ० संख्या 283(अ) तारीख 23 मार्च, 2017 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2017

Income-tax

S.O. 1006 (E).— In exercise of the powers conferred by section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (**Fourth** Amendment) Rules, 2017.
 (2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2017.
2. In the Income-tax rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 12,—
 - (a) in sub-rule (1),-
 - (I) in the opening portion, for the figures “2016”, the figures “2017” shall be substituted;
 - (II) in clause (a), in the proviso,-
 - (i) in sub-clause (II), the word “or” coming at the end shall be omitted;
 - (ii) after sub-clause (III), the following sub-clauses shall be inserted, namely:-
 “(IV) has total income, exceeding fifty lakh rupees;
 (V) has income taxable under section 115BBDA; or
 (VI) has income of the nature referred to in section 115BBE;”;
 - (III) clause (b) and clause (ba) shall be omitted;
 - (IV) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-
 “(c) in the case of a person being an individual [not being an individual to whom clause (a) applies] or a Hindu undivided family where the total income does not include income derived from a proprietary business or profession, be in Form No. ITR-2 and be verified in the manner indicated therein;”;
 - (V) in clause (ca),-
 - (i) in the opening portion, for the words, figures and letters “business income and such income is computed in accordance with special provisions referred to in section 44AD and section 44AE of the Act for computation of business income, be in Form SUGAM (ITR-4S)”, the words, figures and letters “income under the head “Profits or gains of business or profession” and such income is computed in accordance with special provisions referred to in section 44AD, section 44ADA and section 44AE of the Act for computation of such income, be in Form SUGAM (ITR-4)’ shall be substituted;
 - (ii) in the proviso,-
 - (A) in sub-clause (II), the word “or” coming at the end shall be omitted;
 - (B) after sub-clause (III), the following sub-clause shall be inserted, namely:-
 “(IV) has income taxable under section 115BBDA; or
 (V) has income of the nature referred to in section 115BBE;”;
 - (VI) in clause (d),-
 - (i) the words, brackets and letter “clause (b)” shall be omitted;
 - (ii) for the words, letters and number “Form No. ITR-4” the words, letters and number “Form No. ITR-3” shall be substituted;
 - (b) in sub-rule (2), for the words, letters, brackets and number “Form SUGAM (ITR-4S) or Form No. ITR-4” the words, letters, brackets and number “Form SUGAM (ITR-4)” shall be substituted;
 - (c) in sub-rule (3), in the Table,-

(A) for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries thereto shall be substituted, namely:-

| Sl. | Person | Condition | Manner of furnishing return of income |
|-----|--------------------------------------|---|---|
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
| “1 | Individual or Hindu undivided family | (a) Accounts are required to be audited under section 44AB of the Act; | Electronically under digital signature; |
| | | (b) Where total income assessable under the Act during the previous year of a person,- (i) being an individual of the age of 80 years or more at any time during the previous year; or (ii) whose income does not exceed five lakh rupees and no refund is claimed in the return of income, and who furnishes the return in Form No. SAHAJ ITR-1 or Form No. SUGAM (ITR-4) | (A) Electronically under digital signature; or (B) Transmitting the data electronically in the return under electronic verification code; or (C) Transmitting the data in the return electronically and thereafter submitting the verification of the return in Form ITR-V; or (D) Paper form; |
| | | (c) In any other case | (A) Electronically under digital signature; or (B) Transmitting the data electronically in the return under electronic verification code; or (C) Transmitting the data in the return electronically and thereafter submitting the verification of the return in Form ITR-V;”; |

(d) in sub-rule (5), for the figures “2015”, the figures “2016” shall be substituted.

3. In the principal rules, in Appendix II,-

- (a) for “Form Sahaj (ITR-1)”, the following Form shall be substituted, namely:- “Sahaj (ITR-1)”;
- (b) for “Form ITR-2”, the following Form shall be substituted, namely:- “ITR-2”;
- (c) “Form ITR-2A” shall be omitted;
- (d) for “Form ITR-3” the following Form shall be substituted, namely:- “ITR-3”;
- (e) for “Form ITR-4S”, the following Form shall be substituted, namely:- “Sugam (ITR-4)”;
- (f) “Form ITR-4” shall be omitted;
- (g) for “Form ITR-5”, the following Form shall be substituted, namely:- “ITR-5”;
- (h) for “Form ITR-6”, the following Form shall be substituted, namely:- “ITR-6”;
- (i) for “Form ITR-7”, the following Form shall be substituted, namely:- “ITR-7”;
- (j) for “Form ITR-V”, the following Form shall be substituted, namely:- “ITR-V”.

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------|---|---|---|---|---|
| FORM | INDIAN INCOME TAX RETURN | Assessment Year | | | | | |
| | [For Individuals having Income from Salaries, one house property, other sources (Interest etc.) and having total income upto Rs.50 lakh] | 2 | 0 | 1 | 7 | - | 1 |
| ITR-1 SAHAJ | (Refer instructions for eligibility) | | | | | | |

| PART A GENERAL INFORMATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|---|---|------------------|--------------|------|--|--|--|--|--|--|
| PAN | | | | | | | | | | | | | Name | Aadhaar Number (12 digit)/Aadhaar Enrolment Id (28 digit) (If eligible for Aadhaar) | | | | | |
| Mobile No. | | | Address: Flat/Door/Block No. | | | Name of Premises/Building/Village | | | | | | | | | | | | | |
| Email Address | | | Road/Street/Post Office | | | Area/locality | | Town/City/District | | State | | Country | | Pin code | | | | | |
| Residential Status (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Resident <input type="checkbox"/> Non-Resident <input type="checkbox"/> Resident but Not Ordinarily Resident | | | | | | | | | Fill only one if you belong to - <input type="checkbox"/> Govt. <input type="checkbox"/> PSU <input type="checkbox"/> Others | | | | | | | | | | |
| Return filed (Tick)[Please see instruction-] <input type="checkbox"/> On or before due date- u/s139(1), <input type="checkbox"/> Belated- u/s 139(4), <input type="checkbox"/> Revised - u/s 139(5), <input type="checkbox"/> u/s 119(2)(b), or in response to notice u/s <input type="checkbox"/> 139(9)-Defective, <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153A/153C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| If revised/defective, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY) | | | | | | | | | | | | | / / | | | | | | |
| If filed in response to notice u/s 139(9)/142(1)/148/153A/153C, enter date of such notice | | | | | | | | | | | | | / / | | | | | | |
| Are you governed by Portuguese Civil Code as per section 5A? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (If "YES" fill PAN of the Spouse) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PART B GROSS TOTAL INCOME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Whole- Rupee(₹) only | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1 | Income From Salary /Pension | | | | | | B1 | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Income from One house property Self Occupied <input type="checkbox"/> Let Out <input type="checkbox"/> (If loss, put the figure in negative) | | | | | | B2 () | | | | | | | | | | | | |
| B3 | Income from Other Sources | | | | | | B3 | | | | | | | | | | | | |
| B4 | Gross Total Income (B1+B2+B3) (If loss, put the figure in negative) | | | | | | B4() | | | | | | | | | | | | |
| PART C - DEDUCTIONS AND TAXABLE TOTAL INCOME(Refer instructions for Deduction limit as per Income-tax Act) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80C | | | 80D | | | 80G | | | 80TTA | | | | | | | | | | |
| Any Other (Please specify section) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total deductions | | C1 | | Taxable Total Income (B4-C1) | | | | C2 | | | | | | | | | | | |
| PART D - COMPUTATION OF TAX PAYABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D1 | Tax payable on total | | | | D2 | Rebate u/s 87A | | | | D3 | Tax after | | | | | | | | |
| D4 | Cess, on D3 | | | | D5 | Total Tax and | | | | D6 | Relief u/s 89(1) | | | | | | | | |
| D7 | Interest u/s 234A | | | | D8 | 234B | | | | D9 | 234C | | | | | | | | |
| D10 Total Tax and Interest(D5+D7+D8+D9 - | | | | | D11 Total Taxes Paid | | | | | | | | | | | | | | |
| D12 Amount payable (D10 -D11)(if D10 > D11) | | | | | D13 Refund (D11 - D10)(if D11 > | | | | | | | | | | | | | | |
| Exempt Income: | | 10 (38) | | 10(34) | | Agricultural Income | | | | Others | | Pls. specify | | | | | | | |
| PART E - OTHER INFORMATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D14 Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sl. | IFS Code of the Bank | Name of the Bank | | Account Number (of 9 digits or more as per CBS system of the bank) | | | Cash deposited during 09.11.2016 to 30.12.2016 (if aggregate cash deposits during the | | | (tick one account <input checked="" type="checkbox"/> for refund) | | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schedule IT Details of Advance Tax and Self-Assessment Tax payments | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| BSR Code | | | | Date of Deposit (DD/MM/YYYY) | | | | Serial Number of Challan | | | | Tax paid | | | |
|----------|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|----------|--|--|--|
| Col (1) | | | | Col (2) | | | | Col (3) | | | | Col (4) | | | |
| R1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| R2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| R3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| R5 | | | | | | | | | | | | | | | |

Schedule TDS Details of TDS/TCS [As per Form 16/16A/27D issued by Deductor(s)/Employer(s)/Collector(s)]

| TAN of deductor | Name of the Deductor/Collector | Amount which is subject to tax deduction /collection | Deduction/ collection year | Tax Deducted/ collected | Amount out of (5) claimed this Year | Amount claimed in the hands of spouse if section 5A is applicable |
|--------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|---|--|
| Col (1) | Col (2) | Col (3) | Col (4) | Col (5) | Col (6) | Col (7) |
| T1 | | | | | | |
| T2 | | | | | | |
| T3 | | | | | | |

VERIFICATION

| |
|--|
| Stamp Receipt No., Seal, Date & Sign of Receiving Official |
|--|

I, _____ son/ daughter of _____ solemnly
declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return is correct and
complete and in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.

Date:

Sign:

FORM

ITR-2

INDIAN INCOME TAX RETURN
[For Individuals and HUFs not carrying out business or profession under any
proprietorship]
(Please see Rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)
(Also see attached instructions)

Assessment Year

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 7 | - | 1 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Part A-GEN GENERAL

| | | | | | |
|----------------------|--|--|--|---|--|
| PERSONAL INFORMATION | First name | Middle name | Last name | PAN | |
| | Flat/Door/Block No | Name of Premises/Building/Village | | Status (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> HUF | |
| | Road/Street/Post Office | Date of Birth/ Formation(DD/MM/YYYY) | | | |
| | Area/locality | Aadhaar Number (12 digit)/ Aadhaar Enrolment Id (28 digit) (if eligible for Aadhaar) | | | |
| | Town/City/District | State | Pin code | Sex (in case of individual) (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Male <input type="checkbox"/> Female | |
| | | Country | | | |
| FILING STATUS | Residential/Office Phone Number with STD code/ Mobile No. 1 | Mobile No. 2 | Employer Category(if in employment) (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Govt. <input type="checkbox"/> PSU <input type="checkbox"/> Others | | |
| | Email Address-1 (self) | Income Tax Ward/Circle | | | |
| | Email Address-2 | | | | |

| | | |
|-----|---|-----|
| (a) | Return filed (Tick) [Please see instruction number-7] <input type="checkbox"/> On or before due date-139(1), <input type="checkbox"/> After due date-139(4), <input type="checkbox"/> Revised Return-139(5), <input type="checkbox"/> Modified return- 92CD, <input type="checkbox"/> under section 119(2)(b), or <input type="checkbox"/> In response to notice <input type="checkbox"/> 139(9)-Defective, <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153A/153C | |
| (b) | If revised/defective/modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY) | / / |
| (c) | If filed, in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153A/153C enter date of such notice, or u/s 92CD enter date of advance pricing agreement | / / |
| (d) | Residential Status (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Resident <input type="checkbox"/> Non-Resident <input type="checkbox"/> Resident but Not Ordinarily Resident | |
| (e) | Whether any transaction has been made with a person located in a jurisdiction notified u/s 94A of the Act? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | |
| (f) | Are you governed by Portuguese Civil Code as per section 5A? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (If "YES" please fill Schedule 5A) | |
| (g) | Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | |
| | If yes, please furnish following information - | |
| (1) | Name of the representative | |
| (2) | Address of the representative | |
| (3) | Permanent Account Number (PAN) of the representative | |

PART-B

| Part B - TI | | Computation of total income | |
|--------------|--|--|------|
| TOTAL INCOME | 1 | Salaries (6 of Schedule S) | 1 |
| | 2 | Income from house property (3b of Schedule HP) (enter nil if loss) | 2 |
| | 3 | Profits and gains from business or profession (6 of Schedule BP) (enter nil if loss) | 3 |
| | 4 | Capital gains | |
| | | a Short term | |
| | | i Short-term chargeable @ 15% (7ii of item E of schedule CG) | ai |
| | | ii Short-term chargeable @ 30% (7iii of item E of schedule CG) | aii |
| | | iii Short-term chargeable at applicable rate (7iv of item E of schedule CG) | aiii |
| | | iv Total Short-term (ai + aii + aiii) | 4aiv |
| | | b Long-term | |
| | i Long-term chargeable @ 10% (7v of item E of schedule CG) | bi | |
| | ii Long-term chargeable @ 20% (7vi of item E of schedule CG) | bii | |
| | iii Total Long-term (bi + bii) (enter nil if loss) | 4biii | |
| | c Total capital gains (4aiv + 4biii) (enter nil if loss) | 4c | |
| 5 | Income from other sources | | |
| | a from sources other than from owning race horses and income chargeable to tax at special rate (1i of Schedule OS) (enter nil if loss) | 5a | |
| | b Income chargeable to tax at special rate (1fvii of Schedule OS) | 5b | |
| | c from the activity of owning and maintaining race horses (3c of Schedule OS) (enter nil if loss) | 5c | |
| | d Total (5a + 5b + 5c) (enter nil if loss) | 5d | |
| 6 | Total (1+2+3+4c+5d) | 6 | |
| 7 | Losses of current year set off against 6 (total of 2xii, 3xii and 4xii of Schedule CYLA) | 7 | |
| 8 | Balance after set off current year losses (6-7) (total of column 5 of Schedule CYLA+5b) | 8 | |
| 9 | Brought forward losses set off against 8 (2xi of Schedule BFLA) | 9 | |
| 10 | Gross Total income (8-9) (3xii of Schedule BFLA + 5b) | 10 | |

Do not write or stamp in this area (Space for bar code)

For Office Use Only
Receipt No.
Date
Seal and Signature of receiving official

| | | | |
|----|--|----|--|
| 11 | Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112 etc. included in 10 | 11 | |
| 12 | Deductions under Chapter VI-A [<i>s-t of Schedule VIA and limited to (10-11)</i>] | 12 | |
| 13 | Total income (10 – 12) | 13 | |
| 14 | Income which is included in 13 and chargeable to tax at special rates (<i>total of (i) of schedule SI</i>) | 14 | |
| 15 | Net agricultural income/ any other income for rate purpose (<i>4 of Schedule EI</i>) | 15 | |
| 16 | Aggregate income (13-14+15) [<i>applicable if (13-14) exceeds maximum amount not chargeable to tax</i>] | 16 | |
| 17 | Losses of current year to be carried forward (<i>total of row xi of Schedule CFL</i>) | 17 | |

Part B -TTI Computation of tax liability on total income

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|------------------|---|--|--|
| COMPUTATION OF TAX LIABILITY | 1 | Tax payable on total income | | | | | |
| | | a | Tax at normal rates on 16 of Part B-TI | 1a | | | |
| | | b | Tax at special rates (<i>total of (ii) of Schedule SI</i>) | 1b | | | |
| | | c | Rebate on agricultural income [<i>applicable if (13-14) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax</i>] | 1c | | | |
| | | d | Tax Payable on Total Income (1a + 1b – 1c) | | | 1d | |
| | 2 | Rebate under section 87A (<i>applicable if 13 of Part B-TI does not exceed 5 lakh</i>) | | | 2 | | |
| | 3 | Tax payable after rebate (1d - 2) | | | 3 | | |
| | 4 | Surcharge | | | | | |
| | | i | 25% of 12(ii) of Schedule SI | 4i | | | |
| | | ii | On [(3) – (12(ii) of Schedule SI)] (<i>applicable if 13 of Part B-TI exceeds 1 crore</i>) | 4ii | | | |
| | | iii | Total i + ii | | | 4iii | |
| | 5 | Education cess, including secondary and higher education cess on (3 + 4iii) | | | 5 | | |
| | 6 | Gross tax liability (3 + 4iii + 5) | | | 6 | | |
| | 7 | Tax relief | | | | | |
| a | | Section 89 | 7a | | | | |
| b | | Section 90/ 90A (2 of Schedule TR) | 7b | | | | |
| c | | Section 91 (3 of Schedule TR) | 7c | | | | |
| d | | Total (7a + 7b+ 7c) | | | 7d | | |
| 8 | Net tax liability (6 – 7d) (<i>enter zero if negative</i>) | | | 8 | | | |
| 9 | Interest payable | | | | | | |
| | a | For default in furnishing the return (section 234A) | 9a | | | | |
| | b | For default in payment of advance tax (section 234B) | 9b | | | | |
| | c | For deferment of advance tax (section 234C) | 9c | | | | |
| | d | Total Interest Payable (9a+9b+9c) | | | 9d | | |
| 10 | Aggregate liability (8 + 9d) | | | 10 | | | |
| TAXES PAID | 11 | Taxes Paid | | | | | |
| | | a | Advance Tax (<i>from column 5 of 19A</i>) | 11a | | | |
| | | b | TDS (<i>total of column 5 of 19B and column 8 of 19C</i>) | 11b | | | |
| | | c | TCS (<i>total of column 5 of 19D</i>) | 11c | | | |
| | | d | Self-Assessment Tax (<i>from column 5 of 19A</i>) | 11d | | | |
| | | e | Total Taxes Paid (11a+11b+11c+11d) | | | 11e | |
| 12 | Amount payable (<i>Enter if 10 is greater than 11e, else enter 0</i>) | | | 12 | | | |
| 13 | Refund (<i>If 11e is greater than 10 (Refund, if any, will be directly credited into the bank account)</i>) | | | 13 | | | |
| BANK ACCOUNT | 14 | Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts) | | | | | |
| | | Sl. | IFS Code of the Bank | Name of the Bank | Account Number (<i>the number should be 9 digits or more as per CBS system of the bank</i>) | Indicate the account in which you prefer to get your refund credited, if any (<i>tick one account</i> <input checked="" type="checkbox"/>) | |
| | | i | | | | Cash deposited during 09.11.2016 to 30.12.2016 | |
| | | ii | | | | | |

| | | |
|----|---|---|
| 15 | <p>Do you at any time during the previous year,-</p> <p>(i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or</p> <p>(ii) have signing authority in any account located outside India; or</p> <p>(iii) have income from any source outside India?</p> <p><i>[applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]</i></p> | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
|----|---|---|

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____, holding permanent account number _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and schedules thereto is correct and complete and that the amount of total income and other particulars shown therein are truly stated and are in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961, in respect of income chargeable to Income-tax for the previous year relevant to the Assessment Year-2017-18

I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable, in a case where return is furnished under section 92CD)

Place

Sign here →

Date

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 17 | If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details below: | | | | | | | | | | | | | | |
| Identification No. of TRP | | | | | Name of TRP | | | | | Counter Signature of TRP | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| If TRP is entitled for any reimbursement from the Government, amount thereof | | | | | | | | | | 18 | | | | | |
| 19 | TAX PAYMENTS | | | | | | | | | | | | | | |
| A | Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax | | | | | | | | | | | | | | |
| ADVANCE/SELF ASSESSMENT TAX | Sl No | BSR Code | | | Date of Deposit (DD/MM/YYYY) | | | Serial Number of Challan | | Amount (Rs) | | | | | |
| | (1) | (2) | | | (3) | | | (4) | | (5) | | | | | |
| | i | | | | | | | | | | | | | | |
| | ii | | | | | | | | | | | | | | |
| | iii | | | | | | | | | | | | | | |
| | iv | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTE ▶ | | | | | | | | | | | Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl No. 11a & 11d of Part B-TTI | | | | |
| B | Details of Tax Deducted at Source from Salary [As per Form 16 issued by Employer(s)] | | | | | | | | | | | | | | |
| TDS ON SALARY | Sl No | Tax Deduction Account Number (TAN) of the Employer | | | Name of the Employer | | | Income chargeable under Salaries | | Total tax deducted | | | | | |
| | (1) | (2) | | | (3) | | | (4) | | (5) | | | | | |
| | I | | | | | | | | | | | | | | |
| | II | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTE ▶ | | | | | | | | | | | Please enter total of column 5 of Schedule-TDS1 and column 8 of Schedule-TDS2 in 11b of Part B-TTI | | | | |
| C | Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued by Deductor(s) or Form 26QB issued by Deductor(s)] | | | | | | | | | | | | | | |
| TDS ON OTHER INCOME | Sl No | TAN of the Deductor/ PAN of the Buyer | | Name of the Deductor | | Unique TDS Certificate Number | Unclaimed TDS brought forward (b/f) | | TDS of the current fin. Year | Amount out of (6) or (7) being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year) | | Amount out of (6) or (7) being carried forward | | | |
| | (1) | (2) | | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | | | |
| | i | | | | | | | | | | | | | | |
| | ii | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTE ▶ | | | | | | | | | | | Please enter total of column 5 of Schedule-TDS1 and column 8 of Schedule-TDS2 in 11b of Part B-TTI | | | | |
| D | Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)] | | | | | | | | | | | | | | |

| TCS | SI No | Tax Deduction and Collection Account Number of the Collector | Name of the Collector | Tax Collected | Amount out of (4) being claimed | Amount out of (4) being claimed in the hands of spouse, if section 5A is applicable |
|---|-------|--|-----------------------|---------------|------------------------------------|--|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | I | | | | | |
| | ii | | | | | |
| NOTE ▶ Please enter total of column (5) of Schedule-TCS in 11c of Part B-TTI | | | | | | |

NOTE: PLEASE FILL SCHEDULES TO THE RETURN FORM (PAGES S1 – S12) AS APPLICABLE

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)

| Schedule S | | Details of Income from Salary | | | | | |
|------------|---------------------|---|--|-----------|----------------------------|----------|--|
| SALARIES | Name of Employer | | | | PAN of Employer (optional) | | |
| | Address of employer | | | Town/City | State | Pin code | |
| | 1 | Salary (Excluding all exempt/ non-exempt allowances, perquisites & profit in lieu of salary as they are shown separately below) | | | | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 32 | Allowances not exempt (refer Form 16 from employer) | | | 32 | | |
| | 43 | Value of perquisites (refer Form 16 from employer) | | | 43 | | |
| | 54 | Profits in lieu of salary (refer Form 16 from employer) | | | 54 | | |
| | 65 | Deduction u/s 16 (Entertainment allowance by Government and tax on employment) | | | 65 | | |
| | 76 | Income chargeable under the Head 'Salaries' (1+23+34+45-56) | | | 76 | | |
| | 7 | Allowances exempt under section 10 (Not to be included in 6 above) | | | 7 | | |
| | i | Travel concession/assistance received [(sec. 10(5))] | | 7i | | | |
| | ii | Tax paid by employer on non-monetary perquisite [(sec. 10(10CC))] | | 7ii | | | |
| | iii | Allowance to meet expenditure incurred on house rent [(sec. 10(13A))] | | 7iii | | | |
| | iv | Other allowances | | 7iv | | | |

| Schedule HP | | Details of Income from House Property (Please refer to instructions) | | | | |
|----------------|--|--|---------------------|------------|------------------------------|----------|
| HOUSE PROPERTY | 1 | Address of property 1 | | Town/ City | State | PIN Code |
| | Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details) | | | | | |
| | Your percentage of share in the property | | | | | |
| | Name of Co-owner(s) | | PAN of Co-owner(s)e | | Percentage Share in Property | |

| | | | |
|--|--|--------------------------------|------------------------------|
| I | | | |
| II | | | |
| (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> if let out <input type="checkbox"/> deemed let out <input type="checkbox"/> | | Name(s) of Tenant (if let out) | PAN of Tenant(s) (optional) |
| | | I | |
| | | II | |
| a | Annual lettable value or rent received or receivable (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two if let out for part of the year) | 1a | |
| b | The amount of rent which cannot be realized | 1b | |
| c | Tax paid to local authorities | 1c | |
| d | Total (1b + 1c) | 1d | |
| e | Annual value (1a - 1d) (nil, if self-occupied etc. as per section 23(2) of the Act) | 1e | |
| f | Annual value of the property owned (own percentage share x 1e) | 1f | |
| g | 30% of 1f | 1g | |
| h | Interest payable on borrowed capital | 1h | |
| i | Total (1g + 1h) | 1i | |
| j | Income from house property 1 (1f - 1i) | 1j | |
| 2 | Address of property 2 | Town/ City | State |
| | | PIN Code | |
| Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details) | | | |
| Your percentage of share in the property. <input type="text"/> | | | |
| Name of Co-owner(s) | | PAN of Co-owner(s) | Percentage Share in Property |
| I | | | |
| II | | | |
| (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> if let out <input type="checkbox"/> deemed let out <input type="checkbox"/> | | Name(s) of Tenant (if let out) | PAN of Tenant(s) (optional) |
| | | I | |
| | | II | |
| a | Annual lettable value or rent received/ receivable (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two, if let out for part of the year) | 2a | |
| b | The amount of rent which cannot be realized | 2b | |
| c | Tax paid to local authorities | 2c | |
| d | Total (2b + 2c) | 2d | |
| e | Annual value (2a - 2d) | 2e | |
| f | Annual value of the property owned (own percentage share x 2e) | 2f | |
| g | 30% of 2f | 2g | |
| h | Interest payable on borrowed capital | 2h | |
| i | Total (2g + 2h) | 2i | |
| j | Income from house property 2 (2f - 2i) | 2j | |
| 3 | Income under the head "Income from house property" | | |
| a | Unrealized rent and Arrears of rent received during the year under section 25A after deducting 30% | 3a | |
| b | Total (1j + 2j + 3a) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA) | 3b | |

NOTE ►

Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI while computing the income under this head

Schedule IF

Information regarding partnership firms in which you are partner

| FIRMS IN WHICH PARTNER | Number of firms in which you are partner | | | | | | |
|------------------------|--|------------------|-----------------|--|---|--|-------------------------------|
| | Sl. No. | Name of the Firm | PAN of the firm | Whether the firm is liable for audit? (Yes/No) | Whether section 92E is applicable to firm? (Yes/No) | Percentage Share in the profit of the firm | Amount of share in the profit |
| | | | | | | | i |
| | | | | | | ii | |

| | | | | | | |
|---|--------------|--|--|--|--|--|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Total | | | | | |

| Schedule BP | | Details of Income from Firms of which partner | | | | |
|-------------|--|--|--|----------------|----------------------------|-------------------|
| Sl. No. | Firm PAN (From Schedule-IF) | Salary, bonus, commission or remuneration received from the firm | Interest received from the firm on the capital | Total ii + iii | Expenses in relation to iv | Net Income iv - v |
| | (i) | (ii) | (iii) Iv | (iv) | (v) | (vi) |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Total | | | | | |
| 5 | Deduction, if any, for payment of any sum for carrying out an eligible project or scheme as per section 35AC | | | | | |
| 6 | Net Income from Business [4(vi) – 5] | | | | | |

NOTE ▶ Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI while computing the income under this head

| Schedule CG | | Capital Gains | | | | |
|-------------|---|---|---|---|------|-----|
| A | Short-term Capital Gains | 1 Short-term Capital Gains (STCG) (Items 3, 4 and 7 are not applicable for residents) | | | | |
| | | From sale of land or building or both | | | | |
| | | a | i | Full value of consideration received/receivable | ai | |
| | | | ii | Value of property as per stamp valuation authority | aii | |
| | | | iii | Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains (ai or aii) | aiii | |
| | | b | Deductions under section 48 | | | |
| | | | i | Cost of acquisition without indexation | bi | |
| | | | ii | Cost of Improvement without indexation | bii | |
| | | | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | biii | |
| | | | iv | Total (bi + bii + biii) | biv | |
| | | c | Balance (aiii – biv) | | 1c | |
| | | d | Deduction under section 54B (Specify details in item D below) | | 1d | |
| | | e | Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d) | | | A1e |
| | | 2 | From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(ii) proviso (for FII) | | | |
| | | a | Full value of consideration | | 2a | |
| | | b | Deductions under section 48 | | | |
| | | | i | Cost of acquisition without indexation | bi | |
| | | | ii | Cost of Improvement without indexation | bii | |
| | | | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | biii | |
| | | | iv | Total (i + ii + iii) | biv | |
| c | Balance (2a – biv) | | 2c | | | |
| d | Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only) | | 2d | | | |
| e | Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (2c + 2d) | | | A2e | | |
| 3 | For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48) | | | | | |
| a | STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is paid | | | A3a | | |

| | | | | | |
|---|---|--|------|--|-----|
| | ii | Cost of Improvement with indexation | bii | | |
| | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | biii | | |
| | iv | Total (bi + bii + biii) | biv | | |
| c | Balance (aiii – biv) | | 1c | | |
| d | Deduction under section 54/54B/54EC/54EE/54F/54GB (Specify details in item D below) | | 1d | | |
| e | Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d) | | | | B1e |
| 2 | From sale of bonds or debenture (other than capital indexed bonds issued by Government) | | | | |
| a | Full value of consideration | | 2a | | |
| b | Deductions under section 48 | | | | |
| | i | Cost of acquisition without indexation | bi | | |
| | ii | Cost of improvement without indexation | bii | | |
| | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | biii | | |
| | iv | Total (bi + bii +biii) | biv | | |
| c | Balance (2a – biv) | | 2c | | |
| d | Deduction under sections 54EC/54EE/54F (Specify details in item D below) | | 2d | | |
| e | LTCG on bonds or debenture (2c – 2d) | | | | B2e |
| 3 | From sale of, (i) listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds where proviso under section 112(1) is applicable (ii) GDR of an Indian company referred in sec. 115ACA | | | | |
| a | Full value of consideration | | 3a | | |
| b | Deductions under section 48 | | | | |
| | i | Cost of acquisition without indexation | bi | | |
| | ii | Cost of improvement without indexation | bii | | |
| | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | biii | | |
| | iv | Total (bi + bii +biii) | biv | | |
| c | Balance (3a – biv) | | 3c | | |
| d | Deduction under sections 54EC/54EE/54F (Specify details in item D below) | | 3d | | |
| e | Long-term Capital Gains on assets at B3 above (3c – 3d) | | | | B3e |
| 4 | For NON-RESIDENTS- from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48) | | | | |
| a | LTCG computed without indexation benefit | | 4a | | |
| b | Deduction under sections 54EC/54EE/54F (Specify details in item D below) | | 4b | | |
| c | LTCG on share or debenture (4a-4b) | | | | B4c |
| 5 | For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iii) securities by FII as referred to in sec. 115AD | | | | |
| a | Full value of consideration | | 5a | | |
| b | Deductions under section 48 | | | | |
| | i | Cost of acquisition without indexation | bi | | |
| | ii | Cost of improvement without indexation | bii | | |
| | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | biii | | |
| | iv | Total (bi + bii +biii) | biv | | |
| c | Balance (5a – biv) | | 5c | | |
| d | Deduction under sections 54EC/54EE/54F (Specify details in item D below) | | 5d | | |
| e | Long-term Capital Gains on assets at 5 above in case of NON-REESIDENT (5c – 5d) | | | | B5e |
| 6 | From sale of foreign exchange asset by NON-RESIDENT INDIAN (If opted under chapter XII-A) | | | | |
| a | LTCG on sale of specified asset (computed without indexation) | | 6a | | |
| b | Less deduction under section 115F (Specify details in item D below) | | 6b | | |
| c | Balance LTCG on sale of specified asset (6a – 6b) | | | | B6c |
| d | LTCG on sale of asset, other than specified asset (computed without indexation) | | 6d | | |
| e | Less deduction under section 115F (Specify details in item D below) | | 6e | | |
| f | Balance LTCG on sale of asset, other than specified asset (6d – 6e) | | | | B6f |
| 7 | From sale of assets where B1 to B6 above are not applicable | | | | |
| a | Full value of consideration | | 7a | | |
| b | Deductions under section 48 | | | | |
| | i | Cost of acquisition with indexation | bi | | |
| | ii | Cost of improvement with indexation | bii | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|---|-----|--|
| | | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | | biii | | | |
| | | iv | Total (bi + bii + biii) | | biv | | | |
| | c | Balance (7a – biv) | | | 7c | | | |
| | d | Deduction under sections 54EC/54EE/54F (Specify details in item D below) | | | 7d | | | |
| | e | Long-term Capital Gains on assets at B7 above (7c-7d) | | | | | B7e | |
| 8 | Amount deemed to be long-term capital gains | | | | | | | |
| a | Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below | | | | | | | |
| | Sl. | Previous year in which asset transferred | Section under which deduction claimed in that year | New asset acquired/constructed Year in which asset acquired/constructed | | Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X) | | |
| | i | 2013-14 | 54/54D/54F/54G/54GA | | Amount utilised out of Capital Gains account | | | |
| | ii | 2014-15 | 54B | | | | | |
| | b | Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a' | | | | | | |
| | Total amount deemed to be long-term capital gains (aXi + aXii + b) | | | | | | B8 | |
| 9 | FOR NON-RESIDENTS- LTCG included in B1- B8 but not chargeable to tax in India as per DTAA | | | | | | | |
| | Sl. | Country name, code | Article of DTAA | Whether Tax Residency Certificate obtained? | Item B1 to B8 above in which included | Amount of LTCG | | |
| | I | | | | B1e/B2e/B3e/ B4c/ B5e/B6c/B6f/B7e/B8 | | | |
| | II | | | | B1e/B2e/B3e/ B4c/ B5e/B6c/B6f/B7e/B8 | | | |
| | III | Total amount of LTCG not chargeable to tax as per DTAA | | | | | B9 | |
| 10 | Total long term capital gain chargeable under I.T. Act [B1e +B2e +B3e + B4c + B5e +B6c+ B6f+ B7e+ B8 - B9] (In case of loss take the figure to 5xi of schedule CFL) | | | | | | B10 | |
| C | Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (A8 + B10) (take B10 as nil, if loss) (If C is negative, take the figure to 4xi of schedule CFL and if it is positive, take the figure to respective row in item E) | | | | | | C | |
| D | Information about deduction claimed | | | | | | | |
| 1 | In case of deduction u/s 54/54B/54EC/54EE/54F/54GB/115F give following details | | | | | | | |
| | a | Section under which deduction claimed | | | 1a | amount of deduction | | |
| | i | Cost of new asset | | | ai | | | |
| | ii | Date of its acquisition/construction | | | aii | dd/mm/yyyy | | |
| | iii | Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date | | | aiii | | | |
| | b | Section under which deduction claimed | | | 1b | amount of deduction | | |
| | i | Cost of new asset | | | bi | | | |
| | ii | Date of its acquisition/construction | | | bii | dd/mm/yyyy | | |
| | iii | Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date | | | biii | | | |
| | c | Total deduction claimed (1a + 1b) | | | 1c | | | |
| 2 | In case of deduction u/s 54GB, furnish PAN of the company | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|---------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------|---|
| E | Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A7 & B9 which is chargeable under DTAA) | | | | | | | |
| | Sl. | Type of Capital Gain | Gain of current year (Fill this column only if computed figure is positive) | Short term capital loss set off | | | Long term capital loss set off | Current year's capital gains remaining after set off (7= 1-2-3-4-5-6) |
| | | | | 15% | 30% | applicable rate | 10% 20% | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------|---|-----------------|----------------------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| i | Loss to be set off (Fill this row if computed figure is negative) | | (A2e+A3a) | A4e | (A1e+A3b+ A5+A6) | (B3e+ B5e+B6c) | (B1e+B2e+ B4c+ B6f+ B7e+B8) | |
| ii | Short term capital gain | 15% | (A2e+A3a) | | | | | |
| iii | | 30% | A4e | | | | | |
| iv | | applicable rate | (A1e+A3b+A5e+ | | | | | |
| v | Long term capital gain | 10% | (B3e+ B5e+B6c) | | | | | |
| vi | | 20% | (B1e+B2e+B4c+ B6f+ B7e+B8) | | | | | |
| vii | Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi) | | | | | | | |
| viii | Loss remaining after set off (i – vii) | | | | | | | |
| F | Information about accrual/receipt of capital gain | | | | | | | |
| | Type of Capital gain / Date | | | Upto 15/6 (i) | 16/6 to 15/9 (ii) | 16/9 to 15/12 (iii) | 16/12 to 15/3 (iv) | 16/3 to 31/3 (v) |
| 1 | Short-term capital gains taxable at the rate of 15% Enter value from item 3iii of schedule BFLA, if any. | | | | | | | |
| 2 | Short-term capital gains taxable at the rate of 30% Enter value from item 3iv of schedule BFLA, if any. | | | | | | | |
| 3 | Short-term capital gains taxable at applicable rates Enter value from item 3v of schedule BFLA, if any. | | | | | | | |
| 4 | Long- term capital gains taxable at the rate of 10% Enter value from item 3vi of schedule BFLA, if any. | | | | | | | |
| 5 | Long- term capital gains taxable at the rate of 20% Enter value from item 3vii of schedule BFLA, if any. | | | | | | | |
| NOTE | Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI while computing the income under this head | | | | | | | |

Schedule OS

Income from other sources

| OTHER SOURCES | | I Income | |
|---------------|---|----------|--|
| a | Dividends, Gross | 1a | |
| b | Interest, Gross | 1b | |
| c | Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross | 1c | |
| d | Others, Gross (excluding income from owning race horses) <i>Mention the nature</i> | | |
| i | Winings from lotteries, crossword puzzles etc. | 1di | |
| ii | a Cash credits u/s 68 | | |
| | b Unexplained investments u/s 69 | | |
| | c Unexplained money etc. u/s 69A | | |
| | d Undisclosed investments etc. u/s 69B | | |
| | e Unexplained expenditure etc. u/s 69C | | |
| | f Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D | | |
| | Total (a + b + c + d + e + f) | 1dii | |
| iii | | 1diii | |
| iv | | 1 | |
| v | Total (1di + 1dii+ 1diii + 1div) | 1dv | |
| e | Total (1a + 1b + 1c + 1dv) | 1e | |
| f | Income included in '1e' chargeable to tax at special rate (to be taken to schedule SI) | | |
| i | Income by way of winings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc (u/s 115BB) | 1fi | |
| ii | Dividend Income from domestic company that exceeds Rs.10 Lakh (u/s 115BBDA) | 1fii | |
| iii | Deemed Income chargeable to tax u/s 115BBE | 1fiii | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|--|---|------------|-------------------|-------------|---|------------------|------|--|
| | iv | Income from patent chargeable u/s 115BBF | | | | | | 1fiv | | |
| | v | Any other income chargeable to tax at the rate specified under Chapter XII/XII-A | | | | | | 1fv | | |
| | vi | FOR NON-RESIDENTS- Income chargeable to be taxed under DTAA | | | | | | | | |
| | | Sl. No. | Country name, | Article of | Rate of tax under | Whether TRC | Corresponding section of the Act which prescribes | Amount of income | | |
| | | I | | | | | | | | |
| | | II | | | | | | | | |
| | | III | Total amount of income chargeable to tax under DTAA | | | | | | 1fvi | |
| | vii | Income included in '1e' chargeable to tax at special rate (1fi +1fii + 1fiii+fiv+fv+fvi) | | | | | | 1fvii | | |
| g | | Gross amount chargeable to tax at normal applicable rates (1e-1fvii) | | | | | | 1g | | |
| h | | Deductions under section 57 (other than those relating to income under 1fi, 1fii, 1fiii, 1fiv, 1fv, & 1fvi for non-residents) | | | | | | | | |
| | i | Expenses / Deductions | | | | hi | | | | |
| | ii | Depreciation | | | | hii | | | | |
| | iii | Total | | | | hiii | | | | |
| | i | Income from other sources (other than from owning race horses and amount chargeable to tax at special rate) (1g – hiii) (If negative take the figure to 3i of schedule CYLA) | | | | | | 1i | | |
| 2 | | Income from other sources (other than from owning race horses) (1fiv + 1i) (enter 1i as nil, if negative) | | | | | | 2 | | |
| 3 | | Income from the activity of owning and maintaining race horses | | | | | | | | |
| | a | Receipts | | | | 3a | | | | |
| | b | Deductions under section 57 in relation to (4) | | | | 3b | | | | |
| | c | Balance (3a – 3b) (if negative take the figure to 4xi of Schedule CFL) | | | | | | 3c | | |
| 4 | | Income under the head "Income from other sources" (2 + 3c) (take 3c as nil if negative) | | | | | | 4 | | |
| NOTE | | Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI while computing the income under this head. | | | | | | | | |

Schedule CYLA Details of Income after Set off of current year losses

| CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT | Sl.No | Head/ Source of Income | Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive) | House property loss of the current year set off | Business Loss | Other sources loss (other than loss from race horses) of the current year set off | Current year's Income remaining after set off |
|------------------------------|-------|---|--|---|---------------------|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1-2-3-4 |
| | | i | Loss to be set off → | | (3b of Schedule HP) | (6 of Schedule BP) | (1i of Schedule-OS) |
| | ii | Salaries | (6 of Schedule S) | | | | |
| | iii | House property | (3b of Schedule HP) | | | | |
| | iv | Business or profession | (4vi of Schedule BP) | | | | |
| | v | Short-term capital gain taxable @ 15% | (7ii of item E of schedule CG) | | | | |
| | vi | Short-term capital gain taxable @ 30% | (7iii of item E of schedule CG) | | | | |
| | vii | Short-term capital gain taxable at applicable rates | (7iv of item E of schedule CG) | | | | |
| | viii | Long term capital gain taxable @ 10% | (7v of item E of schedule CG) | | | | |
| | ix | Long term capital gain taxable @ 20% | (7vi of item E of schedule CG) | | | | |
| | x | Other sources (excluding profit from owning race horses and amount chargeable to special rate of tax) | (1i of schedule OS) | | | | |

| | | | | | | |
|------|--|---------------------|--|--|--|--|
| xi | Profit from owning and maintaining race horses | (3c of schedule OS) | | | | |
| xii | Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xi) | | | | | |
| xiii | Loss remaining after set-off (i - xii) | | | | | |

Schedule BFLA Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years

| Sl. No. | Head/ Source of Income | Income after set off, if any, of current year's losses as per 4 of Schedule CYLA) | Brought forward loss set off | Current year's income remaining after set off |
|---------|--|---|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| i | Salaries | (5ii of schedule CYLA) | | |
| ii | House property | (5iii of schedule CYLA) | (B/f house property loss) | |
| iii | Business or profession | (5iv of schedule CYLA) | (B/f business loss) | |
| iv | Short-term capital gain taxable @ 15% | (5v of schedule CYLA) | (B/f short-term capital loss) | |
| v | Short-term capital gain taxable @ 30% | (5vi of schedule CYLA) | (B/f short-term capital loss) | |
| vi | Short-term capital gain taxable at applicable rates | (5vii of schedule CYLA) | (B/f short-term capital loss) | |
| vii | Long-term capital gain taxable @ 10% | (5viii of schedule CYLA) | (B/f short-term or long-term capital loss) | |
| viii | Long term capital gain taxable @ 20% | (5ix of schedule CYLA) | (B/f short-term or long-term capital loss) | |
| ix | Other sources (excluding profit from owning race horses and winnings from lottery, game etc.) | (5x of schedule CYLA) | | |
| x | Profit from owning and maintaining race horses | (5xi of schedule CYLA) | (B/f loss from horse races) | |
| xi | Total of brought forward loss set off (ii2 + iii2 + iv2 + v2+vi2+vii2+ix2+x2) | | | |
| xii | Current year's income remaining after set off Total (i3 + ii3 + iii3 + iv3 + v3+ vi3+ vii3 + viii3+ ix3+ x3 + xi3) | | | |

Schedule CFL Details of Losses to be carried forward to future years

| | Assessment Year | Date of Filing (DD/MM/YYYY) | House property loss | Business or profession loss | Short-term capital loss | Long-term Capital loss | Loss from owning and maintaining race horses |
|------|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| i | 2009-10 | | | | | | |
| ii | 2010-11 | | | | | | |
| iii | 2011-12 | | | | | | |
| iv | 2012-13 | | | | | | |
| v | 2013-14 | | | | | | |
| vi | 2014-15 | | | | | | |
| vii | 2015-16 | | | | | | |
| viii | 2016-17 | | | | | | |
| ix | Total of earlier year losses | | | | | | |
| x | Adjustment of above losses in Schedule BFLA | | (2ii of schedule BFLA) | (2iii of schedule BFLA) | | | (2x of schedule BFLA) |
| xi | 2017-18 (Current year losses) | | (2xiii of schedule CYLA) | (3xiii of schedule CYLA) | ((2viii+3viii+4viii) of item E of schedule CG) | ((5viii+6viii) of item E of schedule CG) | (3c of schedule OS, if -ve) |
| xii | Total loss carried forward to future years | | | | | | |

Schedule VI-A Deductions under Chapter VI-A

| TOTAL DEDUCTIONS | 1 | Part B- Deduction in respect of certain payments | |
|------------------|---|--|-------------|
| | a | 80C | b 80CCC |
| | c | 80CCD(1) | d 80CCD(1B) |
| | e | 80CCD(2) | f 80CCG |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------|--|--|---|
| g | 80D | | h | 80DD | | | |
| i | 80DDB | | j | 80E | | | |
| k | 80EE | | l | 80G | | | |
| m | 80GG | | n | 80GGA | | | |
| o | 80GGC | | | | | | |
| 2 | Part C, CA and D- Deduction in respect of certain incomes/other deduction | | | | | | |
| p | 80QQB | | q | 80RRB | | | |
| r | 80TTA | | s | 80U | | | |
| t | Total deductions under Chapter VI-A (Total of a to s) | | | | | | t |

Schedule 80G Details of donations entitled for deduction under section 80G

| | | | | | |
|----------------------|---|---|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| DETAILS OF DONATIONS | A | Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit | | | |
| | | Name and address of donee | PAN of Donee | Amount of donation | Eligible Amount of donation |
| | | i | | | |
| | | ii | | | |
| | | iii | Total | | |
| | B | Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit | | | |
| | | Name and address of donee | PAN of Donee | Amount of donation | Eligible Amount of donation |
| | | i | | | |
| | | ii | | | |
| | | iii | Total | | |
| | C | Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit | | | |
| | | Name and address of donee | PAN of Donee | Amount of donation | Eligible Amount of donation |
| | | i | | | |
| | | ii | | | |
| | | iii | Total | | |
| | D | Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit | | | |
| | Name and address of donee | PAN of Donee | Amount of donation | Eligible Amount of donation | |
| | i | | | | |
| | ii | | | | |
| | iii | Total | | | |
| E | Total donations (Aiii + Biii + Ciii + Diii) | | | | |

Schedule SPI Income of specified persons (spouse, minor child etc.) includable in income of the assessee (income of the minor child, in excess of Rs. 1,500 per child, to be included)

| Sl No | Name of person | PAN of person (optional) | Relationship | Nature of Income | Amount (Rs) |
|-------|----------------|--------------------------|--------------|------------------|-------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

Schedule SI Income chargeable to tax at special rates (please see instructions No. 9 for rate of tax)

| SPECIAL RATE | Sl No | Section | <input checked="" type="checkbox"/> | Special rate (%) | Income i | Tax thereon ii |
|--------------|-------|---|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| | 1 | 111A (STCG on shares units on which STT paid) | <input type="checkbox"/> | 15 | (3iv of schedule BFLA) | |
| | 2 | 115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid) | <input type="checkbox"/> | 30 | (3v of schedule BFLA) | |
| | 3 | 112 proviso (LTCG on listed securities/ units without indexation) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 3vii of schedule BFLA) | |
| | 4 | 112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 3vii of schedule BFLA) | |
| | 5 | 115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 3vii of schedule BFLA) | |

| | | | | |
|----|--|--------------------------|--------------|---------------------------------|
| 6 | 115ACA (LTCG for an employee of specified company on GDR) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 3vii of schedule BFLA) |
| 7 | 115AD (LTCG for FIIs on securities) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 3vii of schedule BFLA) |
| 8 | 115E (LTCG for non-resident Indian on specified asset) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 3vii of schedule BFLA) |
| 9 | 112 (LTCG on others) | <input type="checkbox"/> | 20 | (3viii of schedule BFLA) |
| 10 | 115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.) | <input type="checkbox"/> | 30 | (1fi of schedule OS) |
| 11 | 115BBDA (Dividend income from domestic company exceeding | <input type="checkbox"/> | 10 | (1fii of schedule OS) |
| 12 | 115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D) | <input type="checkbox"/> | 60 | (1fiii of schedule OS) |
| 13 | 115BBF (Tax on income from patent) | <input type="checkbox"/> | 10 | (1fiv of schedule OS) |
| 14 | 115AC (Income of a non-resident from bonds or GDR purchased in foreign currency) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 1fv of schedule OS) |
| 15 | Chargeable under DTAA rate | <input type="checkbox"/> | | (part of 1fvi of schedule OS) |
| | | | Total | |

Schedule EI Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income)

| | | | | | | |
|---------------|--|---|---|-----|--|--|
| EXEMPT INCOME | 1 | Interest income | | 1 | | |
| | 2 | Dividend income from domestic company (amount not exceeding Rs. 10 lakh) | | 2 | | |
| | 3 | Long-term capital gains from transactions on which Securities Transaction Tax is paid | | 3 | | |
| | 4 | i | Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules) | i | | |
| | | ii | Expenditure incurred on agriculture | ii | | |
| | | iii | Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years | iii | | |
| iv | | Net Agricultural income for the year (i – ii – iii) (enter nil if loss) | | 4 | | |
| 5 | Others, including exempt income of minor child | | 5 | | | |
| 6 | Total (1+2+3+4+5) | | 6 | | | |

Schedule PTI Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB

| PASS THROUGH INCOME | Sl. | Name of business trust/ investment fund | PAN of the business trust/ investment fund | Sl. | Head of income | Amount of income | TDS on such amount, if any | | | | | |
|---------------------|-----|--|---|-----|-----------------------------|------------------|-------------------------------|----|----------------|------------|--|--|
| | 1. | | | | i | House property | | | | | | |
| ii | | | | | Capital Gains | | | | | | | |
| | | | | | a | Short term | | | | | | |
| | | | | | b | Long term | | | | | | |
| iii | | | | | Other Sources | | | | | | | |
| iv | | | | | Income claimed to be exempt | | | | | | | |
| | | | | | a | u/s 10(23FBB) | | | | | | |
| | | | | | b | u/s | | | | | | |
| | | | | | c | u/s | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | i | House property | | | |
| | | | | | | | | ii | Capital Gains | | | |
| | | | | | | | | | a | Short term | | |
| | | | | | | | | | b | Long term | | |
| | iii | Other Sources | | | | | | | | | | |
| | iv | Income claimed to be exempt | | | | | | | | | | |
| | | a | u/s 10(23FBB) | | | | | | | | | |
| | | b | u/s | | | | | | | | | |
| | | c | u/s | | | | | | | | | |

NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule FSI Details of Income from outside India and tax relief

| Sl. | Country Code | Taxpayer Identification Number | Sl. | Head of income | Income from outside India (included in PART B-TI) | Tax paid outside India | Tax payable on such income under normal provisions in India | Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower | Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A |
|-----|--------------|--------------------------------|-----|----------------|---|------------------------|---|--|--|
| | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |
| 1 | | | i | Salary | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | ii | House Property | | | | | |
| | | | iii | Business or Profession | | | | | |
| | | | iv | Capital Gains | | | | | |
| | | | v | Other sources | | | | | |
| | | | Total | | | | | | |
| 2 | | | i | Salary | | | | | |
| | | | ii | House Property | | | | | |
| | | | iii | Business or Profession | | | | | |
| | | | iv | Capital Gains | | | | | |
| | | | v | Other sources | | | | | |
| | | | Total | | | | | | |

NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule TR Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India

| | | | | | |
|----------|--|--------------------------------|--|--|--|
| 1 | Summary of Tax relief claimed | | | | |
| | Country Code | Taxpayer Identification Number | Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country) | Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country) | Tax Relief Claimed under section (specify 90, 90A or 91) |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Total | | | | |
| 2 | Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of 1(d)) | | | | 2 |
| 3 | Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d)) | | | | 3 |
| 4 | Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below | | | | 4 |
| | a | Amount of tax refunded | b | Assessment year in which tax relief allowed in India | Yes/No |

NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule FA Details of Foreign Assets and Income from any source outside India

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|--|------------------------------|---------------------|--|----------------|----------------------|--|---------------------------------|---|------------------------|-------------------------|
| DETAILS OF FOREIGN ASSETS | A | Details of Foreign Bank Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the previous year | | | | | | | | | | |
| | Sl No | Country Name and Code | Name and Address of the Bank | Account holder name | Status- Owner/ Beneficial owner/ Beneficiary | Account Number | Account opening date | Peak Balance During the Year (in rupees) | Interest accrued in the account | Interest taxable and offered in this return | | |
| | | | | | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|--|
| (ii) | | | | | | | | | |
| G | Details of any other income derived from any source outside India which is not included in,- (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession | | | | | | | | |
| Sl No | Country Name and code | Name and address of the person from whom derived | Income derived | Nature of income | Whether taxable in your hands? | If (6) is yes, Income offered in this return | | | |
| | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| (i) | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | |

NOTE ▶

Please refer to instructions for filling out this schedule. In case of an individual, not being an Indian citizen, who is in India on a business, employment or student visa, an asset acquired during any previous year in which he was non-resident is not mandatory to be reported in this schedule if no income is derived from that asset during the current previous year.

Schedule 5A**Information regarding apportionment of income between spouses governed by Portuguese Civil Code**

| | | | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| Name of the spouse | | | | | |
| PAN of the spouse | | | | | |
| | Heads of Income | Income received under the head | Amount apportioned in the hands of the spouse | Amount of TDS deducted on income at (ii) | TDS apportioned in the hands of spouse |
| | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) |
| 1 | House Property | | | | |
| 2 | Business or profession | | | | |
| 3 | Capital gains | | | | |
| 4 | Other sources | | | | |
| 5 | Total | | | | |

Schedule AL**Asset and Liability at the end of the year (applicable in a case where total income exceeds Rs.50 lakh)**

| | | | | |
|--|---|--|---|-----------------------------|
| DETAILS OF ASSETS AND LIABILITIES | A | Details of immovable asset | | |
| | Sl. No. | Description | Address | Amount (cost) in Rs. |
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| | (i) | | | |
| | (ii) | | | |
| | B | Details of movable asset | | |
| | Sl. No. | Description | | Amount (cost) in Rs. |
| | (1) | (2) | | (3) |
| | (i) | Jewellery, bullion etc. | | |
| | (ii) | Archaeological collections, drawings, painting, sculpture or any work of art | | |
| | (iii) | Vehicles, yachts, boats and aircrafts | | |
| | (iv) | Financial asset | | Amount (cost) in Rs. |
| | (a) | Bank (including all deposits) | | |
| | (b) | Shares and securities | | |
| | (c) | Insurance policies | | |
| (d) | Loans and advances given | | | |
| (e) | Cash in hand | | | |
| C | Interest held in the assets of a firm or association of persons (AOP) as a partner or member thereof | | | |
| Sl. No. | Name and address of the firm(s)/ AOP(s) | PAN of the firm/ AOP | Assessee's investment in the firm/ AOP on cost basis | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| (i) | | | | |

| | | |
|----------|---|--|
| (ii) | | |
| D | Liability in relation to Assets at (A + B + C) | |

NOTE ▶ Please refer to instructions for filling out this schedule.

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORM ITR-3 | INDIAN INCOME TAX RETURN (For individuals and HUFs having income from a proprietary business or profession) (Please see rule 12 of the Income-tax Rules,1962) (Also see attached instructions) | Assessment Year <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">8</td> </tr> </table> | 2 | 0 | 1 | 7 | - | 1 | 8 |
| | 2 | 0 | 1 | 7 | - | 1 | 8 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----------|--|-----|
| PERSONAL INFORMATION | First name | Middle name | Last name | PAN | |
| | Flat/Door/Block No | Name Of Premises/Building/Village | | Status (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> HUF | |
| | Road/Street/Post Office | Date of Birth/Formation (DD/MM/YYYY) | | | |
| | Area/locality | Aadhaar Number (12 digit)/ Aadhaar Enrolment Id (28 digit) (if eligible for Aadhaar) | | | |
| | Town/City/District | State | Pin code | Sex (in case of individual) (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Male <input type="checkbox"/> Female | |
| | Residential/Office Phone Number with STD code / Mobile No. 1 | Mobile No. 2 | | Employer Category (if in employment) (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Govt. <input type="checkbox"/> PSU <input type="checkbox"/> Others | |
| | Email Address-1 (self) | Income Tax Ward/Circle | | | |
| | Email Address-2 | | | | |
| | (a) | Return filed (Tick) [Please see instruction number-7] <input type="checkbox"/> On or Before due date -139(1) <input type="checkbox"/> After due date -139(4) <input type="checkbox"/> Revised Return-139(5), <input type="checkbox"/> Modified return- 92CD <input type="checkbox"/> under section 119(2)(b), or In response to notice <input type="checkbox"/> 139(9)-Defective <input type="checkbox"/> 142(1) <input type="checkbox"/> 148 <input type="checkbox"/> 153A/153C | | | |
| | (b) | If revised/Defective/Modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY) | | | / / |
| (c) | If filed, in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153A/153C enter date of such notice, or u/s 92CD enter date of advance pricing agreement | | | / / | |
| (d) | Residential Status (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Resident <input type="checkbox"/> Non-Resident <input type="checkbox"/> Resident but Not Ordinarily Resident | | | | |
| (e) | Whether any transaction has been made with a person located in a jurisdiction notified u/s 94A of the Act? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | | | |
| (f) | Are you governed by Portuguese Civil Code as per section 5A? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (If "YES" please fill Schedule 5A) | | | | |

| | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|
| FILING STATUS | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|---|-----|
| AUDIT INFORMATION | (g) | Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, furnish following information - | |
| | (1) | Name of the representative | |
| | (2) | Address of the representative | |
| | (3) | Permanent Account Number (PAN) of the representative | |
| | (h) | In case of non-resident, is there a permanent establishment (PE) in India? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | |
| | (a) | Are you liable to maintain accounts as per section 44AA? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | |
| | (b) | Are you liable for audit under section 44AB? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | |
| | (c) | If (b) is Yes, whether the accounts have been audited by an accountant? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If Yes, furnish the following information below | |
| | (1) | Date of furnishing of the audit report (DD/MM/YYYY) | / / |
| | (2) | Name of the auditor signing the tax audit report | |
| (3) | Membership no. of the auditor | | |
| (4) | Name of the auditor (proprietorship/ firm) | | |
| (5) | Proprietorship/firm registration number | | |
| (6) | Permanent Account Number (PAN) of the proprietorship/ firm | | |

For Office Use Only

For Office Use Only

Receipt No.

Date

Seal and Signature of receiving official

| | | |
|-----|--|-------|
| (7) | Date of report of the audit | |
| (d) | If liable to furnish other audit report, mention the date of furnishing the audit report? (DD/MM/YY) (Please see Instruction 6)) | |
| | 92E | 115JC |

NATURE OF BUSINESS NATURE OF BUSINESS OR PROFESSION, IF MORE THAN ONE BUSINESS OR PROFESSION INDICATE THE THREE MAIN ACTIVITIES/ PRODUCTS

| S.No. | Code [Please see instruction No.7(i)] | Trade name of the proprietorship, if any | Description |
|-------|--|--|-------------|
| (i) | | | |
| (ii) | | | |
| (iii) | | | |

Part A-BS BALANCE SHEET AS ON 31ST DAY OF MARCH, 2017 OF THE PROPRIETORY BUSINESS OR PROFESSION (fill items below in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill item 6)

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------|---|
| SOURCES OF FUNDS | 1 | Proprietor's fund | |
| | a | Proprietor's capital | a |
| | b | Reserves and Surplus | |

| | | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|--|
| APPLICATION OF FUNDS | i Revaluation Reserve | | bi | | | |
| | ii Capital Reserve | | bii | | | |
| | iii Statutory Reserve | | biii | | | |
| | iv Any other Reserve | | biv | | | |
| | v Total (bi + bii + biii + biv) | | | bv | | |
| | c Total proprietor's fund (a + bv) | | | | 1c | |
| | 2 Loan funds | | | | | |
| | a Secured loans | | | | | |
| | i Foreign Currency Loans | | ai | | | |
| | ii Rupee Loans | | | | | |
| | A From Banks | | iiA | | | |
| | B From others | | iiB | | | |
| | C Total (iiA + iiB) | | iiC | | | |
| | iii Total (ai + iiC) | | | | aiii | |
| | b Unsecured loans (including deposits) | | | | | |
| | i From Banks | | bi | | | |
| | ii From others | | bii | | | |
| | iii Total (bi + bii) | | | | biii | |
| | c Total Loan Funds (aiii + biii) | | | | 2c | |
| | 3 Deferred tax liability | | | | 3 | |
| 4 Sources of funds (1c + 2c + 3) | | | | 4 | | |
| 1 Fixed assets | | | | | | |
| a Gross: Block | | 1a | | | | |
| b Depreciation | | 1b | | | | |
| c Net Block (a – b) | | 1c | | | | |
| d Capital work-in-progress | | 1d | | | | |
| e Total (1c + 1d) | | | | 1e | | |
| 2 Investments | | | | | | |
| a Long-term investments | | | | | | |
| i Government and other Securities - Quoted | | ai | | | | |
| ii Government and other Securities – Unquoted | | a ii | | | | |
| iii Total (ai + a ii) | | | | aiii | | |
| b Short-term investments | | | | | | |
| i Equity Shares, including share application money | | bi | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|---|------|--|------|
| | ii | Preference Shares | bii | | |
| | iii | Debentures | biii | | |
| | iv | Total (bi + bii + biii) | | | biv |
| | c | Total investments (aiii + biv) | | | 2c |
| 3 Current assets, loans and advances | | | | | |
| | a | Current assets | | | |
| | i | Inventories | | | |
| | A | Stores/consumables including packing material | iA | | |
| | B | Raw materials | iB | | |
| | C | Stock-in-process | iC | | |
| | D | Finished Goods/Traded Goods | iD | | |
| | E | Total (iA + iB + iC + iD) | | | iE |
| | ii | Sundry Debtors | | | aii |
| | iii | Cash and Bank Balances | | | |
| | A | Cash-in-hand | iiiA | | |
| | B | Balance with banks | iiiB | | |
| | C | Total (iiiA + iiiB) | | | iiiC |
| | iv | Other Current Assets | | | aiv |
| | v | Total current assets (iE + aii + iiiC + aiv) | | | av |
| | b | Loans and advances | | | |
| | i | Advances recoverable in cash or in kind or for value to be received | bi | | |
| | ii | Deposits, loans and advances to corporates and others | bii | | |
| | iii | Balance with Revenue Authorities | biii | | |
| | iv | Total (bi + bii + biii) | | | biv |
| | c | Total of current assets, loans and advances (av + biv) | | | 3c |
| | d | Current liabilities and provisions | | | |
| | i | Current liabilities | | | |
| | A | Sundry Creditors | iA | | |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|------|-----|--|------|
| | | B | Liability for Leased Assets | iB | | | |
| | | C | Interest Accrued on above | iC | | | |
| | | D | Interest accrued but not due on loans | iD | | | |
| | | E | Total (iA + iB + iC + iD) | | iE | | |
| | ii | Provisions | | | | | |
| | | A | Provision for Income Tax | iiA | | | |
| | | | | | | | |
| | | B | Provision for Leave encashment/Superannuation/Gratuity | iiB | | | |
| | | C | Other Provisions | ii C | | | |
| | | D | Total (iiA + iiB + iiC) | | iiD | | |
| | iii | Total (iE + ii D) | | | | | diii |
| | | e Net current assets (3c – diii) | | | | | 3e |
| | 4 | a | Miscellaneous expenditure not written off or adjusted | 4a | | | |
| | | b | Deferred tax asset | 4b | | | |
| | | c | Profit and loss account/ Accumulated balance | 4c | | | |
| d | | Total (4a + 4b + 4c) | | 4d | | | |
| 5 Total, application of funds (1e + 2c + 3e +4d) | | | | | 5 | | |
| NO ACCOUNT CASE | 6 In a case where regular books of account of business or profession are not maintained - (furnish the following information as on 31 st day of March,2017, in respect of business or profession) | | | | | | |
| | a | Amount of total sundry debtors | | | 6a | | |
| | b | Amount of total sundry creditors | | | 6b | | |
| | c | Amount of total stock-in-trade | | | 6c | | |
| | d | Amount of the cash balance | | | 6d | | |

Part A-P& L

Profit and Loss Account for the financial year 2016-17(fill items 1 to 52 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill item 53)

| | | | | | |
|-------------------------|---|--|---|--|--|
| PROFIT AND LOSS ACCOUNT | 1 | Revenue from operations | | | |
| | A | Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any) | | | |
| | i | Sale of goods | i | | |

| | | | | | |
|----------|--|--|------|-----|-----------|
| | ii | Sale of services | ii | | |
| | iii | Other operating revenues (<i>specify nature and amount</i>) | | | |
| | a | | iiia | | |
| | b | | iiib | | |
| | c | Total (iiia + iiib) | iiic | | |
| | iv | Total (i + ii + iiic) | | Aiv | |
| B | Gross receipts from Profession | | | | B |
| C | Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied | | | | |
| | i | Union Excise duties | i | | |
| | ii | Service tax | ii | | |
| | iii | VAT/ Sales tax | iii | | |
| | iv | Any other duty, tax and cess | iv | | |
| | v | Total (i + ii + iii + iv) | | Cv | |
| D | Total Revenue from operations (Aiv + B + Cv) | | | | 1D |
| 2 | Other income | | | | |
| | i | Rent | i | | |
| | ii | Commission | ii | | |
| | iii | Dividend income | iii | | |
| | iv | Interest income | iv | | |
| | v | Profit on sale of fixed assets | v | | |
| | vi | Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT) | vi | | |
| | vii | Profit on sale of other investment | vii | | |
| | viii | Profit on account of currency fluctuation | viii | | |
| | ix | Agricultural income | ix | | |
| | x | Any other income (<i>specify nature and amount</i>) | | | |
| | a | | xa | | |
| | b | | xb | | |
| | c | Total (xa + xb) | xc | | |
| | xi | Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + xc) | | 2xi | |
| 3 | Closing Stock | | | | |
| | i | Raw material | 3i | | |
| | ii | Work-in-progress | 3ii | | |

| | | | | | |
|----|---|---|--------|-------|--|
| | iii | Finished goods | 3iii | | |
| | Total (3i + 3ii + 3iii) | | | 3iv | |
| 4 | Total of credits to profit and loss account (1C + 2xi + 3iv) | | | 4 | |
| 5 | Opening Stock | | | | |
| | i | Raw material | 5i | | |
| | ii | Work-in-progress | 5ii | | |
| | iii | Finished goods | 5iii | | |
| | iv | Total (5i + 5ii + 5iii) | | 5iv | |
| 6 | Purchases (net of refunds and duty or tax, if any) | | | 6 | |
| 7 | Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased | | | | |
| | i | Custom duty | 7i | | |
| | ii | Counter veiling duty | 7ii | | |
| | iii | Special additional duty | 7iii | | |
| | iv | Union excise duty | 7iv | | |
| | v | Service tax | 7v | | |
| | vi | VAT/ Sales tax | 7vi | | |
| | vii | Any other tax, paid or payable | 7vii | | |
| | viii | Total (7i + 7ii + 7iii + 7iv + 7v + 7vi + 7vii) | | 7viii | |
| 8 | Freight | | | 8 | |
| 9 | Consumption of stores and spare parts | | | 9 | |
| 10 | Power and fuel | | | 10 | |
| 11 | Rents | | | 11 | |
| 12 | Repairs to building | | | 12 | |
| 13 | Repairs to machinery | | | 13 | |
| 14 | Compensation to employees | | | | |
| | i | Salaries and wages | 14i | | |
| | ii | Bonus | 14ii | | |
| | iii | Reimbursement of medical expenses | 14iii | | |
| | iv | Leave encashment | 14iv | | |
| | v | Leave travel benefits | 14v | | |
| | vi | Contribution to approved superannuation fund | 14vi | | |
| | vii | Contribution to recognised provident fund | 14vii | | |
| | viii | Contribution to recognised gratuity fund | 14viii | | |
| | ix | Contribution to any other fund | 14ix | | |

DEBITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT

| | | | | | |
|----|--|--|-------|----------|----|
| | x | Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred | 14x | | |
| | xi | Total compensation to employees (14i + 14ii + 14iii + 14iv + 14v + 14vi + 14vii + 14viii + 14ix + 14x) | | 14xi | |
| | xii | Whether any compensation, included in 14xi, paid to non-residents | xiiia | Yes / No | |
| | | If Yes, amount paid to non-residents | xiiib | | |
| 15 | Insurance | | | | |
| | i | Medical Insurance | 15i | | |
| | ii | Life Insurance | 15ii | | |
| | iii | Keyman's Insurance | 15iii | | |
| | iv | Other Insurance including factory, office, car, goods, etc. | 15iv | | |
| | v | Total expenditure on insurance (15i + 15ii + 15iii + 15iv) | | 15v | |
| 16 | Workmen and staff welfare expenses | | | | 16 |
| 17 | Entertainment | | | | 17 |
| 18 | Hospitality | | | | 18 |
| 19 | Conference | | | | 19 |
| 20 | Sales promotion including publicity (other than advertisement) | | | | 20 |
| 21 | Advertisement | | | | 21 |
| 22 | Commission | | | | |
| | i | Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company | i | | |
| | ii | To others | ii | | |
| | iii | Total (i + ii) | | 22iii | |
| 23 | Royalty | | | | |
| | i | Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company | i | | |
| | ii | To others | ii | | |
| | iii | Total (i + ii) | | 23iii | |
| 24 | Professional / Consultancy fees / Fee for technical services | | | | |
| | i | Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company | i | | |
| | ii | To others | ii | | |
| | iii | Total (i + ii) | | 24iii | |
| 25 | Hotel, boarding and Lodging | | | | 25 |
| 26 | Traveling expenses other than on foreign traveling | | | | 26 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|--|
| 27 | Foreign travelling expenses | | | | | | | | | | 27 | |
| 28 | Conveyance expenses | | | | | | | | | | 28 | |
| 29 | Telephone expenses | | | | | | | | | | 29 | |
| 30 | Guest House expenses | | | | | | | | | | 30 | |
| 31 | Club expenses | | | | | | | | | | 31 | |
| 32 | Festival celebration expenses | | | | | | | | | | 32 | |
| 33 | Scholarship | | | | | | | | | | 33 | |
| 34 | Gift | | | | | | | | | | 34 | |
| 35 | Donation | | | | | | | | | | 35 | |
| 36 | Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income) | | | | | | | | | | | |
| | i | Union excise duty | | | | | | | | 36i | | |
| | ii | Service tax | | | | | | | | 36ii | | |
| | iii | VAT/ Sales tax | | | | | | | | 36iii | | |
| | iv | Cess | | | | | | | | 36iv | | |
| | v | Any other rate, tax, duty or cess incl STT and CTT | | | | | | | | 36v | | |
| | vi | Total rates and taxes paid or payable (36i + 36ii + 36iii + 36iv + 36v) | | | | | | | | 36vi | | |
| 37 | Audit fee | | | | | | | | | | 37 | |
| 38 | Other expenses (specify nature and amount) | | | | | | | | | | | |
| | i | | | | | | | | | i | | |
| | ii | | | | | | | | | ii | | |
| | iii | Total (i + ii) | | | | | | | | 38iii | | |
| 39 | Bad debts (specify PAN of the person, if available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount) | | | | | | | | | | | |
| | i | | | | | | | | | | 39i | |
| | ii | | | | | | | | | | 39ii | |
| | iii | | | | | | | | | | 39iii | |
| | iv | Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN is not available | | | | | | | | 39iv | | |
| | v | Others (amounts less than Rs. 1 lakh) | | | | | | | | 39v | | |
| | vi | Total Bad Debt (39i + 39ii + 39iii + 39iv + 39v) | | | | | | | | 39vi | | |
| 40 | Provision for bad and doubtful debts | | | | | | | | | | 40 | |
| 41 | Other provisions | | | | | | | | | | 41 | |
| 42 | Profit before interest, depreciation and taxes [4 – (5iv + 6 + 7viii + 8 to 13 + 14xi + 15v + 16 to 21 + 22iii + 23iii + 24iii + 25 to 35 + 36vi + 37 + 38iii + 39vi + 40 + 41)] | | | | | | | | | | 42 | |
| 43 | Interest | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|-------------------------------------|----|----------|
| | i | Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company | i | | |
| | ii | To others | ii | | |
| | iii | Total (i + ii) | | | 43iii |
| PROVISIONS FOR TAX AND APPROPRIATIONS | 44 | Depreciation and amortisation | | | 44 |
| | 45 | Profit before taxes (42 - 43iii - 44) | | | 45 |
| | 46 | Provision for current tax | | | 46 |
| | 47 | Provision for Deferred Tax and deferred liability | | | 47 |
| | 48 | Profit after tax (45 - 46 - 47) | | | 48 |
| | 49 | Balance brought forward from previous year | | | 49 |
| | 50 | Amount available for appropriation (48 + 49) | | | 50 |
| | 51 | Transferred to reserves and surplus | | | 51 |
| 52 | Balance carried to balance sheet in proprietor's account (50 - 51) | | | 52 | |
| NO ACCOUNT CASE | 53 | In a case where regular books of account of business or profession are not maintained, furnish the following information for previous year 2016-17 in respect of business or profession | | | |
| | | (i) | For assessee carrying on Business | | |
| | | a | Gross receipts | | 53(i)a |
| | | b | Gross profit | | 53(i)b |
| | | c | Expenses | | 53(i)c |
| | | d | Net profit | | 53(i)d |
| | | (ii) | For assessee carrying on Profession | | |
| | | a | Gross receipts | | 53 (ii)a |
| | | b | Gross profit | | 53 (ii)b |
| | | c | Expenses | | 53 (ii)c |
| | | d | Net profit | | 53 (ii)d |
| | | | Total (53(i)d + 53(ii)d) | | 53 |

Part A- OI

Other Information (optional in a case not liable for audit under section 44AB)

| | | | |
|-------------------|---|---|---|
| OTHER INFORMATION | 1 | Method of accounting employed in the previous year (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mercantile <input type="checkbox"/> cash | |
| | 2 | Is there any change in method of accounting (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | |
| | 3 | Effect on the profit because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column 11(iii) of Schedule ICDS] | 3 |

| | | | |
|--|--|----|--------------------------|
| 4 Method of valuation of closing stock employed in the previous year | | | |
| a | Raw Material (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3) | | <input type="checkbox"/> |
| b | Finished goods (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3) | | <input type="checkbox"/> |
| c | Is there any change in stock valuation method (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | |
| d | Effect on the profit or loss because of deviation, if any, from the method of valuation prescribed under section 145A | 4d | |
| 5 Amounts not credited to the profit and loss account, being - | | | |
| a | the items falling within the scope of section 28 | 5a | |
| b | the proforma credits, drawbacks, refund of duty of customs or excise or service tax, or refund of sales tax or value added tax, where such credits, drawbacks or refunds are admitted as due by the authorities concerned | 5b | |
| c | escalation claims accepted during the previous year | 5c | |
| d | any other item of income | 5d | |
| e | capital receipt, if any | 5e | |
| f | Total of amounts not credited to profit and loss account (5a+5b+5c+5d+5e) | 5f | |
| 6 Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 due to non-fulfilment of conditions specified in relevant clauses | | | |
| a | Premium paid for insurance against risk of damage or destruction of stocks or store [36(1)(i)] | 6a | |
| b | Premium paid for insurance on the health of employees [36(1)(ib)] | 6b | |
| c | Any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such sum was otherwise payable to him as profits or dividend [36(1)(ii)] | 6c | |
| d | Any amount of interest paid in respect of borrowed capital [36(1)(iii)] | 6d | |
| e | Amount of discount on a zero-coupon bond [36(1)(iia)] | 6e | |
| f | Amount of contributions to a recognised provident fund [36(1)(iv)] | 6f | |
| g | Amount of contributions to an approved superannuation fund [36(1)(iv)] | 6g | |
| h | Amount of contribution to a pension scheme referred to in section 80CCD [36(1)(iva)] | 6h | |
| i | Amount of contributions to an approved gratuity fund [36(1)(v)] | 6i | |
| j | Amount of contributions to any other fund | 6j | |
| k | Any sum received from employees as contribution to any provident fund or superannuation fund or any fund set up under ESI Act or any other fund for the welfare of employees to the extent not credited to the employees account on or before the due date [36(1)(va)] | 6k | |
| l | Amount of bad and doubtful debts [36(1)(vii)] | 6l | |
| m | Provision for bad and doubtful debts [36(1)(vii)] | 6m | |
| n | Amount transferred to any special reserve [36(1)(viii)] | 6n | |
| o | Expenditure for the purposes of promoting family planning amongst employees [36(1)(ix)] | 6o | |
| p | Amount of securities transaction paid in respect of transaction in securities if such income is not included in business income [36(1)(xv)] | 6p | |
| q | Any other disallowance | 6q | |
| r | Total amount disallowable under section 36 (total of 6a to 6q) | 6r | |
| 7 Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37 | | | |
| a | Expenditure of capital nature [37(1)] | 7a | |
| b | Expenditure of personal nature [37(1)] | 7b | |

| | | | | | |
|----|---|--|-----|-----|----|
| | c | Expenditure laid out or expended wholly and exclusively NOT for the purpose of business or profession [37(1)] | 7c | | |
| | d | Expenditure on advertisement in any souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like, published by a political party [37(2B)] | 7d | | |
| | e | Expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being in force | 7e | | |
| | f | Any other penalty or fine | 7f | | |
| | g | Expenditure incurred for any purpose which is an offence or which is prohibited by law | 7g | | |
| | h | Amount of any liability of a contingent nature | 7h | | |
| | i | Any other amount not allowable under section 37 | 7i | | |
| | j | Total amount disallowable under section 37 (total of 7a to 7i) | | 7j | |
| 8 | A | Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40 | | | |
| | a | Amount disallowable under section 40 (a)(i), on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B | Aa | | |
| | b | Amount disallowable under section 40(a)(ia) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B | Ab | | |
| | c | Amount disallowable under section 40(a)(ib), on account of non-compliance with the provisions of Chapter VIII of the Finance Act, 2016 | Ac | | |
| | d | Amount disallowable under section 40(a)(iii) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B | Ad | | |
| | e | Amount of tax or rate levied or assessed on the basis of profits [40(a)(ii)] | Ae | | |
| | f | Amount paid as wealth tax [40(a)(iia)] | Af | | |
| | g | Amount paid by way of royalty, license fee, service fee etc. as per section 40(a)(iib) | Ag | | |
| | h | Amount of interest, salary, bonus, commission or remuneration paid to any partner or member [40(b)] | Ah | | |
| | i | Any other disallowance | Ai | | |
| | j | Total amount disallowable under section 40(total of Aa to Ai) | | 8Aj | |
| | B | Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year | | | 8B |
| 9 | Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A | | | | |
| | a | Amounts paid to persons specified in section 40A(2)(b) | 9a | | |
| | b | Amount paid in excess of twenty thousand rupees otherwise than by account payee cheque or account payee bank draft under section 40A(3) – 100% disallowable | 9b | | |
| | c | Provision for payment of gratuity [40A(7)] | 9c | | |
| | d | any sum paid by the assessee as an employer for setting up or as contribution to any fund, trust, company, AOP, or BOI or society or any other institution [40A(9)] | 9d | | |
| | e | Any other disallowance | 9e | | |
| | f | Total amount disallowable under section 40A | | 9f | |
| 10 | Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year | | | | |
| | a | Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law | 10a | | |
| | b | Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees | 10b | | |
| | c | Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered | 10c | | |
| | d | Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation | 10d | | |

| | | | | | |
|----|--|--|-----|-----|----|
| | e | Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank | 10e | | |
| | f | Any sum payable towards leave encashment | 10f | | |
| | g | Total amount allowable under section 43B (total of 10a to 10f) | | 10g | |
| 11 | Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B | | | | |
| | a | Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law | 11a | | |
| | b | Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees | 11b | | |
| | c | Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered | 11c | | |
| | d | Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation | 11d | | |
| | e | Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank | 11e | | |
| | f | Any sum payable towards leave encashment | 11f | | |
| | g | Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets | 11g | | |
| | h | Total amount disallowable under Section 43B (total of 11a to 11g) | | 11h | |
| 12 | Amount of credit outstanding in the accounts in respect of | | | | |
| | a | Union Excise Duty | 12a | | |
| | b | Service tax | 12b | | |
| | c | VAT/sales tax | 12c | | |
| | d | Any other tax | 12d | | |
| | e | Total amount outstanding (total of 12a to 12d) | | 12e | |
| 13 | Amounts deemed to be profits and gains under section 33AB or 33ABA | | | | 13 |
| 14 | Any amount of profit chargeable to tax under section 41 | | | | 14 |
| 15 | Amount of income or expenditure of prior period credited or debited to the profit and loss account (net) | | | | 15 |

Part A – QD Quantitative details (optional in a case not liable for audit under section 44AB)

| | | | | |
|----------------------|--|-----------------------------------|--|----|
| QUANTITATIVE DETAILS | (a) In the case of a trading concern | | | |
| | 1 | Opening stock | 1 | |
| | 2 | Purchase during the previous year | 2 | |
| | 3 | Sales during the previous year | 3 | |
| | 4 | Closing stock | 4 | |
| | 5 | Shortage/ excess, if any | 5 | |
| | (b) In the case of a manufacturing concern | | | |
| | 6 | Raw materials | | |
| | | a | Opening stock | 6a |
| | | b | Purchases during the previous year | 6b |
| | | c | Consumption during the previous year | 6c |
| | | d | Sales during the previous year | 6d |
| | | e | Closing stock | 6e |
| | | f | Yield finished products | 6f |
| | | g | Percentage of yield | 6g |
| | | h | Shortage/ excess, if any | 6h |
| | 7 | Finished products/ By-products | | |
| | | a | opening stock | 7a |
| | | b | purchase during the previous year | 7b |
| | | c | quantity manufactured during the previous year | 7c |
| | d | sales during the previous year | 7d | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------|----|--|
| | e | closing stock | 7e | |
| | f | shortage/ excess, if any | 7f | |

Part B – TI Computation of total income

| | | | | | |
|--------------|---|--|--|---|--------------|
| TOTAL INCOME | 1 | Salaries (6of Schedule S) | | 1 | |
| | 2 | Income from house property (3b of Schedule-HP) (enter nil if loss) | | 2 | |
| | 3 | Profits and gains from business or profession | | | |
| | | i | Profit and gains from business other than speculative business and specified business (A37 of Schedule-BP) (enter nil if loss) | 3i | |
| | | ii | Profit and gains from speculative business (B41 of Schedule BP) (enter nil if loss and take the figure to schedule CFL) | 3ii | |
| | | iii | Profit and gains from specified business (C47 of Schedule BP) (enter nil if loss and take the figure to schedule CFL) | 3iii | |
| | | iv | Income from patent u/s 115BBF (3e of Schedule BP) | 3iv | |
| | | v | Total (3i + 3ii + 3iii + 3iv) (enter nil if 3v is a loss) | 3v | |
| | 4 | Capital gains | | | |
| | | a | Short term | | |
| | | | i | Short-term chargeable @ 15% (7ii of item E of schedule CG) | ai |
| | | | ii | Short-term chargeable @ 30% (7iii of item E of schedule CG) | a ii |
| | | | iii | Short-term chargeable at applicable rate (7iv of item E of schedule CG) | a iii |
| | | | iv | Total Short-term (ai + a ii + a iii) | 4aiv |
| | | b | Long-term | | |
| | | i | Long-term chargeable @ 10% (7v of item E of schedule CG) | bi | |
| | | ii | Long-term chargeable @ 20% (7vi of item E of schedule CG) | bii | |
| | | iii | Total Long-term (bi + bii) (enter nil if loss) | 4biii | |
| | c | Total capital gains (4aiv + 4biii) (enter nil if loss) | | 4c | |
| 5 | Income from other sources | | | | |
| | a | from sources other than from owning race horses and income chargeable to tax at special rate (1i of Schedule OS) (enter nil if loss) | 5a | | |
| | b | Income chargeable to tax at special rate (1fvii of Schedule OS) | 5b | | |
| | c | from the activity of owning and maintaining race horses (3c of Schedule OS) (enter nil if loss) | 5c | | |
| | d | Total (5a + 5b + 5c) (enter nil if loss) | 5d | | |
| 6 | Total (1 + 2 + 3v +4c +5d) | | 6 | | |
| 7 | Losses of current year to be set off against 6 (total of 2xiv,3xiv and 4xiv of Schedule CYLA) | | 7 | | |
| 8 | Balance after set off current year losses (6 – 7) (total of column 5 of Schedule CYLA+5b) | | 8 | | |
| 9 | Brought forward losses to be set off against 8 (total of 2xiii, 3xiii and 4xiii of Schedule BFLA) | | 9 | | |
| 10 | Gross Total income (8-9) (5xiv of Schedule BFLA+ 5b) | | 10 | | |
| 11 | Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112 etc. included in 10 | | 11 | | |
| 12 | Deduction u/s 10A or 10AA (c of Sch. 10A + c of Sch. 10AA) | | 12 | | |
| 13 | Deductions under Chapter VI-A | | | | |
| | a | Part-B, CA and D of Chapter VI-A [(1 + 3) of Schedule VI-A and limited upto (10-11)] | 13a | | |
| | b | Part-C of Chapter VI-A [(2 of Schedule VI-A and limited upto (10-11-3iii)] | 13b | | |
| | c | Total (13a + 13b) [limited upto (10-11)] | 13c | | |
| 14 | Total income (10 - 12-13c) | | 14 | | |
| 15 | Income which is included in 14 and chargeable to tax at special rates (total of (i) of schedule SI) | | 15 | | |

| | | | |
|----|--|----|--|
| 16 | Net agricultural income/ any other income for rate purpose (4 of Schedule EI) | 16 | |
| 17 | Aggregate income (14-15+16) [applicable if (14-15) exceeds maximum amount not chargeable to tax] | 17 | |
| 18 | Losses of current year to be carried forward (total of row xi of Schedule CFL) | 18 | |

Part B – TTI Computation of tax liability on total income

| | | | | | | | |
|------------------------------|----|---|---|--------|----|--|--|
| COMPUTATION OF TAX LIABILITY | 1 | a | Tax payable on deemed total income under section 115JC (4 of Schedule AMT) | | 1a | | |
| | | b | Surcharge on (a) (applicable if 3 of schedule AMT exceeds 1 crore) | | 1b | | |
| | | c | Education Cess, including secondary and higher education cess on (1a+1b) above | | 1c | | |
| | | d | Total Tax Payable on deemed total income (1a+1b+1c) | | 1d | | |
| | 2 | Tax payable on total income | | | | | |
| | | a | Tax at normal rates on 17 of Part B-TI | | 2a | | |
| | | b | Tax at special rates (total of (ii) of Schedule-SI) | | 2b | | |
| | | c | Rebate on agricultural income [applicable if (14-15) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax] | | 2c | | |
| | | d | Tax Payable on Total Income (2a + 2b – 2c) | | 2d | | |
| | | e | Rebate under section 87A (applicable if 14 of Part B-TI does not exceed 5 lakh) | | 2e | | |
| | f | Tax payable after rebate (2d – 2e) | | 2f | | | |
| | g | Surcharge | | | | | |
| | | i | 25% of 13(ii) of Schedule SI | 2gi | | | |
| | | | | 2g(ii) | | | |
| | | ii | On [(2f) – (13(ii) of Schedule SI)] (applicable if 14 of Part B-TI exceeds 1 crore) | 2gii | | | |
| | | iii | Total (i + ii) | 2giii | | | |
| | h | Education cess, including secondary and higher education cess on (2f + 2giii) | | 2h | | | |
| | i | Gross tax liability (2f + 2giii + 2h) | | 2i | | | |
| | 3 | Gross tax payable (higher of 1d and 2i) | | 3 | | | |
| | 4 | Credit under section 115JD of tax paid in earlier years (applicable if 2i is more than 1d) (5 of Schedule AMTC) | | 4 | | | |
| | 5 | Tax payable after credit under section 115JD (3 - 4) | | 5 | | | |
| | 6 | Tax relief | | | | | |
| | | a | Section 89 | 6a | | | |
| | | b | Section 90/ 90A (2 of Schedule TR) | 6b | | | |
| | | c | Section 91 (3 of Schedule TR) | 6c | | | |
| | | d | Total (6a + 6b+ 6c) | 6d | | | |
| | 7 | Net tax liability (5 - 6d) (enter zero if negative) | | 7 | | | |
| | 8 | Interest payable | | | | | |
| | | a | For default in furnishing the return (section 234A) | 8a | | | |
| | | b | For default in payment of advance tax (section 234B) | 8b | | | |
| | | c | For deferment of advance tax (section 234C) | 8c | | | |
| | | d | Total Interest Payable (8a+8b+8c) | 8d | | | |
| | 9 | Aggregate liability (7 + 8d) | | 9 | | | |
| TAXES PAID | 10 | Taxes Paid | | | | | |
| | | a | Advance Tax (from column 5 of 18A) | 10a | | | |
| | | b | TDS (total of column 5 of 18B and column 8 of 18C) | 10b | | | |
| | | c | TCS (column 7 of 18D) | 10c | | | |
| | | d | Self-Assessment Tax (from column 5 of 18A) | 10d | | | |
| | e | Total Taxes Paid (10a+10b+10c+10d) | | 10e | | | |
| | 11 | Amount payable (Enter if 9 is greater than 10e, else enter 0) | | 11 | | | |
| | 12 | Refund (If 10e is greater than 9) (Refund, if any, will be directly credited into the bank account) | | 12 | | | |
| | 13 | Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts) | | | | | |

| | | | | Fin. Year in which deducted | Amount b/f | | in own hands | in the hands of spouse, if section 5A is applicable | |
|--|--|--|--------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|--|--|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| i | | | | | | | | | |
| ii | | | | | | | | | |
| NOTE ▶ Please enter total of column 5 of Schedule-TDS1 and column 8 of Schedule-TDS2 in 10b of Part B-TTI | | | | | | | | | |
| D | Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)] | | | | | | | | |
| TDS ON OTHER INCOME | Sl. No. | Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector | Name of the Collector | Unclaimed TCS brought forward (b/f) | | TCS of the current fin. year | Amount out of (5) or (6) being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year) | Amount out of (5) or (6) being carried forward | |
| | (1) | (2) | (3) | Fin. Year in which collected | Amount b/f | (6) | (7) | (8) | |
| | i | | | | | | | | |
| | ii | | | | | | | | |
| NOTE ▶ Please enter total of column (7) of Schedule-TDS in 10c of Part B-TTI | | | | | | | | | |

NOTE: PLEASE FILL SCHEDULES TO THE RETURN FORM (PAGES S1-S20) AS APPLICABLE

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)

| Schedule S | | Details of Income from Salary | | |
|-------------------|---------------------|---|-----------|----------------------------|
| SALARIES | Name of Employer | | | PAN of Employer (optional) |
| | Address of employer | | Town/City | State |
| | Pin code | | | |
| | 1 | Salary (Excluding all exempt/ non-exempt allowances, perquisites & profit in lieu of salary as they are shown separately below) | | 1 |
| | 2 | Allowances not exempt (refer Form 16 from employer) | | 2 |
| | 3 | Value of perquisites (refer Form 16 from employer) | | 3 |
| | 4 | Profits in lieu of salary (refer Form 16 from employer) | | 4 |
| | 5 | Deduction u/s 16 (Entertainment allowance by Government and tax on employment) | | 5 |
| | 6 | Income chargeable under the Head 'Salaries' (1 + 2 + 3 + 4 - 5) | | 6 |
| | 7 | Allowances exempt under section 10 (Not to be included in 6 above) | | 7 |
| | i | Travel concession/assistance received [(sec. 10(5))] | 7i | |
| | ii | Tax paid by employer on non-monetary perquisite [(sec. 10(10CC))] | 7ii | |
| | iii | Allowance to meet expenditure incurred on house rent [(sec. 10(13A))] | 7iii | |
| | iv | Other allowances | 7iv | |

| Schedule HP | | Details of Income from House Property (Please refer to instructions) | | | |
|--|--|---|---------------------|-----------------------------|------------------------------|
| HOUSE PROPERTY | 1 | Address of property 1 | | Town/ City | State |
| | PIN Code | | | | |
| | Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details) | | | | |
| | Your percentage of share in the property. <input type="text"/> | | | | |
| | Name of Co-owner(s) | | PAN of Co-owner (s) | | Percentage Share in Property |
| | I | | | | |
| | II | | | | |
| (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> if let out <input type="checkbox"/> deemed let out <input type="checkbox"/> | | Name(s) of Tenant (if let out) | | PAN of Tenant(s) (optional) | |
| | | I | | | |
| | | II | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|------------|---|----------|
| | a | Annual lettable value or rent received or receivable (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two if let out for part of the year) | | 1a | |
| | b | The amount of rent which cannot be realized | 1b | | |
| | c | Tax paid to local authorities | 1c | | |
| | d | Total (1b + 1c) | 1d | | |
| | e | Annual value (1a – 1d) (nil, if self-occupied etc. as per section 23(2) of the Act) | | 1e | |
| | f | Annual value of the property owned (own percentage share x 1e) | | 1f | |
| | g | 30% of 1f | 1g | | |
| | h | Interest payable on borrowed capital | 1h | | |
| | i | Total (1g+ 1h) | | 1i | |
| | j | Income from house property 1 (1f – 1i) | | 1j | |
| 2 | Address of property 2 | | Town/ City | State | PIN Code |
| Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details) | | | | | |
| Your percentage of share in the property <input type="text"/> | | | | | |
| Name of Co-owner(s) | | PAN of Co-owner (s) | | Percentage Share in Property (optional) | |
| I | | | | | |
| II | | | | | |
| (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> if let out <input type="checkbox"/> deemed let out <input type="checkbox"/> | | Name(s) of Tenant (if let out) | | PAN(s) of Tenant (optional) | |
| | | I | | | |
| | | II | | | |
| a | Annual lettable value or rent received or receivable (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two, if let out for part of the year) | | 2a | | |
| b | The amount of rent which cannot be realized | 2b | | | |
| c | Tax paid to local authorities | 2c | | | |
| d | Total (2b + 2c) | 2d | | | |
| e | Annual value (2a – 2d) | | 2e | | |
| f | Annual value of the property owned (own percentage share x 2e) | | 2f | | |
| g | 30% of 2f | 2g | | | |
| h | Interest payable on borrowed capital | 2h | | | |
| i | Total (2g + 2h) | | 2i | | |
| j | Income from house property 2 (2f – 2i) | | 2j | | |
| 3 | Income under the head "Income from house property" | | | | |
| a | Unrealized rent and Arrears of rent received during the year under section 25A after deducting 30% | | 3a | | |
| b | Total (1j + 2j + 3a) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA) | | 3b | | |

NOTE ▶ Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI while computing the income under this head

Schedule BP Computation of income from business or profession

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|---------------|----------------|----|
| INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION | A From business or profession other than speculative business and specified business | | | | | |
| | 1 | Profit before tax as per profit and loss account (item 45 and 53 of Part A-P&L) | | 1 | | |
| | 2a | Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter –ve sign in case of loss) | | 2a | | |
| | 2b | Net profit or Loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter –ve sign in case of loss) | | 2b | | |
| | 3 | Income/ receipts credited to profit and loss account considered under other heads of income/chargeable u/s 115BBF | | a | Salaries | 3a |
| | | | | b | House property | 3b |
| | | | | c | Capital gains | 3c |
| d | | | | Other sources | 3d | |

| | | | | | | |
|----|---|--|------------|----------------|-------|--|
| | | e | u/s 115BBF | 3e | | |
| 4 | Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44AD/44ADA/44AE/44B/44BB/44BBA/44BBB/44D/44DA/Chapter-XII-G/ First Schedule of Income-tax Act | | | | 4 | |
| 5 | Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt | | | | | |
| | a | Share of income from firm(s) | | 5a | | |
| | b | Share of income from AOP/ BOI | | 5b | | |
| | c | Any other exempt income (specify nature and amount) | | | | |
| | i | | | ci | | |
| | ii | | | cii | | |
| | iii | Total (ci + cii) | | 5ciii | | |
| | d | Total exempt income (5a + 5b + 5ciii) | | | 5d | |
| 6 | Balance (1- 2a - 2b - 3a - 3b - 3c - 3d - 3e - 4- 5d) | | | | 6 | |
| 7 | Expenses debited to profit and loss account considered under other heads of income/related to income chargeable u/s 115BBF | | a | Salaries | 7a | |
| | | | b | House property | 7b | |
| | | | c | Capital gains | 7c | |
| | | | d | Other sources | 7d | |
| | | | e | u/s 115BBF | 7e | |
| 8 | Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income | | | | 8 | |
| 9 | Total (7a + 7b + 7c + 7d + 7e + 8) | | | | 9 | |
| 10 | Adjusted profit or loss (6+9) | | | | 10 | |
| 11 | Depreciation and amortisation debited to profit and loss account | | | | 11 | |
| 12 | Depreciation allowable under Income-tax Act | | | | | |
| | i | Depreciation allowable under section 32(1)(ii) and 32(1)(iia) (item 6 of Schedule-DEP) | | 12i | | |
| | ii | Depreciation allowable under section 32(1)(i) (Make your own computation refer Appendix-IA of IT Rules) | | 12ii | | |
| | iii | Total (12i + 12ii) | | | 12iii | |
| 13 | Profit or loss after adjustment for depreciation (10 +11 - 12iii) | | | | 13 | |
| 14 | Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 (6r of PartA-OI) | | | 14 | | |
| 15 | Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37 (7j of PartA-OI) | | | 15 | | |
| 16 | Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40 (8Aj of PartA-OI) | | | 16 | | |
| 17 | Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A (9f of PartA-OI) | | | 17 | | |
| 18 | Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B (11h of PartA-OI) | | | 18 | | |
| 19 | Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act,2006 | | | 19 | | |
| 20 | Deemed income under section 41 | | | 20 | | |
| 21 | Deemed income under section 32AD/ 33AB/ 33ABA/ 35ABA/35ABB/ 40A(3A)/ 72A/80HHD/ 80-IA | | | 21 | | |
| 22 | Deemed income under section 43CA | | | 22 | | |
| 23 | Any other item of addition under section 28 to 44DA | | | 23 | | |
| 24 | Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which individual/HUF/prop. concern is a partner) | | | 24 | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--------|----------------------|--|
| 25 | Total (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24) | | | 25 | |
| 26 | Deduction allowable under section 32(1)(iii) | | 26 | | |
| 27 | Deduction allowable under section 32AD | | 27 | | |
| 28 | Amount of deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD in excess of the amount debited to profit and loss account (item x(4) of Schedule ESR) (if amount deductible under section 35 or 35CCC or 35CCD is lower than amount debited to P&L account, it will go to item 24) | | 28 | | |
| 29 | Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year(8B of PartA-OI) | | 29 | | |
| 30 | Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year(10g of PartA-OI) | | 30 | | |
| 31 | Deduction under section 35AC | | | | |
| | a | Amount, if any, debited to profit and loss account | 31a | | |
| | b | Amount allowable as deduction | 31b | | |
| | c | Excess amount allowable as deduction | 31c | | |
| 32 | Any other amount allowable as deduction | | 32 | | |
| 33 | Total (26 + 27+28 +29 +30 + 31c+32) | | | 33 | |
| 34 | Income (13 + 25 - 33) | | | 34 | |
| 35 | Profits and gains of business or profession deemed to be under - | | | | |
| | i | Section 44AD | 35i | | |
| | ii | Section 44ADA | 35ii | | |
| | iii | Section 44AE | 35iii | | |
| | iv | Section 44B | 35iv | | |
| | v | Section 44BB | 35v | | |
| | vi | Section 44BBA | 35vi | | |
| | vii | Section 44BBB | 35vii | | |
| | viii | Section 44D | 35viii | | |
| | ix | Section 44DA | 35ix | (item 4 of Form 3CE) | |
| | x | First Schedule of Income-tax Act | 35x | | |
| | xi | Total (35i to 35 x) | | 35xi | |
| 36 | Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business (34 + 35xi) | | | 36 | |
| 37 | Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rule 7A, 7B or 8, if applicable (If rule 7A, 7B or 8 is not applicable, enter same figure as in 36) (If loss take the figure to 2i of item E) | | | A37 | |
| B Computation of income from speculative business | | | | | |
| 38 | Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account | | | 38 | |
| 39 | Additions in accordance with section 28 to 44DA | | | 39 | |
| 40 | Deductions in accordance with section 28 to 44DA | | | 40 | |
| 41 | Income from speculative business (38 + 39 - 40) (if loss, take the figure to 6xi of schedule CFL) | | | B41 | |
| C Computation of income from specified business under section 35AD | | | | | |
| 42 | Net profit or loss from specified business as per profit or loss account | | | 42 | |
| 43 | Additions in accordance with section 28 to 44DA | | | 43 | |

| | | | | | | |
|----|--|---|--|-----------------------|---|--|
| 44 | Deductions in accordance with section 28 to 44DA (other than deduction under section,- (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed) | | | 44 | | |
| 45 | Profit or loss from specified business (42 + 43 - 44) | | | 45 | | |
| 46 | Deductions in accordance with section 35AD(1) or 35AD(1A) | | | 46 | | |
| 47 | Income from Specified Business (45 - 46) (if loss, take the figure to 7xi of schedule CFL) | | | C47 | | |
| D | Income chargeable under the head 'Profits and gains from business or profession' (A37+B41+C47) | | | | D | |
| E | Intra head set off of business loss of current year | | | | | |
| | Sl. | Type of Business income | Income of current year (Fill this column only if figure is zero or positive) | Business loss set off | Business income remaining after set off | |
| | | | (1) | (2) | (3) = (1) - (2) | |
| | i | Loss to be set off (Fill this row only if figure is negative) | | (A37) | | |
| | ii | Income from speculative business | (B41) | | | |
| | iii | Income from specified business | (C47) | | | |
| | iv | Total loss set off (ii + iii) | | | | |
| | v | Loss remaining after set off (i - iv) | | | | |

NOTE ▶ Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI while computing the income under this head

Schedule DPM

Depreciation on Plant and Machinery (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|------|-------|------|-----|------|-------|
| DEPRECIATION ON PLANT AND MACHINERY | 1 | Block of assets | Plant and machinery | | | | | | |
| | 2 | Rate (%) | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| | | | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | (vii) |
| | 3 | Written down value on the first day of previous year | | | | | | | |
| | 4 | Additions for a period of 180 days or more in the previous year | | | | | | | |
| | 5 | Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4 | | | | | | | |
| | 6 | Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 - 5) (enter 0, if result is negative) | | | | | | | |
| | 7 | Additions for a period of less than 180 days in the previous year | | | | | | | |
| | 8 | Consideration or other realizations during the year out of 7 | | | | | | | |
| | 9 | Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative) | | | | | | | |
| | 10 | Depreciation on 6 at full rate | | | | | | | |
| | 11 | Depreciation on 9 at half rate | | | | | | | |
| | 12 | Additional depreciation, if any, on 4 | | | | | | | |
| 13 | Additional depreciation, if any, on 7 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 14 | Additional depreciation relating to immediately preceding year' on asset put to use for less than 180 days | | | | | | | |
| 15 | Total depreciation (10+11+12+13+14) | | | | | | | |
| 16 | Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets | | | | | | | |
| 17 | Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3-4 -7 -16) (enter negative only if block ceases to exist) | | | | | | | |
| 18 | Written down value on the last day of previous year (6+ 9 -15) (enter 0 if result is negative) | | | | | | | |

Schedule DOA Depreciation on other assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction)

| 1 | Block of assets | Building | | | Furniture and fittings | Intangible assets | Ships |
|----|--|----------|------|-------|------------------------|-------------------|-------|
| | | 5 | 10 | 100 | 10 | 25 | 20 |
| | | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) |
| 3 | Written down value on the first day of previous year | | | | | | |
| 4 | Additions for a period of 180 days or more in the previous year | | | | | | |
| 5 | Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4 | | | | | | |
| 6 | Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 -5) (enter 0, if result is negative) | | | | | | |
| 7 | Additions for a period of less than 180 days in the previous year | | | | | | |
| 8 | Consideration or other realizations during the year out of 7 | | | | | | |
| 9 | Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative) | | | | | | |
| 10 | Depreciation on 6 at full rate | | | | | | |
| 11 | Depreciation on 9 at half rate | | | | | | |
| 12 | Total depreciation (10+11) | | | | | | |
| 13 | Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets | | | | | | |
| 14 | Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3-4 -7 -13) (enter negative only if block ceases to exist) | | | | | | |
| 15 | Written down value on the last day of previous year (6+ 9 -12) (enter 0 if result is negative) | | | | | | |

Schedule DEP Summary of depreciation on assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)

| SUMMARY OF DEPRECIATION ON ASSETS | 1 | Plant and machinery | |
|-----------------------------------|---|---|----|
| | a | Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 15 i) | 1a |
| | b | Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 15 ii) | 1b |
| | c | Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 15 iii) | 1c |
| | d | Block entitled for depreciation @ 50 per cent (Schedule DPM - 15 iv) | 1d |

| | | | |
|---|---|----|----|
| e | Block entitled for depreciation @ 60 per cent (Schedule DPM - 15 v) | 1e | |
| f | Block entitled for depreciation @ 80 per cent (Schedule DPM - 15vi) | 1f | |
| g | Block entitled for depreciation @ 100 per cent (Schedule DPM - 15 vii) | 1g | |
| h | Total depreciation on plant and machinery (1a + 1b + 1c + 1d+ 1e + 1f + 1g) | | 1h |
| 2 | Building | | |
| a | Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 12i) | 2a | |
| b | Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 12ii) | 2b | |
| c | Block entitled for depreciation @ 100 per cent (Schedule DOA- 12iii) | 2c | |
| d | Total depreciation on building (total of 2a + 2b + 2c) | | 2d |
| 3 | Furniture and fittings(Schedule DOA- 12 iv) | | 3 |
| 4 | Intangible assets (Schedule DOA- 12v) | | 4 |
| 5 | Ships (Schedule DOA- 12 vi) | | 5 |
| 6 | Total depreciation (1h+2d+3+4+5) | | 6 |

Schedule DCG Deemed Capital Gains on sale of depreciable assets

| | | | | |
|----------------------|--|---|----|----|
| DEEMED CAPITAL GAINS | 1 | Plant and machinery | | |
| | a | Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 17i) | 1a | |
| | b | Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 17ii) | 1b | |
| | c | Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 17iii) | 1c | |
| | d | Block entitled for depreciation @ 50 per cent (Schedule DPM - 17iv) | 1d | |
| | e | Block entitled for depreciation @ 60 per cent (Schedule DPM - 17v) | 1e | |
| | f | Block entitled for depreciation @ 80 per cent (Schedule DPM - 17vi) | 1f | |
| | g | Block entitled for depreciation @ 100 per cent (Schedule DPM - 17vii) | 1g | |
| | h | Total (1a +1b + 1c + 1d + 1e + 1f + 1g) | | 1h |
| | 2 | Building | | |
| | a | Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 14i) | 2a | |
| | b | Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 14ii) | 2b | |
| | c | Block entitled for depreciation @ 100 per cent (Schedule DOA- 14iii) | 2c | |
| | d | Total (2a + 2b + 2c) | | 2d |
| 3 | Furniture and fittings (Schedule DOA- 14iv) | | 3 | |
| 4 | Intangible assets (Schedule DOA- 14v) | | 4 | |
| 5 | Ships (Schedule DOA- 14vi) | | 5 | |
| 6 | Total (1h+2d+3+4+5) | | 6 | |

Schedule ESR Deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD

| Sl. No. | Expenditure of the nature referred to in section (1) | Amount, if any, debited to profit and loss account (2) | Amount of deduction allowable (3) | Amount of deduction in excess of the amount debited to profit and loss account (4) = (3) - (2) |
|---------|--|--|-----------------------------------|--|
| i | 35(1)(i) | | | |
| ii | 35(1)(ii) | | | |
| iii | 35(1)(iia) | | | |
| iv | 35(1)(iii) | | | |
| v | 35(1)(iv) | | | |
| vi | 35(2AA) | | | |
| vii | 35(2AB) | | | |
| viii | 35CCC | | | |
| ix | 35CCD | | | |

| | | | | |
|---|-------|--|--|--|
| x | Total | | | |
|---|-------|--|--|--|

Schedule CG Capital Gains

| A | | Short-term Capital Gains (STCG) (Items 4, 5 and 8 are not applicable for residents) | | | | | | |
|--------------------------|----------|---|---|---|--|---------------------|------------|--|
| Short-term Capital Gains | 1 | From sale of land or building or both | | | | | | |
| | | a | i | Full value of consideration received/receivable | ai | | | |
| | | | ii | Value of property as per stamp valuation authority | aii | | | |
| | | | iii | Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains (ai or aii) | aiii | | | |
| | | b | Deductions under section 48 | | | | | |
| | | | i | Cost of acquisition without indexation | bi | | | |
| | | | ii | Cost of Improvement without indexation | bii | | | |
| | | | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | biii | | | |
| | | | iv | Total (bi + bii + biii) | biv | | | |
| | | c | Balance (aiii – biv) | | | 1c | | |
| | | d | Deduction under section 54B/54D/ 54G/54GA (Specify details in item D below) | | | 1d | | |
| | | e | Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d) | | | | A1e | |
| | | 2 | From slump sale | | | | | |
| | | | a | Full value of consideration | 2a | (5 of Form 3CEA) | | |
| | | | b | Net worth of the under taking or division | 2b | (6(e) of Form 3CEA) | | |
| | | c | Short term capital gains from slump sale (2a-2b) | | | | A2c | |
| | | 3 | From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(ii) proviso (for FII) | | | | | |
| | | | a | Full value of consideration | 3a | | | |
| | | | b | Deductions under section 48 | | | | |
| | | | | i | Cost of acquisition without indexation | bi | | |
| | | | | ii | Cost of Improvement without indexation | bii | | |
| | | | | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | biii | | |
| | | | | iv | Total (i + ii + iii) | biv | | |
| | | c | Balance (3a – biv) | | | 3c | | |
| | | d | Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only) | | | 3d | | |
| | | e | Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (3c +3d) | | | | A3e | |
| | | 4 | For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48) | | | | | |
| | | | a | STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is paid | | | A4a | |
| | | b | STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is not paid | | | A4b | | |
| | 5 | For NON-RESIDENTS- from sale of securities (other than those at A3 above) by an FII as per section 115AD | | | | | | |
| | | a | Full value of consideration | 5a | | | | |
| | | b | Deductions under section 48 | | | | | |
| | | | i | Cost of acquisition without indexation | bi | | | |
| | | | ii | Cost of improvement without indexation | bii | | | |
| | | | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | biii | | | |
| | | | iv | Total (i + ii + iii) | biv | | | |
| | c | Balance (5a – biv) | | | 5c | | | |
| | d | Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only) | | | 5d | | | |
| | e | Short-term capital gain on sale of securities (other than those at A3 above) by an FII (5c +5d) | | | | A5e | | |
| | 6 | From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above | | | | | | |
| | | a | Full value of consideration | 6a | | | | |
| | | b | Deductions under section 48 | | | | | |
| | | | i | Cost of acquisition without indexation | bi | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|---|----|
| | ii | Cost of Improvement without indexation | | bii | | | |
| | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | | biii | | | |
| | iv | Total (i + ii + iii) | | biv | | | |
| | c | Balance (6a – biv) | | 6c | | | |
| | d | In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only) | | 6d | | | |
| | e | Deemed short term capital gains on depreciable assets (6 of schedule- DCG) | | 6e | | | |
| | f | Deduction under section 54D/54G/54GA | | 6f | | | |
| | g | STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above (6c + 6d + 6e -6f) | | | A6g | | |
| 7 | Amount deemed to be short term capital gains | | | | | | |
| a | Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below | | | | | | |
| | Sl. | Previous year in which asset transferred | Section under which deduction claimed in that year | New asset acquired/constructed Year in which asset acquired/constructed Amount utilised out of Capital Gains account | | Amount not used for new asset or remained | |
| | i | 2013-14 | 54D/54G/54GA | | | | |
| | ii | 2014-15 | 54B | | | | |
| b | Amount deemed to be short term capital gains u/s 54B/54D/54G/54GA, other than at 'a' | | | | | | |
| | Total amount deemed to be short term capital gains (Xi + Xii + b) | | | | | | A7 |
| 8 | FOR NON-RESIDENTS- STCG included in A1-A7 but not chargeable to tax as per DTAA | | | | | | |
| | Sl. | Country name, code | Article of DTAA | Whether Tax Residency Certificate obtained? | Item No. A1 to A7 above in which included | Amount of STCG | |
| | I | | | | A1e/A2c/A3e/A4a/A4b/A5e/A6g/A7 | | |
| | II | | | | A1e/A2c/A3e/A4a/A4b/A5e/A6g/A7 | | |
| | III | Total amount of STCG not chargeable to tax as per DTAA | | | | A8 | |
| 9 | Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2c+ A3e+ A4a+ A4b+ A5e+ A6g+A7 -A8) | | | | | | A9 |
| B | Long-term capital gain (LTCG) (Items 5, 6, 7 & 10 are not applicable for residents) | | | | | | |
| 1 | From sale of land or building or both | | | | | | |
| | a | i | Full value of consideration received/receivable | | ai | | |
| | | ii | Value of property as per stamp valuation authority | | aii | | |
| | | iii | Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains (ai or aii) | | aiii | | |
| | b | Deductions under section 48 | | | | | |
| | | i | Cost of acquisition with indexation | | bi | | |
| | | ii | Cost of Improvement with indexation | | bii | | |
| | | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | | biii | | |
| | | iv | Total (bi + bii + biii) | | biv | | |
| | c | Balance (aiii – biv) | | | | 1c | |
| | d | Deduction under section 54/54B/54D/54E/54F/54G/54GA/54GB (Specify details in item D below) | | | | 1d | |
| | e | Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d) | | | | B1e | |
| 2 | From slump sale | | | | | | |
| | a | Full value of consideration | | | 2a | (5 of Form 3CEA) | |
| | b | Net worth of the under taking or division | | | 2b | (6(e) of Form 3CEA) | |

Long-term Capital Gains

| | | | | | |
|---|---|---|------|--|-----|
| | c | Balance (2a – 2b) | 2c | | |
| | d | Deduction u/s 54EC/54EE /54F (Specify details in item D below) | 2d | | |
| | e | Long term capital gains from slump sale (2c-2d) | | | B2e |
| 3 | From sale of bonds or debenture (other than capital indexed bonds issued by Government) | | | | |
| | a | Full value of consideration | 3a | | |
| | b | Deductions under section 48 | | | |
| | i | Cost of acquisition without indexation | bi | | |
| | ii | Cost of improvement without indexation | bii | | |
| | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | biii | | |
| | iv | Total (bi + bii +biii) | biv | | |
| | c | Balance (3a – biv) | 3c | | |
| | d | Deduction under sections 54EC/54EE /54F (Specify details in item D below) | 3d | | |
| | e | LTCG on bonds or debenture (3c – 3d) | | | B3e |
| 4 | From sale of, (i) listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds where proviso under section 112(1) is applicable (ii) GDR of an Indian company referred in sec. 115ACA | | | | |
| | a | Full value of consideration | 4a | | |
| | b | Deductions under section 48 | | | |
| | i | Cost of acquisition without indexation | bi | | |
| | ii | Cost of improvement without indexation | bii | | |
| | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | biii | | |
| | iv | Total (bi + bii +biii) | biv | | |
| | c | Balance (4a – biv) | 4c | | |
| | d | Deduction under sections 54EC/54EE /54F (Specify details in item D below) | 4d | | |
| | e | Long-term Capital Gains on assets at B4 above (4c – 4d) | | | B4e |
| 5 | For NON-RESIDENTS- from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48) | | | | |
| | a | LTCG computed without indexation benefit | 5a | | |
| | b | Deduction under sections 54EC/54EE /54F (Specify details in item D below) | 5b | | |
| | c | LTCG on share or debenture (5a-5b) | | | B5c |
| 6 | For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iii) securities by FII as referred to in sec. 115AD | | | | |
| | a | Full value of consideration | 6a | | |
| | b | Deductions under section 48 | | | |
| | i | Cost of acquisition without indexation | bi | | |
| | ii | Cost of improvement without indexation | bii | | |
| | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | biii | | |
| | iv | Total (bi + bii +biii) | biv | | |
| | c | Balance (6a – biv) | 6c | | |
| | d | Deduction under sections 54EC/54EE /54F (Specify details in item D below) | 6d | | |
| | e | Long-term Capital Gains on assets at 6 above in case of NON-REESIDENT (6c – 6d) | | | B6e |
| 7 | From sale of foreign exchange asset by NON-RESIDENT INDIAN (If opted under chapter XII-A) | | | | |
| | a | LTCG on sale of specified asset (computed without indexation) | 7a | | |
| | b | Less deduction under section 115F (Specify details in item D below) | 7b | | |
| | c | Balance LTCG on sale of specified asset (7a – 7b) | | | B7c |
| | d | LTCG on sale of asset, other than specified asset | 7d | | |
| | e | Less deduction under section 115F (Specify details in item D below) | 7e | | |
| | f | Balance LTCG on sale of asset, other than specified asset (7d – 7e) | | | B7f |
| 8 | From sale of assets where B1 to B7 above are not applicable | | | | |
| | a | Full value of consideration | 8a | | |
| | b | Deductions under section 48 | | | |
| | i | Cost of acquisition with indexation | bi | | |
| | ii | Cost of improvement with indexation | bii | | |
| | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | biii | | |
| | iv | Total (bi + bii +biii) | biv | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|----|-----|--|
| | c | Balance (8a – biv) | | | | 8c | | |
| | d | Deduction under section 54D/54EC/54EE /54F/54G/54GA (Specify details in item D) | | | | 8d | | |
| | e | Long-term Capital Gains on assets at B8 above (8c-8d) | | | | | B8e | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|---|--|---|--|---|---------------------|--|
| 9 Amount deemed to be long-term capital gains | | | | | | | | |
| a Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below | | | | | | | | |
| | Sl. | Previous year in which asset transferred | Section under which deduction claimed in that year | New asset acquired/constructed | | Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X) | | |
| | | | | Year in which asset acquired/constructed | Amount utilised out of Capital Gains account | | | |
| | i | 2013-14 | 54/54D/54F/54G/54GA | | | | | |
| | ii | 2014-15 | 54B | | | | | |
| b Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a' | | | | | | | | |
| Total amount deemed to be long-term capital gains (Xi + Xii + b) | | | | | | | B9 | |
| 10 FOR NON-RESIDENTS- LTCG included in items B1 to B9 but not chargeable to tax in India as per DTAA | | | | | | | | |
| | Sl. | Country name, code | Article of DTAA | Whether Tax Residency Certificate obtained? | Item B1 to B9 above in which included | Amount of LTCG | | |
| | I | | | | B1e/B2e/B3e/ B4e/ B5c/B6e/B7c/B7f/B8e/B9 | | | |
| | II | | | | B1e/B2e/B3e/ B4e/ B5c/B6e/B7c/B7f/B8e/B9 | | | |
| | III | Total amount of LTCG not chargeable to tax as per DTAA | | | | | B10 | |
| 11 Total long term capital gain chargeable under I.T. Act [B1e +B2e+ B3e +B4e + B5c + B6e + B7c + B7f + B8e+ B9-B10] (In case of loss take the figure to 9xi of schedule CFL) | | | | | | | B11 | |
| C Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (A9 + B11) (take B11 as nil, if loss) | | | | | | | C | |
| D Information about deduction claimed | | | | | | | | |
| 1 In case of deduction u/s 54/54B/54D/54EC/54EE /54F/54G/54GA/115F give following details | | | | | | | | |
| | a | Section under which deduction claimed | | | | 1a | amount of deduction | |
| | i | Cost of new asset | | | | ai | | |
| | ii | Date of its acquisition/construction | | | | aii | dd/mm/yyyy | |
| | iii | Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date | | | | aiii | | |
| | b | Section under which deduction claimed | | | | 1b | amount of deduction | |
| | i | Cost of new asset | | | | bi | | |
| | ii | Date of its acquisition/construction | | | | bii | dd/mm/yyyy | |
| | iii | Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date | | | | biii | | |
| | c | Total deduction claimed (1a + 1b) | | | | 1c | | |
| 2 In case of deduction u/s 54GB, furnish PAN of the company | | | | | | | | |
| E Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A8 & B10 which is chargeable under DTAA) | | | | | | | | |
| | Sl. | Type of Capital Gain | Gain of current year (Fill this column only if computed) | Short term capital loss set off | Long term capital loss set off | Current year's capital gains remaining after set off | | |

| | | figure is positive) | 15% | 30% | applicable rate | 10% | 20% | (7= 1-2-3-4-5-6) | |
|---|---|---------------------|--------------------------------|-----|-----------------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| i | Loss to be set off (Fill this row if figure computed is negative) → | | (A3e+A4a) | A5e | (A1e+A2c+A4b+A6g +A7) | (B4e+B6e+B7c) | (B1e+B2e+B3e+ B5c+ B7f+B8e+B9) | | |
| ii | Short term capital gain | 15% | (A3e+A4a) | | | | | | |
| iii | | 30% | A5e | | | | | | |
| iv | | applicable rate | (A1e+A2c+A4b+ A6g +A7) | | | | | | |
| v | Long term capital gain | 10% | (B4e+ + B6e+B7c) | | | | | | |
| vi | | 20% | (B1e+B2e+B3e+ B5c+ B7f+B8e+B9) | | | | | | |
| vii | Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi) | | | | | | | | |
| viii | Loss remaining after set off (i – vii) | | | | | | | | |
| F Information about accrual/receipt of capital gain | | | | | | | | | |
| Type of Capital gain / Date | | | | | Upto 15/6 | 16/6 to 15/9 | 16/9 to 15/12 | 16/12 to 15/3 | 16/3 to 31/3 |
| | | | | | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) |
| 1 | Short-term capital gains taxable at the rate of 15% Enter value from item 5vi of schedule BFLA, if any. | | | | | | | | |
| 2 | Short-term capital gains taxable at the rate of 30% Enter value from item 5vii of schedule BFLA, if any. | | | | | | | | |
| 3 | Short-term capital gains taxable at applicable rates Enter value from item 5viii of schedule BFLA, if any. | | | | | | | | |
| 4 | Long- term capital gains taxable at the rate of 10% Enter value from item 5ix of schedule BFLA, if any. | | | | | | | | |
| 5 | Long- term capital gains taxable at the rate of 20% Enter value from item 5x of schedule BFLA, if any. | | | | | | | | |
| NOTE ▶ Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI while computing the income under this head | | | | | | | | | |

Schedule OS Income from other sources

| SO UR | 1 Income | | 1a |
|-------|----------|------------------|----|
| | a | Dividends, Gross | |
| | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|-------------------------|--|
| b | | Interest, Gross | | | | | 1b | | |
| c | | Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross | | | | | 1c | | |
| d | | Others, Gross (excluding income from owning race horses) Mention the nature | | | | | | | |
| | i | Winnings from lotteries, crossword puzzles etc. | | | | | 1di | | |
| | ii | a | Cash credits u/s 68 | | | | | | |
| | | b | Unexplained investments u/s 69 | | | | | | |
| | | c | Unexplained money etc. u/s 69A | | | | | | |
| | | d | Undisclosed investments etc. u/s 69B | | | | | | |
| | | e | Unexplained expenditure etc. u/s 69C | | | | | | |
| | | f | Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D | | | | | | |
| | | Total (a + b + c + d + e + f) | | | | | 1dii | | |
| | | iii | | | | | | 1diii | |
| | | iv | | | | | | 1div | |
| | v | Total (1di + 1dii+ 1diii+ 1div) | | | | | 1dv | | |
| e | | Total (1a + 1b + 1c + 1dv) | | | | | 1e | | |
| f | | Income included in '1e' chargeable to tax at special rate (to be taken to schedule SI) | | | | | | | |
| | i | Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc (u/s 115BB) | | | | | 1fi | | |
| | ii | Dividend Income from domestic company that exceeds Rs.10 Lakh (u/s 115BBDA) | | | | | 1fii | | |
| | iii | Deemed Income chargeable to tax u/s 115BBE | | | | | 1fiii | | |
| | iv | Income from patent chargeable u/s 11BBF | | | | | 1fiv | | |
| | v | Any other income chargeable to tax at the rate specified under Chapter XII/XII-A | | | | | 1fv | | |
| | vi | FOR NON-RESIDENTS- Income chargeable to be taxed under DTAA | | | | | | | |
| | | Sl. | Country name, code | Article of DTAA | Rate of tax under DTAA | Whether TRC obtained? | Corresponding section of the Act which prescribes rate | Amount of income | |
| | | I | | | | | | | |
| | II | | | | | | | | |
| | III | Total amount of income chargeable to tax under DTAA | | | | | 1fvi | | |
| | vii | Income included in '1e' chargeable to tax at special rate (1fi +1fii + 1fiii+1fiv+1fv+1fvi) | | | | | 1fvii | | |
| g | | Gross amount chargeable to tax at normal applicable rates (1e-1fvii) | | | | | 1g | | |
| h | | Deductions under section 57 (other than those relating to income under 1fi, 1fii, 1fiii, 1fiv, 1fv, & 1fvi) | | | | | | | |
| | i | Expenses / Deductions | | | hi | | | | |
| | ii | Depreciation | | | hii | | | | |
| | iii | Total | | | hiii | | | | |
| | i | Income from other sources (other than from owning race horses and amount chargeable to tax at special rate) (1g – hiii) (If negative take the figure to 4i of schedule CYLA) | | | | | 1i | | |
| 2 | | Income from other sources (other than from owning race horses) (1fiv + 1i) (enter 1i as nil, if negative) | | | | | 2 | | |
| 3 | | Income from the activity of owning and maintaining race horses | | | | | | | |
| | a | Receipts | | | 3a | | | | |
| | b | Deductions under section 57 in relation to (4) | | | 3b | | | | |
| | c | Balance (3a – 3b) (if negative take the figure to 10xi of Schedule CFL) | | | 3c | | | | |
| 4 | | Income under the head "Income from other sources" (2 + 3c) (take 3c as nil if negative) | | | | | 4 | | |
| NOTE | | Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI while computing the income under this head. | | | | | | | |

| Sl. No. | Head/ Source of Income | Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive) | House property loss of the current year set off | Business Loss (other than speculation loss or specified business loss) of the current year set off | Other sources loss (other than loss from owning race horses) of the current year set off | Current year's Income remaining after set off |
|---------|---|--|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1-2-3-4 |
| i | Loss to be set off -> | | (3b of Schedule - HP) | (2v of item E of Schedule BP) | (1i of Schedule-OS) | |
| ii | Salaries | (7 of Schedule S) | | | | |
| iii | House property | (3b of Schedule HP) | | | | |
| iv | Income from Business (excluding speculation profit and income from specified business) or profession | (A37 of Schedule BP) | | | | |
| v | Speculative Income | (3ii of item E of schedule BP) | | | | |
| vi | Specified Business Income | (3iii of item E of schedule BP) | | | | |
| vii | Short-term capital gain taxable @ 15% | (7ii of item E of schedule CG) | | | | |
| viii | Short-term capital gain taxable @ 30% | (7iii of item E of schedule CG) | | | | |
| ix | Short-term capital gain taxable at applicable rates | (7iv of item E of schedule CG) | | | | |
| x | Long term capital gain taxable @ 10% | (7v of item E of schedule CG) | | | | |
| xi | Long term capital gain taxable @ 20% | (7vi of item E of schedule CG) | | | | |
| xii | Other sources (excluding profit from owning race horses and amount chargeable to special rate of tax) | (1i of schedule OS) | | | | |
| xiii | Profit from owning and maintaining race horses | (3c of schedule OS) | | | | |
| xiv | Total loss set off | | | | | |
| xv | Loss remaining after set-off (i -xiv) | | | | | |

CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT

Schedule BFLA Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years

| Sl. No. | Head/ Source of Income | Income after set off, if any, of current year's losses as per 5 of Schedule CYLA) | Brought forward loss set off | Brought forward depreciation set off | Brought forward allowance under section 35(4) set off | Current year's income remaining after set off |
|---------|--|---|--|--------------------------------------|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| i | Salaries | (5ii of schedule CYLA) | | | | |
| ii | House property | (5iii of schedule CYLA) | (B/f house property loss) | | | |
| iii | Business (excluding speculation income and income from specified business) | (5iv of schedule CYLA) | (B/f business loss, other than speculation or specified business loss) | | | |
| iv | Speculation Income | (5v of schedule CYLA) | (B/f normal business or speculation loss) | | | |
| v | Specified Business Income | (5vi of schedule CYLA) | (B/f normal business or specified business loss) | | | |
| vi | Short-term capital gain taxable @ 15% | (5vii of schedule CYLA) | (B/f short-term capital loss) | | | |
| vii | Short-term capital gain taxable @ 30% | (5viii of schedule CYLA) | (B/f short-term capital loss) | | | |
| viii | Short-term capital gain taxable at applicable rates | (5ix of schedule CYLA) | (B/f short-term capital loss) | | | |
| ix | Long-term capital gain taxable @ 10% | (5x of schedule CYLA) | (B/f short-term or long-term capital loss) | | | |
| x | Long term capital gain taxable @ 20% | (5xi of schedule CYLA) | (B/f short-term or long-term capital loss) | | | |
| xi | Other sources income (excluding profit from owning and maintaining race horses and amount chargeable to special rate of tax) | (5xii of schedule CYLA) | | | | |
| xii | Profit from owning and maintaining race horses | (5xiii of schedule CYLA) | (B/f loss from horse races) | | | |
| xiii | Total of brought forward loss set off (ii2 + iii2 + iv2 + v2+vi2+ vii2+viii2+ix2+x2+xii2) | | | | | |
| xiv | Current year's income remaining after set off Total (i5 + ii5 + iii5 + iv5+v5 + vi5 + vii5 + viii5 + ix5 + x5 + xi5 +xii5) | | | | | |

BROUGHT FORWARD LOSS ADJUSTMENT

Schedule CFL Details of Losses to be carried forward to future years

| Sl. No. | Assessment Year | Date of Filing (DD/MM/YYYY) | House property loss | Loss from business other than loss from speculative business and specified business | Loss from speculative business | Loss from specified business | Short-term capital loss | Long-term Capital loss | Loss from owning and maintaining race horses |
|---------|---|--------------------------------|------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | |
| i | 2009-10 | | | | | | | | |
| ii | 2010-11 | | | | | | | | |
| iii | 2011-12 | | | | | | | | |
| iv | 2012-13 | | | | | | | | |
| v | 2013-14 | | | | | | | | |
| vi | 2014-15 | | | | | | | | |
| vii | 2015-16 | | | | | | | | |
| viii | 2016-17 | | | | | | | | |
| ix | Total of earlier year losses b/f | | | | | | | | |
| x | Adjustment of above losses in Schedule BFLA | | (2ii of schedule BFLA) | (2iii of schedule BFLA) | (2iv of schedule BFLA) | (2v of schedule BFLA) | | | (2xii of schedule BFLA) |
| xi | 2017-18 (Current year losses) | | (2xv of schedule CYLA) | (3xv of schedule CYLA) | (B41 of schedule BP, if -ve) | (C47 of schedule BP, if -ve) | (2viii+3viii+4viii) of item E of schedule CG) | ((5viii+6viii) of item E of schedule CG) | (3c of schedule OS, if -ve) |
| xii | Total loss Carried forward to future years | | | | | | | | |

Schedule UD Unabsorbed depreciation and allowance under section 35(4)

| Sl No | Assessment Year | Depreciation | | | Allowance under section 35(4) | | |
|-------|-------------------------|---|--|--|--|---|--|
| | | Amount of brought forward unabsorbed depreciation | Amount of depreciation set-off against the current year income | Balance carried forward to the next year | Amount of brought forward unabsorbed allowance | Amount of allowance set-off against the current year income | Balance Carried forward to the next year |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| i | Current Assessment Year | | | | | | |
| ii | | | | | | | |
| iii | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|-----------------|--|--|-----------------|--|
| iv | | | | | | | |
| v | Total | | (3xiii of BFLA) | | | (4xiii of BFLA) | |

| Schedule ICDS | | Effect of Income Computation Disclosure Standards on profit | |
|---------------|--|---|--|
| Sl. No. | ICDS | Amount (+) or (-) | |
| (i) | (ii) | (iii) | |
| I | Accounting Policies | | |
| II | Valuation of Inventories | | |
| III | Construction Contracts | | |
| IV | Revenue Recognition | | |
| V | Tangible Fixed Assets | | |
| VI | Changes in Foreign Exchange Rates | | |
| VII | Government Grants | | |
| VIII | Securities | | |
| IX | Borrowing Costs | | |
| X | Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets | | |
| 11. | Total Net effect (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | | |

Schedule 10A Deduction under section 10A

| DEDUCTION U/S 10A | Deduction in respect of units located in Special Economic Zone | | | | | |
|-------------------|--|------------------|---|----|----------|---|
| | Sl | Undertaking | Assessment year in which unit begins to manufacture/produce | Sl | | Amount of deduction |
| | a | Undertaking No.1 | | a | | (item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 1) |
| | b | Undertaking No.2 | | b | | (item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 2) |
| c | Total deduction under section 10A (a+b) | | | | c | |

Schedule 10AA Deduction under section 10AA

| DEDUCTION U/S 10AA | Deductions in respect of units located in Special Economic Zone | | | | | |
|--------------------|---|------------------|--|----|----------|---|
| | Sl | Undertaking | Assessment year in which unit begins to manufacture/produce/provide services | Sl | | Amount of deduction |
| | a | Undertaking No.1 | | a | | (item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 1) |
| | b | Undertaking No.2 | | b | | (item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 2) |
| c | Total deduction under section 10AA (a + b) | | | | c | |

Schedule 80G

Details of donations entitled for deduction under section 80G

| | | | | | | |
|----------------------|---|--|---------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| DETAILS OF DONATIONS | A | Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit | | | | |
| | | Name and address of donee | | PAN of Donee | Amount of donation | Eligible Amount of donation |
| | | i | | | | |
| | | ii | | | | |
| | | iii | Total | | | |
| | B | Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit | | | | |
| | | Name and address of donee | | PAN of Donee | Amount of donation | Eligible Amount of donation |
| | | i | | | | |
| | | ii | | | | |
| | | iii | Total | | | |
| | C | Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit | | | | |
| | | Name and address of donee | | PAN of Donee | Amount of donation | Eligible Amount of donation |
| | | i | | | | |
| | | ii | | | | |
| | | iii | Total | | | |
| | D | Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit | | | | |
| | Name and address of donee | | PAN of Donee | Amount of donation | Eligible Amount of donation | |
| | i | | | | | |
| | ii | | | | | |
| | iii | Total | | | | |
| E | Total eligible amount of donations (Aiii + Biii + Ciii + Diii) | | | | | |

| Schedule 80-IA | | | | |
|----------------|---|----|-------------------|--|
| a | Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(ii) [Telecommunication services] | a1 | Undertaking no. 1 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | a2 | Undertaking no. 2 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| b | Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iii) [Industrial park and SEZs] | b1 | Undertaking no. 1 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | b2 | Undertaking no. 2 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| c | Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iv) [Power] | c1 | Undertaking no. 1 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | c2 | Undertaking no. 2 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| d | Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(v) [Revival of power generating plant] and deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(vi) [Cross-country natural gas distribution network] | d1 | Undertaking no. 1 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | d2 | Undertaking no. 2 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| e | Total deductions under section 80-IA (a1 + a2 + b1 + b2 + c1 + c2+ d1 + d2) | | | e |

Schedule 80-IB Deductions under section 80-IB

| | | | | |
|---|--|----|-------------------|---|
| a | Deduction in respect of industrial undertaking located in Jammu & Kashmir [Section 80-IB(4)] | a1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | a2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| b | Deduction in respect of industrial undertaking located in industrially backward states specified in Eighth Schedule [Section 80-IB(4)] | b1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | b2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| c | Deduction in respect of industrial undertaking located in industrially backward districts [Section 80-IB(5)] | c1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | c2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| d | Deduction in the case of multiplex theatre [Section 80-IB(7A)] | d1 | Undertaking no. 1 | (10(v) of Form 10CCBA of the undertaking) |
| | | d2 | Undertaking no. 2 | (10(v) of Form 10CCBA of the undertaking) |
| e | Deduction in the case of convention centre [Section 80-IB(7B)] | e1 | Undertaking no. 1 | (10(v) of Form 10CCBB of the undertaking) |
| | | e2 | Undertaking no. 2 | (10(v) of Form 10CCBB of the undertaking) |

| | | | | |
|---|--|----|-------------------|---------------------------------------|
| f | Deduction in the case of undertaking which begins commercial production or refining of mineral oil [Section 80-IB(9)] | f1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | f2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| g | Deduction in the case of an undertaking developing and building housing projects [Section 80-IB(10)] | g1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | g2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| h | Deduction in the case of an undertaking operating a cold chain facility [Section 80-IB(11)] | h1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | h2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| i | Deduction in the case of an undertaking engaged in processing, preservation and packaging of fruits, vegetables, meat, meat products, poultry, marine or dairy products [Section 80-IB(11A)] | i1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | i2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| j | Deduction in the case of an undertaking engaged in integrated business of handling, storage and transportation of food grains [Section 80-IB(11A)] | j1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | j2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| k | Deduction in the case of an undertaking engaged in operating and maintaining a rural hospital [Section 80-IB(11B)] | k1 | Undertaking no. 1 | (11(v) of Form 10CCBC) |
| | | k2 | Undertaking no. 2 | (11(v) of Form 10CCBC) |
| l | Deduction in the case of an undertaking engaged in operating and maintaining a hospital in any area, other than excluded area [Section 80-IB(11C)] | l1 | Undertaking no. 1 | (11(d) of Form 10CCBD) |
| | | l2 | Undertaking no. 2 | (11(d) of Form 10CCBD) |
| m | Total deduction under section 80-IB (Total of a1 to l2) | | | |
| | | | | m |

Schedule 80-IC or 80-IE

Deductions under section 80-IC or 80-IE

| | | | | | |
|---------------------|---|---|----|-------------------|---------------------------------------|
| DEDUCTION U/S 80-IC | a | Deduction in respect of undertaking located in Sikkim | a1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | | a2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | b | Deduction in respect of undertaking located in Himachal Pradesh | b1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | | b2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | c | Deduction in respect of undertaking located in Uttarakhand | c1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | | c2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |

| d Deduction in respect of undertaking located in North-East | | | | |
|--|--|------------|-------------------|---------------------------------------|
| da | Assam | da1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | da2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| db | Arunachal Pradesh | db1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | db2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| dc | Manipur | dc1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | dc2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| dd | Mizoram | dd1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | dd2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| de | Meghalaya | de1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | de2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| df | Nagaland | df1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | df2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| dg | Tripura | dg1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | dg2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| dh | Total deduction for undertakings located in North-east (total of da1 to dg2) | | | dh |
| e | Total deduction under section 80-IC or 80-IE (a + d + c + dh) | | | e |

Schedule VI-A Deductions under Chapter VI-A

| 1 Part B- Deduction in respect of certain payments | | | | |
|---|--------------|-----------------------|----------|---------------------------|
| TOTAL DEDUCTIONS | a | 80C | | b 80CCC |
| | c | 80CCD(1) | | d 80CCD(1B) |
| | e | 80CCD(2) | | f 80CCG |
| | g | 80D | | h 80DD |
| | i | 80DDB | | j 80E |
| | k | 80EE | | l 80G |
| | m | 80GG | | n 80GGC |
| Total Deduction under Part B (total of a to n) | | | | 1 |
| 2 Part C- Deduction in respect of certain incomes | | | | |
| o | 80-IA | (e of Schedule 80-IA) | p | 80-IAB |

| | | | | | | |
|---|--------------|------------------------------|---|--------|------------------------------|---|
| q | 80-IB | (m of Schedule 80-IB) | r | 80-IBA | | |
| s | 80-IC/ 80-IE | (e of Schedule 80-IC/ 80-IE) | t | 80-ID | (item 10(e) of Form 10CCBBA) | |
| u | 80JJA | | v | 80JJAA | | |
| w | 80QQB | | x | 80RRB | | |
| Total Deduction under Part C (total of o to x) | | | | | | 2 |
| 3 Part CA and D- Deduction in respect of other incomes/other deduction | | | | | | |
| y | 80TTA | | z | 80U | | |
| Total Deduction under Part CA and D (total of- y to z) | | | | | | 3 |
| 4 Total deductions under Chapter VI-A (1 + 2 + 3) | | | | | | 4 |

Schedule AMT

Computation of Alternate Minimum Tax payable under section 115JC

| | | | | | | |
|---|--|--|----|--|---|--|
| 1 | Total Income as per item 14 of PART-B-TI | | | | 1 | |
| 2 | Adjustment as per section 115JC(2) | | | | | |
| | a | Deduction claimed under any section included in Chapter VI-A under the heading "C.—Deductions in respect of certain incomes" | 2a | | | |
| | b | Deduction claimed u/s 10AA | 2b | | | |
| | c | Deduction claimed u/s 35AD as reduced by the amount of depreciation on assets on which such deduction is claimed | 2c | | | |
| | d | Total Adjustment (2a+ 2b+ 2c) | 2d | | | |
| 3 | Adjusted Total Income under section 115JC(1) (1+2d) | | | | 3 | |
| 4 | Tax payable under section 115JC [18.5% of (3)] (if 3 is greater than Rs. 20 lakhs) | | | | 4 | |

Schedule AMTC

Computation of tax credit under section 115JD

| | | | | | | |
|--------|---|---------------|---|--|---|--|
| 1 | Tax under section 115JC in assessment year 2017-18 (1d of Part-B-TTI) | | | | 1 | |
| 2 | Tax under other provisions of the Act in assessment year 2017-18 (2i of Part-B-TTI) | | | | 2 | |
| 3 | Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0] | | | | 3 | |
| 4 | Utilisation of AMT credit Available (Sum of AMT credit utilized during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of AMT Credit Brought Forward) | | | | | |
| S. No. | Assessment Year (A) | AMT Credit | | | AMT Credit Utilised during the Current Assessment Year (C) | Balance AMT Credit Carried Forward (D)= (B3) –(C) |
| | | Gross (B1) | Set-off in earlier assessment years (B2) | Balance brought forward to the current assessment year (B3) = (B1) – (B2) | | |
| i | 2012-13 | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|---|
| ii | 2013-14 | | | | | |
| iii | 2014-15 | | | | | |
| iv | 2015-16 | | | | | |
| v | 2016-17 | | | | | |
| vi | Current AY (enter 1 -2, if 1>2 else enter 0) | | | | | |
| vii | Total | | | | | |
| 5 | Amount of tax credit under section 115JD utilised during the year [total of item no 4 (C)] | | | | | 5 |
| 6 | Amount of AMT liability available for credit in subsequent assessment years [total of 4 (D)] | | | | | 6 |

Schedule SPI Income of specified persons (spouse, minor child etc.) includable in income of the assessee (income of the minor child, in excess of Rs. 1,500 per child, to be included)

| Sl No | Name of person | PAN of person (optional) | Relationship | Nature of Income | Amount (Rs) |
|-------|----------------|--------------------------|--------------|------------------|-------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

Schedule SI Income chargeable to tax at special rates (please see instructions No. 7 for rate of tax)

| Sl No | Section | <input type="checkbox"/> | Special rate (%) | Income | | Tax thereon |
|-------|--|--------------------------|------------------|--------------------------------|------|-------------|
| | | | | (i) | (ii) | |
| 1 | 111A (STCG on shares units on which where STT paid) | <input type="checkbox"/> | 15 | (5vi of schedule BFLA) | | |
| 2 | 115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid) | <input type="checkbox"/> | 30 | (5vii of schedule BFLA) | | |
| 3 | 112 proviso (LTCG on listed securities/ units without indexation) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 5ix of schedule BFLA) | | |
| 4 | 112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 5ix of schedule BFLA) | | |
| 5 | 115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 5ix of schedule BFLA) | | |
| 6 | 115AC (Income of non-resident from bonds or GDR purchased in foreign currency) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 1fii of schedule OS) | | |
| 7 | 115ACA (LTCG for an employee of specified company on GDR) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 5ix of schedule BFLA) | | |
| 8 | 115AD (LTCG for FIIs on securities) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 5ix of schedule BFLA) | | |
| 9 | 115E (LTCG for non-resident indian on specified asset) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 5ix of schedule BFLA) | | |
| 10 | 112 (LTCG on others) | <input type="checkbox"/> | 20 | (5x of schedule BFLA) | | |
| 11 | 115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.) | <input type="checkbox"/> | 30 | (1fi of schedule OS) | | |
| 12 | 115BBDA (Dividend income from domestic company exceeding | <input type="checkbox"/> | 10 | (1fii of schedule OS) | | |
| 13 | 115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D) | <input type="checkbox"/> | 60 | (1fiii of schedule OS) | | |
| 14 | 115BBF (Tax on income from patent) | | | | | |
| | a Income under head business or profession | <input type="checkbox"/> | 10 | (3e of schedule BP) | | |
| | b Income under head other sources | <input type="checkbox"/> | 10 | (1fiv of schedule OS) | | |
| 15 | 115A(b) (Income of a non-resident from Royalty) | <input type="checkbox"/> | 25 | (part of 1fv of schedule OS) | | |
| 16 | Chargeable under DTAA rate | <input type="checkbox"/> | | (part of 1fvi of schedule OS) | | |
| 17 | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | Total | | | |

SPECIAL RATE

Schedule IF Information regarding partnership firms in which you are partner

| FIRMS IN WHICH PARTNER | Number of firms in which you are partner | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------------|-----------------|--|---|--|-------------------------------|---|--|
| | Sl. No. | Name of the Firm | PAN of the firm | Whether the firm is liable for audit? (Yes/No) | Whether section 92E is applicable to firm? (Yes/No) | Percentage Share in the profit of the firm | Amount of share in the profit | Capital balance on 31 st March in the firm | |
| | | | | | | | i | ii | |
| | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | Total | | | | | | | |

Schedule EI Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income)

| | | | | | | |
|---------------|--|---|---|-----|---|--|
| EXEMPT INCOME | 1 | Interest income | | | 1 | |
| | 2 | Dividend income from domestic company (amount not exceeding Rs. 10 lakh) | | | 2 | |
| | 3 | Long-term capital gains from transactions on which Securities Transaction Tax is paid | | | 3 | |
| | 4 | i | Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules) | i | | |
| | | ii | Expenditure incurred on agriculture | ii | | |
| | | iii | Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years | iii | | |
| | | iv | Net Agricultural income for the year (i – ii – iii) (enter nil if loss) | | 4 | |
| 5 | Others, including exempt income of minor child | | | 5 | | |
| 6 | Total (1+2+3+4+5) | | | 6 | | |

Schedule PTI Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB

| PASS THROUGH INCOME | Sl. | Name of business trust/ investment fund | PAN of the business trust/ investment fund | Sl. | Head of income | Amount of income | TDS on such amount, if any | | | | | |
|---------------------|-----|--|---|-----|-----------------------------|------------------|-------------------------------|----|----------------|------------|--|--|
| | 1. | | | | i | House property | | | | | | |
| ii | | | | | Capital Gains | | | | | | | |
| | | | | | a | Short term | | | | | | |
| | | | | | b | Long term | | | | | | |
| iii | | | | | Other Sources | | | | | | | |
| iv | | | | | Income claimed to be exempt | | | | | | | |
| | | | | | a | u/s 10(23FBB) | | | | | | |
| | | | | | b | u/s | | | | | | |
| | | | | | c | u/s | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | i | House property | | | |
| | | | | | | | | ii | Capital Gains | | | |
| | | | | | | | | | a | Short term | | |
| | | | | | | | | | b | Long term | | |
| | iii | Other Sources | | | | | | | | | | |
| | iv | Income claimed to be exempt | | | | | | | | | | |
| | | a | u/s 10(23FBB) | | | | | | | | | |
| | | b | u/s | | | | | | | | | |
| | | c | u/s | | | | | | | | | |

NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.

| Schedule FSI | | | Details of Income from outside India and tax relief | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------------------------------|---|------------------------|--|------------------------|---|---|--|--|
| Sl. | Country Code | Taxpayer Identification Number | Sl. | Head of income | Income from outside India (included in PART B-TI) | Tax paid outside India | Tax payable on such income under normal provisions in India | Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower | Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A | |
| | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | |
| 1 | | | i | Salary | | | | | | |
| | | | ii | House Property | | | | | | |
| | | | iii | Business or Profession | | | | | | |
| | | | iv | Capital Gains | | | | | | |
| | | | v | Other sources | | | | | | |
| | | | Total | | | | | | | |
| 2 | | | i | Salary | | | | | | |
| | | | ii | House Property | | | | | | |
| | | | iii | Business or Profession | | | | | | |
| | | | iv | Capital Gains | | | | | | |
| | | | v | Other sources | | | | | | |
| | | | Total | | | | | | | |
| NOTE ▶ | | | Please refer to the instructions for filling out this schedule. | | | | | | | |

| Schedule TR | | Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India | | | |
|---------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Details of Tax relief claimed | | | | |
| | Country Code | Taxpayer Identification Number | Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country) | Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country) | Section under which relief claimed (specify 90, 90A or 91) |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Total | | | | |
| 2 | Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of 1(d)) | | | | 2 |
| 3 | Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d)) | | | | 3 |
| 4 | Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below | | | | 4 |
| | a | Amount of tax refunded | b | Assessment year in which tax relief allowed in India | |
| NOTE ▶ | | Please refer to the instructions for filling out this schedule. | | | |

Schedule FA Details of Foreign Assets and Income from any source outside India

| A Details of Foreign Bank Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the previous year | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--|---|--|--|--|--|---|-------------------------|-------------------------|
| Sl No | Country Name and Code | Name and Address of the Bank | Account holder name | Status- Owner/ Beneficial owner/ Beneficiary | Account Number | Account opening date | Peak Balance During the Year (in rupees) | Interest accrued in the account | Interest taxable and offered in this return | | |
| | | | | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| B Details of Financial Interest in any Entity held (including any beneficial interest) at any time during the previous year | | | | | | | | | | | |
| Sl No | Country Name and code | Nature of entity | Name and Address of the Entity | Nature of Interest- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary | Date since held | Total Investment (at cost) (in rupees) | Income accrued from such Interest | Nature of Income | Income taxable and offered in this return | | |
| | | | | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| C Details of Immovable Property held (including any beneficial interest) at any time during the previous year | | | | | | | | | | | |
| Sl No | Country Name and code | Address of the Property | Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary | Date of acquisition | Total Investment (at cost) (in rupees) | Income derived from the property | Nature of Income | Income taxable and offered in this return | | | |
| | | | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| D Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the previous year | | | | | | | | | | | |
| Sl No | Country Name and code | Nature of Asset | Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary | Date of acquisition | Total Investment (at cost) (in rupees) | Income derived from the asset | Nature of Income | Income taxable and offered in this return | | | |
| | | | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| E Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the previous year and which has not been included in A to D above. | | | | | | | | | | | |
| Sl No | Name of the Institution in which the account is held | Address of the Institution | Name of the account holder | Account Number | Peak Balance/ Investment during the year (in rupees) | Whether income accrued is taxable in your hands? | If (7) is yes, Income accrued in the account | If (7) is yes, Income offered in this return | | | |
| | | | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
|-------------|---|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|------------------------|-------------------------|
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| F | Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor | | | | | | | | | | |
| Sl No | Country Name and code | Name and address of the trust | Name and address of trustees | Name and address of Settlor | Name and address of Beneficiaries | Date since position held | Whether income derived is taxable in your hands? | If (8) is yes, Income derived from the trust | If (8) is yes, Income offered in this return | | |
| | | | | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| G | Details of any other income derived from any source outside India which is not included in- (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession | | | | | | | | | | |
| Sl No | Country Name and code | Name and address of the person from whom derived | Income derived | Nature of income | Whether taxable in your hands? | If (6) is yes, Income offered in this return | | | | | |
| | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | | | |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| NOTE | <i>Please refer to instructions for filling out this schedule. In case of an individual, not being an Indian citizen, who is in India on a business, employment or student visa, an asset acquired during any previous year in which he was non-resident is not mandatory to be reported in this schedule if no income is derived from that asset during the current previous year.</i> | | | | | | | | | | |

Schedule 5A**Information regarding apportionment of income between spouses governed by Portuguese Civil Code**

| Name of the spouse | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| PAN of the spouse | | | | | |
| | Heads of Income | Income received under the head | Amount apportioned in the hands of the spouse | Amount of TDS deducted on income at (ii) | TDS apportioned in the hands of spouse |
| | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) |
| 1 | House Property | | | | |
| 2 | Business or profession | | | | |
| 3 | Capital gains | | | | |
| 4 | Other sources | | | | |
| 5 | Total | | | | |

Schedule AL

Asset and Liability at the end of the year (other than those included in Part A- BS) (applicable in a case where total income exceeds Rs.50 lakh)

DETAILS OF ASSETS AND LIABILITIES

| A Details of immovable asset | | | |
|--|--|-------------------------------|--|
| Sl. No. | Description | Address | Amount (cost) in Rs. |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (i) | | | |
| (ii) | | | |
| B Details of movable asset | | | |
| Sl. No. | Description | | Amount (cost) in Rs. |
| (1) | (2) | | (3) |
| (i) | Jewellery, bullion etc. | | |
| (ii) | Archaeological collections, drawings, painting, sculpture or any work of art | | |
| (iii) | Vehicles, yachts, boats and aircrafts | | |
| (iv) | Financial asset | | Amount (cost) in Rs. |
| | (a) | Bank (including all deposits) | |
| | (b) | Shares and securities | |
| | (c) | Insurance policies | |
| | (d) | Loans and advances given | |
| | (e) | Cash in hand | |
| C Interest held in the assets of a firm or association of persons (AOP) as a partner or member thereof | | | |
| Sl. No. | Name and address of the firm(s)/ AOP(s) | PAN of the firm/ AOP | Assessee's investment in the firm/ AOP on cost basis |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (i) | | | |
| (ii) | | | |
| D Liability in relation to Assets at (A + B + C) | | | |

NOTE ▶ Please refer to instructions for filling out this schedule.

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------|--|--|--|------------------------|---|---|---|---|
| FORM | ITR-4 SUGAM | INDIAN INCOME TAX RETURN | | | Assessment Year | | | | |
| | | FOR PRESUMPTIVE INCOME FROM BUSINESS & PROFESSION | | | 2 | 0 | 1 | 7 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|-----------------------------|--|---|--|---------------------|--|
| (A1) First Name | | (A2) Middle Name | | (A3) Last Name | | (A4) Permanent Account Number | | | |
| (A5) Sex (for Individuals) ▶ Male ▶ Female | | (A6) Date of Birth/Formation (DD/MM/YYYY) | | (A7) Income Tax Ward/Circle | | | | | |
| (A8) Flat/Door/Building | | (A9) Name of Premises/ Building/ Village | | (A10) Road/Street | | (A11) Area/locality | | | |
| (A12) Town/City/District | | | (A13) State & Country | | | (A14) Pin code | | | |
| (A15) Aadhaar Number (12 digit)/ Aadhaar Enrolment Id (28 digit) (if eligible for Aadhaar) | | | | | | (A16) Status Individual <input type="checkbox"/> HUF <input type="checkbox"/> Firm (other than LLP) <input type="checkbox"/> | | | |
| (A17) Mobile No.1 /Residential/Office Phone Number with STD code | | | | | | (A18) Mobile No. 2 | | (A19) Email Address | |
| (A20) Fill only one- Tax Refundable ▶ Tax Payable ▶ Nil Tax Balance ▶ | | | | | | | | | |
| (A21) Fill only one-- <input type="checkbox"/> Resident <input type="checkbox"/> Non-Resident <input type="checkbox"/> Resident but Not Ordinarily Resident | | | | | | | | | |
| (A22) Fill only one: Filed- <input type="checkbox"/> On or before due date -139(1), <input type="checkbox"/> After due date -139(4), <input type="checkbox"/> Revised Return-139(5) or In response to notice <input type="checkbox"/> 139(9)-Defective <input type="checkbox"/> 142(1) <input type="checkbox"/> 148 <input type="checkbox"/> 153A/153C or <input type="checkbox"/> u/s 119(2)(b) | | | | | | | | | |
| (A23) Whether Person governed by Portuguese Civil Code under Section 5A <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| (A24) If A23 is applicable, PAN of the Spouse | | | | | | | | | |
| (A25) If revised/defective, then enter Receipt No and Date of filing of original return (DD/MM/YYYY) | | | | | | | | DD/MM/YYYY | |
| (A26) If filed in response to notice notice u/s 139(9) /142(1)/148/153A/153C, enter the date of such notice | | | | DD / MM / YYYY | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| PART B GROSS TOTAL INCOME | | Whole- Rupee(₹) only | |
|--|--|----------------------|--|
| B1 | Income from Business & Profession NOTE-Enter value from E8 of Schedule BP | B1 | |
| B2 | Income From Salary /Pension NOTE- Ensure to Fill "Sch TDS1" given in Page 5 | B2 | |
| B3 | Income from One house property Self Occupied <input type="checkbox"/> Let Out <input type="checkbox"/> (If loss, put the figure in negative) | B3 () | |
| B4 | Income from Other Sources NOTE- Ensure to Fill "Sch TDS2" given in Page 5 | B4 () | |
| B5 | Gross Total Income (B1+B2+B3+B4) | B5 () | |
| PART C – DEDUCTIONS AND TAXABLE TOTAL INCOME (Refer to instructions for limits on Amount of Deductions as per "Income Tax Act") | | | |
| | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-----|----------|--|-----|-----------|--|-----|--|
| C1 | 80C | | C2 | 80CCC | | C3 | 80CCD (1) | | | |
| C4 | 80CCD(1B) | | C5 | 80CCD(2) | | C6 | 80CCG | | | |
| C7 | 80D | | C8 | 80DD | | C9 | 80DDB | | | |
| C10 | 80E | | C11 | 80EE | | C12 | 80G | | | |
| C13 | 80GG | | C14 | 80GGC | | C15 | 80QQB | | | |
| C16 | 80RRB | | C17 | 80TTA | | C18 | 80U | | | |
| C19 | Total deductions (Add items C1 to C18) | | | | | | | | C19 | |
| C20 | Taxable Total Income (B5 - C19) | | | | | | | | C20 | |

FOR OFFICE USE ONLY

| | |
|------------------------|--|
| STAMP RECEIPT NO. HERE | SEAL, DATE AND SIGNATURE OF RECEIVING OFFICIAL |
|------------------------|--|

PART D - TAX COMPUTATIONS AND TAX STATUS

| | | | |
|-----|---|-----|--|
| D1 | Tax payable on total income (C20) | D1 | |
| D2 | Rebate on 87A | D2 | |
| D3 | Tax payable after Rebate (D1-D2) | D3 | |
| D4 | Surcharge if C20 exceeds Rs. 1 Crore | D4 | |
| D5 | Cess on (D3+D4) | D5 | |
| D6 | Total Tax, Surcharge and Cess (D3+D4+D5) | D6 | |
| D7 | Relief u/s 89 | D7 | |
| D8 | Balance Tax after Relief (D6-D7) | D8 | |
| D9 | Total Interest u/s 234A | D9 | |
| D10 | Total Interest u/s 234B | D10 | |
| D11 | Total Interest u/s 234C | D11 | |
| D12 | Total Tax and Interest(D8+D9+D10+D11) | D12 | |
| D13 | Total Advance Tax Paid | D13 | |
| D14 | Total Self-Assessment Tax Paid | D14 | |
| D15 | Total TDS Claimed | D15 | |
| D16 | Total TCS Collected | D16 | |
| D17 | Total Taxes Paid (D13+D14+D15+D16) | D17 | |
| D18 | Amount payable (D12 - D17, If D12 > D17) | D18 | |
| D19 | Refund (D17 - D12, If D17 > D12) | D19 | |
| D20 | Exempt income only for reporting purposes | D20 | |

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|------------------|---|--|---|
| BANK ACCOUNT | D21 Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts) | | | | | |
| | Sl. | IFS Code of the Bank | Name of the Bank | Account Number (<i>the number should be 9 digits or more as per CBS system of the bank</i>) | Indicate the account in which you prefer to get your refund credited, if any (<i>tick one account</i> <input checked="" type="checkbox"/>) | Cash deposited during 09.11.2016 to 30.12.2016 (<i>if aggregate cash deposits</i>) |
| | i | | | | | |
| ii | | | | | | |

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____ solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return is correct and complete and that the amount of total income and other particulars shown therein are truly stated and are in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961, in respect of income chargeable to Income-tax for the previous year relevant to the Assessment Year 2017-18.

Place:

Sign here →

Date :

If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details as below:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TRP PIN (10 Digit) | Name of TRP | Counter Signature of TRP | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Amount to be paid to TRP | | | | | | | | | | | | |

PAN--

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| NATURE OF BUSINESS OR PROFESSION | | | |
|--|------|----------------------|-------------|
| IF MORE THAN ONE BUSINESS INDICATE THE THREE MAIN ACTIVITIES/ PRODUCTS | | | |
| S.No. | Code | Name of the Business | Description |
| (i) | | | |
| (ii) | | | |
| (iii) | | | |

SCHEDULE BP – DETAILS OF INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION

COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME UNDER 44AD

| | | | |
|--|---------------------------------------|--|-----|
| E1 | Gross Turnover or Gross Receipts | | |
| | a | Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received before specified date | E1a |
| | b | Any other mode | E1b |
| E2 | Presumptive Income under section 44AD | | |
| | a | 6% of E1a | E2a |
| | b | 8% of E1b | E2b |
| | c | Total (a + b) | E2c |
| NOTE—If Income is less than the above percentage of Gross Receipts, it is mandatory to have a tax audit under 44AB & regular ITR 3 or 5 has to be filled not this form | | | |

COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME UNDER 44ADA (PROFESSION)

| | | |
|----|---|----|
| E3 | Gross Receipts | E3 |
| E4 | Presumptive Income under section 44ADA (50% of E3) NOTE—If Income is less than 50% of Gross Receipts, it is mandatory to have a tax audit under 44AB & regular ITR 3 or 5 has to be filled not this form | E4 |

COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME UNDER 44AE

| | | |
|----|--|----|
| E5 | Presumptive Income from Goods Carriage under section 44AE NOTE—If the profits are lower than prescribed under S.44AE or the number of Vehicles owned at any time exceed 10 then the regular ITR 3/5 form has to be filled and not this form | E5 |
| E6 | Salary and interest paid to the partners NOTE – This is to be filled up only by firms | E6 |
| E7 | Presumptive Income u/s 44AE (E5-E6) | E7 |

| | | | |
|---|---|-----|--|
| E8 | Income chargeable under Business or Profession (E2c+E4+E7) | E8 | |
| FINANCIAL PARTICULARS OF THE BUSINESS | | | |
| NOTE—For E9 to E12 furnish the information as on 31 st day of March , 2017 | | | |
| E9 | Amount of Total Sundry Debtors | E9 | |
| E10 | Amount of Total Sundry Creditors | E10 | |
| E11 | Amount of Total Stock-in-trade | E11 | |
| E12 | Amount of the Cash Balance | E12 | |

Schedule AL Asset and Liability at the end of the year (applicable in a case where total income exceeds Rs.50 lakh)

| | | | |
|---|---|--|--|
| ASSETS AND LIABILITIES | A Details of immovable asset | | |
| | Sl. No. | Description | Address |
| | (1) | (2) | (3) |
| | (i) | | |
| | (ii) | | |
| | B Details of movable asset | | |
| | Sl. No. | Description | Amount (cost) in Rs. |
| | (1) | (2) | (3) |
| | (i) | Jewellery, bullion etc. | |
| | (ii) | Archaeological collections, drawings, painting, sculpture or any work of art | |
| (iii) | Vehicles, yachts, boats and aircrafts | | |
| (iv) | Financial asset | Amount (cost) in Rs. | |
| (a) | Bank (including all deposits) | | |
| (b) | Shares and securities | | |
| (c) | Insurance policies | | |
| (d) | Loans and advances given | | |
| (e) | Cash in hand | | |
| C Interest held in the assets of a firm or association of persons (AOP) as a partner or member thereof | | | |
| Sl. No. | Name and address of the firm(s)/ AOP(s) | PAN of the firm/ AOP | Assessee's investment in the firm/ AOP on cost basis |
| (1) | (2) | (3) | (4) |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| S2 | | | | |
| S3 | | | | |
| NOTE ► Enter the total of column 4 of Schedule-TDS1 and column 6 of Schedule-TDS2 in D15 | | | | |

| Schedule TDS2 Details of Tax Deducted at Source on Income Other than Salary[As per Form 16 A issued by Deductor(s)] | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|--|--------------|-------------------------------------|---|
| | TAN of the Deductor | Name of the Deductor | Unique TDS Certificate Number | Deducted year | Details of Receipt as mentioned in Form 26AS | Tax Deducted | Amount out of (6) claimed this Year | If A23 is applicable, amount claimed in the hands of spouse |
| | Col (1) | Col (2) | Col (3) | Col (4) | Col 5 | Col (6) | Col (7) | Col (8) |
| T1 | | | | | | | | |
| T2 | | | | | | | | |
| T3 | | | | | | | | |
| T4 | | | | | | | | |
| NOTE ► Please enter total of column 4 of Schedule-TDS1 and column 6 of Schedule-TDS2 in D15 | | | | | | | | |

PAN--

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Supplementary Schedule TDS 1(to be used only after exhausting item S1-S3 of Schedule TDS1 in main form etc.) | | | | |
|--|---------|----------------------|---------------------|--------------|
| | TAN | Name of the Employer | Income under Salary | Tax deducted |
| | Col (1) | Col (2) | Col (3) | Col (4) |
| S4 | | | | |
| S5 | | | | |
| S6 | | | | |
| S7 | | | | |
| S8 | | | | |
| S9 | | | | |
| S10 | | | | |
| S11 | | | | |
| S12 | | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| S13 | | | | |
| S14 | | | | |
| S15 | | | | |
| S16 | | | | |
| S17 | | | | |
| S18 | | | | |
| S19 | | | | |
| S20 | | | | |
| S21 | | | | |
| S22 | | | | |
| S23 | | | | |
| S24 | | | | |
| S25 | | | | |
| S26 | | | | |
| S27 | | | | |
| S28 | | | | |
| S29 | | | | |
| S30 | | | | |

PAN--

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Supplementary Schedule TDS 2(to be used only after exhausting item T1-T4 of Schedule TDS2 in main form etc)

| | TAN of the deductor | Name of the Deductor | Unique TDS Certificate Number | Deducted Year | Tax Deducted | Amount out of (6) claimed this Year | If A23 is applicable, amount claimed in the hands of spouse |
|-----|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|---|
| | Col (1) | Col (2) | Col (3) | Col (4) | Col (5) | Col (6) | Col (7) |
| T5 | | | | | | | |
| T6 | | | | | | | |
| T7 | | | | | | | |
| T8 | | | | | | | |
| T9 | | | | | | | |
| T10 | | | | | | | |
| T11 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| T12 | | | | | | | |
| T13 | | | | | | | |
| T14 | | | | | | | |
| T15 | | | | | | | |
| T16 | | | | | | | |
| T17 | | | | | | | |
| T18 | | | | | | | |
| T19 | | | | | | | |
| T20 | | | | | | | |
| T21 | | | | | | | |
| T22 | | | | | | | |
| T23 | | | | | | | |
| T24 | | | | | | | |
| T25 | | | | | | | |
| T26 | | | | | | | |
| T27 | | | | | | | |
| T28 | | | | | | | |
| T29 | | | | | | | |
| T30 | | | | | | | |
| T31 | | | | | | | |

PAN--

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Supplementary Schedule IT (to be used only after exhausting item R1-R5 of Schedule IT in main form etc)

| | BSR Code | Date of Deposit (DD/MM/YYYY) | Challan No. | Tax paid |
|----|----------|------------------------------|-------------|----------|
| | Col (1) | Col (2) | Col (3) | Col (4) |
| R6 | | | | |
| R7 | | | | |
| R8 | | | | |
| R9 | | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| R10 | | | | |
| R11 | | | | |
| R12 | | | | |
| R13 | | | | |
| R14 | | | | |
| R15 | | | | |
| R16 | | | | |
| R17 | | | | |
| R18 | | | | |
| R19 | | | | |
| R20 | | | | |
| R21 | | | | |
| R22 | | | | |
| R23 | | | | |
| R24 | | | | |
| R25 | | | | |
| R26 | | | | |
| R27 | | | | |
| R28 | | | | |
| R29 | | | | |
| R30 | | | | |
| R31 | | | | |
| R32 | | | | |

PAN-

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Supplementary Schedule TCS (to be used only after exhausting item U1-U5 of Schedule TCS in main form etc)

| | Tax Collection Account Number | Name of the Collector | Total Collected | Amount out of (3) claimed this Year | If A23 is applicable amount claimed in the hands of spouse |
|-----|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| | Col (1) | Col (2) | Col (3) | Col (4) | Col (5) |
| U4 | | | | | |
| U5 | | | | | |
| U6 | | | | | |
| U7 | | | | | |
| U8 | | | | | |
| U9 | | | | | |
| U10 | | | | | |
| U11 | | | | | |
| U12 | | | | | |
| U13 | | | | | |
| U14 | | | | | |
| U15 | | | | | |
| U16 | | | | | |
| U17 | | | | | |
| U18 | | | | | |
| U19 | | | | | |
| U20 | | | | | |
| U21 | | | | | |
| U22 | | | | | |
| U23 | | | | | |
| U24 | | | | | |
| U25 | | | | | |
| U26 | | | | | |
| U27 | | | | | |
| U28 | | | | | |
| U29 | | | | | |
| U30 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------|---|-----------------|---|---|---|---|---|
| FORM | ITR-5 | INDIAN INCOME TAX RETURN [For persons other than,- (i) individual, (ii) HUF, (iii) company and (iv) person filing Form ITR-7] (Please see Rule 12 of the Income-tax Rules,1962) (Also see attached instructions) | Assessment Year | | | | | |
| | | | 2 | 0 | 1 | 7 | - | 1 |

Part A-GEN GENERAL

| | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|
| PERSONAL INFORMATION | Name | | PAN | | |
| | Is there any change in the name? If yes, please furnish the old name | | Limited Liability Partnership Identification Number (LLPIN) issued by MCA, if applicable | | |
| | Flat/Door/Block No | Name of Premises/Building/Village | | Date of formation (DDMMYYYY) | |
| | Road/Street/Post Office | Area/Locality | | Status (firm-1, local authority-2, cooperative bank-3, other cooperative society-4, LLP-5, private discretionary trust -6, any other AOP/BOI- 7, artificial juridical person-8) <input type="checkbox"/> | |
| | Town/City/District | State | Pin code | Income Tax Ward/Circle | |
| | | Country | | | |
| | Office Phone Number with STD code/ Mobile No. 1 | | | Mobile No. 2 | |
| | Email Address -1 | | | | |
| | Email Address -2 | | | | |

| | | |
|---------------|--|---|
| FILING STATUS | (a) | Return filed [Please see instruction number-6] <input type="checkbox"/> On or before due date-139(1), <input type="checkbox"/> After due date-139(4), <input type="checkbox"/> Revised Return-139(5), <input type="checkbox"/> Modified return- 92CD <input type="checkbox"/> under section 119(2)(b), OR In response to notice <input type="checkbox"/> 139(9)- Defective <input type="checkbox"/> 142(1) <input type="checkbox"/> 148 <input type="checkbox"/> 153A <input type="checkbox"/> 153C |
| | (b) | If revised/in response to notice for Defective/Modified, then enter Receipt No and Date of filing original return (DD/MM/YYYY) |
| | (c) | If filed, in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153A/153C enter date of such notice, or u/s 92CD enter date of advance pricing agreement |
| | (d) | Residential Status (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Resident <input type="checkbox"/> Non-Resident |
| | (e) | Whether any transaction has been made with a person located in a jurisdiction notified u/s 94A of the Act? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
| | (f) | In the case of non-resident, is there a permanent establishment (PE) in India (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
| | (g) | Whether you are an FII / FPI? Yes/No If yes, please provide SEBI Regn. No. |
| | (h) | Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information - |
| | | (1) Name of the representative |
| | | (2) Address of the representative |
| | (3) Permanent Account Number (PAN) of the representative | |

| | | |
|-------------------|---|--|
| AUDIT INFORMATION | a | Whether liable to maintain accounts as per section 44AA? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
| | b | Whether liable for audit under section 44AB? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
| | c | If (b) is Yes, whether the accounts have been audited by an accountant? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If Yes, furnish the following information- |
| | | (i) Date of furnishing of the audit report (DD/MM/YYYY) / / |
| | | (ii) Name of the auditor signing the tax audit report |
| | | (iii) Membership no. of the auditor |
| | | (iv) Name of the auditor (proprietorship/ firm) |
| | | (v) Proprietorship/firm registration number |
| | | (vi) Permanent Account Number (PAN) of the auditor (proprietorship/ firm) |
| | | (vii) Date of audit report |

Part A-BS

BALANCE SHEET AS ON 31ST DAY OF MARCH, 2017 OR DATE OF DISSOLUTION (fill items A and B in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill item C)

| A Sources of Funds | | | |
|-------------------------------|---|--|------|
| SOURCES OF FUNDS | 1 | Partners' / members' fund | |
| | a | Partners' / members' capital | |
| | b | Reserves and Surplus | |
| | i | Revaluation Reserve | bi |
| | ii | Capital Reserve | bii |
| | iii | Statutory Reserve | biii |
| | iv | Any other Reserve | biv |
| | v | Credit balance of Profit and loss account | bv |
| | vi | Total (bi + bii + biii + biv + bv) | bvi |
| | c | Total partners' / members' fund (a + bvi) | |
| | 2 | Loan funds | |
| | a | Secured loans | |
| | i | Foreign Currency Loans | ai |
| | ii | Rupee Loans | |
| | A | From Banks | iiA |
| | B | From others | iiB |
| | C | Total (iiA + iiB) | iiC |
| | iii | Total secured loans (ai + iiC) | |
| | b | Unsecured loans (including deposits) | |
| | i | Foreign Currency Loans | bi |
| | ii | Rupee Loans | |
| | A | From Banks | iiA |
| | B | From persons specified in section 40A(2)(b) of the I. T. Act | iiB |
| | C | From others | iiC |
| | D | Total Rupee Loans (iiA + iiB + iiC) | iiD |
| iii | Total unsecured loans (bi + iiD) | | |
| c | Total Loan Funds (aiii + biii) | | |
| 3 | Deferred tax liability | | |
| 4 | Advances | | |
| i | From persons specified in section 40A(2)(b) of the I. T. Act | i | |
| ii | From others | ii | |
| iii | Total Advances (i + ii) | | |
| 5 | Sources of funds (1c + 2c + 3 + 4iii) | | |
| B Application of funds | | | |
| 1 | Fixed assets | | |
| a | Gross: Block | 1a | |
| b | Depreciation | 1b | |
| c | Net Block (a - b) | 1c | |
| d | Capital work-in-progress | 1d | |
| e | Total (1c + 1d) | | |
| 2 | Investments | | |
| a | Long-term investments | | |
| i | Investment in property | i | |
| ii | Equity instruments | | |
| A | Listed equities | iiA | |
| B | Unlisted equities | iiB | |
| C | Total | iiC | |
| iii | Preference shares | iii | |
| iv | Government or trust securities | iv | |
| v | Debenture or bonds | v | |
| vi | Mutual funds | vi | |
| vii | Others | vii | |
| viii | Total Long-term investments (i + iiC + iii + iv + v + vi + vii) | | |
| b | Short-term investments | | |
| i | Equity instruments | | |
| A | Listed equities | iA | |
| B | Unlisted equities | iB | |
| C | Total | iC | |
| ii | Preference shares | ii | |
| iii | Government or trust securities | iii | |
| iv | Debenture or bonds | iv | |
| v | Mutual funds | v | |
| vi | Others | vi | |
| vii | Total Short-term investments (iC + ii + iii + iv + v + vi) | | |
| c | Total investments (aviii + bvii) | | |
| 3 | Current assets, loans and advances | | |
| a | Current assets | | |
| i | Inventories | | |

APPLICATION OF FUNDS

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|------|--|
| NO ACCOUNT CASE | C | A | Raw materials | iA | | |
| | | B | Work-in-progress | iB | | |
| | | C | Finished goods | iC | | |
| | | D | Stock-in-trade (in respect of goods acquired for trading) | iD | | |
| | | E | Stores/consumables including packing material | iE | | |
| | | F | Loose tools | iF | | |
| | | G | Others | iG | | |
| | | H | Total (iA + iB + iC + iD + iE + iF + iG) | | iH | |
| | | ii | Sundry Debtors | | | |
| | | A | Outstanding for more than one year | iiA | | |
| | | B | Others | iiB | | |
| | | C | Total Sundry Debtors | | iiC | |
| | | iii | Cash and bank balances | | | |
| | | A | Balance with banks | iiiA | | |
| | | B | Cash-in-hand | iiiB | | |
| | | C | Others | iiiC | | |
| | | D | Total Cash and cash equivalents (iiiA + iiiB + iiiC) | | iiiD | |
| | | iv | Other Current Assets | | aiv | |
| | | v | Total current assets (iH + iiC + iiiD + aiv) | | av | |
| | | b | Loans and advances | | | |
| | | i | Advances recoverable in cash or in kind or for value to be received | bi | | |
| | | ii | Deposits, loans and advances to corporate and others | bii | | |
| | | iii | Balance with Revenue Authorities | biii | | |
| | | iv | Total (bi + bii + biii) | | biv | |
| | | v | Loans and advances included in biv which is | | | |
| | | a | for the purpose of business or profession | va | | |
| | | b | not for the purpose of business or profession | vb | | |
| | | c | Total (av + biv) | | 3c | |
| | | d | Current liabilities and provisions | | | |
| | | i | Current liabilities | | | |
| | | A | Sundry Creditors | | | |
| | | 1 | Outstanding for more than one year | 1 | | |
| | | 2 | Others | 2 | | |
| | | 3 | Total (1 + 2) | A3 | | |
| | | B | Liability for leased assets | iB | | |
| | | C | Interest Accrued and due on borrowings | iC | | |
| | | D | Interest accrued but not due on borrowings | iD | | |
| | | E | Income received in advance | iE | | |
| | | F | Other payables | iF | | |
| | | G | Total (A3 + iB + iC + iD + iE + iF) | | iG | |
| | | ii | Provisions | | | |
| | | A | Provision for Income Tax | iiA | | |
| | | B | Provision for Leave encashment/Superannuation/Gratuity | iiB | | |
| | | C | Other Provisions | iiC | | |
| | | D | Total (iiA + iiB + iiC) | | iiE | |
| | | iii | Total (iE + iiD) | | diii | |
| | | e | Net current assets (3c - diii) | | 3e | |
| | | 4 | a | Miscellaneous expenditure not written off or adjusted | 4a | |
| | | b | Deferred tax asset | | 4b | |
| | | c | Debit balance in Profit and loss account/ accumulated balance | | 4c | |
| | | d | Total (4a + 4b + 4c) | | 4d | |
| | | 5 | Total, application of funds (1e + 2c + 3e + 4d) | | 5 | |
| | | In a case where regular books of account of business or profession are not maintained, furnish the following information as on 31 st day of March, -2017, in respect of business or profession | | | | |
| | 1 | Amount of total sundry debtors | | C1 | | |
| | 2 | Amount of total sundry creditors | | C2 | | |
| | 3 | Amount of total stock-in-trade | | C3 | | |
| | 4 | Amount of the cash balance | | C4 | | |

| | | | | | |
|----|---|--|-------|----------|--|
| | x | Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred | 14x | | |
| | xi | Total compensation to employees (14i + 14ii + 14iii + 14iv + 14v + 14vi + 14vii + 14viii + 14ix + 14x) | | 14xi | |
| | xii | Whether any compensation, included in 14xi, paid to non-residents | xiiia | Yes / No | |
| | | If Yes, amount paid to non-residents | xiiib | | |
| 15 | Insurance | | | | |
| | i | Medical Insurance | 15i | | |
| | ii | Life Insurance | 15ii | | |
| | iii | Keyman's Insurance | 15iii | | |
| | iv | Other Insurance including factory, office, car, goods, etc. | 15iv | | |
| | v | Total expenditure on insurance (15i + 15ii + 15iii + 15iv) | | 15v | |
| 16 | Workmen and staff welfare expenses | | | | |
| 17 | Entertainment | | | | |
| 18 | Hospitality | | | | |
| 19 | Conference | | | | |
| 20 | Sales promotion including publicity (other than advertisement) | | | | |
| 21 | Advertisement | | | | |
| 22 | Commission | | | | |
| | i | Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company | i | | |
| | ii | To others | ii | | |
| | iii | Total (i + ii) | | 22iii | |
| 23 | Royalty | | | | |
| | i | Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company | i | | |
| | ii | To others | ii | | |
| | iii | Total (i + ii) | | 23iii | |
| 24 | Professional / Consultancy fees / Fee for technical services | | | | |
| | i | Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company | i | | |
| | ii | To others | ii | | |
| | iii | Total (i + ii) | | 24iii | |
| 25 | Hotel, boarding and Lodging | | | | |
| 26 | Traveling expenses other than on foreign traveling | | | | |
| 27 | Foreign travelling expenses | | | | |
| 28 | Conveyance expenses | | | | |
| 29 | Telephone expenses | | | | |
| 30 | Guest House expenses | | | | |
| 31 | Club expenses | | | | |
| 32 | Festival celebration expenses | | | | |
| 33 | Scholarship | | | | |
| 34 | Gift | | | | |
| 35 | Donation | | | | |
| 36 | Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income) | | | | |
| | i | Union excise duty | 36i | | |
| | ii | Service tax | 36ii | | |
| | iii | VAT/ Sales tax | 36iii | | |
| | iv | Cess | 36iv | | |
| | v | Any other rate, tax, duty or cess incl STT and CTT | 36v | | |
| | vi | Total rates and taxes paid or payable (36i + 36ii + 36iii + 36iv + 36v) | | 36vi | |
| 37 | Audit fee | | | | |
| 38 | Salary/Remuneration to Partners of the firm (total of col. (8) of item E of Partner's/Members information under Part A-Gen) | | | | |
| 39 | Other expenses (specify nature and amount) | | | | |
| | i | | i | | |
| | ii | | ii | | |
| | iii | Total (i + ii) | | 39iii | |
| 40 | Bad debts (specify PAN of the person, if available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount) | | | | |
| | i | | | 40i | |
| | ii | | | 40ii | |
| | iii | | | 40iii | |
| | iv | Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN is not available | 40iv | | |
| | v | Others (amounts less than Rs. 1 lakh) | 40v | | |
| | vi | Total Bad Debt (40i + 40ii + 40iii + 40iv + 40v) | | 40vi | |
| 41 | Provision for bad and doubtful debts | | | | |
| 42 | Other provisions | | | | |
| 43 | Profit before interest, depreciation and taxes [4 - (5iv + 6 + 7viii + 8 to 13 + 14xi + 15v + 16 to 21 + 22iii + 23iii + 24iii + 25 to 35 + 36vi + 37 + 38 + 39iii + 40vi + 41+42)] | | | | |
| 44 | Interest | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---------|----|
| | i | Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company | | | |
| | | A To Partners | ia | | |
| | | B To others | ib | | |
| | ii | Paid in India, or paid to a resident | | | |
| | | A To Partners | iiia | | |
| | | B To others | iiib | | |
| | iii | Total (ia + ib + iiia + iiib) | | 44iii | |
| | 45 | Depreciation and amortisation | | 45 | |
| | 46 | Profit before taxes (43 – 44iii – 45) | | 46 | |
| | PROVISIONS FOR TAX AND APPROPRIATIONS | 47 | Provision for current tax | | 47 |
| 48 | | Provision for Deferred Tax and deferred liability | | 48 | |
| 49 | | Profit after tax (46 - 47 - 48) | | 49 | |
| 50 | | Balance brought forward from previous year | | 50 | |
| 51 | | Amount available for appropriation (49 + 50) | | 51 | |
| 52 | | Transferred to reserves and surplus | | 52 | |
| 53 | | Balance carried to balance sheet in partner's account (51 – 52) | | 53 | |
| NO ACCOUNT CASE | 54 | In a case where regular books of account of business or profession are not maintained, furnish the following information for previous year -2016-17 in respect of business or profession | | | |
| | | (i) | For assessee carrying on Business | | |
| | | a | Gross receipts | 54(i)a | |
| | | b | Gross profit | 54(i)b | |
| | | c | Expenses | 54(i)c | |
| | | d | Net profit | 54(i)d | |
| | | (ii) | For assessee carrying on Profession | | |
| | | a | Gross receipts | 54(ii)a | |
| | | b | Gross profit | 54(ii)b | |
| | | c | Expenses | 54(ii)c | |
| | | d | Net profit | 54(ii)d | |
| | | Total (54(i)d + 54(ii)d) | 54 | | |

Part A- OI

Other Information (optional in a case not liable for audit under section 44AB)

| | | | | |
|-------------------|---|---|---|--------------------------|
| OTHER INFORMATION | 1 | Method of accounting employed in the previous year (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mercantile <input type="checkbox"/> cash | | |
| | 2 | Is there any change in method of accounting (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | |
| | 3 | Effect on the profit because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column 11(iii) of Schedule ICDS] | 3 | |
| | 4 | Method of valuation of closing stock employed in the previous year | | |
| | | a | Raw Material (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3) | <input type="checkbox"/> |
| | | b | Finished goods (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3) | <input type="checkbox"/> |
| | | c | Is there any change in stock valuation method (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | |
| | | d | Effect on the profit or loss because of deviation, if any, from the method of valuation prescribed under section 145A | 4d |
| | 5 | Amounts not credited to the profit and loss account, being - | | |
| | | a | the items falling within the scope of section 28 | 5a |
| | | b | the proforma credits, drawbacks, refund of duty of customs or excise or service tax, or refund of sales tax or value added tax, where such credits, drawbacks or refunds are admitted as due by the authorities concerned | 5b |
| | | c | escalation claims accepted during the previous year | 5c |
| | | d | any other item of income | 5d |
| | | e | capital receipt, if any | 5e |
| | | f | Total of amounts not credited to profit and loss account (5a+5b+5c+5d+5e) | 5f |
| 6 | Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 due to non-fulfilment of condition specified in relevant clauses- | | | |
| | a | Premium paid for insurance against risk of damage or destruction of stocks or store [36(1)(i)] | 6a | |
| | b | Premium paid for insurance on the health of employees [36(1)(ib)] | 6b | |
| | c | Any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such sum was otherwise payable to him as profits or dividend [36(1)(ii)] | 6c | |

| | | | |
|---|--|-----|--|
| d | Any amount of interest paid in respect of borrowed capital [36(1)(iii)] | 6d | |
| e | Amount of discount on a zero-coupon bond [36(1)(iiiA)] | 6e | |
| f | Amount of contributions to a recognised provident fund [36(1)(iv)] | 6f | |
| g | Amount of contributions to an approved superannuation fund [36(1)(iv)] | 6g | |
| h | Amount of contribution to a pension scheme referred to in section 80CCD [36(1)(ivA)] | 6h | |
| i | Amount of contributions to an approved gratuity fund [36(1)(v)] | 6i | |
| j | Amount of contributions to any other fund | 6j | |
| k | Any sum received from employees as contribution to any provident fund or superannuation fund or any fund set up under ESI Act or any other fund for the welfare of employees to the extent not credited to the employees account on or before the due date [36(1)(vA)] | 6k | |
| l | Amount of bad and doubtful debts [36(1)(vii)] | 6l | |
| m | Provision for bad and doubtful debts [36(1)(viiA)] | 6m | |
| n | Amount transferred to any special reserve [36(1)(viii)] | 6n | |
| o | Expenditure for the purposes of promoting family planning amongst employees [36(1)(ix)] | 6o | |
| p | Amount of securities transaction paid in respect of transaction in securities if such income is not included in business income [36(1)(xv)] | 6p | |
| q | Expenditure for purchase of sugarcane in excess of the government approved price [36(1)(xvii)] | 6q | |
| r | Any other disallowance | 6r | |
| s | Total amount disallowable under section 36 (total of 6a to 6r) | 6s | |
| t | Total number of employees employed by the company (mandatory in case company has recognized Provident Fund) | | |
| | i deployed in India | i | |
| | ii deployed outside India | ii | |
| | iii Total | iii | |
| 7 Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37 | | | |
| a | Expenditure of capital nature [37(1)] | 7a | |
| b | Expenditure of personal nature [37(1)] | 7b | |
| c | Expenditure laid out or expended wholly and exclusively NOT for the purpose of business or profession [37(1)] | 7c | |
| d | Expenditure on advertisement in any souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like, published by a political party [37(2B)] | 7d | |
| e | Expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being in force | 7e | |
| f | Any other penalty or fine | 7f | |
| g | Expenditure incurred for any purpose which is an offence or which is prohibited by law | 7g | |
| h | Amount of any liability of a contingent nature | 7h | |
| i | Any other amount not allowable under section 37 | 7i | |
| j | Total amount disallowable under section 37 (total of 7a to 7i) | 7j | |
| 8 A. Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40 | | | |
| a | Amount disallowable under section 40 (a)(i), on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B | Aa | |
| b | Amount disallowable under section 40(a)(ia) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B | Ab | |
| c | Amount disallowable under section 40 (a)(ib), on account of non-compliance with the provisions of Chapter VIII of the Finance Act, 2016 | Ac | |
| d | Amount disallowable under section 40(a)(iii) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B | Ad | |
| e | Amount of tax or rate levied or assessed on the basis of profits [40(a)(ii)] | Ae | |

| | | | | | |
|----|---|--|-----|-----|--|
| | f | Amount paid as wealth tax [40(a)(ia)] | Af | | |
| | g | Amount paid by way of royalty, license fee, service fee etc. as per section 40(a)(iib) | Ag | | |
| | h | Amount of interest, salary, bonus, commission or remuneration paid to any partner or member [40(b)] | Ah | | |
| | i | Any other disallowance | Ai | | |
| | j | Total amount disallowable under section 40(total of Aa to Ai) | | 8Aj | |
| B. | | Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year | | 8B | |
| 9 | Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A | | | | |
| | a | Amounts paid to persons specified in section 40A(2)(b) | 9a | | |
| | b | Amount paid otherwise than by account payee cheque or account payee bank draft under section 40A(3) – 100% disallowable | 9b | | |
| | c | Provision for payment of gratuity [40A(7)] | 9c | | |
| | d | any sum paid by the assessee as an employer for setting up or as contribution to any fund, trust, company, AOP, or BOI or society or any other institution [40A(9)] | 9d | | |
| | e | Any other disallowance | 9e | | |
| | f | Total amount disallowable under section 40A | | 9f | |
| 10 | Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year | | | | |
| | a | Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law | 10a | | |
| | b | Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees | 10b | | |
| | c | Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered | 10c | | |
| | d | Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation | 10d | | |
| | e | Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank | 10e | | |
| | f | Any sum payable towards leave encashment | 10f | | |
| | g | Total amount allowable under section 43B (total of 10a to 10f) | | 10g | |
| 11 | Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B | | | | |
| | a | Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law | 11a | | |
| | b | Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees | 11b | | |
| | c | Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered | 11c | | |
| | d | Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation | 11d | | |
| | e | Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank | 11e | | |
| | f | Any sum payable towards leave encashment | 11f | | |
| | g | Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets | 11g | | |
| | h | Total amount disallowable under Section 43B(total of 11a to 11g) | | 11h | |
| 12 | Amount of credit outstanding in the accounts in respect of | | | | |
| | a | Union Excise Duty | 12a | | |
| | b | Service tax | 12b | | |
| | c | VAT/sales tax | 12c | | |
| | d | Any other tax | 12d | | |
| | e | Total amount outstanding (total of 12a to 12d) | | 12e | |
| 13 | Amounts deemed to be profits and gains under section 33AB or 33ABA or 33AC | | | | |
| | | | | 13 | |

| | | | |
|----|--|----|--|
| 14 | Any amount of profit chargeable to tax under section 41 | 14 | |
| 15 | Amount of income or expenditure of prior period credited or debited to the profit and loss account (net) | 15 | |

| Part A – QD | | Quantitative details (optional in a case not liable for audit under section 44AB) | | |
|----------------------|--|---|--|----|
| QUANTITATIVE DETAILS | (a) In the case of a trading concern | | | |
| | 1 | Opening stock | 1 | |
| | 2 | Purchase during the previous year | 2 | |
| | 3 | Sales during the previous year | 3 | |
| | 4 | Closing stock | 4 | |
| | 5 | Shortage/ excess, if any | 5 | |
| | (b) In the case of a manufacturing concern | | | |
| | 6 | Raw materials | | |
| | | a | Opening stock | 6a |
| | | b | Purchases during the previous year | 6b |
| | | c | Consumption during the previous year | 6c |
| | | d | Sales during the previous year | 6d |
| | | e | Closing stock | 6e |
| | | f | Yield finished products | 6f |
| | | g | Percentage of yield | 6g |
| | | h | Shortage/ excess, if any | 6h |
| | 7 | Finished products/ By-products | | |
| | | a | opening stock | 7a |
| | | b | purchase during the previous year | 7b |
| | | c | quantity manufactured during the previous year | 7c |
| | d | sales during the previous year | 7d | |
| | e | closing stock | 7e | |
| | f | shortage/ excess, if any | 7f | |

| Part B - TI | | Computation of total income | | | |
|--------------|---|--|--|---|------|
| TOTAL INCOME | 1 | Income from house property (3b of Schedule-HP) (enter nil if loss) | 1 | | |
| | 2 | Profits and gains from business or profession | | | |
| | | i | Profits and gains from business other than speculative business and specified business (A37 of Schedule-BP)(enter nil if loss) | 2i | |
| | | ii | Profits and gains from speculative business (B41 of Schedule BP) (enter nil if loss and carry this figure to Schedule CFL) | 2ii | |
| | | iii | Profits and gains from specified business (C47 of Schedule BP) (enter nil if loss and carry this figure to Schedule CFL) | 2iii | |
| | | iv | Income from patent u/s 115BBF (3d of Schedule BP) | 2iv | |
| | | v | Total (2i + 2ii + 2iii + 2iv) (enter nil, if loss and carry this figure of loss to Schedule CYLA) | 2v | |
| | 3 | Capital gains | | | |
| | | a | Short term | | |
| | | | i | Short-term chargeable @ 15% (7ii of item E of schedule CG) | ai |
| | | | ii | Short-term chargeable @ 30% (7iii of item E of schedule CG) | aii |
| | | | iii | Short-term chargeable at applicable rate (7iv of item E of schedule CG) | aiii |
| | | | iv | Total Short-term (ai + aii + aiii) | 3aiv |
| | | b | Long-term | | |
| | | | i | Long-term chargeable @ 10% (7v of item E of schedule CG) | bi |
| | | ii | Long-term chargeable @ 20% (7vi of item E of schedule CG) | bii | |
| | | iii | Total Long-term (bi + bii) (enter nil if loss) | biii | |

| | | | | | |
|-----------|---|---|-----------|------------|-----------|
| | c | Total capital gains (3aiv + 3biii) (enter nil if loss) | | 3c | |
| 4 | Income from other sources | | | | |
| | a | from sources other than from owning and maintaining race horses and income chargeable to tax at special rate (1i of Schedule OS) (enter nil if loss) | 4a | | |
| | b | Income chargeable to tax at special rate (1fvii of Schedule OS) | 4b | | |
| | c | from owning and maintaining race horses (3c of Schedule OS) (enter nil if loss) | 4c | | |
| | d | Total (4a + 4b + 4c) | | 4d | |
| 5 | Total (1 + 2v + 3c + 4d) | | | | 5 |
| 6 | Losses of current year to be set off against 5 (total of 2xiii, 3xiii and 4xiii of Schedule CYLA) | | | | 6 |
| 7 | Balance after set off current year losses (5 – 6) (total of column 5 of schedule CYLA + 4b) | | | | 7 |
| 8 | Brought forward losses to be set off losses against 7 (total of 2xii, 3 xii and 4xii of Schedule BFLA) | | | | 8 |
| 9 | Gross Total income (7 – 8) (also 5xiii of Schedule BFLA + 4b) | | | | 9 |
| 10 | Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112 etc. included in 9 | | | | 10 |
| 11 | Deduction u/s 10A or 10AA (c of Schedule 10A + c of Schedule 10AA) | | | | 11 |
| 12 | Deductions under Chapter VI-A | | | | |
| | a | Part-B of Chapter VI-A [1 of Schedule VI-A and limited upto (9-10)] | | 12a | |
| | b | Part-C of Chapter VI-A [2 of Schedule VI-A and limited upto (9-10-2iii)] | | 12b | |
| | c | Total (12a + 12b) [limited upto (9-10)] | | 12c | |
| 13 | Total income (9 – 11-12c) | | | | 13 |
| 14 | Income chargeable to tax at special rates (total of (i) of schedule SI) | | | | 14 |
| 15 | Net agricultural income/ any other income for rate purpose (4 of Schedule EI) | | | | 15 |
| 16 | Aggregate income (13 – 14 + 15) [applicable if (13-14) exceeds maximum amount not chargeable to tax] | | | | 16 |
| 17 | Losses of current year to be carried forward (total of xi of Schedule CFL) | | | | 17 |
| 18 | Deemed total income under section 115JC (3 of Schedule AMT) | | | | 18 |

Part B - TTI**Computation of tax liability on total income**

COMPUTATION OF TAX LIABILITY

| | | | | | |
|----------|---|--|--|--------------|----------|
| 1 | a | Tax payable on deemed total income under section 115JC (4 of Schedule AMT) | | 1a | |
| | b | Surcharge on (a) above (applicable if 3 of schedule AMT exceeds 1 crore) | | 1b | |
| | c | Education Cess, including secondary and higher education cess on 1a+1b above | | 1c | |
| | d | Total Tax Payable on deemed total income (1a+1b+1c) | | 1d | |
| 2 | Tax payable on total income | | | | |
| | a | Tax at normal rates on 16 of Part B-TI | 2a | | |
| | b | Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule-SI) | 2b | | |
| | c | Rebate on agricultural income [applicable if (13-14) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax] | 2c | | |
| | d | Tax Payable on total income (2a+2b -2c) | | 2d | |
| | e | Surcharge | | | |
| | | i | 25% of 12(ii) of Schedule SI | 2ei | |
| | | ii | On [(2d) – (12(ii) of Schedule SI)] (applicable if 13 of Part B-TI exceeds 1 crore) | 2eii | |
| | | iii | Total (i + ii) | 2eiii | |
| | f | Education cess, including secondary and higher education cess on 2d+2eiii | | 2f | |
| | g | Gross tax liability (2d + 2eiii + 2f) | | 2g | |
| 3 | Gross tax payable (higher of 1d or 2g) | | | | 3 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|------------------|---|--|
| TAXES PAID AND BANK DETAILS | 4 | Credit under section 115JD of tax paid in earlier years (applicable if 2g is more than 1d) (5 of Schedule AMTC) | | | 4 | |
| | 5 | Tax payable after credit under section 115JD (3 - 4) | | | 5 | |
| | 6 | Tax relief | | | | |
| | | a | Section 90/90A (2 of Schedule TR) | 6a | | |
| | | b | Section 91(3 of Schedule TR) | 6b | | |
| | | c | Total (6a + 6b) | | 6c | |
| | 7 | Net tax liability (5 - 6c) (enter zero, if negative) | | | 7 | |
| | 8 | Interest payable | | | | |
| | | a | For default in furnishing the return (section 234A) | 8a | | |
| | | b | For default in payment of advance tax (section 234B) | 8b | | |
| | c | For deferment of advance tax (section 234C) | 8c | | | |
| | d | Total Interest Payable (8a+8b+8c) | | 8d | | |
| 9 | Aggregate liability (7 + 8d) | | | 9 | | |
| TAXES PAID AND BANK DETAILS | 10 | Taxes Paid | | | | |
| | | a | Advance Tax (from column 5 of 15A) | 10a | | |
| | | b | TDS (total of column 8 of 15B) | 10b | | |
| | | c | TCS (total of column 7 of 15C) | 10c | | |
| | | d | Self-Assessment Tax (from column 5 of 15A) | 10d | | |
| | | e | Total Taxes Paid (10a+10b+10c+10d) | | 10e | |
| 11 | Amount payable (Enter if 9 is greater than 10e, else enter 0) | | | 11 | | |
| 12 | Refund (If 10e is greater than 9) (refund, if any, will be directly credited into the bank account) | | | 12 | | |
| BANK ACCOUNT | 13 | Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts) | | | | |
| | | Sl. | IFS Code of the Bank | Name of the Bank | Account Number (the number should be 9 digits or more as per CBS system of the bank) | Indicate the account in which you prefer to get your refund credited, if any (tick one account <input checked="" type="checkbox"/>) |
| | | i | | | | Cash deposited during 09.11.2016 to 30.12.2016 (if aggregate cash deposits during the period ≥ Rs.2 lakh) |
| | | ii | | | | |
| 14 | Do you at any time during the previous year,- (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? [applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes] | | | | | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |

VERIFICATION

I, _____ (full name in block letters), son/ daughter of _____, holding permanent account number _____ solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and the schedules thereto is correct and complete and that the amount of total income and other particulars shown therein are truly stated and are in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961, in respect of income chargeable to income-tax for the previous year relevant to the assessment year 2017-18. I further declare that I am making this return in my capacity as _____ and I am also competent to make this return and verify it.

I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable, in a case where return is furnished under section 92CD)

Place

Date

Sign here →

| 15 | | TAX PAYMENTS | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|---|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| A | | Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax | | | | | | | |
| ADVANCE/SELF ASSESSMENT TAX | Sl No | BSR Code | | | Date of Deposit (DD/MM/YYYY) | | Serial Number of Challan | | Amount (Rs) |
| | (1) | (2) | | | (3) | | (4) | | (5) |
| | i | | | | | | | | |
| | ii | | | | | | | | |
| | | NOTE ▶ Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl No. 10a & 10d of Part B-TTI | | | | | | | |
| B | | Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A or Form 26QB issued by Deductor(s)] | | | | | | | |
| TDS ON INCOME | Sl No | TAN of the Deductor/ PAN of the Buyer | Name of the Deductor | Unique TDS Certificate Number | Unclaimed TDS brought forward (b/f) | | TDS of the current fin. year | Amount out of (6) or (7) being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year) | Amount out of (6) or (7) being carried forward |
| | | | | | Fin. Year in which deducted | Amount b/f | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | i | | | | | | | | |
| ii | | | | | | | | | |
| | | NOTE ▶ Please enter total of column (8) of Schedule-TDS in 10b of Part B-TTI | | | | | | | |
| C | | Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)] | | | | | | | |
| TCS ON INCOME | Sl No | Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector | Name of the Collector | Unclaimed TCS brought forward (b/f) | | TCS of the current fin. year | Amount out of (5) or (6) being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year) | Amount out of (5) or (6) being carried forward | |
| | | | | Fin. Year in which collected | Amount b/f | | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| | i | | | | | | | | |
| ii | | | | | | | | | |
| | | NOTE ▶ Please enter total of column (7) of Schedule-TDS in 10c of Part B-TTI | | | | | | | |

NOTE: PLEASE FILL SCHEDULES TO THE RETURN FORM (PAGES S1 - S18) AS APPLICABLE

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)

| Schedule HP | | Details of Income from House Property (Please refer instructions) | | | | | | |
|----------------|--|---|----|--------------------------------|------------|--|------------------------------|----------|
| HOUSE PROPERTY | 1 | Address of property 1 | | | Town/ City | | State | PIN Code |
| | Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details) | | | | | | | |
| | Assessee's percentage of share in the property <input type="text"/> | | | | | | | |
| | Name of Co-owner(s) | | | PAN of Co-owner (s) | | | Percentage Share in Property | |
| | I | | | | | | | |
| | II | | | | | | | |
| | (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> if let out <input type="checkbox"/> deemed let out <input type="checkbox"/> | | | Name(s) of Tenant (if let out) | | | PAN of Tenant(s) (optional) | |
| | | | I | | | | | |
| | | | II | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|----|------------------------------|-------|----------|
| | a | Annual lettable value or rent received or receivable (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two if let out for part of the year) | | 1a | | |
| | b | The amount of rent which cannot be realized | 1b | | | |
| | c | Tax paid to local authorities | 1c | | | |
| | d | Total (1b + 1c) | 1d | | | |
| | e | Annual value (1a - 1d) | | 1e | | |
| | f | Annual value of the property owned (own percentage share x 1e) | | | 1f | |
| | g | 30% of 1f | 1g | | | |
| | h | Interest payable on borrowed capital | 1h | | | |
| | i | Total (1g + 1h) | | | 1i | |
| | j | Income from house property 1 (1f - 1i) | | | | 1j |
| | 2 | Address of property 2 | | Town/ City | State | PIN Code |
| | Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details) | | | | | |
| Assessee's percentage of share in the property <input type="text"/> | | | | | | |
| Name of Co-owner(s) | | PAN of Co-owner (s) | | Percentage Share in Property | | |
| I | | | | | | |
| II | | | | | | |
| (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> if let out <input type="checkbox"/> deemed let out <input type="checkbox"/> | | Name(s) of Tenant (if let out) | | PAN of Tenant(s) (optional) | | |
| | | I | | | | |
| | | II | | | | |
| a | Annual lettable value or rent received or receivable (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two, if let out for part of the year) | | | 2a | | |
| b | The amount of rent which cannot be realized | 2b | | | | |
| c | Tax paid to local authorities | 2c | | | | |
| d | Total (2b + 2c) | 2d | | | | |
| e | Annual value (2a - 2d) | | | 2e | | |
| f | Annual value of the property owned (own percentage share x 2e) | | | | 2f | |
| g | 30% of 2f | 2g | | | | |
| h | Interest payable on borrowed capital | 2h | | | | |
| i | Total (2g + 2h) | | | 2i | | |
| j | Income from house property 2 (2f - 2i) | | | | 2j | |
| 3 | Income under the head "Income from house property" | | | | | |
| a | Unrealized rent and Arrears of rent received during the year under section 25A after deducting 30% | | | 3a | | |
| b | Total (1j + 2j + 3a) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA) | | | 3b | | |

Schedule BP Computation of income from business or profession

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|------------------|----|--|
| INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION | A From business or profession other than speculative business and specified business | | | | | |
| | 1 | Profit before tax as per profit and loss account (item 46 & 54 of Part A-P&L) | | | 1 | |
| | 2a | Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter -ve sign in case of loss) | | 2a | | |
| | 2b | Net profit or Loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter -ve sign in case of loss) | | 2b | | |
| | 3 | Income/ receipts credited to profit and loss account considered under other heads of income/chargeable u/s 115BBF | | a House property | 3a | |
| | | | | b Capital gains | 3b | |
| | | | | c Other sources | 3c | |
| | | | | d u/s 115BBF | 3d | |
| | 4 | Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44AD/44ADA/44AE/44B/44BB/44BBA/44BBB/44D/44DA/44DB/Chapter-XII-G/ First Schedule of Income-tax Act | | | 4 | |
| | 5 | Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt | | | | |
| a | Share of income from firm(s) | 5a | | | | |
| b | Share of income from AOP/ BOI | 5b | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---------------|-------|----------------|----|--|
| | c Any other exempt income (specify nature and amount) | | | | | | |
| | i | | ci | | | | |
| | ii | | cii | | | | |
| | iii | Total (ci + cii) | 5ciii | | | | |
| | d | Total exempt income (5a + 5b + 5ciii) | | 5d | | | |
| 6 | Balance (1– 2a – 2b – 3a - 3b – 3c – 3d – 4– 5d) | | | | 6 | | |
| 7 | | Expenses debited to profit and loss account considered under other heads of income/related to income chargeable u/s 115BBF | | a | House property | 7a | |
| | | b | Capital gains | 7b | | | |
| | | c | Other sources | 7c | | | |
| | | d | u/s 115BBF | 7d | | | |
| 8 | Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income | | | 8 | | | |
| 9 | Total (7a + 7b + 7c + 7d + 8) | | | 9 | | | |
| 10 | Adjusted profit or loss (6+9) | | | | 10 | | |
| 11 | Depreciation and amortisation debited to profit and loss account | | | | 11 | | |
| 12 | Depreciation allowable under Income-tax Act | | | | | | |
| | I | Depreciation allowable under section 32(1)(ii) and 32(1)(ia) (column 6 of Schedule-DEP) | | 12i | | | |
| | ii | Depreciation allowable under section 32(1)(i) (Make your own computation refer Appendix-IA of IT Rules) | | 12ii | | | |
| | iii | Total (12i + 12ii) | | 12iii | | | |
| 13 | Profit or loss after adjustment for depreciation (10 +11 – 12iii) | | | | 13 | | |
| 14 | Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 (6s of Part A-OI) | | | 14 | | | |
| 15 | Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37 (7j of Part A-OI) | | | 15 | | | |
| 16 | Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40 8Aj of Part A-OI) | | | 16 | | | |
| 17 | Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A (9f of PartA-OI) | | | 17 | | | |
| 18 | Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B (11h of Part A-OI) | | | 18 | | | |
| 19 | Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 | | | 19 | | | |
| 20 | Deemed income under section 41 | | | 20 | | | |
| 21 | Deemed income under section 32AC/ 32AD/ 33AB/ 33ABA/35ABA/35ABB/ 35AC/ 40A(3A)/ 33AC/ 72A/ 80HHD/ 80-IA | | | 21 | | | |
| 22 | Deemed income under section 43CA | | | 22 | | | |
| 23 | Any other item of addition under section 28 to 44DB | | | 23 | | | |
| 24 | Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which assessee is a partner) | | | 24 | | | |
| 25 | Total (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24) | | | | 25 | | |
| 26 | Deduction allowable under section 32(1)(iii) | | | 26 | | | |
| 27 | Deduction allowable under section 32AD | | | 27 | | | |
| 28 | Amount of deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD in excess of the amount debited to profit and loss account (item x(4) of Schedule ESR) (if amount deductible under section 35 or 35CCC or 35CCD is lower than amount debited to P&L account, it will go to item 24) | | | 28 | | | |
| 29 | Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year(8B of Part A-OI) | | | 29 | | | |
| 30 | Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year(10g of Part A-OI) | | | 30 | | | |
| 31 | Deduction under section 35AC | | | | | | |

| | | | | | |
|---|------|--|--|-----------------------|---|
| | A | Amount, if any, debited to profit and loss account | 31a | | |
| | B | Amount allowable as deduction | 31b | | |
| | C | Excess amount allowable as deduction (31b – 31a) | 31c | | |
| 32 | | Any other amount allowable as deduction | 32 | | |
| 33 | | Total (26 + 27+28 +29 +30 + 31c+32) | | 33 | |
| 34 | | Income (13 + 25 – 33) | | 34 | |
| 35 | | Profits and gains of business or profession deemed to be under - | | | |
| | i | Section 44AD | 35i | | |
| | ii | Section 44ADA | 35ii | | |
| | iii | Section 44AE | 35iii | | |
| | iv | Section 44B | 35iv | | |
| | v | Section 44BB | 35 v | | |
| | vi | Section 44BBA | 35vi | | |
| | vii | Section 44BBB | 35vii | | |
| | viii | Section 44D | 35viii | | |
| | ix | Section 44DA | 35ix | | (item 4 of Form 3CE) |
| | x | Section 44DB | 35x | | |
| | xi | First Schedule of Income-tax Act | 35xi | | |
| | xii | Total (35i to 35xi) | | 35xii | |
| 36 | | Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business (34 + 35xii) | | 36 | |
| 37 | | Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rule 7A, 7B or 8, if applicable (If rule 7A, 7B or 8 is not applicable, enter same figure as in 36) (If loss take the figure to 2i of item E) | | A37 | |
| B Computation of income from speculative business | | | | | |
| 38 | | Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account | | 38 | |
| 39 | | Additions in accordance with section 28 to 44DB | | 39 | |
| 40 | | Deductions in accordance with section 28 to 44DB | | 40 | |
| 41 | | Income from speculative business (38 + 39 - 40) (if loss, take the figure to 6xi of schedule CFL) | | B41 | |
| C Computation of income from specified business under section 35AD | | | | | |
| 42 | | Net profit or loss from specified business as per profit or loss account | | 42 | |
| 43 | | Additions in accordance with section 28 to 44DB | | 43 | |
| 44 | | Deductions in accordance with section 28 to 44DB (other than deduction under section, - (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed) | | 44 | |
| 45 | | Profit or loss from specified business (42 + 43 - 44) | | 45 | |
| 46 | | Deductions in accordance with section 35AD(1) or 35AD(1A) | | 46 | |
| 47 | | Income from Specified Business (45 – 46) (if loss, take the figure to 7xi of schedule CFL) | | C47 | |
| D Income chargeable under the head 'Profits and gains from business or profession' (A37+B41+C47) | | | | D | |
| E Intra head set off of business loss of current year | | | | | |
| | Sl. | Type of Business income | Income of current year (Fill this column only if figure is zero or positive) | Business loss set off | Business income remaining after set off |
| | | | (1) | (2) | (3) = (1) – (2) |
| | i | Loss to be set off (Fill this row only if figure is negative) | | (A37) | |
| | ii | Income from speculative business | (B41) | | |
| | iii | Income from specified business | (C47) | | |
| | iv | Total loss set off (ii + iii) | | | |
| | v | Loss remaining after set off (i – iv) | | | |

| Schedule DPM | | Depreciation on Plant and Machinery (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section) | | | | | | |
|---------------------|---|--|------|-------|------|-----|------|-------|
| 1 | Block of assets | Plant and machinery | | | | | | |
| | | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Rate (%) | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | (vii) |
| 3 | Written down value on the first day of previous year | | | | | | | |
| 4 | Additions for a period of 180 days or more in the previous year | | | | | | | |
| 5 | Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4 | | | | | | | |
| 6 | Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 - 5) (enter 0, if result is negative) | | | | | | | |
| 7 | Additions for a period of less than 180 days in the previous year | | | | | | | |
| 8 | Consideration or other realizations during the year out of 7 | | | | | | | |
| 9 | Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7 - 8) (enter 0, if result is negative) | | | | | | | |
| 10 | Depreciation on 6 at full rate | | | | | | | |
| 11 | Depreciation on 9 at half rate | | | | | | | |
| 12 | Additional depreciation, if any, on 4 | | | | | | | |
| 13 | Additional depreciation, if any, on 7 | | | | | | | |
| 14 | Additional depreciation relating to immediately preceding year' on asset put to use for less than 180 days | | | | | | | |
| 15 | Total depreciation* (10+11+12+13+14) | | | | | | | |
| 16 | Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets | | | | | | | |
| 17 | Capital gains/ loss under section 50* (5 + 8 - 3 - 4 - 7 - 16) (enter negative only if block ceases to exist) | | | | | | | |
| 18 | Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -15) (enter 0 if result is negative) | | | | | | | |

| Schedule DOA | | Depreciation on other assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction) | | | | | |
|---------------------|--|---|------|-------|------------------------|-------------------|-------|
| 1 | Block of assets | Building | | | Furniture and fittings | Intangible assets | Ships |
| | | 5 | 10 | 100 | 10 | 25 | 20 |
| 2 | Rate (%) | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) |
| 3 | Written down value on the first day of previous year | | | | | | |
| 4 | Additions for a period of 180 days or more in the previous year | | | | | | |
| 5 | Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4 | | | | | | |
| 6 | Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 - 5) (enter 0, if result is negative) | | | | | | |
| 7 | Additions for a period of less than 180 days in the previous year | | | | | | |
| 8 | Consideration or other realizations during the year out of 7 | | | | | | |
| 9 | Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative) | | | | | | |
| 10 | Depreciation on 6 at full rate | | | | | | |
| 11 | Depreciation on 9 at half rate | | | | | | |
| 12 | Total depreciation* (10+11) | | | | | | |
| 13 | Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 14 | Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3-4 -7 -13) (enter negative only if block ceases to exist) | | | | | | |
| 15 | Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -12) (enter 0 if result is negative) | | | | | | |

| Schedule DEP | | Summary of depreciation on assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section) | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|----|--|--|---|----|
| SUMMARY OF DEPRECIATION ON ASSETS | 1 | Plant and machinery | | | | | |
| | a | Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 15 i) | 1a | | | | |
| | b | Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 15 ii) | 1b | | | | |
| | c | Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 15 iii) | 1c | | | | |
| | d | Block entitled for depreciation @ 50 per cent (Schedule DPM - 15 iv) | 1d | | | | |
| | e | Block entitled for depreciation @ 60 per cent (Schedule DPM - 15 v) | 1e | | | | |
| | f | Block entitled for depreciation @ 80 per cent (Schedule DPM - 15 vi) | 1f | | | | |
| | g | Block entitled for depreciation @ 100 per cent (Schedule DPM - 15 vii) | 1g | | | | |
| | h | Total depreciation on plant and machinery (1a + 1b + 1c + 1d+ 1e + 1f + 1g) | | | | | 1h |
| | 2 | Building | | | | | |
| | a | Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 12i) | 2a | | | | |
| | b | Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 12ii) | 2b | | | | |
| | c | Block entitled for depreciation @ 100 per cent (Schedule DOA- 12iii) | 2c | | | | |
| | d | Total depreciation on building (total of 2a + 2b + 2c) | | | | | 2d |
| 3 | Furniture and fittings(Schedule DOA- 12 iv) | | | | | 3 | |
| 4 | Intangible assets (Schedule DOA- 12 v) | | | | | 4 | |
| 5 | Ships (Schedule DOA- 12 vi) | | | | | 5 | |
| 6 | Total depreciation (1h+2d+3+4+5) | | | | | 6 | |

| Schedule DCG | | Deemed Capital Gains on sale of depreciable assets | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|----|--|--|--|----|
| SUMMARY OF DEPRECIATION ON ASSETS | 1 | Plant and machinery | | | | | |
| | a | Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 17i) | 1a | | | | |
| | b | Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 17ii) | 1b | | | | |
| | c | Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 17iii) | 1c | | | | |
| | d | Block entitled for depreciation @ 50 per cent (Schedule DPM - 17iv) | 1d | | | | |
| | e | Block entitled for depreciation @ 60 per cent (Schedule DPM - 17v) | 1e | | | | |
| | f | Block entitled for depreciation @ 80 per cent (Schedule DPM - 17vi) | 1f | | | | |
| | g | Block entitled for depreciation @ 100 per cent (Schedule DPM - 17vii) | 1g | | | | |
| | h | Total (1a +1b + 1c + 1d + 1e + 1f + 1g) | | | | | 1h |
| | 2 | Building | | | | | |
| | a | Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 14i) | 2a | | | | |
| | b | Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 14ii) | 2b | | | | |
| | c | Block entitled for depreciation @ 100 per cent (Schedule DOA- 14iii) | 2c | | | | |
| | d | Total (2a + 2b + 2c) | | | | | 2d |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 3 | Furniture and fittings (Schedule DOA- 14iv) | 3 | |
| 4 | Intangible assets (Schedule DOA- 14v) | 4 | |
| 5 | Ships (Schedule DOA- 14vi) | 5 | |
| 6 | Total (1h+2d+3+4+5) | 6 | |

Schedule ESR Deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD

| Sl No | Expenditure of the nature referred to in section (1) | Amount, if any, debited to profit and loss account (2) | Amount of deduction allowable (3) | Amount of deduction in excess of the amount debited to profit and loss account (4) = (3) - (2) |
|-------|--|--|-----------------------------------|--|
| i | 35(1)(i) | | | |
| ii | 35(1)(ii) | | | |
| iii | 35(1)(ia) | | | |
| iv | 35(1)(iii) | | | |
| v | 35(1)(iv) | | | |
| vi | 35(2AA) | | | |
| vii | 35(2AB) | | | |
| viii | 35CCC | | | |
| ix | 35CCD | | | |
| x | Total | | | |

Schedule CG Capital Gains

| A Short-term Capital Gains (STCG) (Items 4, 5 & 8 are not applicable for residents) | | | | | |
|---|---|---|---|------|---------------------|
| Short-term Capital Gains | 1 | From sale of land or building or both | | | |
| | a | I | Full value of consideration received/receivable | ai | |
| | | ii | Value of property as per stamp valuation authority | aii | |
| | | iii | Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains (ai or aii) | aiii | |
| | b | Deductions under section 48 | | | |
| | | I | Cost of acquisition without indexation | bi | |
| | | ii | Cost of Improvement without indexation | bii | |
| | | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | biii | |
| | | Iv | Total (bi + bii + biii) | biv | |
| | c | Balance (aiii – biv) | | 1c | |
| | d | Deduction under section 54D/ 54G/54GA (Specify details in item D below) | | 1d | |
| | e | Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d) | | | A1e |
| | 2 | From slump sale | | | |
| | a | Full value of consideration | | 2a | (5 of Form 3CEA) |
| | b | Net worth of the under taking or division | | 2b | (6(e) of Form 3CEA) |
| c | Short term capital gains from slump sale (2a-2b) | | | A2 | |
| 3 | From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(ii) proviso (for FII) | | | | |
| a | Full value of consideration | | 3a | | |
| b | Deductions under section 48 | | | | |
| | I | Cost of acquisition without indexation | bi | | |
| | ii | Cost of Improvement without indexation | bii | | |
| | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | biii | | |
| | Iv | Total (i + ii + iii) | biv | | |
| c | Balance (3a – biv) | | 3c | | |
| d | Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only) | | 3d | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|
| | e | Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (3c +3d) | | A3 e | | |
| 4 | For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48) | | | | | |
| | a | STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is paid | | A4 | | |
| | b | STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is not paid | | A4 | | |
| 5 | For NON-RESIDENTS- from sale of securities (other than those at A3 above) by an FII as per section 115AD | | | | | |
| | a | Full value of consideration | 5a | | | |
| | b | Deductions under section 48 | | | | |
| | I | Cost of acquisition without indexation | bi | | | |
| | ii | Cost of improvement without indexation | bii | | | |
| | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | biiii | | | |
| | Iv | Total (i + ii + iii) | biv | | | |
| | c | Balance (5a – biv) | 5c | | | |
| | d | Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only) | 5d | | | |
| | e | Short-term capital gain on securities (other than those at A3 above) by an FII (5c +5d) | | A5 e | | |
| 6 | From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above | | | | | |
| | a | Full value of consideration | 6a | | | |
| | b | Deductions under section 48 | | | | |
| | I | Cost of acquisition without indexation | bi | | | |
| | ii | Cost of Improvement without indexation | bii | | | |
| | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | biiii | | | |
| | Iv | Total (i + ii + iii) | biv | | | |
| | c | Balance (6a – biv) | 6c | | | |
| | d | In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only) | 6d | | | |
| | e | Deemed short term capital gains on depreciable assets (6 of schedule- DCG) | 6e | | | |
| | f | Deduction under section 54D/54G/54GA | 6f | | | |
| | g | STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above (6c + 6d + 6e – 6f) | | A6 | | |
| 7 | Amount deemed to be short term capital gains | | | | | |
| a | Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below | | | | | |
| | Sl | Previous year in which asset transferred | Section under which deduction claimed in that year | New asset acquired/constructed Year in which asset acquired/constructed | Amount utilised out of Capital Gains account | Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X) |
| | i | 2013-14 | 54D/54G/54GA | | | |

| | | | | | | | |
|--|----------|---|--|---|--|--|----------------------------|
| | b | Amount deemed to be short term capital gains u/s 54D/54G/54GA, other than at 'a' | | | | | |
| | | Amount deemed to be short term capital gains (Xi + b) | | | | A7 | |
| | 8 | FOR NON-RESIDENTS- STCG included in A1-A7 but not chargeable to tax in India as per DTAA | | | | | |
| | | Sl. | Country name, code | Article of DTAA | Whether Tax Residency Certificate obtained? | Item No. A1 to A7 above in which included | |
| | | I | | | | <i>A1e/A2c/A3e/A4a/A4b/A5e/A6g/A7</i> | |
| | | II | | | | <i>A1e/A2c/A3e/A4a/A4b/A5e/A6g/A7</i> | |
| | | III Total amount of STCG not chargeable to tax in India as per DTAA | | | | A8 | |
| | 9 | Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2c+ A3e+ A4a+ A4b+ A5e+ A6g+A7 –A8) | | | | A9 | |
| B Long-term capital gain (LTCG) (Items 5, 6 & 9 are not applicable for residents) | | | | | | | |
| Long-term Capital Gains | 1 | From sale of land or building or both | | | | | |
| | | a | I | Full value of consideration received/receivable | | ai | |
| | | | ii | Value of property as per stamp valuation authority | | aii | |
| | | | iii | Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains (ai or aii) | | aiii | |
| | | b | Deductions under section 48 | | | | |
| | | | I | Cost of acquisition with indexation | | bi | |
| | | | ii | Cost of Improvement with indexation | | bii | |
| | | | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | | biii | |
| | | | Iv | Total (bi + bii + biii) | | biv | |
| | | c | Balance (aiii – biv) | | | 1c | |
| | | d | Deduction under section 54D/54EC/54EE /54G/54GA (Specify details in item D below) | | | 1d | |
| | | e | Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d) | | | | B1 |
| | | 2 | From slump sale | | | | |
| | | | a | Full value of consideration | | 2a | <i>(5 of Form 3CEA)</i> |
| | | | b | Net worth of the under taking or division | | 2b | <i>(6(e) of Form 3CEA)</i> |
| | | | c | Balance (2a – 2b) | | 2c | |
| | | | d | Deduction u/s 54EC/54EE | | 2d | |
| | | e | Long term capital gains from slump sale (2c-2d) | | | | B2 |
| | | 3 | From sale of bonds or debenture (other than capital indexed bonds issued by Government) | | | | |
| | | | a | Full value of consideration | | 3a | |
| | | b | Deductions under section 48 | | | | |
| | | | I | Cost of acquisition without indexation | | bi | |
| | | | ii | Cost of improvement without indexation | | bii | |
| | | | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with | | biii | |
| | | | Iv | Total (bi + bii +biii) | | biv | |
| | c | Balance (3a – biv) | | | 3c | | |
| | d | Deduction under sections 54EC/54EE (Specify details in item D | | | 3d | | |
| | e | LTCG on bonds or debenture (3c – 3d) | | | | B3 | |
| | 4 | From sale of listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds where proviso under section 112(1) is applicable | | | | | |
| | | a | Full value of consideration | | 4a | | |

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|--|
| | | b | Deductions under section 48 | | | |
| | | i | Cost of acquisition without indexation | bi | | |
| | | ii | Cost of improvement without indexation | bii | | |
| | | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with | biii | | |
| | | iv | Total (bi + bii +biii) | biv | | |
| | | c | Balance (4a – biv) | | 4c | |
| | | d | Deduction under sections 54EC/54EE (Specify details in item D below) | | 4d | |
| | | e | Long-term Capital Gains on assets at B4 above (4c – 4d) | | | B4 |
| 5 | For NON-RESIDENTS- from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48) | | | | | |
| | | a | LTCG computed without indexation benefit | | 5a | |
| | | b | Deduction under sections 54EC/54EE (Specify details in item D below) | | 5b | |
| | | c | LTCG on share or debenture (5a-5b) | | | B5 c |
| 6 | For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) units referred in sec. 115AB, (iii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iv) securities by FII as referred to in sec. 115AD | | | | | |
| | | a | Full value of consideration | | 6a | |
| | | b | Deductions under section 48 | | | |
| | | I | Cost of acquisition without indexation | bi | | |
| | | II | Cost of improvement without indexation | bii | | |
| | | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | biii | | |
| | | Iv | Total (bi + bii +biii) | biv | | |
| | | c | Balance (6a – biv) | | 6c | |
| | | d | Deduction under sections 54EC/54EE (Specify details in item D below) | | 6d | |
| | | e | Long-term Capital Gains on assets at 6 above in case of NON-RESIDENT (6c – 6d) | | | B6 |
| 7 | From sale of assets where B1 to B6 above are not applicable | | | | | |
| | | a | Full value of consideration | | 7a | |
| | | b | Deductions under section 48 | | | |
| | | i | Cost of acquisition with indexation | bi | | |
| | | ii | Cost of improvement with indexation | bii | | |
| | | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | biii | | |
| | | iv | Total (bi + bii +biii) | biv | | |
| | | c | Balance (7a – biv) | | 7c | |
| | | d | Deduction under section 54D/54EC/54EE /54G/54GA (Specify details in item D below) | | 7d | |
| | | e | Long-term Capital Gains on assets at B7 above (7c-7d) | | | B7 e |
| 8 | Amount deemed to be long-term capital gains | | | | | |
| a | Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below | | | | | |
| | Sl. | Previous year in which asset transferred | Section under which deduction claimed in that year | New asset acquired/constructed | | Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X) |
| | i | 2013-14 | 54/54D/54F/54G/54 GA | Year in which asset acquired/constructed | Amount utilised out of Capital Gains account | |

| | | | | | | |
|---|---|---|-----------------|---|---------------------------------------|---------------------|
| b | Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a' | | | | | |
| | Amount deemed to be long-term capital gains (Xi + b) | | | | | B8 |
| 9 | FOR NON-RESIDENTS- LTCG included in items B1 to B8 but not chargeable to tax in India as per DTAA | | | | | |
| | Sl. | Country name, code | Article of DTAA | Whether Tax Residency Certificate obtained? | Item B1 to B8 above in which included | Amount of LTCG |
| | I | | | | B1e/B2e/B3e/ B4e/ B5c/B6e/B7e/B8 | |
| | II | | | | B1e/B2e/B3e/ B4e/ B5c/B6e/B7e/B8 | |
| | III | Total amount of LTCG not chargeable to tax in India as per DTAA | | | | B9 |
| 10 | Total long term capital gain [B1e +B2e+ B3e +B4e + B5c + B6e + B7e+ B8-B9] (In case of loss take the figure to 9xi of schedule CFL) | | | | | B10 |
| C Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (A9+ B10) (take B10 as nil, if loss) | | | | | | C |
| D Information about deduction claimed | | | | | | |
| 1 | In case of deduction u/s 54B/54D/54EC/54EE /54G/54GA give following details | | | | | |
| | a | Section under which deduction claimed | | | 1a | amount of deduction |
| | i | Cost of new asset | | | ai | |
| | ii | Date of its acquisition/construction | | | aii | dd/mm/yyyy |
| | iii | Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date | | | aiii | |
| | b | Section under which deduction claimed | | | 1b | amount of deduction |
| | i | Cost of new asset | | | bi | |
| | ii | Date of its acquisition/construction | | | bii | dd/mm/yyyy |
| | iii | Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date | | | biii | |
| | c | Total deduction claimed (1a + 1b) | | | 1c | |
| E | Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A8 & B9 which is chargeable under DTAA) | | | | | |

| Sl. | Type of Capital Gain | Gain of current year (Fill this column only if computed figure is positive) | Short term capital loss set off | | | Long term capital loss set off | | Current year's capital gains remaining after set off (7= 1-2-3-4-5-6) |
|---|--|---|---------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|---|
| | | | 15% | 30% | applicable rate | 10% | 20% | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| i | Loss to be set off (Fill this row if computed figure is negative) | | (A3e+A4a) | A5e | (A1e+A2c+A4b+A6g+A7) | (B4e+ + B6e) | (B1e+B2e+B3e+ B5c+ B7e+B8) | |
| ii | Short term capital gain | 15% | (A3e+A4a) | | | | | |
| iii | | 30% | A5e | | | | | |
| iv | | applicable rate | (A1e+A2c+A4b+A6g+A7) | | | | | |
| v | Long term capital gain | 10% | (B4e+ + B6e) | | | | | |
| vi | | 20% | (B1e+B2e+B3e+ B5c+ B7e+B8) | | | | | |
| vii | Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi) | | | | | | | |
| viii | Loss remaining after set off (i - vii) | | | | | | | |
| F Information about accrual/receipt of capital gain | | | | | | | | |
| | Type of Capital gain / Date | | Upto 15/6 (i) | 16/6 to 15/9 (ii) | 16/9 to 15/12 (iii) | 16/12 to 15/3 (iv) | 16/3 to 31/3 (v) | |
| 1 | Short-term capital gains taxable at the rate of 15% Enter value from item 5v of schedule BFLA, if any. | | | | | | | |
| 2 | Short-term capital gains taxable at the rate of 30% Enter value from item 5vi of schedule BFLA, if any. | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| 3 | Short-term capital gains taxable at applicable rates <i>Enter value from item 5vii of schedule BFLA, if any.</i> | | | | | |
| 4 | Long-term capital gains taxable at the rate of 10% <i>Enter value from item 5viii of schedule BFLA, if any.</i> | | | | | |
| 5 | Long-term capital gains taxable at the rate of 20% <i>Enter value from item 5ix of schedule BFLA, if any.</i> | | | | | |
| NOTE Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI while computing the income under this head | | | | | | |

Schedule OS Income from other sources

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|-------------------------|--|
| OTHER SOURCES | 1 Income | | | | | | | | |
| | a Dividends, Gross | | 1a | | | | | | |
| | b Interest, Gross | | 1b | | | | | | |
| | c Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross | | 1c | | | | | | |
| | d Others, Gross (excluding income from owning race horses) mention the nature | | | | | | | | |
| | i Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles etc. | | 1di | | | | | | |
| | ii a Cash credits u/s 68 | | | | | | | | |
| | b Unexplained investments u/s 69 | | | | | | | | |
| | c Unexplained money etc. u/s 69A | | | | | | | | |
| | d Undisclosed investments etc. u/s 69B | | | | | | | | |
| | e Unexplained expenditure etc. u/s 69C | | | | | | | | |
| | f Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D | | | | | | | | |
| | Total (a + b + c + d + e + f) | | 1dii | | | | | | |
| | iii | | 1diii | | | | | | |
| | iv | | 1div | | | | | | |
| | v Total (1di + 1dii + 1diii + 1div) | | 1dv | | | | | | |
| | e Total (1a + 1b + 1c + 1dv) | | | | | | | 1e | |
| | f Income included in '1e' chargeable to tax at special rate (to be taken to schedule SI) | | | | | | | | |
| | i Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc (u/s 115BB) | | | | | | | 1fi | |
| | ii Dividend Income from domestic company that exceeds Rs.10 Lakh (u/s 115BBDA) (only for firms) | | | | | | | 1fii | |
| | iii Deemed Income chargeable to tax u/s 115BBE | | | | | | | 1fiii | |
| | iv Income from patent chargeable u/s 11BBF | | | | | | | 1fiv | |
| | v Any other income chargeable to tax at the rate specified under chapter XII/XII-A | | | | | | | 1fv | |
| | vi FOR NON-RESIDENTS- Income chargeable to be taxed under DTAA | | | | | | | | |
| | Sl. | | Country name, code | Article of DTAA | Rate of tax under DTAA | Whether TRC obtained? | Corresponding section of the Act which prescribes rate | Amount of income | |
| I | | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | | |
| III Total amount of income chargeable to tax under DTAA | | | | | | | 1fvi | | |
| vii Income included in '1e' chargeable to tax at special rate (1fi + 1fii + 1fiii + 1fiv + 1fv + 1fvi) | | | | | | | 1fvii | | |
| g Gross amount chargeable to tax at normal applicable rates (1e-1fvii) | | | | | | | 1g | | |
| h Deductions under section 57 (other than those relating to income under 1fi, 1fii, 1fiii, 1fiv, 1fv, & 1fvi) | | | | | | | | | |
| i Expenses / Deductions | | hi | | | | | | | |
| ii Depreciation | | hii | | | | | | | |
| iii Total | | hiii | | | | | | | |
| i Income from other sources (other than from owning race horses and amount chargeable to tax at special rate) (1g – hiii) (If negative take the figure to 4i of schedule CYLA) | | | | | | | 1i | | |
| 2 Income from other sources (other than from owning and maintaining race horses) (1fiv + 1i) (enter 1i as nil, if negative) | | | | | | | 2 | | |
| 3 Income from the activity of owning race horses | | | | | | | | | |
| a Receipts | | 3a | | | | | | | |
| b Deductions under section 57 in relation to (4) | | 3b | | | | | | | |
| c Balance (3a – 3b) (if negative take the figure to 10xi of Schedule CFL) | | | | | | | 3c | | |
| 4 Income under the head "Income from other sources" (2 + 3c) (take 3c as nil if negative) | | | | | | | 4 | | |

Schedule CYLA Details of Income after Set off of current year losses

| Sl.No | Head/ Source of Income | Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive) | House property loss of the current year set off | Business Loss (other than speculation or specified business loss) of the current year set off | Other sources loss (other than loss from race horses and amount chargeable to special rate of tax) of the current year set off | Current year's Income remaining after set off |
|-------|---|--|---|---|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1-2-3-4 |
| i | Loss to be set off → | | (3b of Schedule – HP) | (2v of item E of Schedule BP) | (1i of Schedule-OS) | |
| ii | House property | (3b of Schedule HP) | | | | |
| iii | Business (excluding speculation income and income from specified business) | (A37 of Schedule BP) | | | | |
| iv | Speculation income | (3ii of item E of Sch. BP) | | | | |
| v | Specified business income u/s 35AD | (3iii of item E of Sch. BP) | | | | |
| vi | Short-term capital gain taxable @ 15% | (7ii of item E of schedule CG) | | | | |
| vii | Short-term capital gain taxable @ 30% | (7iii of item E of schedule CG) | | | | |
| viii | Short-term capital gain taxable at applicable rates | (7iv of item E of schedule CG) | | | | |
| ix | Long term capital gain taxable @ 10% | (7v of item E of schedule CG) | | | | |
| x | Long term capital gain taxable @ 20% | (7vi of item E of schedule CG) | | | | |
| xi | Other sources (excluding profit from owning race horses and amount chargeable to special rate of tax) | (1i of schedule OS) | | | | |
| xii | Profit from owning and maintaining race horses | (3c of schedule OS) | | | | |
| xiii | Total loss set off (ii+ iii+ iv+ v+ vi+ vii+ viii+ ix+ x+ xi+ xii) | | | | | |
| xiv | Loss remaining after set-off (i - xiii) | | | | | |

Schedule BFLA Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years

| Sl. No. | Head/ Source of Income | Income after set off, if any, of current year's losses as per 5 of Schedule CYLA) | Brought forward loss set off | Brought forward depreciation set off | Brought forward allowance under section 35(4) set off | Current year's income remaining after set off |
|---------|--|---|--|--------------------------------------|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| i | House property | (5ii of schedule CYLA) | (B/f house property loss) | | | |
| ii | Business (excluding speculation income and income from specified business) | (5iii of schedule CYLA) | (B/f business loss, other than speculation or specified business loss) | | | |
| iii | Speculation Income | (5iv of schedule CYLA) | (B/f normal business or speculation loss) | | | |
| iv | Specified Business Income | (5v of schedule CYLA) | (B/f normal business or specified business loss) | | | |
| v | Short-term capital gain taxable @ 15% | (5vi of schedule CYLA) | (B/f short-term capital loss) | | | |
| vi | Short-term capital gain taxable @ 30% | (5vii of schedule CYLA) | (B/f short-term capital loss) | | | |
| vii | Short-term capital gain taxable at applicable rates | (5viii of schedule CYLA) | (B/f short-term capital loss) | | | |
| viii | Long-term capital gain taxable @ 10% | (5ix of schedule CYLA) | (B/f short-term or long-term capital loss) | | | |
| ix | Long term capital gain taxable @ 20% | (5x of schedule CYLA) | (B/f short-term or long-term capital loss) | | | |

| | | | | | | |
|------|--|-------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| x | Other sources income (excluding profit from owning and maintaining race horses and amount chargeable to special rate of tax) | (5xi of schedule CYLA) | | | | |
| xi | Profit from owning and maintaining race horses | (5xii of schedule CYLA) | (B/f loss from horse races) | | | |
| xii | Total of brought forward loss set off | | | | | |
| xiii | Current year's income remaining after set off Total (i5 + ii5 + iii5 + iv5+v5 + vi5 + vii5 + viii5 + ix5 + x5 + xi5) | | | | | |

Schedule CFL Details of Losses to be carried forward to future years

| Sl. No. | Assessment Year | Date of Filing (DD/MM/YYYY) | House property loss | Loss from business other than loss from speculative business and specified business | Loss from speculative business | Loss from specified business | Short-term capital loss | Long-term Capital loss | Loss from owning and maintaining race horses |
|---------|---|-----------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | |
| i | 2009-10 | | | | | | | | |
| ii | 2010-11 | | | | | | | | |
| iii | 2011-12 | | | | | | | | |
| iv | 2012-13 | | | | | | | | |
| v | 2013-14 | | | | | | | | |
| vi | 2014-15 | | | | | | | | |
| vii | 2015-16 | | | | | | | | |
| viii | 2016-17 | | | | | | | | |
| ix | Total of earlier year losses b/f | | | | | | | | |
| x | Adjustment of above losses in Schedule BFLA | | (2i of schedule BFLA) | (2ii of schedule BFLA) | (2iii of schedule BFLA) | (2iv of schedule BFLA) | | | (2xi of schedule BFLA) |
| xi | 2017-18 (Current year losses) | | (2xiv of schedule CYLA) | (3xiv of schedule CYLA) | (B41 of schedule BP, if -ve) | (C47 of schedule BP, if -ve) | (2viii+3viii+4viii) of item E of schedule CG) | ((5viii+6viii) of item E of schedule CG) | (3c of schedule OS, if -ve) |
| xii | Total loss Carried forward to future years | | | | | | | | |

Schedule UD Unabsorbed depreciation and allowance under section 35(4)

| Sl No | Assessment Year | Depreciation | | | Allowance under section 35(4) | | |
|-------|-------------------------|---|--|--|--|---|--|
| | | Amount of brought forward unabsorbed depreciation | Amount of depreciation set-off against the current year income | Balance carried forward to the next year | Amount of brought forward unabsorbed allowance | Amount of allowance set-off against the current year income | Balance Carried forward to the next year |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| i | Current Assessment Year | | | | | | |
| ii | | | | | | | |
| iii | | | | | | | |
| iv | | | | | | | |
| v | Total | | (3xii of BFLA) | | | (4xii of BFLA) | |

Schedule ICDS Effect of Income Computation Disclosure Standards on profit

| Sl. No. | ICDS | Amount (+) or (-) |
|---------|------|-------------------|
| (i) | (ii) | (iii) |

| | | |
|------|--|--|
| I | Accounting Policies | |
| II | Valuation of Inventories | |
| III | Construction Contracts | |
| IV | Revenue Recognition | |
| V | Tangible Fixed Assets | |
| VI | Changes in Foreign Exchange Rates | |
| VII | Government Grants | |
| VIII | Securities | |
| IX | Borrowing Costs | |
| X | Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets | |
| 11. | Total Net effect (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | |

Schedule 10A Deduction under section 10A

| | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|----|---|--|
| DEDUCTION U/S 10A | Deduction in respect of units located in Special Economic Zone | | | | | |
| | SI | Undertaking | Assessment year in which unit begins to manufacture/produce | SI | Amount of deduction | |
| | a | Undertaking No.1 | | a | (item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking) | |
| | b | Undertaking No.2 | | b | (item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking) | |
| | c | Total deduction under section 10A (a+b) | | | c | |

Schedule 10AA Deduction under section 10AA

| | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|----|---|--|
| DEDUCTION U/S 10AA | Deductions in respect of units located in Special Economic Zone | | | | | |
| | SI | Undertaking | Assessment year in which unit begins to manufacture/produce/provide services | SI | Amount of deduction | |
| | a | Undertaking No.1 | | a | (item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking) | |
| | b | Undertaking No.2 | | b | (item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking) | |
| | c | Total deduction under section 10AA (a + b + c + d) | | | c | |

Schedule 80G Details of donations entitled for deduction under section 80G

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--|--------------|--------------------|-----------------------------|
| DETAILS OF DONATIONS | A | Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit | | | |
| | | Name and address of donee | PAN of Donee | Amount of donation | Eligible Amount of donation |
| | i | | | | |
| | ii | | | | |
| | iii | Total | | | |
| | B | Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit | | | |
| | | Name and address of donee | PAN of Donee | Amount of donation | Eligible Amount of donation |
| | i | | | | |
| | ii | | | | |
| | iii | Total | | | |
| | C | Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit | | | |
| | | Name and address of donee | PAN of Donee | Amount of donation | Eligible Amount of donation |
| | i | | | | |
| ii | | | | | |
| iii | Total | | | | |

| D | Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit | | | | |
|-----|--|--|--------------|--------------------|-----------------------------|
| | Name and address of donee | | PAN of Donee | Amount of donation | Eligible Amount of donation |
| | i | | | | |
| | ii | | | | |
| iii | Total | | | | |
| E | Total donations (Aiii + Biii + Ciii + Diii) | | | | |

Schedule 80-IA Deductions under section 80-IA

| | | | | | |
|---|---|----|-------------------|--|---|
| a | Deduction in respect of profits of an enterprise referred to in section 80-IA(4)(i) [Infrastructure facility] | a1 | Undertaking no. 1 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | | a2 | Undertaking no. 2 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| b | Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(ii) [Telecommunication services] | b1 | Undertaking no. 1 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | | b2 | Undertaking no. 2 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| c | Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iii) [Industrial park and SEZs] | c1 | Undertaking no. 1 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | | c2 | Undertaking no. 2 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| d | Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iv) [Power] | d1 | Undertaking no. 1 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | | d2 | Undertaking no. 2 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| e | Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(v) [Revival of power generating plant] and deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(vi) [Cross-country natural gas distribution network] | e1 | Undertaking no. 1 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | | e2 | Undertaking no. 2 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| f | Total deductions under section 80-IA (a1 + a2 + b1 + b2 + c1 + c2 + d1 + d2 + e1 + e2) | | | | f |

Schedule 80-IB Deductions under section 80-IB

| | | | | |
|---|--|----|-------------------|---|
| a | Deduction in respect of industrial undertaking located in Jammu & Kashmir [Section 80-IB(4)] | a1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | a2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| b | Deduction in respect of industrial undertaking located in industrially backward states specified in Eighth Schedule [Section 80-IB(4)] | b1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | b2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| c | Deduction in respect of industrial undertaking located in industrially backward districts [Section 80-IB(5)] | c1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | c2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| d | Deduction in the case of multiplex theatre [Section 80-IB(7A)] | d1 | Undertaking no. 1 | (10(v) of Form 10CCBA of the undertaking) |
| | | d2 | Undertaking no. 2 | (10(v) of Form 10CCBA of the undertaking) |
| e | Deduction in the case of convention centre [Section 80-IB(7B)] | e1 | Undertaking no. 1 | (10(v) of Form 10CCBB of the undertaking) |
| | | e2 | Undertaking no. 2 | (10(v) of Form 10CCBB of the undertaking) |
| f | Deduction in the case of undertaking which begins commercial production or refining of mineral oil [Section 80-IB(9)] | f1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | f2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| g | Deduction in the case of an undertaking developing and building housing projects [Section 80-IB(10)] | g1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | g2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| h | Deduction in the case of an undertaking operating a cold chain facility [Section 80-IB(11)] | h1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | h2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |

| | | | | | | |
|---|--|----|-------------------|---------------------------------------|--|---|
| i | Deduction in the case of an undertaking engaged in processing, preservation and packaging of fruits, vegetables, meat, meat products, poultry, marine or dairy products [Section 80-IB(11A)] | i1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | | |
| | | i2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | | |
| j | Deduction in the case of an undertaking engaged in integrated business of handling, storage and transportation of food grains [Section 80-IB(11A)] | j1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | | |
| | | j2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | | |
| k | Deduction in the case of an undertaking engaged in operating and maintaining a rural hospital [Section 80-IB(11B)] | k1 | Undertaking no. 1 | (11(v) of Form 10CCB) | | |
| | | k2 | Undertaking no. 2 | (11(v) of Form 10CCB) | | |
| l | Deduction in the case of an undertaking engaged in operating and maintaining a hospital in any area, other than excluded area [Section 80-IB(11C)] | l1 | Undertaking no. 1 | (11(d) of Form 10CCB) | | |
| | | l2 | Undertaking no. 2 | (11(d) of Form 10CCB) | | |
| m | Total deduction under section 80-IB (Total of a1 to l2) | | | | | m |

Schedule 80-IC or 80-IE Deductions under section 80-IC or 80-IE

| | | | | | | |
|---------------------|--|---|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| DEDUCTION U/S 80-IC | a | Deduction in respect of undertaking located in Sikkim | a1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | | | a2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | b | Deduction in respect of undertaking located in Himachal Pradesh | b1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | | | b2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | c | Deduction in respect of undertaking located in Uttaranchal | c1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | | | c1 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | d | Deduction in respect of undertaking located in North-East | | | | |
| | da | Assam | da1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | | | da2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | db | Arunachal Pradesh | db1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | | | db2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | dc | Manipur | dc1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | | | dc2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | dd | Mizoram | dd1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | | | dd2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | de | Meghalaya | de1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | | | de2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | df | Nagaland | df1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | | | df2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | dg | Tripura | dg1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| dg2 | | | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | | |
| dh | Total deduction for undertakings located in North-east (total of da1 to dg2) | | | | dh | |
| e | Total deduction under section 80-IC or 80-IE (a + d + c + dh) | | | | e | |

| Schedule VI-A | | Deductions under Chapter VI-A | | | | | |
|--|--|---|------------------------------|---|--------------|-------------------------------|--|
| TOTAL DEDUCTIONS | 1 | Part B- Deduction in respect of certain payments | | | | | |
| | a | 80G | | b | 80GGC | | |
| | Total Deduction under Part B (a + b) | | | | | 1 | |
| | 2 | Part C- Deduction in respect of certain incomes | | | | | |
| | c | 80-IA | (f of Schedule 80-IA) | d | 80-IAB | | |
| | e | 80-IAC | | f | 80-IB | (m of Schedule 80-IB) | |
| | g | 80-IBA | | h | 80-IC/ 80-IE | (e of Schedule 80-IC/ 80-IE) | |
| | i | 80-ID | (item 10(e) of Form 10CCBBA) | j | 80JJA | | |
| | k | 80JJAA | | l | 80LA | (9 of Annexure to Form 10CCF) | |
| | m | 80P | | | | | |
| Total Deduction under Part C (total of c to m) | | | | | 2 | | |
| 3 | Total deductions under Chapter VI-A (1 + 2) | | | | | 3 | |

Schedule AMT Computation of Alternate Minimum Tax payable under section 115JC

| | | | | |
|----------|---|----|--|----------|
| 1 | Total Income as per item 13 of PART-B-TI | | | 1 |
| 2 | Adjustment as per section 115JC(2) | | | |
| a | Deduction Claimed under any section included in Chapter VI-A under the heading "C.—Deductions in respect of certain incomes" | 2a | | |
| b | Deduction Claimed u/s 10AA | 2b | | |
| c | Deduction claimed u/s 35AD as reduced by the amount of depreciation on assets on which such deduction is claimed | | | |
| d | Total Adjustment (2a+ 2b+ 2c) | 2d | | |
| 3 | Adjusted Total Income under section 115JC(1) (1+2d) | | | 3 |
| 4 | Tax payable under section 115JC [18.5% of (3)] (In the case of Individual, HUF, AOP, BOI, AJP this is applicable if 3 is greater than Rs. 20 lakhs) | | | 4 |

Schedule AMTC Computation of tax credit under section 115JD

| | | | | | | |
|----------|---|------------|--|---|--|---|
| 1 | Tax under section 115JC in assessment year 2017-18 (1d of Part-B-TTI) | | | | 1 | |
| 2 | Tax under other provisions of the Act in assessment year 2017-18 (2g of Part-B-TTI) | | | | 2 | |
| 3 | Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0] | | | | 3 | |
| 4 | Utilisation of AMT credit Available (Sum of AMT credit utilized during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of AMT Credit Brought Forward) | | | | | |
| S.No | Assessment Year (AY) (A) | AMT Credit | | | AMT Credit Utilised during the Current Assessment Year (C) | Balance AMT Credit Carried Forward (D)= (B3) –(C) |
| | | Gross (B1) | Set-off in earlier assessment years (B2) | Balance brought forward to the current assessment year (B3) = (B1) – (B2) | | |
| i | 2012-13 | | | | | |
| ii | 2013-14 | | | | | |
| iii | 2014-15 | | | | | |
| iv | 2015-16 | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---|--|
| v | 2016-17 | | | | | |
| vi | Current AY (enter 1 - 2, if 1>2 else enter 0) | | | | | |
| vii | Total | | | | | |
| 5 | Amount of tax credit under section 115JD utilised during the year [total of item no. 4 (C)] | | | | 5 | |
| 6 | Amount of AMT liability available for credit in subsequent assessment years [total of 4 (D)] | | | | 6 | |

Schedule SI Income chargeable to tax at special rates [Please see instruction Number-7(ii) for section and rate of tax]

| Sl No | Section/Description | ☑ | Special rate (%) | Income (i) | Tax thereon (ii) |
|-------|--|--------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| | | | | | |
| 1 | 111A (STCG on shares/equity oriented MF on which STT paid) | <input type="checkbox"/> | 15 | (5v of schedule BFLA) | |
| 2 | 115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid) | <input type="checkbox"/> | 30 | (5vi of schedule BFLA) | |
| 3 | 112 proviso (LTCG on listed securities/ units without indexation) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 5viii of schedule BFLA) | |
| 4 | 112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 5viii of schedule BFLA) | |
| 5 | 115AB (LTCG for non-resident on units referred in section 115AB) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 5viii of schedule BFLA) | |
| 6 | 115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 5viii of schedule BFLA) | |
| 7 | 115AD (LTCG for FII on securities) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 5viii of schedule BFLA) | |
| 8 | 112 (LTCG on others) | <input type="checkbox"/> | 20 | (5ix of schedule BFLA) | |
| 9 | 115AC (Income of a non-resident from bonds or GDR purchased in foreign currency) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 1fii of schedule OS) | |
| 10 | 115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.) | <input type="checkbox"/> | 30 | (1fi of schedule OS) | |
| 11 | 115BBDA (Dividend income from domestic company exceeding Rs.10 lakh) | <input type="checkbox"/> | 10 | (1fii of schedule OS) | |
| 12 | 115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D) | <input type="checkbox"/> | 60 | (1fiii of schedule OS) | |
| 13 | 115BBF (Tax on income from patent) | | | | |
| | a Income under head business or profession | <input type="checkbox"/> | 10 | (3d of schedule BP) | |
| | b Income under head other sources | <input type="checkbox"/> | 10 | (1fiv of schedule OS) | |
| 14 | 115A(b) (Income of a non-resident from Royalty) | <input type="checkbox"/> | 25 | (part of 1fv of schedule OS) | |
| 15 | Chargeable under DTAA rate | <input type="checkbox"/> | | (part of 1fvi of schedule OS) | |
| 16 | | <input type="checkbox"/> | | | |
| 17 | | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | Total | | |

Schedule EI Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income)

| Sl No | Description | i | ii | iii | iv |
|-------|---|-----|----|-----|----|
| | | | | | |
| 1 | Interest income | | | | 1 |
| 2 | Dividend income | | | | 2 |
| 3 | Long-term capital gains from transactions on which Securities Transaction Tax is paid | | | | 3 |
| 4 | i Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules) | i | | | |
| | ii Expenditure incurred on agriculture | ii | | | |
| | iii Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years | iii | | | |
| | iv Net Agricultural income for the year (i – ii – iii) (enter nil if loss) | | | | 4 |
| 5 | Others, including exempt income of minor child | | | | 5 |
| 6 | Total (1+2+3+4+5) | | | | 6 |

Schedule PTI Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB

| Sl. | Name of business trust/ investment fund | PAN of the business trust/ investment fund | Sl. | Head of income | Amount of income | TDS on such amount, if any |
|-----|--|---|-----|-----------------------------|------------------|-------------------------------|
| | | | | | | |
| 1. | | | i | House property | | |
| | | | ii | Capital Gains | | |
| | | | a | Short term | | |
| | | | b | Long term | | |
| | | | iii | Other Sources | | |
| | | | iv | Income claimed to be exempt | | |
| | | | a | u/s 10(23FBB) | | |
| | | | b | u/s | | |
| | | | c | u/s | | |
| | | | 2. | | | i |
| | | | ii | Capital Gains | | |
| | | | a | Short term | | |
| | | | b | Long term | | |
| | | | iii | Other Sources | | |
| | | | iv | Income claimed to be exempt | | |
| | | | a | u/s 10(23FBB) | | |
| | | | b | u/s | | |
| | | | c | u/s | | |

NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.**Schedule FSI** Details of Income from outside India and tax relief

| Sl. | Country Code | Taxpayer Identification Number | Sl. | Head of income | Income from outside India (included in PART B-TI) | Tax paid outside India | Tax payable on such income under normal provisions in India | Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower | Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A |
|-----|-----------------|--------------------------------------|-------|---------------------------|--|---------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | | | |
| 1 | | | i | House Property | | | | | |
| | | | ii | Business or Profession | | | | | |
| | | | iii | Capital Gains | | | | | |
| | | | iv | Other sources | | | | | |
| | | | Total | | | | | | |
| 2 | | | i | House Property | | | | | |
| | | | ii | Business or Profession | | | | | |
| | | | iii | Capital Gains | | | | | |
| | | | iv | Other sources | | | | | |
| | | | Total | | | | | | |

NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.**Schedule TR** Details Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India

| Country Code | Taxpayer Identification Number | Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country) | Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country) | Section under which relief claimed (specify 90, 90A or 91) |
|--------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total | | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 2 | Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of I(d)) | 2 | |
| 3 | Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of I(d)) | 3 | |
| 4 | Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below | 4 | Yes/No |
| a | Amount of tax refunded | b | Assessment year in which tax relief allowed in India |
| NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule. | | | |

Schedule FA Details of Foreign Assets and Income from any source outside India

| Sl No | Country Name and Code | Name and Address of the Bank | Account holder name | Status- Owner/ Beneficial owner/ Beneficiary | Account Number | Account opening date | Peak Balance During the Year (in rupees) | Interest accrued in the account | Interest taxable and offered in this return | | |
|--|-----------------------|------------------------------|--|---|--|--|--|---|---|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule |
| | | | | | | | | | (10) | (11) | (12) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| B Details of Financial Interest in any Entity held (including any beneficial interest) at any time during the previous year | | | | | | | | | | | |
| Sl No | Country Name and code | Nature of entity | Name and Address of the Entity | Nature of Interest- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary | Date since held | Total Investment (at cost) (in rupees) | Income accrued from such Interest | Nature of Income | Income taxable and offered in this return | | |
| | | | | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule |
| | | | | | | | | | (10) | (11) | (12) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| C Details of Immovable Property held (including any beneficial interest) at any time during the previous year | | | | | | | | | | | |
| Sl No | Country Name and code | Address of the Property | Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary | Date of acquisition | Total Investment (at cost) (in rupees) | Income derived from the property | Nature of Income | Income taxable and offered in this return | | | |
| | | | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule | |
| | | | | | | | | (9) | (10) | (11) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| D Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the previous year | | | | | | | | | | | |
| Sl | Country | Nature of | Ownership- | Date of | Total | Income | Nature of | Income taxable and offered in this return | | | |

DETAILS OF FOREIGN ASSETS

| No | Name and code | Asset | Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary | acquisition | Investment (at cost) (in rupees) | derived from the asset | Income | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule | |
|---|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| E Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the previous year and which has not been included in A to D above. | | | | | | | | | | | |
| Sl No | Name of the Institution in which the account is held | Address of the Institution | Name of the account holder | Account Number | Peak Balance/ Investment during the year (in rupees) | Whether income accrued is taxable in your hands? | If (7) is yes, Income accrued in the account | If (7) is yes, Income offered in this return | | | |
| | | | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| F Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor | | | | | | | | | | | |
| Sl No | Country Name and code | Name and address of the trust | Name and address of trustees | Name and address of Settlor | Name and address of Beneficiaries | Date since position held | Whether income derived is taxable in your hands? | If (8) is yes, Income derived from the trust | If (8) is yes, Income offered in this return | | |
| | | | | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| G Details of any other income derived from any source outside India which is not included in,- (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession | | | | | | | | | | | |
| Sl No | Country Name and code | Name and address of the person from whom derived | | Income derived | Nature of income | Whether taxable in your hands? | If (6) is yes, Income offered in this return | | | | |
| | | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule | | |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | | |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| NOTE ▶ Please refer to instructions for filling out this schedule. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------|---|---|---|---|-----|
| FORM ITR-6 | INDIAN INCOME TAX RETURN [For Companies other than companies claiming exemption under section 11] (Please see rule 12 of the Income-tax Rules, 1962) (Also see attached instructions) | Assessment Year | | | | | |
| | | 2 | 0 | 1 | 7 | - | 1 8 |

Part A-GEN GENERAL

| | | | | | |
|----------------------|--|---|--|---|---|
| PERSONAL INFORMATION | Name | | PAN | | |
| | Is there any change in the company's name? If yes, please furnish the old name | | Corporate Identity Number (CIN) issued by MCA | | |
| | Flat/Door/Block No | Name of Premises/Building/Village | | Date of incorporation (DD/MM/YYYY) | |
| | Road/Street/Post Office | Area/Locality | | Type of company (Tick any one) <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | (i) Domestic Company | | <input type="checkbox"/> | | |
| | (ii) Foreign Company | | <input type="checkbox"/> | | |
| | Town/City/District | State | Pin code | | If a public company write 6, and if private company write 7 (as defined in section 3 of The Company Act) <input type="checkbox"/> |
| | | Country | | | |
| | Office Phone Number with STD code/ Mobile No. 1 | | Mobile No. 2 | | Income Tax Ward/Circle |
| | Email Address-1 | | | | |
| Email Address-2 | | | | | |
| FILING STATUS | (a) | Return filed (Tick) [Please see instruction number-5] <input type="checkbox"/> On or before due date-139(1), <input type="checkbox"/> After due date-139(4), <input type="checkbox"/> Revised Return-139(5) <input type="checkbox"/> Modified return-92CD, <input type="checkbox"/> under section 119(2)(b), Or In response to notice <input type="checkbox"/> 139(9)- Defective, <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153A, <input type="checkbox"/> 153C | | | |
| | (b) | If revised/in response to defective/Modified, then enter Receipt No and Date of filing original return (DD/MM/YYYY) | _/_/___ | | |
| | (c) | If filed, in response to notice u/s 139(9)/142(1)/148/153A/153C enter date of such notice, or u/s 92CD enter date of advance pricing agreement | _/_/___ | | |
| | (d) | Residential Status (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Resident <input type="checkbox"/> Non-Resident | | | |
| | (e) | Whether opting for section 115BA? (Yes/No) (applicable on Domestic Company) | | | |
| | (f) | Whether total turnover/ gross receipts in the previous year 2014-15 exceeds 5 crore rupees? (Yes/No) (applicable on Domestic Company) | | | |
| | (g) | Whether assessee is a resident of a country or specified territory with which India has an agreement referred to in sec 90 (1) or Central Government has adopted any agreement under sec 90A(1)? | | | |
| | (h) | In the case of non-resident, is there a permanent establishment (PE) in India (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | | |
| | (i) | Whether assessee is required to seek registration under any law for the time being in force relating to companies? | | | |
| | (j) | Whether assessee is located in an International Financial Services Centre and derives income solely in convertible foreign exchange? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | | |
| | (k) | Whether the assessee company is under liquidation (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | | |
| | (l) | Whether you are an FII / FPI? Yes/No If yes, please provide SEBI Regn. No. | | | |
| | (m) | Whether any transaction has been made with a person located in a jurisdiction notified u/s 94A of the Act? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | | |
| | (n) | Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information - | | | |
| | (1) | Name of the representative assessee | | | |
| | (2) | Address of the representative assessee | | | |
| | (3) | Permanent Account Number (PAN) of the representative assessee | | | |
| AUDIT INFORMATION | (a) | Whether liable to maintain accounts as per section 44AA? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | | |
| | (b) | Whether liable for audit under section 44AB? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | | |
| | (c) | If (b) is Yes, whether the accounts have been audited by an accountant? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If Yes, furnish the following information below | | | |
| | (1) | Mention the date of furnishing of audit report (DD/MM/YYYY) | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---|
| | (2) | Name of the auditor signing the tax audit report | | | | |
| | (3) | Membership no. of the auditor | | | | |
| | (4) | Name of the auditor (proprietorship/ firm) | | | | |
| | (5) | Proprietorship/firm registration number | | | | |
| | (6) | Permanent Account Number (PAN) of the auditor (proprietorship/ firm) | | | | |
| | (7) | Date of audit report | | | | |
| | (d) | If liable to furnish other audit report under the Income-tax Act, mention the date of furnishing the audit report? (DD/MM/YY) (Please see Instruction 5(ii)) | | | | |
| | | 92E | | 115JB | | |
| | (e) | Mention the <u>Act, section</u> and date of furnishing the audit report under any Act other than the Income-tax Act | | | | |
| | | <i>Act and section</i> | <i>(DD/MM/YY)</i> | <i>Act and section</i> | <i>(DD/MM/YY)</i> | |
| HOLDING STATUS | (a) | Nature of company (write 1 if holding company, write 2 if a subsidiary company, write 3 if both, write 4 if any other) <input type="checkbox"/> | | | | |
| | (b) | If subsidiary company, mention the details of the Holding Company | | | | |
| | | PAN | Name of Holding Company | Address of Holding Company | Percentage of Shares held | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| BUSINESS ORGANISATION | (c) | If holding company, mention the details of the subsidiary companies | | | | |
| | | PAN | Name of Subsidiary Company | Address of Subsidiary Company | Percentage of Shares held | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| BUSINESS ORGANISATION | (a) | In case of amalgamating company, mention the details of amalgamated company | | | | |
| | | PAN | Name of Amalgamated Company | Address of Amalgamated Company | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | (b) | In case of amalgamated company, mention the details of amalgamating company | | | | |
| | | PAN | Name of Amalgamating Company | Address of Amalgamating Company | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| KEY PERSONS | (c) | In case of demerged company, mention the details of resulting company | | | | |
| | | PAN | Name of Resulting Company | Address of Resulting Company | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | (d) | In case of resulting company, mention the details of demerged company | | | | |
| | | PAN | Name of Demerged Company | Address of Demerged Company | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| SHAREHOLDERS INFORMATION | Particulars of Managing Director, Directors, Secretary and Principal officer(s) who have held the office during the previous year | | | | | |
| | S.No. | Name | Designation | Residential Address | PAN | Director Identification Number (DIN) issued by MCA, in case of Director |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| NATURE OF COMPANY AND ITS BUSINESS | Particulars of persons who were beneficial owners of shares holding not less than 10% of the voting power at any time of the previous year | | | | | |
| | S.No. | Name and Address | Percentage of shares held | PAN | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| NATURE OF COMPANY AND ITS BUSINESS | Nature of company | | | | | (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 1 | Whether a public sector company as defined in section 2(36A) of the Income-tax Act | | | | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
| | 2 | Whether a company owned by the Reserve Bank of India | | | | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
| | 3 | Whether a company in which not less than forty percent of the shares are held (whether singly or taken together) by the Government or the Reserve Bank of India or a corporation owned by that Bank | | | | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
| | 4 | Whether a banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act,1949 | | | | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |

| | | | |
|--|---|------------------------------|-----------------------------|
| 5 | Whether a scheduled Bank being a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| 6 | Whether a company registered with Insurance Regulatory and Development Authority (established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999) | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| 7 | Whether a company being a non-banking Financial Institution | <input type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> No |
| Nature of business or profession, if more than one business or profession indicate the three main activities/ products | | | |
| S.No. | Code [Please see instruction No.7(i)] | Description | |
| (i) | | | |
| (ii) | | | |
| (iii) | | | |

Part A-BS

BALANCE SHEET AS ON 31ST DAY OF MARCH, 2017 OR AS ON THE DATE OF AMALGAMATION

| | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|-----------------------|-------|--|
| I | | Equity and Liabilities | | | | |
| EQUITY AND LIABILITIES | 1 | Shareholder's fund | | | | |
| | A | Share capital | | | | |
| | | i | Authorised | Ai | | |
| | | ii | Issued, Subscribed and fully Paid up | Aii | | |
| | | iii | Subscribed but not fully paid | Aiii | | |
| | | iv | Total (Aii + Aiii) | | Aiv | |
| | B | Reserves and Surplus | | | | |
| | | i | Capital Reserve | Bi | | |
| | | ii | Capital Redemption Reserve | Bii | | |
| | | iii | Securities Premium Reserve | Biii | | |
| | | iv | Debenture Redemption Reserve | Biv | | |
| | | v | Revaluation Reserve | Bv | | |
| | | vi | Share options outstanding amount | Bvi | | |
| | | vii | Other reserve (specify nature and amount) | | | |
| | | | a | | vii a | |
| | | | b | | vii b | |
| | | | c | Total (vii a + vii b) | Bvii | |
| | | viii | Surplus i.e. Balance in profit and loss account (Debit balance to be shown as -ve figure) | | Bviii | |
| | | ix | Total (Bi + Bii + Biii + Biv + Bv + Bvi + Bvii + Bviii) (Debit balance to be shown as -ve figure) | | Bix | |
| | | C | Money received against share warrants | | 1C | |
| | D | Total Shareholder's fund (Aiv + Bix + 1C) | | 1D | | |
| 2 | Share application money pending allotment | | | | | |
| | i | Pending for less than one year | i | | | |
| | ii | Pending for more than one year | ii | | | |
| | iii | Total (i + ii) | | 2 | | |
| 3 | Non-current liabilities | | | | | |
| | A | Long-term borrowings | | | | |
| | | i | Bonds/ debentures | | | |
| | | | a | Foreign currency | ia | |
| | | | b | Rupee | ib | |
| | | | c | Total (ia + ib) | ic | |
| | | ii | Term loans | | | |
| | | | a | Foreign currency | iaa | |
| | | | b | Rupee loans | | |
| | | | 1 | From Banks | b1 | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|--|-----------------|------|--|------|--|
| | | 2 | From others | b2 | | | |
| | | 3 | Total (b1 + b2) | b3 | | | |
| | c | Total Term loans (iia + b3) | | | | iiic | |
| | iii | Deferred payment liabilities | | | | iii | |
| | iv | Deposits from related parties (<i>see instructions</i>) | | | | iv | |
| | v | Other deposits | | | | v | |
| | vi | Loans and advances from related parties (<i>see instructions</i>) | | | | vi | |
| | vii | Other loans and advances | | | | vii | |
| | viii | Long term maturities of finance lease obligations | | | | viii | |
| | ix | Total Long term borrowings (ic + iic + iii + iv + v + vi + vii + viii) | | | | 3A | |
| | B | Deferred tax liabilities (net) | | | | 3B | |
| | C | Other long-term liabilities | | | | | |
| | i | Trade payables | | i | | | |
| | ii | Others | | ii | | | |
| | iii | Total Other long-term liabilities (i + ii) | | | | 3C | |
| | D | Long-term provisions | | | | | |
| | i | Provision for employee benefits | | i | | | |
| | ii | Others | | ii | | | |
| | iii | Total (i + ii) | | | | 3D | |
| | E | Total Non-current liabilities (3A + 3B + 3C + 3D) | | | | 3E | |
| 4 | Current liabilities | | | | | | |
| | A | Short-term borrowings | | | | | |
| | i | Loans repayable on demand | | | | | |
| | a | From Banks | | ia | | | |
| | b | From Non-Banking Finance Companies | | ib | | | |
| | c | From other financial institutions | | ic | | | |
| | d | From others | | id | | | |
| | e | Total Loans repayable on demand (ia + ib + ic + id) | | | | ie | |
| | ii | Deposits from related parties (<i>see instructions</i>) | | | | ii | |
| | iii | Loans and advances from related parties (<i>see instructions</i>) | | | | iii | |
| | iv | Other loans and advances | | | | iv | |
| | v | Other deposits | | | | v | |
| | vi | Total Short-term borrowings (ie + ii + iii + iv + v) | | | | 4A | |
| | B | Trade payables | | | | | |
| | i | Outstanding for more than 1 year | | i | | | |
| | ii | Others | | ii | | | |
| | iii | Total Trade payables (i + ii) | | | | 4B | |
| | C | Other current liabilities | | | | | |
| | i | Current maturities of long-term debt | | i | | | |
| | ii | Current maturities of finance lease obligations | | ii | | | |
| | iii | Interest accrued but not due on borrowings | | iii | | | |
| | iv | Interest accrued and due on borrowings | | iv | | | |
| | v | Income received in advance | | v | | | |
| | vi | Unpaid dividends | | vi | | | |
| | vii | Application money received for allotment of securities and due for refund and interest accrued | | vii | | | |
| | viii | Unpaid matured deposits and interest accrued thereon | | viii | | | |
| | ix | Unpaid matured debentures and interest accrued thereon | | ix | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|------|-----|
| | x | Other payables | x | | |
| | xi | Total Other current liabilities (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x) | | | 4C |
| D | Short-term provisions | | | | |
| | i | Provision for employee benefit | i | | |
| | ii | Provision for Income-tax | ii | | |
| | iii | Proposed Dividend | iii | | |
| | iv | Tax on dividend | iv | | |
| | v | Other | v | | |
| | vi | Total Short-term provisions (i + ii + iii + iv + v) | | | 4D |
| E | Total Current liabilities (4A + 4B + 4C + 4D) | | | | 4E |
| Total Equity and liabilities (1D + 2 + 3E + 4E) | | | | | I |
| II | ASSETS | | | | |
| 1 | Non-current assets | | | | |
| | A | Fixed assets | | | |
| | | i | Tangible assets | | |
| | | a | Gross block | ia | |
| | | b | Depreciation | ib | |
| | | c | Impairment losses | ic | |
| | | d | Net block (ia - ib - ic) | id | |
| | | ii | Intangible assets | | |
| | | a | Gross block | iaa | |
| | | b | Amortization | iib | |
| | | c | Impairment losses | iic | |
| | | d | Net block (iaa - iib - iic) | iid | |
| | | iii | Capital work-in-progress | iii | |
| | | iv | Intangible assets under development | iv | |
| | | v | Total Fixed assets (id + iid + iii + iv) | | Av |
| | B | Non-current investments | | | |
| | | i | Investment in property | i | |
| | | ii | Investments in Equity instruments | | |
| | | a | Listed equities | iaa | |
| | | b | Unlisted equities | iib | |
| | | c | Total (iaa + iib) | | iic |
| | | iii | Investments in Preference shares | iii | |
| | | iv | Investments in Government or trust securities | iv | |
| | | v | Investments in Debenture or bonds | v | |
| | | vi | Investments in Mutual funds | vi | |
| | | vii | Investments in Partnership firms | vii | |
| | | viii | Others Investments | viii | |
| | | ix | Total Non-current investments (i + iic + iii + iv + v + vi + vii + viii) | | Bix |
| | C | Deferred tax assets (Net) | | | C |
| | D | Long-term loans and advances | | | |
| | | i | Capital advances | i | |
| | | ii | Security deposits | ii | |
| | | iii | Loans and advances to related parties (see instructions) | iii | |
| | | iv | Other Loans and advances | iv | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|-----|--|-------|----|--|
| | v | Total Long-term loans and advances (i + ii + iii + iv) | | | Dv | | |
| | vi | Long-term loans and advances included in Dv which is | | | | | |
| | a | for the purpose of business or profession | via | | | | |
| | b | not for the purpose of business or profession | vib | | | | |
| | c | given to shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act | vic | | | | |
| E | Other non-current assets | | | | | | |
| | i | Long-term trade receivables | | | | | |
| | a | Secured, considered good | ia | | | | |
| | b | Unsecured, considered good | ib | | | | |
| | c | Doubtful | ic | | | | |
| | d | Total Other non-current assets (ia + ib + ic) | id | | | | |
| | ii | Others | ii | | | | |
| | iii | Total (id + ii) | | | Eiii | | |
| | iv | Non-current assets included in Eiii which is due from shareholder, being the beneficial owner of share, or from any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act | iv | | | | |
| F | Total Non-current assets (Av + Bix + C + Dv + Eiii) | | | | | 1F | |
| 2 | Current assets | | | | | | |
| | A | Current investments | | | | | |
| | i | Investment in Equity instruments | | | | | |
| | a | Listed equities | ia | | | | |
| | b | Unlisted equities | ib | | | | |
| | c | Total (ia + ib) | ic | | | | |
| | ii | Investment in Preference shares | ii | | | | |
| | iii | Investment in government or trust securities | iii | | | | |
| | iv | Investment in debentures or bonds | iv | | | | |
| | v | Investment in Mutual funds | v | | | | |
| | vi | Investment in partnership firms | vi | | | | |
| | vii | Other investment | vii | | | | |
| | viii | Total Current investments (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii) | | | Aviii | | |
| | B | Inventories | | | | | |
| | i | Raw materials | i | | | | |
| | ii | Work-in-progress | ii | | | | |
| | iii | Finished goods | iii | | | | |
| | iv | Stock-in-trade (in respect of goods acquired for trading) | iv | | | | |
| | v | Stores and spares | v | | | | |
| | vi | Loose tools | vi | | | | |
| | vii | Others | vii | | | | |
| | viii | Total Inventories (i + ii + iii + iv + v + vi + vii) | | | Bviii | | |
| | C | Trade receivables | | | | | |
| | i | Outstanding for more than 6 months | i | | | | |
| | ii | Others | ii | | | | |
| | iii | Total Trade receivables (i + ii + iii) | | | Ciii | | |
| | D | Cash and cash equivalents | | | | | |
| | i | Balances with Banks | i | | | | |
| | ii | Cheques, drafts in hand | ii | | | | |
| | iii | Cash in hand | iii | | | | |
| | iv | Others | iv | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|---|--|--|-----|------|----|--|
| | v | Total Cash and cash equivalents (i + ii + iii + iv) | | | Dv | | |
| E | Short-term loans and advances | | | | | | |
| | i | Loans and advances to related parties (<i>see instructions</i>) | | i | | | |
| | ii | Others | | ii | | | |
| | iii | Total Short-term loans and advances (i + ii) | | | Eiii | | |
| | iv | Short-term loans and advances included in Eiii which is | | | | | |
| | a | for the purpose of business or profession | | iva | | | |
| | b | not for the purpose of business or profession | | ivb | | | |
| | c | given to a shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act | | ivc | | | |
| F | Other current assets | | | | | F | |
| G | Total Current assets (Aviii + Bviii + Ciii + Dv + Eiii + F) | | | | | 2G | |
| Total Assets (1F + 2G) | | | | | | II | |

Part A-P & L

Profit and Loss Account for the financial year 2016-17 (fill items 1 to 52 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill item 53)

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------|---|---|------|--|-----|----|
| CREDITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT | 1 | Revenue from operations | | | | | |
| | A | Sales/ Gross receipts of business (<i>net of returns and refunds and duty or tax, if any</i>) | | | | | |
| | | i | Sale of products/goods | I | | | |
| | | ii | Sale of services | Ii | | | |
| | | iii | Other operating revenues (<i>specify nature and amount</i>) | | | | |
| | | a | | Iiia | | | |
| | | b | | Iiib | | | |
| | | c | Total (iia + iib) | Iiic | | | |
| | | iv | Interest (in case of finance company) | Iv | | | |
| | | v | Other financial services (in case of finance company) | V | | | |
| | | vi | Total (i + ii + iic + iv + v) | | | Avi | |
| | | B | Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied | | | | |
| | | i | Union Excise duties | I | | | |
| | | ii | Service tax | Ii | | | |
| | | iii | VAT/ Sales tax | Iii | | | |
| | | iv | Any other duty, tax and cess | Iv | | | |
| | | v | Total (i + ii + iii + iv) | | | Bv | |
| | | C | Total Revenue from operations (Avi + Bv) | | | | 1C |
| | | 2 | Other income | | | | |
| | | i | Interest income (in case of a company, other than a finance company) | I | | | |
| | ii | Dividend income | Ii | | | | |
| | iii | Profit on sale of fixed assets | iii | | | | |
| | iv | Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT) | iv | | | | |
| | v | Profit on sale of other investment | v | | | | |
| | vi | Rent | vi | | | | |
| | vii | Commission | vii | | | | |
| | viii | Profit on account of currency fluctuation | viii | | | | |
| | ix | Agricultural income | ix | | | | |
| | x | Any other income (<i>specify nature and amount</i>) | | | | | |
| | a | | xa | | | | |

| | | | | | |
|----|---|--|-----------------|----------|-------|
| | | b | xb | | |
| | | c | Total (xa + xb) | xc | |
| | xi | Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + xc) | | | 2xi |
| 3 | Closing Stock | | | | |
| | i | Raw material | 3i | | |
| | ii | Work-in-progress | 3ii | | |
| | iii | Finished goods | 3iii | | |
| | Total (3i + 3ii + 3iii) | | | | 3iv |
| 4 | Total of credits to profit and loss account (1C + 2xi + 3iv) | | | | 4 |
| 5 | Opening Stock | | | | |
| | i | Raw material | 5i | | |
| | ii | Work-in-progress | 5ii | | |
| | iii | Finished goods | 5iii | | |
| | iv | Total (5i + 5ii + 5iii) | | | 5iv |
| 6 | Purchases (net of refunds and duty or tax, if any) | | | | 6 |
| 7 | Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased | | | | |
| | i | Custom duty | 7i | | |
| | ii | Counter veiling duty | 7ii | | |
| | iii | Special additional duty | 7iii | | |
| | iv | Union excise duty | 7iv | | |
| | v | Service tax | 7v | | |
| | vi | VAT/ Sales tax | 7vi | | |
| | vii | Any other tax, paid or payable | 7vii | | |
| | viii | Total (7i + 7ii + 7iii + 7iv + 7v + 7vi + 7vii) | | | 7viii |
| 8 | Freight | | | | 8 |
| 9 | Consumption of stores and spare parts | | | | 9 |
| 10 | Power and fuel | | | | 10 |
| 11 | Rents | | | | 11 |
| 12 | Repairs to building | | | | 12 |
| 13 | Repairs to plant, machinery or furniture | | | | 13 |
| 14 | Compensation to employees | | | | |
| | i | Salaries and wages | 14i | | |
| | ii | Bonus | 14ii | | |
| | iii | Reimbursement of medical expenses | 14iii | | |
| | iv | Leave encashment | 14iv | | |
| | v | Leave travel benefits | 14v | | |
| | vi | Contribution to approved superannuation fund | 14vi | | |
| | vii | Contribution to recognised provident fund | 14vii | | |
| | viii | Contribution to recognised gratuity fund | 14viii | | |
| | ix | Contribution to any other fund | 14ix | | |
| | x | Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred | 14x | | |
| | xi | Total compensation to employees (14i + 14ii + 14iii + 14iv + 14v + 14vi + 14vii + 14viii + 14ix + 14x) | | | 14xi |
| | xii | Whether any compensation, included in 14xi, paid to non-resident | xiiia | Yes / No | |
| | | If Yes, amount paid to non-residents | xiiib | | |
| 15 | Insurance | | | | |
| | i | Medical Insurance | 15i | | |
| | ii | Life Insurance | 15ii | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|-------|-----|-------|--|
| | iii | Keyman's Insurance | | 15iii | | | |
| | iv | Other Insurance including factory, office, car, goods, etc. | | 15iv | | | |
| | v | Total expenditure on insurance (15i + 15ii + 15iii + 15iv) | | | | 15v | |
| 16 | Workmen and staff welfare expenses | | | | | 16 | |
| 17 | Entertainment | | | | | 17 | |
| 18 | Hospitality | | | | | 18 | |
| 19 | Conference | | | | | 19 | |
| 20 | Sales promotion including publicity (other than advertisement) | | | | | 20 | |
| 21 | Advertisement | | | | | 21 | |
| 22 | Commission | | | | | | |
| | i | Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company | | i | | | |
| | ii | To others | | ii | | | |
| | iii | Total (i + ii) | | | | 22iii | |
| 23 | Royalty | | | | | | |
| | i | Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company | | i | | | |
| | ii | To others | | ii | | | |
| | iii | Total (i + ii) | | | | 23iii | |
| 24 | Professional / Consultancy fees / Fee for technical services | | | | | | |
| | i | Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company | | i | | | |
| | ii | To others | | ii | | | |
| | iii | Total (i + ii) | | | | 24iii | |
| 25 | Hotel, boarding and Lodging | | | | | 25 | |
| 26 | Traveling expenses other than on foreign traveling | | | | | 26 | |
| 27 | Foreign traveling expenses | | | | | 27 | |
| 28 | Conveyance expenses | | | | | 28 | |
| 29 | Telephone expenses | | | | | 29 | |
| 30 | Guest House expenses | | | | | 30 | |
| 31 | Club expenses | | | | | 31 | |
| 32 | Festival celebration expenses | | | | | 32 | |
| 33 | Scholarship | | | | | 33 | |
| 34 | Gift | | | | | 34 | |
| 35 | Donation | | | | | 35 | |
| 36 | Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income) | | | | | | |
| | i | Union excise duty | | 36i | | | |
| | ii | Service tax | | 36ii | | | |
| | iii | VAT/ Sales tax | | 36iii | | | |
| | iv | Cess | | 36iv | | | |
| | v | Any other rate, tax, duty or cess incl. STT and CTT | | | 36v | | |
| | vi | Total rates and taxes paid or payable (36i + 36ii + 36iii + 36iv + 36v) | | | | 36vi | |
| 37 | Audit fee | | | | | 37 | |
| 38 | Other expenses (specify nature and amount) | | | | | | |
| | i | | | i | | | |
| | ii | | | ii | | | |
| | iii | Total (i + ii) | | | | 38iii | |
| 39 | Bad debts written off (specify PAN of the person, if it is available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount) | | | | | | |
| | i | | | | | 39i | |
| | ii | | | | | 39ii | |

| | | | | | |
|---|---|--|-----|----|--|
| | f | Total of amounts not credited to profit and loss account (5a+5b+5c+5d+5e) | | 5f | |
| 6 | Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 due to non-fulfilment of condition specified in relevant clauses- | | | | |
| | a | Premium paid for insurance against risk of damage or destruction of stocks or store [36(1)(i)] | 6a | | |
| | b | Premium paid for insurance on the health of employees [36(1)(ib)] | 6b | | |
| | c | Any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such sum was otherwise payable to him as profits or dividend [36(1)(ii)] | 6c | | |
| | d | Any amount of interest paid in respect of borrowed capital [36(1)(iii)] | 6d | | |
| | e | Amount of discount on a zero-coupon bond [36(1)(iia)] | 6e | | |
| | f | Amount of contributions to a recognised provident fund [36(1)(iv)] | 6f | | |
| | g | Amount of contributions to an approved superannuation fund [36(1)(iv)] | 6g | | |
| | h | Amount of contribution to a pension scheme referred to in section 80CCD [36(1)(iva)] | 6h | | |
| | i | Amount of contributions to an approved gratuity fund [36(1)(v)] | 6i | | |
| | j | Amount of contributions to any other fund | 6j | | |
| | k | Any sum received from employees as contribution to any provident fund or superannuation fund or any fund set up under ESI Act or any other fund for the welfare of employees to the extent not credited to the employees account on or before the due date [36(1)(va)] | 6k | | |
| | l | Amount of bad and doubtful debts [36(1)(vii)] | 6l | | |
| | m | Provision for bad and doubtful debts [36(1)(via)] | 6m | | |
| | n | Amount transferred to any special reserve [36(1)(viii)] | 6n | | |
| | o | Expenditure for the purposes of promoting family planning amongst employees [36(1)(ix)] | 6o | | |
| | p | Amount of securities transaction paid in respect of transaction in securities if such income is not included in business income [36(1)(xv)] | 6p | | |
| | q | Any other disallowance | 6q | | |
| | r | Total amount disallowable under section 36 (total of 6a to 6q) | | 6r | |
| | s | Total number of employees employed by the company (mandatory in case company has recognized Provident Fund) | | | |
| | | i deployed in India | i | | |
| | | ii deployed outside India | ii | | |
| | | iii Total | iii | | |
| 7 | Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37 | | | | |
| | a | Expenditure of capital nature [37(1)] | 7a | | |
| | b | Expenditure of personal nature [37(1)] | 7b | | |
| | c | Expenditure laid out or expended wholly and exclusively NOT for the purpose of business or profession [37(1)] | 7c | | |
| | d | Expenditure on advertisement in any souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like, published by a political party [37(2B)] | 7d | | |
| | e | Expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being in force | 7e | | |
| | f | Any other penalty or fine | 7f | | |
| | g | Expenditure incurred for any purpose which is an offence or which is prohibited by law | 7g | | |
| | h | Expenditure incurred on corporate social responsibility (CSR) | 7h | | |
| | i | Amount of any liability of a contingent nature | 7i | | |
| | j | Any other amount not allowable under section 37 | 7j | | |
| | k | Total amount disallowable under section 37 (total of 7a to 7j) | | 7k | |
| 8 | A. Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40 | | | | |
| | a | Amount disallowable under section 40 (a)(i), on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B | Aa | | |
| | b | Amount disallowable under section 40(a)(ia) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B | Ab | | |
| | c | Amount disallowable under section 40(a)(ib) on account of non-compliance with the provisions of Chapter VIII of the Finance Act, 2016 | Ac | | |
| | d | Amount disallowable under section 40(a)(iii) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B | Ad | | |
| | e | Amount of tax or rate levied or assessed on the basis of profits [40(a)(ii)] | Ae | | |
| | f | Amount paid as wealth tax [40(a)(iia)] | Af | | |
| | g | Amount paid by way of royalty, license fee, service fee etc. as per section 40(a)(iib) | Ag | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|-----|-----|----|--|
| | | h | Amount of interest, salary, bonus, commission or remuneration paid to any partner or member [40(b)] | Ah | | | |
| | | i | Any other disallowance | Ai | | | |
| | | j | Total amount disallowable under section 40(total of Aa to Ai) | | Aj | | |
| | B. | | Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year | | 8B | | |
| 9 | Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A | | | | | | |
| | a | Amounts paid to persons specified in section 40A(2)(b) | | 9a | | | |
| | b | Amount paid otherwise than by account payee cheque or account payee bank draft under section 40A(3) – 100% disallowable | | 9b | | | |
| | c | Provision for payment of gratuity [40A(7)] | | 9c | | | |
| | d | any sum paid by the assessee as an employer for setting up or as contribution to any fund, trust, company, AOP, or BOI or society or any other institution [40A(9)] | | 9d | | | |
| | e | Any other disallowance | | 9e | | | |
| | f | Total amount disallowable under section 40A | | | 9f | | |
| 10 | Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year | | | | | | |
| | a | Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law | | 10a | | | |
| | b | Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees | | 10b | | | |
| | c | Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered | | 10c | | | |
| | d | Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation | | 10d | | | |
| | e | Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank | | 10e | | | |
| | f | Any sum payable towards leave encashment | | 10f | | | |
| | g | Total amount allowable under section 43B (total of 10a to 10f) | | | 10g | | |
| 11 | Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B | | | | | | |
| | a | Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law | | 11a | | | |
| | b | Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees | | 11b | | | |
| | c | Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered | | 11c | | | |
| | d | Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation | | 11d | | | |
| | e | Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank | | 11e | | | |
| | f | Any sum payable towards leave encashment | | 11f | | | |
| | g | Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets | | 11g | | | |
| | h | Total amount disallowable under Section 43B(total of 11a to 11g) | | | 11h | | |
| 12 | Amount of credit outstanding in the accounts in respect of | | | | | | |
| | a | Union Excise Duty | | 12a | | | |
| | b | Service tax | | 12b | | | |
| | c | VAT/sales tax | | 12c | | | |
| | d | Any other tax | | 12d | | | |
| | e | Total amount outstanding (total of 12a to 12d) | | | 12e | | |
| 13 | Amounts deemed to be profits and gains under section 33AB or 33ABA or 33AC | | | | | 13 | |
| 14 | Any amount of profit chargeable to tax under section 41 | | | | | 14 | |
| 15 | Amount of income or expenditure of prior period credited or debited to the profit and loss account (net) | | | | | 15 | |

Part A – QD

Quantitative details (optional in a case not liable for audit under section 44AB)

| | | | | |
|----------------------|--|--|----|--|
| QUANTITATIVE DETAILS | (a) In the case of a trading concern | | | |
| | 1 | Opening stock | 1 | |
| | 2 | Purchase during the previous year | 2 | |
| | 3 | Sales during the previous year | 3 | |
| | 4 | Closing stock | 4 | |
| | 5 | Shortage/ excess, if any | 5 | |
| | (b) In the case of a manufacturing concern | | | |
| | 6 | Raw materials | | |
| | a | Opening stock | 6a | |
| | b | Purchases during the previous year | 6b | |
| | c | Consumption during the previous year | 6c | |
| | d | Sales during the previous year | 6d | |
| | e | Closing stock | 6e | |
| | f | Yield finished products | 6f | |
| | g | Percentage of yield | 6g | |
| | h | Shortage/ excess, if any | 6h | |
| | 7 | Finished products/ By-products | | |
| | a | opening stock | 7a | |
| | b | purchase during the previous year | 7b | |
| | c | quantity manufactured during the previous year | 7c | |
| d | sales during the previous year | 7d | | |
| e | closing stock | 7e | | |
| f | shortage/ excess, if any | 7f | | |

Part A – OL

Receipt and payment account of company under liquidation

| | | | | |
|--|-----------------------------|---|-------|---|
| Receipt and payment account of company under liquidation | 1 | Opening balance | | |
| | i | Cash in hand | 1i | |
| | ii | Bank | 1ii | |
| | iii | Total opening balance | 1iii | |
| | 2 | Receipts | | |
| | i | Interest | 2i | |
| | ii | Dividend | 2ii | |
| | iii | Sale of assets (pls. specify nature and amount) | | |
| | a | | 2iiia | |
| | b | | 2iiib | |
| | c | | 2iiic | |
| | d | Total (iiia + iiib + iiic) | 2iiid | |
| | iv | Realisation of dues/debtors | 2iv | |
| | v | Others (pls. specify nature and amount) | | |
| | a | | 2va | |
| | b | | 2vb | |
| | c | Total of other receipts (va + vb) | 2vc | |
| | vi | Total receipts (2i + 2ii + 2iiid+ 2iv + 2vc) | 2vi | |
| | 3 | Total of opening balance and receipts | | 3 |
| | 4 | Payments | | |
| i | Repayment of secured loan | 4i | | |
| ii | Repayment of unsecured loan | 4ii | | |
| iii | Repayment to creditors | 4iii | | |

| | | | | |
|---|-----|--|------|---|
| | iv | Commission | 4iv | |
| | v | Others (pls. specify) | | |
| | a | | 4va | |
| | b | | 4vb | |
| | c | Total of other payments (4va + 4vb) | 4vc | |
| | vi | Total payments (4i + 4ii + 4iii + 4iv + 4vc) | 4vi | |
| 5 | | Closing balance | | |
| | i | Cash in hand | 5i | |
| | ii | Bank | 5ii | |
| | iii | Total of closing balance (5i + 5ii) | 5iii | |
| 6 | | Total of closing balance and payments (4vi + 5iii) | | 6 |

Part B - TI Computation of total income

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--|---|-------|----|
| TOTAL INCOME | 1 | Income from house property (3b of Schedule-HP) (enter nil if loss) | | | 1 | |
| | 2 | Profits and gains from business or profession | | | | |
| | | i | Profits and gains from business other than speculative business and specified business (A37 of Schedule-BP) (enter nil if loss) | 2i | | |
| | | ii | Profits and gains from speculative business (B42 of Schedule-BP) (enter nil if loss and take the figure to schedule CFL) | 2ii | | |
| | | iii | Profits and gains from specified business (C48 of Schedule BP)(enter nil if loss and take the figure to schedule CFL) | 2iii | | |
| | | iv | Income from patent u/s 115BBF (3d of Schedule BP) | 2iv | | |
| | | v | Total (2i + 2ii+2iii + 2iv) | | 2v | |
| | 3 | Capital gains | | | | |
| | | a | Short term | | | |
| | | | i | Short-term chargeable @ 15% (7ii of item E of schedule CG) | ai | |
| | | | ii | Short-term chargeable @ 30% (7iii of item E of schedule CG) | a ii | |
| | | | iii | Short-term chargeable at applicable rate (7iv of item E of schedule CG) | a iii | |
| | | | iv | Total Short-term (ai + aii + aiii) | 3aiv | |
| | | b | Long-term | | | |
| | | | i | Long-term chargeable @ 10% (7v of item E of schedule CG) | bi | |
| | | | ii | Long-term chargeable @ 20% (7vi of item E of schedule CG) | bii | |
| | | | iii | Total Long-term (bi + bii) (enter nil if loss) | biii | |
| | | c | Total capital gains (3aiv + 3biii) (enter nil if loss) | | | 3c |
| | 4 | Income from other sources | | | | |
| | | a | from sources other than from owning and maintaining race horses and income chargeable to tax at special rate (1i of Schedule OS) (enter nil if loss) | 4a | | |
| | | b | Income chargeable to tax at special rate (1fvi of Schedule OS) | 4b | | |
| | | c | from owning and maintaining race horses (3c of Schedule OS) (enter nil if loss) | 4c | | |
| | | d | Total (4a + 4b + 4c) | | 4d | |
| | 5 | Total (1 + 2v + 3c + 4d) | | | | 5 |
| | 6 | Losses of current year to be set off against 5 (total of 2xii, 3xiii and 4xiii of Schedule CYLA) | | | | 6 |
| 7 | Balance after set off current year losses (5 – 6) (total of column 5 of schedule CYLA + 4b) | | | | 7 | |
| 8 | Brought forward losses to be set off against 7 (total of 2xii, 3xii and 4xii of Schedule BFLA) | | | | 8 | |
| 9 | Gross Total income (7 – 8) (5xiii of Schedule BFLA + 4b) | | | | 9 | |
| 10 | Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112 etc. included in 9 | | | | 10 | |
| 11 | Deduction u/s 10A or 10AA (e of Sch. 10A + e of Sch. 10AA) | | | | 11 | |
| 12 | Deductions under Chapter VI-A | | | | | |
| | a | Part-B of Chapter VI-A [1 of Schedule VI-A and limited upto (9-10)] | | 12a | | |
| | b | Part-C of Chapter VI-A [2 of Schedule VI-A and limited upto (9-10-2ii)] | | 12b | | |
| | c | Total (12a + 12b) [limited upto (9-10)] | | 12c | | |

| | | | |
|----|--|----|--|
| 13 | Total income (9 – 11-12c) | 13 | |
| 14 | Income chargeable to tax at special rates (total of (i) of schedule SI) | 14 | |
| 15 | Income chargeable to tax at normal rates (13 - 14) | 15 | |
| 16 | Net agricultural income(4 of Schedule EI) | 16 | |
| 17 | Losses of current year to be carried forward (total of xi of Schedule CFL) | 17 | |
| 18 | Deemed total income under section 115JB (7 of Schedule MAT) | 18 | |

Part B - TTI

Computation of tax liability on total income

| | | | | | | | |
|------------------------------|----|--|--|------------------------------|--|--|---|
| COMPUTATION OF TAX LIABILITY | 1 | a | Tax Payable on deemed total Income under section 115JB (8 of Schedule MAT) | | 1a | | |
| | | b | Surcharge on (a) above | | 1b | | |
| | | c | Education cess, including secondary and higher education cess on (1a+1b) above | | 1c | | |
| | | d | Total Tax Payable u/s 115JB (1a+1b+1c) | | 1d | | |
| | 2 | Tax payable on total income | | | | | |
| | | a | Tax at normal rates on 15 of Part B-TI | | 2a | | |
| | | b | Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule-SI) | | 2b | | |
| | | c | Tax Payable on Total Income (2a + 2b) | | 2c | | |
| | | d | Surcharge | | | | |
| | | | i | 25% of 12(ii) of Schedule SI | 2di | | |
| | | ii | On [(2d) – (12(ii) of Schedule SI)] | 2dii | | | |
| | | iii | Total (i + ii) | 2diii | | | |
| | e | Education cess, including secondary and higher education cess on (2c+2diii) | | 2e | | | |
| | f | Gross tax liability (2c+2diii+2e) | | 2f | | | |
| | 3 | Gross tax payable (higher of 1d and 2f) | | 3 | | | |
| | 4 | Credit under section 115JAA of tax paid in earlier years (if 2f is more than 1d) (5 of Schedule MATC) | | 4 | | | |
| | 5 | Tax payable after credit under section 115JAA [(3 - 4)] | | 5 | | | |
| | 6 | Tax relief | | | | | |
| | | a | Section 90/90A(2 of Schedule TR) | 6a | | | |
| | | b | Section 91(3 of Schedule TR) | 6b | | | |
| | | c | Total (6a + 6b) | 6c | | | |
| | 7 | Net tax liability (5 – 6c) (enter zero if negative) | | 7 | | | |
| | 8 | Interest payable | | | | | |
| | | a | For default in furnishing the return (section 234A) | 8a | | | |
| | | b | For default in payment of advance tax (section 234B) | 8b | | | |
| | | c | For deferment of advance tax (section 234C) | 8c | | | |
| | | d | Total Interest Payable (8a+8b+8c) | 8d | | | |
| | 9 | Aggregate liability (7 + 8d) | | 9 | | | |
| TAXES PAID | 10 | Taxes Paid | | | | | |
| | | a | Advance Tax (from column 5 of 15A) | 10a | | | |
| | | b | TDS (total of column 8 of 15B) | 10b | | | |
| | | c | TCS (total of column 7 of 15C) | 10c | | | |
| | | d | Self-Assessment Tax (from column 5 of 15A) | 10d | | | |
| | e | Total Taxes Paid (10a+10b+10c + 10d) | | 10e | | | |
| | 11 | Amount payable (9 - 10e) (Enter if 9 is greater than 10e, else enter 0) | | 11 | | | |
| | 12 | Refund (If 10e is greater than 9) (Refund, if any, will be directly credited into the bank account) | | 12 | | | |
| BANK ACCOUNT | 13 | Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts) | | | | | |
| | | Sl. | IFS Code of the Bank | Name of the Bank | Account Number (the number should be 9 digits or more as per CBS system of the bank) | Indicate the account in which you prefer to get your refund credited, if any (tick one account <input checked="" type="checkbox"/>) | Cash deposited during 09.11.2016 to 30.12.2016 (if aggregate cash deposits during the period ≥ Rs.2 lakh) |
| | | i | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| | ii | | | | | |
| 14 | <p>Do you at any time during the previous year,- (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? <i>[applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]</i></p> | | | | | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____, holding permanent account number _____ solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and the schedules thereto is correct and complete and that the amount of total income and other particulars shown therein are truly stated and are in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961, in respect of income chargeable to income-tax for the previous year relevant to the assessment year -2017-18. I further declare that I am making this return in my capacity as _____ and I am also competent to make this return and verify it.

I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable, in a case where return is furnished under section 92CD)

Place

Date

Sign here →

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------|--|
| 15 TAX PAYMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| A Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax | | | | | | | | | | | | | |
| ADVANCE/SELF ASSESSMENT TAX | Sl. No. | BSR Code | | | | Date of Deposit (DD/MM/YYYY) | | | | Serial Number of Challan | | Amount (Rs) | |
| | (1) | (2) | | | | (3) | | | | (4) | | (5) | |
| | i | | | | | | | | | | | | |
| | ii | | | | | | | | | | | | |
| | iii | | | | | | | | | | | | |
| NOTE ► Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl No. 10a & 10d of Part B-TTI | | | | | | | | | | | | | |
| B Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A or Form 26QB issued by Deductor(s)] | | | | | | | | | | | | | |
| TDS ON INCOME | Sl. No. | TAN of the Deductor/ PAN of the Buyer | Name of the Deductor | Unique TDS Certificate Number | Unclaimed TDS brought forward (b/f) | | TDS of the current fin. year | Amount out of (6) or (7) being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year) | Amount out of (6) or (7) being carried forward | | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | Fin. Year in which deducted | Amount b/f | (7) | (8) | (9) | | | | |
| | i | | | | | | | | | | | | |
| | ii | | | | | | | | | | | | |
| NOTE ► Please enter total of column (8) of Schedule-TDS in 10b of Part B-TTI | | | | | | | | | | | | | |
| C Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)] | | | | | | | | | | | | | |
| TCS ON INCOME | Sl. No. | Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector | Name of the Collector | Unclaimed TCS brought forward (b/f) | | TCS of the current fin. year | Amount out of (5) or (6) being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year) | Amount out of (5) or (6) being carried forward | | | | | |
| | (1) | (2) | (3) | Fin. Year in which collected | Amount b/f | (6) | (7) | (8) | | | | | |
| | i | | | | | | | | | | | | |
| | ii | | | | | | | | | | | | |
| NOTE ► Please enter total of column (7) of Schedule-TCS in 10c of Part B-TTI | | | | | | | | | | | | | |

NOTE: PLEASE FILL SCHEDULES TO THE RETURN FORM (PAGES S1- S19) AS APPLICABLE

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)

Schedule HP

Details of Income from House Property (Please refer instructions)

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--------------------------------|------------|------------------------------|-------|--|----------|----|--|--|
| HOUSE PROPERTY | 1 | Address of property 1 | | Town/ City | | State | | PIN Code | | | |
| | Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details) | | | | | | | | | | |
| | Assessee's percentage of share in the property | | | | | | | | | | |
| | Name of Co-owner(s) | | PAN of Co-owner (s) | | Percentage Share in Property | | | | | | |
| | I | | | | | | | | | | |
| | II | | | | | | | | | | |
| | (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> if let out <input type="checkbox"/> deemed let out <input type="checkbox"/> | | Name(s) of Tenant (if let out) | | PAN of Tenant(s) (optional) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | a | Annual lettable value or rent received or receivable (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two if let out for part of the year) | | | | | | | 1a | | |
| | b | The amount of rent which cannot be realized | | 1b | | | | | | | |
| | c | Tax paid to local authorities | | 1c | | | | | | | |
| | d | Total (1b + 1c) | | 1d | | | | | | | |
| | e | Annual value (1a - 1d) | | | | | | | 1e | | |
| | f | Annual value of the property owned (own percentage share x 1e) | | | | | | | 1f | | |
| | g | 30% of 1f | | 1g | | | | | | | |
| | h | Interest payable on borrowed capital | | 1h | | | | | | | |
| | i | Total (1g + 1h) | | | | | | | 1i | | |
| | j | Income from house property 1 (1f - 1i) | | | | | | | 1j | | |
| | 2 | Address of property 2 | | Town/ City | | State | | PIN Code | | | |
| | Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details) | | | | | | | | | | |
| | Assessee's percentage of share in the property | | | | | | | | | | |
| | Name of Co-owner(s) | | PAN of Co-owner (s) | | Percentage Share in Property | | | | | | |
| | I | | | | | | | | | | |
| | II | | | | | | | | | | |
| | (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> if let out <input type="checkbox"/> deemed let out <input type="checkbox"/> | | Name(s) of Tenant (if let out) | | PAN of Tenant(s) (optional) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| a | Annual lettable value or rent received or receivable (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two if let out for part of the year) | | | | | | | 2a | | | |
| b | The amount of rent which cannot be realized | | 2b | | | | | | | | |
| c | Tax paid to local authorities | | 2c | | | | | | | | |
| d | Total (2b + 2c) | | 2d | | | | | | | | |
| e | Annual value (2a - 2d) | | | | | | | 2e | | | |
| f | Annual value of the property owned (own percentage share x 2e) | | | | | | | 2f | | | |
| g | 30% of 2f | | 2g | | | | | | | | |
| h | Interest payable on borrowed capital | | 2h | | | | | | | | |
| i | Total (2g + 2h) | | | | | | | 2i | | | |
| j | Income from house property 2 (2e - 2h) | | | | | | | 2j | | | |
| 3 | Income under the head "Income from house property" | | | | | | | | | | |
| a | Unrealized rent and Arrears of rent received during the year under section 25A after deducting 30% | | | | | | | 3a | | | |
| b | Total (1j + 2j + 3a) | | | | | | | 3b | | | |

| Schedule BP | | Computation of income from business or profession | | | |
|------------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|----|
| INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION | A From business or profession other than speculative business and specified business | | | | |
| | 1 | Profit before tax as per profit and loss account (item 45 and 53 of Part A-P&L) | | 1 | |
| | 2a | Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter -ve sign in case of loss) | | 2a | |
| | 2b | Net profit or Loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter -ve sign in case of loss) | | 2b | |
| | 3 | Income/ receipts credited to profit and loss account considered under other heads of income/chargeable u/s 115BBF | | a House property | 3a |
| | | | | b Capital gains | 3b |
| | | | | c Other sources | 3c |
| | | | | d u/s 115BBF | 3d |
| | 4 | Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44AE/44B/44BB/44BBA/44BBB/ 44D/44DA/ Chapter-XII-G/ First Schedule of Income-tax Act | | 4 | |
| | 5 | Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt | | | |
| | | a | Share of income from firm(s) | 5a | |
| | | b | Share of income from AOP/ BOI | 5b | |
| | | c Any other exempt income (specify nature and amount) | | | |
| | | i | | ci | |
| | | ii | | cii | |
| | | iii | Total (ci + cii) | 5ciii | |
| | d | Total exempt income (5a + 5b + 5ciii) | | 5d | |
| | 6 | Balance (1- 2a - 2b - 3a - 3b - 3c - 3d - 4- 5d) | | | 6 |
| | 7 | Expenses debited to profit and loss account considered under other heads of income/related to income chargeable u/s 115BBF | | a House property | 7a |
| | | | | b Capital gains | 7b |
| | | | | c Other sources | 7c |
| | | | | d u/s 115BBF | 7d |
| | 8 | Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income | | 8 | |
| | 9 | Total (7a + 7b + 7c + 7d + 8) | | 9 | |
| | 10 | Adjusted profit or loss (6+9) | | 10 | |
| | 11 | Depreciation and amortisation debited to profit and loss account | | 11 | |
| 12 | Depreciation allowable under Income-tax Act | | | | |
| | i | Depreciation allowable under section 32(1)(ii) and 32(1)(ia) (item 6 of Schedule-DEP) | 12i | | |
| | ii | Depreciation allowable under section 32(1)(i) (Make your own computation refer Appendix-IA of IT Rules) | 12ii | | |
| | iii | Total (12i + 12ii) | 12iii | | |
| 13 | Profit or loss after adjustment for depreciation (10 +11 - 12iii) | | 13 | | |
| 14 | Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 (6r of Part A-OI) | | 14 | | |
| 15 | Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37 (7k of Part A-OI) | | 15 | | |
| 16 | Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40 (8Aj of Part A-OI) | | 16 | | |
| 17 | Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A (9f of Part A-OI) | | 17 | | |
| 18 | Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B (11h of Part A-OI) | | 18 | | |
| 19 | Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 | | 19 | | |
| 20 | Deemed income under section 41 | | 20 | | |
| 21 | Deemed income under section 32AC/ 32AD/ 33AB/ 33ABA/35ABA/ 35ABB/ 35AC/ 40A(3A)/ 33AC/ 72A/ 80HHD/ 80-IA | | 21 | | |
| 22 | Deemed income under section 43CA | | 22 | | |
| 23 | Any other item of addition under section 28 to 44DA | | 23 | | |
| 24 | Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which company is a partner) | | 24 | | |
| 25 | Total (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24) | | 25 | | |
| 26 | Deduction allowable under section 32(1)(iii) | | 26 | | |

| | | | | | |
|----------|--|---|--|-----------------------|---|
| 27 | Deduction allowable under section 32AD | | 27 | | |
| 28 | Amount allowable as deduction under section 32AC | | 28 | | |
| 29 | Amount of deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD in excess of the amount debited to profit and loss account (item x(4) of Schedule ESR) (if amount deductible under section 35 or 35CCC or 35CCD is lower than amount debited to P&L account, it will go to item 24) | | 29 | | |
| 30 | Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year(8B of Part A-OI) | | 30 | | |
| 31 | Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year (10g of Part A-OI) | | 31 | | |
| 32 | Deduction under section 35AC | | | | |
| | a | Amount, if any, debited to profit and loss account | 32a | | |
| | b | Amount allowable as deduction | 32b | | |
| | c | Excess amount allowable as deduction (32b – 32a) | 32c | | |
| 33 | Any other amount allowable as deduction | | 33 | | |
| 34 | Total (26 + 27+28 +29 +30 + 31 + 32c+33) | | | 34 | |
| 35 | Income (13 + 25 – 34) | | | 35 | |
| 36 | Profits and gains of business or profession deemed to be under - | | | | |
| | i | Section 44AE | 36i | | |
| | ii | Section 44B | 36ii | | |
| | iii | Section 44BB | 36iii | | |
| | iv | Section 44BBA | 36iv | | |
| | v | Section 44BBB | 36v | | |
| | vi | Section 44D | 36vi | | |
| | vii | Section 44DA | 36vii | | (item 4 of Form 3CE) |
| | viii | Chapter-XII-G (tonnage) | 36viii | | (total of col. 7 of item 10 of Form 66) |
| | ix | First Schedule of Income-tax Act | 36ix | | |
| | x | Total (36i to 36ix) | | 36x | |
| 37 | Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business (35+36x) | | | 37 | |
| 38 | Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rule 7A, 7B or 8, if applicable (If rule 7A, 7B or 8 is not applicable, enter same figure as in 37) (If loss take the figure to 2i of item E) | | | A38 | |
| B | Computation of income from speculative business | | | | |
| 39 | Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account | | | 39 | |
| 40 | Additions in accordance with section 28 to 44DA | | | 40 | |
| 41 | Deductions in accordance with section 28 to 44DA | | | 41 | |
| 42 | Income from speculative business (39 + 40 - 41) (if loss, take the figure to 6xi of schedule CFL) | | | B42 | |
| C | Computation of income from specified business under section 35AD | | | | |
| 43 | Net profit or loss from specified business as per profit or loss account | | | 43 | |
| 44 | Additions in accordance with section 28 to 44DA | | | 44 | |
| 45 | Deductions in accordance with section 28 to 44DA (other than deduction under section,- (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed) | | | 45 | |
| 46 | Profit or loss from specified business (43 + 44 - 45) | | | 46 | |
| 47 | Deductions in accordance with section 35AD(1) or 35AD(1A) | | | 47 | |
| 48 | Income from Specified Business (46 - 47) (if loss, take the figure to 7xi of schedule CFL) | | | C48 | |
| D | Income chargeable under the head 'Profits and gains from business or profession' (A37+B42+C48) | | | D | |
| E | Intra head set off of business loss of current year | | | | |
| | Sl. | Type of Business income | Income of current year (Fill this column only if figure is zero or positive) | Business loss set off | Business income remaining after set off |
| | | | (1) | (2) | (3) = (1) – (2) |
| | i | Loss to be set off (Fill this row only if figure is negative) | | (A37) | |
| | ii | Income from speculative business | (B42) | | |
| | iii | Income from specified business | (C48) | | |
| | iv | Total loss set off (ii + iii) | | | |

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|
| | v | Loss remaining after set off (i - iv) | |
|--|---|---------------------------------------|--|

| Schedule DPM | | Depreciation on Plant and Machinery (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section) | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|---|---------------------|------|-------|------|-----|------|-------|
| DEPRECIATION ON PLANT AND MACHINERY | 1 | Block of assets | Plant and machinery | | | | | | |
| | 2 | Rate (%) | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| | | | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | (vii) |
| | 3 | Written down value on the first day of previous year | | | | | | | |
| | 4 | Additions for a period of 180 days or more in the previous year | | | | | | | |
| | 5 | Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4 | | | | | | | |
| | 6 | Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 -5) (enter 0, if result is negative) | | | | | | | |
| | 7 | Additions for a period of less than 180 days in the previous year | | | | | | | |
| | 8 | Consideration or other realizations during the year out of 7 | | | | | | | |
| | 9 | Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7 - 8) (enter 0, if result is negative) | | | | | | | |
| | 10 | Depreciation on 6 at full rate | | | | | | | |
| | 11 | Depreciation on 9 at half rate | | | | | | | |
| | 12 | Additional depreciation, if any, on 4 | | | | | | | |
| | 13 | Additional depreciation, if any, on 7 | | | | | | | |
| | 14 | Additional depreciation relating to immediately preceding year' on asset put to use for less than 180 days | | | | | | | |
| | 15 | Total depreciation (10+11+12+13+14) | | | | | | | |
| | 16 | Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets | | | | | | | |
| | 17 | Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3-4 -7 -16) (enter negative only if block ceases to exist) | | | | | | | |
| | 18 | Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -15) (enter 0 if result is negative) | | | | | | | |

| Schedule DOA | | Depreciation on other assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction) | | | | | | |
|------------------------------|----|--|----------|------|-------|------------------------|-------------------|-------|
| DEPRECIATION ON OTHER ASSETS | 1 | Block of assets | Building | | | Furniture and fittings | Intangible assets | Ships |
| | 2 | Rate (%) | 5 | 10 | 100 | 10 | 25 | 20 |
| | | | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) |
| | 3 | Written down value on the first day of previous year | | | | | | |
| | 4 | Additions for a period of 180 days or more in the previous year | | | | | | |
| | 5 | Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4 | | | | | | |
| | 6 | Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 -5) (enter 0, if result is negative) | | | | | | |
| | 7 | Additions for a period of less than 180 days in the previous year | | | | | | |
| | 8 | Consideration or other realizations during the year out of 7 | | | | | | |
| | 9 | Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative) | | | | | | |
| | 10 | Depreciation on 6 at full rate | | | | | | |
| | 11 | Depreciation on 9 at half rate | | | | | | |
| | 12 | Total depreciation (10+11) | | | | | | |
| | 13 | Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets | | | | | | |
| | 14 | Capital gains/ loss under section 50* (5 + 8 -3-4 -7 -13) (enter negative only if block ceases to exist) | | | | | | |
| | 15 | Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -12) (enter 0 if result is negative) | | | | | | |

Schedule DEP

Summary of depreciation on assets (Other than on assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)

SUMMARY OF DEPRECIATION ON ASSETS

| | | | | |
|---|---|---|----|--|
| 1 | Plant and machinery | | | |
| | a | Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 15 i) | 1a | |
| | b | Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 15 ii) | 1b | |
| | c | Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 15 iii) | 1c | |
| | d | Block entitled for depreciation @ 50 per cent (Schedule DPM - 15 iv) | 1d | |
| | e | Block entitled for depreciation @ 60 per cent (Schedule DPM - 15 v) | 1e | |
| | f | Block entitled for depreciation @ 80 per cent (Schedule DPM - 15 vi) | 1f | |
| | g | Block entitled for depreciation @ 100 per cent (Schedule DPM - 15 vii) | 1g | |
| | h Total depreciation on plant and machinery (1a + 1b + 1c + 1d+ 1e + 1f + 1g) | | 1h | |
| 2 | Building | | | |
| | a | Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 12i) | 2a | |
| | b | Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 12ii) | 2b | |
| | c | Block entitled for depreciation @ 100 per cent (Schedule DOA- 12iii) | 2c | |
| | d Total depreciation on building (2a+2b+2c) | | 2d | |
| 3 | Furniture and fittings(Schedule DOA- 12 iv) | | 3 | |
| 4 | Intangible assets (Schedule DOA- 12 v) | | 4 | |
| 5 | Ships (Schedule DOA- 12 vi) | | 5 | |
| 6 | Total depreciation (1h+2d+3+4+5) | | 6 | |

Schedule DCG

Deemed Capital Gains on sale of depreciable assets

| | | | | |
|---|--|--|----|--|
| 1 | Plant and machinery | | | |
| | a | Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 17i) | 1a | |
| | b | Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 17ii) | 1b | |
| | c | Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 17iii) | 1c | |
| | d | Block entitled for depreciation @ 50 per cent (Schedule DPM - 17iv) | 1d | |
| | e | Block entitled for depreciation @ 60 per cent (Schedule DPM - 17v) | 1e | |
| | f | Block entitled for depreciation @ 80 per cent (Schedule DPM - 17vi) | 1f | |
| | g | Block entitled for depreciation @ 100 per cent (Schedule DPM - 17vii) | 1g | |
| | h Total (1a +1b + 1c + 1d + 1e + 1f + 1g) | | 1h | |
| 2 | Building | | | |
| | a | Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 14i) | 2a | |
| | b | Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 14ii) | 2b | |
| | c | Block entitled for depreciation @ 100 per cent (Schedule DOA- 14iii) | 2c | |
| | d Total (2a + 2b + 2c) | | 2d | |
| 3 | Furniture and fittings (Schedule DOA- 14iv) | | 3 | |
| 4 | Intangible assets (Schedule DOA- 14v) | | 4 | |
| 5 | Ships (Schedule DOA- 14vi) | | 5 | |
| 6 | Total (1h+2d+3+4+5) | | 6 | |

Schedule ESR

Deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD

| Sl No | Expenditure of the nature referred to in section (1) | Amount, if any, debited to profit and loss account (2) | Amount of deduction allowable (3) | Amount of deduction in excess of the amount debited to profit and loss account (4) = (3) - (2) |
|-------|--|--|-----------------------------------|--|
| i | 35(1)(i) | | | |
| ii | 35(1)(ii) | | | |
| iii | 35(1)(iia) | | | |
| iv | 35(1)(iii) | | | |

| | | | |
|------|-----------|--|--|
| v | 35(1)(iv) | | |
| vi | 35(2AA) | | |
| vii | 35(2AB) | | |
| viii | 35CCC | | |
| ix | 35CCD | | |
| x | Total | | |

Schedule CG

Capital Gains

| A | | Short-term Capital Gains (STCG) (Items 4, 5 & 8 are not applicable for residents) | | | |
|--------------------------|---|---|--|---------------------|-----|
| Short-term Capital Gains | 1 | From sale of land or building or both | | | |
| | a | i | Full value of consideration received/receivable | ai | |
| | | ii | Value of property as per stamp valuation authority | a ii | |
| | | iii | Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains (ai or a ii) | a iii | |
| | b | Deductions under section 48 | | | |
| | | i | Cost of acquisition without indexation | bi | |
| | | ii | Cost of Improvement without indexation | b ii | |
| | | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | b iii | |
| | | iv | Total (bi + b ii + b iii) | b iv | |
| | c | Balance (a iii – b iv) | | 1c | |
| | d | Deduction under section 54D/ 54G/54GA (Specify details in item D below) | | 1d | |
| | e | Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d) | | | A1e |
| | 2 | From slump sale | | | |
| | a | Full value of consideration | 2a | (5 of Form 3CEA) | |
| | b | Net worth of the under taking or division | 2b | (6(e) of Form 3CEA) | |
| | c | Short term capital gains from slump sale (2a-2b) | | | A2c |
| | 3 | From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(ii) proviso (for FII) | | | |
| | a | Full value of consideration | 3a | | |
| | b | Deductions under section 48 | | | |
| | | i | Cost of acquisition without indexation | bi | |
| | | ii | Cost of Improvement without indexation | b ii | |
| | | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | b iii | |
| | | iv | Total (i + ii + iii) | b iv | |
| | c | Balance (3a – b iv) | | 3c | |
| | d | Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only) | | 3d | |
| e | Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (3c +3d) | | | A3c | |
| 4 | For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48) | | | | |
| a | STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is paid | | | A4a | |
| b | STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is not paid | | | A4b | |
| 5 | For NON-RESIDENTS- from sale of securities (other than those at A3 above) by an FII as per section 115AD | | | | |
| a | Full value of consideration | 5a | | | |
| b | Deductions under section 48 | | | | |
| | i | Cost of acquisition without indexation | bi | | |
| | ii | Cost of improvement without indexation | b ii | | |
| | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | b iii | | |
| | iv | Total (i + ii + iii) | b iv | | |
| c | Balance (5a – b iv) | | 5c | | |
| d | Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only) | | 5d | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|---|----|--|
| | e | Short-term capital gain on securities (other than those at A3 above) by an FII (5c +5d) | | | | A5e | | |
| 6 | From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above | | | | | | | |
| | a | Full value of consideration | | | 6a | | | |
| | b | Deductions under section 48 | | | | | | |
| | | i | Cost of acquisition without indexation | | | bi | | |
| | | ii | Cost of Improvement without indexation | | | bii | | |
| | | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | | | biii | | |
| | | iv | Total (i + ii + iii) | | | biv | | |
| | c | Balance (6a – biv) | | | 6c | | | |
| | d | In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only) | | | 6d | | | |
| | e | Deemed short term capital gains on depreciable assets (6 of schedule- DCG) | | | 6e | | | |
| | f | Deduction under section 54D/54G/54GA | | | 6f | | | |
| g | STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above (6c + 6d + 6e – 6f) | | | | A6g | | | |
| 7 | Amount deemed to be short-term capital gains | | | | | | | |
| a | Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below | | | | | | | |
| | Sl. | Previous year in which asset transferred | Section under which deduction claimed in that year | New asset acquired/constructed Year in which asset acquired/constructed Amount utilised out of Capital Gains account | | Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X) | | |
| | i | 2013-14 | 54D/54G/54GA | | | | | |
| b | Amount deemed to be short-term capital gains u/s 54D/54G/54GA, other than at 'a' | | | | | | | |
| Total Amount deemed to be short-term capital gains u/s 54D/54G/54GA (aXi + b) | | | | | | A7 | | |
| 8 | FOR NON-RESIDENTS- STCG included in A1-A7 but not chargeable to tax in India as per DTAA | | | | | | | |
| I | Sl. | Country name, code | Article of DTAA | Whether Tax Residency Certificate obtained? | Item No.A1 to A7 above in which included | Amount of STCG | | |
| | | | | | A1e/A2c/A3e/A4a/A4b/A5e/A6g/A7 | | | |
| | | | | | A1e/A2c/A3e/A4a/A4b/A5e/A6g/A7 | | | |
| III | Total amount of STCG not chargeable to tax in India as per DTAA | | | | | A8 | | |
| 9 | Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2c+ A3e+ A4a+ A4b+ A5e+ A6g+A7-A8) | | | | | | A9 | |
| B | Long-term capital gain (LTCCG) (Items 5, 6 & 9 are not applicable for residents) | | | | | | | |
| Long-term Capital Gains | 1 | From sale of land or building or both | | | | | | |
| | a | i | Full value of consideration received/receivable | | | ai | | |
| | | ii | Value of property as per stamp valuation authority | | | aii | | |
| | | iii | Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains (ai or aii) | | | aiii | | |
| | b | Deductions under section 48 | | | | | | |
| | | i | Cost of acquisition with indexation | | | bi | | |
| | | ii | Cost of Improvement with indexation | | | bii | | |
| | | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | | | biii | | |
| | | iv | Total (bi + bii + biii) | | | biv | | |
| | c | Balance (aiii – biv) | | | 1c | | | |
| | d | Deduction under section 54D/54EC/54EE /54G/54GA (Specify details in item D below) | | | 1d | | | |
| | e | Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d) | | | | B1e | | |
| | 2 | From slump sale | | | | | | |
| | a | Full value of consideration | | | 2a | (5 of Form 3CEA) | | |
| | | Net worth of the under taking or division | | | 2b | (6(e) of Form 3CEA) | | |
| | | Balance (2a – 2b) | | | 2c | | | |
| | | Deduction u/s 54EC/54EE | | | 2d | | | |
| Long term capital gains from slump sale (2c-2d) | | | | B2e | | | | |
| 3 | From sale of bonds or debenture (other than capital indexed bonds issued by Government) | | | | | | | |
| a | Full value of consideration | | | 3a | | | | |
| | Deductions under section 48 | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|
| | i | Cost of acquisition without indexation | bi | | |
| | ii | Cost of improvement without indexation | bii | | |
| | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | biii | | |
| | iv | Total (bi + bii + biii) | biv | | |
| c | Balance (3a – biv) | | | 3c | |
| d | Deduction under sections 54EC /54EE (Specify details in item D below) | | | 3d | |
| e | LTCG on bonds or debenture (3c – 3d) | | | | B3e |
| 4 | From sale of listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds where proviso under section 112(1) is applicable | | | | |
| a | Full value of consideration | | | 4a | |
| b | Deductions under section 48 | | | | |
| | i | Cost of acquisition without indexation | bi | | |
| | ii | Cost of improvement without indexation | bii | | |
| | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | biii | | |
| | iv | Total (bi + bii + biii) | biv | | |
| c | Balance (4a – biv) | | | 4c | |
| d | Deduction under sections 54EC /54EE (Specify details in item D below) | | | 4d | |
| e | Long-term Capital Gains on assets at B4 above (4c – 4d) | | | | B4e |
| 5 | For NON-RESIDENTS- from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48) | | | | |
| a | LTCG computed without indexation benefit | | | 5a | |
| b | Deduction under sections 54EC /54EE (Specify details in item D below) | | | 5b | |
| c | LTCG on share or debenture (5a-5b) | | | | B5c |
| 6 | For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) units referred in sec. 115AB, (iii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iv) securities by FII as referred to in sec. 115AD | | | | |
| a | Full value of consideration | | | 6a | |
| b | Deductions under section 48 | | | | |
| | i | Cost of acquisition without indexation | bi | | |
| | ii | Cost of improvement without indexation | bii | | |
| | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | biii | | |
| | iv | Total (bi + bii + biii) | biv | | |
| c | Balance (6a – biv) | | | 6c | |
| d | Deduction under sections 54EC/54EE (Specify details in item D below) | | | 6d | |
| e | Long-term Capital Gains on assets at 6 above in case of NON-RESIDENT (6c – 6d) | | | | B6e |
| 7 | From sale of assets where B1 to B6 above are not applicable | | | | |
| a | Full value of consideration | | | 7a | |
| b | Deductions under section 48 | | | | |
| | i | Cost of acquisition with indexation | bi | | |
| | ii | Cost of improvement with indexation | bii | | |
| | iii | Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer | biii | | |
| | iv | Total (bi + bii + biii) | biv | | |
| c | Balance (7a – biv) | | | 7c | |
| d | Deduction under section 54D/54EC/54EE /54G/54GA (Specify details in item D below) | | | 7d | |
| e | Long-term Capital Gains on assets at B7 above (7c-7d) | | | | B7e |
| 8 | Amount deemed to be long-term capital gains | | | | |
| a | Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below | | | | |
| | Sl. | Previous year in which asset transferred | Section under which deduction claimed in that year | New asset acquired/constructed Year in which asset acquired/constructed | Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X) |
| | i | 2013-14 | 54/54D/54F/54G/54GA | | |
| b | Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a' | | | | |
| | Total amount deemed to be long-term capital gains (aXi + b) | | | | B8 |
| 9 | FOR NON-RESIDENTS- LTCG included in items B1 to B8 but not chargeable to tax in India as per DTAA | | | | |
| | Sl. | Country name, code | Article of DTAA | Whether Tax Residency Certificate obtained? | Item B1 to B8 above in which included Amount of LTCG |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|--------------------------------------|--|---|-----|---------------------|--|
| | I | | | | B1e/B2e/B3e/ B4c/ B5e/B6c/B6f/B7e/B8 | | | |
| | II | | | | B1e/B2e/B3e/ B4c/ B5e/B6c/B6f/B7e/B8 | | | |
| | III | Total amount of LTCG not chargeable to tax in India as per DTAA | | | | | B9 | |
| 10 | Total long term capital gain [B1e + B2e+ B3e +B4e + B5c + B6e + B7e+ B8-B9] (In case of loss take the figure to 9xi of schedule CFL) | | | | | B10 | | |
| C | Income chargeable under the head “CAPITAL GAINS” (A9 + B10) (take B10 as nil, if loss) | | | | | | C | |
| D | Information about deduction claimed | | | | | | | |
| | 1 | In case of deduction u/s 54B/54D/54EC/54EE /54G/54GA give following details | | | | | | |
| | a | Section under which deduction claimed | | | | 1a | amount of deduction | |
| | | i | Cost of new asset | | | ai | | |
| | | ii | Date of its acquisition/construction | | | aii | dd/mm/yyyy | |
| | b | Section under which deduction claimed | | | | 1b | amount of deduction | |
| | | i | Cost of new asset | | | bi | | |
| | | ii | Date of its acquisition/construction | | | bii | dd/mm/yyyy | |
| | c | Total deduction claimed (1a + 1b) | | | | 1c | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|--|---------------------------------|-----|----------------------|--------------------------------|----------------------------|--|
| E | Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A7 & B9 which is chargeable under DTAA) | | | | | | | |
| Sl. | Type of Capital Gain | Gain of current year (Fill this column only if computed figure is positive) | Short term capital loss set off | | | Long term capital loss set off | | Current year's capital gains remaining after set off (7= 1-2-3-4-5-6) |
| | | | 15% | 30% | applicable rate | 10% | 20% | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| i | Loss to be set off (Fill this row if figure computed is negative) | | (A3e+A4a) | A5e | (A1e+A2c+A4b+A6g+A7) | (B4e+ + B6e) | (B1e+B2e+B3e+ B5c+ B7e+B8) | |
| ii | Short term capital gain | 15% | (A3e+A4a) | | | | | |
| iii | | 30% | A5e | | | | | |
| iv | | applicable rate | (A1e+A2c+A4b+A6g+A7) | | | | | |
| v | | 10% | (B4e+ + B6e) | | | | | |
| vi | 20% | (B1e+B2e+B3e+ B5c+ B7e+B8) | | | | | | |
| vii | Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi) | | | | | | | |
| viii | Loss remaining after set off (i – vii) | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| F | Information about accrual/receipt of capital gain | | | | | |
| | Type of Capital gain / Date | Upto 15/6 (i) | 16/6 to 15/9 (ii) | 16/9 to 15/12 (iii) | 16/12 to 15/3 (iv) | 16/3 to 31/3 (v) |
| 1 | Short-term capital gains taxable at the rate of 15% Enter value from item 5v of schedule BFLA, if any. | | | | | |
| 2 | Short-term capital gains taxable at the rate of 30% Enter value from item 5vi of schedule BFLA, if any. | | | | | |
| 3 | Short-term capital gains taxable at applicable rates Enter value from item 5vii of schedule BFLA, if any. | | | | | |
| 4 | Long- term capital gains taxable at the rate of 10% Enter value from item 5viii of schedule BFLA, if any. | | | | | |
| 5 | Long- term capital gains taxable at the rate of 20% Enter value from item 5ix of schedule BFLA, if any. | | | | | |

Schedule OS

Income from other sources

| 1 | | Income | | | | | | |
|-----|---|---|-----------------|------------------------|-----------------------|--|------------------|--|
| a | Dividends, Gross | 1a | | | | | | |
| b | Interest, Gross | 1b | | | | | | |
| c | Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross | 1c | | | | | | |
| d | Others, Gross (excluding income from owning race horses) Mention the nature | | | | | | | |
| i | Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles etc. | 1di | | | | | | |
| ii | a Cash credits u/s 68 | | | | | | | |
| | b Unexplained investments u/s 69 | | | | | | | |
| | c Unexplained money etc. u/s 69A | | | | | | | |
| | d Undisclosed investments etc. u/s 69B | | | | | | | |
| | e Unexplained expenditure etc. u/s 69C | | | | | | | |
| | f Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D | | | | | | | |
| | Total (a + b + c + d + e + f) | 1dii | | | | | | |
| iii | | 1diii | | | | | | |
| iv | | 1div | | | | | | |
| v | Total (1di + 1dii+ 1diii+ 1div) | 1dv | | | | | | |
| e | Total (1a + 1b + 1c + 1dv) | 1e | | | | | | |
| f | Income included in '1e' chargeable to tax at special rate (to be taken to schedule SI) | | | | | | | |
| i | Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc (u/s 115BB) | 1fi | | | | | | |
| ii | Deemed Income chargeable to tax u/s 115BBE | 1fii | | | | | | |
| iii | Income from patent chargeable u/s 11BBF | 1fiii | | | | | | |
| iv | Any other income chargeable to tax at the rate specified under chapter XII/XII-A | 1fiv | | | | | | |
| v | FOR NON-RESIDENTS- Income chargeable to be taxed under DTAA | | | | | | | |
| | Sl. | Country name, code | Article of DTAA | Rate of tax under DTAA | Whether TRC obtained? | Corresponding section of the Act which prescribes rate | Amount of income | |
| | I | | | | | | | |
| | II | | | | | | | |
| | III | Total amount of income chargeable to tax under DTAA | | | | | 1fv | |
| vi | Income included in '1e' chargeable to tax at special rate (1fi +1fii + 1fiii+1fiv+1fv) | 1fvi | | | | | | |
| g | Gross amount chargeable to tax at normal applicable rates (1e-1fvi) | 1g | | | | | | |
| h | Deductions under section 57 (other than those relating to income under 1fi, 1fii, 1fiii, 1fiv & 1fv) | | | | | | | |
| i | Expenses / Deductions | hi | | | | | | |
| ii | Depreciation | hii | | | | | | |
| iii | Total | hiii | | | | | | |
| i | Income from other sources (other than from owning race horses and amount chargeable to tax at special rate) (1g – hiii) (If negative take the figure to 4i of schedule CYLA) | 1i | | | | | | |
| 2 | Income from other sources (other than from owning and maintaining race horses) (1fiv + 1i) (enter 1i as nil, if negative) | 2 | | | | | | |
| 3 | Income from the activity of owning race horses | | | | | | | |
| a | Receipts | 3a | | | | | | |
| b | Deductions under section 57 in relation to (4) | 3b | | | | | | |
| c | Balance (3a – 3b) (if negative take the figure to 10xi of Schedule CFL) | 3c | | | | | | |
| 4 | Income under the head "Income from other sources" (2 + 3c) (take 3c as nil if negative) | 4 | | | | | | |

OTHER SOURCES

Schedule CYLA

Details of Income after Set off of current year losses

| Sl.No | Head/ Source of Income | Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive) | House property loss of the current year set off | Business Loss (other than speculation or specified business loss) of the current year set off | Other sources loss (other than loss from race horses and amount chargeable to special rate of tax) of the current year set off | Current year's Income remaining after set off |
|-------|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1-2-3-4 |
| i | Loss to be set off → | | (3b of Schedule -HP) | (2v of item E of Schedule BP) | (1i of Schedule-OS) | |
| ii | House property | (3b of Schedule HP) | | | | |
| iii | Business (excluding speculation income and income from specified business) | (A37 of Schedule BP) | | | | |
| iv | Speculation income | (3ii of item E of Sch. BP) | | | | |
| v | Specified business income u/s 35AD | (3iii of item E of Sch. BP) | | | | |
| vi | Short-term capital gain taxable @ 15% | (7ii of item E of schedule CG) | | | | |
| vii | Short-term capital gain taxable @ 30% | (7iii of item E of schedule CG) | | | | |
| viii | Short-term capital gain taxable at applicable rates | (7iv of item E of schedule CG) | | | | |
| ix | Long term capital gain taxable @ 10% | (7v of item E of schedule CG) | | | | |
| x | Long term capital gain taxable @ 20% | (7vi of item E of schedule CG) | | | | |
| xi | Other sources (excluding profit from owning race horses and amount chargeable to special rate of tax) | (1i of schedule OS) | | | | |
| xii | Profit from owning and maintaining race horses | (3c of schedule OS) | | | | |
| xiii | Total loss set off (ii+ iii+ iv+ v+ vi+ vii+ viii+ ix+ x+ xi+ xii) | | | | | |
| xiv | Loss remaining after set-off (i - xiii) | | | | | |

Schedule BFLA

Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years

| Sl. No. | Head/ Source of Income | Income after set off, if any, of current year's losses as per 5 of Schedule CYLA) | Brought forward loss set off | Brought forward depreciation set off | Brought forward allowance under section 35(4) set off | Current year's income remaining after set off |
|---------|---|--|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| i | House property | (5ii of schedule CYLA) | (B/f house property loss) | | | |
| ii | Business (excluding speculation income and income from specified business) | (5iii of schedule CYLA) | (B/f business loss, other than speculation or specified business loss) | | | |
| iii | Speculation Income | (5iv of schedule CYLA) | (B/f normal business or speculation loss) | | | |
| iv | Specified Business Income | (5v of schedule CYLA) | (B/f normal business or specified business loss) | | | |
| v | Short-term capital gain taxable @ 15% | (5vi of schedule CYLA) | (B/f short-term capital loss) | | | |
| vi | Short-term capital gain taxable @ 30% | (5vii of schedule CYLA) | (B/f short-term capital loss) | | | |
| vii | Short-term capital gain taxable at applicable rates | (5viii of schedule CYLA) | (B/f short-term capital loss) | | | |
| viii | Long-term capital gain taxable @ 10% | (5ix of schedule CYLA) | (B/f short-term or long-term capital loss) | | | |
| ix | Long term capital gain taxable @ 20% | (5x of schedule CYLA) | (B/f short-term or long-term capital loss) | | | |
| x | Other sources income (excluding profit from owning and maintaining race horses and amount chargeable to special rate of tax) | (5xi of schedule CYLA) | | | | |
| xi | Profit from owning and maintaining race horses | (5xii of schedule CYLA) | (B/f loss from horse races) | | | |
| xii | Total of brought forward loss set off | | | | | |
| xiii | Current year's income remaining after set off Total (i5 + ii5 + iii5 + iv5+v5 + vi5 + vii5 + viii5 + ix5 + x5 + xi5) | | | | | |

| Schedule CFL | | Details of Losses to be carried forward to future years | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|---------------------|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|-----------------------------|
| Sl. No. | Assessment Year | Date of Filing (DD/MM/YYYY) | House property loss | Loss from business other than loss from speculative business and specified business | Loss from speculative business | Loss from specified business | Short-term capital loss | Long-term Capital loss | Loss from owning and maintaining race horses | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| CARRY FORWARD OF LOSS | i | 2009-10 | | | | | | | | |
| | ii | 2010-11 | | | | | | | | |
| | iii | 2011-12 | | | | | | | | |
| | iv | 2012-13 | | | | | | | | |
| | v | 2013-14 | | | | | | | | |
| | vi | 2014-15 | | | | | | | | |
| | vii | 2015-16 | | | | | | | | |
| | viii | 2016-17 | | | | | | | | |
| | ix | Total of earlier year losses b/f | | | | | | | | |
| | x | Adjustment of above losses in Schedule BFLA | | (2i of schedule BFLA) | (2ii of schedule BFLA) | (2iii of schedule BFLA) | (2iv of schedule BFLA) | | | (2xi of schedule BFLA) |
| | xi | 2017-18 (Current year losses) | | (2xiv of schedule CYLA) | (3xiv of schedule CYLA) | (B42 of schedule BP, if -ve) | (C48 of schedule BP, if -ve) | (2viii+3viii+4viii) of item E of schedule CG) | ((5viii+6viii) of item E of schedule CG) | (3c of schedule OS, if -ve) |
| | xii | Total loss Carried forward to future years | | | | | | | | |

| Schedule UD | | Unabsorbed depreciation and allowance under section 35(4) | | | | | |
|-------------|-------------------------|---|--|--|--|---|--|
| Sl No | Assessment Year | Depreciation | | | Allowance under section 35(4) | | |
| | | Amount of brought forward unabsorbed depreciation | Amount of depreciation set-off against the current year income | Balance carried forward to the next year | Amount of brought forward unabsorbed allowance | Amount of allowance set-off against the current year income | Balance Carried forward to the next year |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| i | Current Assessment Year | | | | | | |
| ii | | | | | | | |
| iii | | | | | | | |
| iv | Total | | (3xii of BFLA) | | | (4xii of BFLA) | |

| Schedule ICDS | | Effect of Income Computation Disclosure Standards on profit | |
|---------------|--|---|--|
| Sl. No. | ICDS | Amount (+) or (-) | |
| (i) | (ii) | (iii) | |
| I | Accounting Policies | | |
| II | Valuation of Inventories | | |
| III | Construction Contracts | | |
| IV | Revenue Recognition | | |
| V | Tangible Fixed Assets | | |
| VI | Changes in Foreign Exchange Rates | | |
| VII | Government Grants | | |
| VIII | Securities | | |
| IX | Borrowing Costs | | |
| X | Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets | | |

| | | |
|-----|---|--|
| 11. | Total Net effect (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | |
|-----|---|--|

Schedule 10A Deduction under section 10A

| DEDUCTION U/S 10A | Deduction in respect of units located in Special Economic Zone | | | | |
|-------------------|--|---|---|----|---|
| | Sl | Undertaking | Assessment year in which unit begins to manufacture/produce | Sl | Amount of deduction |
| | a | Undertaking No.1 | | a | (item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 1) |
| | b | Undertaking No.2 | | b | (item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 2) |
| | c | Total deduction under section 10A (a+b) | | | |

Schedule 10AA Deduction under section 10AA

| DEDUCTION U/S 10AA | Deductions in respect of units located in Special Economic Zone | | | | |
|--------------------|---|--|--|----|---|
| | Sl | Undertaking | Assessment year in which unit begins to manufacture/produce/provide services | Sl | Amount of deduction |
| | a | Undertaking No.1 | | a | (item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 1) |
| | b | Undertaking No.2 | | b | (item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 2) |
| | c | Total deduction under section 10AA (a + b) | | | |

Schedule 80G Details of donations entitled for deduction under section 80G

| DETAILS OF DONATIONS | A Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit | | | | |
|---|---|-------|--------------|--------------------|-----------------------------|
| | Name and address of donee | | PAN of Donee | Amount of donation | Eligible Amount of donation |
| | i | | | | |
| | ii | | | | |
| | iii | | | | |
| | iv | Total | | | |
| | B Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit | | | | |
| | Name and address of donee | | PAN of Donee | Amount of donation | Eligible Amount of donation |
| | i | | | | |
| | ii | | | | |
| | iii | | | | |
| | iv | Total | | | |
| | C Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit | | | | |
| | Name and address of donee | | PAN of Donee | Amount of donation | Eligible Amount of donation |
| | i | | | | |
| | ii | | | | |
| | iii | | | | |
| | iv | Total | | | |
| | D Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit | | | | |
| | Name and address of donee | | PAN of Donee | Amount of donation | Eligible Amount of donation |
| i | | | | | |
| ii | | | | | |
| iii | | | | | |
| iv | Total | | | | |
| E Total donations (Aiv + Biv + Civ + Div) | | | | | |

| Schedule 80-IA | | Deductions under section 80-IA | | | |
|---------------------|--|---|----|-------------------|--|
| DEDUCTION U/S 80-IA | a | Deduction in respect of profits of an enterprise referred to in section 80-IA(4)(i) [Infrastructure facility] | a1 | Undertaking no. 1 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | | a2 | Undertaking no. 2 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | b | Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(ii) [Telecommunication services] | b1 | Undertaking no. 1 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | | b2 | Undertaking no. 2 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | c | Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iii) [Industrial park and SEZs] | c1 | Undertaking no. 1 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | | c2 | Undertaking no. 2 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | d | Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iv) [Power] | d1 | Undertaking no. 1 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | | d2 | Undertaking no. 2 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | e | Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(v) [Revival of power generating plant] and deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(vi) [Cross-country natural gas distribution network] | e1 | Undertaking no. 1 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | | e2 | Undertaking no. 2 | (item 30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| f | Total deductions under section 80-IA (a1 + a2 + b1 + b2 + c1 + c2+ d1 + d2+ e1 + e2) | | | | f |

| Schedule 80-IB | | Deductions under section 80-IB | | | |
|----------------|--|--------------------------------|-------------------|---|---|
| a | Deduction in respect of industrial undertaking located in Jammu & Kashmir [Section 80-IB(4)] | a1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | | a2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| b | Deduction in respect of industrial undertaking located in industrially backward states specified in Eighth Schedule [Section 80-IB(4)] | b1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | | b2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| c | Deduction in respect of industrial undertaking located in industrially backward districts [Section 80-IB(5)] | c1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | | c2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| d | Deduction in the case of multiplex theatre [Section 80-IB(7A)] | d1 | Undertaking no. 1 | (10(v) of Form 10CCBA of the undertaking) | |
| | | d2 | Undertaking no. 2 | (10(v) of Form 10CCBA of the undertaking) | |
| e | Deduction in the case of convention centre [Section 80-IB(7B)] | e1 | Undertaking no. 1 | (10(v) of Form 10CCBB of the undertaking) | |
| | | e2 | Undertaking no. 2 | (10(v) of Form 10CCBB of the undertaking) | |
| f | Deduction in the case of company carrying on scientific research [Section 80-IB(8A)] | f1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | | f2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| g | Deduction in the case of undertaking which begins commercial production or refining of mineral oil [Section 80-IB(9)] | g1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | | g2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| h | Deduction in the case of an undertaking developing and building housing projects [Section 80-IB(10)] | h1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | | h2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| i | Deduction in the case of an undertaking operating a cold chain facility [Section 80-IB(11)] | i1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | | i2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| j | Deduction in the case of an undertaking engaged in processing, preservation and packaging of fruits, vegetables, meat, meat products, poultry, marine or dairy products [Section 80-IB(11A)] | j1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | | j2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| k | Deduction in the case of an undertaking engaged in integrated business of handling, storage and transportation of food grains [Section 80-IB(11A)] | k1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | | k2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| l | Deduction in the case of an undertaking engaged in operating and maintaining a rural hospital [Section 80-IB(11B)] | l1 | Undertaking no. 1 | (11(v) of Form 10CCBC) | |
| | | l2 | Undertaking no. 2 | (11(v) of Form 10CCBC) | |
| m | Deduction in the case of an undertaking engaged in operating and maintaining a hospital in any area, other than excluded area [Section 80-IB(11C)] | m1 | Undertaking no. 1 | (11(d) of Form 10CCBD) | |
| | | m2 | Undertaking no. 2 | (11(d) of Form 10CCBD) | |
| n | Total deduction under section 80-IB (Total of a1 to m2) | | | | n |

| Schedule 80-IC or 80-IE | | Deductions under section 80-IC or 80-IE | | | | | | |
|-------------------------|--|---|-------------------|---------------------------------------|----|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| DEDUCTION U/S 80-IC | a | Deduction in respect of undertaking located in Sikkim | | | a1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | | | | | a2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | b | Deduction in respect of undertaking located in Himachal Pradesh | | | b1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | | | | | b2 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | c | Deduction in respect of undertaking located in Uttarakhand | | | c1 | Undertaking no. 1 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | | | | | c1 | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | |
| | d | Deduction in respect of undertaking located in North-East | | | | | | |
| | da | Assam | da1 | Undertaking no. 1 | | | | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | | da2 | Undertaking no. 2 | | | | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | db | Arunachal Pradesh | db1 | Undertaking no. 1 | | | | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | | db2 | Undertaking no. 2 | | | | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | dc | Manipur | dc1 | Undertaking no. 1 | | | | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | | dc2 | Undertaking no. 2 | | | | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | dd | Mizoram | dd1 | Undertaking no. 1 | | | | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | | dd2 | Undertaking no. 2 | | | | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | de | Meghalaya | de1 | Undertaking no. 1 | | | | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | | de2 | Undertaking no. 2 | | | | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | df | Nagaland | df1 | Undertaking no. 1 | | | | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | | | df2 | Undertaking no. 2 | | | | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| | dg | Tripura | dg1 | Undertaking no. 1 | | | | (30 of Form 10CCB of the undertaking) |
| dg2 | | | Undertaking no. 2 | (30 of Form 10CCB of the undertaking) | | | | |
| dh | Total deduction for undertakings located in North-east (total of da1 to dg2) | | | dh | | | | |
| e | Total deduction under section 80-IC or 80-IE (a + d + c + dh) | | | e | | | | |

| Schedule VI-A | | Deductions under Chapter VI-A | | | | | |
|------------------|--|--|-------------------------------|---|--------------|-------------------------------|-------|
| TOTAL DEDUCTIONS | 1 | Part B- Deduction in respect of certain payments | | | | | |
| | a | 80G | | b | 80GGB | | |
| | | c | 80GGA | | d | | 80GGC |
| | Total Deduction under Part B (a + b + c + d) | | | | | | 1 |
| | 2 | Part C- Deduction in respect of certain incomes | | | | | |
| | e | 80-IA | (f of Schedule 80-IA) | f | 80-IAB | | |
| | g | 80-IAC | | h | 80-IB | (n of Schedule 80-IB) | |
| | i | 80-IBA | | j | 80-IC/ 80-IE | (e of Schedule 80-IC/ 80-IE) | |
| | k | 80-ID | (item 10(e) of Form 10CCBBA) | l | 80JJA | | |
| | m | 80JJAA | (10 of Annexure to Form 10DA) | n | 80LA | (9 of Annexure to Form 10CCF) | |
| | Total Deduction under Part C (total of e to n) | | | | | 2 | |
| | 3 | Total deductions under Chapter VI-A (1 + 2) | | | | 3 | |

Schedule SI Income chargeable to tax at special rates [Please see instruction Number-7(ii) for section and rate of tax]

| SI No | Section/Description | <input type="checkbox"/> | Special rate (%) | Income (i) | Tax thereon (ii) |
|--------------|--|--------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| | | | | | |
| 1 | 111A (STCG on shares/equity oriented MF on which STT paid) | <input type="checkbox"/> | 15 | (5v of schedule BFLA) | |
| 2 | 115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid) | <input type="checkbox"/> | 30 | (5vi of schedule BFLA) | |
| 3 | 112 proviso (LTCG on listed securities/ units without indexation) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 5viii of schedule BFLA) | |
| 4 | 112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 5viii of schedule BFLA) | |
| 5 | 115AB (LTCG for non-resident on units referred in section 115AB) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 5viii of schedule BFLA) | |
| 6 | 115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 5viii of schedule BFLA) | |
| 7 | 115AD (LTCG for FII on securities) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 5viii of schedule BFLA) | |
| 8 | 112 (LTCG on others) | <input type="checkbox"/> | 20 | (5ix of schedule BFLA) | |
| 9 | 115AC (Income of a non-resident from bonds or GDR purchased in foreign currency) | <input type="checkbox"/> | 10 | (part of 1fii of schedule OS) | |
| 10 | 115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.) | <input type="checkbox"/> | 30 | (1fi of schedule OS) | |
| 11 | 115BBD (Dividend received from specified foreign company) | <input type="checkbox"/> | 15 | (part of 1fiv of schedule OS) | |
| 12 | 115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D) | <input type="checkbox"/> | 60 | (1fii of schedule OS) | |
| 13 | 115A(b) (Income of a foreign company from Royalty) | <input type="checkbox"/> | 25 | (part of 1fiv of schedule OS) | |
| 14 | Chargeable under DTAA rate | <input type="checkbox"/> | | (part of 1fv of schedule OS) | |
| 15 | 115BBF (Tax on income from patent) | | | | |
| 16 | a Income under head business or profession | <input type="checkbox"/> | 10 | (3d of schedule BP) | |
| | b Income under head other sources | <input type="checkbox"/> | 10 | (1fiii of schedule OS) | |
| Total | | | | | |

Schedule EI Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income)

| Sl. | Description | Sl. | Description | Sl. | Description |
|-----|---|-----|-------------|-----|-------------|
| | | | | | |
| 1 | Interest income | 1 | | | |
| 2 | Dividend income | 2 | | | |
| 3 | Long-term capital gains from transactions on which Securities Transaction Tax is paid | 3 | | | |
| 4 | i Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules) | i | | | |
| | ii Expenditure incurred on agriculture | ii | | | |
| | iii Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years | iii | | | |
| | iv Net Agricultural income for the year (i – ii – iii) (enter nil if loss) | | | | |
| 5 | Others, including exempt income of minor child | 5 | | | |
| 6 | Total (1+2+3+4+5) | 6 | | | |

Schedule PTI Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB

| Sl. | Name of business trust/ investment fund | PAN of the business trust/ investment fund | Sl. | Head of income | Amount of income | TDS on such amount, if any | | | |
|-----|---|--|-----|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | PASS THROUGH INCOME | | |
| 1. | | | i | House property | | | | | |
| | | | ii | Capital Gains | | | | | |
| | | | a | Short term | | | | | |
| | | | b | Long term | | | | | |
| | | | iii | Other Sources | | | | | |
| | | | iv | Income claimed to be exempt | | | | | |
| | | | a | u/s 10(23FBB) | | | | | |
| | | | b | u/s | | | | | |
| | | | c | u/s | | | | | |
| | | | 2. | | | i | House property | | |
| | | | | | | ii | Capital Gains | | |
| | | | | | | a | Short term | | |
| b | Long term | | | | | | | | |
| iii | Other Sources | | | | | | | | |
| iv | Income claimed to be exempt | | | | | | | | |
| a | u/s 10(23FBB) | | | | | | | | |
| b | u/s | | | | | | | | |
| c | u/s | | | | | | | | |

NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule MAT

Computation of Minimum Alternate Tax payable under section 115JB

| | | | | | |
|-----------------------|--|---|--|--------------------------|--|
| MINIMUM ALTERNATE TAX | 1 | Whether the Profit and Loss Account is prepared in accordance with the provisions of Parts II of Schedule III to the Companies Act, 2013 (If yes, write 'Y', if no write 'N') | | <input type="checkbox"/> | |
| | 2 | If 1 is no, whether profit and loss account is prepared in accordance with the provisions of the Act governing such company (If yes, write 'Y', if no write 'N') | | <input type="checkbox"/> | |
| | 3 | Whether, for the Profit and Loss Account referred to in item 1 above, the same accounting policies, accounting standards and same method and rates for calculating depreciation have been followed as have been adopted for preparing accounts laid before the company at its annual general body meeting? (If yes, write 'Y', if no write 'N') | | <input type="checkbox"/> | |
| | 4 | Profit after tax as shown in the Profit and Loss Account (enter item 48 of Part A-P&L) | | 4 | |
| | 5 | Additions (if debited in profit and loss account) | | | |
| | | a | Income-tax paid or payable or its provision -including the amount of deferred tax and the provision thereof | 5a | |
| | | b | Reserve (except reserve under section 33AC) | 5b | |
| | | c | Provisions for unascertained liability | 5c | |
| | | d | Provisions for losses of subsidiary companies | 5d | |
| | | e | Dividend paid or proposed | 5e | |
| | | f | Expenditure related to exempt income under sections 10, 11 or 12 [exempt income excludes income exempt under section 10(38)] | 5f | |
| | | g | Expenditure related to share in income of AOP/ BOI on which no income-tax is payable as per section 86 | 5g | |
| | | h | Expenditure in case of foreign company referred to in clause (fb) of explanation 1 to section 115JB | 5h | |
| | i | Notional loss on transfer of certain capital assets or units referred to in clause (fc) of explanation 1 to section 115JB | 5i | | |
| | j | Expenditure relatable to income by way of royalty in respect of patent chargeable to tax u/s 115BBF | 5j | | |
| | k | Depreciation attributable to revaluation of assets | 5k | | |
| | l | Gain on transfer of units referred to in clause (k) of explanation 1 to section 115JB | 5l | | |
| | m | Others (including residual unadjusted items and provision for diminution in the value of any asset) | 5m | | |
| | n | Total additions (5a+5b+5c+5d+5e+5f+5g+5h+5i+5j+5k+5l+5m) | | 5n | |
| 6 | Deductions | | | | |
| | a | Amount withdrawn from reserve or provisions if credited to Profit and Loss account | 6a | | |
| | b | Income exempt under sections 10, 11 or 12 [exempt income excludes income exempt under section 10(38)] | 6b | | |
| | c | Amount withdrawn from revaluation reserve and credited to profit and loss account to the extent it does not exceed the amount of depreciation attributable to revaluation of asset | 6c | | |
| | d | Share in income of AOP/ BOI on which no income-tax is payable as per section 86 credited to Profit and Loss account | 6d | | |
| | e | Income in case of foreign company referred to in clause (iid) of explanation 1 to section 115JB | 6e | | |
| | f | Notional gain on transfer of certain capital assets or units referred to in clause (iie) of explanation 1 to section 115JB | 6f | | |
| | g | Loss on transfer of units referred to in clause (iif) of explanation 1 to section 115JB | 6g | | |
| | h | Income by way of royalty referred to in clause (iig) of explanation 1 to section 115JB | 6h | | |
| | i | Loss brought forward or unabsorbed depreciation whichever is less | 6i | | |
| | j | Profit of sick industrial company till net worth is equal to or exceeds accumulated losses | 6j | | |
| | k | Others (including residual unadjusted items and the amount of deferred tax credited to P&L A/c) | 6k | | |
| | l | Total deductions (6a+6b+6c+6d+6e+6f+6g+6h+6i+6j+6k) | | 6l | |
| 7 | Book profit under section 115JB (4+ 5n – 6l) | | 7 | | |
| 8 | Tax payable under section 115JB | | 8 | | |

| Schedule MATC | | Computation of tax credit under section 115JAA | | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|------------|-------------------------------|--|---|--|
| MAT CREDIT | 1 | Tax under section 115JB in assessment year 2017-18 (1d of Part-B-TTI) | | | | 1 | | |
| | 2 | Tax under other provisions of the Act in assessment year 2017-18 (2f of Part-B-TTI) | | | | 2 | | |
| | 3 | Amount of tax against which credit is available [enter (2 - 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0] | | | | 3 | | |
| | 4 | Utilisation of MAT credit Available [Sum of MAT credit utilised during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of MAT Credit Brought Forward] | | | | | | |
| | | S.No | Assessment Year (A) | MAT Credit | | | MAT Credit Utilised during the Current Year (C) | Balance MAT Credit Carried Forward (D)= (B3) - (C) |
| | | | | Gross (B1) | Set-off in earlier years (B2) | Balance Brought forward (B3)=(B2)-(B1) | | |
| | | i | 2007-08 | | | | | |
| | | ii | 2008-09 | | | | | |
| | | iii | 2009-10 | | | | | |
| | | iv | 2010-11 | | | | | |
| | | v | 2011-12 | | | | | |
| | | vi | 2012-13 | | | | | |
| | vii | 2013-14 | | | | | | |
| | viii | 2014-15 | | | | | | |
| | ix | 2015-16 | | | | | | |
| | x | 2016-17 | | | | | | |
| | xi | 2017-18 (enter 1-2, if 1>2 else enter 0) | | | | | | |
| | xii | Total | | | | | | |
| | 5 | Amount of tax credit under section 115JAA utilised during the year [enter 4(C)ix] | | | | 5 | | |
| | 6 | Amount of MAT liability available for credit in subsequent assessment years [enter 4(D)ix] | | | | 6 | | |

| Schedule- DDT | | Details of tax on distributed profits of domestic companies and its payment | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|--------------|---|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|
| DIVIDEND DISTRIBUTION TAX | Sl | Description | | Details of 1 st dividend | | Details of 2 nd dividend | | Details of 3 rd dividend | |
| | (i) | (ii) | | (iii) | | (iv) | | (v) | |
| | 1 | Date of declaration or distribution or payment, whichever is earliest, of dividend by domestic company | | (DD/MM/YYYY) | | (DD/MM/YYYY) | | (DD/MM/YYYY) | |
| | 2 | Rate of dividend, declared, distributed or paid | | | | | | | |
| | 3 | Amount of dividend declared, distributed or paid | | | | | | | |
| | 4 | Amount of reduction as per section 115-O(1A) | | | | | | | |
| | 5 | Tax payable on dividend declared, distributed or paid | a | Additional income-tax @15% payable under section 115-O on (3-4) | | | | | |
| | | | b | Surcharge on 'a' | | | | | |
| | | | c | Education cess on (a+b) | | | | | |
| | | | d | Total tax payable (a+b+c) | | | | | |
| | 6 | Interest payable under section 115P | | | | | | | |
| | 7 | Additional income-tax and interest payable (5d + 6) | | | | | | | |
| | 8 | Tax and interest paid | | | | | | | |
| | 9 | Net payable/refundable (7-8) | | | | | | | |
| 10 | Date(s) of deposit of dividend distribution tax | | Date 1 | Date 2 | Date 1 | Date 2 | Date 1 | Date 2 | |
| | | | (DD/MM/YYYY) | (DD/MM/YYYY) | (DD/MM/YYYY) | (DD/MM/YYYY) | (DD/MM/YYYY) | (DD/MM/YYYY) | |
| 11 | Name of Bank and Branch | | | | | | | | |
| 12 | BSR Code | | | | | | | | |
| 13 | Serial number of challan | | | | | | | | |
| 14 | Amount deposited | | | | | | | | |

| Schedule- BBS | | Details of tax on distributed income of a domestic company on buy back of shares, not listed on stock exchange | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|---|---|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| TAX ON BUY BACK OF SHARES | SI | Description | | Details of 1 st buy-back | | Details of 2 nd buy-back | | Details of 3 rd buy-back | |
| | (i) | (ii) | | (iii) | | (iv) | | (v) | |
| | 1 | Date of payments of any consideration to the shareholder on buy back of share | | (DD/MM/YYYY) | | (DD/MM/YYYY) | | (DD/MM/YYYY) | |
| | 2 | Amount of consideration paid by the company on buy-back of shares | | | | | | | |
| | 3 | Amount received by the company for issue of such shares | | | | | | | |
| | 4 | Distributed Income of the company (2 – 3) | | | | | | | |
| | 5 | Tax payable on distributed income | a | Additional income-tax @20% payable under section 115QA on 4 | | | | | |
| | | | b | Surcharge on 'a' | | | | | |
| | | | c | Education cess on (a+b) | | | | | |
| | | | d | Total tax payable (a+b+c) | | | | | |
| | 6 | Interest payable under section 115QB | | | | | | | |
| | 7 | Additional income-tax and interest payable (5d + 6) | | | | | | | |
| | 8 | Tax and interest paid | | | | | | | |
| | 9 | Net payable/refundable (7-8) | | | | | | | |
| 10 | Date(s) of deposit of tax on distribution income | | | Date 1 | Date 2 | Date 1 | Date 2 | Date 1 | Date 2 |
| | | | | (DD/MM/YYYY) | (DD/MM/YYYY) | (DD/MM/YYYY) | (DD/MM/YYYY) | (DD/MM/YYYY) | (DD/MM/YYYY) |
| 11 | Name of Bank and Branch | | | | | | | | |
| 12 | BSR Code | | | | | | | | |
| 13 | Serial number of challan | | | | | | | | |
| 14 | Amount deposited | | | | | | | | |

| Schedule FSI | | | Details of Income from outside India and tax relief | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|---|-----|----------------|---|------------------------|---|--|--|--|
| INCOME FROM OUTSIDE INDIA AND TAX RELIEF | Sl. | Country Code | Taxpayer Identification Number | Sl. | Head of income | Income from outside India (included in PART B-TI) | Tax paid outside India | Tax payable on such income under normal provisions in India | Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower | Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A | |
| | | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | |
| | 1 | | | | i | House Property | | | | | |
| | | | | | ii | Business or Profession | | | | | |
| | | | | | iii | Capital Gains | | | | | |
| | | | | | iv | Other sources | | | | | |
| | | | | | Total | | | | | | |
| | 2 | | | | i | House Property | | | | | |
| | | | | | ii | Business or Profession | | | | | |
| | | | | | iii | Capital Gains | | | | | |
| iv | | | | | Other sources | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | |
| NOTE | | | Please refer to the instructions for filling out this schedule. | | | | | | | | |

| Schedule TR | | Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| TAX RELIEF FOR TAX PAID OUTSIDE INDIA | 1 Details of Tax relief claimed | | | | |
| | Country Code | Taxpayer Identification Number | Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country) | Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country) | Section under which relief claimed (specify 90, 90A or 91) |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |
| | | | | | |
| | Total | | | | |
| | | | | | |

| | | | |
|---|--|--|--------|
| 2 | Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of 1(d)) | 2 | |
| 3 | Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d)) | 3 | |
| 4 | Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below | 4 | Yes/No |
| | a Amount of tax refunded | b Assessment year in which tax relief allowed in India | |
| NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule. | | | |

Schedule FA Details of Foreign Assets and Income from any source outside India

| A Details of Foreign Bank Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the previous year | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|--|---|--|--|--|---|---|-------------------------|-------------------------|
| Sl No | Country Name and Code | Name and Address of the Bank | Account holder name | Status- Owner/ Beneficial owner/ Beneficiary | Account Number | Account opening date | Peak Balance During the Year (in rupees) | Interest accrued in the account | Interest taxable and offered in this return | | |
| | | | | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| B Details of Financial Interest in any Entity held (including any beneficial interest) at any time during the previous year | | | | | | | | | | | |
| Sl No | Country Name and code | Nature of entity | Name and Address of the Entity | Nature of Interest- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary | Date since held | Total Investment (at cost) (in rupees) | Income accrued from such Interest | Nature of Income | Income taxable and offered in this return | | |
| | | | | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| C Details of Immovable Property held (including any beneficial interest) at any time during the previous year | | | | | | | | | | | |
| Sl No | Country Name and code | Address of the Property | Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary | Date of acquisition | Total Investment (at cost) (in rupees) | Income derived from the property | Nature of Income | Income taxable and offered in this return | | | |
| | | | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| D Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the previous year | | | | | | | | | | | |
| Sl No | Country Name and code | Nature of Asset | Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary | Date of acquisition | Total Investment (at cost) (in rupees) | Income derived from the asset | Nature of Income | Income taxable and offered in this return | | | |
| | | | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| E Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the previous year and which has not been included in A to D above. | | | | | | | | | | | |

DETAILS OF FOREIGN ASSETS

| SI No | Name of the Institution in which the account is held | Address of the Institution | Name of the account holder | Account Number | Peak Balance/ Investment during the year (in rupees) | Whether income accrued is taxable in your hands? | If (7) is yes, Income accrued in the account | If (7) is yes, Income offered in this return | | | |
|--|--|--|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| F | Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor | | | | | | | | | | |
| SI No | Country Name and code | Name and address of the trust | Name and address of trustees | Name and address of Settlor | Name and address of Beneficiaries | Date since position held | Whether income derived is taxable in your hands? | If (8) is yes, Income derived from the trust | If (8) is yes, Income offered in this return | | |
| | | | | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| G | Details of any other income derived from any source outside India which is not included in- (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession | | | | | | | | | | |
| SI No | Country Name and code | Name and address of the person from whom derived | Income derived | Nature of income | Whether taxable in your hands? | If (6) is yes, Income offered in this return | | | | | |
| | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | | | |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| NOTE ▶ Please refer to instructions for filling out this schedule | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| FORM ITR-7 | INDIAN INCOME TAX RETURN [For persons including companies required to furnish return under sections 139(4A) or 139(4B) or 139(4C) or 139(4D) or 139(4E) or 139(4F)] (Please see rule 12 of the Income-tax Rules,1962) (Also see attached instructions for guidance) | Assessment Year <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">8</td> </tr> </table> | 2 | 0 | 1 | 7 | - | 1 | 8 |
| | 2 | 0 | 1 | 7 | - | 1 | 8 | | |

Part A-GEN

| PERSONAL INFORMATION | Name (as mentioned in deed of creation/ establishing/ incorporation/ formation) | | | | | | PAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------------|---|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------|---------------------------------|---|--|--|----------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | Flat/Door/Block No | | | Name Of Premises/Building/Village | | | | | | Date of formation/incorporation (DD/MM/YYYY) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Road/Street/Post Office | | | Area/Locality | | | | | | Status <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Town/City/District | | | State | | | Pin code | | | (see instructions para 11b) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Office Phone Number with STD code/Mobile No. 1 | | | | | | Fax Number/Mobile No. 2 | | | | | | Income Tax Ward/Circle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Email Address 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Email Address 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Details of the projects/institutions run by you | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Sl.</th> <th style="width: 20%;">Name of the project/institution</th> <th style="width: 15%;">Nature of activity (see instruction para 11d)</th> <th style="width: 15%;">Classification (see instructions para 11d)</th> <th style="width: 10%;">Approval/ Notification/ Registration No.</th> <th style="width: 10%;">Approving/ registering Authority</th> <th style="width: 25%;">Section under which exemption claimed, if any (see instruction para 11e)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | Sl. | Name of the project/institution | Nature of activity (see instruction para 11d) | Classification (see instructions para 11d) | Approval/ Notification/ Registration No. | Approving/ registering Authority | Section under which exemption claimed, if any (see instruction para 11e) | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | |
| | Sl. | Name of the project/institution | Nature of activity (see instruction para 11d) | Classification (see instructions para 11d) | Approval/ Notification/ Registration No. | Approving/ registering Authority | Section under which exemption claimed, if any (see instruction para 11e) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FILING STATUS | Return filed [Please see instruction no.-6] <input type="checkbox"/> On or before due date-139(1), <input type="checkbox"/> After due date-139(4), <input type="checkbox"/> Revised Return-139(5) | | | | | | | | | | | |
| | (a) <input type="checkbox"/> Modified return-92CD <input type="checkbox"/> under section 119(2)(b), OR In response to notice u/s <input type="checkbox"/> 139(9)- defective, <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153A, <input type="checkbox"/> 153C | | | | | | | | | | | |
| | (b) Return furnished under section ▶ 139(4A) ▶ 139(4B) ▶ 139(4C) ▶ 139(4D) ▶ 139(4E) ▶ 139(4F) | | | | | | | | | | | |
| | (c) If revised/in response to defective/Modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY) _____/_____/_____ | | | | | | | | | | | |
| | (d) If filed, in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153A/153C enter date of such notice, or u/s 92CD enter date of advance pricing agreement _____/_____/_____ | | | | | | | | | | | |
| | (e) Residential status? (Tick) <input type="checkbox"/> Resident <input type="checkbox"/> Non-resident | | | | | | | | | | | |
| | (f) Whether any income included in total income for which for which claim under section 90/90A/91 has been made? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No [applicable in the case of resident] [if yes, ensure to fill Schedule FSI and Schedule TR] | | | | | | | | | | | |
| | (g) Whether any transaction has been made with a person located in a jurisdiction notified u/s 94A of the Act? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | | | | | | | | | | |
| | (h) In the case of non-resident, is there a permanent establishment (PE) in India (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | | | | | | | | | | |
| | (i) Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (1) Name of the representative | | | | | | | | | | | |
| (2) Address of the representative | | | | | | | | | | | |
| (3) Permanent Account Number (PAN) of the representative | | | | | | | | | | | |

For Office Use Only

For Office Use Only

Receipt No.

Date

Seal and Signature of receiving official

| OTHER DETAILS | | A | | i | | Where, in any of the projects/institutions run by you, one of the charitable purposes is advancement of any other object of general public utility then,- | | | |
|---------------|--|--|--|---|--|---|--|--|--|
| | | a | | i | | whether there is any activity in the nature of trade, commerce or business referred to in proviso to section 2(15)? | | | |
| | | | | ii | | If yes, then percentage of receipt from such activity vis-à-vis total receipts | | | |
| | | | | b | | i | | | |
| | | | | ii | | If yes, then percentage of receipt from such activity vis-à-vis total receipts | | | |
| | | | | ii | | If 'a' or 'b' is YES, the aggregate annual receipts from such activities in respect of that institution | | | |
| | | Sl. | | Name of the project/Institution | | Amount of aggregate annual receipts from such activities | | | |
| | | a | | | | | | | |
| | | b | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| B | | University/ Educational Institution/ Hospital/ Other Institution eligible for exemption u/s 10(23C)(iiiab), 10(23C)(iiiac) 10(23C)(iiiad) and 10(23C)(iiiie) | | | | | | | |
| | | Tick <input checked="" type="checkbox"/> if applicable | | Section | | Name of the University/ Educational Institution/ Hospital/ Other Institution | | Aggregate annual receipts (Rs.) | |
| | | <input type="checkbox"/> | | 10(23C)(iiiab) | | i | | | |
| | | | | | | ii | | | |
| | | <input type="checkbox"/> | | 10(23C)(iiiac) | | i | | | |
| | | | | | | ii | | | |
| | | <input type="checkbox"/> | | 10(23C)(iiiad) | | i | | | |
| | | | | | | ii | | | |
| | | <input type="checkbox"/> | | 10(23C)(iiiie) | | i | | | |
| | | | | | | ii | | | |
| C | | i | | Whether Registered u/s 12A/12AA? | | | | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | |
| | | ii | | If yes, then enter Registration No. | | | | | |
| | | iii | | Commissioner/Director of Income-tax (Exemptions) who granted registration | | | | | |
| | | iii | | Date of Registration (DD/MM/YYYY) | | | | _/_/____ | |
| | | iv | | Whether activity is,- <input type="checkbox"/> charitable, <input type="checkbox"/> religious or <input type="checkbox"/> both? Please tick <input checked="" type="checkbox"/> as applicable. | | | | | |
| D | | i | | Whether approval obtained under section 35? | | | | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | |
| | | ii | | If yes, then enter the relevant clause of section 35 and Registration No. | | | | | |
| | | iii | | Date of Approval (DD/MM/YYYY) | | | | _/_/____ | |
| | | iv | | Approving Authority | | | | | |
| | | v | | Whether research is,- <input type="checkbox"/> Scientific, <input type="checkbox"/> Social Science or <input type="checkbox"/> Statistical? Please tick <input checked="" type="checkbox"/> as applicable | | | | | |
| | | vi | | In case of business activity in research, whether it is <input type="checkbox"/> Incidental or <input type="checkbox"/> Not incidental? Please tick <input checked="" type="checkbox"/> as applicable | | | | | |
| E | | i | | Whether approval obtained u/s 80G? | | | | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | |
| | | ii | | If yes, then enter Approval No. | | | | | |
| | | iii | | Date of Approval (DD/MM/YYYY) | | | | _/_/____ | |
| F | | i | | Is there any change in the objects/activities during the Year on the basis of which approval/registration was granted? | | | | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | |
| | | ii | | If yes, date of such change (DD/MM/YYYY) | | | | _/_/____ | |
| G | | i | | Whether a political party as per section 13A? (if yes, please fill schedule LA) | | | | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | |

| | | | |
|---|-----|--|--|
| | ii | If yes, then whether registered? | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
| | iii | If yes, then enter registration number under section 29A of the Representation of People Act, 1951 | |
| H | i | Whether an Electoral Trust? (if yes, please fill schedule ET) | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
| | ii | If yes, then enter approval number? | |
| | iii | Date of Approval (DD/MM/YYYY) | ___/___/___ |
| I | i | Whether registered under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (FCRA)? | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
| | ii | If yes, then enter Registration No. | |
| | iii | Date of Registration (DD/MM/YYYY) | ___/___/___ |
| | iv | a Total amount of foreign contribution received during the year, if any | Rs. _____ |
| | | b Specify the purpose for which the above contribution is received | |
| J | i | Whether a business trust registered with SEBI? | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
| | ii | If yes, then enter Registration No. | |
| | iii | Date of Registration (DD/MM/YYYY) | ___/___/___ |
| K | | Whether liable to tax at maximum marginal rate under section 164? | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
| L | | Is this your first return? | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|------------------|--------------------------------------|-----|--|-----|--|--|--|--|--|
| AUDIT INFORMATION | M | Are you liable for audit under the Income-tax Act?(Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No, If yes, furnish following information- | | | | | | | | | | |
| | Section under which you are liable for audit (specify section). Please mention date of audit report. (DD/MM/YY) (see Instruction 6(ii)) | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">12A</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table> | | | | | | 12A | | | | | |
| | 12A | | | | | | | | | | | |
| | a | Name of the auditor signing the tax audit report | | | | | | | | | | |
| | b | Membership No. of the auditor | | | | | | | | | | |
| | c | Name of the auditor (proprietorship/ firm) | | | | | | | | | | |
| | d | Permanent Account Number (PAN) of the proprietorship/ firm | | | | | | | | | | |
| | e | Date of audit report | | | | | | | | | | |
| | f | Date of furnishing of the audit report ___/___/___ (DD/MM/YYYY). | | | | | | | | | | |
| N | If liable to audit under any Act other than the Income-tax Act, mention the Act, section and date of furnishing the audit report? | | | | | | | | | | | |
| | Act and section | (DD/MM/YY) | Act and section | (DD/MM/YY) | | | | | | | | |
| MEMBER'S INFORMATION | O | Particulars of persons who were members in the AOP on 31 st day of March, 2017 (to be filled by venture capital fund/investment fund) | | | | | | | | | | |
| | | S.No | Name and Address | Percentage of share (if determinate) | PAN | Aadhaar Number/ Enrolment Id (if eligible for Aadhaar) | | | | | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| Part B – TI | | STATEMENT OF INCOME FOR THE PERIOD ENDED ON 31 ST MARCH 2017 | |
|---|--|---|-------|
| If registered under section 12A/12AA, fill out items 1 to 7 | | | |
| 1 | Voluntary contribution forming part of corpus as per section 11(1)(d) [(Ai + Bi) of schedule VC] | 1 | |
| 2 | Voluntary Contributions other than corpus(C – (Ai+Bi) of schedule VC) | 2 | |
| 3 | Aggregate of income referred to in sections 11 and 12 derived during the previous year excluding Voluntary contribution included in 1 and 2 above (9 of Schedule AI) | 3 | |
| 4 | Application of income for charitable or religious purposes | | |
| | i | Amount applied to charitable or religious purposes in India during the previous year - Revenue Account (24 of Schedule ER) | 4i |
| | ii | Amount applied to charitable or religious purposes in India during the previous year—Capital Account [Excluding application from Borrowed Funds] (8 of Schedule EC) | 4ii |
| | iii | Amount applied to charitable or religious purposes in India during the previous year - Capital Account (Repayment of Loan) | 4iii |
| | iv | Amount deemed to have been applied to charitable or religious purposes in India during the previous year as per clause (2) of Explanation to section 11(1) | 4iv |
| | a | If (iv) above applicable, whether option Form No. 9A has been furnished to the Assessing Officer | 4iva |
| | b | If yes, date of furnishing Form No. 9A (DD/MM/YYYY) | 4ivb |
| | v | Amount accumulated or set apart for application to charitable or religious purposes to the extent it does not exceed 15 per cent of income derived from property held in trust/ institution under section 11(1)(a)/11(1)(b) [restricted to the maximum of 15% of (2 + 3) above] | 4v |
| | vi | Amount in addition to amount referred to in (iv) above, accumulated or set apart for specified purposes if all the conditions in section 11(2) and 11(5) are fulfilled (fill out schedule I) | 4vi |
| | vii | Amount eligible for exemption under section 11(1)(c) | 4vii |
| | a | Approval number given by the Board | 4viia |
| | b | Date of approval by board | 4viib |
| | viii | Total [4i + 4ii+4iii+4iv+4v+4vi+4vii] | 4viii |
| 5 | Additions | | |
| | i | Income chargeable under section 11(1B) | 5i |
| | ii | Income chargeable under section 11(3) | 5ii |
| | iii | Income in respect of which exemption under section 11 is not available by virtue of provisions of section 13 | |
| | a | Being anonymous donation at Diii of schedule VC to the extent applied for charitable purpose | 5iia |
| | b | Other than (a) above | 5iib |
| | iv | Income chargeable under section 12(2) | 5iv |
| | v | Total [5i + 5ii+5iia+5iib+5iv] | 5v |
| 6 | Income chargeable u/s 11(4) [as per item no. E36 of Schedule BP] | 6 | |
| 7 | Total (2+3 - 4viii +5v+6) | 7 | |
| 8 | Amount eligible for exemption under section 10(21), 10(22B), 10(23A), 10(23B), 10(23C)(iv), 10(23C)(v), 10(23C)(vi), 10(23C)(via) | | |
| 9 | Amount eligible for exemption under section 10(23C)(iiiab), 10(23C)(iiiac), 10(23C)(iiid), 10(23C)(iiiae), 10(23D), 10(23DA), 10(23FB), 10(24), 10(46), 10(47) | 9 | |
| 10 | Amount eligible for exemption under any clause, other than those at 8 and 9, of section 10 | 10 | |
| 11 | Income chargeable under section 11(3) read with section 10(21) | 11 | |
| 12 | Income claimed/ exempt under section 13A or 13B in case of a Political Party or Electoral Trust (fill Schedule LA or ET) | 12 | |

| | | | | |
|----|---|---|--------|-----|
| 13 | Income not forming part of item no. 7 & 11 above | | | |
| | i | Income from house property [3b of Schedule HP] (enter nil if loss) | 13i | |
| | ii | Profits and gains of business or profession [as per item no. E 35 of schedule BP] | 13ii | |
| | iii | Income under the head Capital Gains | | |
| | a | Short term (A5 of schedule CG) | 13iiia | |
| | | Long term (B3 of schedule CG) (enter nil if loss) | 13iiib | |
| | | Total capital gains (13iiia +13iiib) (enter nil if loss) | 13iiic | |
| | iv | Income from other sources [as per item no. 4 of Schedule OS] | 13iv | |
| | v | Total (13i + 13ii + 13iiic + 13iv) | | 13v |
| | 14 | Gross income [7+11+13v] | | 14 |
| | 15 | Losses of current year to be set off against 13v (total of 2ix, 3ix and 4ix of Schedule CYLA) | | 15 |
| | 16 | Gross Total Income (14-15) | | 16 |
| | 17 | Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112 etc. included in 16 | | 17 |
| 18 | Deduction u/s 10A or 10AA | | 18 | |
| 19 | Deductions under chapter VIA (limited to- 16-17) | | 19 | |
| 20 | Total Income [16-18-19] | | 20 | |
| 21 | Income which is included in 20 and chargeable to tax at special rates (total of (i) of schedule SI) | | 21 | |
| 22 | Net Agricultural income for rate purpose | | 22 | |
| 23 | Aggregate Income (20-21+22) [applicable if (20-21) exceeds maximum amount not chargeable to tax] | | 23 | |
| 24 | Anonymous donations, included in 28, to be taxed under section 115BBC @ 30% (Diii of schedule VC) | | 24 | |
| 25 | Income chargeable at maximum marginal rates | | 25 | |

Part B - TTI Computation of tax liability on total income

| | | | | | | |
|---------------|---|------------------------------------|--|------|----|--|
| TAX LIABILITY | 1 | 1a | Tax Payable on deemed total Income under section 115JB or 115JC as applicable (7 of Schedule MAT/ 4 of Schedule AMT) | | 1a | |
| | | 1b | Surcharge on (a) above | | 1b | |
| | | 1c | Education Cess on (1a+1b) above | | 1c | |
| | | 1d | Total Tax Payable u/s 115JB or 115JC as applicable (1a+1b+1c) | | 1d | |
| | 2 | Tax payable on total income | | | | |
| | | a | Tax at normal rates on (23-24-25) of Part B-TI | 2a | | |
| | | b | Tax at special rates (total of (ii) of Schedule-SI) | 2b | | |
| | | c | Tax on anonymous donation u/s 115BBC @30% on 24 of Part B-TI | 2c | | |
| | | d | Tax at maximum marginal rate on 25 of Part B-TI | 2d | | |
| | | e | Rebate on agricultural income [applicable if (20-21) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax] | 2e | | |
| | | f | Tax Payable on Total Income (2a + 2b+2c+2d - 2e) | | 2f | |
| | 3 | Surcharge | | | | |
| | | i | 25% of 5(ii) of Schedule SI | 3i | | |
| | ii | On [(2f) - (5(ii) of Schedule SI)] | 3ii | | | |
| | iii | Total (i + ii) | | 3iii | | |
| 4 | Education cess, including secondary and higher education cess on (2f+3iii) | | | 4 | | |
| 5 | Gross tax liability (2f+3iii+4) | | | 5 | | |
| 6 | Gross tax payable (higher of 5 and 1d) | | | 6 | | |
| 7 | Credit under section 115JAA/115JD of tax paid in earlier years (if 5 is more than 1d) (5 of Schedule MATC/AMTC) | | | 7 | | |
| 8 | Tax payable after credit under section 115JAA/115JD [(6 - 7)] | | | 8 | | |
| 9 | Tax relief | | | | | |
| | a | Section 90/90A (2 of Schedule TR) | 9a | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|------------------|--|--|---|--|
| | b | Section 91 (3 of Schedule TR) | | | 9b | | |
| | c | Total (9a + 9b) | | | 9c | | |
| 10 | Net tax liability (8 – 9c) | | | | | 10 | |
| 11 | Interest payable | | | | | | |
| | a | For default in furnishing the return (section 234A) | | | 11a | | |
| | b | For default in payment of advance tax (section 234B) | | | 11b | | |
| | c | For deferment of advance tax (section 234C) | | | 11c | | |
| | d | Total Interest Payable (11a+11b+11c) | | | 11d | | |
| 12 | Aggregate liability (10 + 11d) | | | | | 12 | |
| TAXES PAID | 13 | Taxes Paid | | | | | |
| | a | Advance Tax (from column 5 of 18A) | | | 13a | | |
| | b | TDS (total of column 8 of 18B) | | | 13b | | |
| | c | TCS (total of column 7 of 18C) | | | 13c | | |
| | d | Self-Assessment Tax (from column 5 of 18A) | | | 13d | | |
| | e | Total Taxes Paid (13a+13b+13c + 13d) | | | 13e | | |
| 14 | Amount payable (Enter if 12 is greater than 13e, else enter 0) | | | | | 14 | |
| 15 | Refund (If 13e is greater than 12) (refund, if any, will be directly credited into the bank account) | | | | | 15 | |
| B A | 16 | Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts) | | | | | |
| | Sl. | IFS Code of the Bank | Name of the Bank | Account Number (the number should be 9 digits or more as per CBS system of the bank) | Indicate the account in which you prefer to get your refund credited, if any (tick one account <input checked="" type="checkbox"/>) | Cash deposited during 09.11.2016 to 30.12.2016 (if aggregate cash deposits during the period ≥ Rs.2 lakh) | |
| | i | | | | | | |
| | ii | | | | | | |
| | 17 | Do you at any time during the previous year,- (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? [applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes] | | | | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | |

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____, holding permanent account number _____ solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and the schedules, statements, etc. accompanying it is correct and complete and that the amount of total income and other particulars shown therein are truly stated and are in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961, in respect of income chargeable to income-tax for the previous year relevant to the assessment year 2017-18. I further declare that I am making this return in my capacity as _____ and I am also competent to make this return and verify it.

I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable, in a case where return is furnished under section 92CD)

Place

Date

Sign here →

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--|--|------------------------------|--|--|--------------------------|--|-------------|--|
| 18 | TAX PAYMENTS | | | | | | | | | | |
| A | Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax | | | | | | | | | | |
| ADVANCE/SELF-ASSESSMENT TAX | Sl No | BSR Code | | | Date of Deposit (DD/MM/YYYY) | | | Serial Number of Challan | | Amount (Rs) | |
| | (1) | (2) | | | (3) | | | (4) | | (5) | |
| | i | | | | | | | | | | |
| | ii | | | | | | | | | | |
| | iii | | | | | | | | | | |
| iv | | | | | | | | | | | |
| NOTE ▶ Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl No. 13a & 13d of Part B-TTI | | | | | | | | | | | |

| B Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued by Deductor(s) or Form 26QB] | | | | | | | | | |
|---|-------|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| TDS ON INCOME | Sl No | TAN of the Deductor/ PAN of the Buyer | Name of the Deductor | Unique TDS Certificate Number | Unclaimed TDS brought forward (b/f) | | TDS of the current fin. year | Amount out of (6) or (7) being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year) | Amount out of (6) or (7) being carried forward |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | Fin. Year in which deducted | Amount b/f | (7) | (8) | (9) |
| | i | | | | | | | | |
| ii | | | | | | | | | |
| NOTE ▶ Please enter total of column (8) of Schedule-TDS in 13b of Part B-TTI | | | | | | | | | |
| C Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)] | | | | | | | | | |
| TCS ON INCOME | Sl No | Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector | Name of the Collector | Unclaimed TCS brought forward (b/f) | | TCS of the current fin. year | Amount out of (5) or (6) being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year) | Amount out of (5) or (6) being carried forward | |
| | (1) | (2) | (3) | Fin. Year in which collected | Amount b/f | (6) | (7) | (8) | |
| | i | | | | | | | | |
| ii | | | | | | | | | |
| NOTE ▶ Please enter total of column (7) of Schedule-TCS in 13c of Part B-TTI | | | | | | | | | |

NOTE: PLEASE FILL SCHEDULES TO THE RETURN FORM (S1 - S14) AS APPLICABLE

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)**Schedule I**

Details of amounts accumulated / set apart within the meaning of section 11(2)

| Year of accumulation (F.Yr.) | Amount accumulated in the year of accumulation | Purpose of accumulation | Amount applied for charitable/ religious purposes upto the beginning of the previous year | Amount invested or deposited in the modes specified in section 11(5) | Amounts applied for charitable or religious purpose during the previous year | Balance amount available for application (7) = (2) - (4) - (6) | Amount deemed to be income within meaning of sub-section (3) of section 11 |
|------------------------------|--|-------------------------|---|--|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 2010-11 | | | | | | | |
| 2011-12 | | | | | | | |
| 2012-13 | | | | | | | |
| 2013-14 | | | | | | | |
| 2014-15 | | | | | | | |
| 2015-16 | | | | | | | |
| 2016-17 | | | | | | | |
| Total | | | | | | | |

Schedule J

Statement showing the funds and investments as on the last day of the previous year

| DETAILS OF INVESTMENT OF FUNDS | A | | B Details of investment/deposits made under section 11(5) | | | | | |
|--------------------------------|-----|--|---|---|--------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| | i | ii | Sl No | Mode of investment as per section 11(5) | Date of investment | Date of maturity | Amount of investment | Maturity amount |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | i | Balance in the corpus fund as on the last day of the previous year | | | | | Rs. _____ | |
| | ii | Balance in the non-corpus fund as on the last day of the year | | | | | Rs. _____ | |
| | i | Investment in Government Saving Scheme | | | | | | |
| | ii | Post Office Saving Bank | | | | | | |
| | iii | Deposit in Schedule Bank or co-operative societies as per section 11(5)(iii) | | | | | | |

| iv | Investment in UTI | | | | | | |
|-------|---|---|--|----------------------|---|-----------------------------|---|
| v | Any Other | | | | | | |
| vi | TOTAL | | | | | | |
| C | Investment held at any time during the previous year (s) in concern (s) in which persons referred to in section 13(3) have a substantial interest | | | | | | |
| Sl No | Name and address of the concern | Where the concern is a company (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/>) | Number of shares held | Class of shares held | Nominal value of the investment | Income from the investment | Whether the amount in col (6) exceeds 5 percent of the capital of the concern during the previous year (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/>) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| i | | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | | | | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
| ii | | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | | | | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
| iii | | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | | | | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
| iv | | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | | | | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
| v | | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | | | | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
| | TOTAL | | | | | | |
| D | Other investments as on the last day of the previous year | | | | | | |
| Sl No | Name and address of the concern | Whether the concern is a company (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/>) | Class of shares held | | Number of shares held | Nominal value of investment | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) | |
| i | | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | | | | |
| ii | | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | | | | |
| iii | | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | | | | |
| iv | | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | | | | |
| v | TOTAL | | | | | | |
| E | Voluntary contributions/donations received in kind but not converted into investments in the specified modes u/s 11(5) within the time provided | | | | | | |
| Sl.No | Name and address of the donor | Value of contribution/donation | Amount out of (3) invested in modes prescribed under section 11(5) | | Balance to be treated as income under section 11(3) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | |
| i | | | | | | | |
| ii | | | | | | | |
| iii | | | | | | | |
| iv | TOTAL | | | | | | |

Schedule K

Statement of particulars regarding the Author(s) / Founder(s) / Trustee(s) / Manager(s), etc., of the Trust or Institution

| | | | |
|-----|---|-----|--|
| A | Name(s) of author(s) / founder(s) / Settlor(s) and address(es), if alive | | |
| Sl. | Name and address | PAN | Aadhaar Number/ Enrolment Id (if available) |
| | | | |
| | | | |
| B | Name(s) of the person(s) who was / were trustee(s) / manager(s) during the previous year(s) | | |
| Sl. | Name and address | PAN | Aadhaar Number/ Enrolment Id (if eligible for Aadhaar) |
| | | | |

| | | | |
|-----|--|-----|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| C | Name(s) of the person(s) who has / have made substantial contribution to the trust / institution in terms of section 13(3)(b) | | |
| Sl. | Name and address | PAN | Aadhaar Number/ Enrolment Id (if available) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| D | Name(s) of relative(s) of author(s), founder(s), trustee(s), manager(s), and substantial contributor(s) and where any such author, founder, trustee, manager or substantial contributor is a Hindu undivided family, also the names of the members of the family and their relatives | | |
| Sl. | Name and address | PAN | Aadhaar Number/ Enrolment Id (if available) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Schedule LA Political Party

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| POLITICAL PARTY | 1 | Whether books of account were maintained? (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/>) | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
| | 2 | Whether record of each voluntary contribution in excess of twenty thousand rupees (including name and address of the person who has made such contribution) were maintained? (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/>) | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
| | 3 | Whether the accounts have been audited? (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/>) | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
| | | If yes, date of audit (DD/MM/YYYY) | ___/___/___ |
| | 4 | Whether the report under sub-section (3) of section 29C of the Representation of the People Act, 1951 for the financial year has been submitted?(tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/>) | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
| 5 | If yes, then date of submission of the report (DD/MM/YYYY) | ___/___/___ | |

Schedule ET Electoral Trust

| | | | |
|-----------------|---|---|--|
| ELECTORAL TRUST | 1 | Whether books of account were maintained? (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/>) | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
| | 2 | Whether record of each voluntary contribution (including name, address and PAN of the person who has made such contribution along with the mode of contribution) were maintained? (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/>) | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
| | 3 | Whether record of each person (including name, address and PAN of such person) to whom voluntary contribution has been distributed was maintained? (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/>) | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
| | 4 | Whether the accounts have been audited? (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/>) | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
| | | If yes, date of audit (DD/MM/YYYY) | ___/___/___ |
| | 5 | Whether the report as per rule 17CA(14) furnished to the Commissioner of Income-tax or Director of Income-tax?(tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/>) | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
| | 6 | Details of voluntary contribution | |
| | i | Opening balance as on 1 st April | i |
| | ii | Voluntary contribution received during the year | ii |
| | iii | Total (i + ii) | iii |
| iv | Amount distributed to Political parties | iv | |
| v | Amount spent on managing the affairs of the Trust | v | |
| vi | Total (iv + v) | vi | |
| vii | Closing balance as on 31 st March (iii - vi) | vii | |

Schedule AI

Aggregate of income referred to in section u/s 11 and 12 derived during the previous year excluding Voluntary contribution forming part of corpus as per section 11(1)(d) and voluntary contributions

| | | | |
|---------------------|---|----------------------------------|---|
| AGGREGATE OF INCOME | 1 | Receipts from main objects | 1 |
| | 2 | Receipts from incidental objects | 2 |
| | 3 | Rent | 3 |
| | 4 | Commission | 4 |
| | 5 | Dividend income | 5 |
| | 6 | Interest income | 6 |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--------|---|--------|--|---|
| | 7 | Agriculture income | | | 7 | | |
| | 8 | Any other income (specify nature and amount) | | | | | |
| | | | Nature | | Amount | | |
| | a | | | a | | | |
| | b | | | b | | | |
| | c | | | c | | | |
| | d | | | d | | | |
| | e | Total (8a+8b+8c+8d) | | e | | | 8 |
| | 9 | Total | | | | | 9 |

| Schedule ER | | Amount applied to charitable or religious purposes in India during the previous year - Revenue Account | | | | |
|-------------|--|--|--------|---|--------|--|
| 1 | Rents | | | | 1 | |
| 2 | Repairs | | | | 2 | |
| 3 | Compensation to employees | | | | 3 | |
| 4 | Insurance | | | | 4 | |
| 5 | Workmen and staff welfare expenses | | | | 5 | |
| 6 | Entertainment and Hospitality | | | | 6 | |
| 7 | Advertisement | | | | 7 | |
| 8 | Commission | | | | 8 | |
| 9 | Royalty | | | | 9 | |
| 10 | Professional / Consultancy fees / Fee for technical services | | | | 10 | |
| 11 | Conveyance and Traveling expenses other than on foreign travel | | | | 11 | |
| 12 | Foreign travel expenses | | | | 12 | |
| 13 | Scholarship | | | | 13 | |
| 14 | Gift | | | | 14 | |
| 15 | Donation | | | | 15 | |
| | i | Corpus | | | | |
| | ii | Other than corpus | | | | |
| 16 | Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income) | | | | 16 | |
| 17 | Audit fee | | | | 17 | |
| 18 | Other expenses (Specify nature and amount) | | | | | |
| | | | Nature | | Amount | |
| | a | | | a | | |
| | b | | | b | | |
| | c | | | c | | |
| | d | | | d | | |
| | e | Total (viiiia + viiiib + viiiic + viiiid) | | e | | |
| 19 | Total | | | | 19 | |
| 20 | Bad debts | | | | 20 | |
| 21 | Provisions | | | | 21 | |
| 22 | Interest | | | | 22 | |
| 23 | Depreciation and amortization | | | | 23 | |
| 24 | Total revenue expenses | | | | 24 | |

| Schedule EC | | Amount applied to charitable or religious purposes in India during the previous year-Capital Account [excluding application from borrowed funds and amount exempt u/s 11(1A)] | |
|-------------|---|---|--|
| 1 | Addition to Capital work in progress (for which exemption u/s 11(1A) has not been claimed) | 1 | |
| 2 | Acquisition of capital asset (not claimed earlier as application of income and for which exemption u/s 11(1A) has not been claimed) | 2 | |
| 3 | Total (1 + 2) | 3 | |
| 4 | Net consideration on transfer of capital asset | 4 | |
| 5 | Exemption u/s 11(1A) | 5 | |
| 6 | Net consideration on transfer of capital asset excluding amount exempt u/s 11(1A) (4 - 5) (take 6 as nil, if negative) | 6 | |
| 7 | Other capital expenses | | |
| | i | 7i | |
| | ii | 7ii | |
| | iii | 7iii | |
| | iv Total expenses (7i +7ii+7iii) | 7iv | |
| 8 | Total (3 - 6 + 7) | 8 | |

| Schedule HP | | Details of Income from House Property (Please refer to instructions) | |
|----------------|---|--|--------------------------------|
| HOUSE PROPERTY | 1 | Address of property 1 | Town/ City |
| | | State | PIN Code |
| | | Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details) | |
| | | Your percentage of share in the property | |
| | | Name of Co-owner(s) | PAN of Co-owner(s) (optional) |
| | | Percentage Share in Property | |
| | | I | |
| | | II | |
| | | (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> if let out <input type="checkbox"/> deemed let out <input type="checkbox"/> | Name(s) of Tenant (if let out) |
| | | PAN of Tenant(s) (optional) | |
| | | I | |
| | | II | |
| | | a Annual lettable value or rent received or receivable (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two if let out for part of the year) | 1a |
| | | b The amount of rent which cannot be realized | 1b |
| | | c Tax paid to local authorities | 1c |
| | | d Total (1b + 1c) | 1d |
| | | e Annual value (1a - 1d) (nil, if self-occupied etc. as per section 23(2) of the Act) | 1e |
| | | f 30% of 1e | 1f |
| | | g Interest payable on borrowed capital | 1g |
| | | h Total (1f + 1g) | 1h |
| | i Income from house property 1 (1f - 1i) | 1i | |
| 2 | Address of property 2 | Town/ City | State |
| | PIN Code | | |
| | Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details) | | |
| | Your percentage of share in the property. | | |
| | Name of Co-owner(s) | PAN of Co-owner(s) (optional) | |
| | Percentage Share in Property | | |
| | I | | |
| | II | | |
| | (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> if let out <input type="checkbox"/> deemed let out <input type="checkbox"/> | Name(s) of Tenant (if let out) | |
| | PAN of Tenant(s) (optional) | | |
| | I | | |
| | II | | |
| | a Annual lettable value or rent received/ receivable (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two, if let out for part of the year) | 2a | |
| | b The amount of rent which cannot be realized | 2b | |
| | c Tax paid to local authorities | 2c | |

| | | | |
|---|--|----|----|
| d | Total (2b + 2c) | 2d | |
| e | Annual value (2a - 2d) | | 2e |
| f | 30% of 2f | 2f | |
| g | Interest payable on borrowed capital | 2g | |
| h | Total (2f + 2g) | | 2h |
| i | Income from house property 2 (2e - 2h) | | 2i |
| 3 | Income under the head "Income from house property" | | |
| a | Unrealized rent and Arrears of rent received during the year under section 25A after deducting 30% | | 3a |
| b | Total (1i + 2i + 3a) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA) | | 3b |

Schedule CG Capital Gains

| | | | | |
|---|--|--|------|-----|
| CAPITAL GAINS | A Short-term capital gain | | | |
| | 1 From assets (shares/units) where section 111A is applicable (STT paid) | | | |
| | a | Full value of consideration | 1a | |
| | b Deductions under section 48 | | | |
| | i | Cost of acquisition | bi | |
| | ii | Cost of Improvement | bii | |
| | iii | Expenditure on transfer | biii | |
| | iv | Total (i + ii + iii) | biv | |
| | c | Balance (1a - biv) | 1c | |
| | d | Loss, if any, to be ignored under section 94(7) or 94(8) (Enter positive value only) | 1d | |
| | e | Short-term capital gain (1c + 1d) | | A1e |
| | 2 From assets where section 111A is not applicable | | | |
| | a | Full value of consideration | 2a | |
| | b Deductions under section 48 | | | |
| | i | Cost of acquisition | bi | |
| | ii | Cost of Improvement | bii | |
| | iii | Expenditure on transfer | biii | |
| | iv | Total (i + ii + iii) | biv | |
| | c | Balance (2a - biv) | 2c | |
| | d | Loss, if any, to be ignored under section 94(7) or 94(8) (Enter positive value only) | 2d | |
| | e | Short-term capital gain (2c + 2d) | | 2e |
| | 3 Deemed short term capital gain on depreciable assets | | | A3 |
| | 4 Exemption other than u/s 11(1A), if any (pls. specify section) | | | A4 |
| | 5 Total short term capital gain (A1e + 2e + A3 - A4) | | | A5 |
| | B Long term capital gain | | | |
| 1 From asset where proviso under section 112(1) is not applicable | | | | |
| a | Full value of consideration | 1a | | |
| b Deductions under section 48 | | | | |
| i | Cost of acquisition after indexation | bi | | |
| ii | Cost of improvement after indexation | bii | | |
| iii | Expenditure on transfer | biii | | |
| iv | Total (bi + bii + biii) | biv | | |
| c | Balance (1a - biv) | 1c | | |
| d | Exemption u/s 11(1A) | | 1d | |
| e | Long-term capital gains where proviso under section 112(1) is not applicable (1c - 1d) | | B1e | |
| 2 From asset where proviso under section 112(1) is applicable (without indexation) | | | | |
| a | Full value of consideration | 2a | | |
| b Deductions under section 48 | | | | |
| i | Cost of acquisition without indexation | bi | | |
| ii | Cost of improvement without indexation | bii | | |
| iii | Expenditure on transfer | biii | | |
| iv | Total (bi + bii + biii) | biv | | |

| | | | | |
|---|---|--|-----|--|
| | c | Balance (2a – biv) | 2c | |
| | d | Exemption other than u/s 11(1A), if any (pls. specify section) | 2d | |
| | e | Long-term capital gains where proviso under section 112(1) is applicable (2c – 2d) (1e – 1f) | B2e | |
| 3 | | Total long term capital gain (B1e + B2e) | B3 | |
| C | | Income chargeable under the head “CAPITAL GAINS” (A5 + B3) (enter B3 as nil, if loss) | C | |

Schedule OS Income from other sources

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|-------|
| OTHER SOURCES | 1 | Income | | | |
| | a | Dividends, Gross | 1a | | |
| | b | Interest, Gross | 1b | | |
| | c | Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross | 1c | | |
| | d | Others, Gross (excluding income from owning race horses) <i>Mention the source</i> | | | |
| | | i | Income from winnings from lotteries, crossword puzzles etc. | 1di | |
| | | ii | a | Cash credits u/s 68 | |
| | | | b | Unexplained investments u/s 69 | |
| | | | c | Unexplained money etc. u/s 69A | |
| | | | d | Undisclosed investments etc. u/s 69B | |
| | | | e | Unexplained expenditure etc. u/s 69C | |
| | | | f | Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D | |
| | | | | Total (a + b + c + d + e + f) | 1dii |
| | | iii | | | 1diii |
| | | iv | | | 1div |
| | | v | | Total (1di + 1dii+ 1diii+ 1div) | 1dv |
| | | e | Total (1a + 1b + 1c + 1dv) | | 1e |
| | | f | Income included in ‘1e’ chargeable to tax at special rate (to be taken to schedule SI) | | |
| | | | i | Income from winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. (u/s 115BB) | 1i |
| | | | ii | Deemed Income chargeable to tax u/s 115BBE | 1fii |
| | | | iii | Income from patent chargeable u/s 11BBF | 1fiii |
| | | | iv | Any other income under chapter XII/XII-A | 1fiv |
| | | | v | Income included in ‘1e’ chargeable to tax at special rate (1fi +1fii+1fiii+1fiv) | 1fv |
| | | g | Gross amount chargeable to tax at normal applicable rates (1e-1fv) | | 1g |
| | h | Deductions under section 57 (other than those relating to income under 1fi, 1fii, 1fiii & 1fiv) | | | |
| | | i | Expenses / Deductions | hi | |
| | | ii | Depreciation | hii | |
| | | iii | Total | hiii | |
| | i | Income from other sources (other than from owning race horses and amount chargeable to tax at special rate) (1g – hiii) (If negative take the figure to 4i of schedule CYLA) | | | 1i |
| 2 | Income from other sources (other than from owning race horses) (1fv + 1i) (enter 1i as nil, if negative) | | | | 2 |
| 3 | Income from the activity of owning and maintaining race horses | | | | |
| | a | Receipts | 3a | | |
| | b | Deductions under section 57 in relation to (3) | 3b | | |
| | c | Balance (3a – 3b) | | 3c | |
| 4 | Income under the head “Income from other sources” (2 + 3c) (take 3c as nil if negative) | | | | 4 |

Schedule- VC

Voluntary Contributions (to be mandatorily filled in by all persons filing ITR-7)

| | | | | |
|----------|-----|--|--|----------|
| A | | Local | | |
| | i | Corpus fund donation | | Ai |
| | ii | Other than corpus fund donation | | Aii |
| | (a) | Grants Received from Government | | |
| | (b) | Grants Received from Companies under Corporate Social Responsibility | | |
| | (c) | Other Donations | | |
| | (d) | Total | | Aiid |
| | iii | Voluntary contribution local (Ai + Aiid) | | Aiii |
| B | | Foreign contribution | | |
| | i | Corpus fund donation | | Bi |
| | ii | Other than corpus fund donation | | Bii |
| | iii | Foreign contribution (Bi + Bii) | | Biii |
| C | | Total Contributions (Aiii + Biii) | | C |
| D | | Anonymous donations, included in C, chargeable u/s 115BBC | | |
| | i | Aggregate of such anonymous donations received | | i |
| | ii | 5% of total donations received at C or 1,00,000 whichever is higher | | ii |
| | iii | Anonymous donations chargeable u/s 115BBC @ 30% (i - ii) | | iii |

Schedule OA

General

| | |
|---|--|
| Do you have any income under the head business and profession? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "yes" please enter following details) | |
| 1 | Nature of Business or profession (refer to the instructions) |
| 2 | Number of branches <input type="text"/> |
| 3 | Method of accounting employed in the previous year (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mercantile <input type="checkbox"/> cash |
| 4 | Is there any change in method of accounting (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes |
| 5 | Effect on the profit because of deviation, if any, in the method of accounting employed in the previous year from accounting standards prescribed under section 145A |
| 6 | Method of valuation of closing stock employed in the previous year |
| a | Raw Material (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3) <input type="checkbox"/> |
| b | Finished goods (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3) <input type="checkbox"/> |
| c | Is there any change in stock valuation method (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
| d | Effect on the profit or loss because of deviation, if any, from the method of valuation prescribed under section 145A |

Schedule BP

Computation of income from business or profession

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-------------------------------|----|---|
| A | | From business or profession other than speculative business and specified business | | | |
| INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION | 1 | Profit before tax as per profit and loss account | | 1 | |
| | 2 | Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter -ve sign in case of loss) | 2 | | |
| | 3 | Net profit or loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter -ve sign in case of loss) | 3 | | |
| | 4 | Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44AD/44AE | 4 | | |
| | 5 | Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt | | | |
| | | a | share of income from firm(s) | 5a | |
| | | b | Share of income from AOP/ BOI | 5b | |
| | | c | Any other exempt income | 5c | |
| | | d | Total exempt income | 5d | |
| | 6 | Balance (1- 2 - 3 - 4- 5d) | | | 6 |
| 7 | Expenses debited to profit and loss account considered under other heads of income | 7 | | | |

| | | | | |
|---|--|-------|------|-----|
| 8 | Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income | 8 | | |
| 9 | Total (7 + 8) | 9 | | |
| 10 | Adjusted profit or loss (6+9) | | 10 | |
| 11 | Deemed income under section 33AB/33ABA/35ABB | 11 | | |
| 12 | Any other item or items of addition under section 28 to 44DA | 12 | | |
| 13 | Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which company is a partner) | 13 | | |
| 14 | Total (10 +11+12+13) | | 14 | |
| 15 | Deduction allowable under section 32(1)(iii) | 15 | | |
| 16 | Any other amount allowable as deduction | | 16 | |
| 17 | Total (15 +16) | | 17 | |
| 18 | Income (14 – 17) | | 18 | |
| 19 | Profits and gains of business or profession deemed to be under - | | | |
| | i Section 44AD | 19i | | |
| | ii Section 44ADA | 19ii | | |
| | iii Section 44AE | 19iii | | |
| | iv Total (19i to 19iii) | | 19iv | |
| 20 | Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business (18 + 19iv) | | 20 | |
| 21 | Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rule 7A, 7B or 7C, if applicable (If rule 7A, 7B or 7C is not applicable, enter same figure as in 20) | | A21 | |
| B Computation of income from speculative business | | | | |
| 24 | Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account | | 24 | |
| 25 | Additions in accordance with section 28 to 44DA | | 25 | |
| 26 | Deductions in accordance with section 28 to 44DA | | 26 | |
| 27 | Profit or loss from speculative business (24+25-26) (enter nil if loss) | | B27 | |
| C Computation of income from specified business under section 35AD | | | | C |
| 28 | Net profit or loss from specified business as per profit or loss account | | 28 | |
| 29 | Additions in accordance with section 28 to 44DA | | 29 | |
| 30 | Deductions in accordance with section 28 to 44DA (other than deduction under section,- (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed) | | 30 | |
| 31 | Profit or loss from specified business (28+29-30) | | 31 | |
| 32 | Deductions in accordance with section 35AD(1) or 35AD(1A) | | 32 | |
| 33 | Profit or loss from specified business (31-32) (enter nil if loss) | | 33 | |
| D Income chargeable under the head 'Profits and gains' (A21+B27+C33) | | | | D34 |
| E Computation of income chargeable to tax under section 11(4) | | | | |
| 35 | Income as shown in the accounts of business under taking [refer section 11(4)] | | E35 | |
| 36 | Income chargeable to tax under section 11(4) [D34-E35] | | E36 | |

| Schedule CYLA | | Details of Income after set-off of current years losses | | | | | Current year's Income remaining after set off |
|------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|---|
| SL.No | Head/ Source of Income | Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive) | House property loss of the current year set off | Business Loss (other than speculation or specified business loss) of the current year set off | Other sources loss (other than loss from race horses) of the current year set off | | |
| | | | Total loss (3b of Schedule -HP) | Total loss (A21 of Schedule-BP) | Total loss (1i of Schedule-OS) | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1-2-3-4 | |
| CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT | | Loss to be adjusted -> | | | | | |
| i | House property | | | | | | |
| ii | Business (excluding speculation income and income from specified business) | | | | | | |
| iii | Speculation income | | | | | | |
| iv | Specified business income | | | | | | |
| v | Short-term capital gain | | | | | | |
| vi | Long term capital gain | | | | | | |
| vii | Other sources (excluding profit from owning race horses and winnings from lottery) | | | | | | |
| viii | Profit from owning and maintaining race horses | | | | | | |
| ix | Total loss set-off | | | | | | |
| x | Loss remaining after set-off | | | | | | |

| Schedule MAT | | Computation of Minimum Alternate Tax payable under section 115JB | | |
|--------------|---|--|--|--------------------------|
| 1 | Whether the Profit and Loss Account is prepared in accordance with the provisions of Parts II of Schedule III to the Companies Act, 2013 (If yes, write 'Y', if no write 'N') | | | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Whether, for the Profit and Loss Account referred to in item 1 above, the same accounting policies, accounting standards and same method and rates for calculating depreciation have been followed as have been adopted for preparing accounts laid before the company at its annual general body meeting? (If yes, write 'Y', if no write 'N') | | | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Profit after tax as shown in the Profit and Loss Account | 3 | | |
| 4 | Additions (if debited in profit and loss account) | | | |
| | a Income Tax paid or payable or its provision -including the amount of deferred tax and the provision therefor | 4a | | |
| | b Reserve (except reserve under section 33AC) | 4b | | |
| | c Provisions for unascertained liability | 4c | | |
| | d Provisions for losses of subsidiary companies | 4d | | |
| | e Dividend paid or proposed | 4e | | |
| | f Expenditure related to exempt income under sections 10, 11 or 12 [exempt income excludes income exempt under section 10(38)] | 4f | | |
| | g Expenditure related to share in income of AOP/ BOI on which no income-tax is payable as per section 86 | 4g | | |
| | h Expenditure in case of foreign company referred to in clause (fb) of explanation 1 to section 115JB | 4h | | |
| | i Notional loss on transfer of certain capital assets or units referred to in clause (fc) of explanation 1 to section 115JB | 4i | | |
| | j Expenditure relatable to income by way of royalty in respect of patent chargeable to tax u/s 115BBF | 4j | | |
| | k Depreciation attributable to revaluation of assets | 4k | | |
| | l Gain on transfer of units referred to in clause (k) of explanation 1 to section 115JB | 4l | | |
| | m Others (including residual unadjusted items and provision for diminution in the value of any asset) | 4m | | |
| | n Total additions (4a+4b+4c+4d+4e+4f+4g+4h+4i+4j+4k+4l+4m) | 4n | | |
| 5 | Deductions | | | |
| | a Amount withdrawn from reserve or provisions if credited to Profit and Loss account | 5a | | |
| | b Income exempt under sections 10, 11 or 12 [exempt income excludes income exempt under section 10(38)] | 5b | | |
| | c Amount withdrawn from revaluation reserve and credited to profit and loss account to the extent it does not exceed the amount of depreciation attributable to revaluation of asset | 5c | | |
| | d Share in income of AOP/ BOI on which no income-tax is payable as per section 86 credited to Profit and Loss account | 5d | | |
| | e Income in case of foreign company referred to in clause (iid) of explanation 1 to section 115JB | 5e | | |

MINIMUM ALTERNATE TAX

| | | | | |
|---|---|----|----|--|
| f | Notional gain on transfer of certain capital assets or units referred to in clause (ie) of explanation 1 to section 115JB | 5f | | |
| g | Loss on transfer of units referred to in clause (iif) of explanation 1 to section 115JB | 5g | | |
| h | Income by way of royalty referred to in clause (iig) of explanation 1 to section 115JB | 5h | | |
| i | Loss brought forward or unabsorbed depreciation whichever is less | 5i | | |
| j | Profit of sick industrial company till net worth is equal to or exceeds accumulated losses | 5j | | |
| k | Others (including residual unadjusted items and the amount of deferred tax credited to P&L A/c) | 5k | | |
| l | Total deductions (5a+5b+5c+5d+5e+5f+5g+5h+5i+5j+5k) | | 5l | |
| 6 | Book profit under section 115JB (3+ 4n – 5l) | | 6 | |
| 7 | Tax payable under section 115JB | | 7 | |

Schedule MATC Computation of tax credit under section 115JAA

| | | | | | | | |
|------------|-----|---|---------------------|------------|-------------------------------|---|--|
| MAT CREDIT | 1 | Tax under section 115JB in assessment year 2017-18 (1d of Part-B-TTI) | | | 1 | | |
| | 2 | Tax under other provisions of the Act in assessment year 2017-18 (5 of Part-B-TTI) | | | 2 | | |
| | 3 | Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0] | | | 3 | | |
| | 4 | Utilisation of MAT credit Available [Sum of MAT credit utilized during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of MAT Credit Brought Forward] | | | | | |
| | | S.No | Assessment Year (A) | MAT Credit | | MAT Credit Utilised during the Current Year (C) | Balance MAT Credit Carried Forward (D)= (B3) – (C) |
| | | | | Gross (B1) | Set-off in earlier years (B2) | Balance Brought forward (B3)=(B2)-(B1) | |
| | | i | 2007-08 | | | | |
| | | ii | 2008-09 | | | | |
| | | iii | 2009-10 | | | | |
| | | iv | 2010-11 | | | | |
| | | v | 2011-12 | | | | |
| | | vi | 2012-13 | | | | |
| | | vii | 2013-14 | | | | |
| | | viii | 2014-15 | | | | |
| | ix | 2015-16 | | | | | |
| | x | 2016-17 | | | | | |
| | xi | 2017-18 (enter 1 -2, if I>2 else enter 0) | | | | | |
| | xii | Total | | | | | |
| | 5 | Amount of tax credit under section 115JAA utilised during the year [enter 4(C)x] | | | 5 | | |
| | 6 | Amount of MAT liability available for credit in subsequent assessment years [enter 4(D)x] | | | 6 | | |

Schedule AMT Computation of Alternate Minimum Tax payable under section 115JC

| | | | | | |
|---|--|--|----|---|--|
| 1 | Total Income as per item 25 of PART-B-TI | | | 1 | |
| 2 | Adjustment as per section 115JC(2) | | | | |
| | a | Deduction Claimed under any section included in Chapter VI-A under the heading "C.—Deductions in respect of certain incomes" | 2a | | |
| | b | Deduction Claimed u/s 10AA | 2b | | |
| | c | Deduction claimed u/s 35AD as reduced by the amount of depreciation on assets on which such deduction is claimed | 2c | | |
| | d | Total Adjustment (2a+ 2b+2c) | 2d | | |
| 3 | Adjusted Total Income under section 115JC(1) (1+2d) | | | 3 | |
| 4 | Tax payable under section 115JC [18.5% of (3)] (In the case of AOP, BOI, AJP this is applicable if 3 is greater than Rs. 20 lakhs) | | | 4 | |

Schedule AMTC Computation of tax credit under section 115JD

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| 1 | Tax under section 115JC in assessment year 2017-18 (1d of Part-B-TTI) | | | 1 | |
| 2 | Tax under other provisions of the Act in assessment year 2017-18 (5 of Part-B-TTI) | | | 2 | |
| 3 | Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0] | | | 3 | |
| 4 | Utilisation of AMT credit Available (Sum of AMT credit utilized during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of AMT Credit Brought Forward) | | | | |

| S.No | Assessment Year (AY) (A) | AMT Credit | | | AMT Credit Utilised during the Current Year (C) | Balance AMT Credit Carried Forward (D)= (B3) –(C) |
|------|---|---------------|----------------------------------|---|--|--|
| | | Gross (B1) | Set-off in earlier years (B2) | Balance brought forward (B3) = (B1) – (B2) | | |
| i | 2012-13 | | | | | |
| ii | 2013-14 | | | | | |
| iii | 2014-15 | | | | | |
| iv | 2015-16 | | | | | |
| v | 2016-17 | | | | | |
| vi | Current AY (enter 1 -2, if I>2 else enter 0) | | | | | |
| vii | Total | | | | | |
| 5 | Amount of tax credit under section 115JD utilised during the year [total of item no 4C] | | | | 5 | |
| 6 | Amount of AMT liability available for credit in subsequent assessment years [total of 4D] | | | | 6 | |

Schedule PTI Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB

| Sl. | Name of business trust/ investment fund | PAN of the business trust/ investment fund | Sl. | Head of income | Amount of income | TDS on such amount, if any |
|-----|--|---|-----|-----------------------------|------------------|-------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | ii | Capital Gains | | |
| | | | a | Short term | | |
| | | | b | Long term | | |
| | | | iii | Other Sources | | |
| | | | iv | Income claimed to be exempt | | |
| | | | a | u/s 10(23FBB) | | |
| | | | b | u/s | | |
| | | | c | u/s | | |
| 2. | | | i | House property | | |
| | | | ii | Capital Gains | | |
| | | | a | Short term | | |
| | | | b | Long term | | |
| | | | iii | Other Sources | | |
| | | | iv | Income claimed to be exempt | | |
| | | | a | u/s 10(23FBB) | | |
| | | | b | u/s | | |
| | | | c | u/s | | |

NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule SI Income chargeable to tax at special rates [Please see instruction]

| Sl No | Section | <input checked="" type="checkbox"/> | Special rate (%) | Income (i) | Tax thereon (ii) |
|-------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 111A (STCG on shares where STT paid) | <input type="checkbox"/> | 15 | | |
| 2 | 112 proviso (LTCG on listed securities/ units without indexation) | <input type="checkbox"/> | 10 | | |
| 3 | 112 (LTCG on others) | <input type="checkbox"/> | 20 | | |
| 4 | 115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.) | <input type="checkbox"/> | 30 | | |
| 5 | 115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D) | <input type="checkbox"/> | 60 | | |
| 6 | 115BBF (Tax on income from patent) | <input type="checkbox"/> | 10 | | |
| 7 | | <input type="checkbox"/> | | | |
| 8 | | | Total | | |

Schedule 115TD Accreted income under section 115TD

| | | | |
|---|--|-----|--|
| 1 | Aggregate Fair Market Value (FMV) of total assets of trust/institution | 1 | |
| 2 | Less: Total liability of trust/institution | 2 | |
| 3 | Net value of assets (1 – 2) | 3 | |
| 4 | (i) FMV of assets directly acquired out of income referred to in section 10(1) | 4i | |
| | (ii) FMV of assets acquired during the period from the date of creation or establishment to the effective date of registration u/s 12AA, if benefit u/s 11 and 12 not claimed during the said period | 4ii | |

| | | | | |
|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | (iii) FMV of assets transferred in accordance with third proviso to section 115TD(2) | 4iii | | |
| | (iv) Total (4i + 4ii + 4iii) | | 4iv | |
| 5 | Liability in respect of assets at 4 above | | 5 | |
| 6 | Accreted income as per section 115TD [3 – (4 – 5)] | | 6 | |
| 7 | Additional income-tax payable u/s 115TD at maximum marginal rate | | 7 | |
| 8 | Interest payable u/s 115TE | | 8 | |
| 9 | Additional income-tax and interest payable | | 9 | |
| 10 | Tax and interest paid | | 10 | |
| 11 | Net payable/refundable (9 – 10) | | 11 | |
| 12 | Date(s) of deposit of tax on accreted income | Date 1 DD/MM/YYYY | Date 2 DD/MM/YYYY | Date 3 DD/MM/YYYY |
| 13 | Name of Bank and Branch | | | |
| 14 | BSR Code | | | |
| 15 | Serial number of challan | | | |
| 16 | Amount deposited | | | |

Schedule FSI Details of Income from outside India and tax relief

| Sl. | Country Code | Taxpayer Identification Number | Sl. | Head of income | Income from outside India (included in PART B-TI) | Tax paid outside India | Tax payable on such income under normal provisions in India | Tax relief available in India (e) = (c) or (d) whichever is lower | Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A |
|---|--------------|--------------------------------|-----|------------------------|---|------------------------|---|---|--|
| | | | | | | | | | |
| 1 | | | i | House Property | | | | | |
| | | | ii | Business or Profession | | | | | |
| | | | iii | Capital Gains | | | | | |
| | | | iv | Other sources | | | | | |
| | | | | Total | | | | | |
| 2 | | | i | House Property | | | | | |
| | | | ii | Business or Profession | | | | | |
| | | | iii | Capital Gains | | | | | |
| | | | iv | Other sources | | | | | |
| | | | | Total | | | | | |
| NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule. | | | | | | | | | |

Schedule TR Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India

| Sl. | Details of Tax relief claimed | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|--|--|
| | Country Code | Taxpayer Identification Number | Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country) | Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country) | Section under which relief claimed (specify 90, 90A or 91) |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | Total | | |
| 2 | Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of 1(d)) | | | | 2 |
| 3 | Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d)) | | | | 3 |
| 4 | Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below | | | | 4 |
| | a | Amount of tax refunded | b | Assessment year in which tax relief allowed in India | |
| NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule. | | | | | |

Schedule FA Details of Foreign Assets and Income from any source outside India

| A Details of Foreign Bank Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the previous year | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|
| Sl No | Country Name and Code | Name and Address of the Bank | Account holder name | Status-Owner/Beneficial owner/Beneficiary | Account Number | Account opening date | Peak Balance During the Year (in rupees) | Interest accrued in the account | Interest taxable and offered in this return | | |
| | | | | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| B Details of Financial Interest in any Entity held (including any beneficial interest) at any time during the previous year | | | | | | | | | | | |
| Sl No | Country Name and code | Nature of entity | Name and Address of the Entity | Nature of Interest-Direct/Beneficial owner/Beneficiary | Date since held | Total Investment (at cost) (in rupees) | Income accrued from such Interest | Nature of Income | Income taxable and offered in this return | | |
| | | | | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| C Details of Immovable Property held (including any beneficial interest) at any time during the previous year | | | | | | | | | | | |
| Sl No | Country Name and code | Address of the Property | Ownership-Direct/Beneficial owner/Beneficiary | Date of acquisition | Total Investment (at cost) (in rupees) | Income derived from the property | Nature of Income | Income taxable and offered in this return | | | |
| | | | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| D Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the previous year | | | | | | | | | | | |
| Sl No | Country Name and code | Nature of Asset | Ownership-Direct/Beneficial owner/Beneficiary | Date of acquisition | Total Investment (at cost) (in rupees) | Income derived from the asset | Nature of Income | Income taxable and offered in this return | | | |
| | | | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| E Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the previous year and which has not been included in A to D above. | | | | | | | | | | | |
| Sl No | Name of the Institution in which the account is held | Address of the Institution | Name of the account holder | Account Number | Peak Balance/Investment during the year (in rupees) | Whether income accrued is taxable in your hands? | If (7) is yes, Income accrued in the account | If (7) is yes, Income offered in this return | | | |
| | | | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| F Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor | | | | | | | | | | | |
| Sl No | Country Name and code | Name and address of the trust | Name and address of trustees | Name and address of Settlor | Name and address of Beneficiaries | Date since position held | Whether income derived is taxable in your hands? | If (8) is yes, Income derived from the trust | If (8) is yes, Income offered in this return | | |
| | | | | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| (i) | | | | | | | | | | | |
| (ii) | | | | | | | | | | | |
| G Details of any other income derived from any source outside India which is not included in,- (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession | | | | | | | | | | | |
| Sl No | Country Name and code | Name and address of the person from whom derived | Income derived | Nature of income | Whether taxable in your hands? | If (6) is yes, Income offered in this return | | | | | |
| | | | | | | Amount | Schedule where offered | Item number of schedule | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | | | |
| (i) | | | | | | | | | | | |

DETAILS OF FOREIGN ASSETS

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (ii) | | | | | | | | | |
| NOTE ► Please refer to instructions for filling out this schedule. | | | | | | | | | |

| | | |
|---------------|------------------------|-------------------|
| ITR- V | ACKNOWLEDGEMENT | AY 2017-18 |
|---------------|------------------------|-------------------|

Received with thanks from _____ a return of income in ITR No. 1(SAHAJ)→0 2→0 3→0 4(SUGAM)→0 5→0 7→0 for assessment year 2017-18, having the following particulars

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|
| (A1) First name | (A2) Middle name | (A3) Last name | (A4) Permanent Account Number | | | | | |
| (A5) Sex (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Male <input type="checkbox"/> Female | (A6) Date of Birth(DD/MM/YYYY) | | (A7) Income Tax Ward/Circle | | | | | |
| | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |
| (A8) Flat/Door/Building | (A9) Name of Premises/ Building/ Village | (A10) Road/ Street | (A11) Area/ locality | | | | | |
| (A12) | (A13) | Country | (A14) | | | | | |
| (A15) <input type="checkbox"/> On or before due date -139(1), <input type="checkbox"/> After due date -139(4), <input type="checkbox"/> Revised Return-139(5) to notice under section <input type="checkbox"/> 139(9)-Defective <input type="checkbox"/> 142(1) <input type="checkbox"/> 148 <input type="checkbox"/> 153A/153C OR <input type="checkbox"/> Under Sec. 119(2)(b) | | | | | | | | |

| COMPUTATION OF INCOME AND TAX RETURN Whole – Rupee (₹) only. | | | |
|---|--|--------|--|
| B1 | Gross Total Income | B1 () | |
| B2 | Deductions under Chapter-VI-A | B2 | |
| B3 | Total Income | B3 () | |
| B4 | Current loss, if any | B4 () | |
| B5 | Net Tax Payable | B5 | |
| B6 | Interest Payable | B6 | |
| B7 | Total Tax and Interest Payable | B7 | |
| B8 | Total Advance Tax Paid | B8 | |
| B9 | Total Self Assessment Tax Paid | B9 | |
| B10 | Total TDS deducted | B10 | |
| B11 | Total TCS collected | B11 | |
| B12 | Total Prepaid Taxes (B8 + B9 + B10+ B11) | B12 | |
| B13 | Tax Payable (B7-B12, If B7>B12) | B13 | |
| B14 | Refund (B12-B7, If B12>B7) | B14 | |
| B15 | Exempt Income | B15 | |
| | Agriculture | | |
| | Others | | |

Sing Here

FORE OFFICIAL USE ONLY

STAMP RECEIPT NO. HERE

SEAL, DATE AND SIGNATURE OF
RECEIVING OFFICIAL

[Notification No. 21/2017/ F.No.370142/5/2017-TPL]

Dr. T.S. MAPWAL, Under Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O.969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended by the Income-tax (Third Amendment) Rules, 2017, vide notification number S.O. No. 283(E), dated 23rd March, 2017.